



धर्मपाल समग्र लेखन

४

रमणीय वृक्ष  
१८ वी शताब्दी मे भारतीय शिक्षा

धर्मपाल

अनुवाद

रजनीकान्त जोशी  
कृष्णपालसिंह भदौरिया



धर्मपाल समग्र लेखन ४  
रमणीय वृक्ष  
१८ वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा

लेखक

धर्मपाल

सम्पादक

इन्दुमति काटदरे

अनुवाद

रजनीकान्त जोशी

कृष्णपालसिंह भदौरिया

सर्वाधिकार

पुनरुत्थान ट्रस्ट अहमदाबाद

प्रकाशक

पुनरुत्थान ट्रस्ट

४ वसुधरा सोसायटी आनन्दपार्क काकरिया अहमदाबाद - ३८००२८

दूरभाष ०७९ - २५३२२६५५

मुद्रक

साधना मुद्रणालय ट्रस्ट

सिटी मिल कम्पाउण्ड काकरिया मार्ग अहमदाबाद - ३८००२२

दूरभाष ०७९ - २५४६७७९०

मूल्य रु ३७५-००

प्रति

२०००

प्रकाशन तिथि

शैत्र शुक्ल १ वर्षप्रतिपदा युगाब्द ५१०९

२० मार्च २००९

# अनुक्रमणिका

मनोगत

सम्पादकीय

विभाग १ विश्लेषण	१
१ प्राक्कथन	३
२ प्रस्तावना	१०
विभाग २ अभिलेख	८५
३ सर टोमस मनरो मद्रास प्रेसीडेन्सी की शिक्षा व्यवस्था विषयक	८६
४ फ्रा पाओलीनो द बार्टोलोमियो भारत में बच्चों की शिक्षा के विषय में	२४५
५ एलेकझाण्डर वॉकर भारत की शिक्षा और साहित्य के विषय में	२५१
६ विलियम एडम बंगाल में शिक्षा की स्थिति के विषय में	२५८
७ जी डबल्यू लिटनर पंजाब की शिक्षा के सदर्भ में	३३०
८ महात्मा गांधी और सर फिलिप हार्टोग का पत्राचार ..	३३६
९ राजस्व से अनुदान प्राप्त तजाबुर के मदिरों की सूची	३७५
१० राजस्व से अश प्राप्त करनेवाले व्यक्तियों की सूची ..	३९९

# धर्मपाल समग्र लेखन

## ग्रन्थ सूची

- १ भारतीय चिन्त मानस एव काल
- २ १८ वीं शताब्दीमें भारतमें विज्ञान एवं तंत्रज्ञान कतिपय समकालीन यूरोपीय वृत्तान्त  
Indian Science and Technology in the Eighteenth Century  
Some Contemporary European Accounts
- ३ भारतीय परम्परामें असहयोग  
Civil Disobedience in Indian Tradition
- ४ रमणीय वृक्ष १८ वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा  
The Beautiful Tree Indigenous Indian Education in the  
Eighteenth Century
- ५ पंचायत राज एवं भारतीय राजनीति तंत्र  
Panchayat Raj and Indian Polity
- ६ भारत में गोहत्या का अंग्रेजी मूल  
The British Origin of Cow slaughter in India
- ७ भारतकी लूट एव बदनामी १९ वीं शताब्दी की अंग्रेजों की जिहाद  
Despoliation and Defaming of India  
The Early Nineteenth Century of British crusade
- ८ गांधी को समझें  
Understanding Gandhi
- ९ भारत की परम्परा  
Essays In Tradition Recovery and Freedom
- १० भारत का पुनर्बोध  
Rediscovering India

## मनोगत

गांधीजी के अगस्त १९४२ के अंग्रेजों भारत छोड़ो आन्दोलन के कुछ समय पूर्व से ही मैं देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन से पूर्णरूप से प्रभावित हो चुका था। उस समय मैंने जीवन के बीस वर्ष पूरे किए थे। अगस्त १९४२ में हम दो चार मित्र जिनमें मित्र श्री जगदीश प्रसाद मित्रल प्रमुख थे उत्तरप्रदेश से भारत छोड़ो आन्दोलन' के लिए ही कांग्रेस के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेने मुम्बई गए। मैंने उससे पूर्व १९३० का लाहौर का कांग्रेस सम्मेलन देखा था परन्तु मुम्बई के सम्मेलन का स्वरूप और अपेक्षाएँ हमारे लिए एकदम नई थीं। सम्मेलन में हमें दर्शक के रूप में भाग लेने की अनुमति मिल गई। हमने वहाँ की सम्पूर्ण कार्यवाही देखी सभी भाषण सुने। ८ अगस्त की सायंकाल का गांधीजी का सवा दो घण्टे का भाषण तो मुझे आज भी कुछ कुछ याद है। उन्होंने प्रथम डेढ़ घण्टा हिन्दी में भाषण दिया फिर पौन घण्टा अंग्रेजी में। सम्मेलन में ५० हजार से अधिक भीड़ थी। सभी उपस्थित लोगों से सभी भारतवासियों से तथा विश्व के सभी देशों से गांधीजी का मुख्य निवेदन तो यही था कि वे सभी भारत और अंग्रेजों के वार्तालाप में सहायक हों। हमारे जैसे अधिकांश लोगों ने उस समय विचार किया होगा कि आन्दोलन का प्रारम्भ तो कुछ समय बाद ही होगा।

परन्तु दूसरे ही दिन सवेरे ५-६ बजे से ही पूरे मुम्बई में हलचल शुरू हो गई। मुम्बई से बाहर जानेवाली रेलगाड़ियां दोपहर के बाद तक बन्द रहीं। अंग्रेज और भारतीय पुलिस व्यापक रूप से लोगों की गिरफ्तारी करती रही। अन्ततः ९ अगस्त को शाम तक हमें दिल्ली जाने के लिए गाड़ी मिल गई। परन्तु रास्ते भर हलचल थी और गिरफ्तारियां हो रही थीं। हममें से अधिकांश लोग अपनी अपनी जगह पहुँचकर अंग्रेजों भारत छोड़ो' आन्दोलन शुरू करनेवाले थे।

दिल्ली पहुँचकर मैं अन्य साथियों के साथ आसपास के क्षेत्रों में घल रहे आन्दोलन में जुड़ गया। कितने महीने तक इसी में ही सलग्न रहा। उस बीच अनेक गाँवों और कस्बों में भी गया। वहाँ लोगों के घरों में रहा। वहाँ से ही भारत के सामान्य जीवन

के साथ मेरा परिचय प्रारम्भ हुआ। दिसम्बर १९४२ में अनेक घनिष्ठ मित्रों ने सलाह दी की मुझे आन्दोलन के काम के लिए मुम्बई जाना चाहिए। इसलिए फरवरी १९४३ में मैं मुम्बई गया और वहाँ रहा। आन्दोलन का साहित्य लेकर वाराणसी और पटना भी गया। मुम्बई में गांधीजी के निकटस्थ स्वामी आनन्द ने मेरे रहने खाने की व्यवस्था की थी। वे अलग अलग लोगों से मेरा परिचय भी कराते थे। वस्तुतः मेरा मुम्बई के साथ परिचय तो उनके कारण ही हुआ। मुम्बई में ही मैं श्रीमती सुषेता कृपलानी से भी एक दो बार मिला। उसी प्रकार गिरिधारी कृपलानी से मिलना हुआ। उस समय मैं खादी का धोती कुर्ता पहनता था और स्वामी आनन्द आदि के आग्रह के बाद भी मैंने कभी पतलून आदि नहीं पहना।

मार्च १९४२ में मैं मुम्बई से दिल्ली और उत्तरप्रदेश गया। अप्रैल १९४३ में दिल्ली के चौदनीचौक पुलिस थाने में मेरी गिरफ्तारी हुई और लगभग दो महीने अलगअलग थानों में रहा। वहाँ मेरी गहन पूछताछ हुई धमकाया भी गया। यद्यपि मारपीट नहीं हुई। जून १९४३ में मुझे सरकार के आदेशानुसार दिल्ली से निष्कासित किया गया। एकघ वर्ष बाद यह निष्कासन समाप्त हुआ।

लम्बे अरसे से मेरा मन गाँव में जाकर रहने और काम करने का था। मेरे एक पारिवारिक मित्र गोरखपुर जिले के एक हजार एकड़ जितने विशाल फार्म के मैनेजर थे। उन्होंने मुझे फार्म पर आकर रहने के लिए निमंत्रण दिया। यह फार्म सुन्दर तो था परन्तु यह तो वहाँ रहनेवालों से कसकर परिश्रम कराने की जगह थी। गाँव जैसा सामूहिकता का वातावरण वहाँ नहीं होता था। वहाँ गाँव के लोगों से मिलने बात करने का अवसर भी नहीं मिलता था। परन्तु एक बात मैंने देखी कि वहाँ लोग गरीब होने के बाद भी प्रसन्नविद्य दिखाई देते थे।

एक वर्ष बाद जून अथवा जुलाई १९४४ में यह फार्म छोड़ कर मैं वापस आ गया। तत्काल ही मेरठ के मित्रों ने मुझे श्रीमती मीराबहन के पास जाने की सलाह दी। मीरा बहन रूढ़की के निकट एक आश्रम स्थापित करने का विचार कर रही थीं। बात सुनकर मैंने पहले तो मना करने का प्रयास किया परन्तु मित्रों के आग्रह के कारण अक्टूबर १९४४ में मैं मीराबहन के पास गया। रूढ़की से हरिद्वार की दिशा में सात-आठ मील दूर गाँव वालों ने मीरा बहन को आश्रम निर्माण के लिए जमीन दी थी। आश्रम हरिद्वार से बारह मील दूर था। आश्रम का नाम दिया गया 'विज्ञान आश्रम'। यहीं से मेरा ग्रामजीवन और उसके रहनसहन के साथ परिचय शुरू हुआ। उनकी कुशलताएँ और अपने व्यवहार रहन सहन तथा उपाय सूझ निकालने की योग्यता मुझे यहीं जानने

को मिली। मैं तीन वर्ष किसान आश्रम में रहा। उसके बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पुनर्वसन का कार्य चलता था उसमें सहयोग देने के लिए मैं दिल्ली गया। उस दौरान मेरा अनेक लोगों के साथ परिचय हुआ। उसमें मुख्य थीं कमलादेवी घट्टोपाध्याय और डॉ० राममनोहर लोहिया। १९४७ से १९४९ के दौरान श्री रामस्वरूप श्री सीताराम गोयल श्री रामकृष्ण घाँदीवाले (उनके घर में मैं महीनों रहा) श्री नरेन्द्र दत्त श्रीमती स्वर्णा दत्त श्री लक्ष्मीधन्द जैन श्री रूपनारायण श्री एस के सक्सेना श्री ब्रजमोहन तूफान श्री अमरेश सेन श्री गोपालकृष्ण आदि के साथ भी मित्रता हुई।

दिल्ली में भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों ने कहा कि फिलिस्तीन के यहूदी इजरायल नामक छोटा देश बना रहे हैं। वहाँ सामूहिकता के आधार पर जीवन रचना के महत्त्वपूर्ण प्रयास हो रहे हैं। उन लोगों ने इतने आकर्षक ढंग से उसका वर्णन किया कि मैंने इजरायल जाकर यह देखकर आने का निर्णय किया। नवम्बर १९४९ में इजरायल जाने के लिए मैं इस्लैम्ब गया। वहाँ आठदस महीने रह कर नवम्बर-दिसम्बर में मैं पत्नी फिलिस के साथ इजरायल तथा अन्य अनेक देशों में गया। इजरायल के लोगों ने जो कर दिखाया था वह तो बहुत प्रशंसनीय और श्रेष्ठ कार्य था परन्तु भारतीय ग्रामरचना और भारतीय व्यवस्थाओं में उस का बहुत उपयोग नहीं है ऐसा भी लगा।

जनवरी १९५० में मैं और फिलिस ह्यूकेश के निकट निर्माणाधीन मीराबहन के पशुलोक में पहुँच गये। वहाँ मीराबहनने मेरे अन्य मित्रों और सविशेष मार्क्सवादी मित्र जयप्रकाश शर्मा के साथ मिलकर एक नए छोटे गाँव की रचना की शुरुआत की थी। उसका नाम रखा गया 'बापूग्राम'। गाँव ५० घरों का था। उसमें सभी पहाड़ी और मैदानी जाति के लोग साथ रहेंगे ऐसा प्रयास किया था। यह भी ध्यान रखा गया कि लोग अत्यन्त गरीब हों। परन्तु उस के कारण गाँव की रचना का काम अधिक कठिन हो गया। गाँव के लोगों के कष्ट बढ़े। गाँव में ५०० एकड़ जमीन थी किन्तु अनेक जंगली जानवर भी वहाँ घूमते थे। हाथी भी वहाँ आता-जाता रहता। इस लिए प्रारम्भ में खेती भी बहुत दुष्कर थी। खेती में कुछ बचता ही नहीं था। आज भी यह गाँव जैसे तैसे टिका हुआ है। १९५७ से गाँव के साथ मेरा सम्बन्ध ठीक-ठीक बढ़ा। मैं विभिन्न पचायतों का अध्ययन करता था। इसलिए गाँव के लोगों की समझदारी और अपने प्रश्नों की ओर देखने और उसे हल करने का उनका दृष्टिकोण भलीभाँति ध्यान में आने लगा। इस बात का भी एहसास होने लगा कि अपने अधिकांश शहरी और समृद्ध लोग गाँव को जानते ही नहीं। राजस्थान आंध्रप्रदेश तमिलनाडु उड़ीसा आदि राज्यों में तो यह एहसास सविशेष हुआ। इस एहसास के कारण ही मैं १९६४-६५ में सन् १९०० के आसपास के अंग्रेजों



द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों के अध्ययन की ओर मुड़ा।

लगभग १७५० से १८५० तक अंग्रेजों ने सरकारी अथवा गैर सरकारी स्तर पर इन्स्पेक्ट में रहने वाले अपने अधिकारियों तथा परिचितों को लिखे पत्रों की सख्या शायद करोड़ों दस्तावेजों में होगी। उसमें ८० से ८५ प्रतिशत की प्रतिलिपियां भारत के कोलकता मद्रास मुम्बई दिल्ली लखनऊ आदि के अभिलेखागारों में भी हैं। सन्दन की ब्रिटिश इंडिया ऑफिस में और अन्य अनेक अभिलेखागारों में पाँच से सात प्रतिशत ऐसे भी दस्तावेज होंगे जो भारत में नहीं होंगे। उसमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके अध्ययन से अंग्रेजों ने भारत में क्या किया यह समझ में आता है। उस समय के इन्स्पेक्ट के समाज और शासन तंत्र की यदि हमें जानकारी होगी तो अंग्रेजों ने भारत में जो क्रिया उसे समझने में सहायता मिल सकती है।

१९५७ से ही जब मैं एवार्ड (Association of Voluntary Agencies for Rural Development [AVARD]) का मंत्री बना तब से ही अनेक प्रकार से सीखने का अवसर मिला और अनेक व्यक्तियों की अनेक प्रकार से सहायता भी मिली। उसमें मुख्य थे श्री अण्णासाहेब सहस्रबुद्धे और श्री जयप्रकाश नारायण। नागपुर के श्री आर. के पाटिल ने भी १९५८ से १९८० तक इस काम में बहुत रुचि ली और अलग अलग ढंग से सहायता करते रहे। श्री आर के पाटिल पुराने आई सी एस थे योजना आयोग के सदस्य थे पूर्व मध्यप्रदेश के मंत्री थे और यिनोबा जी के निकटवर्ती थे। १९७१ से गांधी शांति प्रतिष्ठान के मंत्री श्री राधाकृष्ण का सहयोग भी बहुत मूल्यवान था। इसी प्रकार गांधी विद्या संस्थान और पटना की अनुग्रह नारायण सिन्हा इन्स्टीट्यूट का भी सहयोग मिला। डॉ. डी एस कोठारी भी शुरू से ही उसमें रुचि लेते थे।

१९७१ में 'इंडियन सायन्स एण्ड टेक्नोलॉजी इन द एटीन्थ सेन्चुरी' Indian Science and Technology in the Eighteenth Century और सिविल डिजाइनर 'इंडियन ट्रेडिशन' Civil Disobedience in Indian Tradition ऐसी दो पुस्तकें प्रकाशित हुईं। उनका विमोचन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉ. दौलतसिंह कोठारी ने किया। पहले ही दिन से उस पुस्तक का परिचय करनेवाले प्रजा समाजवादी पक्ष के नेता और साहित्यकार श्री गंगाशरण सिन्हा किवेकानंद केन्द्र कन्याकुमारी के श्री एकनाथ रानडे और अमेरिका की बर्कले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यूजिन ईशिक थे। ईशिक के मतानुसार सिविल डिजाइनर 'इंडियन ट्रेडिशन' मेरी सबसे उच्च पुस्तक थी। श्री रामस्वरूप और श्री ए बी चटर्जी जो आई सी एस थे और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के सचिव थे उनके मतानुसार 'इंडियन सायन्स एण्ड

टेक्नोलॉजी इन द एटीन्थ सेन्चुरी' अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तक थी। १९७१ से १९८५ के दौरान इन दोनों पुस्तकों का अनेक प्रकार से उल्लेख होता रहा। देशभर में इसका उल्लेख करनेवालों में मुख्य थे श्री जयप्रकाश नारायण श्री रामस्वरूप और राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ के श्री एकनाथ रानडे प्रोफेसर राजेन्द्रसिंह और वर्तमान सरसघचालक श्री सुदर्शन जी।

अभी तक ये पुस्तकें मुख्य रूप से अंग्रेजी में ही हैं। उसका एक विशेष कारण यह है कि उसमें समाविष्ट दस्तावेज सन् १८०० के आसपास अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय लोगों ने अंग्रेजी में ही लिखे हैं। प्रारम्भ में ही यह सब हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषा में प्रकाशित करना बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन जब तक यह सब भारतीय भाषाओं में प्रकाशित नहीं होता तब तक सर्वसामान्य लोग दो सौ वर्ष पूर्व के भारत के विषय में न जान सकेंगे न समझ सकेंगे और न ही घर्षा कर सकेंगे।

इसलिए इन पुस्तकों का अब हिन्दी भाषा में अनुवाद प्रकाशित हो रहा है यह बहुत प्रशंसनीय कार्य है।<sup>१</sup>

मैं १९६६ तक अधिकांशतः इंग्लैण्ड और सविशेष लन्दन में रहा। उस समय भारत से सम्बन्धित वहाँ स्थित दस्तावेजों में से पांच अथवा दस प्रतिशत सामग्री का मैंने अवलोकन किया होगा। उनमें से कुछ मैंने ध्यान से देखे कुछ की हाथ से नकल उतार ली अनेकों की छायाप्रति बना ली। उस दौरान बीच बीच में भारत आकर कोलकता लखनऊ मुम्बई दिल्ली और चेन्नई के अभिलेखागारों में भी कुछ नए दस्तावेज देखे।

उन दस्तावेजों के आधार पर अभी गुजरात से प्रकाशित हो रही अधिकांश पुस्तकें तैयार की गई हैं। ये पुस्तकें जिस प्रकार सन् १८०० के समय के भारत से सम्बन्धित हैं उसी प्रकार १८८० से १९०३ के दौरान गोहत्या के विरोध में हुए आन्दोलन के और १८८० के बाद के दस्तावेजों के आधार पर लिखी गई हैं। उनमें एकाध पुस्तक इंग्लैण्ड और अमेरिका के समाज से भी सम्बन्धित है। इसकी सामग्री इंग्लैण्ड में मिली है और यह पढ़ी गई पुस्तकों के आधार पर तैयार की गई है।

१९६० से शुरू हुए इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य दो सौ वर्ष पूर्व के भारतीय समाज को समझना ही था। लेकिन मात्र जानना समझना पर्याप्त नहीं है। उसका इतना महत्त्व भी नहीं है। महत्त्व तो यह जानने समझने का है कि अंग्रेजों से पूर्व का स्वतंत्र भारत जहाँ उसकी स्थानिक इकाइया अपनी अपनी दृष्टि और आवश्यकतानुसार अपना समाज चलाती थीं वह कैसा रहा होगा। अद्यानक १९६४-६५ में चेन्नई के एमोर

अभिलेखागार में ऐसी सामग्री मुझे मिली और ऐसी ही सामग्री इन्सैण्ड में उससे भी सरलता से मिली। यदि मैं पोर्टुगल और हॉलेण्ड की भाषा जानता तो १६ वीं १७ वीं सदी में वहाँ भी भारत के विषय में क्या लिखा गया है यह जान पाता। खोजने के बाद भी चालीस वर्ष पूर्व भारतीय भाषाओं में इस प्रकार के वर्णन नहीं मिले।

हमें तो गत दो तीन हजार वर्ष के भारत और उसके समाज को समझने की आवश्यकता है। हम जब उस तरह से समझेंगे तभी भारतीय समाज की पारम्परिक व्यवस्थाओं तत्रों कुशलताओं और आज की अपनी आवश्यकताओं और अपनी क्षमता के अनुसार पुनः स्थापना की रीति भी जान लेंगे और समझ लेंगे।

भारत बहुत विशाल देश है। चार पाँच हजार वर्षों में पड़ोसी देश - ब्रह्मदेश श्रीलंका चीन जापान कोरिया मंगोलिया इंडोनेशिया वियतनाम कम्बोडिया मलेशिया अफगानिस्तान ईरान आदि के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। भारतीयों का स्वभाव और उनकी मान्यताएँ उन देशों के साथ बहुत मिलती जुलती हैं। सन् १५०० के बाद एशिया पर यूरोप का प्रभाव बढ़ा उसके बाद उन सभी पड़ोसी देशों के साथ की पारस्परिकता लगभग समाप्त हो गई है। उसे पुनः स्थापित करना जरूरी है। इसी प्रकार यूरोप खासकर इन्सैण्ड और अमेरिका के साथ तीन सौ चार सौ वर्षों से जो सम्बन्ध बढे हैं उनका भी समझ बूझकर फिर से मूल्यांकन करना जरूरी है। यह हमारे लिए और उनके लिए भी श्रेयस्कर होगा। देशों को बिना जरूरत से एक दूसरे के अधिक निकट लाना अथवा एक देश दूसरे देश की ओर ही देखता रहे यह भविष्य की दृष्टि से भी कष्टदायी साबित हो सकता है।

मकरसंक्रांति

१४ जनवरी २००५

पौष शुद्ध ५ युगार्द्र ५१०६

धर्मपाल

आश्रम प्रतिष्ठान

सेवाग्राम

जिला वर्धा (महाराष्ट्र)

१ यह प्रस्तुत किया हुआ अनुसंधान के सिद्धे सिद्धी नहीं है। सिद्धी अनुसंधान के सिद्धे भी कल्पित नहीं की ही अनुसंधान के अनुसंधान से सम्बन्धित है। मूल प्रस्तुत किया सिद्धी में ही है। अनुसंधान के सिद्धे कल्पित अनुसंधान किया गया है। सं

## सम्पादकीय

१

सन् १९९२ के जनवरी मास में चैन्नई में विद्याभारती का प्रधानाचार्य सम्मेलन था। उस सम्मेलन में श्री धर्मपालजी पट्टारे थे। उस समय पहली बार The Beautiful Tree के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। दो वर्ष बाद कोईम्बतूर में यह पुस्तक खरीद की और पढ़ी। पढ़कर आश्चर्य और आघात दोनों का अनुभव हुआ। आश्चर्य इस बात का कि हम इतने वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत हैं तो भी इस पुस्तक में निरूपित तथ्यों की लेशमात्र जानकारी हमें नहीं है। आघात इस बात का कि शिक्षा विषयक स्थिति ऐसी दारुण है तो भी हम उस विषय में कुछ कर नहीं रहे हैं। जो चल रहा है उसे सह लेते हैं और उसे स्वीकृत बात ही मान लेते हैं।

तभी से उस पुस्तक का प्रथम हिन्दी में और बाद में गुजराती में अनुवाद करके अनेकानेक कार्यकर्ताओं और शिक्षकों तक उसे पहुँचाने का विचार मन में बैठ गया। परन्तु वर्ष के बाद वर्ष बीतते गये। प्रवास की निरन्तरता और अन्यान्य कार्यों में व्यस्तता के कारण मन में स्थित विचार को मूर्त स्वरूप दे पाने का अवसर नहीं आया। इस बीच विद्या भारती विदर्भ ने इसका सक्षिप्त मराठी अनुवाद प्रकाशित किया। भारतीय चिंत मानस एव काल' भारत का स्वधर्म' जैसी पुस्तिकाएँ भी पढ़ने में आयीं। अनेक कार्यकर्ता भी इसका अनुवाद होना चाहिये ऐसी बात करते रहे। इस बीच पूजनीय हितरवि विजय महाराजजी ने गोवा के 'द अदर इंडिया बुक प्रेस' द्वारा प्रकाशित पाषण्ड पुस्तकों का सच दिया और पढ़ने के लिये आग्रह भी किया। इन सभी बातों के निमित्त से अनुवाद भले ही नहीं हुआ परन्तु अनुवाद का विचार मन में जाग्रत ही रहा। उसका निरन्तर पोषण भी होता रहा। चार वर्ष पूर्व मुझे विद्याभारती की राष्ट्रीय विद्वत् परिषद के सयोजक का दायित्व मिला। तब मन में इस अनुवाद के विषय में निश्चय सा हुआ। उस विषय में कुछ ठोस बातें होने लगीं। अन्त में पुनरुत्थान ट्रस्ट इस अनुवाद का प्रकाशन करेगा ऐसा निश्चय युगाब्द ५१०६ की व्यास पूर्णिमा को हुआ। सर्व प्रथम तो यह अनुवाद

हिन्दी में ही होना था। उसके बाद हिन्दी एव-गुजराती दोनों भाषाओं में करने का विचार हुआ। परन्तु इस कार्य के व्याप को देखते हुए लगा कि दोनों कार्य एक साथ नहीं हो पायेंगे। एक के बाद एक करने पड़ेंगे।

साथ ही ऐसा भी लगा कि यह केवल प्रकाशन के लिये प्रकाशन अनुवाद के लिये अनुवाद तो है नहीं। इसका उपयोग विद्वान्जन करें और हमारे छात्रों तक इन बातों को पहुँचाने की कोई ठोस एव व्यापक योजना बने इस हेतु से इस सामग्री का भारतीय भाषाओं में होना आवश्यक है। ऐसे ही कार्यों को यदि चालना देनी है तो प्रथम इसका क्षेत्र सीमित करके ध्यान केन्द्रित करना पड़ेगा। इस दृष्टिसे प्रथम इसका गुजराती अनुवाद प्रकाशित करना ही अधिक उपयोगी लगा।

निर्णय हुआ और तैयारी प्रारम्भ हुई। सर्व प्रथम श्री धर्मपालजी की अनुमति आवश्यक थी। हम उन्हें जानते थे परन्तु वे हमें नहीं जानते थे। परन्तु हमारे कार्य हमारी योजना और हमारी तैयारी जब उन्होंने देखी तब उन्होंने अनुमति प्रदान की। साथ ही उन्होंने अपनी और पुस्तकों के विषय में भी बताया। इन सभी पुस्तकों के अनुवाद का सुझाव भी दिया।

हम फिर बैठे। फिर विचार हुआ। अन्त में निर्णय हुआ कि जब कर ही रहे हैं तो काम पूरा ही किया जाय।

इस प्रकार एक से पाँच और पाँच से म्यारह पुस्तकों के अनुवाद की योजना आखिर बन गई।

योजना तो बन गई परन्तु आगे का काम बड़ा विस्तृत था। मित्र मित्र प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित मूल अंग्रेजी पुस्तकें प्राप्त करना उन्हें पठना उनमें से चयन करना अनुवादक निश्चित करना आदि समय लेनेवाला काम था। अनुवादक मिलते गये कई पक्षे अनुवादक खिसकते गये अनेपक्षित रूप से नये मिलते गये और अन्त में पुस्तक और अनुवादकों की जोड़ी बनकर कार्य प्रारम्भ हुआ और सन २००५ और युगान्त ५१०६ की वर्ष प्रतिपदा को कार्य सम्पन्न भी हो गया। १६ अप्रैल २००५ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसघासलक माननीय सुदर्शनजी एव स्वयं श्री धर्मपालजी की उपस्थिति में तथा अनेपक्षित रूप से बड़ी सभ्यता में उपस्थित श्रोतासमूह के मध्य इन गुजराती पुस्तकों का लोकार्पण हुआ।

प्रकाशन के बाद भी इसे अच्छा प्रतिसाद मिला। विद्यालयों महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों ग्रन्थालयों में एव विद्वान्जनों तक इन पुस्तकों को पहुँचाने में हमें पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। साथ ही साथ महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के अध्यापकों एवं

प्रधानाचार्यों के बीच इन पुस्तकों को लेकर गोष्ठियों का आयोजन भी हुआ।

इसके बाद सभी ओर से हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने का आग्रह बढ़ने लगा। स्वयं श्री धर्मपालजी भी इस कार्य के लिये प्रेरित करते रहे। अनेक वरिष्ठजन भी पूछताछ करते रहे। अन्त में इन ग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन तय हुआ। गुजराती अनुवाद कार्य का अनुभव था इसलिये अनुवादक ढूँढने में इतनी कठिनाई नहीं हुई। सौभाग्य से अच्छे लोग सरलता से मिलते गये और कार्य सम्पन्न होता गया। आज यह आपके सामने है।

इस सघ में कुल दस पुस्तकें हैं। (१) भारतीय धित्त मानस एव काल (२) १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एव तत्रज्ञान (३) भारतीय परम्परा में असाहयोग (४) रमणीय वृक्ष १८ वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा (५) पचायत राज एव भारतीय राजनीति तत्र (६) भारत में गोहत्या का अग्रेजी मूल (७) भारत की लूट एव बदनामी (८) गांधी को समझें (९) भारत की परम्परा एव (१०) भारत का पुनर्बोध। सर्व प्रथम पुस्तक १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एव तत्रज्ञान' १९७१ में प्रकाशित हुई थी और अन्तिम पुस्तक भारत का पुनर्बोध सन् २००३ में। इनके विषय में तैयारी तो सन् १९६० से ही प्रारम्भ हो गई थी। इस प्रकार यह ग्रन्थसमूह घालीस से भी अधिक वर्षों के निरन्तर अध्ययन एव अनुसन्धान का परिणाम है।

## २

विश्व में प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। यह पहचान उसकी जीवनशैली परम्परा मान्यताओं दैनन्दिन व्यवहार आदि के द्वारा निर्मित होती है। उसे ही संस्कृति कहते हैं।

सामान्य रूप से विश्व में दो प्रकार की विचारशैली व्यवहारशैली दिखती हैं। एक शैली दूसरों को अपने जैसा बनाने की आकांक्षा रखती है। अपने जैसा ही बनाने के लिए यह जबरदस्ती शोषण कत्लेआम आदि करने में भी हिचकिचाती नहीं यहा तक की ऐसा करने में दूसरा समाप्त हो जाय तो भी उसे परवाह नहीं। दूसरी शैली ऐसी है जो सभी के स्वत्व का समादर करती है उनके स्वत्व को बनाए रखने में सहायता करती है। ऐसा करने में दोनों एक दूसरे स प्रभावित होती हैं और सहज परिवर्तन होता रहता है फिर भी स्वत्व बना रहता है।

यह तो स्पष्ट है कि इन दोनों में से पहली यूरोपीय अथवा अमेरिकी शैली है तो दूसरी भारतीय। इन दोनों के लिए क्रमशः 'पाश्चात्य' और 'प्राच्य' ऐसी अधिक व्यापक

सज्ञा का प्रयोग हम करते हैं।

यह तो सर्वविदित है कि भारतीय सस्कृति विश्व में अति प्राचीन है। केवल प्राचीन ही नहीं तो समृद्ध सुव्यवस्थित सुसस्कृत और विकसित भी है।

परन्तु आज से ५०० वर्ष पूर्व यूरोप ने विस्तार करना शुरु किया। समग्र विश्व में फैल जाने की उसको आकांक्षा थी। विश्व के अन्य देशों के साथ भारत भी उसका लक्ष्य था। इंग्लैण्ड में ईस्ट इंडिया कम्पनी बनी। वह भारत में आई। समुद्रतटीय प्रदेशों में उसने अपने व्यापारिक केन्द्र बनाए। उन केन्द्रों को किले का नाम और रूप दिया उनमें सैन्य भी रखा धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ प्रदेश जीतने और अपने कब्जे में लेने का काम शुरु किया साथ ही साथ ईसाईकरण भी शुरु किया। सन् १८२० तक लगभग सम्पूर्ण भारत अंग्रेजों के कब्जे में चला गया।

भारत को अपने जैसा बनाने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ की सभी व्यवस्थाओं- प्रशासकीय और शासकीय सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक और व्यावसायिक शैक्षणिक और नागरिक को तोड़ना शुरु किया। उन्होंने नए कायदे कानून बनाए नई व्यवस्थाएँ बनाई सरचनाओं का निर्माण किया नई सामग्री और नई पद्धति की रचना की और जबरदस्ती से उसका अमल भी किया। यह भी सच है कि उन्होंने भारत में आकर जो कुछ किया उसमें से अधिकांश तो इंग्लैण्डमें अस्तित्व में था। इसके कारण भारत दरिद्र होता गया। भारत में वर्ग संघर्ष पैदा हुए। लोगों का आत्मसम्मान और गौरव नष्ट हो गया। मौलिकता और सृजनशीलता कुण्ठित हो गई मूल्यों का हास हुआ। मानवीयता का स्थान यात्रिकता ने लिया और सर्वश्रेष्ठ दीनता व्याप्त हो गई। लोग स्वामी के स्थान पर दास बन गए। एक ऐसे विराट् राक्षसी अमानुषी व्यवस्था के पुर्जे बन गये जिसे वे बिल्कुल मानते नहीं समझते नहीं और स्वीकार भी करते नहीं थे क्योंकि यह उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं था।

भारत की शिक्षाव्यवस्था की उद्देश्य करते करते उसे नष्ट कर उसके स्थान पर यूरोपीय शिक्षा लागू करने प्रतिष्ठित करने का कार्य भारत को तोड़ने की प्रक्रिया में सिरमौर था। क्योंकि यूरोपीय शिक्षाप्रप्त लोगों के विचार मानस व्यवहार दृष्टिकोण सभी कुछ बदलने लगा। उसका परिणाम सर्वाधिक शोचनीय और घातक हुआ। हमें गुलामी रास आने लगी। दैन्य अखरना बन्द हो गया। अंग्रेजों का दास बनने में ही हमें गौरव का अनुभव होने लगा। जो भी यूरोपीय है वह विकसित है आधुनिक है श्रेष्ठ है और जो भी अपना है वह निकृष्ट है हीन है और लज्जास्पद है गया बीता है ऐसा हमें लगने लगा। अपनी शिक्षण सस्थाओं में हम यही मानसिकता और यही विचार एक के

बाद एक आनेवाली पीढी को देते गए। इस गुलामी की मानसिकता के आगे अपनी विवेकशील और तेजस्वी बुद्धि भी दब गई। यूरोपीय या यूरोपीय जैसा बनना ही हमारी आकांक्षा बन गई। देश को वैसा ही बनाने का प्रयास हम करने लगे। अपनी सरघनाएँ पद्धतियाँ सस्थाएँ वैसी ही बन गईं।

गांधीजी १९१५ में दक्षिण अफ्रिका से भारत आए तब भारत ऐसा था। उन्होंने जनमानस को जगाया उसमें प्राण फूके उसकी भावनाओं को अपने वाणी और व्यवहार में अभिव्यक्त कर भारत के लिए योग्य हजारों वर्षों की परम्परा के अनुसार व्यवस्थाओं गतिविधियों और पद्धतियों को प्रतिष्ठित किया और भारत को फिर से भारत बनाने का प्रयास किया। स्वतंत्रता के साथ साथ स्वराज को भी लाने के लिए वे जूझे।

परन्तु स्वतंत्रता मात्र सत्ता का हस्तान्तरण (Transfer of Power) ही बन कर रह गया। उसके साथ स्वराज नहीं आया। सुराज्य की तो कल्पना भी नहीं कर सकते।

आज की अपनी सारी अनवस्था का मूल यह है। हम अपनी जीवनशैली चाहते ही नहीं हैं। स्वतंत्र भारत में भी हम यूरोप अमेरिका की ओर मुँह लगाये बैठे हैं। यूरोप के अनुयायी बनना ही हमें अच्छा लगता है।

परन्तु, यह क्या समग्र भारत का सपना है ? नहीं भारत की अस्ती प्रतिशत जनसंख्या यूरोपीय विचार और शैली जानती भी नहीं और मानती भी नहीं है। उसका उसके साथ कुछ लेना देना भी नहीं है। उनके रीतिरिवाज मान्यताएँ पद्धतियाँ सब वैसी की वैसी ही हैं। केवल शिक्षित लोग उन्हें पिछड़े और अधविभासी कहकर आलोचना करते हैं उन्हें नीचा दिखाते हैं और अपने जैसा बनाना चाहते हैं। यही उनकी विकास और आधुनिकताकी कल्पना है।

भारत वस्तुतः तो उन लोगों का बना हुआ है उन का है। परन्तु जो बीस प्रतिशत लोग हैं वे भारत पर शासन करते हैं। वे ही कायदे-कानून बनाते हैं और न्याय करते हैं वे ही उद्योग चलाते हैं और कर योजना करते हैं। वे ही पढाते हैं और नौकरी देते हैं वे ही खानपान वेशभूषा भाषा और कला अपनाते हैं (जो यूरोपीय हैं) और उनको विज्ञापनों के माध्यम से प्रतिष्ठित करते हैं। यहाँ के अस्ती प्रतिशत लोगों को वे पराये मानते हैं बोझ मानते हैं उनमें सुधार लाना चाहते हैं और वे सुधरते नहीं इसलिए उनकी आलोचना करते हैं। वे लोग स्वयं तो यूरोपीय जैसे बन ही गए हैं दूसरों को भी वैसा ही बनाना चाहते हैं। वे जैसे कि भारत को यूरोप के हाथों बेचना ही चाहते हैं जिन लोगों का भारत है वे तो उनकी गिनती में ही नहीं हैं।

इस परिस्थिति को हम यदि बदलना चाहते हैं तो हमें अध्ययन करना होगा -



स्वयं का अपने इतिहास का और अपने समाज का। भारत को तोड़ने की प्रक्रिया को जानना और समझना पड़ेगा। भारत का भारतीयत्व क्या है किन्तमें है किन्त प्रकार बना हुआ है यह सब जानना और समझना पड़ेगा। मूल बातों को पहचानना होगा। देश के अस्सी प्रतिशत लोगों का स्वभाव उनकी आकाशवाणी उनकी व्यवहारशैली को जानना और समझना पड़ेगा। उनका मूल्यांकन पश्चिमी मापदण्डों से नहीं अपितु अपने मापदण्डों से करना पड़ेगा। उसका रक्षण पोषण और संवर्धन कैसे हो यह देखना पड़ेगा। भारत के लोगों में साहस सम्मान आत्मगौरव जाग्रत करना पड़ेगा। भारत के पुनरुत्थान में उनकी बुद्धि भावना कर्तृत्वशक्ति और कुशलताओं का उपयोग कर उन्हें सद्ये अर्थ में सहभागी बनाना पड़ेगा। यह सब हमें पाश्चात्य प्रकार की युनिवर्सिटियों से नहीं अपितु सामान्य अशिक्षित अर्धशिक्षित लोगों से सीखना होगा।

आज भी यूरोप बनने की इच्छा करनेवाला भारत जोरों से प्रयास कर रहा है और कुत्ताओं का शिकार बन रहा है। भारतीय भारत उलझ रहा है छटपटा रहा है और शोषित हो रहा है। भाग्य केवल इतना है कि क्षीणप्राण होने पर भी भारतीय भारत गतप्राण नहीं हुआ है। इसलिए अभी भी आशा है - उसे सही अर्थ में स्वाधीन बनाकर समृद्ध और सुसंस्कृत बनाने की।

### ३

धर्मपालजी की इन पुस्तकों में इन सभी प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध विस्तृत निरूपण किया गया है। अंग्रेज भारत में आए उसके बाद उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए किन्त घालबाजियों को अपनाया किन्ता छल और कपट किया किन्तने अत्याचार किए और किन्त प्रकार धीरे धीरे भारत टूटता गया किन्त प्रकार बदलती परिस्थितियों का अवशता से स्वीकार होता गया उसका अभिलेखों के प्रमाणों सहित विवरण इन ग्रंथों में मिलता है। इन्स्टैण्ड के और भारत के अभिलेखागारों में बैठकर रात दिन उसकी नकल उतार लेने का परिश्रम कर धर्मपालजी ने अंग्रेज कलेक्टरों गवर्नरों वाइसरायों ने लिखे पत्रों सूचनाओं और आदेशों को एकत्रित किया है उनका अध्ययन कर के निष्कर्ष निकाले हैं और एक अध्ययनशील और विद्वान व्यक्ति ही कर सकता है ऐसे साहस से स्पष्ट भाषा में हमारे लिये प्रस्तुत किया है। लगभग चालीस वर्ष के अध्ययन और शोध का यह प्रतिफल है।

परन्तु इसके फलस्वरूप हमारे लिए एक बड़ी चुनौती निर्माण होती है क्योंकि -

- आजकल विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास से यह इतिहास भिन्न

है। हम तो अग्रेजों द्वारा तैयार किए और कराए गए इतिहास को पढ़ते हैं। यहाँ अग्रेजों ने ही लिखे लेखों के आधार पर निरूपित इतिहास है।

- विज्ञान और तंत्रज्ञान की जो जानकारी उसमें है वह आज पढाई ही नहीं जाती।
- कृषि अर्थव्यवस्था कल्पद्धति व्यवसाय कारीगरी आदि की अत्यंत आश्चर्यकारक जानकारीया उसमें है। भारत को आर्थिक रूप में बेहाल और परावलम्बी बनानेवाला अर्थशास्त्र आज हम पढ़ते हैं। यहाँ दी गई जानकारीयों में स्वाधीन भारत को स्वावलम्बन के मार्ग पर चल कर समृद्धि की ओर ले जानेवाले अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों की सामग्री हमें प्राप्त होती है।
- व्यक्ति को किस प्रकार गौरवहीन बनाकर दीनहीन बना दिया जाता है इसका निरूपण है साथ ही उस सकट से कैसे निकला जा सकता है उसके संकेत भी हैं।
- संस्कृति और समाजव्यवस्था के मानवीय स्वरूप पर किस प्रकार आक्रमण होता है किस प्रकार उसे यत्र के अधीन कर दिया जाता है इसका विश्लेषण यहाँ है। साथ ही उसके शिकार बनने से कैसे बचा जा सकता है उसके लिए दृढ़ता किस प्रकार प्राप्त होती है इसका विचार भी प्राप्त होता है।

यह सब अपने लिए चुनौती इस रूप में है कि आज हम अनेक प्रकार से अज्ञान से ग्रस्त हैं।

हमारा अज्ञान कैसा है ?

- शिक्षण विषय के वरिष्ठ अध्यापक सहजस्वरूप से मानते हैं कि अग्रेज आए और अपने देश में शिक्षा आई। उन्हें जब यह कहा गया कि १८ वीं शती में भारत में लाखों की संख्या में प्राथमिक विद्यालय थे और चार सौ की जनसंख्या पर एक विद्यालय था तो वे उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें जब The Beautiful Tree दिखाया गया तो उन्हें आश्चर्य हुआ (परन्तु रोमांच अथवा आनन्द नहीं हुआ।)
- शिक्षाधिकारी शिक्षासचिव शिक्षा महाविद्यालय के अध्यापक अधिकांशतः इन बातों से अनभिज्ञ हैं। कुछ जानते भी हैं तो यह जानकारी बहुत ही सतही है।

यह अज्ञान सार्वत्रिक है केवल शिक्षा विषयक ही नहीं अपितु सभी विषयों में है।

इसका अर्थ यह हुआ कि हम स्वयं को ही नहीं जानते अपने इतिहास को नहीं जानते स्वयं को हुई हानि को नहीं जानते और अज्ञानियों के स्वर्ग में रहते हैं। यह स्वर्ग भी अपना नहीं है। उस स्वर्ग में भी हम गुलाम हैं और पश्चिममुखापेक्षी पराधीन बनकर रह रहे हैं।

४

इस सफ्ट से मुक्त होना है तो मार्ग है अध्ययन का। धर्मपालजी की पुस्तकें अपने पास अध्ययन की सामग्री लेकर आई हैं हम सो रहे हैं तो हमें जगाने के लिए आई हैं जाग्रत हैं तो झकझोरने के लिए आई हैं दुर्बल हैं तो सबल बनाने के लिए आई हैं क्षीणप्राण हुए हैं तो प्राणवान बनाने के लिए आई हैं।

ये पुस्तकें किसके लिए हैं ?

ये पुस्तकें इतिहास अर्थशास्त्र समाजशास्त्र शिक्षाशास्त्र जिसे आज की भाषा में ह्यूमेनिटीज़ कहते हैं उसके विद्वानों चिन्तकों शोधकों अध्यापकों और छात्रों के लिए हैं।

ये पुस्तकें भारत को सही मायने में स्वाधीन समृद्ध सुसंस्कृत बुद्धिमान और कर्तृत्ववान बनाने की आकांक्षा रखने वाले बौद्धिकों सामान्यजनों सस्थाओं संगठनों और कार्यकर्ताओं के लिए हैं।

ये पुस्तकें शोध करने वाले विद्वानों और शोधछात्रों के लिए हैं।

प्रश्न यह है कि इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद क्या करें ?

धर्मपालजी स्वयं कहते हैं कि पढ़कर केवल प्रशंसा के उद्गार अथवा पुस्तकें की सामग्री एकत्रित करने के परिश्रम के लिए लेखक को शाबाशी देना पर्याप्त नहीं है। उससे अपना सफ्ट दूर नहीं होगा।

आवश्यकता है इस दिशा में शोध को आगे बढ़ाने की भारत की १८ वीं १९ वीं शताब्दी से सम्बन्धित दस्तावेजों में से कदाचित पाच सात प्रतिशत का ही अध्ययन इस में हुआ है। अभी भी लन्दन के भारत की केन्द्र सरकार के तथा राज्यों के अभिलेखागारों में ऐसे असंख्य दस्तावेज अध्ययन की प्रतीक्षा में हैं। उन सभी का अध्ययन और शोध करने की योजना महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों शैक्षिक संगठनों और सरकार ने करना आवश्यक है। आवश्यकता के अनुसार इस कार्य के लिए अध्ययन और शोध की स्थानीय और देशी प्रकार की सस्थाएँ भी बनाई जा सकती हैं।

इसके लिए ऐसे अध्ययनशील छात्रों की आवश्यकता है। इन छात्रों को मार्गदर्शन तथा संरक्षण प्राप्त हो यह देखना चाहिये।

साथ ही एक साहसपूर्ण कदम उठाना जरूरी है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के इतिहास समाजशास्त्र अर्थशास्त्र आदि विषयों के अध्ययन मण्डल (बोर्ड ऑफ स्टडीज) और विद्वत् परिषदों (एकेडमिक काउन्सिल) में इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए और पाठ्यक्रमों में इसके आधार पर परिवर्तन करना चाहिए। युनिवर्सिटी ग्रन्थ निर्माण बोर्ड इसके आधार पर सन्दर्भ पुस्तकें तैयार कर सकते हैं। ऐसा होगा तभी आनेवाली पीढ़ी को यह जानकारी प्राप्त होगी। यह केवल जानकारी का विषय नहीं है यह परिवर्तन का आधार भी बनना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए व्यापक चर्चा जहा सम्भव है ऐसी गोटियों एवं चर्चा सत्रों का आयोजन करना चाहिए।

इसके आधार पर रूपान्तरण कर के जनसामान्य तक ये बातें पहुँचानी चाहिए। कथाएँ नाटक चित्र प्रदर्शनी तैयार कर उस सामग्री का प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। इससे जनसामान्य के मन में स्थित सुषुप्त भावनाओं और अनुभूतियों का यथार्थ प्रतिभाव प्राप्त होगा।

माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले किशोर और बाल छात्रों के लिए उपयोगी वाचनसामग्री इसके आधार पर तैयार की जा सकती है।

ऐसा एक प्रबल बौद्धिक जनमत तैयार करने की आवश्यकता है जो इसके आधार पर सस्थाएँ निर्माण करे चलाये व्यवस्था का निर्माण करे। या तो सरकार के या सार्वजनिक स्तर पर व्यवस्था बदलने की और नहीं तो सभी व्यवस्थाओं को अपने नियंत्रण से मुक्त कर जनसामान्यके अधीन करने की अनिवार्यता निर्माण करे। सच्चा लोकतंत्र तो यही होगा।

बन्धन और जकड़न से जन सामान्य की बुद्धि को मुक्त करनेवाली लोगों के मानस कौशल उत्साह और मौलिकता को मार्ग देने वाली उनमें आत्मविश्वास का निर्माण करनेवाली और उनके आधार पर देश को फिर से उठाया और खड़ा किया जा सके इस हेतु उसका स्वत्व और सामर्थ्य जगानेवाली व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता है।

इन पुस्तकों के प्रकाशन का यह प्रयोजन है।

५

श्री धर्मपालजी गाधीयुग में जन्मे पले। गाधीयुग के आन्दोलनों में उन्होंने भाग लिया रघनात्मक कार्यक्रमों में भाग लिया भीराबहन के साथ बापूग्राम के निर्माण में वे सहभागी बने।

महात्मा गांधी के देशव्यापी ही नहीं तो विश्वव्यापी प्रभाव के बाद भी गांधीजी के अतिनिकट के अतिविश्वसनीय गांधीभक्त कहे जाने वाले लोग भी उन्हें नहीं समझ सकें कुछ ने तो उन्हें समझने का प्रयास भी नहीं किया कुछ ने उन्हें समझा फिर भी उन्हें दरकिनार कर सत्ता का स्वीकार कर भारत को यूरोप के तत्रानुरूप ही चलाया। उन नेताओं के जैसे ही विचार के लगभग दो चार लाख लोग १९४७ में भारत में थे (आज उनकी संख्या शायद पाँच दस करोड़ हो गई है)। यह स्थिति देखकर उनके मन में जो मथन जागा उसने उन्हें इस अध्ययन के लिये प्रेरित किया। लन्दन के और भारत के अभिलेखागारों में से उन्होंने असंख्य दस्तावेज एकत्रित किए पढ़े उनका अध्ययन किया विश्लेषण किया और १८ वीं तथा १९ वीं शताब्दी के भारत का यथार्थ चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। जीवन के पचास साठ वर्ष वे इस साधना में रत रहे।

ये पुस्तकें मूल अंग्रेजी में हैं। उनका व्यापक अध्ययन होने के लिए ये भारतीय भाषाओं में हों यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। कुछ लेख हिन्दी में हैं और 'जनसत्ता' आदि दैनिक में और 'मंथन' आदि साप्ताहिकों में प्रकाशित हुए हैं। मराठी, तेलुगु, कन्नड आदि भाषाओं में कुछ अनुवाद भी हुआ है परन्तु संपूर्ण और समग्र प्रयास तो गुजराती में ही प्रथम हुआ है। और अब हिन्दी में हो रहा है।

इस व्यापक शैक्षिक प्रयास का यह अनुवाद एक प्रथम चरण है।

## ६

इस ग्रन्थ श्रेणी में विविध विषय हैं। इसमें विज्ञान और तंत्रज्ञान है शासन और प्रशासन है लोकव्यवहार और राज्य व्यवहार है कृषि गोरक्षा वाणिज्य अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र भी है। इसमें भारत इंग्लैंड और अमेरिका है। परन्तु सभी का केन्द्रबिन्दु है गांधीजी कॉलेज सर्वसामान्य प्रजा और ब्रिटिश शासन।

और उनके भी केन्द्र में है भारत।

अतः एक ही विषय विभिन्न रूपों में विभिन्न सदस्यों के साथ चर्चा में आता रहता है। और फिर विभिन्न समय में विभिन्न स्थान पर विभिन्न प्रकार के श्रोताओं के सम्मुख और विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं के लिये भाषण और लेख भी यहाँ समाविष्ट हैं। अतः एक साथ पढ़ने पर उसमें पुनरावृत्ति दिखाई देती है-विचारोंकी घटनाओं की दृष्टान्तों की। सम्पादन करते समय पुनरावृत्ति को यथासम्भव कम करने का प्रयास किया है। इसीके परिणाम स्वरूप गुजराती प्रकाशन में ११ पुस्तकें थीं और हिन्दी में १० हुई हैं। परन्तु विषय प्रतिपादन की आवश्यकता देखते हुए पुनरावृत्ति कम करना हमेशा समभव नहीं हुआ है।

फिर सर्वथा पुनरावृत्ति दूर कर उसे नये ढंग से पुनर्व्यवस्थित करना तो वेदव्यास

का कार्य हुआ। हमारे जैसे अल्प क्षमतावान लोगों के लिये यह अधिकारक्षेत्र के बाहर का कार्य है।

अतः सुधी पाठकों के नीरक्षीर विवेक पर भरोसा करके सामग्री यथातथ स्वरूप में ही प्रस्तुत की है।

यहां दो प्रकार की सामग्री है। एक है प्रस्तुत विषय से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित यूरोप के अधिकारियों और बौद्धिकोंने प्रत्यक्षदर्शी प्रमाणों एवं स्वानुभव के आधार पर विभिन्न प्रयोजन से प्रेरित होकर प्रस्तुत की हुई भारत विषयक जानकारी और दूसरी है धर्मपालजीने इस सामग्री का किया हुआ विश्लेषण उससे प्राप्त निष्कर्ष और उससे प्रकाशित ब्रिटिशों के कार्यकलापों का कारनामों का अन्तरंग।

इसमें प्रयुक्त भाषा दो सौ वर्ष पूर्व की अंग्रेजी भाषा है सरकारी तंत्र की है गैर साहित्यिक अफसरों की है उन्होंने भारत को जैसा जाना और समझा वैसा उसका निरूपण करनेवाली है। और धर्मपालजी की स्वयं की भाषा भी उससे पर्याप्त मात्रा में प्रभावित है।

फलतः पढ़ते समय कहीं कहीं अनावश्यक रूप से लम्बी खींचनेवाली शैली का अनुभव आता है तो आश्चर्य नहीं।

और एक बात।

अंग्रेजों ने भारत के विषय में जो लिखा वह हमारे मन मस्तिष्क पर इस प्रकार छा गया है कि उससे अलग अथवा उससे विपरीत कुछ भी लिखे जाने पर कोई उसे मानेगा ही नहीं यह भी सम्भव है। इसलिए यहाँ छोटी से छोटी बात का भी पूरा पूरा प्रमाण देने का प्रयास किया गया है। साथ ही इतिहास लेखन का तो यह सूत्र ही है कि नामूल लिख्यते किञ्चित् - बिना प्रमाण तो कुछ भी लिखा ही नहीं जाता। परिणामतः यहाँ शैली आज की भाषा में कहा जाए तो सरकारी छापवाली और पाठ्यपूर्ण है शोध करनेवाले अध्येता की है।

प्रमाणों के विषयमें तो आज भी स्थिति यह है कि इसमें ब्रिटिशों के स्वयं के द्वारा दिये गये प्रमाण हैं इसलिये पाठकों को मानना ही पड़ेगा इस विषय में हम आबस्त रह सकते हैं। (आज भी उसका तो इलाज करना जरूरी है।)

साथ ही पाठकों का एक वर्ग ऐसा है जो भारत के विषय में भावात्मक या भक्तिभाव पूर्ण बातें पढ़ने का आदी है अथवा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया अर्थात् अमेरिका के दृष्टिकोण से लिखा गया विचार पढ़ने का आदी है। इस परिप्रेक्ष्य में विषय सम्बन्धी पारदर्शी ठोस तर्कनिष्ठ प्रस्तुति हमें इस ग्रन्थवाली में प्राप्त है। अनेक विषयों

में अनेक प्रकार से हमें बुद्धिनिष्ठ होने की आवश्यकता है इसकी प्रतीति भी हमें इसमें होती है।

७

अनुवादकों तथा जिन जिन लोगों ने ये पुस्तकें मूल अंग्रेजी में पढ़ी हैं अथवा अनुवाद के विषय में जाना है उन सभी का सामान्य प्रतिभाव है कि इस काम में बहुत विलम्ब हुआ है। यह बहुत पहले होना चाहिये था। अर्थात् सभी को यह कार्य अतिमहत्त्वपूर्ण लगा है। सभी पाठकों को भी ऐसा ही लगेगा ऐसा विश्वास है।

अनुवाद का यह कार्य धुनीतीपूर्ण है। एक तो दो सौ वर्ष पूर्व की अंग्रेज अधिकारियों की भाषा, फिर भारतीय परिवेश और परिप्रेक्ष्य को अंग्रेजी में उतारने और अपने तरीके से कहने के आयास को व्यक्त करने वाली भाषा और उसके ही रंग में रंगी श्री धर्मपालजी की भी कुछ जटिल शैली पाठक और अनुवादक दोनों की परीक्षा लेनेवाली है।

साथ ही यह भी सच है कि यह उपन्यास नहीं है गम्भीर वाचन है।

संक्षेप में कहा जाय तो यह १८ वीं और १९ वीं शताब्दी का दो सौ वर्ष का भारत का केवल राजकीय नहीं अपितु सांस्कृतिक इतिहास है।

८

इस ग्रंथावलि के गुजराती अनुवाद कार्य के श्री धर्मपालजी साक्षी रहे। उसका हिन्दी अनुवाद चल रहा था तब वे समय समय पर पृच्छा करते रहे। परन्तु अधानक ही दि २४ अक्टूबर २००६ को उनका स्वर्गवास हुआ। स्वर्गवास के आठ दिन पूर्व तो उनके साथ बात हुई थी। आज हिन्दी अनुवाद के प्रकाशन के अवसर पर वे अपने बीच में विद्यमान नहीं हैं। उनकी स्मृति को अभिवादन करते ही यह कार्य सम्पन्न हो रहा है।

९

इस ग्रंथावलि के प्रकाशन में अनेकानेक व्यक्तियों का सहयोग एवं प्रेरणा रहे हैं। उन सभी के प्रति कृताज्ञता ज्ञापन करना हमारा सुखद कर्तव्य है।

अनेकानेक कार्यकर्ता एवं विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहस्रकार्यवाह माननीय सुरेशजी सोनी की प्रेरणा मार्गदर्शन आग्रह एवं सहयोग के कारण से ही इस ग्रंथावलि का प्रकाशन सम्भव हुआ है। अतः प्रथमतः हम उनके आभारी हैं।

सभी अनुवादकों ने अपने अपने कार्यक्षेत्र में अत्यन्त व्यस्त होते हुए भी समय सीमा में अनुवाद कार्य पूर्ण किया तभी समय से प्रकाशन सम्भव हो पाया। उनके परिश्रम के लिये हम उनके आभारी हैं।

यह ग्रन्थावलि गुजरात में प्रकाशित हो रही है। इसकी भाषा हिन्दी है। हिन्दी भाषी लोगों पर भी गुजराती का प्रभाव होना स्वाभाविक है। इसका परिष्कार करने के लिये हमें हिन्दीभाषी क्षेत्र के व्यक्तियों की आवश्यकता थी। जोधपुर के श्री भूपालजी और इन्दौर के श्री अरविंद जावडेकरजी ने इन पुस्तकों को साद्यन्त पढ़कर परिष्कार किया इसलिये हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

अच्छे मुद्रण के लिये साघना मुद्रणालय ट्रस्ट के श्री भरतभाई पटेल और श्री धर्मेश पटेल ने भी जो परिश्रम किया है इसके लिये हम उनके आभारी हैं।

‘पुनरुत्थान’ के सभी कार्यकर्ता तो तनमन से इसमें लगे ही हैं। इन सभी के सहयोग से ही इस ग्रन्थावलि का प्रकाशन हो रहा है।

१०

सुधी पाठक देश की वर्तमान समस्याओं के निराकरण की दिशा में विचार विमर्श करते समय नई पीढ़ी को इस देश के इतिहास में अग्रजों की भूमिका का सही आकलन करना सिखाते समय इस ग्रन्थावलि की सामग्री का उपयोग कर सकेंगे तो हमारा यह प्रयास सार्थक होगा।

साथ ही निवेदन है कि इस ग्रन्थावलि में अनुवाद या मुद्रण के दोषों की ओर हमारा ध्यान अवश्य आकर्षित करें। हम उनके बहुत आभारी होंगे।

इति शुभम् ।

सम्पादक

वसन्त पचमी

युगाब्द ५१०८

२३ जनवरी २००७





विभाग १

विश्लेषण

- १ प्राक्षथन
- २ प्रस्तावना

## प्राक्कथन

भारत में शिक्षापरंपरा के इतिहास के बारे में अनेक विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। ऐसी पुस्तकें विशेष कर सन् १९३० से १९५० के वर्षों में बड़ी मात्रा में प्रकाशित हुई थीं। वैसे तो १९वीं शताब्दी के मध्य भाग में कुछ विद्वान अंग्रेज अधिकारियों ने इस विषय पर लिखना आरम्भ किया था। शिक्षा के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अधिकांश लिखाई प्राचीन समय की या दसवीं और बारहवीं शताब्दी की शिक्षा पद्धति को केन्द्र में रखकर होती थी जबकि कुछ लेखन कार्य अंग्रेज शासन काल में और तत्पश्चात् के समय की शिक्षा पद्धति के सन्दर्भ में संपन्न हुआ है। इसी प्रकार तक्षशिला और नालंदा जैसे प्राचीन विद्याघामों के बारे में भी अनेक विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ उपलब्ध हैं। श्री ए एस अलतेकर<sup>१</sup> लिखित पुस्तक में प्राचीन समय की शिक्षाव्यवस्था के बारे में विस्तृत विश्लेषण हुआ है। साथ ही भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सिलेक्शन फ्रॉम एज्युकेशनल रेकॉर्ड्स (Selection from Educational Records)<sup>२</sup> तथा नुरुल्ला और नाइक द्वारा लिखित पुस्तकों<sup>३</sup> में भी याद के समय की शिक्षा के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त होती है। नुरुल्ला और नाइक अपनी पुस्तक को विगत १६० वर्षों की भारतीय शिक्षा पद्धति के इतिहास का दस्तावेजी पुस्तक बताते हैं।<sup>४</sup> सन् १९३९ में प्रकाशित पंडित सुखलालजी द्वारा लिखित बृहद् ग्रन्थ<sup>५</sup> व्यापक क्षेत्र को अपने में समाविष्ट करता है फिर भी विषयवस्तु की दृष्टिसे उस पुस्तक का महत्त्व कम ही माना गया है। इस पुस्तक के ४० पृष्ठों के घी डिस्ट्रक्शन ऑफ इण्डियन इन्डीजीनस एज्युकेशन (The Destruction of Indigenons Education) शीर्षक के ३६वें अध्याय में अंग्रेज सरकार के अनेक अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें ३ जून १८१४ को लंदन से भारत के गवर्नर जनरल को लिख गए पत्र से लेकर मेक्समूलर के विचार तथा सन् १९०९ में अंग्रेज श्रमिक नेता कीर हार्डी की टिप्पणियों तक के लगभग सौ वर्ष के कालखण्ड को ले लिया गया है। जिस समय वह पुस्तक लिखी गई तब की स्थिति और पुस्तक के अन्दर प्रस्तुत विभिन्न सन्दर्भों की मूल प्रतियों की उपलब्धि की सभावना अत्यल्प होने

के कारण लेखक को उपलब्ध प्रकाशित साहित्य के आधार पर ही वह पुस्तक लिखनी पड़ी थी। फिर भी १८वीं शताब्दी के अन्त तथा १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ के वर्षों में भारतीय शिक्षा परंपरा के विषय में पुस्तक का यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। फिर भी एक यथार्थ यह भी है कि १३वीं शताब्दी से लेकर १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ के समय तक की शिक्षा की स्थिति के बारे में बहुत ही कम लिखा गया है। तथापि मुस्लिम शिक्षा पद्धति के बारे में एस एम जफर<sup>१</sup> तथा और कुछ लेखकों की पुस्तकें प्राप्य हैं किन्तु अधिकांशतः इस प्रकार के साहित्य में अंग्रेज समय से लेकर १९वीं शताब्दी के आरंभ के समय तक भारत की परंपरागत शिक्षा पद्धति की हुई दुर्दशा का वर्णन केवल एक-दो अध्यायों में समाविष्ट कर दिया जाता है। नुरुल्ला और नार्सिक की पुस्तक में १९वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षाव्यवस्था के विनाश के बारे में ४३ पृष्ठों में चर्चा की गई है।

१९वीं शताब्दी के आरंभ के समय में भारतीय शिक्षा पद्धति की परिस्थिति की चर्चा के लिए ये सभी लेखक सामान्यतया निम्नांकित स्रोतों का उपयोग करते रहे हैं।

(१) सन् १८३५ और १८३८ में बंगाल और बिहार के कुछ जिलों में प्रचलित भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में अंग्रेज अधिकारी और पूर्व पादरी विलियम एडम द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के बहु चर्चित विवरण।<sup>२</sup>

(२) सन् १८२०-३० के वर्षों में मुंबई प्रांत में भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के प्रकाशित विवरण।<sup>३</sup>

(३) घेन्राई प्रान्त में भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में वर्ष १८२२-२५ में किए गए सर्वेक्षण के प्रकाशित विवरण।<sup>४</sup>

(४) जी रुमल्यू लिटनर द्वारा इसी विषय भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में पंजाब प्रांत में सम्पन्न सर्वेक्षण का विवरण।<sup>५</sup>

इन स्रोतों में लिटनर का विवरण सरकारी अभिलेखीय प्रमाण और उसने स्वयं पंजाब में किए हुए सर्वेक्षण पर आधारित है। उसके विवरण में वह पंजाब में भारत की बुनियादी परंपरागत शिक्षा की अवनति के लिये अंग्रेजों की नीति को ही जिम्मेवार मानता है। इन नीतियों की वह खुलकर आलोचना भी करता है। उसी प्रकार एडम का अहमदाबाद तथा घेन्राई प्रान्त के कुछ जिलाधीशों के अहवाल<sup>६</sup> भी उनके क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की अवनति के लिये अंग्रेजों को ही जिम्मेवार ठहराते हैं। एडम ने अपने विवरण में एक अंग्रेजी साजन एक अंग्रेज अधिकारी के गौरव के अनुरूप सौम्य भाषा

का प्रयोग किया है जबकि लिटनर ऐसी सौम्य भाषा प्रयुक्त कर नहीं पाया है इसीलिए ही वह 'अग्रेज सज़न' की श्रेणी में नहीं आता है।<sup>12</sup>

२० अक्टूबर १९३१ के दिन लंदन की 'रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्टरनेशनल अफेयर्स (Royal Institute of International Affairs) में महात्मा गांधी ने एक ऐतिहासिक प्रवचन दिया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि विगत ५०-१०० वर्षों में भारत में साक्षरता का अत्यंत हास हुआ है और इसके लिए अग्रेज ही जिम्मेवार हैं। गाँधीजी का यह कथन एडम लिटनर आदि ने दिये हुए निष्कर्ष तथा वर्षों तक भारतीयों के मानस में अवस्थित सवेदनाओं का प्रतिबिम्ब था फिर भी गाँधीजी के इस कथन को सर फिलिप हार्टोंग नामक अग्रेज ने वैयक्तिक रूप से तथा अग्रेज सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर चुनौती दी। ठाका दिवविद्यालय के पूर्व कुलपति के पद पर तथा अग्रेजों के द्वारा बनाई गई कुछ समितियों के अध्यक्ष के तौर पर भी पहले हार्टोंग ने यह कार्य किया था। गांधीजी के उस कथन के समर्थन में अभिलेखीय प्रमाण माग कर हार्टोंग ने स्वयं उन्हें ललकारा था।<sup>13</sup> उस समय गांधीजी और उनके निकट के साथी जेल में थे। इससे गांधीजी की ओर से हार्टोंग को प्रमाण पहुँचाए गए थे किन्तु उससे उसका समाधान नहीं हुआ और चार वर्ष बाद गांधीजी के कथनों को गलत सिद्ध करने के एक मात्र आशय से लंदन विश्वविद्यालय के 'इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन' (Institute of Education) में एक व्याख्यानश्रेणी में तीन व्याख्यान दिए। बाद में हार्टोंग ने इन व्याख्यानों को *Some Aspects of Indian Education Past and Present* नामक शीर्षक से एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया किन्तु गांधीजी को गलत सिद्ध करने में हार्टोंग ने अपनी स्वयं की विवेकबुद्धि का थोड़ा भी उपयोग नहीं किया था। एक प्रामाणिक अग्रेज की तरह पढाए गए तोते की तरह हार्टोंग केवल भारत में स्थित अग्रेजों की नीतियों का समर्थन ही करता है। इससे पूर्व १२५ वर्ष पहले ब्रिटिश ससद में ऐसा ही वक्तव्य देकर विलियम विल्बरफोर्स<sup>14</sup> नामक अग्रेज ने हार्टोंग का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। हार्टोंग से पूर्व चर्चों के एक समकालीन डबल्यू. एच. मार्लेण्ड ने भी विन्सेन्ट स्मिथ के कथनों के लिए इसी प्रकार की आपत्ति खड़ी की थी। स्मिथ के आज भारत के कृषि मजदूरों की आर्थिक स्थिति की अपेक्षा अकबर और जहागीर के समय के कृषि मजदूरों की स्थिति बेहतर थी<sup>15</sup> जैसे कथितों से विदे मार्लेण्ड एक सेवा निवृत्त राजस्व अधिकारी से शीघ्र ही मानो भारत के अर्थतन्त्र<sup>16</sup> अर्थशास्त्री की भूमिका में आ गए। वैसे भी पिछले २०० वर्षों में भारत और अन्य देशों में जाने अनजाने उठाए गए किसी भी कदम की आलोचना अग्रेज सह नहीं सकते थे।

यह तथ्य सर्वज्ञात है ही।

इस पुस्तक में दिए गए अभिलेखीय सदमों में अधिकांश सदम तो चेन्नई प्रांत में भारत की बुनियादी शिक्षा पद्धति के बारे में हुए सर्वेक्षणों से सम्बंधित हैं। इस पुस्तक के लेखक ने इन अभिलेखों को सर्वप्रथम सन् १९६६ में देखा था। इन अभिलेखों के अंश सन् १८३१-३२ में ब्रिटेन की ससद में प्रस्तुत किए गए थे। इससे इन सर्वेक्षणों पर कई शोधकर्तारों द्वारा अध्ययन तथा शोधकार्य किए गए हों तो वह स्वाभाविक है किन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि इन अभिलेखों की ओर किसी का ध्यान तक नहीं गया इतना ही नहीं बल्कि चेन्नई विश्वविद्यालय ने अभी अभी स्वीकृत किए चेन्नई प्रान्त के उसी समय से सम्बन्धित एक महाशोधनिबंध में भी इन विवरणों का एक बार भी उल्लेख नहीं हुआ है।

इस पुस्तक के प्रकाशन का प्रयोजन अंग्रेजों के शासन की कड़ी आलोचना करने का लेशमात्र नहीं है। यह पुस्तक तो १८वीं शताब्दी के अंतिम धरण से १९वीं शताब्दी के प्रारम्भिक समय के भारत के यथार्थ चित्र को भारत के समाज को उसके रीत रिवाजों को और संस्थाओं को उनकी सिद्धियों को और मर्यादाओं को यथासंभव समझने का लेखक का एक प्रामाणिक प्रयास मात्र है। इसी लेखक के पूर्व प्रकाशित साइस एण्ड टेक्नोलोजी इन द एटीन्थ सेन्चुरी Indian Science and Technology In the Eighteenth Century)<sup>१०</sup> और सिविल डिस्ओबेडियन्स इन इण्डियन ट्रेडिशन<sup>१६</sup> (Civil Disobedience in Indian Tradition) इन दोनों पुस्तकों की तरह यह पुस्तक भी भारत के एक विशेष आयाम को प्रकट करती है। इस पुस्तक में तत्कालीन भारतीय शिक्षापद्धति की प्रवर्तमान स्थिति की विस्तृत चर्चा और उस समय इंग्लैण्ड में प्रवर्तमान शिक्षा की परिस्थिति की तुलनात्मक चर्चा भी संक्षेप में की गई है।

दिनांक कुछ एक वर्षों में मेरे अनेक मित्र शुभेच्छकों ने इस पुस्तक की सामग्री में रुचि लेकर उस विषय में उपयोगी सुझावों की हैं उसके लिए मैं उन सभी के प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उनके सहयोग और प्रोत्साहन के बिना यह पुस्तक पूरी हो ही नहीं पाती। इसके अतिरिक्त मेरी कुछेक जिज्ञासाओं का समाधान कर देने के लिए मैं ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी का भी अत्यंत ऋणी हूँ। उसी प्रकार हार्टोग और गांधी के बीच हुए पत्रव्यवहार की प्रतियाँ पहुचाने के लिए मैं 'इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी एण्ड रेकोर्ड्स' (India Office Library and Records) का विशेष कर्के भी मार्टिन

मोईर का ऋणी हूँ। मुझे वर्ष १९७२-७३ के लिए ए एन सिन्हा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज (A.N. Sinha Institute of Social Studies) पटना की सीनियर फेलोशिप प्राप्त हुई उसके लिए मैं सस्था का आभारी हूँ। उसी प्रकार जब भी मुझे आवश्यकता हुई तब मुझे सहायता करने के लिए मैं इन्स्टिट्यूट ऑफ गांधीअन स्टडीज वाराणसी (Institute of Gandhian Studies Varanasi) द गांधी पीस फाउन्डेशन (The Gandhi Peace Foundation) नई दिल्ली द गांधी सेवा सघ (The Gandhi Seva Sangh) सेवाग्राम और द एसोसिएशन ऑफ वोलन्टरी एजन्सीज फॉर रुरल डेवलपमेन्ट (The Association of Voluntary Agencies for Rural Development) नई दिल्ली का भी आभारी हूँ।

चेन्नई प्रान्त से सभधित सामग्री प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम तो मैंने 'इण्डिया ओफिस लाइब्रेरी (India Office Library IOL) का सम्पर्क किया था किन्तु मुझे यह सामग्री तमिलनाडु स्टेट आर्काइव्स (पूर्व की चेन्नई रेकोर्ड्स ऑफिस) (Tamil Nadu State Archives TNSA) द्वारा प्राप्त हुई थी। यह सामग्री तथा सहयोग देने के लिए बहुत ही उदारतापूर्वक और सहानुभूति के साथ विशेष परिश्रम करने के लिए मैं आर्काइव्स के कर्मचारियों का अत्यंत आभारी हूँ। परिशिष्ट में दी गई एलेक्ट्रेन्डर वॉकर की टिप्पणी के लिए मुझे वॉकर ऑफ बाउलेंड पेपर्स उपलब्ध करवाने के लिए मैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्कॉटलेन्ड एडिनबर्ग और दी उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव्स (UPSA) इलाहाबाद का भी आभारी हूँ।

इस पुस्तक का शीर्षक महात्मा गांधीजी के लदन स्थित घेधम हाउस में दिनांक २०-१०-१९३१ के दिन दिए गए प्रवचन से लिया गया है। इस प्रवचन में उन्होंने कहा था

अंग्रेज जब भारत में आए तब उन्होंने यहा की स्थिति को यथावत् स्वीकार करने के स्थान पर उसका उन्मूलन करना शुरू किया। उन्होंने मिट्टी कुदेदी जड़ों को कुदेद कर बाहर निकाला और फिर उन्हें खुला ही छोड दिया। परिणाम यह हुआ कि शिक्षा का वह रमणीय वृक्ष नष्ट हो गया।

पुस्तक का उपशीर्षक भी इसी प्रकार धयन किया गया है। वैसे तो चेन्नई प्रात की सामग्री ही इस प्रकाशन का बडा अश बनती है। वह सामग्री चाहे सन् १८२२-२५ के वर्षों में सधित हुई हो किन्तु उसका सम्बन्ध तो इन वर्षों से भी बहुत पूर्व के समय की शिक्षा व्यवस्था के साथ है। १२वीं शताब्दी तक तो वह व्यवस्था अत्यंत



प्रभावी रही थी परतु एहम के विवरण से ज्ञात होता है कि १९वीं शताब्दी के चौथे दशक से यह सक्षम प्रभावी शिक्षा व्यवस्था का हास होने लगा था।

१९ फरवरी १९८१

धर्मपाल  
आश्रम प्रतिष्ठान  
सेवाग्राम

### सन्दर्भ

- १ ए. एस अक्सेकर 'एज्युकेशन इन एन्शियेण्ट इन्डिया' (Education in Ancient India) द्वितीय संस्करण बनारस १९४४
- २ नेशनल आर्काइव्स ऑफ इन्डिया - 'सिलेक्शन फ्रॉम एज्युकेशन रेकॉर्ड्स' (National Archives of India Selection from Education Records) भाग १ २ एच हार्म और जे ए रीषी १९२० १९२२ पुनर्मुद्रण १९६५।
- ३ एस नरय्या तथा जे पी मार्षक 'हिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन इन इण्डिया ड्यूरिंग दी ब्रिटिश पीरियड' (History of Education in India During the British Period) मुम्बई १९४३।
- ४ वही
- ५ 'भारत में अंग्रेजी राज' सन् १९२३ में यह पुस्तक पहली बार हिन्दी में प्रकाशित हुई तब उस पर अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी थी। बाद में सन् १९३९ में यह पुस्तक तीन खण्डों में पुनः प्रकाशित हुई। यह पुस्तक इस विषय का उत्कृष्ट प्रकाशन माना गया है। उस में भारत में अंग्रेजों के शासन और उसके सन् १८६० तक के दुष्परिणामों का विशद विश्लेषण किया गया है। यह पुस्तक अनेक स्वतंत्र्य सेनानी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ शिक्षा कार्यी आदि के लिए प्रेरणादायक बन गई थी।
- ६ एस एम जकर 'एज्युकेशन इन मुस्लिम इण्डिया (Education in Muslim India) पेशावर १९३६।
- ७ विलियम एहम रिपोर्ट्स ऑफ दी स्टेट ऑफ एज्युकेशन इन बंगाल (Reports of the State of Education in Bengal) १८३५ एण्ड १८३८ से अनंतनाथ वास्तु, कोलकता पुनर्मुद्रण १९४१
- ८ हाउस ऑफ कॉमन्स पेपर्स (House of commons Papers) १८३१ ३२ भाग ९
- ९ वही पृ ४१३ १७ ५०० ५०७।
- १० जी डब्ल्यू, सीटनर 'हिस्ट्री ऑफ इन्डिजीनस एज्युकेशन इन दी पंजाब' (History of Indigenous Education in the Punjab) पुनर्मुद्रण भाषा विभाग पंजाब पटियाला १९७३।
- ११ प्रकृत ३ १ से ३०

- १२ फिलिप हार्टोप 'सम आस्पेक्टस ऑफ इन्डियन एज्युकेशन पास्ट एण्ड प्रेजन्ट' (Some Aspects of Indian Education Past and Present) ओम्बुपी १९३९ पृ ८
- १३ इन्डिया ऑफिस लाइब्रेरी MSS EUR D-551 हार्टोप टु महात्मा गांधी २१ १० १९३१ (India Office Library Hartog to Mahatma Gandhi)
- १४ हेन्सर्ड (Hansard) जून २२ जुलाई १ १८१३
- १५ विन्सेन्ट स्मिथ अकबर द ग्रेट मोगल' (Akbar the Great Mogul) क्लेरेंडन प्रेस १९१७ पृ ३९४
- १६ 'जर्नल ऑफ दी रॉयल एशियाटिक सोसायटी लंदन १९१७ पृ ८१५ ८२५ (Journal of the Royal Asiatic Society)
- १७ १८वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान और तन्त्रज्ञान' पुनरुत्थान ट्रस्ट २००७
- १८ भारतीय परम्परा में असाहयोग' पुनरुत्थान ट्रस्ट २००७

## प्रस्तावना

भारतीय इतिहास से संबंधित विगत कुछेक दशकों का ज्ञान अधिकांशतः विदेशी लेखकों के द्वारा लिखे गए लेख एवं पुस्तकों के माध्यम से हमें प्राप्त होता रहा है। इससे स्वाभाविक रूप से ही गत पाच शताब्दियों में प्रचलित भारतीय शिक्षा के परिदृश्य की जानकारी के लिए भी हमें विदेशी लेखकों पर ही आधार रखना पड़ा है। आज हम तक्षशिला या नालंदा जैसे विद्याघामों के बारे में जो कुछ भी जानते हैं इससे उन पर हम प्रशंसा की पुष्पवर्षा करते हैं। इसका रहस्य तो यह है कि सदियों पूर्व ग्रीक या चीनी यात्रियों ने अपने भारत भ्रमण के दौरान की हुई टिप्पणियों में इन विद्याघामों की मुक्त रूपसे प्रशंसा की थी और हमारे सौभाग्य से वे यात्रा वृत्तान्त आज भी उपलब्ध हैं। साथ ही इन यात्रियों ने स्वदेश लौटकर अपने समकालीनों के सम्मुख हमारे विद्याघामों के बारे में विस्तार से वर्णन किए थे जो परंपरा से आज हम तक पहुँचे हैं।

ईसा की १५वीं और विशेष रूप से १६वीं शताब्दी में एक अन्य प्रकार के ही यात्रियों ने तथा साहसिकों ने भारतभ्रमण किया था। सदियों से जो भी विदेशी यात्री भारतभ्रमण के लिए आते थे उनका भारत के साथ कोई सीधा संबंध तो था नहीं साथ ही वे पूर्ण रूप से भिन्न समाज संरचना तथा जलवायु से आये थे। अतः भारत की परंपराएँ रीतिरिवाज धर्म दर्शन ज्ञान के भण्डार शिल्प स्थापत्य समृद्धि तथा शिक्षापद्धति उनके अपने प्रदेश से उनकी मान्यताओं से व अनुभवों से उन्हें एकदम अलग ही लगती थी।

सन् १७०० के पहले से ही अंग्रेज तो भारत के वैधानिक शासक बन बैठे थे। यह पुस्तक भी अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित लेखों और वृत्तान्तों पर ही आधारित है। वास्तव में तो अंग्रेजों को भारत का शासन करने में रुचि थी ही नहीं उन्हें तो यहाँ के व्यापार तथा सत्रज्ञान में ही रुचि थी। परन्तु उन्होंने यहाँ की राज्यव्यवस्था का गहराई से अध्ययन किया और उसमें स्थित कमियों से फायदा उठाकर भारत में अपना साम्राज्य पदाया। प्रारम्भ के दिनों में भारत के धर्म तत्त्वज्ञान ज्ञान साहित्य या शिक्षा प्रथा में

अग्रेजों को लेशमात्र भी रुचि नहीं थी। तथापि पारसी समाज तथा सूरत के बनिया समाज के बारे में अग्रेजों ने जो लिखा था उस पर ध्यान देना चाहिए।

भारत के प्रति अग्रेजों के ऐसे उपेक्षा भाव का एक कारण यह था उनकी भारत से कुछ और प्रकार की अपेक्षाएँ थीं। किन्तु इसका मुख्य कारण यह था कि इस अवधि में अग्रेज धर्म तत्वज्ञान ज्ञान और साहित्य के भण्डारों के प्रति या शिक्षापद्धति जैसी व्यवस्थाओं के प्रति स्वभावतः उदासीन थे। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि इंग्लैण्ड में इस समय में अर्थात् १६वीं से १८वीं शताब्दी में इन क्षेत्रों में शून्यावकाश था। यद्यार्थ यह है कि शैक्सपियर फान्सिस बेकन तथा मिल्टन जैसे श्रेष्ठ साहित्यकार और न्यूटन जैसे वैज्ञानिक भी इस कालखण्ड में हुए थे। साथ ही ऑक्सफर्ड केम्ब्रिज तथा एडिन्बर्ग जैसे प्रख्यात विश्वविद्यालयों का प्रारम्भ भी १३वीं - १४वीं शताब्दी में ही हो गया था। जबकि १८वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैण्ड में पाँच सौ जितनी पाठशालाएँ (Grammar Schools) चलती थीं किन्तु ज्ञान की क्षितिज केवल उद्यम कुल के लोगों तक ही सीमित थीं। १६वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन-प्रोटेस्टेंट क्रांति के परिणाम स्वरूप जब अधिकांश ईसाई मठों पर राज्य का अधिकार स्थापित हुआ तब यह यथार्थ उद्घाटित हुआ। ए. इ. डोम्बर ने लिखा है कि 'प्रोटेस्टेंट क्रांति से पूर्व निर्धनों के लिए अग्रगण्य धर्मार्थ शिक्षा संस्था तथा इंग्लैण्ड की प्रमुख ग्रामर पाठशाला के तौर पर तथा धर्मशास्त्र न्यायशास्त्र और वैद्यकशास्त्र की शिक्षा की श्रेष्ठ संस्था के तौर पर ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी बहुत ही विख्यात थी।' जहाँ शिक्षा निःशुल्क नहीं थी वहाँ निर्धन विद्यार्थियों को इस विद्याधाम में शिक्षा का लाभ प्राप्त हो सके इस हेतु उनके लिए निःशुल्क शिक्षा भोजन तथा निवास की विशेष व्यवस्था की जाती थी।<sup>१</sup> साथसाथ इंग्लैण्ड के एक कानून के प्रावधान के अनुसार जिस व्यक्ति के पास जमीन नहीं है तथा वर्ष में २० शिल्लिंग किराया नहीं चुका सकता है ऐसा कोई व्यक्ति अपनी सतानों को कहीं भी काम सीखने के लिए नहीं रख सकता था परन्तु साहित्य के अध्ययन के लिए पाठशाला में भेज सकता था।<sup>२</sup>

१६वीं सदी के मध्य भाग में उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों के कारण इंग्लैण्ड में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें आदेश था कि 'गिरजाघरों में अग्रेजी बाइबल का पठन नहीं हो सकता'। व्यक्तिगत तौर पर बाइबल पढ़ने का अधिकार केवल उद्यम वर्ग के लोग तथा जमीनदारों के लिए ही मान्य था जबकि कारीगर वर्ग नौकरीपेशा लोग कामसीखिये तथा छोटे किसान या उनसे निम्नवर्ग के लोग आदि को बाइबल के पठन से पूर्णतः वंचित कर दिया गया था जिससे धर्मशास्त्रों के स्वच्छन्द उपयोग से निर्माण

होनेवाली अव्यवस्थाओं को कम किया जा सके \* ऐसे प्रावधानों के कारण 'कृषक मजदूर की सतान के लिए किसानी मजदूरी करना कारीगर के सतानों के लिए उनके परंपरागत व्यवसाय को अपनाना तथा उच्च कुल में जन्म लेनेवालों को राज्यवस्था का अध्ययन करके शासन करना ही स्थितिप्राप्त था। क्योंकि देश को कृषि मजदूरों की भी आवश्यकता थी और फिर सभी प्रकार के लोग तो विद्यालय में जा भी नहीं सकते थे। \*

तथापि १७वीं शताब्दी के अन्त भाग में ऐसी भेदभावपूर्ण व्यवस्थाएँ शनैः शनैः परिवर्तन आने लगा और साधारण वर्ग के लोगों के लिए धर्मार्थ शालाओं (Charity Schools) का प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार के विद्यालय शुरू करने का आशय श्रमिक वर्ग के लोग शिक्षा के माध्यम से धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की तैयारी करें और विशेष रूप से 'वेल्स में ये निर्धन लोग रविवार की प्रार्थना में बाइबल का पठन कर सकें' यह था।\*

हालांकि ऐसे विद्यालय खोलने का आंदोलन सफल नहीं रहा और सन् १७९० के आसपास ऐसे विद्यालयों का स्थान 'रविवारीय विद्यालयों (Sunday Schools) ने लिया।\* इस काल में प्राथमिक शिक्षा भी मिशनरी गतिविधियों का एक हिस्सा माना गया था।

अतः प्रत्येक बच्चा बाइबल पढ़ना सीखे का सूत्र प्रचलित हुआ।\* रविवारीय प्रार्थना में सम्मिलित होने की अपेक्षा के कारण रविवारीय शाला को गति प्राप्त हुई।\* तत्पश्चात् दिवसीय विद्यालयों की भी आवश्यकता महसूस हुई और इस प्रकार 'विद्यालय शिक्षा' के कार्यक्रम को गति प्राप्त हुई। हालांकि सन् १८३४ तक 'राष्ट्रीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम भी धार्मिक शिक्षा पठन लेखन तथा अकञ्ज्ञान तक सीमित थे जब कि कई ग्रामीण शालाओं में अनिष्ट परिणामों की आशंका से लेखनकार्य नहीं होता था। \*

सन् १८०२ में पील के कानून (Peel's Act) के कारण दिवसीय विद्यालय की योजना को गति प्राप्त हुई। इस कानून के प्रावधान के तहत बच्चों को सीखिए के रूप में काम पर रखनेवाले व्यक्ति को सीखने के सात वर्षों में से प्रथम चार वर्षों में लिखाई पढ़ाई तथा अकञ्ज्ञान की आवश्यक शिक्षा प्राप्त हो यह देखना था। ये बच्चे प्रत्येक रविवार को गिरजाघर में उपस्थित रहें और एक घण्टे की धार्मिक शिक्षा प्राप्त करें इसका भी ध्यान रखना आवश्यक था। \*\* यह कानून न तो लोकप्रिय बना न इसका प्रभाव पड़ा।\*\* इसी समय में जोसेफ लैन्केस्टर और एन्ड्रयू बेल के द्वारा

प्रचलित की (और भारत की शिक्षा पद्धति के रूप में जानी जाने वाली)<sup>१३</sup> बरिष्ठ छात्र पद्धति (Monitorial Method) के कारण शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप सन् १७९२ में लगभग छात्रों की संख्या ४० ००० से बढ़कर सन् १८१८ में ६ ७४ ८८३ और सन् १८५१ में २१ ४४ ३७७ तक पहुँच गई। सन् १८०१ में सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयों की संख्या ३ ३६३ थी जो बढ़कर सन् १८५१ में ४६ ११४ तक पहुँच गई।<sup>१४</sup>

प्रारम्भ में तो अच्छे शिक्षक कम ही मिलते थे। लेन्केस्टर टिप्पणी करते हैं कि शिक्षक केवल अज्ञानी ही नहीं शराबी भी थे।<sup>१५</sup> विद्यालय में शिक्षा की अवधि के विषय में डोब्रज लिखते हैं कि विद्यालय में उपस्थिति विषयक अनियमितता के कारण सन् १८३५ में साधारण रूप में जो शिक्षा एक वर्ष में दी जाती थी वह सन् १८५१ आते आते बढ़कर दो वर्ष में दी जाने लगी।<sup>१६</sup>

१८वीं शताब्दी में सार्वजनिक विद्यालयों की स्थिति बिगड़ गई थी। जनवरी १७९७ में श्रुसबरी के एक सुप्रसिद्ध विद्यालय में भी छात्रों की संख्या केवल ३ या ४ से अधिक नहीं थी और अनेक प्रयास करने के बाद १७९८ में यह संख्या २० तक हो गई थी। एटन के विद्यालय में लेखन और अकण्ठित की शिक्षा दी जाती थी और अंग्रेजी और लेटिन की अनेक पुस्तकें पढ़ाई जाती थीं। पाँचवीं कक्षा के छात्रों को भूगोल तथा बीजगणित की शिक्षा दी जाती थी। दीर्घ काल तक एटन में रहकर अध्ययन करनेवाले छात्रों को सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती थी। सन् १८५१ के बाद गणित को शिक्षा में एक नियमित विषय का स्थान प्राप्त हुआ। इससे पूर्व के वर्षों में गणित के शिक्षक का पद अन्य विषयों के शिक्षकों के पद से निम्न माना जाता था।

सन् १८०० तक विद्यालयों में दी जानेवाली प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना आम लोगों के लिए साधारण बात नहीं थी। तथापि तक्षशिला या नालदा विद्यापीठों का या बाद में १८वीं शताब्दी में नवद्वीप<sup>१७</sup> का जो महत्त्वपूर्ण स्थान भारत में था लगभग वही स्थान इंग्लैण्ड में ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज और एडिनबर्ग विश्वविद्यालयों का था और सन् १७७३ के बाद इंग्लैण्ड से जो भी व्यक्ति प्रवासी अध्येता या न्यायाधीश के रूप में भारत में आए उनमें से अधिकांश इन तीन में से किसी एक विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हुए थे।<sup>१८</sup>

इस सदर्भ में सन् १८०० के काल के ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी में प्राप्य पाठ्यक्रमों के व्यौरे तथा अन्य आकड़े<sup>१९</sup> जानना रोचक रहेगा। यह जानकारी कैम्ब्रिज तथा एडिनबर्ग विश्वविद्यालयों के लिए उतनी ही लागू है यह स्वाभाविक रूप से कहा

जा सकता है। रोम के साथ इर्लैण्ड की मित्रता के सबधों का अंत होने से ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी का जिस प्रकार से विकास हुआ वह हमें सन् १५४६ से लेकर विभिन्न विषयों में प्राध्यापकों की जिस प्रकार से आवश्यकता निर्माण हुई उससे ज्ञात होता है। इसके आकड़े इस प्रकार हैं -

वर्ष	विषय प्राध्यापकों के स्थान
१५४६	हेनरी ८ ने पाँच स्थान निर्माण किए १ डिविनिटी २ सिविल लॉ ३ मेडिसिन ४ हिब्रू, ५ ग्रीक
१६१९	भूमिति और खगोलशास्त्र
१६२१	नैसर्गिक तत्त्वज्ञान
१६२१	नैतिक दर्शनशास्त्र (बट्रीक १७०७ से १८२९)
१६२२	प्राचीन इतिहास (हिब्रू और यूरोप)
१६२४	ध्याकरण वक्तृत्वकला गूढ विद्या प्रचलित न होने के कारण से उसके स्थान पर १८३९ से तर्कशास्त्र शरीररचनाशास्त्र
१६२६	सगीत
१६३६	अरेमिक
१६६९	वनस्पतिशास्त्र
१७०८	काव्य
१७२४	अर्वाचीन इतिहास और अर्वाचीन भाषाएँ
१७४९	प्रायोगिक तत्त्वज्ञान
१७५२	सामान्य कानून
१७८०	चिकित्साशास्त्र
१७९५	एंग्लो सेक्सन (भाषा साहित्यादि)
१८०३	रसायनशास्त्र

१९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ऑक्सफोर्ड में नौ महाविद्यालय तथा पाँच बड़े छात्रालय (Halls) थे। महाविद्यालयों में लगभग ५०० छात्र विभिन्न विषयों पर शोध कार्य कर रहे थे। इन छात्रों में कुछ तो महाविद्यालयों में अध्यापन भी करते थे। सन् १८०० में १९ प्राध्यापकों की संख्या १८५४ में बढ़कर २५ तक हो गई। यहाँ धर्मशास्त्र तथा प्रशिष्ट साहित्य मुख्य विषय के तौर पर पढ़ाए जाते थे। प्रशिष्ट साहित्य में ग्रीक तथा लेटिन भाषा-साहित्य नैतिक तत्त्वज्ञान वक्तृत्व कला तर्कशास्त्र तथा

गणित भौतिक विज्ञान जैसे विषयों का समावेश होता था और विधि वैद्यकशास्त्र तथा भूस्तरशास्त्र आदि पर व्याख्यान भी आयोजित किए जाते थे। सन् १८०५ के बाद इस विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ती गई और उस समय की ७६० की संख्या बढ़कर १८२०-२४ के वर्षों में १३०० तक पहुँच गई।

ऑक्सफोर्ड स्थित महाविद्यालयों में आमदनी के मुख्य स्रोतों में भूमि के स्वरूप में प्राप्त दान तथा छात्रों से प्राप्त आय थी। इस आमदनी की मात्रा हर महाविद्यालय में अलग अलग रहती थी। सन् १८५० में चार वर्ष की शिक्षा के लिए एक विद्यार्थी का औसत व्यय लगभग ६०० से ८०० पाउंड होता था।<sup>२०</sup>

१६वीं शताब्दी के अंत से लेकर १७वीं शताब्दी के आरम्भ के वर्षों में जब अंग्रेज एवं अन्य यूरोपीय प्रजा प्रत्यक्ष रूप में या तो व्यापार के माध्यम से भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने में व्यस्त थी तब समूचे यूरोप के विद्वान यहाँ की संस्कृति के विभिन्न आयामों के अध्ययन में प्रवृत्त थे। इन अध्येताओं में ईसाई पादरियों के सघों का भी समावेश था। ऐसे सघों में जेस्युइट पादरियों के सघों ने भारतीय संस्कृति में गहरी जिज्ञासा से प्रेरित होकर अध्ययन किया था। इन पादरियों को भारत के विज्ञान सामाजिक व्यवस्था तत्त्वज्ञान और धर्मशास्त्रों में विशेष जिज्ञासा थी। और कई विद्वानों का राजनीति इतिहास और अर्थव्यवस्था जैसे विषयों के प्रति लगाव था। बहुत से अध्येताओं ने अपने खट्टे मीठे अनुभवों के बहुत ही रोचक वर्णन किए हैं। यही नहीं तो यूरोप के उच्च श्रेणी के लोगों को इन विषयों में लगाव होने से ये वर्णन यूरोप की अनेक भाषाओं में भी प्रकाशित हुए थे। इन वर्णनों पर चर्चा की स्थिति सीमित होते हुए भी इन विषयों के धार्मिक तथा शैक्षिक अध्ययन परिदृश्य महत्वपूर्ण होने के कारण लोग इन वर्णनों की हस्तलिखित प्रतियाँ भी बना लेते थे।<sup>२१</sup>

## २

१८वीं शताब्दी के मध्यसे लेकर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य प्रदेशों के बारे में लिखित सामग्री भरपूर होने के कारण यूरोप में भारत को जानने की काफी जिज्ञासा जगी और चर्चाएँ होने लगीं। उसमें भी भारत की राजनीति तत्त्वचिंतन विज्ञान और विशेष कर खगोलविज्ञान जैसे विषयों में यूरोप के वॉल्टेर एवं रेनाल जीन बेईली जैसे अनेक विद्वानों ने गहरी रुचि ली थी। स्वाभाविक रूप में ही इंग्लैण्ड के जिज्ञासुओं को भी इस विद्याकीय क्षेत्र में जिज्ञासा बढ़ती ही गई। इन जिज्ञासुओं में से अधिकांश एडिनबर्ग युनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए थे और उनमें भी



एडम फर्न्युसन विलियम रोबर्टसन जहॉन प्लेफॉअर<sup>२२</sup> और ए मेकनोशी आदि मुख्य थे। इनमें से एडम फर्न्युसन का एक विद्यार्थी जहॉन मेयफर्सन तो भारत में एक उच्च सरकारी अधिकारी था। फर्न्युसन ने उसे भारत की राज्य व्यवस्था की सारी जानकारी इकट्ठी करने को कहा तथा इसके लिए कोई एक नगर या जिला पसंद करके उसकी जनसंख्या उसकी विविध जातियाँ वर्ग उनके व्यवसाय लोगों की जीवनशैली ये आपस में किन्त प्रकार जुड़े हुए हैं श्रमिकों द्वारा सरकार और साहूकार किन्त प्रकार धन-संचय करते हैं वह सब ध्यौरा इकट्ठा करने के लिए कहा था। इसका प्रयोजन स्पष्ट करते हुए कहा था कि वह ऐसा व्यक्ति है जो भारत से इस देश में (इंग्लैण्ड में) ज्ञान का प्रकाश ला सकता है।<sup>२३</sup>

सन् १७८३ में और फिर पुन सन् १७८८ में ए मॅकनोशी यही बात करता है। वह बताता है 'गंगा के प्रदेश के हमारे राजाने हिन्दुओं के प्राचीन ग्रंथों को खोजकर इकट्ठे कर उन सभी का अनुवाद करने के लिए जो भी व्यवस्था आवश्यक है करनी चाहिए।'<sup>२४</sup> ऐसा कहने में उसका आशय स्पष्ट था। यह जानता था कि हिन्दुओं की ये सब प्राचीन रचनाएँ प्राप्त करके अंग्रेज समूचे यूरोप में खगोलशास्त्र और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ कर पाएगा। वह लिखता है हिन्दुओं की प्राचीन परंपराएँ इतिहास साहित्य बोधकथाएँ आदि समस्त प्राचीन विषय के इतिहास को उद्घाटित कर सकती हैं। मोजेजेने जिनसे ज्ञान प्राप्त किया था तथा ग्रीस ने जिनसे धर्म और कलाएँ सीखी थी उन विद्वानों की सस्थाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेकनोशी विशेष में कहता है प्राय सभी विद्याओं का केन्द्र वाराणसी नगरी थी। आज भी वहाँ सभी शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है। आज भी वहाँ खगोलशास्त्र के प्राचीन ग्रन्थ प्राप्त हैं।<sup>२५</sup>

उस समय शासन व्यवस्था के तहत इंग्लैण्ड से भारत में आए अनेक उच्च अधिकारियों के मनमें भी इसी प्रकार के विचार प्रवाह चलते थे। परिणाम स्वरूप उनमें से कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने इस दिशा में भी कार्य किया था। विशेषत एडम फर्न्युसन के कथनों की प्रेरणा से किए गए कार्य के फलस्वरूप हिन्दू कानून मुस्लिम कानून संपत्ति विषयक कानून आदि के सदर्भ से युक्त पुस्तकें लिखी गईं। इस कार्य में सहयोगी बनने की दृष्टि से कई अंग्रेजोंने संस्कृत तथा पश्चिम भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इससे शासन करने का उनका लक्ष्य सिद्ध करने में दया ठीक है दया नहीं इस बात का ज्ञान उन्हें मिलता था। ऐसे अंग्रेज अधिकारियों में चार्ल्स विल्किन्सन विलियम जोन्स एफ डबल्यु एलिस तथा विल्फ्रेड आदि ने संस्कृत और अन्य भारतीय

भाषाओं का गहन अध्ययन किया था।

सन् १७७० के बाद अंग्रेजों के अधीन भारत के प्रदेशों में भारत के ज्ञान भण्डार शास्त्र तथा विद्याधामों का एकदूसरे से भिन्न तीन कारणों से अध्ययन हो रहा था। प्रथम तो भारत में अंग्रेजों के शासन का क्षेत्रविस्तार हो रहा था अतः प्रजा का विश्वास प्राप्त करने के लिए और एडम फर्ग्युसन जैसे विद्वानों के परामर्श से अंग्रेजों ने भारत की परंपराओं का अध्ययन आरम्भ किया था। इस के फलस्वरूप ही 'ब्रिटिश इन्डोलॉजी' जैसे विषय का जन्म हुआ।

भारतीय शास्त्रों के अध्ययन का दूसरा कारण प्रो मेकनोशी जैसे एडिनबर्ग युनिवर्सिटी के प्रबुद्ध विद्वान का विचार था। इन विद्वानों को अपने अनुभव एवं चिंतन के परिणाम स्वरूप लगातार यह भय सता रहा था कि किसी भी सस्कृति पर आक्रमण करके उसका विनाश करने से केवल सस्कृति का ही नाश नहीं होता अपितु उनके ज्ञान भण्डार भी नष्ट होते हैं। इसलिए ये विद्वान जो भी ग्रन्थ प्राप्त थे तथा जो ग्रन्थ वाराणसी जैसे विद्याधामों से प्राप्त हो सकते थे उन सभी ग्रन्थों को लिखित रूप में सुरक्षित रखने के पक्ष में थे।

तीसरा कारण यह था कि अंग्रेजों ने अपने देश इंग्लैण्ड में जो प्रयोग किया था वही प्रयोग वे भारत में करना चाहते थे। यह प्रयोग था लोगों को ईसाई मत के झण्डे के नीचे लाने का। इस हेतु यहाँ के लोगों की भाषा में ईसाई विचारधारा को प्रस्तुत करना आवश्यक था। इसलिए भी भारत की विविध भाषाएँ रीति-रिवाज आदि से परिचित होना अनिवार्य था। विलियम विल्बरफोर्स ने लिखा था 'ईसाई मत के पूर्ण प्रसार के लिए प्रादेशिक भाषाओं में पवित्र धर्मग्रन्थों का वितरण होना सार्थक सिद्ध होगा। ऐसा होने से भारतीय अपने आप ईसाई बन जाएँगे।'<sup>२६</sup>

इन्हीं कारणों से अंग्रेजों ने भारत में सस्कृत और पर्सियन महाविद्यालयों की स्थापना की। साथ ही शासन व्यवस्था में उपयोगी होनेवाले ग्रन्थों का या उनके उपयोगी अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद करके उन्हें प्रकाशित किया। साथ ही ईसाई मिशनरियों ने विद्यालय शुरू किए। साथ में भारत की तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी वे बारी बारी से कुछ न कुछ लिखते रहे। यथार्थ यह था कि अंग्रेजों को भारत के लोग और उनकी साक्षरता के बारे में कोई चिन्ता नहीं थी। फिर भी अंग्रेजों को भारत के प्राचीन शास्त्रों में उनकी जिज्ञासा के कारण एक लाभ अवश्य हुआ। लाभ यह था कि सामान्य लोग भी इन ग्रन्थों के लिए वे जो कुछ भी करते उनमें अपनी सम्मति दे देते थे। इस प्रक्रिया में जो ईसाई बनने के लिए प्रस्तुत होते थे

उनका यथाशीघ्र मतान्तरण करवा देना भी अंग्रेजों का लक्ष्य था। इस पद्धति से किए गए मतान्तरण से उनके कई राजकीय प्रयोजन भी सिद्ध होते थे। उनके ध्यान में यह भी आया कि ईसाईकरण से शासन और प्रजा के बीच एक सेतु स्थापित होता था। वैसे भी ब्रिटिश सत्ताधीशों के सभी निर्णयों के पीछे आरम्भ से ही एक बुनियादी अभिमत तो था ही। वह अभिमत था सरकार की आमदनी बढ़ाना। सरकार की आमदनी में वृद्धि के लिए हमेशा नये नये स्रोत निर्माण करने का आदर्श भी था। सन् १८१३ में इम्प्लैण्ट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की मूल शिक्षा परंपरा के विषय में विस्तार से चर्चा हुई थी। इस चर्चा में भारत में धार्मिक और नैतिक सुधार<sup>२७</sup> का विचार प्रमुख था।

## ३

विन्ती भी विषय पर नई नीति के निर्धारण से पूर्व उसके बारे में प्रवर्तमान स्थिति को ठीक प्रकार से समझ लेना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा विषयक व्यापक सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों की व्यापकता और गुणात्मकता प्रत्येक प्रान्त में और कभी कभी तो प्रत्येक जिले में एक दूसरे से अलग थी। ऐसा होने का एक कारण यह था कि भारत में इस प्रकार के सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त जानकारी से कुछ जानकारी प्रकाशित की गई परन्तु कई जानकारियाँ वैसी ही संग्रहित रह गईं। जैसे कि चेम्पाई प्रांत में 'भारत में देशीय शिक्षा' (Indigenous Education Survey) विषयक सर्वेक्षण द्वारा सकलित की गई जानकारी मूल स्वरूप में आज भी उपलब्ध है। ये सर्वेक्षण अधिकतर सन् १८२० से १८४० की भारत की शिक्षा की स्थिति के बारे में पर्याप्त जानकारी देते हैं। सन् १८८२ में किये गए एक सर्वेक्षण में सन् १८५० से पूर्व की शिक्षा की स्थिति की सन् १८८२ की स्थिति के साथ तुलना की गई थी। इन सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण करने से पूर्व कुछ प्रारम्भिक बातों की ओर ध्यान देना चाहिए।

प्रथम बात यह है कि यह सभी जानकारी आकड़ों के रूप में है और जिसे हम पाठशाला कहते हैं उसे केन्द्र में रखकर प्राप्त की गई है। इससे उनमें कुछ गलत निर्देश मिल सकते हैं। उसका कारण यह है कि भारत की परंपरागत शिक्षा पद्धति पाठशालाओं में गुरुकुलों में तथा मदरसों में प्रचलित थी। ये शिक्षा सत्स्थाएँ समाज से प्राप्त आर्थिक सहयोग पर निर्भर होती थीं। इन शिक्षा सत्स्थाओं में दिए जानेवाले ज्ञान को शिक्षा' कहा जाता था। शिक्षा' एक ऐसी सकल्पना थी जिसमें स्वाभाविक

रूप में ही प्रज्ञा शील समाधि जैसी सकल्पनाओं का समावेश होता था। साथ ही ये शिक्षा सस्थाएँ सामान्य लोगों में सांस्कृतिक सस्कारों की स्थापना करती थीं। ऐसी सस्थाओं के लिए प्रयुक्त School शब्द हम जिसे पाठशाला कहते हैं उसकी सकल्पना को सही रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

दूसरी बात आकड़ों में प्रस्तुत जानकारी का अत्यंत सतर्कता से मूल्यांकन करना आवश्यक है। जैसे कि इंग्लैण्ड में शालाओं की सख्यामें वृद्धि वास्तविक स्थिति का निर्देश करनेवाली बात नहीं है क्योंकि इन आकड़ों में कारखानों में चलनेवाले विद्यालयों की सख्या का भी समावेश हो जाता था। परन्तु परंपरागत शिक्षा सस्थाओं में हुई कमी को घिंता का विषय कहा जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा होने से श्रेष्ठ शिक्षा पद्धति के स्थान पर कनिष्ठ पद्धति का प्रचलन शुरू हुआ। अत यहाँ प्रस्तुत जानकारी का मूल्यांकन करते समय ऐसे परिप्रेक्ष्यों का ख्याल रखना चाहिए।

इन सर्वेक्षणों में सर्वाधिक प्रसिद्धि को प्राप्त परन्तु विवाद का विषय बना है विलियम एडम के द्वारा किया गया निरीक्षण। उसने अपने प्रथम विवरण में लिखा है कि सन् १८३०-४० के वर्षों में बंगाल और बिहार के गाँवों में १ ०० ००० के लगभग पाठशालाएँ थीं।<sup>२८</sup> यह कथन वैसे तो उच्च अग्रेज अधिकारी तथा उससे संबंधित और लोगों के अनुमान पर आधारित लगता है क्योंकि इस कथन के लिए कोई अधिकृत प्रमाण प्राप्त नहीं होता। चैन्नई प्रदेश के लिए भी ऐसा ही अमिमत् टोमस मनरो ने व्यक्त किया था। उसने बताया कि यहा प्रत्येक गाँव में एक पाठशाला थीं<sup>२९</sup> इसी प्रकार मुंबई प्रेसीडेन्सी के जी एल. प्रेन्टरगास्ट नामक वरिष्ठ अधिकारी ने लिखा है कि गाँव बड़ा हो या छोटा यहाँ शायद ही ऐसा कोई गाँव होगा जहाँ कमसे कम एक पाठशाला न हो। बड़े गाँवों में तो एक से अधिक पाठशालाएँ भी थीं।<sup>३०</sup>

इसी प्रकार पंजाब प्रेसीडेन्सी में भी सन् १८५० के दौरान शिक्षा का व्याप अधिक था ऐसा डॉ जी डबल्यू लिटनर ने भी लिखा है।

वस्तुतः इस प्रकार के निरीक्षणों को कई लोगों ने स्वाभाविक ही कपोलकल्पित मान लिया तो कह्यों ने उसका देववचन मानकर आदरपूर्वक स्वीकार भी कर लिया। भारत के अधिकांशतः राष्ट्रवादियों ने कीर हार्डी जैसे अग्रेजों ने तथा मैक्समूलर जैसे विद्वानों ने भारत के शिक्षा के परिदृश्य के इन निरीक्षणों को प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। किन्तु जो लोग भारत की शासन व्यवस्था के साथ जुड़े हुए थे तथा जो भारत की निहित विचारधारा के प्रति समर्पित थे उन सभी लोगों ने इन निरीक्षणों को गलत ही बताया। फिर जो लोग अग्रेजों के गुलाम बन गए थे जिन्होंने भारतीय शासन में

लये अरसे तक अपनी सेवाएँ दी थीं उपरांत जो लोग लिखित प्रस्तुति अच्छी तरह से कर सक्ते थे उन्हें सन् १८६० के बाद ऐसे स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि अंग्रेजी राज्य के कारण भारत को बहुत नुकसान हो रहा है। इस आशय की किन्ती भी प्रकार की प्रस्तुति का ये अंग्रेज सरकार के पक्ष में प्रभावी रूप में खण्डन करें। ऐसे अनेक विवादों के कारण इन सर्वेक्षणों के द्वारा प्राप्त जानकारी का ठीक प्रकार से मूल्यांकन करने का काम बहुत कम हुआ। डॉ. लिटनर द्वारा किए गए कार्य को छोड़ अधिकांश कार्य ठीक १९वीं शताब्दी के आरम्भ में हुआ। बल्कि अंग्रेज अधिकारियों के लिए भी इन निरीक्षणों का ठीक प्रकार से मूल्यांकन करना अत्यंत जटिल था क्योंकि उनके देश में सन् १८०० तक तो आम परिवार के बच्चों के लिए पाठशालाओं की व्यवस्था साधारण सी ही थी। यही नहीं तो उन पाठशालाओं की स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। साथ ही १८वीं शताब्दी के अंत और १९वीं शताब्दी के शुरुआत के वर्षों में कई अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैण्ड की शिक्षा उद्योग हस्तकला कृषि जैसे विषयों की तुलना की तब उनके मानस में यह परिलक्षित हुआ कि भारत के कृषि मजदूर को इंग्लैण्ड के कृषि मजदूर की अपेक्षा अधिक वेतन प्राप्त होता था।<sup>११</sup> इस स्थिति में भारत के प्रत्येक गाँव में पाठशाला होने की बात सही हो या गलत इंग्लैण्ड में तो निरीक्षणीय स्थिति ही दिखाई देती थी। यह बात भी उनके ध्यान में आ गई।

केवल मान्यता ही नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से आकड़ों की जानकारी पर आधारित ये सर्वेक्षण भारत में प्रचलित शिक्षा पद्धति उसमें पढाए जानेवाले विषय अध्ययन की समयावधि विभिन्न क्षेत्रों में पाठशालाओं में अध्ययन करनेवाले छात्रों की संख्या और उनके विषय में विभिन्न प्रकार की जानकारी जैसी अनेक बातों पर व्यापक रूप से जानकारी देते हैं। प्रत्येक गाँव में एक पाठशाला की बात से तो अंग्रेज इतने रोमांचित हो उठे थे कि उन्होंने इस सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के और अनेक पहलुओं की ओर ध्यान ही नहीं दिया। उस विषय में चिंतन या शोध किया ही नहीं इसे हमारा दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। परिणाम स्वरूप १००००० शालाएँ होने की बात उनके लिए एक स्थाई समस्या ही बनी रही जिसका ये किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं कर सके।<sup>१२</sup>

इन सर्वेक्षणों से प्राप्त जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि सन् १८०० में भारत में शालेय शिक्षा प्राप्त करनेवाले का अनुपात इंग्लैण्ड के छात्रों की तुलना में कम नहीं था। यही नहीं अंग्रेजों की गुलामी के कारण से भारत कंगाल बन गया था। तो भी

भारत में शिक्षा का प्रसार शिक्षा पद्धति पाठ्यक्रम आदि की गुणवत्ता और व्यापकता इन्लैण्ड की अपेक्षा अच्छी थी। साथ ही भारत में शिक्षा की कालावधि इन्लैण्ड से अधिक थी। विशेष महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि भारत में सैकड़ों वर्षों से प्रचलित शालेय शिक्षा पद्धति के ही अनुसार इन्लैण्ड में भी उसी पद्धति से शिक्षा देने का प्रयास हुआ था। विकटतम परिस्थितियों में भी पाठशालाओं में छात्रों की उपस्थिति का अनुपात इन्लैण्ड की अपेक्षा भारत में ऊँचा था। साथ ही भारत की पाठशालाओं में वातावरण भी इन्लैण्ड की पाठशालाओं की अपेक्षा विशेष प्रसन्न और नैसर्गिक था।<sup>३३</sup> साथ ही भारत के शिक्षक इन्लैण्ड के शिक्षकों की अपेक्षा विशेष आत्मीयता और निष्ठा से काम करते थे। केवल एक बात ऐसी थी जिसमें भारत इन्लैण्ड की तुलना में पीछे रह गया था। वह बात थी बालिका शिक्षा की। परन्तु भारत में बालिका शिक्षा कम होने का भी तर्क यह दिया जाता है कि बालिकाएँ घरों पर ही शिक्षा प्राप्त करती थीं इसलिए पाठशालाओं में उनकी उपस्थिति नहीं के बराबर रहती थी। परिणाम स्वरूप बालिका शिक्षा का अनुपात कम दिखाई देता था। इस तर्क की सत्यता भी शोध का विषय है।

चेन्नई प्रांत और बंगाल एवं बिहार से प्राप्त जानकारी शिक्षकों और छात्रों से सम्बन्धित अनेक तथ्य उद्घाटित करती है। शिक्षा की सुविधा हिन्दुओं में केवल द्विज<sup>३४</sup> जाति तक और मुसलमानों में केवल शासकों के परिवार तक ही सीमित थी - ऐसे दावे डके की चोट पर किए जाते हैं। किन्तु इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े उन दावों को गलत सिद्ध करते हैं। चेन्नई प्रांत में तथा बिहार के दो जिलों में हिन्दुओं के बारे में किए गए दावों से तो स्थिति सर्वथा अलग ही थी क्योंकि इन क्षेत्रों में जिन्हें शूद्र<sup>३५</sup> तथा उनसे भी निम्न माना जाता था उन छात्रों की सख्या पाठशाला में अधिक रहती थी।

अंतिम मुद्दा है यह है कि बड़े पैमाने पर व्याप्त शिक्षा व्यवस्था का एक कारण था उसकी अर्थव्यवस्था। भारतमें अंग्रेजों के शासन के पूर्व अत्यंत कठिन समय में भी राज्य की आय का बड़ा हिस्सा लोककल्याण के कार्यों के लिए खर्च किया जाता था। इस कारण से ही भारत में शिक्षा का यह व्याप संभव हो पाया था। किन्तु अंग्रेजों का शासन आते ही शासकीय आय का केन्द्रीकरण हो गया और लोककल्याण के लिए खर्च करने की व्यवस्था टूट गई। इसका अर्थतंत्र समाजजीवन और शिक्षा व्यवस्था पर अत्यन्त विपरीत प्रभाव हुआ। अंग्रेजों के शासन से पूर्व के भारतीय समाज उसकी राजकीय तथा शासकीय व्यवस्था के बारे में हमारे बुद्धिजीवियों में जो धारणाएँ पक्की

मैठ गई हैं उन पर पुनर्विचार करना अनिवार्य हो गया है। किन्तु उसके बारे में चर्चा करने से पूर्व इन सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त जानकारी तथा सन् १८३०-४० में उसके विषय में हुई चर्चा और विवादों के बारे में भी परिचित होना आवश्यक होगा। इन सर्वेक्षणों में चेन्नई प्रान्त से प्राप्त जानकारी सर्वाधिक सर्वग्राही परन्तु सब से कम प्रसिद्ध होने के कारण हम उस जानकारी को केन्द्र में रखकर उसके आधार पर ही चर्चा करेंगे।

## ४

चेन्नई प्रांत में किये गये सर्वेक्षण के सदरम में इस प्रकार के अभिलेख उपलब्ध हैं। (१) सरकारी सूचना (२) राजस्व विभाग के समाहर्ताओं को सूचना देनेवाले पत्र तथा (३) उस हेतु निर्धारित पत्रक (४) चेन्नई प्रांत के सभी २१ जिलों के समाहर्ताओं ने भेजे प्रत्युत्तर (५) सरकार को यह सूचना पहुँचाने से पूर्व राजस्व विभागने की हुई कार्यवाही (६) चेन्नई सरकार ने इस जानकारी के सम्बन्ध में की हुई कार्यवाही। ये सभी अभिलेख अध्याय ३ में १ से ३० में बताए गए हैं। यहाँ एक निर्देश करना आवश्यक होगा कि समाहर्ताओं ने इकट्ठी की हुई जानकारियों का स्रोत भी प्राप्त होता तो विश्लेषण अधिक अच्छी तरह से हो सकता था। इस सर्वेक्षण के लिए निर्धारित किए गए पत्रक में जिलों में विद्यालय एवं महाविद्यालयों की संख्या तथा उसमें अध्ययन करनेवाले यन्त्र्या एवं कुमार छात्रों की संख्या आदि माँगी गई थी। छात्रों की संख्या नीचे बताए गए पाँच वर्गों में बतानी थी -

(१) ब्राह्मण (२) वैश्य (३) शूद्र (४) अन्य जातियाँ (५) मुस्लिम।

यहाँ १ से ४ श्रेणी के छात्रों की कुल संख्या में श्रेणी ५ के छात्रों की संख्या जोड़कर हिन्दू और मुस्लिम मिलाकर छात्रों की संख्या का योग प्राप्त किया जाता था। यहाँ अन्य जातियों का प्रयोग शूद्र से निम्न श्रेणी की जातियों - जिनका समावेश आज अनुसूचित जातियों में किया गया है - के लिये किया गया मान सकते हैं। दूसरा कनारा जिले के समाहर्ता ने इस सर्वेक्षण के प्रत्युत्तरमें जिले के विद्यालयों महाविद्यालयों की संख्या या उसमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी क्योंकि उसे लगा कि यहाँ सब निजी तौर पर शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। उसने यह भी बताया कि 'इस जिले में एक भी महाविद्यालय नहीं है' क्योंकि उसका मानना था कि कनारा जिले में सार्वजनिक शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं

थी वहाँ केवल वृद्धों द्वारा कभी कभी बच्चों को एक स्थान पर इकट्ठा करके शिक्षा दी जाती थी। उन्हें पढ़ाने के लिए वेतन नहीं दिया जाता था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि समाहर्ता यह मानता था कि ऐसी जानकारी इकट्ठी करने में उसे तैयार करने में बहुत समय लग सकता है और चाहे कुछ भी करें जिले में कुल मिलाकर कितने विद्यालय या महाविद्यालय हैं उस विषय में सही जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। यहाँ एक बात का संकेत कर देना आवश्यक होगा कि सन् १८०० से १९६० के वर्षों में कनारा जिला अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करनेवाला तथा किसान आंदोलनों का प्रमुख केन्द्र रहा था दूसरा ऐसी अनेक प्रकार की जानकारी इकट्ठी करने का कार्य और जिलों में तो बार-बार होता था तथा जिले के समाहर्ता अपने जिलों के बारे में जो भी जानकारी भेजते उसकी गुणवत्ता तथा उसका महत्त्व प्रत्येक जिले में अलग अलग रहता था। एक कारण यह भी था कि जिलों के समाहर्ता और उनके सहयोगियों का बार बार स्थानांतरण होता रहता था इससे कई बार तो वे अपने जिले की स्थिति के बारे में अज्ञान ही रहते थे। समाहर्ता तथा उसके सहयोगियों पर ऐसी जानकारी इकट्ठी करने के अतिरिक्त और भी अन्य महत्वपूर्ण कामों का बोज रहता था। परिणाम स्वरूप बार बार नई नई जानकारी इकट्ठी करने के आदेशों का अमल करना उनके लिए मुश्किल सा रहता था। अतः जिलों से प्राप्त होनेवाली जानकारियों में पर्याप्त अंतर रहता था।

इन सर्वेक्षणों में कई जिलों ने तहसीलश जानकारी दी है। कुछ जिलों ने परगने तक की जानकारी दी है। कुछेक जिलों ने तो समूचे जिले को ही एक इकाई मानकर जानकारी दी है। विशाखापट्टनम्, मछलीपट्टनम् और तजापुर इन तीन जिलों ने निर्धारित पत्रक में दर्ज श्रेणियों के अतिरिक्त एक ज़्यादा क्षत्रिय श्रेणी के छात्रों की भी जानकारी दी है। इसी प्रकार बेझारी कडप्पा गुदूर और राजमहेन्द्री जिलों के समाहर्ताओं ने विस्तृत विवरण से युक्त जानकारी भेजी है। जबकि तिम्रेवेली विशाखापट्टनम् और तजापुर जिलों के समाहर्ताओं ने केवल आठके भेजकर अपना कर्तव्य निभाया है। रोषक बात तो यह थी कि कुछेक समाहर्ताओं ने अपने जिलों में पढाई जानेवाली पुस्तकों की सूची तक भेज दी है। इसी परिप्रेक्ष्य में राजमहेन्द्री जिले के समाहर्ता का काम बहुत ही व्यवस्थित है। उसने तेलुगु भाषा की पाठशालाओं में पढाई जानेवाली ४३ पुस्तकों की सूची तथा पर्शियन और अरेबिक की सस्थाओं में पढाई जाने वाली पुस्तकों की सूची भी दी है। (देखिए सारिणी-१)



## विद्यालय महाविद्यालय तथा छात्रों की संख्या

सारिणी १ में प्रत्येक जिले में स्थित विद्यालय तथा महाविद्यालयों की संख्या व उनमें अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या दी गई है। यह जानकारी संबंधित जिलों के समाहर्ताओं के द्वारा भेजी गई थी जिनमें गजाम और विशाखापट्टनम् के समाहर्ताओं ने कहा कि उनके द्वारा भेजी गई जानकारी अपूर्ण थी। ऐसी ही स्थिति ज़मीनदारों द्वारा शासित जिलों की हो सकती है। दो समाहर्ताओं ने निजी तौर पर अध्ययन करने वाले छात्रों के बारे में भी लिखा है। मलाबार जिले के समाहर्ता ने तो धर्मशास्त्र खगोलशास्त्र विधि अध्यात्मविद्या नीतिशास्त्र और वैद्यकशास्त्र जैसे विषयों की शिक्षा निजी तौर पर प्राप्त करनेवाले छात्रों की संख्या २५९४ बताई है और चेन्नई के समाहर्ता ने बताया था कि उस जिले में २६९६३ छात्र शाला में जाने की अपेक्षा घर पर रहकर अध्ययन करते थे। इस प्रकार निजी तौर पर शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों के बारे में आगे आनेवाले पृष्ठों में बताया जाएगा।

इन सभी जानकारियों की चेन्नई प्रान्त की सरकारने १० मार्च १८२६ को समीक्षा शुरू की थी इस परिप्रेक्ष्य में चेन्नई के तत्कालीन गवर्नर सर टोमस मनरो लिखता है कि समूचे प्रदेश में बालिकाओं की संख्या अत्यंत कम थी। इसके अलावा ५ से १० वर्ष के बालकों में भी उनकी कुल संख्या से केवल चौथे हिस्से के लड़कें ही विद्यालय में अध्ययन करते थे। किन्तु निजी तौर पर अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को गिनकर गवर्नर ने यह आकड़ा २५ प्रतिशत का नहीं बल्कि ३३ प्रतिशत बताया है।

## छात्रों का ज्ञाति आधारित विभाजन

कन्या और पुंमार ऐसे सभी छात्रों का जातिगत विभाजन अत्यंत रोचक है तथा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही उड़िया मलयालम तेलुगु कन्नड़ और तमिल इन पांचों भाषाकीय क्षेत्रों का वर्गीकरण प्राप्त होने से उसकी उपयुक्तता और महत्व बढ़ जाता है (देखिए सारिणी २)।

लोगों में एक ऐसी मान्यता व्यापक रूप में है कि प्राचीनकाल हो या अंग्रेजों का शासन भारत में शिक्षा तो केवल उच्च या मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ही सीमित रखी थी किन्तु यहाँ प्रस्तुत जानकारी से ज्ञात होता है कि यह मान्यता सर्वथा गलत और भ्रामक सिद्ध होती है। वह भी चेन्नई जैसे प्रांत में जहाँ कुल जनसंख्या के १५ प्रतिशत

## सारिणी १ विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी जानकारी

जिला	विद्यालय		महाविद्यालय		विशेष
	संख्या	छात्र	संख्या	छात्र	
उदियाभागी मन्दाय	२५५	२ ९७७			अपूर्ण जानकारी * अग्रहारा में निजी तौर पर अध्ययन
	९९४	९ ७१५			
रेगुलुभागी मिशाखासुद्धनम्	२९१	२ ६५८	२७९	१ ४५४	अपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। - * निजी तौर पर अध्ययन * विद्यालयीन छात्रों में सख्या समाविष्ट * निजी तौर पर अध्ययन
	४८४	५ ०८३	४९	१९९	
	५७४	७ ७२४	१७१*	९३९*	
	६९७	७ ६२१	१०७	*	
	४९४	६ ०००			
कल्या		३८,८०१			
कल्याण भागी केरलारी भीरंगसुद्धनम्	५१०	६ ६४१	२३	*	* विद्यालयीन छात्रसंख्या में समाविष्ट * निजी तौर पर अध्ययन करनेवाले छात्रों के सम्बन्ध में अलगसे जानकारी दी गई है।
	४१	६२७			
मलयनाम भागी मन्दाय	७५९	१४,१५३	१	७५*	

१८२३ में  
जमासंख्या  
(अनुमानकः)

३ ३२ ०१५  
(३ ७५ २८१)

७ ७२ ५७०  
(९ ४१ ००४)

७ ३८ ३०८  
५ २९ ८४९  
४ ५४ ७५४  
८ ३९ ६४७  
१० ९४ ४६०

९ २७ ८५७  
३१ ६१२

९ ०७ ५७५

जिला	विद्यालय		महाविद्यालय		१८२३ में जनसंख्या (अनुमानित)	विशेष
	संख्या	छात्र	संख्या	छात्र		
रामसिपाही उपर आर्सेट	६३०	७ ३२६	६९	४१८	८ ९२ २९२ (५ ७७ ०२०)	--
दक्षिण आर्सेट	८७५	१० ५२३	--	--	४ ५५ ०२० (४ २० ५३०)	--
बिलसोट	५०८	६ ८४५	५१	३१८	३ ६३ १२९	--
ठजपुर	८८४	१७ ५८२	१०९	७६९	९ ०१ ३५३ (३ ८२ ६६७)	--
त्रिविक्रमाजी मठुरा	७९० ८४४	१० ३३१ १३ ७८१	९	१३१	४ ८१ २९२ ७ ८८ १९६	महाविद्यालयीन छात्र सिद्धी तौर पर अध्ययन करते हैं।
तिसेरेंती कोईम्कूर	६०७ ७६३	९ ३७७ ८ २०६	--	--	५ ६४ ९५७ ६ ३८ १९९	--
सेरुम केलाई	३३३ ३२२	४ ३२६ ५ ६९९	५३	३२४	१० ७५ ९८५ ४ ६२ ०५१	महाविद्यालयीन छात्र सिद्धी तौर पर अध्ययन करते हैं।
योग	११ ५७५	१ ५७ ११५	१ ०९४	५ ४३१	१ २८ ५० ९४१	

कईसमें सिद्धी गई संख्या समाख्या के द्वारा सिद्धाधिकक जानकारी के साथ सेजी गई है।

लोग द्विज वर्ण के थे। दक्षिण आर्कोट जिले में द्विज वर्ण के छात्रों की संख्या १३ प्रतिशत थी जबकि चेन्नई जिले में २३ प्रतिशत थी। सैलम जिले में शूद्र और अन्य जातियों के छात्रों की संख्या ७० प्रतिशत जितनी थी। तिरुवेली जिले में वह संख्या ८४ प्रतिशत तक की थी। सारिणी २ की जानकारी को स्पष्ट करने के आशय से उस जानकारी को सारिणी ३ में प्रतिशत में दिया गया है।

सारिणी ३ से स्पष्ट होता है कि मलबार जिले में द्विज छात्रों की संख्या कुल संख्या के २० प्रतिशत से भी कम थी किन्तु यह जिला मुसलमानों के आधिक्य का होने से मुस्लिम छात्रों का अनुपात २७ प्रतिशत जितना ऊँचा था जबकि शूद्र और अन्य जाति के छात्रों का अनुपात ५४ प्रतिशत जितना था। कन्नड भाषी बेल्गारी जिले में ब्राह्मण और वैश्य छात्रों का कुल प्रतिशत ३५ जितना था जबकि यहाँ शूद्र और अन्य जातियों का अनुपात ६३ प्रतिशत था। वैसे भी ऐसी ही स्थिति उड्डिया भाषी गजाम जिले की थी। यहाँ भी द्विज छात्रों का अनुपात ३५ प्रतिशत जबकि शूद्र तथा अन्य जातियों का ६३ प्रतिशत था। तथापि तेलुगुभाषी जिलों में छात्रों का अनुपात कडप्पा जिले में २४ प्रतिशत से लेकर विशाखापट्टनम् में ४६ प्रतिशत के बीच था। वहीं वैश्य छात्रों का अनुपात विशाखापट्टनम् में १० प्रतिशत से लेकर कडप्पा में २९ प्रतिशत तक था और शूद्र तथा अन्य जाति के छात्रों का गुट्टर में ३५ प्रतिशत से लेकर विशाखापट्टनम् में ४१ प्रतिशत तक था।

### पाठशाला में माध्यम भाषा विषयक जानकारी

पाठशाला में शिक्षा के माध्यम के बारे में जानकारी केवल उपर्युक्त जिलों से ही प्राप्त हुई थी। अन्य जिलों ने यह जानकारी नहीं दी थी। इस प्रकार पूर्व दर्शाई गई सारिणीयों के आधार पर जान सकते हैं कि समूचे चेन्नई प्रान्त में केवल १० पाठशालाओं में ही अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती थी और १० में से ७ तो केवल उत्तर आर्कोट जिले में ही थीं। नेल्लोर उत्तर आर्कोट और मच्छलीपट्टनम् में क्रमशः ५०, ४० और १९ पारसी विद्यालय थे उत्तर आर्कोट में १ और कोडम्बटूर की पाँच पाठशालाओं में ग्रथम् की शिक्षा दी जाती थी तथा हिन्दवी (हिन्दुस्तानी) की भी शिक्षा दी जाती थी। बेल्गारी में २३ मराठी विद्यालय थे। उत्तर आर्कोट जिले में ३६५ तमिल और २०१ तेलुगु विद्यालय थे जबकि बेल्गारी में इतने ही तेलुगु और कन्नड विद्यालय थे। अन्य भाषाओं की स्थिति का परिचय सारिणी ४ से होता है।

## सारिणी २ कुम्हार छात्रों का ज्ञाति अनुसार वर्गीकरण

जिला	हिन्दू छात्र					मुस्लिम छात्र	कुल १००% छात्र
	ब्राह्मण	क्षत्रिय राजा	वैश्य	शूद्र	अन्य ज्ञातिमां		
<u>उडियाभाषी</u>							
मंजाम	८०८		२४३	१ ००१	८८६	२७	२ ९६५
<u>तेलुगुभाषी</u>							
विद्यासायनम्	४ ३४५	१०३	९८३	१ ९९९	१ ८८५	९७	९ ४१२
राजमहेन्द्री	९०४		६५३	४६६	५४६	५२	२ ६२१
मच्छीपट्टम्	१ ६७३	१८	१ १०८	१ ५०६	४७०	२७५	५ ०५०
गुडुर	३ ०८९	-	१ ५७८	१ ९२३	७७५	२५७	७ ६२२
मेस्सोर	२ ४६६		१ ६४१	२ ४०७	४३२	६१७	७ ५६३
कन्नप्पा	१ ४१६		१ ७१३	१ ७७५	६४७	३४१	५ ८९२
<u>कन्नडभाषी</u>							
बेल्लारी	१ १८५		९८१	२ ९९८	१ १७४	२४३	६ ५८१
श्रीरंगपट्टम्	४८		२३	२९८	१५८	८६	६१३
<u>मलयालमभाषी</u>							
मलबार	२ २३०		८४	३ ६९७	२ ७५६	३ १९६	१७ ९६३
<u>तमिलभाषी</u>							
उपर आर्कोट	६९८		६३०	४ ८५६	५३८	५५२	७ २७४
दक्षिण आर्कोट	९९७		३७०	७ ९३८	८६२	२५२	१० ४१९
चैंगलपट्टु	८५८		४२४	४ ८०९	४५२	१८६	६ ७२९
तंजावुर	२ ८१७	३६९	२२२	१० ६६१	२ ४२६	९३३	१७ ४२८
त्रिभिनापल्ली	१ १९८		२२९	७ ७४५	३२९	६९०	१० १९१
मदुरा	१ १८६		१ ११९	७ २४७	२ ९७७	१ १४७	१३ ६७६
तिन्नेकेली	२ ०१६			२ ८८९	३ ५५७	७९६	९ २५८
कोर्दम्बतूर	९१८		२८९	६ ३७९	२२६	३१२	८ १२४
सेलम	४५९		३२४	१ ६७१	१ ३८२	४३२	४ २६८
चेन्नई							
सामान्य विद्यालय	३५८		७८९	३ ५०६	३१३	१४३	५ १०९
धर्माध्याय विद्यालय	५२		४६	१७२	१३४	१०	४१४

## सारिणी ३ कुमार छात्रों का ज्ञाति अनुसार प्रतिशत

जिला	हिन्दू छात्र					मुस्लिम छात्र
	ब्राह्मण	क्षत्रिय राजा	वैश्य	शूद्र	अन्य ज्ञातिमां	
<u>सहियाभाषी</u>						
बजाम	२७ २५		८ २४	३३ ७६	२९ ८८	० ९९
<u>सेलुगुभाषी</u>						
विशाखापट्टनम्	४६ ९६	१ ०९	१० ४४	२१ २४	२० ०३	१ ०३
राजमहेन्द्री	३४ ४९	-	२४ ९१	१७ ७८	२० ८३	१ ९८
मछलीपट्टम	३३ १३	० ३६	२१ ९४	२९ ८२	९ ३०	५ ४४
गुडुर	४० ५३		२० ७०	२५ २३	१० १७	३ ३७
नेल्लोर	३२ ६१		२१ ७०	३१ ८३	५ ७१	८ ९६
कन्नम्पा	२४ ०३		२९ ०७	३० १३	१० ९८	५ ७९
<u>कन्नडभाषी</u>						
बेल्तारी	१८ ०१		१४ ९१	४५ ५६	१७ ८४	३ ६९
श्रीरिंगपट्टम्	७ ८३	-	३ ७५	४८ ६१	२५ ७७	१४ ०२
<u>मलयालमभाषी</u>						
मलबार	१८ ६४	-	० ७०	३० ९०	२३ ०४	२६ ७२
<u>तमिलभाषी</u>						
उत्तर आर्कोट	९ ६०		८ ६६	६६ ७६	७ ४०	७ ५९
दक्षिण आर्कोट	९ ५७	-	३ ५५	७६ १९	८ २७	२ ४२
संगलपट्टु	१२ ७५		६ ३३	७१ ४७	६ ७२	२ ७६
संजापुर	१६ १६	२ १२	१ २७	६१ १७	१३ ९२	५ ३२
त्रिचिनापल्ली	११ ७६	-	२ २५	७६ ००	३ २३	६ ७७
मदुरा	८ ६७	-	८ १८	५२ ९९	२१ ७७	८ ३९
तिन्शैल्ली	२१ ७८	०		३१ २१	३८ ४२	८ ६
कोईम्बतूर	११ ३०		३ ५६	७८ ५२	२ ७८	३ ८४
सेलम	१० ७५		७ ५९	३९ १५	३२ ३८	१० १२
चैन्नई						
<u>सामान्य विद्यालय</u>	१७ ०१	-	१५ ४४	६८ ६२	६ १३	२ ८०
<u>धर्मशास्त्र विद्यालय</u>	१२ ५६	-	११ ११	४१ ५५	३२ ३७	२ ४२

## सारिणी ४ विद्यालयमें शिक्षा का माध्यम

जिला	ग्रन्थम्	तमिस	तेलुगु	कन्नड	हिन्दी	मराठी	परिचिन	बेङ्गळी	कुल
राजमहेन्द्रो			२८५				५	१	२९१
मच्छलीपट्टम			४६५				१९		४८४
नेल्लोर		४	६४२				५०	१	६९३
उत्तर अर्कट	१	३६५	२०१		१६	२३	४०	७	६३०
	(८)	(५ ४०६)	(२ २१८)		(१३५)		(३९८)	(६१)	(७ ३२६)
बेन्गाली		४	२२६	२३५			२१	१	५१०
कोईम्बतूर	५	६७१	२५	३८	१४		१०		७६३

(कोष्ठ की संख्या निश्चित भेजी के छात्र दर्शाती है। यहां उल्लिखित सभी जिलों के लिये ऐसी संख्या उपलब्ध नहीं है।)

## विद्यालयमें प्रवेश के लिये छात्रकी योग्यता एवं विद्यालय का समय

जैसा पूर्व में बताया है विभिन्न जिलों के समाहर्ताओंने जो जानकारी भेजी है उसमें बहुत असमानता दिखाई देती है। कुछ समाहर्ता पांच वर्ष की आयु प्रवेशयोग्य दर्शाते हैं। राजमहेन्द्रो के समाहर्ता दर्शाते हैं कि छात्र पांच वर्ष पांच मास एव पांच दिन की आयु का होता है वह दिन विद्यालय प्रवेश के लिये शुभ माना जाता है। कन्नड्या के समाहर्ता दर्शाते हैं कि ब्राह्मण बालक ५ से ६ वर्ष की एव शूद्र बालक ६ से ८ वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करते हैं। नेल्लोर एव सेलम में छात्र क्रमशः ३ एव ६ वर्ष के लिये विद्यालय में रहते हैं। शेष जिलों में यह अवधि ५ से १५ वर्ष की है। सामान्य रूप से दो वर्ष के लिये तो सभी छात्र विद्यालय में रहते थे। इस प्रकार समाहर्ताओं ने विद्यालयों में शिक्षा का स्तर अथवा गुणवत्ता की ओर ध्यान नहीं दिया है। कुछेक समाहर्ताओं ने विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने की पद्धति को उपयोगी बताया है। इस सन्दर्भ में चैन्नई के समाहर्ता का अवलोकन ध्यान देने योग्य है। वह कहता है 'छात्र जब १३ वर्ष का होता है तब विभिन्न विषयों का उसका ज्ञान अद्भुत होता है।'<sup>११</sup>

वस्तुतः मलबार श्रीरंगपट्टनम्, घेंगलपट्टु तिम्रेवेली और कनारा जिलों के समाहर्ताओं ने सारिणी ५ में दी गई जानकारी अन्य समाहर्ताओं की तरह भेजी नहीं थी। जबकि अन्य समाहर्ताओं ने भेजी हुई जानकारी भी अछूरी लगती है। यह भी दिखाई देता है कि पाठ शास्त्राओं में शिक्षा का कार्य दीर्घकाल तक चलता था। साधारणतः सभी स्थानों पर प्रातः ६ बजे शिक्षा का कार्य शुरू होता था और सूर्यास्त तक और तत्परन्तः

सारिणी ५ विद्यालयमें प्रवेश के समय छात्रकी आयु,  
विद्यालयका समय शिक्षा प्राप्त करनेकी अवधि

जिला	प्रवेश के समय आयु	विद्यालय का समय	शिक्षा प्राप्त करने की अवधि
गजाम विशाखापट्टनम्	-	प्रात ५ से साय ५ प्रात ६ से ९ प्रातः १० ३० से २ अपराह्न ३ से ६	-
राजमहेन्द्री	५ वर्ष ५ मास ५ दिन	-	५ से ७ वर्ष
गुडुर	-	प्रातः ६ से ९ प्रात ११ से २ अपराह्न ४ से ७	
कुरुप्पा	ब्राह्मण ५ या ६ वर्ष शुद्र ६ से ८ वर्ष	प्रात ६ से १० अपराह्न ११ ३० से ६	२ वर्ष
नेल्लोर	५ वर्ष	-	३ से ६ वर्ष
बेल्लारी	५ वर्ष	-	५ से १५ वर्ष
उत्तर आर्कोट	६ वर्ष	-	६ वर्ष क्यादित अधिक
दक्षिण आर्कोट	-	प्रात ६ से १० अपराह्न १२ से २ ३ से ७	-
तजमुर	-	-	५ वर्ष
त्रिचिनापल्ली	७ वर्ष	-	८ वर्ष
मदुरा	५ वर्ष	-	७ से १० वर्ष
कोईम्बतूर	५ वर्ष	प्रातः ६ से १० अपराह्न २ से ८	८ से ९ वर्ष
सेलम	-	-	३ से ५ वर्ष
चैन्नई	५ वर्ष	-	८ वर्ष

(मलबार श्रीरंगपट्टम्, चेंगलपट्टु त्रिनेवेली एवं केनरा के समाह्वयार्जोने जानकारी नहीं भेजी है यह स्पष्ट दीखता है इस आलेख की नजानकारी भी अधूरी है।)



चलता था। इस बीच में भोजनादि के लिए एक या दो विराम रहते थे। इन पाठशालाओं की कार्यपद्धति शिक्षा पद्धति और वहाँ पढाये जानेवाले विषयों के बारे में सुंदर वर्णन पावलीनो द बाथोलोम्यु और एलेकझाऊर डॉक्टर ने अपनी पुस्तकों में दिया है।<sup>१७</sup>

### पाठशाला में पढाई जानेवाली पुस्तकों की सूची<sup>१८</sup>

- (१) सभी पाठशालाओं में पढाई जानेवाली पुस्तकें (१) रामायण (२) महाभारत (३) भागवत
  - (२) कारीगर वर्ग के छात्रों के लिए उपयोग में ली जानेवाली पुस्तकें (१) नागर्लिंगायन कथा (२) विश्वकर्मा पुराण (३) कमलेश्वर कालिकामहणा
  - (३) लिंगायत छात्रों के लिए उपयोग में ली जानेवाली पुस्तकें (१) भवपुराण (२) राघवन कक्या (३) गिरिजाकल्याण (४) अनुभव मूर्त (५) धिन्न बसवेश्वर पुराण (६) गुरीलगुप्तु
  - (४) वाघनसामग्री (१) पंचतत्र (२) वैतालपंचवशति (३) पक्लीसुयुक्त हस्तर (४) महातरंगिणी
  - (५) शब्दकोश और व्याकरण की पुस्तकें (१) निघट्ट (२) अमर (३) शब्दमुनिदर्पण (४) शब्दमजरी (५) व्याकरण (६) आन्ध्रदीपक (७) आन्ध्रनामसग्रह राजमुन्द्री जिले में उपयोग में ली जानेवाली पुस्तकों की सूची।<sup>१९</sup>
- (१) बाल रामायण (२) रुक्मिणि कल्याणम् (३) पारिजातहरणम् (४) मूल रामायण (५) रामायण (६) दशरथीशतकम् (७) कृष्णशतकम् (८) सुमतिशतकम् (९) जानकीशतकम् (१०) प्रसन्नराघवशतकम् (११) रामतारकशतकम् (१२) भास्करशतकम् (१३) भीष्मशतकम् (१४) भीमर्लिंगेश्वरशतकम् (१५) सूर्यनारायणशतकम् (१६) नारायणशतकम् (१७) पद्मादचरित्र (१९) वासुधरित्र (१९) मनुधरित्र (२०) षण्मुखचरित्र (२१) नलचरित्र (२२) वामनचरित्र (२३) गणितम् (२४) पावलूरी गणितम् (२५) भारतम् (२६) भागवतम् (२७) विजय वलुसम् (२८) कृष्णलीला वेलुसम् विजय वेलुसम् (२९) राधामाधव वलुसम् (३०) सप्तम स्कंधम् (३१) अष्टम् स्कंधम् (३२) राधामाधव सवादम् (३३) भानुपरिणयम् (३४) वीरभद्र विजयम् (३५) लीलासुदरी परिणयम् (३६) अमर (३७) सुस्नाधनस्वरम् (३८) उद्योगपर्वम् (३९) आदिपर्वम् (४०) गजेन्द्रमोक्षम् (४१) आन्ध्रनाम सग्रह (४२) कुचलोपन्याकम् (४३) रसिकञ्जनमनोहरणम्

## उच्च शिक्षा की सस्थाएँ

कुछ समाहर्ताओं ने अपने जिलों में उच्च शिक्षा की एक भी सस्था नहीं है ऐसा बताया है। जबकि अन्य समाहर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुल १०९४ उच्च शिक्षा की सस्थाएँ थीं और उनकी सख्या कॉलेज श्रेणी में बताई गई थी। राजामुन्द्री जिले में सर्वाधिक अर्थात् २७९ महाविद्यालय थे जिनमें १४५४ छात्र अध्ययन करते थे। मलबार में सामुद्रिन् राजा के द्वारा संचालित एक उच्च शिक्षा की सस्था थी जिसमें ७५ छात्र अध्ययन करते थे। अन्य जिलों में महाविद्यालय तथा उनके छात्रों का ब्यौरा सारिणी ६ में दिया गया है।

इस सारिणी में प्रस्तुत चित्र के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कई समाहर्ताओं ने जानकारीयों अपूर्ण ही दी थीं। जिन जिलों में उच्च शिक्षा की एक भी सस्था नहीं थी उन जिलों के समाहर्ताओं ने ऐसा बताया था कि उनके जलों में वेद गणित नीतिशास्त्र खगोलशास्त्र आदि विषयों की शिक्षा घरों में ही दी जाती थी। घर में शिक्षा देने की प्रथा को अग्रहारम् नाम से पहचाना जाता था। सारिणी ६ से यह प्रत्यक्ष होता है कि उच्च शिक्षा की सस्थाओं में अधिकांशतः ब्राह्मण छात्र ही थे। तथापि वैद्यक तथा खगोलशास्त्र जैसे विषयों में भिन्न भिन्न जाति के छात्र थे। मलबार जिले में खगोलशास्त्र के कुल ८०८ छात्रों में केवल ७८ छात्र और वैद्यक शास्त्र के कुल १९४ छात्रों में केवल ३१ छात्र ब्राह्मण थे। उसी प्रकार राजामुन्द्री जिले में शूद्र श्रेणी के पाँच छात्र भी महाविद्यालय में अध्ययन करते थे।<sup>५०</sup>

मलबार के सामुद्रिन् राजा के द्वारा चलाई जानेवाली सस्था के बारे में उस राजा ने दी हुई जानकारी<sup>५१</sup> के साथ गुदुर कळप्पा मच्छलीपट्टम्, मदुराई और चेन्नई के समाहर्ताओं ने भी उच्च शिक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। चेन्नई का समाहर्ता लिखता है 'ज्योतिष और खगोलशास्त्र जैसे विषय निर्धन ब्राह्मणों की सतानों को सिखाए जाते थे। माता पिता की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती थी'। उसी प्रकार मदुराई के समाहर्ता ने लिखा है कि जहाँ ब्राह्मण या अन्य किसी के घर पर रहकर छात्र वेद और पुराणों का अध्ययन करते थे वैसे अग्रहारम् गाँवों में इन छात्रों के पालन पोषण हेतु उपजाऊ ज़मीन दी जाती थी।<sup>५२</sup>

मच्छलीपट्टम् के समाहर्ता भी इसी प्रकार की बात करते हैं। अतः ब्राह्मणों के बेटों को अक्षरज्ञान प्राप्त करने के बाद वेद और शास्त्रों के अध्ययन हेतु उच्च शिक्षा की सख्याओं में भेजा जाता था। वेद तो सभी हिन्दू शास्त्रों की जननी माने गए हैं। ये सभी वेद और शास्त्र संस्कृत में हैं। ब्राह्मणों को सभी वेद शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है क्योंकि

## सारिणी ६ उच्च शिक्षा की संख्याएँ

जिला	महाविद्यालय की संख्या	छात्र संख्या	वेद	कानून	खगोल	आयुष्य	विरोध
उजमहेन्द्री	२७९	१४५४	१०३३ (१९८)२	३५८ (६०)२	४९ (१४)२	१४ (७)२	ब्राह्मण १४५ मुद्द ५
मच्छलीपट्टन	४९	१९९					सभी ब्राह्मण
नेमोर	१३७		(८३)२	(४५)२	(८)२	(१)२	जानकारी अल्पसे
धर्मपुर	५१	३९८					सभी ब्राह्मण
सक आकडे	६९	४९८	२९८ (४३)२	११७ (२४)२	३ (२)२		सभी ब्राह्मण
तजपुर	१०९	७६९					सभी ब्राह्मण अधिकतर वेदव्यती मंत्र
विदिनापट्टी	९	१३१					सभी ब्राह्मण
कोईम्बतूर	१७३	७२४	(९४)२	(६९)२	(१०)२		सभी ब्राह्मण
मसवार	१	७५					सभी ब्राह्मण
मुष्टुर	१७१	९३९					प्राप्त अध्ययन के लिये कहीं या नकदीय जानेवाले छात्र
सेलम	६३	३२४					

१ इन जिलों को छोड़कर अन्य जिलों के आकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

२ उच्च शिक्षा के स्थानों की संख्या

सभी अवसरों पर धार्मिक क्रियाएँ करवाने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों की होती है। साथ ही घर हो विद्यालय हो या महाविद्यालय सर्वत्र ही वेद शास्त्रों की शिक्षा ब्राह्मण ही देते हैं।<sup>५३</sup>

कठप्पा के समाहर्ता ने लिखा है १० से १६ वर्ष के ब्राह्मण छात्र को विद्याध्ययन की सुविधाएँ उसके गाँव में प्राप्त न हो सकने पर वह अपना गृह त्यागकर विद्याध्ययन का खर्च उठा सकनेवाले अन्य गाँव के ब्राह्मण के घर रहकर विद्याध्ययन करता था। हमारे राजस्व विभाग को यह जाघ करनी चाहिए कि इस प्रकार अपरिचित दूर दर्राज के क्षेत्रों में जाकर छात्र अध्ययन करते थे और वर्षों तक अपने घर लौट नहीं पाते थे। इन छात्रों का पालन गाँव के लोग ही करते थे। इस प्रकार जहाँ एक ओर निर्धनता छात्रों के विद्याप्राप्ति के मार्ग में रुकावट बनती है वहाँ दूसरी ओर ज्ञान प्रसार की परोपकारी परंपरा भी जीवित रहती है। इसलिए हम इन छात्रों के आभारी हैं। यह

परपरा सुस्थिति में बनी रहे इस हेतु सरकार को उदारता से सोचना चाहिए।<sup>४४</sup>

इसी प्रकार गुट्टर का समाहर्ता कहता है धर्मशास्त्र विधिशास्त्र और खगोलशास्त्र जैसे विषयों की शिक्षा इन शास्त्रों के विद्वान ब्राह्मण बिना शुल्क लिए ही देते हैं। ऐसे ब्राह्मणों का जीवननिर्वाह उनके पूर्वजों को ज़मीनदारों ने दान में दी उपजाऊ जमीन से होनेवाली आय से होता है। इन ब्राह्मणों के जीवनयापन के लिए सरकार को उन्हें कभी भी आर्थिक या भूमि के स्वरूप में सहायता की हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जिन छात्रों को अपने गाँवों में इन शास्त्रों के अध्ययन की सुविधा प्राप्त नहीं होती है उन्हें अन्य गाँवों में जाना पड़ता है। और फिर वह अगर अपना आर्थिक बोझ उठा सकता है तो वह वैसा करता है परन्तु यदि उसके माता पिता गरीब हैं तो छात्र जिस परिवार में रहकर अध्ययन करता है वह परिवार उसकी चिन्ता करता है। इन शास्त्रों के प्रगत अध्ययन के लिए इन क्षेत्रों से छात्र काशी या नवद्वीप<sup>४५</sup> उन शास्त्रों के ज्ञाता के पास जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं।<sup>४६</sup>

**उच्च शिक्षा में अध्ययन हेतु उपयोग में लाई जानेवाली पुस्तकें**

उच्च शिक्षा की सस्थाओं में सामान्य रूप से वेद शास्त्र पुराण गणित ज्योतिष महाकाव्य जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। राजमुन्द्री जिले को छोड़ अन्य एक भी जिले ने उच्च शिक्षासस्थाओं में पढाई जानेवाली पुस्तकों की सूची नहीं दी है। राजमुन्द्री के समाहर्ता ने कुछ पुस्तकों की सूची भेजी है जो यहाँ प्रस्तुत है।

वेद आदि (१) ऋग्वेद (२) यजुर्वेद (३) सामवेद (४) श्रुतम् (५) द्रविडवेदम् या नुनलायनम्।

शास्त्र (१) सस्कृत व्याकरण - सिद्धात कौमुदी (२) तर्कशास्त्र (३) ज्योतिषम् (४) धर्मशास्त्र (५) काव्यम्

महाकाव्य (१) रघुवशम् (२) कुमारसभवम् (३) मेघसदेशम् (४) भारवि (५) माघ (६) नैषध (७) अदशास्त्रम्

इसके अतिरिक्त राजमुन्द्री में कुछ परिषियन पाठशालाएँ<sup>४७</sup> भी थीं। उन में ये पुस्तकें पढाई जाती थीं : (१) करीम आमदुश्रामा (२) हकरूम (३) इन्सा खलीफा और गुलस्ता (४) बहुरदनीश और बोस्तान (५) अबुल फझल इन्सा (६) खलीफा (७) कुत्नान

**घर पर निजी तौर पर दी जानेवाली शिक्षा**

कुछेक समाहर्ताओं ने विशेष रूप से कन्नड़ जिले के समाहर्ता ने इन सर्वेक्षणों के लिए किसी भी प्रकार की आकड़ों से संबंधित जानकारी नहीं भेजी थी और बताया

था कि कई कुम्हार और कन्या छात्र घर में रहकर माता पिता के पास या रिश्तेदारों के द्वारा वेतन देकर रखे गए शिक्षक के पास या तो 'अग्रहारम्' में रहकर अध्ययन करते थे। केवल मलबार जिले के तथा चेन्नई के समाहर्ताओं ने ही इस विषय पर आकड़ों में जानकारी भेजी थी जो सारिणी ७ क और ७ ख में प्रस्तुत की गई है।

वैसे तो प्रत्येक जिले में निजी तौर पर शिक्षा प्राप्त करने की परंपरा प्रचलित थी ही। किन्तु मलबार जिले में तो वहाँ के विशेष सामाजिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के कारण यह प्रथा बड़े पैमाने पर व्याप्त थी। सन् १८२३ में वहाँ के एकमात्र कॉलेज में अध्ययन करनेवाले छात्रों की संख्या की तुलना में २१ प्रतिशत अधिक छात्र तो घरेलू तौर पर ही अध्ययन करते थे। मलबार जिले में १९४ छात्र आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का अध्ययन करते थे। प्रान्त के प्रत्येक जिले में लगभग सभी गाँवों में आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और उनमें से कई तो सरकारी वेतनप्राप्त चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएँ देते थे। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक जिले में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की शिक्षा दी जाती थी।

सर्वेक्षण में जिलों से अधूरी जानकारी मिलने से निजी तौर पर विभिन्न विषयों की शिक्षा ग्रहण करनेवाले छात्रों की पूरी संख्या प्राप्त करना कठिन था। तथापि एक बात स्पष्ट रूप से प्रकट होती है कि किसी भी संस्था में अध्ययन करनेवाले छात्रों की अपेक्षा निजी तौर पर शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों की संख्या बहुत अधिक थी।

संस्थामें रहकर अध्ययन करनेवाले छात्रों की संख्या एव धर पर रहकर अध्ययन करनेवाले छात्रों की संख्या के सम्बन्ध में चेन्नई जिले ने भेजी हुई जानकारी भी विशेष रूप से रोचक लगती है।

घर पर रहकर विद्याध्ययन करनेवाले छात्रों की संख्या के बारे में चेन्नई जिले की जानकारी किस प्रकार रोचक है यह देखें। यहाँ पर पाठशाला में रहकर अध्ययन करनेवाले छात्रों की अपेक्षा घर पर अध्ययन करनेवाले छात्रों की संख्या ४७३ प्रतिशत अधिक थी। उनमें आधी संख्या ब्राह्मण और वैश्य छात्रों की थी। शूद्र छात्रों की संख्या २८७ प्रतिशत थी जो विशेष ध्यानाकर्षक थी। चेन्नई नगर के जिस क्षेत्र में भारतीय रहते थे वह क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा और गदा था। मदुराई तंजापुर त्रिचिनापल्ली पॉण्डिचेरी आदि स्थानों पर रहनेवाले लोगों की तुलना में चेन्नई के लोगों की सामाजिक स्थिति भी निम्न थी। कदाचित् इसी कारण से इन चार जिलों में अपनी व्यवस्था से अध्ययन करनेवाले छात्रों की संख्या चेन्नई के छात्रों की संख्या से बहुत अधिक थी। इस संदर्भ में टोमस मनरो के निरीक्षण कि चेन्नई नगर में घर पर रह कर

सारणी ७ क मलवार जिले में निजी तौर पर शिक्षक से उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रोंकी जानकारी १८२३

विषय	शासन	वैश्य	सूद	अन्य जातियां	योग	मुस्लिम	महायोग
	कुमार	कुमार	कुमार	कुमार	कुमार	कुमार	कुमार
	कन्या	कन्या	कन्या	कन्या	कन्या	कन्या	कन्या
धर्मशास्त्र	४७१	३	४०४		४७१	३	४७४
एच मिथि							
कर्मशास्त्र	७८	५	२३	४९६	७६८	३८	७७०
अध्यात्मविज्ञान	३४	३४		३१	६५	६५	६५
नीतिशास्त्र	२२	२२		३१	५३	५३	५३
आयुर्विज्ञान	३१	३१	५९	१००	१९०	४	१९४
योग	६३६	३	६३९	६५८	१५४७	४१	१५४८

कुल जनसंख्या

कुल ४५८३६४ स्त्री ४४९२०७

सारणी ७ ख : सैन्य जिले में घरमें ही शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रोंकी जानकारी फरवरी १८२५

शासन	वैश्य	सूद	अन्य जातियां	योग	मुस्लिम
कुमार	कुमार	कुमार	कुमार	कुमार	कुमार
कन्या	कन्या	कन्या	कन्या	कन्या	कन्या
७५८६	९३२	६३	६९९५	२४७५६	१६९०
७६८४	६३२	६३	६९९५	२४७५६	१६९०

शिष्ट/मुस्लिम योग

कुमार

कन्या

कुल जनसंख्या । कुल २२८६३० स्त्री २३३४१५

अध्ययन करनेवाले छात्रों की संख्या २६ ९०३ बताई गई है। उसमें कहीं दोष नज़र आता है। यह निरीक्षण वैसे तो बेबुनियाद दिखाई देता है क्योंकि अगर इन आंकड़ों में सचमुच कहीं दोष होता तो छात्रों की गिनती पुनः हो सकती थी और वह कर्म्य मुश्किल नहीं था। मनरो ने यह निरीक्षण किया उसके एक वर्ष पूर्व इस सर्वेक्षण के आँकड़े राज्यपाल को भेज दिए गए थे किन्तु चेन्नई की समूची कार्यकारिणी की सलाह उनके अपने अधीन है यह दिखाने के लिए ही मनरो ने ऐसा अभिमत दिया हो यह संभव है। फिर भी इस्लैण्ड में रहकर भारत के बारे में नीति विषयक निर्णय लेनेवाले अंग्रेज अधिकारियों को ऐसे ही निर्णयों की सदा प्रतीक्षा रहती थी।<sup>११</sup> मनरो ने इसके साथ यह भी लिखा है कि 'यहाँ भारत में शिक्षा का स्तर हमारे देश के स्तर जितना ही नीचा है। किन्तु यूरोप के अधिकांश देशों की अपेक्षा भारत में प्रवर्तमान शिक्षा का स्तर ऊँचा है। यहाँ प्रवर्तमान' का तात्पर्य १९वीं शताब्दी के आरम्भ का समय है। उस समय ब्रिटिश द्वीपों में सभी के लिए दिवसीय विद्यालय खुल गए थे।

### कन्याशिक्षा

सारिणी ९ में बताया है उस प्रकार पाठशालाओं में कन्या छात्राएँ बहुत कम रहती थीं। मलबार और विशाखापट्टनम् जिले का जयपुर प्रदेश इन दो क्षेत्रों को छोड़कर कहीं भी पाठशालाओं में ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय जाति की कन्याएँ नहीं जाती थीं मछलीपट्टनम्, मदुरा तिनेवेली और कोईम्बतूर के समाहर्ताओं के अनुसार उनमें अधिकांश नर्तिकाएँ थीं अथवा मंदिरों में नृत्य करनेवाली देवदासी थीं। परन्तु मुस्लिम कन्याएँ पाठशाला में जाती थीं। त्रिचिनापल्ली में ५६ और सेलम में २७ मुस्लिम छात्राएँ थीं। हिन्दुओं में केवल शूद्र और अन्य जातियों की कन्याएँ ही थीं और वह भी अत्यंत कम संख्या में। सारिणी ८ में मलबार और विशाखापट्टनम् के जयपुर प्रदेश की छात्राओं की जानकारी प्रस्तुत की गई है जब कि सारिणी ९ में सभी जिलों में छात्राओं की जातिशः संख्या दर्शाई गई है।<sup>११</sup>

सारिणी ८ से पता चलता है कि विशाखापट्टनम् के जयपुर प्रदेश में कुमार छात्रों की अपेक्षा सर्वाधिक छात्राओं की संख्या २९ ७ प्रतिशत थी। उनमें भी ब्राह्मण कुमारों की तुलना में ब्राह्मण कन्याओं का अनुपात ३७ प्रतिशत था। उसी प्रकार मलबार में मुस्लिम छात्रों की अपेक्षा मुस्लिम छात्राओं का अनुपात आश्चर्यजनक रूप से ३५ १ प्रतिशत जितना ऊँचा था।<sup>१२</sup> वैश्य शूद्र और अन्य जातियों में कुमार छात्रों की तुलना में कन्या छात्राओं का अनुपात क्रमशः १५ ५ प्रतिशत १९ १ प्रतिशत और १२ ४ प्रतिशत जितना विशेष था। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मलबार जिले में

और पूर्वोक्त तट पर उड़ीसा से दक्षिण में स्थित पहाड़ी जिले विशाखापट्टनम् में दो अर्थात् एक दूसरे से अतिदूर स्थित जिलों में इस प्रकार की सामाजिक समानता वास्तव में आश्चर्यजनक है।

## ५

चेन्नई प्रान्त में किए गए इन शैक्षणिक सर्वेक्षणों का इंग्लैण्ड की सरकार ने स्वागत किया। इंग्लैण्ड की सरकार ने चेन्नई सरकार को लिखे एक पत्र में बताया कि सर्वेक्षण करने के विचार के कारण हम सर टॉमस मनरो के अत्यंत आभारी हैं। किन्तु सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी का अध्ययन देखकर अंग्रेज सरकार ने अपना अभिमत पलट दिया और चेन्नई सरकार की इस कार्यवाही का मजाक उड़ाया। दिनांक १६ अप्रैल १८२८ के दिन इंग्लैण्ड से चेन्नई प्रान्त को लिखे गए एक पत्र में बताया गया कि 'यहाँ भेजी गई जानकारी ज्यादातर अघूरी है और जो भी जानकारी यहाँ मिली है उससे यह प्रतीत होता है कि वहाँ भारत की वर्तमान शिक्षा पद्धति से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

## बंगाल और विहार की तत्कालीन शिक्षापद्धति का एडम का ब्यौरा

चेन्नई प्रान्त में किए गए शैक्षणिक सर्वेक्षणों के १३ वर्ष बाद बंगाल प्रांत में भी तत्कालीन भारतीय शिक्षा पद्धति पर आंशिक रूप में सरकारी सर्वेक्षण किया गया था। इन सर्वेक्षणों के परिणाम 'एडम का ब्यौरा' (Adams Reports) के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस विवरण को 'रिपोर्ट्स ऑन द स्टेट ऑफ एज्युकेशन इन बंगाल-१८३६ एण्ड १८३८ (Reports on the state of Education in Bengal-1836 and 1838) शीर्षक दिया गया था।<sup>१३</sup> एडम के ब्यौरे में तीन अलग अलग विवरण हैं। प्रथम विवरण में बंगाल की तत्कालीन शिक्षापद्धति पर हुए सर्वेक्षणों के दिनांक १ जुलाई १९३६ को प्रकाशित किए गए परिणाम हैं (पृ १ से १२६)। दूसरे भाग में (पृ १२७ से २०८ और ५२८ से ५७८) राजाशाही जिले के नतोर प्रदेश की तत्कालीन स्थिति पर कबल्यू एडम द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के दिनांक २३-१२-१८५३ को प्रकाशित परिणाम हैं। जब कि तीसरे भाग में (पृ २०९ से ४६७) मुर्शिदाबाद जिले के कुछ हिस्से का तथा बीरभूम मर्दान दक्षिण बिहार और तिरहुत जिलों में किए गए सर्वेक्षण के परिणाम तथा उस पर एडम की टिप्पणियों के दिनांक २६-४-१८३८ को प्रकाशित अंश का समावेश होता है।



## सारणी ८

क्षेत्र	ब्राह्मण	वैश्य	शूद्र	अन्य जातियाँ	मुस्लिम	योग
<u>भरतार</u>						
(१) कन्या	५	१३	७०७	३४३	१ १२२	२ १९०
(२) कुमार	२ २३०	८४	३ ६९७	२ ७५६	३ १९६	११ ९३६
(३) कुमार के अनुपस्थानमें कन्याओंके प्रतिरत		१५.५%	१९.१%	१२.४%	३५.१%	१८.३%
<u>जबपुर (विद्यावापुत्रगन्ध)</u>						
(१) कन्या	१४	३८	७१	६४		२२९
(२) कुमार	२५४		२६६	२१३		७७१
(३) कुमार के अनुपस्थानमें कन्याओंके प्रतिरत	३७%		२६.७%	३०%		२९.७०%



सारिणी १ (निरन्तर) कन्या छात्राओं का प्रति अनुसार विभाजन

शिक्षा	शास्त्रण	वैश्य	शूद्र	अन्य	मुस्लिम	योग	स्त्री जनसंख्या	अन्य जानकारी
२ निजी शिक्षा (उच्च)	३	५	१९	१४	-	४१	-	
क धर्म एवं न्यायशास्त्र	३					३		
एच खगोलशास्त्र	-	५	१९	१४	-	३८	-	
<u>तमिलभाषी</u>								
उपर आर्कोट	१	-	३२	८	११	५२	२ ७८ ४८१	
दक्षिण आर्कोट	-		१४	१०	-	१०४	२ ०२ ५५६	
चैम्पसपट्ट	३	-	७९	३४	-	१७६	१ ७२ ८८६	
तन्जापुर	-		१२५	२९		१५४	१ ८७ १४५	
त्रिचिनापल्ली	-		६६	१८	५६	१४०	२ ३३ ७२३	अधिकांश मृत्यागनायें
मदुरा			६५	४०		१०५	३ ८६ ६८२	
तिनेकेरी	-		-	११७	२	११९	२ ८१ २३८	
कोईम्बतूर			८२	२८	-	८२	३ २१ २६८	अधिकांश मृत्यागनायें
सेलम	-		३	२८	२७	५८	५ ३३ ४८५	
चेन्नई	-		-	-	-	-	-	
(१) सामान्य शिक्षाशास्त्र	१	९	११३	४	-	१२७	७ ३३ ४१५	
(२) धर्मशास्त्र शिक्षाशास्त्र		२	-	४७	-	४९		
(३) धर्म शिक्षा	१८	६३	२२०	१३६	-	५१७		

## एडम की शब्दावली और प्रस्तुति

एडम के विवरण ने पर्याप्त विवाद निर्माण किया था। उसने एक ऐसा अभिमत व्यक्त किया था कि सन् १८३० के बाद के वर्षों में बिहार और बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में १ लाख जितनी शालाएँ अभी भी किसी न किसी स्वरूप में अस्तित्व में थीं। उसके अभिमत से बहुत हलचल पैदा हो गई थी। क्योंकि उस कथन का एक अर्थ यह भी होता था कि यहाँ की शिक्षा सस्थाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी थी। उस विवरण में एडम की भाषा भी विशेष रूप से एक उपदेशक जैसी होने से उसका पठन और अध्ययन लगभग ऊबारू हो गया था। साथ ही एडम को भारत के शिक्षकों के प्रति या भारतीय शिक्षा परंपरा के प्रति जरा भी आदर या सम्मान का भाव नहीं था। साथ ही एडम का स्पष्ट मत यह भी था कि अंग्रेज सरकार को भारत में शिक्षा क्षेत्र में रुचि लेकर उसे आर्थिक सहायता भी करनी चाहिए। शब्दों का भ्रम खड़ा करके इस मुद्दे को अंग्रेज सरकार के समक्ष अधिक प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने का एडम का प्रयास रहा है यही उस विवरण से ज्ञात होता है। इसलिए ही भारत में शिक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी यहाँ के शिक्षक भी सर्वथा अकुशल हैं 'यहाँ पुस्तकें मकान जैसी भौतिक सुविधाओं की कमी है' जैसे मसले वह अपने वृत्त में बड़े दबाव में आकर व्यक्त करता है जिससे अंग्रेज सरकार से अनुकूल प्रतिभाव प्राप्त किया जा सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एडम महाशय सर्व प्रथम १८१२ में एक ईसाई मिशनरी के तौर पर भारत में आए थे। कुछ वर्षों के बाद मिशनरी कार्य त्यागकर उन्होंने पत्रकारिता का व्यवसाय अपनाया। परन्तु उस समय के अंग्रेज अधिकारी की तरह वह भारत में दोनों प्रवाहों का साक्षी था। एक प्रवाह भारत में ईसाईकरण की आवश्यकता पर दबाव डालनेवाले लोगों का था जिसमें विशेषरूप से विलियम विल्बरफोर्स जैसे लोग थे। दूसरा प्रवाह भारत के पारम्परिकीकरण पर दबाव डालनेवाले लोगों का था जिसमें मेकोले तथा बेन्टिक जैसे अधिकारी मुख्य थे। इन दोनों विचारधाराओं का सन् १८१३ के चार्टर एक्ट में समावेश कर लिया गया था। साथ ही एडम की रिपोर्ट्स संपूर्ण रूप में सरकारी न होने पर भी भारत के गवर्नर जनरल ने उसका स्वीकार किया था। इसके अलावा इन सर्वेक्षणों के लिए किया गया खर्च भी अदा किया गया था। इसलिए एडम ने अपने विवरण में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था जिसमें कोई ऐसा स्वर न निकले कि भारत में शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त गड़बड़ी के लिए कहीं पर भी अंग्रेज अधिकारियों पर आरोप आ जाए। घेन्नई प्रान्त के सर्वेक्षणों में भी कई समाहर्ताओं ने ऐसे ही करिश्मे आजमाए थे।

सामाजिक स्थिति के बारे में वैविध्यपूर्ण उपयोगी जानकारी

एडम के विस्तृत विवरण से एक बात सिद्ध होती है कि ऐसी विस्तृत और वैविध्यपूर्ण जानकारी से युक्त विवरण तैयार करने में एडम ने अच्छा खासा परिश्रम किया

था। इस हेतु सन् १८०० के बाद प्राप्य सभी स्रोतों का उसने उपयोग किया था। उसने स्वयं भी परिश्रम करके बहुत सी जानकारी इकट्ठी की थी। इससे बंगाल और बिहार में एक लाख पाठशालाएँ थीं ऐसे उसके निरीक्षण को अलग ही रखकर देखें तो भी उसने इन सर्वेक्षणों के द्वारा तत्कालीन सामाजिक और शैक्षणिक परिस्थिति के बारे में जो वैविध्यपूर्ण जानकारी प्रकाशित की है वह सधमुच महत्वपूर्ण है। एडम के विवरण के कुछ अंश अध्याय ६ में प्रस्तुत किए गए हैं। अतः उन्हें देख लेने से बंगाल बिहार की तत्कालीन सामाजिक शैक्षणिक परिस्थिति के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। एडम के तीनों ब्यूरो की सक्षिप्त जानकारी यहाँ प्रस्तुत है।

### एडम का प्रथम विवरण

एडम के प्रथम अहवाल में सन् १८०० के पश्चात् के प्राप्य स्रोतों से उसने प्राप्त की हुई जानकारी दी गई है उससे निष्पन्न तथ्य व सार इस प्रकार है : (१) इस प्रान्त में प्रत्येक गाँव में संभवत एक पाठशाला थी। प्रवर्तमान परिस्थिति में इस प्रान्त में १ ५० ७४८ गाव हैं अतः कम से कम लगभग एक लाख गाँवों में विद्यालय थे।<sup>१५</sup> (२) प्राप्त स्रोतों के कारण एडम मानता है कि बंगाल के प्रत्येक जिले में १०० जितनी उच्च शिक्षा की सस्थाएँ थीं। इस प्रकार बंगाल के १८ जिलों में १८०० जितनी उच्च शिक्षा की सस्थाएँ थीं। प्रत्येक सस्था में कम से कम छ छात्रों का अनुमान किया जाए तो उसमें उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों की संख्या १० ८०० के आसपास हो सकती है। वह और भी कहता है 'प्राथमिक शाला की पढाई सामान्य तौर से गाँव के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर में या उसके घर के आसपास किसी स्थान पर की जाती थी। जबकि उच्च शिक्षा की सस्थाओं के लिए कभी कभी तीन से पाँच जितने तो कभी ९ से ११ कक्षों वाले मिट्टी के बने आवासों में शिक्षाकार्य होता था। उसमें एक अध्ययन के लिए खण्ड रहता था। इन भयनों में छात्रों के रहने की व्यवस्था थी। वहाँ रहनेवाले छात्रों के भोजन निवास एवं वस्त्र की सुविधाएँ भी उन शिक्षकों तथा गाँव के लोगों के द्वारा होती थी। एडम इन दोनों प्रकार की शैक्षणिक सस्थाओं की शिक्षापद्धति तथा उसके दैनन्दिन कार्यक्रमों की चर्चा करता है। सारिणी १० में इसी प्रकार की जानकारी देखी जा सकती है।

### एडम का द्वितीय विवरण

एडम के दूसरे विवरण में राजशाही जिले के नेतोर क्षेत्र में उसने जो सर्वेक्षण किया उसीकी जानकारी प्रस्तुत की है। बहुत ही आधुनिक प्रकार की इस परियोजना

में एडम ने सर्वेक्षण की कुछ पद्धति विकसित करके इस क्षेत्र के सभी ४८५ गाँवों की जानकारी का विश्लेषण किया है। इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या १ २० ९२८ थी और कुल परिवारों की संख्या ३० ०२८ थी जिसमें हिन्दू मुसलमान का अनुपात १:२ का था। प्राथमिक विद्यालय २७ और माध्यमिक विद्यालय जो सभी हिन्दुओं के ही थे ३८ थे। जबकि १५८८ परिवारों के बच्चे घर पर रह कर ही शिक्षा ग्रहण करते थे। इनमें ८० प्रतिशत बच्चे हिन्दू थे। प्राथमिक विद्यालयों में २६२ छात्र थे जिनमें से १३६ स्थानीय तथा २६१ दूर के छात्र थे। शिक्षा की आयु ८ से १४ वर्ष थी। उच्च शिक्षा के विद्यालयों में ३९७ छात्र थे। दूर के छात्रों को भोजन व निवास निशुल्क रहता था। इन विद्यालयों की औसत शिक्षा अवधि १६ वर्ष थी। ये छात्र ११ से २७ वर्ष की आयु के थे। प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या बहुत कम होने पर भी इस क्षेत्र में १२३ वैद्य २०५ ग्रामवैद्य और घेघक के टीके लगाने वाले ब्राह्मण थे।<sup>११</sup> २९७ स्त्री परिवारिकाएँ तथा ७२२ जितने सर्प तज्ञ भी थे।

### एडम का तृतीय विवरण

एडम के तीसरे विवरण में बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के कुछ हिस्सों का क्षेत्र (कुल ३७ में से २० खण्डों का क्षेत्र कुल ९ ६९ ४४७ की जनसंख्या में से १ २४ २०४ की जनसंख्या) तथा वीरभूम बर्दवान और बिहार के तिरहुट और दक्षिणी बिहार जिस में सभी जिलों के सर्वेक्षण की जानकारी दी गई है। इन पाचो जिलों में प्रत्येक जिले के एक खण्ड में एडम ने स्वयं सर्वेक्षण किया था जबकि और अन्य खण्डों में उसके द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारियों के द्वारा कार्य संपन्न हुआ था। एडम प्रत्येक गाँव की भेंट करना चाहता था किन्तु उसके ध्यान में आया कि गाँव में कोई अग्रज आ रहा है' ऐसी बात सुनते ही आतंक छा जाता था इस भय या आतंक को दूर करना आसान नहीं था। अतः उसने प्रत्येक गाँव में जाने का इरादा त्याग दिया। इस कारण से उसका समय भी बच गया।

### भाषा आधारित विभाजन

जिन पाच जिलों में सर्वेक्षण किया गया था उससे यह ज्ञात होता है कि शैक्षणिक संस्थाओं की कुल संख्या २ ५६६ थी जिसका भाषा आधारित विभाजन इस प्रकार है- बंगाली १०९८ हिन्दी ३७५ संस्कृत ३५३ फारसी ६९४ अरबी ३१ अंग्रेजी ८ कन्या ६ और शिशु १। मिदनापुर जिले के विद्यालयों की भी संख्या दी गई है - ५४८ बंगाली १८२ उड़िया ४८ फारसी १ अंग्रेजी।

## विद्यालय शिक्षा के चार स्तर

प्राथमिक शिक्षा को एडम निम्नानुसार चार श्रेणियों में विभाजित करता है

(१) प्रथम १० दिन छात्र जमीन पर सलाई या बास की पट्टी से अच्छा स्त पट्टी पर अक्षर लिखना सीखता था।

(२) द्वितीय : ढाई से चार वर्ष : इस अवधि में छात्र को तारुपत्र पर अक्षरज्ञान दिया जाता था। उसमें लिखाई पढ़ाई १०० तक का अकज्ञान तथा जमीन नापने की सारिणियों की शिक्षा दी जाती थी।

(३) तृतीय श्रेणी २ से ३ वर्ष इस अवधि में छात्र को केले के पत्तों पर लिखना सिखाया जाता था। गणित की शिक्षा भी दी जाती थी।

(४) चतुर्थ श्रेणी दो वर्ष : इन वर्षों में छात्रों को कागज पर शिक्षा दी जाती थी। छात्रों को अपने घर रामायण मानस मंगल जैसे ग्रन्थों का अध्ययन करने के लिए कहा जाता था। साथ ही उन्हें हिसाब पत्र लेखन आवेदन लेखन आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। इस की जानकारी सारिणी १२ में प्रस्तुत है।

## सभी क्षेत्रों के लिए प्राथमिक शिक्षा

एडम के सर्वेक्षण की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सर्वेक्षण जिन क्षेत्रों में हुआ वहाँ सभी स्थानों पर समाज के सभी क्षेत्रों से छात्र और शिक्षक आते थे। अधिकांश शिक्षक तो ब्राह्मण कन्यसुत सदगोप आदि जाति से थे फिर भी अन्य ३० जातियों के भी शिक्षक थे जैसे कि चाण्डाल जाति के ६ शिक्षक थे। छात्रों के सन्दर्भ में तो इससे भी अधिक जातियों का वैविध्य देखने को मिलता है। ऐसा ही कहा जा सकता है कि समाज की प्रत्येक जाति के छात्र आते थे। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय आदि छात्रों की संख्या ४० प्रतिशत से अधिक नहीं थी। बिहार के दो जिलों में यह मात्रा केवल १६ प्रतिशत ही है। इसकी अपेक्षा आश्चर्यजनक संख्या अन्य जाति के छात्रों की थी। जैसे कि बर्दवान जिले में डोम जाति के ६१ और चाण्डाल जाति के ६१ छात्र थे। इस जिले की मिशनरी पाठशालाओं में डोम और चाण्डाल जाति के कुल मिलाकर केवल चार ही छात्र अध्ययन करते थे। एडम के शब्दों में निम्न जातियों के 'केवल ८६ छात्र ही मिशनरी पाठशालाओं में अध्ययन करते थे इसकी अपेक्षा इस जाति के ही ६७४ छात्र भारत की परंपरागत शिक्षा देनेवाली पाठशालाओं में शिक्षा प्राप्त करते थे'।

## सारणी-१० एडम के निरीक्षण सहित अन्य स्रोतों के अनुसार सन् १८०० के बाद उद्य शिक्षा की संख्याएँ

शिक्षा या स्कूल	अनुमानित जन संख्या	विद्यु मुस्लिम अनुपात	
शिनजपुर	३००००० (१८०८)	३ से ७	मुसल १६ एरम् : कुछ जिले के साथ जुड़ने से कुछ करते हैं।
पूर्विया	१४५००० (१८०१) २१०४३८० (१८१०)	५७ से ४७	मुसल ११९
कलकत्ता	२००००० (समया) (१८२२)	-	बोर्ड : (१८१८) : २८ छात्र : १७३
नदिया	७६४३४० (१८०२)	११ से ५	बोर्ड : (१८१८) ३१ छात्र : ७४७ स्कूलों का नून एम एम. विससन (१८२०) : २५ छात्र ५०० ६०० अधिकारी १८१६ छात्र ३८०
(१) कुनारकट (२) पाटपारा			बोर्ड : ७ ८ बोर्ड : ७ ८
२४ परबना (१) जयनगर (२) मुन्सीपुर (३) आन्दुली	१६२५००० (१८०१)		हेमिल्टन (१८०१) : १९० बोर्ड : १७ १८ बोर्ड : १७ १८ बोर्ड : १० १२
फिस्नपुर	१५००००० (१८०१)	६ से १	हेमिल्टन : एक भी नहीं / एरम् : ४०
षटक (पुरी)	१२१६३६५	१० से १	स्टर्लिंग : मठ का मुख्य मुसल
हुस्ली	१२१६३६५	३ से १	बोर्ड : (१८१८) हेमिल्टन : (१८०१) : १५०
(१) वंशरिया (२) त्रिवेणी (३) लखनपुर			स्कूलों का न्याय : १०



शिला या स्तन	अनुमानित जन संख्या	हिन्दु मुस्लिम अनुपात	
(५) 'मुन्नेबर' (५) कैती			म्यास : १० म्यास : २३
बर्दवान	१४ ४४ ४८७ (१८१३ १४)	५ से १	हेमिस्टन एक भी नहीं / एडम : अकल्प्य
जेसोर	१२ ०० ००० (१८०१)	७ से ९	जानकारी नहीं है।
बकन जसलपुर	९ ३८ ७१२ (१८०१)	१ से १	हेमिस्टन : कुछ ; जनसंख्या का कुछ हिस्सा गुलाम
बाकरगंज	९ २६ ७२३ (१८०१)	५ से ३	जानकारी नहीं है / एडम: कुछ होगी।
विजासोत (बटनास)	१२ ०० ००० (१८०१)	२ से ३	जानकारी नहीं है / कुछ मुस्लिम और ब्राह्मण
डिपेरा	७ ५० ००० (१८०१)	४ से ३	जानकारी नहीं है /
मैनसिंग	१३ ०० ००० (१८०१)	२ से ५	हेमिस्टन : २ ३ हर परतमा के सिये
सिलहट	४ ९२ ९४५	३ से २	जानकार नहीं है।
रजागारी	१५ ०० ००० (१८०१)	२ से १	जानकारी नहीं है / एडम कुछ हो सकती है
रामपुर	२७ २५ ०००	१२ से १५	एडम : ९ स विभागों में से ४१
मुर्शिदाबाद	१० २० ५७२ (१८०१)	२ से १	१८०१ अनुमानतः २१ एडम कुछ अधिक
वीरपुर	१२ ६७७ ०६७ (१८०१)	३० से १	हेमिस्टन : मैन / एडम कुछ अधिक

## लेखा विषय का अध्ययन

एहम ने अपने सर्वेक्षण में पाठशालाओं में अध्ययन के लिए प्रयुक्त पुस्तकों की सूची दी है। उसकी जिलाश सूची में बहुत ही अंतर होने पर भी समानता यह है कि इन सभी पाठशालाओं में 'देशी लेखा विषय की शिक्षा दी जाती थी। हालांकि एक भी मिशनरी पाठशाला में इस विषय की शिक्षा नहीं दी जाती थी। शालाओं में देशी लेखा के साथ कृषि विषयक लेखा की पढाई भी होती थी। सारिणी १३ में इसका विवरण दिया गया है।

सामान्यतः ५ से ८ वर्ष की आयु में शाला प्रवेश होता था और १३ से १६ वर्ष की आयु में छात्रों का अध्ययन पूर्ण होता था।

## संस्कृत पाठशालाएँ

एहम ने अपने सर्वेक्षण में ३५३ संस्कृत पाठशालाएँ बताई हैं जिसमें सर्वाधिक बर्दवान जिले में १९० (१ ३५८ छात्र) थीं जबकि दक्षिण बिहार में सब से कम २७ (४३७ छात्र) थीं। पाठशालाओं में ३५५ शिक्षक थे। केवल पाच शिक्षक नाई जाति के थे। पाठशालाओं में प्रमुख रूप से व्याकरण (१ ४२४ छात्र) तर्कशास्त्र (३७२ छात्र) न्यायशास्त्र (३३६ छात्र) साहित्य (१२० छात्र) पुराण (८२ छात्र) ज्योतिषशास्त्र (७८ छात्र) शब्दशास्त्र (४८ छात्र) वक्तृत्वकला (१९ छात्र) वेदान्तशास्त्र (१३ छात्र) तत्रविद्या (१४ छात्र) मीमांसा (२ छात्र) अथर्ववेद (१८ छात्र) सांख्य (१ छात्र) जैसे विषयों का अध्ययन होता था। इनमें प्रवेश की आयु और अध्ययन की अवधि प्रत्येक जिले में भिन्न भिन्न होती थी। जैसे कि व्याकरण विषय में १२ वर्ष न्यायशास्त्र और तत्र विद्या में २० वर्ष की आयु में प्रवेश प्राप्त होता था। शिक्षा की समयावधि सामान्य रूप से ७ से १५ वर्ष की रहती थी।

## पश्चिमीय और एरेविक शिक्षा संस्थाएँ

पश्चिमीय की शिक्षा देनेवाली संस्थाओं को एहम उच्च शिक्षा की संस्था न मानकर पश्चिमीय कले पाठशाला के केवल एक विषय के तौर पर ही स्वीकार करता है। ऐसी संस्थाओं की संख्या ३ ४७९ थी। इनमें सर्वाधिक दक्षिण बिहार में १ ४२४ थीं। छात्रों को ७ से १० वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता था तथा ११ से १५ वर्ष तक शिक्षा दी जाती थी। यहाँ आधे से अधिक छात्र हिन्दू थे जिनमें क्षत्रियों की मात्रा अधिक थी।<sup>१</sup> १७५ छात्र अरबी भाषा का अध्ययन करते थे जो अधिकतर मुस्लिम थे। उनमें १४ क्षत्रिय २ अनुगुरी १ तेली और एक ब्राह्मण भी था। इन पाठशालाओं में

सारिणी ११ विद्यालयों की संख्या एवं प्रकार

विद्यालयों के प्रकार	मुर्मिदावास (कुछ विस्तार)	वीरपुर (पूरा विस्तार)	इरव्यान (पूरा विस्तार)	वशिंग विहार (पूरा विस्तार)	विशुत (पूरा विस्तार)	योग	मिचनपुर (पूरा विस्तार)
बंगाली	६२	४०७	६२९	-	-	१६४६	५४८
हिन्दी	५	५	-	२८५	८०	३७५	-
उडिया	-	-	-	-	-	१८२	१८२
संस्कृत	२४	५६	१९०	२७	५६	३५३	-
परियान	१७	७१	९३	२७९	२३४	७४२	-
अरबी	३	३	११	१२	४	३१	-
अंग्रेजी	२	३	३	१	-	०९	१
कन्या	१	१	४	-	-	०६	-
सम्ये	-	-	-	-	-	००	-
योग	११३	५४४	१३१	६०४	३७४	३३४४	७७९

## सारणी १२ छात्रसंख्या

उपयोगमें लायी गयी सामग्री	मुशिल्लाद	धीरभूम	बर्दवान	वकिग बिहार	सिपसुस
<u>प्रथम चरण</u> पुसि : रेत पट्टी	७१	३७२	७०२	१५६०	२५०
<u>द्वितीय चरण</u> तालपत्र	५२५	३५५१	७११३	-	-
लकड़ीकी पट्टी	३५	१९	-	१५०३	१७२
<u>तृतीय चरण</u> केला पत्र	३	२९९	२७६५	-	५५
साल पत्र	९	-		४२	
सात्र पट्टिका					
<u>चतुर्थ चरण</u> कपाज	४३७	२०४४	२६१०	३९	३०
योग	१०८०	६३८३	१३१९०	३१४४	५०७

अनेक प्रकार की पुस्तकों की शिक्षा दी जाती थी। और शिक्षकों की आयु ३० वर्ष से अधिक ही रहती थी।

### पंजाब के डॉ लीटनर द्वारा संपन्न सर्वेक्षण

एडम के सर्वेक्षण के ४५ वर्ष बाद डॉ जी ड्यूल्यू, लीटनर द्वारा पंजाब में पारंपरिक भारतीय शिक्षा पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण हुआ था।<sup>१३</sup>

डॉ लीटनर लाहौर की सरकारी कॉलेज में प्रिन्सिपल थे। कुछेक अरसे के लिए उन्होंने पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग के निदेशक के पद पर भी कार्य किया था। उनका सर्वेक्षण एडम के सर्वेक्षण से मिलता जुलता दिखाई देता है किन्तु उनकी भाषा और निष्कर्ष एडम की तुलना में विशेष स्पष्ट और असदिग्ध है। उसमें ब्रिटिश सरकार की प्रशस्ति भी बहुत कम हुई है। यह भी हो सकता है कि समय के साथ साथ अंग्रेजों के शासन सम्बन्ध में विरोधी स्वर या टिप्पणी का विरोध करने की असमर्थता भी बढ़ने लगी थी। परंतु वे मानने लगे थे कि भारत पर शासन करने का उन्हें 'दैवी अधिकार' प्राप्त हो गया है।<sup>१४</sup>

लीटनर अपने सर्वेक्षण में लिखते हैं 'जब पंजाब अंग्रेजों के आधिपत्य में आया तब वहाँ की विभिन्न स्तर की पाठशालाओं में ३ ३० ००० जितने छात्र थे। वे सभी लिख पढ़ सकते थे साथ ही साधारण गणना भी कर सकते थे। उसमें और भी कहा गया है कि ३५ या ४० वर्ष पूर्व अरबी और संस्कृत महाविद्यालयों में हज़ारों की संख्या में छात्र साहित्य न्यायशास्त्र तर्कशास्त्र तत्त्वचिंतन और आयुर्वेद का उच्च स्तर का अध्ययन करते थे। अपने ही पूर्व लेखन का सबल लेकर डॉ लीटनर ने पंजाब की प्रत्येक जिले की विस्तृत जानकारी प्राप्त करके सन् १८८२ में शिक्षा की स्थिति पर विस्तृत सर्वेक्षण करवाया था। उनके सर्वेक्षण का सार की गई टिप्पणियाँ पाठ्यक्रम की पुस्तकें आदि की जानकारी सारिणी 'घ' में दी गई है।

इस प्रकाशन में शिक्षा विषयक जो भी अभिलेख या जानकारी दी गई है उससे एक बात प्रकट होती है कि १८वीं शताब्दी में या १९वीं शताब्दी के आरंभ तक भारत में शिक्षा के अंतर्गत धर्मशास्त्र न्यायशास्त्र तर्कशास्त्र आयुर्वेद ज्योतिषशास्त्र खगोलशास्त्र जैसे विषय उच्च शिक्षा में सर्वत्र पढ़ाए जाते थे। तथापि इन सब में कहीं भी परंपरागत तंत्रविज्ञान या हस्तकलाकौशल के हुनर के बारे में साधारण सकेत तक नहीं है। वैसे तो संगीत तथा नृत्यकला का भी विशेष उल्लेख प्राप्त नहीं होता। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि ये कलाएँ ज्यादातर मंदिर के परिसर के साथ जुड़ी हुई

सारिणी १३ प्राथमिक एवं ईसाई विद्यालयोंमें सेवा की शिक्षा

सेवा का प्रकार	विद्यालय संख्या					
	मुर्शिदाबाद	बीरभूम	बर्दवान	दक्षिण विहार	सिपडुल	
१ व्यापारी	७	३६	२	३६	४	
२ खेती	१४	४७	५	२०	८	
३ दोनों	४६	३२८	६०८	२२९	६८	
योग	६७	४११	६१५	२८५	८०	
४ ईसाई विद्यालय		१	१३			
कुल विद्यालय	६७	४१२	६२८	२८५	८०	

थी। किन्तु भारत की परंपरागत हुनर कला या तत्रविद्या का कहीं पर भी उल्लेख न होने का मुख्य कारण यह था कि जिन लोगों ने भारत की परंपरागत शिक्षापद्धति पर लिखा है चाहे वे कोई प्रवासी हों या सरकारी अधिकारी या मिशनरी या कोई विद्वान उन में किसी की भी भारत की परंपरागत तत्रविद्या या हुनरकला में विशेष रुचि नहीं थी। तथापि उनमें कुछ लोगों ने इसके बारे में परोक्ष रूप से निर्देश किया है। जैसे कि कृषि के साधन सूती या रेशमी कपड़े की धुनाई भवन निर्माण या स्थापत्य से संबंधित साधन नाव बनाने के साधन बर्फ कागज आदि बनाने की पद्धति तत्रविद्या तथा परंपरागत कारीगरों के निर्देश आदि उनके लेखन में परिलक्षित होते हैं। किन्तु इन विषयों की शिक्षा वंशपरंपरागत तौर पर किस प्रकार चलती रही उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। भारत में प्राचीन काल से कला-कौशल की परंपरागत तौर पर प्राप्त होनेवाली शिक्षा का कहीं पर भी उल्लेख न होने का कोई एक कारण नहीं हो सकता। भारत में यह शिक्षा विद्यालयों में नहीं अपितु पीढ़ियों तक घरों में ही दी जाती रही यह भी एक यथार्थ है। इसके विपरीत इंग्लैण्ड में ऐसे हुनरों की शिक्षा किसी तज्जब के पास वर्षों तक अत्यंत परिश्रमपूर्वक प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति तथाकथित व्यवसाय में प्रवेश नहीं पा सकता था। जबकि यहाँ भारत में कला कौशल की शिक्षा बच्चों को उनके माता पिता बुजुर्गों के द्वारा सहज स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती थी। इस प्रकार की शिक्षा का उल्लेख और कहीं न होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि भारत में निश्चित प्रकार का कला कौशल या तत्रविद्या परंपरागत रूप से किसी निश्चित जाति के पास ही रहती थी। अतः तथाकथित कारीगरी की शिक्षा निश्चित जाति तक ही सीमित रहती थी। इस विषय में एक निरीक्षण ध्यान आकर्षित करता है -

भारत के कला कौशल की शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत जटिल है। इन कारीगरों की शिक्षा तो परंपरागत तौर पर निश्चित जातियों में ही होती रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जानेवाला इस प्रकार का शिक्षण अपनी जाति के अलावा और किसी जाति को दिया जाता था तो ऐसी शिक्षा देनेवाले को दण्डित कर जाति से बाहर धकेल दिया जाता था। इस दण्ड को लोग इतना भयकर मानते थे कि उसके भय के कारण कोई व्यक्ति ऐसी शिक्षा औरों को देने का साहस करता ही नहीं था।<sup>११</sup>

सातपर्य यह है कि कोई निश्चित जाति के अनेक लोग किसी एक निश्चित कारीगरी या तत्रविद्या का ज्ञान रखते थे। इससे परंपरागत तौर पर दी जानेवाली इस शिक्षा के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी जातियों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हो इसके लिए सभी जातियों के बारे में गहन अध्ययन होना आवश्यक था।

इन भिन्न भिन्न प्रकार की कारीगरी के बारे में हमारे पास नहीं के बराबर जानकारी है। किन्तु १९वीं शताब्दी की शुरुआत में राजस्व घटाने हेतु ऐसे हुनरों की सूची चेन्नई प्रान्त में तैयार की गई थी। इस सूची के द्वारा हमें उस समय के लोग किस प्रकार के हुनर जानते थे उसकी जानकारी मिलती है। यह सूची निम्नानुसार है -

धिनाई से संबंधित कारीगर

पत्थर तरासनेवाला

लकड़ी चीरनेवाला

कुँआ तालाब खोदनेवाला

घूना बनानेवाला

बास का काम करनेवाला

बढ़ई

सगमरवर की खान में काम करनेवाला

ईट बनानेवाला

धातुविद्या के कारीगर

कच्चे लोहे के कारीगर

लोहे की भट्टी के कारीगर

पीतलकाम के कारीगर

स्वर्णरत्न इकट्ठी करनेवाले कारीगर

घोड़े की नाल बनानेवाले कारीगर

मुहर बनानेवाले कारीगर

लोहा निर्माण करनेवाले कारीगर

लोहे की सलाखें बनानेवाले कारीगर

ताब्रे के कारीगर

लोहार सोनी

सीसा शुद्ध करनेवाले कारीगर

घोड़े की नाल बनानेवाले कारीगर

कपड़ा उद्योग से संबंधित कारीगर

रुई साफ करनेवाले कारीगर

मुलायम धमकीला कपड़ा बुननेवाले

रेशम बुननेवाले (जुलाहे)

नाई जाति के जुलाहे

नील बनानेवाले

हाथ करघा बनानेवाले

मुलायम कपड़ा बुननेवाले

खुरदरा कपड़ा बुननेवाले

दरी बनानेवाले

कालीन बनानेवाले

कबल बनानेवाले

डोरी के परदे बनानेवाले

बोरे बनानेवाले

अन्य कारीगर

कागज़ बनानेवाले

पटाखे बनानेवाले

तेली घमार दर्जी

वनौषधि इकट्ठी करनेवाले

घदन की लकड़ी का काम करनेवाले

छाता बनानेवाले

अगरिया घोषी नाविक

शराब बनानेवाले

साबुन बनानेवाले

घावल पीसनेवाले

मछुआरे

घटाई बनानेवाले

चित्रकारी करनेवाले



एक कतुण यथार्थ यह है कि भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित होने के कुछ ही दशकों में भारत की परंपरागत बुनियादी शिक्षा पद्धति की भारी उपेक्षा होने लगी थी। चेन्नई प्रान्त के सन् १८२२-२५ में और बंगाल बिहार में एडम द्वारा सन् १८३५-३८ में एव पंजाब में डॉ॰ लीटनर के द्वारा सम्पन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में यह यथार्थ देखने में आया। भारत के असह्य परंपरागत हुनर तंत्रविद्या तथा कारीगर उत्पादकों का विस्तृत अध्ययन किया गया होता तो उसके परिणाम वास्तव में अद्भुत प्रकार के होते। अंग्रेजों का भारत में शासन स्थापित होने से पूर्व भारत का समाज जीवन तथा भारत के निर्यात आदि के यूरोपीयों ने किए वर्णनों के द्वारा भी यही सिद्ध होता है कि भारत उस समय अत्यंत समृद्ध और जीवित राष्ट्र था। १९वीं शताब्दी के आरंभ में तथा तत्पश्चात् के वर्षों में भारतीय समाजजीवन में फैली अंधाधुंधी और हताशा भारत में अंग्रेज तथा अन्य यूरोपीय लोगों के आधिपत्य का ही परिणाम था यह कहने में कोई सकोष नहीं होना चाहिए। सन् १७६९-७० में बंगाल में पड़े भयानक अकाल को आनेवाले कठिन समय का संकेत ही कहेंगे क्योंकि अकाल के लिए अंग्रेजों ने जो आकड़े बताए थे उसके मुताबिक बंगाल की एक तिहाई जनसंख्या मृत्यु को प्राप्त हो गई थी।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो समाजजीवन में व्याप्त अव्यवस्था आवश्यक भी थी। इसे अंग्रेजों ने जानबूझकर फैलाने दिया यह भी हो सकता है। साम्राज्यवाद तथा पूंजीवाद के प्रखर विरोधी कार्ल मार्क्स ने सन् १८५३ में लिखा था इस्लैण्ड को भारत में दो काम करने हैं। एक विनाश का और दूसरा पुनर्निर्माण का। एशिया की प्राचीनतम समाजव्यवस्था को नष्ट करके इस्लैण्ड को एशिया में पार्श्वस्थीकरण की बुनियाद डालनी है।<sup>१</sup>

इस प्रकार इस्लैण्ड के द्वारा योजनाबद्ध विनाश का शिकार केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के और देश भी बने हैं। अमेरिका तथा अफ्रीका के कई प्रदेशों में तो अंग्रेजों का आतंक छा गया था। सन् १५०० के बाद विभिन्न यूरोपीय लोगों ने अमेरिका के किस्तने ही भू भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित करके वहाँ के मूल निवासियों का सफाया ही कर दिया था। आधुनिक विद्वानों के मतानुसार सन् १५०० के समय में अमेरिका के मूल निवासियों की जनसंख्या ९ से ११ करोड़ थी।<sup>२</sup> यह जनसंख्या समूचे यूरोप की जनसंख्या की अपेक्षा अनेक गुना अधिक थी। तथापि १९वीं शताब्दी के अंत तक उनकी जनसंख्या केवल कुछ लाख हो गई थी। विश्व के इतिहास में ऐसे कई युद्ध और आधिपत्य स्थापित करने के लिये हुए क्लेआम में

किसने हज़ारों लाखों लोगों की हत्या हुई होगी उसकी कल्पना करना भी अत्यंत हृदयद्रावक होगा। ऐसे निर्दयतापूर्ण कृत्यों से विश्व का कोई भी देश अपने आपको अलग नहीं रख सका। तात्पर्य यह है कि विश्व के विभिन्न देशों पर अपना अधिकार स्थापित करने के साथ साथ यूरोपीय उन देशों की परंपराओं एवं प्राचीन सभ्यताओं पर भी कुटाराघात करते रहे हैं।

१९वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तो भारत के लोगों को उनके समाज में व्याप्त अव्यवस्था पतन और हास की स्थिति का अनुभव होने लगा था। शनैः शनैः जनमानस में इस स्थिति के विरोध में आवाज़ भी उठने लगी थी। १९वीं शताब्दी के अंत में तो भारत के जनसामान्य को प्रतीति हो गई थी कि अब सारा देश अंग्रेजों का गुलाम बन गया है और वे सभी अधिकाधिक दरिद्र होते जा रहे हैं।<sup>१२</sup> उनकी आर्थिक स्थिति का भी दिन प्रतिदिन क्षरण होता जा रहा है। अंग्रेज उन्हें ठग रहे हैं। वे उनके रीति-रिवाजों का निरन्तर मज़ाक उड़ा रहे थे। इस प्रकार उन्हें पता चल गया कि अंग्रेजों ने उनकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को आमूल नष्ट कर दिया है। भारतीयों के मन में एक बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत में फैली निरक्षरता का कारण अंग्रेज ही हैं। क्योंकि भारत में अंग्रेज आए उससे पूर्व साक्षरता शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भारत शीर्ष स्थान पर स्थापित था। सन् १९३० तक तो भारत के उद्योग तथा कला कारीगरी के अंग्रेजों ने किए विनाश के बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। उसी प्रकार शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र की अंग्रेजों के द्वारा हुई दुर्दशा के बारे में लोग बड़े पैमाने पर लिखते थे। दुःखदायक तो यह था कि मार्क्सवाद समाजवाद या पूंजीवाद के पश्चिमी विचारों से प्रभावित भारतीयों के विचार अपने ही देश के विषय में द्वेषपूर्ण विचार करने वाले विलियम बिल्बरफोर्स जेम्स मिल या मार्क्स के विचारों से मिलते थे।

भारत की इस प्रकार की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बीच सन् १९३१ में अंग्रेज सरकार द्वारा आयोजित गोलमेज परिषद में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए थे। वहाँ लंदन की रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्टरनेशनल अफेयर्स (Royal Institute of International Affairs) नामकी संस्था में व्याख्यान देने के लिए गांधीजी को निमंत्रण मिला था। लॉर्ड लोथियन की अध्यक्षता में दिनांक २० अक्टूबर १९३१ के दिन उस सभा में इंग्लैण्ड के अनेक प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे।<sup>१३</sup>

यहाँ गांधीजी ने दिए प्रवचन से इंग्लैण्ड में काफी हलचल मच गई थी। अपने प्रवचन में उन्होंने भारत में व्याप्त निरक्षरता का उल्लेख भी किया था। भारत का

भविष्य' (The Future of India) विषय पर अपने प्रवचन में गांधीजी ने सर्व प्रथम हिन्दू मुस्लिम समस्या अस्पृश्यता की समस्या तथा गाँवों में स्थित भारत की ८५ प्रतिशत जनसंख्या की दारुण गरीबी जैसे विषयों का विस्तार से विश्लेषण किया था। तत्पश्चात् उन्होंने भारत की विशाल जनसंख्या की आर्थिक उन्नति बेरोजगारी तथा सामान्य जन का स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी तत्काल हल ढूँढ़ने लायक समस्याओं के बारे में भी चर्चा की थी। इन समस्याओं के बारे में कॉंग्रेस का अभिगम भी स्पष्ट किया था। भारत की वैद्यकीय आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने बताया था कि भारत को विपनाइन की गोलियों और फल दूध आदि की भी बहुत आवश्यकता थी। तत्पश्चात् गांधीजी ने शिक्षा और सिंचाई की सुविधाओं की अंग्रेजों की हुई अपेक्षा और फिर सिंचाई के लिए भारत में प्रचलित परंपरागत पद्धतियों की बात की। अंत में उन्होंने बताया कि अब तक वे भारत के लोग जिस प्रकार का रचनात्मक कार्य कर सकते हैं वह बता रहे थे और आगे कहा कि अब मुझे कुछ विनाशक गतिविधियों के बारे में बात करनी होगी। इन विनाशक गतिविधियों के बारे में रहस्य बताते हुए कहा कि 'सेना और नागरिक सुविधाओं के लिए होनेवाले खर्च में सतुलन नहीं है। भारत में ऐसा सतुलन कभी भी सफल नहीं हो सकता। सेना के लिए जो लाखों का व्यय हो रहा है वह मेरा बस चले तो मैं तीन चौथाई बंद करवा दूँ। सरकारी व्यय के बारे में बताया कि 'यहाँ प्रधानमंत्री वझे सामान्य नागरिक की अपेक्षा ५० गुना अधिक वेतन मिलता है जबकि वाइसरॉय को ५०० गुना राशि वेतन में दी जाती है। अतः इससे आपको ज्ञात हो ही जाएगा कि भारत में जनकल्याण की राशि कहाँ खर्च होती है।

शिक्षा के बारे में चर्चा करते हुए गांधीजी ने दो बातों पर सबका ध्यान आकर्षित किया (१) भारत में आज ५० या १०० वर्ष पूर्व थी उससे अधिक निरक्षरता दिखाई देती है और (२) अंग्रेज अधिकारी शिक्षा और संबंधित विषयों पर ध्यान देने के बजाय शिक्षा पद्धति को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं उन्होंने भारतकी शिक्षा परंपरा के प्राण ले लिए हैं। हमारी शिक्षा पद्धति की जड़ें नीय से ही छेदाइ दी हैं फलतः हमारा शिक्षा रूपी वृक्ष आज नष्ट हो रहा है। इस प्रकार गांधीजी ने पूर्ण विश्वास और अधिकार पूर्वक ये बातें सभी के समक्ष कीं। फिर उन्होंने अपने प्रवचन में आँकड़ों में जो जानकरी दी थी उसे चुनौती दी जाए तो भी कोई भय नहीं है यह कहा। इस प्रकार गांधीजी ने अंग्रेजों को चुनौती ही दी। गांधीजी की इस चुनौती को अंग्रेज सर फिलिप हाटिंग ने स्वीकार कर लिया। यह हाटिंग 'द स्कूल ऑफ ओरिएण्टल स्टडीज लंदन' (The school of

oriental studies London)<sup>५४</sup> का एक सस्थापक था। उपरांत उसने ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर तथा अंग्रेज सरकार द्वारा १९१८ से १९३० तक के वर्षों में स्थापित अनेक शैक्षणिक समितियों के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में काम किया था। गांधीजी का प्रवचन पूरा होते ही उसने उनसे अनेक प्रश्न किए। तत्पश्चात् ५-६ सप्ताह तक दोनों के बीच लबा पत्रव्यवहार भी होता रहा। उसके बाद पुन एक बार हार्टोग ने महात्मा गांधी से एक घण्टे तक भेंट भी की। इस भेंट के दौरान गांधीजी ने प्रवचन में दिए आकड़ों के स्रोत तक बताए। उसमें दिसंबर १९२० में 'यंग इण्डिया' में प्रकाशित दौलतराम गुप्ता के दो लेख भी बताए। ये लेख थे (१) 'घ डिक्लाइन ऑफ मास एज्युकेशन इन इन्डिया' (The Decline of Mass Education In India) और (२) 'हाउ इण्डियन एज्युकेशन वॉज क्रशड इन घ पंजाब' (How Indian Education was Crushed in the Punjab)। ये दोनों लेख ज्यादातर एडम के रिपोर्त्स जी रुबल्यू लीटनर की प्रकाशित पुस्तक और पंजाब सरकार द्वारा प्रकाशित किये गये अधिकृत साहित्य पर ही आधारित थे। तथापि फिलिप हार्टोग को गांधीजी के दिए स्रोत अपूर्ण ही लगे और उन्होंने गांधीजी को उनका कथन वापस लेने के लिए आग्रह किया। गांधीजी ने उसे भारत वापस जाकर और भी स्रोत व प्रमाण भेजने का वचन देकर कहा कि 'मेरे घेथम हाउस में दिए गए प्रवचन में किए गए कथनों के मुझे आवश्यक प्रमाण नहीं मिलेंगे तो मैं अपने कथन वापस ले लूंगा। बल्कि ऐसा होगा तो अपने इस कृत्य को मेरे घेथम हाउस में दिए गए प्रवचनों से भी विशेष प्रसिद्धि दिलाऊंगा'। गांधीजी के साथ इस भेंट के बाद हार्टोग ने बताया कि भारतीय परंपरागत शिक्षा के विनाश के लिए गांधीजी ने अंग्रेजों को कभी भी दोषित नहीं बताया बल्कि उनके मतानुसार अंग्रेजों ने इस शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहन न देकर उसकी उपेक्षा करके उस शिक्षा पद्धति को मृत प्राय होने दी क्योंकि वह इतनी खराब हो गई थी कि उसे बनाये रखने जैसा उसमें कुछ शेष रहा ही नहीं था।

इस दौरान हार्टोग ने सुप्रसिद्ध इतिहासविद् एडवर्ड थोम्पसनका संपर्क करके गांधीजी के कथनों के बारे में उसके प्रतिपाद जाने। थोम्पसन भी हार्टोग के जैसा अभिमत रखता था कि शिक्षा पद्धति और परंपरागत उद्योगों का अंग्रेजों ने नाश किया है ऐसा गांधीजी नहीं मानते हैं। जो कुछ भी हुआ वह अनिवार्य ही था।<sup>५५</sup> इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए एक पत्र में थोम्पसन ने हार्टोग को लिखा था सन् १९१८ तक तो अत्यंत कम काम हुआ है। अभी मैं सन् १८५७ की क्रांति का इतिहास पढ

रहा हूँ, और मुझे लगता है कि कॉग्रिसवाले कभी भी इसे समझ नहीं पाएँगे। हालाँकि हार्टोग और थोम्पसन के बीच पत्राचार विशेष लबा घला नहीं क्योंकि हार्टोग को थोम्पसन से जिस बौद्धिक सहयोग की अपेक्षा थी वह जरा भी प्राप्त नहीं हुई। इस सत्र झमेले में हार्टोग ने गांधीजी के कथन आधारभूत नहीं थे ऐसा एक निवेदन 'इन्टरनेशनल अपेन्स' पत्रिका में प्रसिद्धि के लिए भेज दिया। वैसे भी हार्टोग का यह कृत्य पहले से ही अपेक्षित था। इस निवेदन के बाद हार्टोग ने लिखा कि अभी तक गांधीजी अपने प्रवचन के समर्थन में कोई प्रमाण दे नहीं पाए हैं और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि अगर वे ऐसे कोई प्रमाण नहीं दे पाएँगे तो वे अपने कथन को वापस ले लेंगे।

गोल मेज परिषद (Round Table Conference) पूरी होने पर गांधीजी भारत वापस लौटे और उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी गिरफ्तारी हुई। उन्हें यस्वख जेल में रखा गया। जेल से ही दिनांक १५-२-१९३२ को हार्टोग को पत्र लिखकर गांधीजी ने बताया कि 'वर्तमान परिस्थिति में वे उन्हें चाहिए वैसे प्रमाण भेज नहीं सकते हैं इसलिए यह कार्य उन्होंने प्रा के टी शाह को सौंपा है'। प्रा शाह ने शीघ्र ही सम्बन्धित प्रमाण हार्टोग को भेजे। इन प्रमाणों में मेक्समूलर लुइसो जी एल. प्रेन्डरगास्ट टोमस मनरो डबल्यू. एडम जी डबल्यू लीटनर आदि की अभिलेखीय सामग्री का समावेश भी होता था। इनमें जी एल. प्रेन्डरगास्ट मुबई की प्रान्तीय सभा के सदस्य थे। उन्हीं के अप्रैल १८२१ के एक निवेदन को प्रा के टी शाह ने प्रमाण के तौर पर भेजा था। इस निवेदन में मुबई प्रान्त के परिप्रेक्ष्य में प्रेन्डरगास्ट ने बताया था कि इस प्रांतीय सभा का प्रत्येक सदस्य यह जानता है कि इस प्रान्त में कहीं भी ऐसा छोटा या बड़ा गाँव नहीं होगा जहाँ एक भी पाठशाला न हो। बल्कि बड़े गाँवों में तो एक से अधिक पाठशालाएँ हैं और बड़े शहरों में तो प्रत्येक इलाके में पाठशालाएँ हैं। इन पाठशालाओं में वहाँ के निवासियों के बच्चों को लेखन पठन तथा अकामिष्ठ की शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा पद्धति भी इतनी सस्ती है कि प्रत्येक माता पिता अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने शिक्षक को प्रतिमास थोड़ा अनाज या एक-आध रुपया देकर अपने बच्चे को अध्ययन करवा सकते हैं। इतना ही नहीं यह शिक्षापद्धति इतनी अधिक आसान और प्रभावी है कि यहाँ का कोई भी विज्ञान या छोटा व्यापारी ऐसा नहीं है जो अपना हिसाब ठीक से चौकसाई पूर्वक न लिख सकता हो। ये लोग तो हमारे देश के इस स्तर के लोगों की अपेक्षा और भी अच्छी तरह से अपने हिसाब रख सकते हैं। जब कि यहाँ के बड़े व्यापारी और सराफ तो हमारे अग्रज

व्यापारियों की तरह और भी सतर्कता से व चौकसाई से अपने हिसाब रखते हैं।<sup>१७</sup>

हाटों को कैसे प्रमाण चाहिए वह प्रा के टी शाह समझ गए थे इसलिए उन्होंने हाटों को लिखे पत्र में प्रारम्भ से ही स्पष्टता की थी कि जिस समयावधि के सदर्म में हमारी बहस चल रही है उस समयावधि के लिए आपको जिस प्रकार के प्रमाण चाहिए वैसे प्रमाण तो विश्व के किसी भी देश के सदर्म में प्राप्त नहीं हो सकते। इसके लिए तो हमें सामान्य लोगों पर ही आधार रखना होगा। पत्र के अंत में उन्होंने लिखा 'इस विषय में लिटनर द्वारा प्राप्त सर्वेक्षण को ही आधार मानना होगा। उसी प्रकार सामान्य जन की भावना भी बहुत कुछ कह देती है अतः भावनाओं का अर्थात् लोगों की रुचि का भी आदर होना चाहिए।

यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हाटों को प्रा के टी शाह का विस्तृत विवरणयुक्त पत्र निरर्थक ही लगा। इतना ही नहीं उस पत्र के सदर्मों से तो वह और भी चिढ़ गया। हाटों ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि मैंने गांधीजी के समक्ष जिन मुद्दों की बात की थी उनके बारे में तो आपने अपने पत्र में निर्देश तक नहीं किया। इससे आपके द्वारा भेजे गए अभिलेख व प्रमाणों का स्वीकार करने की स्थिति में मैं नहीं हूँ।

व्यक्ति तथा उसकी मानसिकताओं की तुलना करना ठीक नहीं है तथापि यहाँ एक बात तो स्पष्ट दिखाई देती है कि विन्सेन्ट स्मिथ लिखित अक्टूबर घ ग्रेट मोगल' (Akbar the Great Mogal) नामक पुस्तक पढ़ने के बाद डबल्यू. एच. मार्लेन्ड को जिस प्रकार के मनोभाव जागे उस प्रकार के मनोभाव सर फिलिप हाटोंग को प्रा के टी शाह का पत्र पढ़कर जागे होने चाहिए। स्मिथ ने अपने एक पुस्तक में टिप्पणी की है कि आज के खेतिहर मजदूरों की अपेक्षा अक्टूबर और जहागीर के समय में भूमि हीन खेतिहर मजदूर ज्यादा सुखी थे।<sup>१८</sup> फिर इस पुस्तक को पढ़कर मार्लेन्डने कहा कि भारतीय इतिहास के बारे में विन्सेन्ट स्मिथ का ज्ञान इतना गहरा है कि अगर उनके कथन को स्वीकार कर लिया जाय तो शालाओं में इस कथन को एक सत्य के तौर पर प्रचलित कर दिया जाएगा। और ऐसा न हो इस लिए पुस्तक में दी गई जानकारियों का पुनः मूल्यांकन हो ऐसा मैं चाहता हूँ।<sup>१९</sup> वस्तुतः मार्लेन्ड ने तो सचमुच उस पुस्तक में प्रकाशित निरीक्षणों को गलत सिद्ध करने और उसके द्वारा उसे विद्यालय के कक्षाकक्षों तक पहुँचाने से रोकने का प्रयास शुरू कर दिया। उसी प्रकार हाटोंग ने भी गांधीजी के प्रवचन को गलत सिद्ध करने के प्रयास शुरू कर दिए थे। इन प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ कि उसने 'जोसफ पेइनी व्याख्यानश्रेणी' के

अतर्गत १९३५-३६में दिए तीन व्याख्यानों में जो कहना था वह कहा। यह व्याख्यान 'इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन'-युनिवर्सिटी ऑफ लंदन में आयोजित हुए थे। व्याख्यानमाला का विषय था भारतीय शिक्षा के कुछ अस्याम। (Some Aspects of Indian Education) \* इन व्याख्यानों में हार्टोग ने तीन पुस्तकें प्रस्तुत की थीं। (अ) भारत की पिछले १०० वर्षों की पाठशालाएँ और साक्षरता विषयक आँकड़ों की जानकारी (ब) परंपरागत भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में विलियम एडम द्वारा बंगाल-बिहार में सपत्र सर्वेक्षण तथा वहाँ १ लाख शालाएँ अस्तित्व में थीं इस बारे में एडम का मतव्य और (क) डॉ जी डब्ल्यू लिटनर और पञ्जाब में १८४९-८२ के दौरान शिक्षा की स्थिति। बाद में इन्हीं समय लिखित भाषणों का प्रकाशन ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा सन् १९३९ में हुआ था।

पत्रक अ में बेल्गारी जिले के बारे में ए डी केम्पबेल ने भेजी कुछ साधारण जानकारी के आधार पर हार्टोग टोमस मनरो उन कुमार छात्रों की सख्या पर प्रश्नार्थ लगाते हैं। मनरो के आकड़ों का इन्कार करते हुए हार्टोग बताते हैं कि 'शिक्षा में केम्पबेल के समान रुचि तथा सतर्कता नहीं रखनेवाले समाहर्ताओं के द्वारा प्राप्त जानकारियों के आधार पर मनरो ने छात्रों की सख्या बढाकर घशाई होने की समाधान है। मनरो एस्फिन्स्टन तथा बेन्टिक ने अपने प्रातो में शिक्षा के लिए जो कदम उठाए, उससे पूर्व अग्रेज सरकार ने भारत की प्रचलित परंपरागत शिक्षापद्धति की जो उपेक्षा की थी वह बात सही है किन्तु अग्रेज सरकार ने इस शिक्षा परंपरा का जो जड़ से विनाश कर दिया है ऐसे गांधीजी के कथनों के मुझे कोई प्रमाण मिले नहीं हैं। उस पत्रक में एक टिप्पणी जोड़कर वह कहता है कि 'इन्स्टिट्यूट में शिक्षा के लिए सर्वप्रथम ससद ने सन् १८३३ में ३० ००० पाउंड का हिस्सा अलग रखा था। यहाँ पर वह भारत की कई महान विभूतियों की और भारतीय सभ्यता की 'सर्वाधिक प्राचीन होने पर भी विशेष आधुनिक' कहकर प्रशंसा भी करता है।

इन व्याख्यानों की पार्श्वभूमि स्पष्ट करते हुए गांधीजी का अग्रजों ने योजनाबद्ध रीति से परंपरागत भारतीय शिक्षा पद्धति का विनाश करके भारत की साक्षरता का भी नाश किया' का उल्लेख करते हुए वह बताता है कि 'गांधीजी ने रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्टरनेशनल अफेयर्स' में २० अक्टूबर १९३१ के दिन किए प्रवचन में प्रस्तुत अभिमत सही नहीं है ऐसी धुनौती थी थी उस धुनौती को स्वीकार करते हुए उनके मतों की सत्यता जाचना आवश्यक हो गया था।\*

हार्टोग शानी और अनुमदी था फिर भी उसके द्वारा की गई स्पष्टताओं में

कल्पनाशक्ति की कमी तथा इतिहास को समझने की असमर्थता दिखाई देती है। क्योंकि यह सन् १९३९ से पूर्व के इंग्लैण्ड में प्रचलित बातों को ही जड़ता से पकड़े रहता है। साथ ही एक उपनिवेशी यहूदी की उसकी पीठिका भी उसके ऐसे व्यवहार के लिए जिम्मेदार हो सकती है। कारण कुछ भी हो किन्तु १८वीं शताब्दी के अन्त और १९वीं शताब्दी के आरम्भ में भारत में अस्तित्व रखनेवाली ऊँची साक्षरता दर और शैक्षणिक सुविधाओं की जो बात गांधीजी तथा अन्य लोगों ने की थी उसका स्वीकार करने के लिए हाटोंग तैयार नहीं था। इसी प्रकार १२५ वर्ष पूर्व विलमय विल्बरफोर्स ने भारत में अपने दीर्घकालीन निवास और यहाँ के समाज के साथ के गहन सबाधों के अनुभवों के बाद अनेक अग्रेज अधिकारियों ने व्यक्त किए हुए मतानुसार कि हिन्दू बिना ईसाईयों के सम्पर्क में आए भी सम्य सुसंस्कृत सुविकसित थे जैसे अनेक कथनों को स्वीकारने के लिए वह तैयार ही नहीं था। एडवर्ड थोमसन विलियम एडम तथा चेन्नई प्रान्त के कुम्भक समाहताओं की तरह हाटोंग भी ऐसा मान कर चलता है कि भारत की सभी शिक्षा सस्थाएँ निरर्थक हैं और भारतीय शिक्षा पद्धति भी एक कर्मकाष्ठ सी बन जाने से और विशेष कुछ करने में असमर्थ है। अर्थात् यह उन्माद अनुत्पादक हो गई है।

गांधीजी के कथनों के अतिरिक्त हाटोंग अन्य दो मसलों के कारण भी अस्वस्थ हुआ था। पहला तो जी डबल्यू लिटनर के लेखों के कारण था और इससे भी अधिक परेशान करनेवाली दूसरी बात थी एक ईसाई मिशनरी ने की हुई भविष्यवाणी। इसी सदम में हाटोंग ने लिखा है कि 'एक ईसाई मिशनरी ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि' भारत में नया शासन स्थापित होने (अर्थात् अग्रेजों से स्वतंत्र होने) पर शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन आएगा जो पाश्चात्य प्रकार का नहीं पर पूर्व की परंपरा के अनुसार होगा। इस प्रकार भारत पुनः उसकी हजारों वर्ष पुरानी परंपरा में वापस लौटेगा। भारत ऐसे दिनों में वापस आएगा जहाँ से उसने विद्याधन और सभ्यता की समृद्धि दी थी और बदले में कहीं से भी कुछ लिया नहीं था। भारत का नैतिक और बौद्धिक दृष्टि से कल्याण करने का बोज उठानेवाले उसके अनेक पूर्व के अधिकारियों की तरह हाटोंग का भी एक ईसाई पादरी की ऐसी भविष्यवाणी से आगबमूला हो जाना स्वाभाविक था।

गांधीजी की धुनौती के सिलसिले में ही हाटोंग ने व्याख्यान दिए थे। इन व्याख्यानों की एक प्रति गांधीजी को भेजते हुए हाटोंग ने बताया कि 'रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्टरनेशनल अफेयर्स' में दिए गए प्रवचन के कथनों का सूक्ष्म



अध्ययन करने के बाद भी उसके समर्थन के लिए कोई प्रमाण मिलता नहीं है। ऐसी स्थिति में ये विधान वापस ले लिए जाएँ यही ठीक रहेगा।

हार्टोग के पत्र का प्रत्युत्तर गांधीजी ने दिया वह अद्भुत था। उन्होंने लिखा 'मेरा अंग्रेजी राज्य के पूर्व के भारत की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इस विषय में अभी भी कुछ शिक्षाविदों के साथ मेरा पत्रव्यवहार चल रहा है। जिन्होंने भी मेरे पत्रों के उत्तर दिए हैं उन सभी ने ही मेरे विचारों का स्वीकार किया है फिर भी वे सभी जैसे कोई तथ्य दे नहीं सकते जिन्हें आप प्रमाण के तौर पर स्वीकार कर सकें। इससे आज भी मैं चेथम हाउस में दिए मेरे विधानों पर टिका रहता हूँ, तथा आप इसे ललकार रहे हैं ऐसा मैं नहीं मानता। यहाँ पर गांधीजी की दृष्टि से तो पूरी बहस का अंत हो गया था। फिर भी यूरोप में चलनेवाले युद्ध के बारे में गांधीजी के विचार पढकर हार्टोग प्रभावित हुआ और गांधीजी के प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त करते हुए दिनांक १०-९-१९३९ के दिन उसने जो पत्र लिखा था उसका सारांश है 'वाइसरॉय के साथ आपकी भेंट और अभी चल रहे युद्ध के बारे में 'टाइम्स' में प्रकाशित आप के विचारों को पढकर मैं आपके प्रति कृतज्ञता का भाव रोक नहीं सकता। मुझे विश्वास है कि मेरे इस कार्य में मेरे असख्य देशवासी भी मेरे साथ हैं।

हार्टोग के व्याख्यान से संबंधित पुस्तक पर तो भारत में अनेक लेख भी लिखे गए। उसी प्रकार एडम के विवरण पर कोलकता युनिवर्सिटी ने नया सस्करण प्रकाशित किया किन्तु इन सभी में एक ही बात और वही आँकड़े लिए गए थे। मजरे की बात यह थी कि ये सभी आँकड़े यह सभी जानकारी प्रा के टी शाह ने फिलिप हार्टोग को फरवरी १९३२ में लिखे एक लंबे पत्र में दी थी।<sup>१२</sup>

७

अक्टूबर १९३१ में लंडन स्थित चेथम हाउस में गांधीजी ने जो प्रवचन दिया था उसका रहस्य फिलिप हार्टोग समझा ही नहीं था। इसका मुख्य कारण यह था कि गांधीजी के कथनों का उसने शाब्दिक अर्थ लिया था। अतः वह तात्पर्य समझ नहीं पाया था। गांधीजी ने अपने वक्तव्य में अंग्रेजों के शासन में भारतीय समाज जीवन तथा भारतीय सस्त्राओं के होनेवाले पतन का व्यापक चित्र प्रस्तुत किया था। सन् १८२०-३० के वर्षों में भारतीय शिक्षा पद्धति की बड़े पैमाने पर दुर्गति हो गई थी। ऐसी बात चेन्नई प्रांत में हुए शैक्षणिक सर्वेक्षणों में तथा विलियम एडम द्वारा बंगाल-बिहार में सपन

सर्वेक्षणों में बताई गई थी। सन् १८२२-२५ के वर्षों में चेन्नई प्रांत में विद्यालयों में पढ़नवाले छात्रों की संख्या १ ५० ००० से अधिक मानी गई थी। इससे शिक्षा की दृग्गति हुई उसके २०-३० वर्ष पूर्व स्वाभाविक रूप में ही इस से बड़ी संख्या में छात्र विद्यालयों में अध्ययन करते हों ऐसा मानने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि ऐसा भी निर्देश कहीं प्राप्त नहीं होता है कि यह आकड़ा वर्ष १८२२-२५ के छात्रों की संख्या से कम था। वर्ष १८२३ में चेन्नई प्रांत की जनसंख्या लगभग १ २८ २५ ९४१ थी जब कि सन् १८११ में इंग्लैण्ड की जनसंख्या लगभग ९५ ४३ ६१० मानी गई थी। इस प्रकार चेन्नई प्रान्त और इंग्लैण्ड की जनसंख्या में विशेष अन्तर नहीं था। तथापि इंग्लैण्ड में रविवारीय धार्मिक या घलते फिरते विद्यालय आदि मिलकर उन समी में ७५ ००० छात्र अध्ययन करते थे। और चेन्नई प्रांत में उनसे दुगुनी संख्या में छात्र शालाओं में अध्ययनरत थे। साथ ही इंग्लैण्ड के ७५ ००० छात्रों में भी आधे से अधिक छात्र तो २-३ घण्टों के लिए रविवारीय शालाओं के छात्र थे। सन् १८०३ के बाद से ही इंग्लैण्ड में शालाओं में जानेवाले छात्रों की संख्या बढ़ने लगी थी। इस प्रकार सन् १८०० में ७५ ००० छात्र थे जो बढ़कर १८१८ में ६ ७० ८८३ और सन् १८५१ में बढ़कर २१ ४४ ३७७ हो गये थे। ५० वर्षों में इंग्लैण्ड में छात्रों की संख्या २९ गुनी बढ़ी थी। किन्तु संख्यात्मक वृद्धि के साथ साथ इंग्लैण्ड की शिक्षा व्यवस्था में कोई गुणात्मक विकास नहीं हुआ था। शिक्षा की अवधि सन् १८३५ तक एक वर्ष थी जो १८५१ में बढ़कर दो वर्ष की गई थी।

गांधीजी अपने प्रवचन में यह बताना चाहते थे कि इसके बाद ५०-१०० वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि भारत की शिक्षा पद्धति घेतनाहीन बनती गई और उसका मूल से हास होने लगा। इस से विपरीत इन वर्षों में इंग्लैण्ड में शिक्षा में विकास हो रहा था। विलियम एडम तथा लिटनर ने भी उनके सर्वेक्षणों में इस प्रकार की बात कही है। इस घटनाक्रम से व्यथित होकर महात्मा गांधीजी ने लखन में दिए अपने वक्तव्य में अपनी भावनाओं का उद्घोष किया था और अपने वक्तव्य में दिये विधानों को तो वे वर्षों तक पकड़े रहे थे। गांधीजी ने इस समूचे घटनाक्रम का ऐतिहासिक सामाजिक और मानवीय परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया था। इससे विपरीत इस क्षेत्र में स्वयं को स्वभावगत तौर पर, उज्ज्वल माननेवाले सर फिलिप हार्टोग जैसे लोग शब्दों के निहितार्थ के स्थान पर शब्द के वाच्यार्थ के झमेलों में पड़कर मौकापरस्ती का कार्य ही कर रहे थे। इन लोगों के लिए तो केवल आकड़ों की जानकारी ही प्रमुख थी। ऐसी संख्यात्मक तुलनाओं से हालांकि यह बहस धम तो गई थी क्योंकि चेन्नई प्रांत के सन् १८२२-

२५ के वर्षों के छात्रों की संख्या की तुलना सन् १८८०-९० के वर्षों में छात्रों की संख्या के साथ हुई थी किन्तु १८२२-२५ में बंगाल बिहार तथा मुंबई प्रांत की<sup>१</sup> जानकारी अपूर्ण होने से ऐसी तुलना करना असंभव बन गया था। उसी प्रकार समस्त भारत देश के आंकड़े प्राप्त करने में भी इसी प्रकार की समस्या थी।

चेन्नई प्रांत के सार्वजनिक शिक्षा विभाग के निदेशक के वर्ष १८७९-८० के विवरण में बताया गया है कि उस प्रांत के सभी प्रकार के विद्यालय महाविद्यालय टेकनिकल संस्थाएँ आदि मिलकर कुल १० ५५३ शैक्षिक संस्थाओं में २ ३८ ९६० कुमार और २९ ४९९ कन्याएँ अध्ययन करते थे। इस वर्ष में उस प्रांत की जनसंख्या ३ १३ ०८८२ की हुई थी। वर्ष १८२२-२५ में संख्या में स्पष्ट बढ़ोतरी हुई थी। किन्तु उसकी अपेक्षा इस वर्ष में कुमार छात्रों की संख्या की औसतन वृद्धि में खासी कमी आई थी। तथापि १९७९-८० से १८८४-८५ के वर्षों में इस वृद्धि में बढ़ोतरी दिखती है। साथ ही इन वर्षों में इस प्रांत की जनसंख्या घटकर ३ ०८ ६८ ५०४ हुई थी जबकि कुमार छात्रों की संख्या बढ़कर ३ ७९ ९३२ और कन्या छात्रों की संख्या बढ़कर ५० ९९९ की हुई थी। यहाँ कुमार छात्रों का अनुपात विद्यालय में जाने की आयु के कुल कुमारों की संख्या का केवल २२ १५ प्रतिशत था। जबकि प्राथमिक विद्यालय के छात्रों का अनुपात १८ ३३ प्रतिशत था। अतः छात्रों की संख्या का अनुपात वर्ष १८२२-२५ के छात्रों की संख्या के अनुपात के प्रतिशत की तुलना में काफी नीचे था। सभी शैक्षिक संस्थाओं में कन्या छात्रों की संख्या बढ़ने पर भी वर्ष १८८४-८५ में मलयार जिले में मुस्लिम छात्राओं की संख्या केवल ७०५ थी जबकि इसी जिले में ६२ वर्ष पूर्व अगस्त १८२२ में यह संख्या १ १२२ थी और तब उस जिले की जनसंख्या भी १८८४-८५ की जनसंख्या की अपेक्षा आधे से भी कम थी।

वर्ष १८७५ में शैक्षिक संस्थाओं की संख्या बढ़ी और उसी के साथ जनसंख्या भी बढ़कर ३ ५६ ४१ ८२८ हुई और कुमार तथा कन्या छात्रों की संख्या बढ़कर क्रमशः ६ ८१ १७४ और १ १० ४६० की हुई थी। कुमार छात्रों की संख्या बढ़कर ३४ ४ प्रतिशत हुई जो टोमस मनरो के सन् १८२६ के सर्वेक्षण में ३३ ३ प्रतिशत कुछ समीप है। किन्तु मनरो ने दिए आंकड़ों के ७० वर्ष बाद भी प्राथमिक विद्यालयों में कुमार छात्रों का अनुपात उस आयु के कुल कुमारों का केवल २८ प्रतिशत ही था। १९वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष १८९९-१९०० में चेन्नई प्रान्त में कुमार छात्रों की संख्या ७ ३३ ९२३ की और कन्या छात्राओं की संख्या

१ २९ ०६८ थी। प्रात के सार्वजनिक शिक्षा विभाग के निदेशक द्वारा दिए गए आकड़ों के अनुसार पाठशालाओं में अध्ययन करनेवाले कुमार छात्रों की संख्या कुल कुमारों की संख्या की २७ ८ प्रतिशत थी। इस संख्यात्मक जानकारी का उदारतापूर्वक अध्ययन करने पर भी स्पष्ट दीखता है कि १९वीं शताब्दी के अंत में भी पाठशालाओं में पढ़नेवाले छात्रों की संख्या वर्ष १८२२-२५ के दौरान में शिक्षा के पतनोन्मुखी वर्षों में चेन्नई प्रात में टोमस मनरो के पाठशालाओं में पढ़नेवाले छात्रों के अनुमान से ज्यादा नहीं थी।

वैसे सभी सताधीशों की तरह अंग्रेजों ने भी अपनी उपलब्धि की प्रशंसा करने में कमी नहीं रखी थी। उन्होंने १९वीं शताब्दी के अंत में शिक्षा में हुई संख्यात्मक वृद्धि को बढ़ाघटाकर प्रसिद्धि दी। अतः इन आकड़ों के बारे में स्वाभाविक रूप से सन्देह निर्माण हो सकता है किन्तु वर्ष १८२२-२५ के आकड़ों के लिए सन्देह इसलिए नहीं होता क्योंकि तब इन आकड़ों को बढ़ा घटाकर कहने के लिए अंग्रेजों के पास कोई भी तात्त्विक कारण नहीं था। इस प्रकार यहाँ यह स्पष्ट है कि वर्ष १८२२-२५ के बाद भारतीय शिक्षा पद्धति का हास तब से लेकर छ दशकों तक होता रहा। परिणाम स्वरूप भारत की परंपरागत शिक्षा संस्थाएँ तो इस अवधि में समाप्त हो गई थीं। १९वीं शताब्दी के अंत में अगर इधर उधर कोई संस्था बच भी गई थी तो उसे भी अंग्रेज परंपरा की शिक्षा रीतिने भस्म कर दिया था।

इस प्रकार वर्ष १८२२-२५ के दौरान पाठशालाओं में पढ़नेवाले कुमार छात्रों का कुमारों की कुल संख्या की तुलना में जो अनुपात था लगभग उतना ही अनुपात १९वीं शताब्दी के अंत में भी था। यह यथार्थ ही भारत की मूल शिक्षा पद्धति के निरन्तर होनेवाले हास का प्रत्यक्ष संकेत देता है।

८

यहाँ तक की घर्षा में एक महत्वपूर्ण बात उपेक्षित ही रह गई थी। इस विषय में चेन्नई प्रात के समाहर्ताओं ने अलग अलग बात कही है। उसी प्रकार एडम के रिपोर्ट्स में तथा लिटनर के लेखों में भी इसके बारे में महत्स छेड़ी गई है। यह विषय है मनरो ने दी हुई बंगाल और बिहार में १ लाख पाठशालाओं की संख्या। प्रश्न यह उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में प्रत्येक गाँव में स्थित पाठशालाओं के पोषण और संचालन के लिए व्यवस्था क्या होती थी ? साथ ही १ लाख पाठशालाएँ किसी भी प्रकार के व्यवस्थापन या आर्थिक सहयोग के बिना इतने वर्षों तक बिलकुल 'राममरोसे' ही चलती थी यह कहना भी हास्यास्पद ही कहा जाएगा।

आज तो किसी भी विषय पर कुछ भी कहना है तो प्रथम किसी विदेशी व्यक्ति के उद्धरण प्रस्तुत करने की हम भारतीयों में एक अनिवार्य फैशन हो गई है। झूतना ही नहीं भारत को एक सनातनी असस्कारी जगली सकुचित रुढ़ियों में माननेवाले लोगों का देश बताया जाता है तथा अज्ञान गरीबी व अत्याचार अनादिकाल से इस देश के भाग्य में लिखा हुआ है ऐसा ठोक ठोककर बताने के लिए विदेशियों के उद्धरण प्रस्तुत करने में हमेशा तत्पर ऐसा एक बड़ा वर्ग आज भी भारत में है। यह वर्ग ठो स्वीकार करके ही घलता है कि अतीत के वर्षों में भारत में सामंतशाही राज्य व्यवस्था थी। इन लोगों से विपरीत भारत को एक 'गौरवान्वित राष्ट्र माननेवाले लोगों का भी एक बड़ा वर्ग भारत में है। हा इतिहास ने भारत के गौरव पर बार बार प्रहार किये हैं तथापि इन लोगों के लिए भारत धर्मप्रिय तथा लोककल्याण करनेवाले शासकों का देश रहा है। और फिर इसके अतिरिक्त एक तीसरा वर्ग एक ऐसा वर्ग भी है जो चार्ल्स मेटकाफ और हेनरी मोइनी की तरह भारत को 'प्रजातांत्रिक गाँवों का सुन्दर देश' कहता है।

दुर्भाग्य यह रहा है कि मेकॉले प्रेरित शिक्षा पद्धति के घूट लिए हुए आज के भारतीय बौद्धिक मेकॉले के शब्दों को वेद वाक्य मान बैठे हैं। वे किसी कथन या लेखन के सकेतों को जानने या समझने की क्षमता खो बैठे हैं।<sup>१०</sup> इससे 'प्रजातंत्र' शब्द सुनकर किसी भारतीय के मानस में जो अर्थ आकार लेता है वह अर्थ पश्चिम में यह शब्द जिस अर्थ में प्रयोजित होता है वह होता ही नहीं है। ऐसा होना अत्यंत स्वामादिक है। भारत में 'प्रजातंत्र' का तात्पर्य 'धुनाव' घयनित प्रतिनिधियों की परिषद जैसा सीमित अर्थ ही गृहीत होता है।

१८वीं और १९वीं शताब्दी में भारत में आए हुए अंग्रेज अधिकारी और प्रशासी तथा अन्य यूरोपीयों के लेखों के आधार पर ही चार्ल्स मेटकाफ और हेनरी मोइनी ने भारत को प्रजातांत्रिक गाँवों का देश कहा था। पश्चिम के ये दोनों लेखक मानते थे कि भारत के गाँव भी राज्यों के समान एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र थे। गाँवों की सारी राजस्व आय के ऊपर इन गाँवों का ही अधिकार रहता था। इन गाँवों की सरचना तथा उनके आपसी सम्बन्ध उनके लिए महत्त्व नहीं रखते थे। किन्तु ये गाँव किस प्रकार स्वतंत्र अधिकार रखते थे और आय के स्रोतों पर उनका कैसा नियंत्रण रहता था यही इन दोनों लेखकों को महत्त्वपूर्ण लगा। हालांकि भारत का इतिहास यही कहता है कि भारतीय समाज और राजतंत्र चाहे एक राष्ट्र के तौर पर सदा सगठित और एकसूत्र में गुणित रहते थे यह समाज या शासनतंत्र किसी एक केन्द्रीय व्यवस्था से

कमी भी जुड़े हुए नहीं थे। इस प्रकार वे किसी एक अकेन्द्रीकरण संकल्पना (non-centralist concepts) से सतप्र थे। इस कारण कई बार ऐसी भी घर्चा की जाती है कि ऐसे अकेन्द्रीकृत राज्यतंत्र के कारण ही भारत राजकीय तथा सैन्य सुरक्षादि की दृष्टि से कमजोर रह गया था। यह भी सही है कि केन्द्रीकृत पद्धति से जहाँ एक सुशासक के आदेशानुसार ही समग्र व्यवस्थातंत्र चलता है तब राज्य सदा शक्तिशाली और दीर्घकाल तक स्थिर रह सकता है। अतः ऐसी कोई व्यवस्था से भारतीय राजतंत्र और समाज जुड़े हुए न होने पर भी सैंकड़ों वर्ष तक भारतीय समाज और शासन व्यवस्था कैसे टिकी रही यह भी एक रहस्य ही कहा जाएगा। इसे समझने के लिए भारतीय समाजजीवन के विविध आयाम उसकी क्षमताओं उपलब्धियों तथा दुर्बलताओं को जानना अत्यंत आवश्यक है। इस काम के लिए यूरोपीय चश्मा पहनकर नहीं बल्कि बिलकुल भारतीय दृष्टि से ही यह होना आवश्यक है। अर्थात् भारत भूमि की मूल परंपराओं मान्यताओं से उनके उचित सदर्थ में ही परिचित होना पड़ेगा।

भारत की शासनव्यवस्था में एक ध्यान आकर्षित करनेवाली बात यह थी कि यहाँ राजस्व आय से किए जानेवाले खर्च में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी जाती थी। इसके अभिलेखीय प्रमाण अंग्रेज सरकार की टिप्पणियों से भी मिलते हैं। इस प्रकार शासकीय आर्थिक सहयोग के आधार पर भारत में प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं का निभाव होता था।<sup>११</sup> इस शासकीय सहायता के अतिरिक्त छात्रों के माता पिता तथा पालक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार शिक्षकों को सहायता करते थे। वे निर्धन छात्रों को अपने घर पर रखकर उनका सभी प्रकार का खर्च स्वयं वहन करते थे। इस प्रकार सरकार के साथ समाज भी शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक योगदान देता रहता था। किन्तु इससे केवल छात्रों से वसूल किये जानेवाले शुल्क या निरपेक्ष और निस्वार्थ भाव से अध्यापन करनेवाले शिक्षक या निर्धन छात्रों के आवास और भोजन का खर्चा उठानेवाले शिक्षक या नागरिकों की उदारता के बल पर ही वर्षों से स्थापित भारतीय शिक्षा सैंकड़ों वर्षों तक टिकी यह कहना भारतीय समाजव्यवस्था तथा उसकी कार्यपद्धति के विषय में निरे अज्ञान का ही परिणाम है।

बंगाल-बिहार की वर्ष १७७०-९० के वर्षों की राजस्व आय के आकड़े देखने से पता चलता है कि प्राप्त आय विभिन्न श्रेणियों में विभाजित की गई थी। ऐसी एक श्रेणी 'खालसा' थी किन्तु इसके अतिरिक्त अन्य दो श्रेणियाँ 'घाकरन' और 'बाजी' थी। इन दोनों श्रेणियों के लिए कुछ खर्च बाट दिए गए थे जिसका पता इन प्रातों की

सरकारी टिप्पणियों से घलता है। 'घाकरन' श्रेणी से प्रशासन और अर्थव्यवस्था या लेखा विभाग के कर्मचारियों का वेतन दिया जाता था। जबकि 'बाज्री' श्रेणी से धार्मिक और सेवा से संबंधित क्रियाकलापों के साथ जुड़े हुए लोगों को सहायता की जाती थी। इसी श्रेणी की आय से अच्छी खासी राशि सभी प्रकार के धार्मिक स्थान छोटे बड़े मठ मंदिर मस्जिद आदि के संरक्षण हेतु खर्च की जाती थी। इस आय का कुछ हिस्सा अग्रहारम् अथवा तो बंगाल और दक्षिण भारत में जिसे 'ब्रह्मदेय' कहा जाता है उसके लिए खर्च किया जाता था। उपरान्त इस आय का कुछ हिस्सा पंडित कवि ज्योतिषी वैद्य विद्वान् आदि जैसी विशिष्ट प्रतिभाओं के सम्मान में खर्च किया जाता था। इतना ही नहीं बल्कि कुछ विशिष्ट उत्सवों के लिये उत्तर प्रदेश के मंदिरों में गंगाजल पहुँचाने का खर्च भी ऐसी एक श्रेणी की आय से किया जाता था।<sup>१५</sup>

बंगाल के हुगली जिले के वर्ष १७७० की टिप्पणी में इस प्रकार के खर्च के लिए बताया गया है कि 'बाज्री' श्रेणी से दी जानेवाली सहायता के कारण ही लगभग आधा प्रदेश सबल प्राप्त कर रहा था।<sup>१६</sup> बंगाल बिहार में 'बाज्री' श्रेणी से आर्थिक सहायता प्राप्त करनेवाले व्यक्ति और सस्थाओं की कुल संख्या ३० ००० से ३६ ००० जितनी ऊँची थी। एच टी प्रिन्सेस<sup>१७</sup> के द्वारा बताया गया है कि वर्ष १७२० में 'बाज्री' श्रेणी से सहायता प्राप्त करने के लिए ७२ ००० जितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे।

सन् १७५० से १८०० के मध्य राजकीय सामाजिक अन्वस्था के वर्षों के बाद चेन्नाई प्रांत में अंग्रेजों का पूर्ण शासन स्थापित हुआ। उसके बाद ये सहायताएँ कुछ अरसे तक बनी रही थीं। सन् १८०१ में बेलारी और कन्नड़ जिलों की लगभग ३५ प्रतिशत कृषि की ज़मीन किसी भी प्रकार के राजस्व से मुक्त थीं किन्तु टोमस मनरो ने ऐसी 'राजस्व मुक्त' ज़मीन की मात्रा येनकेन प्रकारेण केवल ५ प्रतिशत कर दी। इसके बाद अन्य जिले भी ऐसी 'राजस्व मुक्त' कृषि भूमि की मात्रा कम करते गए थे।

सन् १८०५ से १९२० के वर्षों में चेन्नाई प्रांत के विभिन्न जिलों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर समाज के व्यक्तियों तथा सस्थाओं को दी जानेवाली सहायता के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त होती है। जबकि सरकार ऐसी सहायताओं के लिये कोई नई नीति निर्माण करने या उन नीतियों का पुनर्विचार करने का निर्णय करती थी तब ऐसी सहायताओं के बारे में विवरण जिलों से प्राप्त करती थी। अप्रैल १८१३ में तंजापुर जिले ने भेजी हुई जानकारी में बताया गया था कि जिले के छोटे बड़े कुल

मिलाकर १०१३ मदिरो को<sup>१</sup> तथा ३५० से ४०० व्यक्तियों को ऐसी सहायता दी जाती थी। तजापुर जिले का यह पत्र अध्याय ९ और १० में प्रस्तुत है। वह दर्शाता है कि मदिरो को ४३ ०४७ स्टार पेगोडा और अन्य व्यक्तियों को ५ ९२९ स्टार पेगोडा की सहायता दी गई थी। स्टार पेगोडा वह मुद्रा थी जिसका मूल्य ३ ५० रु होता था। अंग्रेज सरकार से प्राप्त जानकारी से ज्ञात होता है कि चेन्नई प्रांत की तरह अन्य सभी प्रांतों में भी विभिन्न प्रकार से दी जानेवाली सहायताओं की मात्रा लगभग समान ही रहती थी। इससे यह कहा जा सकता है कि अंग्रेज सरकार की राजस्व आय का लगभग ३३ प्रतिशत हिस्सा इस प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक उत्कर्ष के कार्य में खर्च होता था। अन्य एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि उस समय किन्तानों से वसूला जानेवाला लगान भी बहुत ही कम था। साथ ही जिसका विश्वास नहीं हो सकता ऐसी एक बात यह भी थी कि सन् १७५० तक मलबार जिले में भूमि पर किन्सी भी प्रकार का लगान नहीं वसूला जाता था।<sup>२</sup> हालांकि वहाँ व्यापार और न्यायक्षेत्र में मिश्र मिश्र प्रकार के कर थे। टीपू सुलतान के समय में भी मलबार में भू राजस्व दर अत्यंत कम था। तथापि जिन जिन क्षेत्रों में अंग्रेजों का आधिपत्य पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता था वहाँ अंग्रेज ये सहायताएँ देना किन्सी भी प्रकार से बंद कर देते थे। सन् १७५७-५८ के बाद बंगाल और बिहार में ऐसी सहायता देना बंद कर दिया गया था और सन् १८०० तक 'चाकरन' और 'बाजी' श्रेणियों से दी जानेवाली सहायता बंद कर दी गई थी। साथ ही अन्य प्रकार की सहायताओं की मात्रा भी किन्सी प्रकार से कम कर दी गई थी। सहायता की मात्रा कम करने की एक प्रयुक्ति राजस्व में बढ़ोतरी करने की थी। ऐसी प्रयुक्तियों के परिणाम स्वरूप राजस्व आय में वृद्धि और सहायता की मात्रा में कमी हुई। उसके बाद पैसे का अल्पमूल्यन किया गया। अब व्यक्ति और सस्थाओं को दी जानेवाली सहायता से वे पहले की तरह अपने आर्थिक व्यवहार नहीं कर पाते थे। जिनकी सहायता बिलकुल बंद कर दी गई थी वे तो सर्वथा असहाय बन गए थे और भीख मागने पर आ गए थे। केवल ऐसी सहायता पर जीने वाले परिवारों को शिक्षा दवाई तथा अतिथि सत्कार जैसे दैनन्दिन जीवन से सम्बन्धित कार्यों को बंद करने की विवशता हो गई थी। चेन्नई प्रांत के समाहर्ताओं के पत्रों से विभिन्न प्रकार की सहायता के बारे में तथा सस्कृत परिशियन पठानेवाले शिक्षकों को व प्राथमिक शाला के शिक्षकों को प्रतिदिन दिया जानेवाले अनाज या नरुद राशि की सहायता के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। कई समाहर्ताओं ने केवल अपने जिले में ही दी जानेवाली आर्थिक सहायताओं का उल्लेख किया है। किन्तु सन्



१७९२ से १८०६ के वर्षों में जहाँ टीपू सुलतान का शासन था वहाँ सर्वत्र ही टीपू के आदेश से ये सहायताएँ देना बंद कर दिया गया था तथापि कुछ अधिकारियों की धालाकी के कारण सहायता बंद करने के टीपू के आदेश का पालन होता ही नहीं था ऐसे सकेत भी मिलते हैं। इस प्रकार ऐसी सहायताएँ बंद करके विरोधियों को वध में रखने की टीपू की योजनाओं का वास्तविक फायदा तो अंग्रेजों ने उठाना था।

अंग्रेजों ने भी अपने शासन क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसी सहायताएँ सन् १८०० से पूर्व ही बंद कर दी थीं। इसके लिए सर्वप्रथम ऐसी सहायताओं में बड़े पैमाने पर कटौती की जाती थी। जैसे कि त्रिचिनापल्ली जिले में ऐसी सहायताओं में ९३ प्रतिशत की कमी करके पूर्व में दी जानेवाली २ ८२ १४८ स्टार पेगोडा सहायता के स्थान पर केवल १९ १४३ स्टार पेगोडा की ही सहायता की गई।

भारत की बुनियादी परंपरागत शिक्षा पद्धति के बारे में बेसारी जिले के समाहर्ता का विवरण प्रथम जानकारियों से समृद्ध और प्रसिद्ध है। तथापि उसमें दी गई आकड़ों की जानकारी अत्यंत कम है।<sup>८१</sup> इस विवरण में समाहर्ता ए. डी. कैम्पबेल अपने पद की सीमा में रहकर अत्यंत महत्त्वपूर्ण सकेत देते हैं। वे बताते हैं कि शिक्षा पद्धति के क्षय के बारे में तो देश में शनैः शनैः सर्वत्र फैलती जानेवाली गरीबी ही जिम्मेदार है। साथ ही यूरोपीय उत्पादों के कारण भारत के उत्पादन कार्य के साथ जुड़े हुए वर्ग की आय में बहुत ही कमी आ रही है।

इस देश की पूजा को इस देश में ही व्यवसाय हेतु लगाने के खिलाफ कानून से पाबंदी लगाकर इस पूजा के द्वारा यूरोपीयों के कोष भरने से यहाँ के लोगों की गरीबी में बढोतरी हुई है। अतः अब ऐसे अनेक गाँव हैं जहाँ पहले पाठशाला थी किन्तु अब एक भी शाला नहीं है जबकि शासकीय सहायता के बिना किसी भी देश में ज्ञान की दिशाएँ विकसित नहीं हो सकतीं। हालांकि भारत के इस प्रदेश में तो विज्ञान के विकास के लिए एक समय जो सहायता दी जाती थी वह बहुत पहले ही बंद कर दी गई थी। मुझे यह बताने में अत्यंत क्षोभ हो रहा है कि इस जिले की ५३३ जितनी शैक्षणिक संस्थाओं में से आज एक भी संस्था को सरकारी सहायता नहीं मिलती है। जब यहाँ हिन्दुओं का शासन था तब इन संस्थाओं को बहुत सहायता दी जाती थी। भूमि का दान भी मिलता था। आज भी यहाँ ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में वक्षिणा दी जाती है। सत्ताधीशों के द्वारा विद्याधामों को सम्मान देने की परंपरा भारत में प्राचीन समय से घली आ रही है। इन विद्याधामों को अन्य स्रोतों से प्राप्त न हो सकनेवाली सभी सहायताएँ पहुँचाने का काम सत्ताधीशों का दायित्व रहता था। पूर्व के शासकों ने भी

इन विद्याघामों को दी जानेवाली सहायताओं में कटौती नहीं की थी और न ही उसके लिए कोई शर्त तक की थी। बिना किसी प्रकार के शुल्क के निरपेक्ष भाव से विद्यालय चलानेवाले सत और ज्ञानी पुरुषों को तो शासक खुले हाथ से सहायता करते थे। अपने राज्य के कल्याण के लिए ऐसे सत पुरुषों के आशीर्वाद प्राप्त करते थे। इन विद्याघामों को केवल शासकीय नहीं बल्कि समाज के लोग भी सहायता करते थे। इसके लिए कोई लिखित नियम न होते हुए भी इस प्रकार दिए जानेवाले निःशुल्क शिक्षण के लिए सहायता करना सबका कर्तव्य माना जाता था।

बेल्गारी के समाहर्ता कैम्पबेल एक समझदार और अनुभवी अधिकारी थे। समाहर्ता बनने से पूर्व उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवन्यू के सचिव के तौर पर काम किया था। टोमस मनरो के वे अत्यंत प्रिय अधिकारी थे। मनरो भी अपने दिनांक १०-३-१८२६ के एक पत्र में स्वीकार करते हैं कि भारत की आधारभूत परंपरागत शिक्षा पद्धति अंग्रेजों के शासन से पूर्व के समय में अच्छी चलती थी। मनरो किस्तने भी सक्षम क्यों न हो वे एक अंग्रेज गवर्नर थे और यह कहने की स्थिति में नहीं थे कि जबसे अंग्रेजों ने सारी राजस्व आय की व्यवस्था केन्द्रस्थ की तब से यहाँ की शिक्षा पद्धति के पतन का प्रारम्भ हुआ था। अंग्रेजों ने जहाँ जहाँ भी शासन किया वहाँ के दफ्तर से इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। लिटनर ने पंजाब में इस दिशा में परिश्रमपूर्वक बहुत काम किया था। महात्मा गांधी को आनेवाले दिनों में निर्माण होनेवाली परिस्थितियों का पहले से ही पता चल गया था। इसी कारण से उन्होंने हार्टोग को पत्र में स्पष्टरूप से बता दिया था कि आनेवाले दिनों में होनेवाली परिस्थिति के जो सकेत मैं देख रहा हूँ, उसी के आधार पर चेधम हाउस में दिए वक्तव्यों पर मैं अडिग हूँ।

१

मैकोले के कुछ थोड़े वर्ष बाद कार्ल मार्क्स भी भारत के बारे में इसी प्रकार का विषय वचन करता है। दिनांक २५-६-१८५३ को न्यूयॉर्क के दैनिक 'डेइली ट्रिब्यून' में मार्क्स भारत को 'ईसाई मत की स्थापना के पूर्व से ही सदा के लिए दरिद्र और कजूस देश' बताता है। भारतीय समाज जीवन को सर्वथा निभ्राण गौरवहीन और गतिहीन बताता है। वह कहता है कि भारत के लोग प्रकृति के स्वामी मनुष्य को छोड़ कर प्रकृति को ही मजते हैं। अंग्रेजों ने भारत में चाहे कैसे भी अत्याचार किए हों किन्तु भारत के पाश्चात्यीकरण के लिए तो इस्लैण्ड एक परोक्ष साधन ही है।

इसी प्रकार सुप्रसिद्ध अंग्रेज लेखक जेम्स स्टुअर्ट मिल भी अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ़ ब्रिटिश इण्डिया' (१८१७) में भारतीय ज्ञान एवं साहित्य और संस्कृति

की तीव्र आलोचना करते हैं। तीन खण्डों में लिखित इस पुस्तक का सदर्थ लेना मात्र भारतीय इतिहास पर लिखी गई पुस्तकों के लिए अनिवार्य हो गया है। यही नहीं मिल के अभिमत की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। इतना व्यापक प्रभाव इस पुस्तक का है। इस पुस्तक में मिल ने लिखा है काम करने में गभीरता की घनी अस्ख चलकपट औरों की सवेदनाओं की उपेक्षा भ्रष्टाचार आदि हिन्दूओं और मुस्लिमों के सामान्य लक्षण हैं। मुस्लिम सपन्न होते हैं तो वे आनन्द प्रमोद में धन खर्च कर देते हैं किन्तु हिन्दू तो हीजडों की तरह दरिद्र जीवन जीना ही पसन्द करते हैं। चीनी लोगों की तरह हिन्दू भी अन्य किसी असस्कृत समाज की तरह बहुत ही लुभे कपटी और झूठे हैं। हिन्दू और चीनी अपने आपको सदा बड़ा घड़ाकर बताते हैं। वे कवर सवेदनाहीन आत्मवचना में डूबे हुए हमेशा औरों की आलोचना करनेवाले तथा जुगुप्सा की सीमा तक गदे होते हैं।

सामतशाही समय के यूरोप के लोगों के साथ भारत के लोगों की तुलना कस्के मिल लिखता है यूरोप के लोगों में अनेक कमियाँ और दोष रहते हुए भी दर्शनशास्त्र न्यायपद्धति और शासन व्यवस्था के क्षेत्रों में वे भारतीयों से तो कहीं आगे थे। उनका साहित्य भी भारतीय साहित्य की अपेक्षा श्रेष्ठ था। यूरोपीय राष्ट्रों की तुलना में युद्ध कौशल में भी हिन्दू निम्न कक्षा के थे। कृषि क्षेत्र में यूरोपीय प्रजा हिन्दुओं से आगे थी। भारत में शस्त्रों के ठिकाने नहीं थे और नदियों पर पुल भी नहीं थे। औषध विज्ञान के विषय में एक भी वैज्ञानिक पद्धति का ग्रन्थ नहीं था। हिन्दू शल्य चिकित्सा नहीं जानते। भारत की परंपरागत शिक्षा पद्धति की विषय वस्तु की समीक्षा करना भी आवश्यक है।

बेल्गारी के समाहर्ता ए. डी. केम्पबेल के उपर्युक्त अति प्रसिद्ध पत्र का आधार लेकर अग्रेजों ने ऐसा रीब जताने का प्रयत्न किया था कि भारत में अक्षरज्ञान केवल 'व्यावसायिक व्यवहार चलाने के लिए' ही दिया जाता है। अतः इस शिक्षा पद्धति में थोड़ा कुछ अक्षरज्ञान और कुछ अकज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इससे भी आगे अग्रेजों ने भारतीय शिक्षा पद्धति को 'खराब और उसके अंत की ओर गतिमान पद्धति बताई थी। जबकि गांधीजी ने इस शिक्षा पद्धति को मूल से उखाड़ दिये गये वृक्ष के समान बताया था। कुछ भी हो इस शिक्षा पद्धति के क्षय के लिए यह थोड़ा सा अक्षरज्ञान और अंका ज्ञान' जैसे कारण किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं थे। क्योंकि इसी समय इंग्लैण्ड की पाठशालाओं में भी इसी प्रकार की या इससे भी कम मात्रा में शिक्षा दी जाती थी। वर्ष १८३५ तक तो इंग्लैण्ड की शालाओं में शिक्षा की कालावधि

केवल एक वर्ष की थी जो १८५१ में बढकर दो वर्ष की कर दी गई थी। ए इ डोज़ तो यहाँ तक बताता है कि अनिष्ट परिणामों के भय के कारण कई गाँवों की पाठशालाओं में लिखना भी नहीं सीखाया जाता था।

अंग्रेजों के आत्यतिक लोभ के कारण भारतीय समाज धर्म और सस्कृति जिन आधारों पर टिके थे वे मूल स्रोत ही अदृश्य होने लगे थे। अपना शासन अच्छी तरह से चलता रहे उस प्रयोजन से भारत के धर्म सस्कृति शिक्षा पद्धति आदि आधारभूत सस्थाओं को छिन्नभिन्न कर डालना अंग्रेजों के लिए आवश्यक था। इसी कारण से भारत में अंग्रेज प्रेरित शिक्षा पद्धति जब तक व्यवहार में नहीं आई थी तब तक नैतिक एडम आदि भारतीय शिक्षा पद्धति की सर्वथा उपेक्षा करते रहे थे। सन् १८१३ तक विलियम विल्बरफोर्स ने अंग्रेजों के इस उपेक्षा भाव को खुलकर व्यक्त किया था। उसने कहा कि भारतीय समाज तो धार्मिक मान्यताओं में जड़ता पूर्वक जकड़ा हुआ है और उसका सामाजिक तथा नैतिक अध पतन हो गया है।<sup>८२</sup>

मेकोले ने भी यही बात भिन्न प्रकार से की। उसने कहा भारत का समस्त ज्ञान और विद्वता यूरोप के किसी अच्छे पुस्तकालय के एक टॉडे में ही समाया है। सस्कृत में लिखे गए ग्रन्थ इम्लैण्ड के प्राथमिक विद्यालयों में पढाये जानेवाली अत्यंत सामान्य स्तर की पुस्तकों से भी निम्नस्तर के हैं।<sup>८३</sup> मेकोले को भारत का समस्त ज्ञान साहित्य धर्म सभ्यता विद्वता आदि सर्वथा निकम्मे लगते थे। एक भी अधिकृत ग्रन्थ इन लोगों के पास नहीं है। शल्य क्रिया उनके लिए बिलकुल अपरिचित विषय है। दासतायुक्त मानसिकतावाले हिन्दुओं की तुलना में शिष्टाचार चरित्र और शौर्य के मामलों में यूरोप के लोग अत्यंत ऊँचे स्तर के थे।

हिन्दू केवल कपड़े की बुनाई और रगाई में निम्न स्तर के आभूषण बनाने में रत्नकला कौशल में स्त्रैण लक्षणों में और वाक्छटा में यूरोपीयों की तुलना में बढकर थे। चित्रकला शिल्पकला व स्थापत्य में हिन्दू यूरोप के लोगों से जरा भी बढकर नहीं थे। जबकि बेदब साधनों का उपयोग करने में निपुणता इस विवेकहीन समाज का मौलिक लक्षण है।

भारत के बारे में अपने अभिमत के अंत में मिल लिखता है अत्यन्त अधिवेकी होने पर भी हमारे पुरखे किसी भी काम को पूरी गमीरता से करते थे जबकि हिन्दुओं की बाहरी घमक-दमक के भीतर अत्यधिक छल प्रपच और कपट छिपा होता है। मध्यकालीन राष्ट्रों में स्थिरता आने पर यूरोप के उन देशों के लोगों में हिन्दुओं से उत्कृष्ट प्रकार के चरित्र और शिष्टाचार दिखाई देते हैं।<sup>८४</sup>

विल्बर फोर्स मेकोले और मार्क्स की तरह मिल को भी भारत के शिष्टाचार, रीतिरिवाज तथा सभ्यता अत्यंत जगली लगती थी और ऐसे भारत को सुधारकर उसे सभ्य और सुसस्कृत बनाने के मार्ग उसने बताया थे। मिल के मतानुसार 'भारतीयता' त्यागने से "विल्बरफोर्स के मतानुसार 'ईसाई' मत अपनाने से मेकोले के मतानुसार 'अग्रेजियत' अपनाने से और मार्क्स के मतानुसार 'पाश्चात्यीकरण' का स्वागत करने से ही भारत एक सभ्य सुसस्कृत देश बन सकता है।

इससे पूर्व लंदन में रहकर २० वर्ष तक भारत के राज्यतंत्र का सवालन करनेवाला हेनरी क्लाइस यह मानता था कि भारतीय अग्रेजों से निम्न कक्षा के ही हैं और उनमें यदि कुछ कृताज्ञता का भाव है तो उन्होंने अपने देश में हुए विकास के लिए अग्रेजों को उनके ज्ञान और परोपकारी कार्यों के लिए धन्यवाद देना चाहिए।<sup>११</sup>

भारतीय सभ्यता और शिक्षा पद्धति के बारे में ऐसे घृणास्पद आक्षेप के परिणामस्वरूप भारतीय शिक्षापद्धति को बहुत सहना पड़ा। भारतीय शिक्षापद्धति का यथाशीघ्र अन्त हो जाए उस हेतु से उसका अनवरत मज्राक उखाटे रहना उसे धिक्कारना तथा उस अस्तित्व के लिए आवश्यक सभी स्रोतों का लोप हो जाने की व्यवस्था करना अग्रेजों के लिए आवश्यक था। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कभी एक भी शिक्षा संस्था बंद नहीं करवाई या वैसे कदम भी नहीं उठाए क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। शिक्षा पद्धति का मखौल करने से शिक्षा के सभी स्रोत बंद कर देने से ही उनका इच्छित कार्य सिद्ध हो जाता था।

आनेवाले दिनों में अग्रेज भारत में क्या करना चाहते थे उसके संकेत हमें लंदन से चेन्नई सरकार को लिखे गए एक पत्र से प्राप्त होते हैं। चेन्नई प्रांत में भारतीय शिक्षापद्धति पर हुए सर्वेक्षणों की सभी जानकारी लंदन भेजी गई उससे पूर्व यह पत्र लिखा गया है। इस पत्र में सर्वेक्षण का स्यागत किया गया था तथा इन सर्वेक्षणों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाएगा ऐसा भय लोगों में न फैलने पाए उसकी सतर्कता बरतने की सूचना समाह्वार्ताओं को दी गई थी उसका इस पत्रमें समर्थन किया गया था। किन्तु आगे इस पत्र में खुलकर बताया गया है कि साथ साथ इन अर्थहीन शिक्षा संस्थाओं के सुधार के संबन्ध में चेन्नई प्रांत के लोगों को किसी भी प्रकार की सहायता देना भी अत्यंत गलत कदम कहा जाएगा। अत्यंत घालाफी से और सावधानी से प्रयुक्त शब्दोंवाले इस पत्र की भाषा के द्वारा अग्रेजों के मानस में क्या चल रहा था उसका संकेत मिल जाता है। साथ ही उसका प्रियान्वयन

इस शिक्षापद्धति की लगातार मजाक उड़ाकर आलोचना करके और सर्वथा उपेक्षा करके किया जा रहा था। तथापि किन्हीं कारणों से किसी शिक्षा संस्था को मिलनेवाली सहाय्य घालू रह जाए तो वह भी अंग्रेज सह नहीं पाते थे। परिणाम स्वरूप भारत की मूल परंपरागत शिक्षा पद्धति मृत प्राय बनती गई और आखिर नष्ट हो गई।

इस प्रकार भारतीय शिक्षा पद्धति का जड़ समेत नाश होने के लिए अंग्रेजों के कृत्य जिम्मेदार हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति के स्थान पर लादी गई विदेशी शिक्षा पद्धति जिसकी जड़ें इस भूमि में न होने से भारत में उसका विचित्र असर देखने को मिलता है। सर्व प्रथम तो भारत में साक्षरता के विषय में ऐसी तबाही मच गई कि समग्र विश्वभर में प्रचारित प्रसारित किए गए साक्षरता के अनेक प्रयासों के बावजूद भारत में साक्षरता क्षेत्र में आज सफलता नहीं मिल पाई है। दूसरा उससे भारत में शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त सामाजिक संतुलन का भी अंत हो गया है। पहले तो समाज के सभी वर्ग सभी क्षेत्र के लोग किसी भी प्रकार की जाति आदि रूकावटों के बिना पाठशालाओं में एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे उसकी वजह से सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रकृत होने के लिए सभी को प्रोत्साहन मिलता रहता था। उस शिक्षा पद्धति का अंत होने से आज जो अनुसूचित जाति के लोग कहे जाते हैं उनकी सामाजिक स्थिति बहुत ही गिर गई है। हाल ही के वर्षों में इन लोगों के साथ सामाजिक समभाव स्थापित करने के जो प्रयास हो रहे हैं वह सामाजिक संतुलन की पुनः स्थापना की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं किन्तु सर्वाधिक अनिष्ट परिणाम तो यह हुआ कि उससे भारत का शिक्षित वर्ग अपने ही समाज और संस्कृति के बारे में अज्ञानी और अपरिचित रह गया। इससे भी विशेष दुःखदायक बात तो यह हुई कि वह स्वाभिमानशून्य और आत्मविश्वासहीन हो गया। दो शताब्दी पूर्व भारत की शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां तथा इस शिक्षा पद्धति का किसी भी प्रकार से नाश करके उसके स्थान पर लादी गई अंग्रेज प्रेरित शिक्षा पद्धति जो अब एक इतिहास का विषय बन गई है। और फिर हमारी मूल शिक्षा पद्धति निकट भविष्य में पुनः अपनाई जाए तो भी उसकी कई बातें आज के सदर्भ में अप्रस्तुत लगने लगी हैं। वैसे तो आज की शिक्षा पद्धति की भी कई बातें अत्यधिक असंगत हैं। भारत का भव्य भूतकाल और आज के भारत में जन्मी पनपी असंख्य परस्पर विरोधी समस्याओं के बारे में आज आवश्यक चिंतन किया जाएगा तभी भारतीय समाज के योग्य और आवश्यक व्यवस्था का अमृतकुंभ प्राप्त हो सकेगा।

## संदर्भ

- १ ए. ई. डोमर एज्यूकेशन एण्ड सोशल मूवमेण्ट्स, १७००-१८५० (Education and Social Movements 1700-1850) लन्डन १९१९ पृ ८० तथा पृ १९
- २ वही पृ ८३
- ३ वही पृ १०४
- ४ वही पृ १०५
- ५ वही पृ १०४
- ६ वही पृ ३३
- ७ वही पृ १३९
- ८ वही पृ १३९
- ९ वही पृ १४०
- १० वही पृ १५८
- ११ जे. डबल्यू. एडमसन : शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास । A short History of Education, कैम्ब्रिज १९१९ पृ २४३
- १२ वही पृ २४३
- १३ वही पृ २४६
- १४ हाऊस ऑफ़ कॉमन्स पेपर : House of commons paper 1852 53 Vol. 79 पृ ७१८
- १५ एडमसन पृ २३२
- १६ डोमर पृ १५७ ८
- १७ २१ अगस्त १९४७ के अर्स स्पेन्सर दूसरे को लिखे पत्र में विलियम जोन्स का तट पर स्थित गवदीय के ब्राह्मण विद्यापीठ का विस्तृत वर्णन करते हुए बताया है कि यह तीसरा विद्यापीठ है कि जिसका मैं सदस्य बना हूँ। श्री लेटर्स ऑफ़ सर विलियम जोन्स' ले जी. के.एन., १९७० पृ ७५४
- १८ इंग्लैण्ड का चौथा विश्वविद्यालय 'युनिवर्सिटी ऑफ़ लंदन' (University of London) की स्थापना सन् १८२८ में हुई।
- १९ दी हिस्टोरिकल रजिस्टर ऑफ़ दी युनिवर्सिटी ऑफ़ ओक्सफ़र्ड (The Historical Register of the University of Oxford १२४०-१८८८ ऑक्सफ़र्ड १८८८ पृ ४५ से ६५।
- २० इन अर्थिकल ब्रि. जानकारी लेखक के निवेदन के सम्बन्ध में आक्सफ़र्ड युनि. द्वारा नवम्बर १९८० में पहुँचाई गई थी।
- २१ गीता धर्मपाल के सार्वोल. पेरिस में प्रस्तुत किए गए शोध प्रबंध में इन पाण्डुलिपियों का निर्देश है। ये प्रतियाँ पेरिस चाइस लंदन तथा रोम के संग्रहालयों में आज भी सुरक्षित रहीं हैं।
- २२ लेखक की अन्य एक पुस्तक Indian Science and Technology in the Eighteenth Century Some Contemporary European Accounts में जॉन

- प्लेफेर द्वारा लिखा गया Indian Astronomy लेख प्रस्तुत किया गया है। पृ ४८ ९३।
- २३ एडिनबर्ग युनिवर्सिटी एडम फर्ग्युसन का जहोन मैकफरसन को पत्र दि. ९ ४ १७७५
- २४ एडिनबर्ग : स्कॉटिश रेकोर्ड ऑफिस मेल्बिल पेपर्स जीडी ५१/३/६१७/१ २ प्रा ए. मैकनोची हेन्री डब्लस के प्रति
- २५ एडिनबर्ग : नेशनल लाइब्रेरी ऑफ् स्कॉटलैण्ड : एमएस : ५४६ ऐसा ही एक अन्य पत्र लोर्ड कर्नवालिस को दिनांक ७ ४ १७८८ के दिन सुपुर्द किया गया था।
- २६ हेन्साई २२ जून १८१३ कॉलेज ४३२ ३
- २७ हेन्साई २२ जून और १ जुलाई १८१२
- २८ रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ् एज्युकेशन इन बंगाल १८३५ पृ ६
- २९ हाउस ऑफ् कॉमन्स पेपर्स १८१२ १३ खण्ड ७ पृ १२७
- ३० वही १८३१ ३२ खण्ड ९ पृ ४६८
- ३१ एडिनबर्ग रिव्यू खण्ड ४ जुलाई १८०४
- ३२ फिलिप हार्टोग वही पृ ७४
- ३३ इसका एक कारण भारत की शाखाओं में मौलिक व्यवस्था तथा शोध के प्रश्न कम रहते हैं यह हो सकता है।
- ३४ द्विज में ब्राह्मण सक्रिय और वैश्य जातियों का समावेश होता है शूद्रों का समावेश नहीं किया जाता है।
- ३५ शूद्र और अन्य जातियाँ आज जो अनुसूचित जातियाँ मानी जाती हैं उनके लिए यह शब्द प्रयुक्त किया गया मान सकते हैं। इनमें कई जातियाँ 'पचम' के रूप में पहचानी जाती थी।
- ३६ देखिए अध्याय ३ ११
- ३७ देखिए अध्याय ४ और ५ के अतिरिक्त लंदन से बंगाल सरकार को ३ जून १८१४ के दिन लिखे गए पत्र में बताया गया है कि भारत में चिरकाल से पारंपरिक रूप से चली आ रही शिक्षाप्रणाली जो हमारे देश में चैम्पई से पूर्व पादरी डॉ बेल के द्वारा लाई गई थी की यहाँ सर्वत्र प्रशंसा हो रही है।
- ३८ देखिए अध्याय ३ १९
- ३९ देखिए अध्याय ३ २०
- ४० यह सर्वेक्षण सन् १८१२ में हुए थे। व्यवसायों में जाति के परिप्रेक्ष्य में कुछ जानकारी १७ सितम्बर १८२१ तथा १ मार्च १८३७ के चैम्पई बोर्ड ऑफ् रेवन्यू प्रोसीडिंग्स से भी मिल जाती है।
- ४१ देखिए अध्याय १ २१
- ४२ देखिए अध्याय १ ९
- ४३ देखिए अध्याय १ १६
- ४४ देखिए अध्याय १ १७
४५. गुट्टर का समाहर्ता भी डब्ल्यू एडम जैसा ही अभिमत रखता है। एडम ने लिखा है कि 'नदिया (मन्दाकिनी) में समस्त भारत से दूर दूर के गाँवों से विशेष रूप से दक्षिण भारत से बड़ी संख्या



में छात्र अध्ययन हेतु आते हैं। (वि एडम पृ ७८ १९४१)

४६ देखिए अध्याय ३ २३

४७ प्रांत में स्थित १४५ परियोजना पाठशालाओं में अधिकतर मुस्लिम छात्र आते थे। केवल जर्न आर्कोट में दो हिन्दू थे। यद्यपि बहुत सी मुस्लिम कन्यारों इन पाठशालाओं में आती थीं।

४८ देखिए अध्याय ३ २१

४९ देखिए अध्याय ३ २८

५० अनेक प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि इंग्लैण्ड के लोग इस बात का स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे कि शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों की संख्या इंग्लैण्ड की अपेक्षा भारत में अधिक थी। साथ ही अंग्रेजों का भारत के लिए इस प्रकार का पूर्वाग्रह प्रत्येक क्षेत्र को लागू था। इसके लिए ही भारत के किसानों को उनके अनेक अधिकारों से अंग्रेजों ने वंचित कर दिया था। इंग्लैण्ड के हाऊस ऑफ कॉमन्स के पाँचवें विवरण में कहा गया है कि 'भारत के भूमिधारकों को इंग्लैण्ड के विधेयोंवाली कृषि में तुलना में ज्यादा अधिकार नहीं मिल सकते। (हाऊस ऑफ कॉमन्स पेपर्स १८१२ भाग ७ पृ १०५)

५१ देखिए अध्याय ३ २१ और १७

५२ चेन्नई प्रांत के विद्यालयों महाविद्यालयों के छात्रों का जाति आधारित विभाजन प्रकटित नहीं हुआ है। किन्तु हिन्दू-मुस्लिम छात्रों का तथा कुमार और कन्या छात्रों का विभाजन सन् १८३२ में हाऊस ऑफ कॉमन्स पेपर्स में प्रकटित हुआ था। अतः तक अनेक शोधकर्ता और अध्यापकों ने मसबार जिले के कुमार छात्रों कन्या के अंकुशों का अध्ययन तो किया ही होगा किन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि इस विषय पर प्रकटित हुए एक भी शोधकर्ता ने इन सर्वेक्षणों का उल्लेख भी नहीं किया है।

५३ यह रिपोर्ट सर्व प्रथम सन् १८३५ १८३६ और १८३८ में प्रकटित हुआ था किन्तु ये दोनों रिपोर्ट्स साधारण कट छूट के साथ सन् १९६८ में कोसकथा के रेव जे लॉग के द्वारा एक साथ प्रकटित हुए थे जिसमें ६० पृष्ठों की विशेष रूप से नकारात्मक प्रकृतियों की प्रस्तावना थी। सन् १९४१ में लॉग द्वारा की गई कट छूट वाले हिस्से को फिर से जोड़कर तथा लॉग की ६० पृष्ठों की प्रस्तावना के साथ साथ अनसूचनाय वास्तुने लिखी ४२ पृष्ठों की नई प्रस्तावना के साथ यह पूरा रिपोर्ट कोसकथा युनिवर्सिटी ने पुनः प्रकटित किया। इस अंतिम संस्करण का कपी भी बहुत अध्ययन या समीक्षा नहीं हुई। फिर भी शिक्षा के इतिहास की बात होती है जब इस पुस्तक का सन्दर्भ हमेशा दिया जाता है।

५४ इसी विवरण के पृ ६ और ७ पर एडम ने पाठशालाओं की संख्या के लिए आंकड़ों के लिए कोई आश्चर्य नहीं था। क्योंकि इससे पूर्व भी कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने इस प्रकार के निरीक्षण किए थे। टोमस मन्रो ने हाऊस ऑफ कॉमन्स के समक्ष इन प्रमाणों के साथ बताया था कि 'अन्य सांस्कृतिक आधार पर इंग्लैण्ड और भारत के बीच आदान प्रदान किया जाए तो इंग्लैण्ड के हिस्से में आयात करना ही होगा। भारतीय संस्कृति के लिए ऐसा आदर्शपूर्ण विधान करनेवाले मन्रो आगे कहते हैं 'अवस्थान और अंकुशित की शिक्षा के लिए यहाँ के प्रत्येक नाँव में शालाएँ थीं।' (हाऊस ऑफ कॉमन्स पेपर्स १८१२ १३ भाग ७ पृ १३१) भारतीय संस्कृति

- और शिक्षा के लिए ऐसा विधान मनरो ने उसके भारत में निवास के ३० वर्षों के बाद किया था।
- ५५ इस प्रकार की विचित्रता पद्धति की विशेष जानकारी के लिए देखिए इसी लेखक की पुस्तक 'इण्डियन सामन्त एण्ड टेक्नोलॉजी इन एटीन्थ सेन्चुरी' पृ १४३ १६३)
- ५६ वेल्स की तुलना में यह आच्छे अत्यन्त अलग है। वहाँ परिश्रम का अध्ययन करनेवाले छात्र कम थे और वे अधिकांशतः मुसलमान थे। एडम ने लिखा है 'जब बरसक चार वर्ष चार मास और चार दिन का होता है तब उसे शाला में प्रवेश दिया जाता है' पृ १४९)
- ५७ इस सर्वेक्षण का शीर्षक था 'डिस्ट्री ऑफ इण्डिजीनिस एज्युकेशन इन दी पंजाब सिन्थ एनक्वैरिन्ग एण्ड इन १८८२ (प्रथम प्रकाशन १८८३ पुनर्मुद्रण १९७३ पटियाला)।
- ५८ सर्वत्र शासन करने का स्वयं को दैवी अधिकार प्राप्त हुआ है ऐसा अंग्रेज पहले से ही मानते आए हैं। ए डीफ़ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ़ न्यूयॉर्क फोर्मेरी कौन्सिल न्यू नेदरलैन्ड्स' (१६७०) नामक पुस्तक में डेनियल ने लिखा है अंग्रेज निवासी के तौर पर सबसे पहली बार जब इस क्षेत्र में आए तब से ही भयवान ने मालों उन्हें शासन करने का अधिकार दे दिया लगता था। अंग्रेज जहाँ भी गए, वहाँ उन्हें ऐसा दैवी अधिकार प्राप्त हो जाता है अर्थात् वे किसी भी प्रकार से उस प्रदेश के मूल निवासी इण्डियनों को किसी भी प्रयुक्तियों से मार डालकर या मरवाकर या घातक युक्तियों से उन्हें खदेड़ कर वे शासन करने के अधिकार हस्तगत कर लेते हैं। (पुन प्रकाशित संस्करण १९०२ पृ ४५)
- ५९ देखिए, इसी लेखक की पुस्तक 'इण्डियन सामन्त एण्ड टेक्नोलॉजी इन एटीन्थ सेन्चुरी' में रॉयल सोसायटी लन्दन के अध्यक्ष सर जोसेफ बेन्क्स को डॉ स्कॉट द्वारा दिनांक ७ १ १७९० को लिखा गया पत्र पृ २६५)
- ६० 'न्यूयॉर्क बेङ्गली ट्रिप्युन' दिनांक ८ ८ १८५३ तथा 'सोवियेट एण्ड वेस्टर्न एन्थ्रोपोलॉजी' संपादक अर्नेस्ट कैसनर १९८० नामक पुस्तक में लु जे सिमनोव भी मार्क्स के इस कथन का उल्लेख करते हैं।
- ६१ 'कन्ट एन्थ्रोपोलॉजी' भाग : ७ अंक ४ अक्टूबर १९६६ पृ ३९५ ४४७
- ६२ १८०४ के चैम्पई के गवर्नर लॉर्ड बेन्टिक ने बोर्ड ऑफ़ कन्ट्रोल के अध्यक्ष लॉर्ड केसलरीग को लिखे पत्रमें कहा था 'हमने इस देश पर इतना कठोर शासन किया है कि यह अत्यन्त कल्याणजनक दरिद्रता में सब रहा है। (मोटिगहाम युनिवर्सिटी बेन्टिक पेपर्स पृ ७२२)
- ६३ 'इन्टरनेशनल अफेयर्स' लन्दन नवम्बर १९३१ पृ ७२१ ३९ और वलैक्टैड वर्क्स ऑफ़ महात्मा गांधी भाग ४८ पृ १९३ २०३
- ६४ देखिए, ओरिजिनस ऑफ़ द स्कूल ऑफ़ ओरिएण्टल स्टडीज लन्दन इन्स्टिट्यूट' लेखक । पी जी हस्टिंग १९९७
- ६५ अंग्रेजों ने जबरन लादी हुई शिक्षा पद्धति के बारे में आनंद के कुमारस्वामी ने १९०८ में लिखा था कि 'भारत या श्रीलंका के विविध विद्यालयों के किसी स्नातक को आप महाभारत के बारे में कोई भी प्रश्न करेंगे तो वह उसके उतर के बजाय शंभुसप्तियर के बारे में कहना ज्यादा पसन्द करेंगे। उसके साथ किसी धार्मिक विषयों की चर्चा करने से तो पता चलेगा कि वह जवान यूरोप में पूर्व में दिखाई देनेवाले किसी विग्रे स्नातक जैसा ही हो गया है जिसका कोई धर्म ही नहीं है।

हमना ही नहीं बल्कि दर्शनशास्त्र में भी वह एक साधारण अंग्रेज के समान ही अज्ञान है। जब उसे भारतीय संगीत की बात करेंगे तो वह ग्रामफोन घालू कर देना। भाग उससे पहले वेधभूषा और माधुषर्मा की बात करेंगे तो वह हीघ बोल उठेगा कि वह सब तो बिल्कुल पंजी जैसे ही दिखाई देते हैं। उसे भारतीय कला वैभव तो अपरिचित विषय ही लगता है। अंग्रेजों ने लिखे गए किसी पत्र का उसी की अपनी मातृभाषा में अनुवाद करने के लिए कहेंगे तो वह भी उससे नहीं होगा। इस प्रकार वह अपने ही देश की सभ्यता से बिल्कुल अनजान, अपरिचित बन गया है। मोहन रिव्यू, भाग : ४ अक्टू. १९०८ पृ ३०८)

६६ 'इन्टरनेशनल अपेर्स' जनवरी १९३२ पृ १५१ ८२।

६७ 'हाउस ऑफ कॉमेन्स पेपर्स' १९३१ ३२ भाग : ९ पृ ४६२ में भी यह जगह मिली है।

६८ क्लेरेन्डन प्रेस १९१७ पृ ३९४

६९ 'जर्नल ऑफ़ पेंथल एशियाटिक सोसायटी लंदन १९१७ पृ ८१५ २५।

७० इस व्याख्यान श्रेणी का विज्ञापन लंदन टाइम्स' १ ४ ६ मार्च १९३५ के अंकों में था था। उसके दो व्याख्यानों के विवरण २ और ५ मार्च के अंकों में प्रकाशित हुए थे। २ मार्च के अंक में बताया गया था कि 'वॉरन हेरिंटॉम से लेकर चैम्सफोर्ड तक के सभी महान् ज्ञानियों के ज्ञान में भारत के कितने में और भारत के बुद्धिमान का महत्त्व उपयोग भारत के विकास में करने की शिक्षानैतिक का महत्त्व किया था ऐसा हार्टोम ने बताया था।' रोचक बात तो यह है कि गांधीजी नौसंगेज परिषद के लिए इन्वैण्ड गए थे तब उन्होंने इन्स्टीट्यूट की बैठक में भी उन उन्होंने दिए व्याख्यान अनेक अन्य कार्यक्रम उनके जन्मदिन का महोत्सव आदि को इसी सूत्र पर वे साधारण सी प्रसिद्धि दी थी।

७१ हार्टोम के व्याख्यान पुस्तक के तौर पर प्रकाशित होने से उस पुस्तक का विश्लेषण 'टाइम्स लिटररी सप्लेमेंट' में 'गांधी रिपब्लिकन' शीर्षक से छाया था। उसे बताया गया था कि विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज सरकार की विशेष आलोचना होती रही है किन्तु हार्टोम द्वारा गांधीजी के एक कथन की सूक्ष्म छान-बीन करने पर ज्ञात हुआ कि उसके सभी आरोप हवा में झूठ ही गए। हार्टोम ने उस चुनौती का स्वीकार करके दिया दिया कि प्रमाणों को कैसे निकृत करने वैज्ञानिक सिद्धांत के तौर पर सजा दिए गए थे।

७२ गांधीजी और हार्टोम के बीच हुआ पत्राचार यहाँ अध्याय ८ (१ से ५) में दिया गया है।

७३ दुर्गा प्रान्त में परंपरागत भारतीय शिक्षा पद्धति के सर्वेक्षणों के बारे में एक मुख्ययान पुस्तक प्रकाशित हुई है। श्री आर. वी. पक्लेकर कृत 'सर्वे ऑफ़ इन्डो-जीनिस एज्युकेशन इन टी प्रोविन्स ऑफ़ बोम्बे १८२०-३० १९५१ में इसका प्रकाशन हुआ।

७४ भारत के लिए अमराठीय लेखकों के लेखन के लिए यही बात यथार्थ है। ऐसे लेखकों के भारत विषयक लेखों में उनके देश की सभ्यता शिक्षाव्यवस्था आदि का प्रभाव स्वाभाविक रूप से रहेगा ही। १९वीं शताब्दी के एलकजान्डर वॉकर या हमारे सम्प्रकाशनीय प्रा. बर्टन स्टेन जैसे लेखक भारत को अच्छी तरह से समझ सके थे। तथापि भारत के लोगों को बर्न सा मर्न अपनाया था और उसके बारे में उन लोगों की अपेक्षा कोई भारतीय ही अच्छी तरह से कह सकता है।

७५. बंगाल सरकार को लिखे गये दिनांक ३ ६ १८९४ के एक पत्र में बताया गया है कि 'उने यह

बताने हुए सतोष होता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के खर्च का प्रावधान कृपि उत्पादन पर एक खास कर वसूला जाता है उस कर से शिक्षकों को भी लाभान्वित किया जाता है। इस प्रकार शिक्षक भी 'सार्वजनिक सेवक' की श्रेणी में आ जाते हैं।

- ७६ इस प्रकार गगाजल बहन खर्च का ध्यौरा वर्ष १८४७ के हमीरपुर और कालपी जिलों के 'ग्राफी रजिस्टर' से प्राप्त होता है। यह रजिस्टर इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव्स में है।
- ७७ आई ओ आर. फेक्टरी रेकॉर्ड्स सुपरवाइजर हुमली टु मुर्शिदाबाद काउन्सिल दिनांक १० १० १७७० पृ ८८।
- ७८ वर्ष १८३० के आसपास उसकी एक टिप्पणी से यह संदर्भ लिया गया है।
- ७९ इस अवधि में संजसुर जिसे में मठ-मदिरों की कुल संख्या ४ ००० के आसपास थी।
- ८० मलबार जिले की विशेष जानकारी के लिए देखिए रिपोर्ट ऑफ कमिशनर ग्रैमे' १६ ३-१८२२ भाग २७० 'क'।
- ८१ देखिए अध्याय ३ १९ फ्रिन्सिप हार्टों ने तो इस रिपोर्ट के साथ कई हरकतों की थीं। उसे अन्य जिलों के विवरणों पर भी सन्देह उठता था। ऐसे पूर्वग्रहों के कारण हार्टों बेन्नारी जिसे के समाहर्ता के क्विरण को समझ नहीं पाया यह सम्भव है।
- ८२ हेन्सार्ड जून २२ १८१३
- ८३ मिनिट्स ऑन इण्डियन एज्युकेशन (Minutes on Indian Education) मार्च १८३५।
- ८४ जे एस फिल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया (History of India) (१८१७) भाग : १ पृ ३४४ ३५१ २ ३६६ ७ ४७२ ६४६
- ८५ वही पृ ४२८
- ८६ रेवन्यू डिस्पैच टु मैद्रास (Revenue Despatch to Madras) ११ २ १८०१



विभाग २  
अभिलेख

- ३ सर टोमस मनरो  
मद्रास प्रेसीडेन्सी की शिक्षा व्यवस्था विषयक
- ४ फ्रा पाओलीनो द बार्टोलोमियो  
भारत में बच्चों की शिक्षा के विषय में
- ५ एलेकझाण्डर डॉकर  
भारत की शिक्षा और साहित्य के विषय में
- ६ विलियम एडम  
बंगाल में शिक्षा की स्थिति के विषय में
- ७ जी डबल्यू लिटनर  
पंजाब की शिक्षा के सदर्भ में
- ८ महात्मा गांधी और सर फिलिप हार्टोग का पत्राचार
- ९ राजस्व से अनुदान प्राप्त तंजावुर के मंदिरों की सूची
- १० राजस्व से अंश प्राप्त करनेवाले व्यक्तियों की सूची

३ सर टोमस मनरो

मद्रास प्रेसीडेन्सी की शिक्षा व्यवस्था विषयक

१८२२-२६

१

१ भारत के लोगों के अज्ञान तथा उनमें ज्ञान प्रसार के साधनों के बारे में इंग्लैंड में अथवा इस देशमें बहुत कुछ लिखा गया है। किन्तु इस विषय से संबंधित अभिमत लोगों के व्यक्तिगत अनुमान हैं इसके लिए कोई प्रमाणित अभिलेख प्राप्त नहीं होते हैं। साथ ही ये अभिमत एक दूसरे से इतने अलग दिखते हैं कि उनकी ओर खास ध्यान नहीं दिया जा सकता। इस देश में हमारा शासन तथा उसकी अपनी नागरिक सस्थाओं के प्रकार की जानकारी इकट्ठी करना व्यावहारिक बन गया है जिससे प्रजा की मानसिक शिक्षा का सार निकाला जा सके। हमने हमारे प्रदेशों का खेती विषयक तथा भौगोलिक सर्वेक्षण किया है। हमने उनके आर्थिक साधनों की जाँच भी की है। उनकी जनसंख्या की चौकसाईं की है किन्तु शिक्षा की स्थिति जानने के लिए अत्यंत कम या नहीं के बराबर काम किया है।

समग्र देश में शिक्षा की वास्तविकता जानने के लिए कोई अभिलेख नहीं है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा आंशिक जाच की गई है किन्तु उनके बीच लम्बे अंतराल हैं। साथ ही ये जाच अत्यन्त छोटे पैमाने पर हुई हैं। इन तथाकथित जाचों से देश के लिए कुछ कहना कठिन होगा। हमारे लिए आवश्यक कोई दस्तावेजी जानकारी प्राप्त करना दुष्कर हो सकता है। कुछ जिले यह जानकारी देंगे नहीं कुछ देंगे और यदि दो या

---

स्थानीय शिक्षा के बारे में ब्यौरेवार जानकारी इकट्ठी करने हेतु आदेश के तहत टोमस मनरो का विवरण दिनांक २५ ६ १८२२ (टी एन एस ए रेक्यू कोन्सुलेशन खण्ड १२० दिनांक २ ७ १८२२)



तीन की जानकारी प्राप्त होगी तो उस से समूचे देश का अदात्र नहीं लगाय जा सकता है। अतः यह आवश्यक जानकारी दी जा सके वैसे अभिलेखों में जहाँ सिखाई पढाई सिखाई जाती है वैसे शालाओं की जिलाशः सूची उनमें छात्रों की सख्या और उनकी जाति हो सकती है। इस पत्र के साथ सलमन पत्रक के अनुसूच्य अभिलेख देकर करवाने के आदेश समाहर्ताओं को देने चाहिए। इन शालाओं में सामान्यतः पढाई जानेवाली पुस्तकों के नाम बताना आवश्यक है। छात्र इन शालाओं में जितना समय रहते हैं वह समय छात्रों से वसूल लिया जानेवाला मासिक या वार्षिक शुल्क और प्रजा के पैसे से चलनेवाली शाला के घन्दे की राशि का प्रकार आदि ऐसा कोई कॉलेज अथवा उच्च शिक्षा की सस्था है तो जहाँ धर्मशास्त्र कानून खगोलशास्त्र आदि पढाए जाते हों तो उसके बारेमें विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार के शाला सामान्यतः व्यक्तिगत तौर पर शिक्षकों के द्वारा बिना किसी भी प्रकार का शुल्क लिए ही छात्रों को पढाए जाते हैं तथापि ऐसे भी प्रमाण है जिस में स्थानिक सरकारी ने शिक्षकों के निर्वाह के लिये धन तथा जमीन दी है।

२ कई जिलों में पढना लिखना ब्राह्मण तथा व्यापारी वर्ग तक ही सीमित रह है। जबकि कई जिलों में वे दूसरे वर्गों में और खास करके गाँवों के पाटिल आदि में भी है। ब्राह्मणों की तथा सामान्यतः हिन्दुओं की स्त्रिया इससे अपरिचित हैं क्योंकि वह इन स्त्रियों के लिए प्रतिबंधित है। स्त्रियों की सादगी के लिए इसे अयोग्य माना गया है और सार्वजनिक नर्तिकाओं के लिए ही वह ठीक माना गया है किन्तु राजपूत व हिन्दुओं की कई और जातिया जिनमें इस प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं है उनकी स्त्रियों को पढाया जाता है। स्त्रियों पर पढ़ने लिखने की पाबंदी विभिन्न कारणों से हो सकती है। यह पूर्वाग्रह कई जिलों में व्यापक है तो कई जिलों में सामान्य। उसी कारण से समाहर्ताओं को भेजने के लिए सूचित पत्रक में उनके लिए अलग एक कोष्टक रखा गया है। मिश्र वर्ण और अशुद्ध जाति लगभग नहीं पढती है फिर भी उनमें भी कोई पढ़नेवाला मिल जाता है अतः पत्रक में उनके लिए भी एक अलग कोष्टक रखा गया है।

३ स्थानीय शालाओं को (अन्य व्यवस्था में) मिला देने की सिफारिश करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इस प्रकार की प्रत्येक व्यवस्था से सतर्कता पूर्वक दूर रहना चाहिए और लोगों को उन की पद्धति से उनकी शालाओं का प्रबंध करने देना चाहिए। हमें जो काम करना चाहिए वह यह कि इन शालाओं की धनराशि उनसे छिन

ली गई है तो उसे पुनः स्थापित करना और जहाँ आवश्यक हो वहाँ विशेष धनराशि की सहायता मजूर करना। ऐसा करके हमने शालाओं के कामकाज को सरल बनाना होगा किन्तु इस मुद्दे पर हम योग्य निर्णय तब ही ले पाएँगे जब हमें मागी हुई जानकारी प्राप्त हो।

२५ जून १८२२

(हस्ताक्षर)

टोमस मनरो

२

आदेश है कि निम्नानुसार पत्र भेजा जाए

स ४५९

विद्य विभाग

प्रति

सखनों तथा राजस्व विभाग के बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य

मुझे बताया गया है कि माननीय गवर्नर इन काउन्सिल उस बात को अत्यन्त महत्वपूर्ण और रोचक मानते हैं कि सारे देश से शिक्षा की स्थिति के बारे में उपलब्ध सभी निश्चित स्वरूप की जानकारी प्राप्त की जाए। समाहर्ता उन्हें सहयोग हेतु इस प्रकार की जानकारी पत्रक के मुताबिक दें। जिन शालाओं में लिखाई पढ़ाई सिखाई जाती है वैसे शालाओं की संख्या उनमें अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या उनकी जाति शाला में छात्रों की अध्ययन अवधि उन से लिया जानेवाला मासिक या वार्षिक शुल्क तथा इनमें कोई शाला अगर लोगों के दान से चलती है तो उस दान के प्रकार और राशि आदि की जानकारी समाहर्ताओं को यतार्ह। धर्मशास्त्र कानून खगोलशास्त्र आदि विषयों की शिक्षा देनेवाले कोलेज या सस्थाएँ हों तो वे भी जानकारी दें। इस प्रकार के शास्त्र विशेष रूप से निजी क्षेत्र में छात्रों या शिष्यों को वैयक्तिक रूप से शिक्षकों द्वारा बिना किसी भी प्रकार का शुल्क लिए पढ़ाये जाते हैं। तथापि ऐसी भी कुछ संख्या है जिनमें स्थानीय सरकारों ने शिक्षकों के निर्वाह के लिए पैसे तथा जमीन के रूप में सहायता दी हो।

खास करके शिक्षा विशेष जाति तक ही सीमित है और महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती है तथापि अपवाद होते हैं और कई जिलों में अनेक हैं। अतः सलग्न पत्रक में उसका समावेश किया गया है।

समाहर्ता इस बात को स्पष्टरूप से समझ लें कि इन स्थानीय शाखाओं के कामकाजमें दखल कत्ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इस प्रकार की कोई भी बात न हो उसकी सावधानी बरतनी चाहिए। लोगों को अपने ढग से शालाओं का प्रबन्ध कत्ने देना चाहिए। उचित तो यह है कि इन शालाओं के कामकाज को सरल बनाया जाए और उन की धनराशि अगर छीन ली गई हो तो उसे पुनः स्थापित की जाए और आवश्यकता के अनुरूप वहाँ विशेष धनराशि मजूर की जाए।

फोर्ट सेन्ट ज्योर्ज

२ जुलाई १८८२

हस्ताक्षर

डी हीन

सेक्रेटरी टु गवर्नमेन्ट

३

परिपत्र सेंट ज्योर्ज किला २५ जुलाई १८२२

(टी एन एस ए बी आर पी खण्ड १२०

कार्यवाही २५-७-१८२२ पृ ६९७९-७२ प्र ७)

१ बोर्ड ऑफ रेवन्यू के निर्देश के अनुरूप राजस्व विभाग के सचिव की ओर से यह पत्र और सलम्र जानकारी भेजता हूँ। आशा करता हूँ कि आप निश्चित पत्रक में मागी गई जानकारी और वृत्त शीघ्र ही भेज देंगे।

२ आपके इलाके से जानकारी प्राप्त करते समय आपके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को बताएँ कि वे लोगों में यह धारणा अवश्य बनाएँ कि शालाओं में किसी भी प्रकार की दखल पहुँचाने का इरादा नहीं है बल्कि उनका काम और अच्छी तरह से चले इस हेतु हर प्रकार की सहायता की जाएगी। साथ ही उनकी जो भी राशि अन्य काम में उपयोग में ली गई होगी वह चुकाई जाएगी।

सेन्ट ज्योर्ज किला

२५ जुलाई १८२२

आर वलार्क

सचिव

राजस्व परामर्श किया सेंट ज्योर्ज २ जुलाई १८२२

(टी एन एस ए आर सी खण्ड २७७ कार्यवाही २ जुलाई ८२२ पृ १७७६)

विभिन्न जिलों में स्थानीय विद्यालयों महाविद्यालयों एवं उनमें पकनेवाले छात्रोंकी संख्या दरगिजावले पत्रक का मसूना

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संख्या	ब्राह्मण छात्र		वीर्य छात्र		रहु छात्र		अन्यजाति के छात्र		४ से १५ का महसूब		मुस्लिम छात्र		हिन्दू एवं मुस्लिम का योग		कुल जनसंख्या										
		पु	स्त्री	पु	स्त्री	पु	स्त्री	पु	स्त्री	पु	स्त्री	पु	स्त्री	पु	स्त्री	पु	स्त्री									
१	२	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७			
उत्तर आर्कोट	विद्यालय १०० महाविद्यालय नहीं																									
दक्षिण आर्कोट	विद्यालय महाविद्यालय																									
इसी प्रकार से आगे लिखें	विद्यालय महाविद्यालय																									

जहां पूर्ण  
जनगणना  
नहीं हुई है  
वहां  
अनुमानसे  
जनसंख्या  
लिखनी है ।

केनरा के प्रधान समाहर्ता बोर्ड ऑफ रेवन्यू के प्रति २७-८-१८२२

(टी एन एस ए खण्ड १२४ का ५-९-१८२२ पृ ८२४५-२९ स ३५-६)

सविनय सूचित करता हू कि दि २५ अगस्त १८२२ का पत्र तथा सरकार के विक्त विभाग के सचिव के २ जुलाई के पत्र की प्रति प्राप्त हुई है जिस में भेजे गए पत्र के अनुरूप ब्यौरा भेजने तथा इस जिले में शिक्षा की स्थिति के बारे में मेरा विवरण भेजने हेतु मार्गदर्शन दिया गया है।

मागे गए विवरण से सबधित आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय लग सकता है। इस जिले में शालाओं के वास्तविक व्याप को जानने का सही मापदण्ड उसके आधार पर बनाया नहीं जा सकता। इस कारण से यह पत्र लिखना उचित लगा है। इन कारणों की घर्षा की गई है जिससे यह सिद्ध होगा कि इस प्रदेश के दस्तावेज तैयार करना आवश्यक नहीं है।

२ कनारा में गूढ़ शास्त्रों के अध्ययन के लिए कोई कॉलेज नहीं है और न तो वहाँ ऐसी कोई निश्चित शालाएँ हैं न तो उनमें पढाने के लिए शिक्षक हैं।

पूर्व की सरकारों से किसी भी प्रकार की सहायता कभी ली गई हो वैसे एक भी शाला यहाँ नहीं है।

३ गाँवों में या शहरों में उच्च वर्ग के ब्राह्मण बच्चों की शिक्षा गाँव के मुखिया के मकान में होती है। वह शिक्षक का चयन करता है जिसे प्रति छात्र कुछ राशि दी जाती है। त्यौहारों के अवसर पर कपड़ा दान में दिया जाता है। साथ में मुखिया के मित्रों के बच्चे भी वहाँ इकट्ठे होते हैं। इस प्रकार गाँव के मौलवी मुसलमान बच्चों को पढाते हैं। यह पूर्णतया निजी व्यवस्था है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी यथावसर बदलते रहते हैं। इस में सार्वजनिक शिक्षा के साथ कोई साम्य दिखाई नहीं देता। शिक्षा में नियमितता भी नहीं है।

छात्रों को वाचन लेखन तथा गणित का अध्ययन करवाया जाता है। केवल अति उच्च वर्ग के बच्चों को ही पर्शियन हिन्दी तथा कन्नड़ भाषा पढाई जाती है यद्यपि यह है कि उन वर्ग के बच्चों की शिक्षा इतनी अधिक मात्रा में व्यक्तिगत तौर पर होती है कि उपर्युक्त भाषाएँ जाननेवाले बच्चों की संख्या का अदाज निकालना मुश्किल सा होगा।

४ कनारा में शिक्षा का प्रसार सब से कम है। प्रदेश के ब्राह्मणों को कौंकणी और शिन्नामी केवल दूसरी कक्षा तक सिखाई जाती है। किस्तानों और सामान्यतः ५० प्रतिशत बस्ती को सामान्य शिक्षा भी प्राप्त नहीं है।

५ इस विषय के सन्दर्भ में जिले के सहायक सर्जन को लिखे गए एक पत्र के कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत करने की इजाजत लेता हूँ। यह पत्र टीकाकरण के बारे में मुझसे जानकारी हासिल करने सुप्रिन्टेन्डन्ट जनरल की इच्छा के कारण लिखा गया था। मसला यह था कि अगर स्थानिक कन्नड प्रजा के उच्च वर्ग के लोग डॉक्टरों की स्थिति समझकर सहायता करते हैं तो टीकाकरण के कार्यक्रम में बहुत प्रगति हो सकती है।

परिच्छेद क्र ६ ७ और ८ के अंश

(६) मैंने बताया कि मैं मानता हूँ कि ईसाई डॉक्टर को कोई आपधि नहीं है किन्तु इस जिले में अगर किसी अन्य जातियों के लोगों की सेवा की जाएगी तो मुझे लगता है कि वे प्रयास असफल होंगे। लोगों का समूह कृषि कार्य करता है। कन्नारा में उद्योग नहीं है। यह प्रदेश जंगल तथा घाटियों में फैला और छिटपुट छोटे घरों से बना है। हर व्यक्ति यहाँ अपने खेत पर रहता है अतः यहाँ गाँव नहीं हैं। जो कुछ गाँव हैं वे भी साधारण बस्तीवाले हैं। अतः मैं मानता हूँ कि लोगों का समूह छोटा है। इस कन्नारा प्रदेश में कलाओं और शास्त्रों के ज्ञान का कोई महत्त्व नहीं था अतः उनकी शिक्षा यहाँ नहीं थी। शायद पूरे उपखण्ड में इसके समान कलाकार और विज्ञानामिमुख मनुष्यों से रहित कोई जिला नहीं होगा।

(७) कन्नारा की भूमि पर यहाँ के निवासियों का अधिकार निर्विवाद है और खेती पर उनका प्रथम दावा है। अतः आज तक जिस पर वे रहते हैं वह ज़मीन तथा मकान छोड़ कर कहीं भी जाना उन्हें पसंद नहीं।

स्थानीय लोग सच ही कहते हैं कि केनेरा की ज़मीन मूल में कृषि के लिए ही मुक्त रखी गई है। इसी से किसान को यह ज़मीन और इस ज़मीन पर बना मकान छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। उसके कर्पड़ों सहित अन्य दैनन्दिन आवश्यकताएँ जो ज़मीन से प्राप्त नहीं होतीं वे सब उन तहसीलों के कई गाँवों से प्राप्त होती हैं। लोग मुख्य रूप से कोंकणी हैं। लोगों का आधार विनियम के माध्यम से तटवर्ती अन्य गाँवों पर है। वह भी तीन या चार प्रमुख वस्तुओं तक ही सीमित है। लोग बाहर के लोगों पर विशेष आधार नहीं रखते हैं। उनका आधार ज्यादातर स्थानीय ही है। अतः देश में अपरिचित लोगों का प्रवेश ज्यादातर नहीं होता है।

(८) इन्हीं कारणों से विज्ञान जाननेवाले लोगों की कमी दिखाई देती है। इसी वजह से लोग जो एक व्यवसाय अपनाते हैं उसे जल्दी छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। टीका लगाने वाले के रूप में तो नहीं ही।

६ केनेरा में आने के बाद मैंने कुछ किसानों के भतीजों को (पुत्रों को नहीं

क्योंकि वे उनके वारिस हैं) मँगलौर पढाई हेतु जाने के लिए समझाया था किन्तु मुझे सफलता नहीं मिली। वहाँ एक ईसाई शाला शुरू हुई है जिसमें लेटिन और पुर्तगाली भाषा पढाई जाती है।

७ इतनी स्पष्टता के पश्चात् भी बोर्ड को अगर लगता है कि उनका भेजा हुआ पत्रक भरकर भेजना आवश्यक है तो मैं जानकारी इकट्ठी करने का प्रयास करूँगा। हालांकि मैं स्वीकार करता हूँ कि उसमें अधिकतर अपूर्ण जानकारी ही रहेगी। इतने विस्तीर्ण जिले में एक ही सरकारी नौकर परिश्रम लिख सकता है। शेष लोगों का ज्ञान हिन्दवी और कन्नड तक ही सीमित है। संस्कृत भी कम ही आती है और बालबन्द (Ballabund) तो बहुत ही कम केवल शास्त्र जाननेवाले ब्राह्मण ही जानते हैं। इन लोगों में अधिकांश प्राचीन लिखाई पढ़ नहीं सकते इसका कारण यह बताया जाता है कि उसकी लिपि हालांकि कानडी और बालबन्द से बहुत अलग है।

मँगलौर  
प्रधान समाहर्ता का कार्यालय

टी हेरिस  
प्रधान समाहर्ता

२७ अगस्त १८२२

टेबल पर रखने का आदेश (३५-३६)

५

तिनेवेली के समाहर्ता रेवन्स्यू बोर्ड के प्रति ता १८-१०-१८२२

(टी एन एस ए बी आर.पी खण्ड १२८ का २८-१०-१८२२ पृ १९३६-७ ङ ४६-७)

आपके सहायक के २५ जुलाई के पत्र के द्वारा मांगी गई जानकारी के संदर्भ में इस जिले की शालाओं की जानकारी भेज रहा हूँ।

बालिकाओं की जाति की जांच करने में पर्याप्त समय लगा। संभवतः सभी बालिकाएं नर्तकी हैं।

तिनेवेली जिला  
१८ अक्टूबर १८२२

जे बी हड्डलस्टन  
समाहर्ता

विभिन्न जिलोंमें स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पठनेवाले छात्रोंकी संख्या बरानिवारसे पत्रकका समूह।

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र		वैश्य छात्र		बुद्ध छात्र		अप्य जाति के छात्र		
		पु	स्त्री	पु	स्त्री	पु	स्त्री	पु	स्त्री	
तिनेकेली	विद्यालय ५४२ महाविद्यालय	१९२१				२४०८		२४०८	१०७	३११०

महायोग (हिन्दु)		मुस्लिम छात्र		ख्रिष्ट मुस्लिम योग		कुल जनसंख्या				
पु	स्त्री	पु	स्त्री	पु	स्त्री	पु	स्त्री			
५७११	१०७	५८१८	३२७	२	३२९	६०३८	१०९	६५५९	१०९	८०६८

जिला तिनेकेली

हरणमदेवी

११८ अक्टूबर १८२२

स्मरण

पंजामल सहसील का

लेखा प्राप्त नहीं हुआ है ।

जे बी हकलस्टन

समाह्वार्ता



श्री रगपट्टम् के सहायक समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति २९-१०-१८२२

(टी एन एस ए खण्ड १२९ का ४-११-१८२२ पृ १०२६०-२ क्र ३३-४)

१ आपके २५ जुलाई के पत्र के उत्तर में जिले में स्थित शिक्षा सस्थाओं की सख्या के बारे में विवरण भेज रहा हूँ।

२ वर्तमान में प्रचलित शिक्षाप्रथा की प्राप्त जानकारी अत्यंत सीमित है। विद्यालयों में पठना लिखना और गिनना इस के अतिरिक्त महत्वपूर्ण कुछ नहीं सिखाया जाता। यह तो केवल दैनन्दिन व्यवहार चलाने के ही काम में आता है।

३ शाला या कॉलेजों को पूर्व में सरकार अथवा देशभक्त नागरिकों की ओर से निर्वाह के लिए कोई जमीन दी गई है ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं होता। शाला के संचालक अपने घेतन के लिए पूर्ण रूप से छात्रों के मातापिता के ऊपर ही निर्भर थे और यह प्रथा आज भी चालू है।

४ शिक्षक को हर छात्र से प्रतिमास पाच आने मिलते हैं। श्रीरगपट्टम् टापू में शिक्षा के लिए कुल वार्षिक खर्च २ ३५१ रुपए ४ आना होता है। ४१ शिक्षकों के बीच इनका बँटवारा करने से प्रत्येक को औसतन वर्ष में ५७ रुपए ५ आना और ५ पाई मिलते हैं जो बहुत ही कम और अपूर्ण है।

श्रीरगपट्टम्

२९ अक्टूबर १८२२

एच वाइमार्ट

कार्यकारी सहायक समाहर्ता

श्रीरंगपट्टम डीपके स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पढ़नेवाले छात्रोंकी संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र			शैव छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
श्रीरंगपट्टम डीप		३८		३८	२०		२०	९३	८	१०१	६२		६२
श्रीरंगपट्टम जिला	विद्यालय महाविद्यालय	१०		१०	३		३	२०५	६	२११	१६		१६
शाशुर सम्मानवर	विद्यालय महाविद्यालय	४८		४८	२३		२३	२१८	१४	३१२	१५८		१५८

महायोग (किन्तु)	मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या					
	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग			
२१३	८		२२१	३२		३२	२४५	८	२५३	५१०६	५६२६	१०७३२
३१४	६		३२०	५४		५४	३६८	६	३७४	१७४५	१११३५	२९८८०
५२७	१४		५४१	८६		८६	६१३	१४	६२७	४८५१	१६७६१	३१६१२

श्रीरंगपट्टम २९ अक्टूबर १८२२

एच वाइबर्ट सहायक समाह्वान

७

तिनवेली के समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति ७-११-१८२२

(टी एन एस ए बी आर खण्ड १३१ का १८-११-१८२२ क्र ३७ पृ १०५४५-४६)

निश्चित पत्रक में अपेक्षित इस जिले की शालाओं का संपूर्ण ब्यौरा इसके साथ भेज रहा हूँ। जानकारी भेजने के समय तक पजामहल तहसील की जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी।

बस्ती के आँकड़े इससे पूर्व के पत्रक में त्रुटिपूर्ण होंगे। अब भेजे जा रहे पत्रक में गलतिया सुधार ली गई हैं।

तिनवेली

७ नवम्बर १८२२

जे बी हटलस्टन

समाहर्ता

तिनेवेली जिले के स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा  
उनमें पढ़नेवाले छात्रोंकी संख्या दर्शानेवाला पत्रक

शिक्षा	विद्यालय एवं महाविद्यालय	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जातिके छात्र			महायोग			
		पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	
हिन्दू	विद्यार्थ १०७ कॉलेजियट वर्ग	२०१६		२०१६				२८८९		२८८९		३५५७	११७	३६७४	८४१२	११७	८५७९

मुस्लिम छात्र			हिन्दू एवं मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
७१६	२	७१८	९२५८	११९	९३७७	२८३७१९	२८१२३८	५६४९५७

तिनेवेली

७ नवम्बर १८२२

जे बी क्विन्सटन  
समाहर्ता

कोइम्बतूर के मुख्य समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति २३-११-१८२२

(टी एन एस ए. बी आर पी खण्ड १३२ का २-१२-१८२२ पृ १०९३९-४३ क्र ४३)

प्रति

रेवन्यू बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यगण

महोदय

१ २५ जुलाई १८२२ के श्रीमान् क्लार्क के इस जिले की शालाओं के बारे में जानकारी मागने हेतु लिखे गए पत्र के सन्दर्भ में यह जानकारी भेज रहा हूँ।

२ सारिणी १ श्रीमान् क्लार्क ने भेजे पत्रक के अनुसूप है।

सारिणी २ प्रत्येक शाला में सिखाई जानेवाली भाषा छात्रों की सख्या पालकों द्वारा शिक्षकों को दिया जानेवाला शुल्क और छात्रोंको पोधी (cadjans) खरीदने के लिए दी जानेवाली राशि की जानकारी देता है।

सारिणी २ में धर्मशास्त्र कानून और खगोलशास्त्र सिखानेवाली सस्थाओं और छात्रों की सख्या प्रस्तुत है। साथ ही हिन्दु सरकार द्वारा उनके निर्वाह के लिए दी गई अधिकतम जमीन की जानकारी भी उसमें प्रस्तुत है। उस जमीन को मुस्लमान और ब्रिटिश सरकार ने भी मान्य किया है।

३ बच्चों के शालाप्रवेश की कम से कम आयु ५ वर्ष है। वे १३ से १४ वर्ष के होने तक शाला में रहते हैं। धर्मशास्त्र कानून आदि पढ़नेवाले छात्र १५ वर्ष की आयुमें अध्ययन आरम्भ करते हैं और इन विषयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई व्यवसाय शुरू करने तक अलग-अलग कॉलेजों में अध्ययन चालू रखते हैं।

४ नियमित पारिश्रमिक के अतिरिक्त दशहरा अथवा अन्य त्यौहारों में शिक्षक को छात्रों के अभिभावकों की ओर से दक्षिणा भी प्राप्त होती है। विद्यार्थी नई पुस्तक पढ़ने का आरम्भ करता है तब भी शिक्षाशुल्क दिया जाता है। वार्षिक शुल्क प्रति छात्र प्रति वर्ष ३ से लेकर १४ रुपये होता है। शुल्क की राशि का आधार छात्र की स्थिति पर निर्भर करता है। शाला का समय प्रातः ६ ०० से १० ०० और दोपहर १ ०० या २ ०० बजे से रात्रि मे ८ ०० तक रहता है। प्रति मास नियमित ४ छुट्टियाँ रहती हैं। ये छुट्टियाँ पूर्णिमा अमावास्या और प्रतिपदा को होती हैं।

५ इन जिलों में लड़कियों की शिक्षा नर्तकियों तक ही सीमित है। ये नर्तकियों कैक्लर जाति की होती हैं। यह एक जुलाहा जाति है। इसमें अपवाद हैं किन्तु नहीं के बराबर।

६ कोइम्बतूर नगर में एक अग्रेजी शाला है। इस कार्यालय का कर्मचारी एक अग्रेज लेखक उसका ध्यान रखता है।

कोइम्बतूर

२३ नवम्बर १८२२

हस्ताक्षर

जे सलीवान

प्रधान समाहर्ता

(ध्याता अगले पृष्ठ पर)



जिला	योंम (किष्क)				मुस्लिम छात्र				क्रिष्ण एवं मुसलमान छात्र				कुल जनसंख्या			
	७		८		९		१०		१०		१०		१०			
	पु	२ स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	
१. कोर्नलूर	१ ४०४ १०८	१२	१ ४१९ १०८	५१		५१	१ ४८५ १०८	१२	१ ४९७ १०८	१०८	१ ४९७ १०८	३८ ६६५	३९ ८६६	७८ ५३१		
२ पोर्कली	५१८ ७	३	५२१ ७	११		११	५२९ ७	३	५३२ ७		५३२ ७	२१ ११४	२१ ७००	४२ ८१४		
३ सन्निमलूर	४३० १२	१०	४४० १२				४३० १२	१०	४४० १२		४४० १२	२४ १०६	२४ ४४२	४८ ५४८		
४ सिल्लर	४२० १९	७	४२७ १९	५१		५१	४७९ १९	७	४७८ १९		४७८ १९	१९ ८७५	१९ ६२९	३९ ५०४		
५. पेरिदुण	४१८ १४	११	४२९ १४				४१८ १४	११	४२९ १४		४२९ १४	२४ १८८	२४ २९३	४८ ४८१		
६. कर्कनूर	२६५ २३		२६५ २३	१३		१३	२७८ २३		२७८ २३		२७८ २३	११ ६५६	१२ ३३३	२३ ९८९		
७. चोलीमल	२९२ ५६		२९२ ५६	७		७	२९९ ५६		२९९ ५६		२९९ ५६	१८ ६६१	१७ ५६२	३६ २२३		





जिला	योग (हिन्दु)				मुस्लिम छात्र				हिन्दु एवं मुसलमान छात्र				कुल जनसंख्या				
	४		८		९		१०		१		२		३		४		
	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री
८ अम्बूर	२२१	४	२२८	८		८	२२९	४	२३६	५४	५४	१५	८४५	१५	८४५	३१	१००
९ इरोड	२१०	२	२१२	१८		१८	२३५	२	२३७	३३	३३	१६	५१५	१६	५३५	३३	०५०
१० कन्न	४४८		४४८	४३		४३	४९१		४९१			३३	१३५	३३	१३५	६६	०८३
११ मुत्तयिन	४८१	३	४८४	३९		३९	५२३	३	५२६	४४	४४	२३	११४	२३	११४	४४	१८४
१२ पारमुरन्द	६६८	१४	६८२	४४		४४	७२६	१४	७४०	७७	७७	२२	४९९	२२	६२१	४५	४२०
१३ कर्नापन्द	३४२	१०	३५२				३४२	१०	३५२			१९	८४५	२०	९६३	४०	४५८
१४ काङ्कलमटी	१४५	३	१४८	२१		२१	१६९	३	१७२	३४	३४	३६	२६४	२८	५६४	५५	८३४
योग	४८१२	८२	४८९४	३१२		३१२	५२५४	८२	५३३६	४२४	४२४	३१६	९३१	३२१	२६८	६३९	१९९

कोईन्पतूर

२३ नवम्बर १८२२

जे सलाइवान  
समाहर्ता

कोईम्बतूर जिले के विद्यालयों में पढाई जानेवाली भाषाओं छात्रोंकी संख्या अभिभावकों द्वारा शिक्षकोंको दी जानेवाली राशि एवं छात्रों द्वारा शैक्षिक सामग्री खरीदने के लिये दी जानेवाली औसत वार्षिक राशि की जानकारी दर्शानेवाला पत्रक

क्रम	तहसील	विषयों विद्यालय के लिये गांवकी संख्या	ग्रेजुएट	हिन्दी	समिल	तेलुगु	कन्नड	परिचयन	योग	५
१	कोईम्बतूर	५६	५	२	७६	८	२	२	१५	१४७०
२	पोलावी	५७		२	५७	१		-	६०	५३२
३	सदरमालम्	२३		१	२६		३		३०	४४०
४	किजल	३६	-		५१				५१	४७८
५	परिपूर	४५		१	३६		६	३	४६	४२१
६	धनाईमुसकंधा	४४			११		५		२४	२७८
७	सोडगोल	१५		२		१	१९	२	२४	२११
८	उदूर	१९	-		२५	१		-	२६	२३६
९	होले	२८			४०	२		१	४३	३१७
१०	कन्न	४४		१	७०	३	१	१	७६	८२४
११	मुसादूम	७०		३	७०	६	-		७९	८२३
१२	पारपुरम्	३६		१	६१		२	१	६५	४२९
१३	कोणम	३२		१	५६	-			५७	३८२
१४	पिक्कणीरे	५८	-		८४	३			८७	९६१
	योग	५६३	५	१४	६७१	२५	३८	१०	७६३	८२०६

क्रम	तहसील	६						७		
		अभिभावकों द्वारा शिक्षकोंको दी जानेवाली औसत राशि						छात्रों द्वारा शैक्षिक सामग्री खरीद करने के लिये दी जानेवाली वार्षिक औसत राशि		
		मासिक		वार्षिक				रुपये	आने	पाई
रुपये	आने	पाई	रुपये	आने	पाई	रुपये	आने	पाई		
१	कोईम्पार	४१५			४९८०			१२		
२	पेरुवाची	१६६	४		१९९५			८		
३	रसिमालम्	१५१	६		१८१६	८		१५		
४	विऊर	१३२	१२		१५९३					
५	परिन्दूर	११२			१३४४			४		
६	दुनार्थुनकोटा	७५	८		९०६			८		
७	पोलीगुस्स	९४			११२८					
८	अम्बूर	५९			७०८					
९	इरोड	९९	२		११८८			१४		
१०	क्कर	२०६			२४७२			१३		
११	पुलादीम	२०५	१२		२४६९			४		
१२	घाणपुरम्	१८९	४		२१५१					
१३	कोनायम	१०४	१२		१२५७			४		
१४	विक्रगामिरे	२६८	४		३२१९			४		
	योग	२२७९	१४		२७२२६	८		६		

कोईम्पार २३ नवम्बर १८२२

जे सलार्किन  
समाह्वार्ता

किला सेंट ज्योर्ज २ दिसम्बर १८२२

कोईम्बतूर ईलाकेमें धर्मशास्त्र कानून खगोल आदि सिखानेवाली  
संस्थाओंकी जानकारी दर्शानेवाला पत्रक

क्रम	तेहसील	धर्मशास्त्र आदि सिखानेवाले महाविद्यालयोंकी संख्या				घात्र संख्या	पूर्वमें दी गई अधिकतम भूमिकी अनुमानित राशि		
		धर्मशास्त्र	कानून	खगोल	योग		रूपये	आने	पाई
१	कोईम्बतूर	१७	२५	३	४५	१०८	३८१	५	-
२	पोलाधी	-	१		१	७	-	-	
३	सतिमगलम्	१०	८	४	२२	९२	१ ४०९	-	-
४	धिरुज	१	२	-	३	१९	४१	३	-
५	परिन्दूर	२		-	२	१४	-		-
६	दानार्हगुनकोटा	१	-	-	१	२३	३०	१३	
७	धोलीगल	७	७	-	१४	५६	२१७	१	
८	अन्दूर	९	२	१	१२	५७	१४	१३	-
९	ईरोठ	५	२		७	३३	५०	८	
१०	करूर	१६	८	१	२५	१३८	-		-
११	धारापुरम्	१३	९	१	२३	८८	-	-	
१२	कोंगायम्	१	-		१	८	४२	४	
१३	दिकन्नागिरि	८	१	-	९	३७	-		
	योग	१४	६९	१०	१७३	७२४	२२०८	७	०

कोईम्बतूर २३ नवम्बर १८२२

जे सलाईवन  
समाहर्ता

मदुरा के समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति

(टी एन एस ए बी आर पी खण्ड १४२ का १३-२-१८२३ पृ २४०२-६ क्र २१)

१ सरकार की ओर से सूचना मिलने से पूर्व ही इस जिले की शिक्षा की स्थिति के बारे में मैंने थोड़ी जाँच की थी। मैं सोच रहा था कि अगर गरीब लोग शाला में अपने बच्चे भेजने लगे तो शालाओं की संख्या बढ़ाई जा सकती है या नहीं। किन्तु मुझे ऐसे सुधार की आशा नहीं है। लोग कहते हैं कि वे गरीब हैं इसलिए उनके बच्चे गाय-बैलों की देखभाल करें और काम करें यह अच्छा है।

शाला में जाने के बजाय यह काम करने के कारण उन्हें आजीविका प्राप्त हो सकती है। कई कस्तबों में और मदुरा के किल्ले में शाला प्रारंभ करने से लाभ हो सकता है। बहुत से लोग उस शाला में अपने बच्चे भेजेंगे और फिर जैसे जैसे शिक्षा से लाभ होता जाएगा वैसे वैसे संख्या में अभिवृद्धि होती जाएगी। मदुरा के किल्ले में ५ से ६ और कस्तबों में २ से ३ शालाएँ शुरू की जाएँ और वहाँ के शिक्षकों को महीने में ३० से ४० फेनम (एक प्रकार की मुद्रा) पारिश्रमिक दिया जाए। गाँव के अग्रणी अपने बच्चों को ऐसी शालाओं में भेजेंगे इसमें मुझे सन्देह नहीं है। इस शाला से सघमुच उन्हें लाभ होगा क्योंकि अधिकांश नटवकार लोग लिखना पढ़ना बिलकुल नहीं जानते। वे पूर्णरूप से कर्णम पर ही अवलंबित रहते हैं।

२ सारिणी से ज्ञात होगा कि लगभग ८००००० की जनसंख्या में केवल ८४४ शालाएँ हैं और उनमें १३७२९ छात्र पढ़ते हैं। अतः संख्यावृद्धि होना ठीक रहेगा।

३ अलग अलग स्रोतों से प्राप्त जानकारी से पता नहीं चलता कि मान्यम् की जमीन का शालाओं के निर्वाह के लिए उपयोग होता है या नहीं। शिक्षकों को गरीब छात्रों के पालक भी महीने में २ ३ ४ या ५ फेनम पारिश्रमिक के तौर पर अपनी स्थिति के अनुरूप देते हैं। बड़े गाँवों में शिक्षक को ३० से ४० कास्वी फेनम और छोटे गाँवों में १० से ३० फेनम मिलते हैं। छात्र ५ वर्ष की आयु में शाला में आते हैं और १२ से १५ वर्ष की आयु तक शाला में रहते हैं।

४ जहाँ ब्राह्मण रहते हैं ऐसे अग्रहार गाँवों में वेद और पुराण का अध्ययन करनेवाले लोगों को वर्षभर २० से ५० फेनम मिले इस प्रकार से मान्यम् की जमीन बॉटने का बहुत ही प्राचीन रिवाज है। कहीं पर यह राशि १०० फेनम तक भी पहुँच जाती है। स्वेच्छा से आनेवाले छात्रों को वे आनंद और प्रेम से अध्ययन करवाते हैं।

५ नर्तकियों के रूप में तैयार होनेवाली लड़कियाँ ही शाला में पढ़ती हैं।

तिरुमगलम्

५ फरवरी १८२३

आर. पीटर

समाहर्ता

मद्रास एवं दिक्किंगल जिले के स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा विभिन्न जातियों के छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विद्यालय	ब्राह्मण छात्र		वैश्य छात्र		शूद्र छात्र		अन्य जातिके छात्र					
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग			
मद्रास	१७७	४११	-	४११	३१	-	३१	२५९१	४२	२६३३	६५८	-	६५८
दिक्किंगल	२५२	२१९	-	२१९	२९०	-	२९०	१८९१	१९	१९१०	६१३	७	६२०
रामनाद जमीनदारी	१८८	२९५	-	२९५	२७१	-	२७१	१५४७	४	१५५१	६७०	१४	६८४
शिकगा जमीनदारी	२२७	२६१	-	२६१	५२७	-	५२७	१२१८	-	१२१८	१०३६	१९	१०५५
योग	८४४	११८६	-	११८६	१११९	-	१११९	७२४७	६५	७३१२	२९७७	४०	३०१७

मसल योग			मुस्लिम छात्र			हिन्दू एवं मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
३६९९	४२	३७४१	१६५	-	१६५	३८६४	४२	३९०६	८८२२४	८४१९२	१७२४१६
३०१३	२६	३०३९	४२७	-	४२७	३४४०	२६	३४६६	१२१७१४	१२१३२५	२४३०३९
२७८३	१८	२८०१	२४६	-	२४६	३०२९	१८	३०४७	९५२४९	९०५८९	१८५८३८
३०४२	१९	३०६१	३०९	-	३०९	३३५१	१९	३३७०	९६३२८	९०५७५	१८६९०३
१२५३७	१०५	१२६३४	११४७	-	११४७	१३६८४	१०५	१३७८९	४०१५१५	३८६६८१	७८८१९६

नोट : इन जिलोंमें महाविद्यालय नहीं हैं। वेदाध्ययन कलेवाले ब्राह्मण छात्र जिनके कुछ मुमि दी गई हैं उनका समावेश ब्राह्मण छात्रोंकी संख्यामें किया गया है।

तिरुमालम् ५ फरवरी १८२३

आर. पीटर  
समाहर्ता

तजापुर के प्रधान समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति

(टी एन एस ए बी आर पी खण्ड १५३ -

दिनांक २८-६-१८२३ का ३-७-१८२३ पृ ५३४५-४७ क्र ६१)

गत २५ जुलाई के आपके सचिव के पत्र और सलग्न सामग्री के सन्दर्भ में निश्चित पत्रक में जानकारी भेज रहा हूँ। उसमें इस जिले की शालाएँ और कॉलेजों की तहसीलदारों से प्राप्त जानकारी है। क्रमांक १ और २ की जानकारी अधिक विस्तार से है। इस विषय में आपके बोर्ड और सरकार को अपेक्षित सब जानकारी प्रस्तुत है। मुझे यह जोड़ना चाहिए कि इन सस्थाओं को बाँटी गई राशि अन्य किसी कार्य में नहीं प्रयुक्त हुई है।

तजापुर नागपट्टम्

२८ जून १८२३

जे कोटन

प्रधान समाहर्ता

(स्यौरा अगले पृष्ठ पर)



तेजापुर जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पढनेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	संख्या	ब्राह्मण छात्र		वैश्य छात्र		शूद्र छात्र		अन्य जातिके छात्र			
		पु.	स्त्री	पु.	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
तेजापुर	८८४	२८१७		३६९	३६९	२२२	-	२२२	१०६६१	१२५	१०७८६
	महाविद्यालय १०९	७६९	-	७६९	-	-	-	-			-

अन्य जाति के छात्र	योग (हिन्दु छात्र)		मुस्लिम छात्र		हिन्दू एवं मुस्लिम योग		कुल जनसंख्या	
	पु.	योग	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री
२१२६	२४५५	१६४९५	१५४	१३३	१३३	१३३	११५५२२	१८७१४५
		७६९		७६९		७६९		३८२६६७

तेजापुर

नेपालमहान २८ पुन १८२३

जे. कोटन  
प्रमुख समाह्वर्ता

तंजापुर जिले के पठने एवं लिखने के लिये स्थापित विद्यालयों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

क्रम	सेहसील	गाँवों की संख्या	नि शुल्क विद्यालयोंकी संख्या	सशुल्क विद्यालयोंकी संख्या	पुस्तक विद्यालय संख्या	शिक्षक संख्या
१	त्रिवाडी	१५	७	१३०	१३७	१३७
२	पापनाराम्	३३	१	५२	५३	५३
३	कोबलूर	५४	१	१२८	१२९	१२९
४	पुडुकोटा	१२		१७	१७	१७
५	मन्नारुडी	४०		६४	६४	६४
६	त्रिक्लूर	२८	१	४७	४८	४८
७	कुम्भकोणम्	६२	४	१३१	१३५	१३५
८	म्यावेरम्	१०४	८	१२८	१३६	१३६
९	नन्तिलम्	३७	१	४४	४५	४५
	योग	४६५	२३	७४१	७६४	७६४
१०	तंजापुर के किल्ले सहित नामदार महाराजके अधीन गाँव	२८	२१	९९	१२०	१२०
	योग	४९३	४४	८४०	८८४	८८४

क्रम	ब्राह्मण			क्षत्रिय			वैश्य			शूद्र			अन्य		
	कुमार	कन्या	योग	कुमार	कन्या	योग	कुमार	कन्या	योग	कुमार	कन्या	योग	कुमार	कन्या	योग
१	४४४	-	४४४	२२	-	२२	४१	-	४१	१८८१	४९	१९३०	२२	-	२२
२	२३४	-	२३४	५	-	५	२६	-	२६	४१७	२	४१९	४५९	३	४६२
३	१९८	-	१९८	१३	-	१३	५६	-	५६	१६५५	११	१६६६	३७५	६	३८१
४	२०	-	२०	५	-	५	८	-	८	२२२	-	२२२	४५	१	४६
५	२१६	-	२१६	१	-	१	१५	-	१५	७८६	१०	७९६	-	-	-
६	१७३	-	१७३	-	-	-	-	-	-	६७७	६	६८३	-	-	-
७	६१३	-	६१३	३७	-	३७	३०	-	३०	१३५४	६	१३६०	८१३	१७	८३०
८	३८२	-	३८२	८	-	८	२३	-	२३	१२०५	१४	१२१९	६६३	१	६६४
९	१४३	-	१४३	-	-	-	२	-	२	६०८	३	६११	२	-	२
	२४२३	-	२४२३	९१	-	९१	२०१	-	२०१	८८०५	१०१	८९०६	२३७९	२८	२४०७
१०	३९४	-	३९४	२७८	-	२७८	२१	-	२१	१८५६	२४	१८८०	४७	१	४८
	२८१७	-	२८१७	३६९	-	३६९	२२२	-	२२२	१०६६१	१२५	१०७८६	२४२६	२९	२४५५

विवरण : छात्र सामान्य रूपसे पाच वर्ष विद्यालयमें रहते हैं । अस्ति से मासिक ४ डी फेन्स का शुल्क उनसे लिया जाता है । नि शुल्क भलनेवाले विद्यार्थियों में से १९ मिशन से सलमन हैं २१ विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन राजा देते हैं १ विद्यालय के शिक्षकों का वेतन त्रिवलूर धर्मस्थान देता है तीन विद्यार्थियों के शिक्षक बिना वेतन लिये पकड़ते हैं । व्यक्तिगत रूप से सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय एक भी नहीं है । केवल मिशन से सहायता प्राप्त हेमती है । उसके अतिरिक्त एक गावका सर्वमान्यम् होता है जिसका मूल्य १ १०० रुपये अनुमानित है ।

छात्रों की जाति एवं संख्या

क्रम	महसयोग (हिन्दू)		मुस्लिम छात्र		हिन्दू एवं मुस्लिम लोग		विद्यालययुक्त गाँवकी कुल जनसंख्या	
	कुमार	कन्या	कुमार	कन्या	कुमार	कन्या	कुमार	कन्या
१	२४१०	४९	५५	४९	२४६५	४९	३६१५४	३६२३८
२	११४१	५	४१	५	११८२	५	१२९५६	१३२८९
३	२२९७	१७	२७७	१७	२५७४	१७	९९५५	७९५९
४	३००	१	२६	१	३२६	१	२९१३३	२७७३३
५	१०१८	१०	७	१०	१०२५	१०	१२३४०	११०५५
६	८५०	६	३२	६	८८२	६	३००३	२८१५
७	२८४७	२३	१११	२३	२९५८	२३	३०६१९	२७७७१
८	२२८१	१५	५१	१५	२३३२	१५	२०५५४	१८२५२
९	७५५	३	३३	३	७८८	३	७९२२	७६६२
योग	१३८९९	१२९	६३३	१२९	१४५३२	१२९	१६२६३६	१५२७७४
१०	२५९६	२५	३००	२५	२८९६	२५	३२८८६	३४३७१
योग	१६४९५	१५४	९३३	१५४	१७४२८	१५४	१९५५२२	१८७१४५

विशेष माना जाता है कि मिशन द्वारा स्थापित विद्यालयों को सहायता के रूप में नहीं लिए गए हैं।

स्वापुर

नेगापट्टम २८ जुन १८२३

जे कोटन

प्रमुख सनाहता

तंजावुर जिले के जहाँ धर्मशास्त्र कानून खगोल आदि की उच्च शिक्षा दी जाती है ऐसे महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों की जानकारी देनेवाला पत्रक

संस्था	महाविद्यालय संख्या	जहाँ संस्था की स्थापना हुई है ऐसे गाँव	किसने स्थापना की	निभाव कैसे होता है	यदि मान्यम् द्वारा निर्भाव होता है तो उसका प्रकार एवं व्याप
१	२	३	४	५	६
पम्पनरम्	१	त्रिभितोरार्थ		शिक्षक को प्रतिवर्ष छत्रों द्वारा २४ घण्टाम् दिये जाते हैं ।	
	१	सिन्धिकेसाई		शिक्षक निशुल्क पढ़ाते हैं ।	
	१	रघुनाथपुरम्		स्थापना स्वामी मन्दिर के अन्दरून खासो से शिक्षक को प्रतिवर्ष १२ घण्टाम् और ९ के दम् प्राप्त होते हैं ।	
	१	त्रिकल्लूर कसबा			
	१	-			
	१	-			
मन्नालुन्दी	१	मन्नालुन्दी आदि कल्लन्दैमम्		शिक्षक धर्मार्थ पढ़ाते हैं । शिक्षक को प्रतिवर्ष छात्रों द्वारा दक्षिणा दी जाती है । (१८ घण्टाम्) (१८ घण्टाम्)	
	१				

सेवापुर जिसे के जहाँ धर्मशास्त्र कानून खगोल आदि की उच्च शिक्षा दी जाती है ऐसे महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों की जानकारी देनेवाला पत्रक

संस्थान	महाविद्यालय संख्या	माँद	शिक्षकों अथवा अध्यापकों के नाम	पढ्ये जानेवाले शास्त्र	छात्रों/शिष्यों की संख्या			
					प्राणुण	वैश्व	अन्य जाति	योग
१	२	३	७	८	१	१०	११	१२
पापनाथम्	१	त्रिफितोसाई	शुभकन्दनी एव शुभशास्त्री	वादनन्द काव्यम्	१०			१०
	१	चिन्मिकेलाई	शाहाहाली	वाद्यम्	१०			१०
	१	रघुनाथपुरम्	शशियगर	वाद्यम्	२०			२०
विक्रूर	१		शशियन्त्र	वाद्यम्				
	१	विक्रूर कसबा	महादेव वन्दीयर	वाद्यम्	२	-		२
	१		परशुराम वडियार		१०	-		१०
	१		अप्पसाणी वडियार					
	१		रम्भाडियार		४			४
	१		शुम्बावडियार					
मन्नापुरी	१		अप्पसाणी वडियार	काव्यम्	३			३
	१		किस्तंगर	वाद्यम्	५			५
	१	मन्नापुरी आदि वक्रवन्दीयम्	प्रयवडियार		८			८
	१		सामुवडियार	काव्यम् एव तर्कम्	५	-		५
			अन्नासाणी हास्ती		३		३	

तजापुर जिले के जहाँ धर्मशास्त्र कागल अगि की उष्य शिवा दी जाती है ऐसे महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों की जानकारी देनेवाला पत्रक

देहात	महाविद्यालय संख्या	जहाँ संस्थाकी स्थापना हुई है ऐसे गाँव	किसने स्थापना की	निर्माण कैसे होता है	यदि मान्यम् द्वारा निर्माण होता है तो उसका प्रकार एवं व्याप
१	२	३	४	५	६
किसपुर	१			अप्याकेब अन्नाछत्र के सर्वमान्यम् द्वारा इस महाविद्यालय का निर्माण होता है । रामकन्दनद द्वारा शिक्षक को दक्षिणा दी जाती है	
त्रिवाकी	१	त्रिवाकी कलावा		शिक्षक नि बुल्क पढाते हैं	
	१			"	
	१			"	
	१	सातनूर कन्दोयन्ला		ऊन प्रतिमास २ फेदम दक्षिणा देते हैं । शिक्षकको पँथकी ओरसे प्रतिमास धान के दो कन्तरम मिलते हैं	
	१	पारामन्तरी		शिक्षक नि बुल्क पढाते हैं ।	
पुडुकेटा	१	नाण्योन्दिक्की		इस महाविद्यालयका निर्माण सर्वमान्यम् द्वारा तथा छात्रों की दक्षिणा द्वारा होता है । प्रत्येक से १ फेदम शिक्षक धर्मार्थ पकते हैं । गाव की ओर से शिक्षक को वार्षिक ५० कन्तरम धान के मिलते हैं ।	

तंजावुर जिले के जहां धर्मशास्त्र कानून खगोल आदि की उच्च शिक्षा दी जाती है ऐसे महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों की जानकारी देनेवाला पत्रक

तेहसील	महाविद्यालय संख्या	गाँव	अध्यापकों/शिक्षकों के नाम	विषय	छात्रों/शिष्यों की संख्या			
					प्राहण	वैश्य	अन्य जाति	
१	२	३	७	८	९	१०	११	योग
कोयंबूर	१		राममठ (१) रामवस्त्रियार (१)	वादन	४	-		४
	१	रामचन्द्रनेका गोगास्ट	पचनदी वस्त्रियार (१) वैकटकबल वस्त्रियार		७			७
त्रिवादी		त्रिवादी कसबा	जयवस्त्रियार गुरुस्वामी वस्त्रियार रघुनाथशास्त्री कृष्णशास्त्री कुपशास्त्री सिपाशास्त्री रामस्वामीशास्त्री कृष्णायगर शिवस्वामी जतनवस्त्रमीर		७	-		७
		-			१०	-		१०
		सातनूर			४	-		४
		कन्जोपेला			२०	-		२०
		पालामनेरी			४			४
					७			७
					५			५
					७			७
					९			९
पुदुकोटा		मान्जोन्दफिदी	रामआयगर पवनचोला कलाशुर	वादन	१८			१८
					१५			१५
					३०			३०



वेदकीय	महाविद्यालय संख्या	गांव	अध्यापकों/ शिष्यों के नाम	विषय	छात्रों/शिष्योंकी संख्या				
					प्राप्तपुत्र	वैश्य	अन्य जाति	योग	
१	२	३	४	८	९	१०	११	१२	
वदक महापात्र के अधीन पंच एवं नार	८	मुसलम बनपुर	उमय खारदी विद्वन्म खारदी अमृत खारदी सुमाराप छात्री सुमाराप छात्री सुमारेय खारदी आनन्दराम छात्री राम वैद्यर उमय खारदी अमरा छात्री सुन्दर पञ्चदी छात्री हेतु छात्री मुकु छात्री सोम खारदी सुखा छात्री मुकुन्दचन्द्र पञ्चम खारदी उमरसुतु खारदी खारदी पञ्चियर सुमाराप आनन्दराम खारदी रामचन्द्र सुमारेय सुखा खारदी सुखा खारदी सुमरु पञ्चियर सुमाराप सुमराम जोषी						१ ६ ११ ३० ८ १५ १ ४ ४ ७ १ ४ ४८ १ ३ ७ ३ १३ २ १ १ २ १ ४ ४ १ १ १
	३	उमियापुरी खारदी शिषिरचन्द्रपुर							४८ १ ३ ७ ३ १३ २ १ १ २ १ ४ ४ १ १ १
	३	गोडगल							४८ १ ३ ७ ३ १३ २ १ १ २ १ ४ ४ १ १ १

तंजापुर जिल्लेके जहां धर्मशास्त्र कानून खगोल आदिकी सब्ब शिक्षा दी जाती है ऐसे महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थानोंकी जानकारी देनेवाला पत्रक

रोहरील	महाविद्यालय संख्या	जहां संस्थानकी स्थापना हुई है ऐसे गांव	किसने स्थापना की	निभाव कैसे होता है	यदि मास्यम् द्वारा निभाव होता है तो उसका प्रकार एवं ध्याप
१	२	३	४	५	६
	२	राजसाम्बपुरम् अन्नवेत्रम्		नामदार राजा द्वारा शिक्षक को दक्षिणा दी जाती है । नामदार राजा द्वारा शिक्षक को ओलाया नामसे पना दिया जाता है । छत्रों द्वारा दक्षिणा दी जाती है ।	
	५	शकुन्तरम्पुरम् राजसाम्बेट मूल्यमानछत्रम्		राजा द्वारा दक्षिणा दी जाती है ।	
	२	दुपदान्बापुरम्			
	२	शूलघानसपुरम् सिन्बायीपुरम् यमुनाम्बेट			
		गोष्ठम्	नामदार छत्रकी मठा द्वारा		
	४	कापुरम्	नामदार राजा की माता द्वारा शिक्षक को दक्षिणा दी जाती है ।		
	४	राजकुमारम्बापुरम्	नामदार राजा की माता द्वारा शिक्षक को दक्षिणा दी जाती है ।		
योग	७१		नामदार राजा की माता द्वारा शिक्षक को दक्षिणा दी जाती है ।		
मास्योप	१०९		नामदार राजा की माता द्वारा शिक्षक को दक्षिणा दी जाती है ।		

तंजापुर मेस्यज्ज  
२८ जुन १८२३

वे कोट्टन  
प्रमुख समाह्वी

रोकरील	महाविद्यालय संख्या	गांव	अध्यापकों/ शिक्षकों के नाम	विषय	छात्रों/शिष्योंकी संख्या			
					प्राकृष्टण	वैश्य	अन्य जाति	
१	२	३	७	८	९	१०	११	१२
अक्षय	२	छातराजपुर	केकेवावारी		१			१
महाराज	२	अम्बोरा	सुभाष		२			२
अमीन	५	छातराजपुर	काव वडियार		५			५
मंडा			अजयवारी		१७			१७
मर			राज्य वारी		५			५
			अजय वारी बडियार		२			२
			पकनदी बडियार		१			१
			सुभाष्य वारी		२			२
			एकदण्डन वारी		८			८
			प्रियापा		४			४
			एकदण्डा वारी		४			४
			संदास्य वडियार		१५			१५
			सुभाष्यवारी		१०			१०
			सुभाष्यवारी		२			२
			सुभाष्यवारी		३			३
			सुभाष्यवारी		३			३
			सुभाष्यवारी		३			३
			सुभाष्यवारी		३			३
			सुभाष्यवारी		३			३
			सुभाष्यवारी		३			३
			सुभाष्यवारी		३			३
			सुभाष्यवारी		३			३
			सुभाष्यवारी		५			५
			सुभाष्यवारी		५			५
			सुभाष्यवारी		८			८
योग	७२		७१		५७			५७
वार्डन	१०९				७९			७९

के अंतर्गत प्रयोग प्रमाणिक

२८ जुन १९२१

## चेन्नई के समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति

(टी एन एस ए बी आर पी खण्ड १३१ का १४-११-१८२२  
पृ १० ५१२-१३ क्र ५७-८)

१ आपका गत २५ जुलाई का पत्र सरकार के एक पत्र के साथ मिला है। उसमें मागी गई जानकारीयों इसके साथ भेज रहा हूँ।

२ सरकार के आदेश के अनुरूप मुझे प्राप्त इस जिले में शिक्षा की स्थिति की जानकारी भेज रहा हूँ।

३ हिन्दू और मुस्लिम विद्यार्थी पढते हैं ऐसी शालाओं की ही विभिन्न प्रकार की जानकारीयों का इसमें समावेश किया गया है।

४ बच्चे पाच वर्ष पूरे होने पर ही शाला में जाते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुरूप वे शाला में रहते हैं। साधारणतः देखा गया है कि तेरह वर्ष के होने तक उनमें भिन्न भिन्न विषय सीखने की क्षमता का असाधारण विकास होता है। केवल हिन्दू के लिए ही सभ्य है ऐसी लगन और जिज्ञासा को ही इसका श्रेय है।

५ गरीब ब्राह्मणों को खगोलविज्ञान और ज्योतिषशास्त्र पढ़ाया जाता है। घर की स्थिति के अनुरूप ऐसे बच्चों को दक्षिणा भी दी जाती है।

६ इस जिले में सार्वजनिक निर्वाह होता हो ऐसी शालाएँ नहीं हैं। अनुदान से चलनेवाली शालाएँ केवल मिशनरियों के नियंत्रण में हैं। फलतः उसमें पढनेवाले भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय और विचारधारा के हैं।

७ चलानेवाले लोगों की इच्छा के अनुरूप यह दानप्राप्त शालाएँ चलती हैं या बन्द हो जाती हैं।

८ शिक्षकों को प्रति वर्ष प्रत्येक छात्र के हिसाब से १२ पेगोडा से अधिक राशि मुश्किल से ही प्राप्त होती है।

चेन्नई कार्यालय  
१३ नवम्बर १८२२

एल जी के मरे  
समाहर्ता

पैनाई जिले के स्वामीय जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			बुद्ध छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१	२												
पैनाई	विद्यालय ३०५ एम्बेल्स विद्यालय १७ महाविद्यालय	३५८	१	३५९	४८९	१	४९८	३५०६	११३	३६१९	३१३	४	३१७
		५२	२	५४	४८	२	५०	१७२		१७२	१३४	४७	१८१

योग (हिन्दु)	मुस्लिम छात्र			हिन्दू एवं मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
४९६६	१२७		१२७	५१०९	१२७	५२३६	३६०००		३६०००
४०४	४९		९०	४१४	४९	४६३	-		४००००

पैनाई समाख्या की कथहरी

१३ फरवरी १८२२

एल जी के मरे

समाख्या

उत्तर आर्कोट जिले के प्रधान समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति (३-३-१८२३)  
(टी एन एस ए. बी आर पी खण्ड १४४ का १०-३-१८२३ पृ २८-६-१६ क्र २०-२१)

१ छात्रों की शिक्षा से संबंधित इस जिले की जानकारी इस के साथ प्रस्तुत है।

२ आपके सचिव के पत्र के साथ सलग्न पत्रक के अतिरिक्त सस्थाओं के भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्णन और उसके निर्वाह की पद्धति के बारे में भी जानकारी भेजी है।

३ सरकार से ससाधन प्राप्त करनेवाले लोग इस प्रकार हैं। श्री शेमियर के पत्र में जिनका निर्देश किया गया था ऐसी आर्कोट की फारसी शालाएँ १० दिसंबर १८२२ के दिन मैंने आपको सौंपी है।

४ इस जिले के अलग अलग हिस्सों में लगभग २८ कॉलेज की स्थापना की गई है। घेन्नई के मान्यम् से उसका निर्वाह होता है। पूर्व की सरकार ने ही यह अनुदान दिया है। यह आज भी चालू है। उसकी कुल राशि ५१६ रुपए ११ आने ९ पाई है।

५ सातगुड तेहसील की फारसी शाला प्रति छात्र १/४ रुपये के 'याम्य' अनुदान से चलती है। वहाँ लगभग ८ विद्यार्थी फारसी भाषा का अध्ययन करते हैं। कावेरीपाक तेहसील की एक कॉलेज को ५ रुपए ८ आने और ४ पाई जितनी साधारण मायरा मिलती है। इस विभाग में सरकार की ओर से इतना ही खर्च होता है।

६ विविध विद्याशाखाओं की कुछ सस्थाएँ नि शुल्क चलती हैं। कुछ सपन्न लोग और स्वेच्छासे अपना समय देनेवाले विद्वान ऐसी सस्थाएँ चलाते हैं। हालांकि अधिकांश सस्थाएँ वेतन प्राप्त करनेवाले लोग चलाते हैं। उनकी शुल्क की दरें भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। उसका आधार विषय के प्रकार और पढ़नेवाले की स्थिति पर रहता है।

७ तमिल तेलुगु और हिन्दी शालाओं की संख्या सबसे अधिक है। इन शालाओं में सामान्य रूप से पाच वर्ष की आयुके बच्चे भेजे जाते हैं। पाच-छ वर्ष के समय में उनका इतना विकास होता है कि वे लेखा रखने में सार्वजनिक व्यवहारों में काम करने में कर्णम्, सराफ व्यापारी और ऐसे ही अन्य लोगों की सहायता कर सकते हैं। तत्पश्चात् वे स्नातक बनकर सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं या परिवार का व्यवसाय करते हैं।

समाहर्ता की कचहरी

३ मार्च १८२३

विलियम कुन्क  
प्रधान समाहर्ता

(ध्योंरा अगले पृष्ठ पर)

## उत्तर आर्कोट के जिलों में स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विषय	विद्यालय एवं महाविद्यालय			ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र		
		विद्या.	महावि.	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
विष्णु टेकनीक	अध्ययनम् द्वितीय तैत्तिरीय तर्किक परिचय अष्टमी	३	१	१	८	८	८	१	१	१	३	-	३
	योग	१८	७	१८	१५	१५	३३	३३	३३	३३	१३५	२	१३७
	योग	३०	१	३१	५३	५३	५३	३४	३४	३४	२९३	२	२९५
शिल्पारि तेकनीक	अध्ययनम् द्वितीय तैत्तिरीय	१	२	२	५७	५७	५७	५	५	५	१६०		१६०
	योग	१७	२	१९	४८	४८	४८	५१	-	५१	१६०		१६०
कम्प्यूटर तेकनीक	अध्ययनम् आगत्यन्तम् द्वितीय तैत्तिरीय तर्किक परिचय अष्टमी	१	३	४	६९	६९	६९	५१	५१	५१	१६०		१६०
	योग	२३	४०	६३	४३	४३	४३	३६	३६	३६	१९१	११	२०२
	योग	७१	१३	८४	१७९	१७९	१७९	७५	७५	७५	६३४	१४	६४८

उत्तर आर्कोट के जिलों में स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विषय	अन्य जाति छात्र			महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग		
		विद्या	महावि	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
१	२	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६
विपुल तैहसील	अध्ययनम् हिन्दवी तेलुगु तमिल परिविन अंग्रेजी योग				८	३२	३२	३२	४	४	८	२	३११
सिम्पति तैहसील	अध्ययनम् हिन्दवी तेलुगु योग				१८३	४७	४७	४७	१०	१०	५७	५	२८८
अम्बेरौयक तैहसील	अध्ययनम् शास्त्रपाठम् हिन्दवी तेलुगु तमिल परिविन अंग्रेजी योग	११	४६	१२	३६१	५५	५५	५५	१	४	६६	१५	११११



## उत्तर आर्लोट के जिलों में स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विषय	विद्यालय एवं महाविद्यालय				शाश्वत छात्र				वैश्य छात्र				शुद्ध छात्र		
		विद्या	महावि	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
अम्बकान्	५	५	५	५	३४	३४	३४	३४								
हासपाठन्	७	७	७	७	२३	२३	२३	२३								
भक्तिवासास्	२	२	२	२	३	३	३	३								
क्रिस्वी	-	-	-	-	६	६	६	६								
रैपुन्	१६	१६	१६	१६	२९	२९	२९	२९	८	८	८	८	८	८	८	
दण्डिन	१९	१९	१९	१९	१९	१९	१९	१९	७	७	७	७	७	७	७	
परिचिन	२	२	२	२	११	११	११	११								
योग	३८	१४	५२	५२	११४	११४	११४	११४	१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	
अम्बकान्	६	६	६	६	२०	२०	२०	२०								
क्रिस्वी	१	१	१	१	२	२	२	२								
रैपुन्	४	४	४	४	१२	१२	१२	१२	९	९	९	९	९	९	९	
दण्डिन	१८	१८	१८	१८	१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	
योग	२३	६	२९	२९	५०	५०	५०	५०	२५	२५	२५	२५	२५	२५	२५	
अम्बकान्	१	१	१	१	९	९	९	९								
पाण्डाला	४	४	४	४	१३	१३	१३	१३	-	-	-	-	-	-	-	
भक्तिवास्	१	१	१	१	८	८	८	८								
रैपुन्	६	६	६	६	७	७	७	७	६	६	६	६	६	६	६	
दण्डिन	१४	१४	१४	१४	१२	१२	१२	१२	७	७	७	७	७	७	७	
परिचिन	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०								
योग	३१	५	३६	३६	४९	४९	४९	४९	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	
रैपुन्	१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	३६	३६	३६	३६	३६	३६	३६	

उत्तर आर्कोट के जिले में स्वामीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विषय	अन्य जाति छात्र			महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग		
		विद्या	महावि	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१	२	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२६	
मोलापूर	अध्ययनम्				३४		३४				३४	३४	
देहली	शास्त्रपाठम्				२३		२३				२३	२३	
	प्रविद्यालयम्				६		६				६	६	
	हिन्दवी				३		३				३	३	
	रैतुपु				१२०		१२०			१	१२०	१२०	
	रामिस	३		३	२१२		२१२	१		१	२१३	२१३	
	परिमिन							९		९	१	४०८	
	योग	३		३	३९८		३९८	१०		१०	४०८	४०८	
दिलखन	अध्ययनम्				२०		२०				२०	२०	
देहली	हिन्दवी				२		२				२	२	
	रैतुपु				४०		४०				४०	४०	
	रामिस	९		९	१६१		१६	१५		१५	१७६	१७६	
	परिमिन	१९		१९									
	योग	२८		२८	२२३		२२३	१५		१५	२३८	२३८	
सायपुड	अध्ययनम्				९		९				९	९	
देहली	पाठशाला				१३		१३				१३	१३	
	मकितान्				८		८				८	८	
	रैतुपु	१४	३	१७	४७	३	५०	२९		२९	४७	५०	
	रामिस	१		१	१०८	१	१०९	११०		११५	१३७	१३८	
	परिमिन								५	५	११०	११५	
	योग	१५	३	१८	१८५	४	१८९	१३९	५	१४४	३२४	३३३	
सायपुड	रैतुपु	३३		३३	१२८		१२८				१२८	१२८	



उत्तर आर्कोट के जिले में स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा छात्रों की संख्या वर्षानुवार्ता पत्रक

जिला	विषय	अन्य प्राप्ति छात्र			महायोग (हिन्दु)			मुस्लिम छात्र			हिन्दु मुस्लिम योग		
		विद्या	महावि	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
१	२	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६
सोमनाथ	अध्ययनम्				३४		३४				३४		३४
देवनाथ	वास्तव्यम्				२३		२३				२३		२३
	पश्चिमाश्रमम्				६		६				६		६
	हिन्दवी				३		३				३		३
	लेख्य				१२०		१२०				१२०		१२०
	तमिल	३		३	२१२		२१२	१		१	२१३		२१३
	परिचय							९		९			४०८
	योग	३		३	३९८		३९८	१०		१०	४०८		४०८
शिल्पकर्म	अध्ययनम्				२०		२०				२०		२०
सोमनाथ	हिन्दवी				२		२				२		२
	लेख्य	९		९	४०		४०				४०		४०
	तमिल	१९		१९	१६१		१६	१५		१५	१७६		१७६
	योग	२८		२८	२२३		२२३	१५		१५	२३८		२३८
सकल	अध्ययनम्				९		९				९		९
देवनाथ	वास्तव्यम्				१३		१३				१३		१३
	पश्चिमाश्रमम्				८		८				८		८
	लेख्य	१४	३	१७	४७	३	५०	२९		२९	४७	३	५०
	तमिल	१		१	१०८	१	१०९	११०	५	११५	१३७	१	१३८
	परिचय							१३९	५	१४४	३२४	९	३३३
	योग	१५	३	१८	१८५	४	१८९	१३९	५	१४४	३२४	९	३३३
सकल	लेख्य	३३		३३	१२८		१२८				१२८		१२८



उत्तर आर्कोट के जिले में स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा छात्रों की सख्या वशनिवाला पत्रक

ज़िला	विषय	अन्य जाति छात्र			महायोग (हिन्दु)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग		
		विद्या	महावि	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१	२	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२६	
पेन्नूर तहसील	अध्ययनम्				१		१				१	१	
	शास्त्रपठनम्				४		४				४	४	
	तेलुगु				२०		२०				२०	२०	
	हिन्दवी	२५		२५	५१०		५१०	११		११	५२१	५२१	
	अज्ञेयी							१८	२	२०	१८	२०	
	योग	२५		२५	५४३		५४३	२९	२	३१	५७२	५७४	
कन्दवाड तहसील	अध्ययनम्				३८		३८				३८	३८	
	शास्त्रपठनम्				६		६				६	६	
	तेलुगु				६७		६७				६७	६७	
	तमिल	४		४	४४७		४४७				४४७	४४७	
	योग	४		४	५५८		५५८				५५८	५५८	
सुल्थम्पट्ट तहसील	अध्ययनम्				६		६				६	६	
	शास्त्रपठनम्				२		२				२	२	
	तेलुगु	८३	१	८४	१७९	१	१७९	१		१	१७९	१८०	
	तमिल	४०		४०	९१		९१	१		१	९२	९२	
	योग	१२३	१	१२४	२७७	१	२७८	२		२	२७९	२८०	
कन्नडी तहसील	अध्ययनम्				८		८				८	८	
	कव्यपाठनम्				१		१				१	१	
	तेलुगु				७५		७५				७५	७५	
	तमिल				४		४				४	४	
	योग				८८		८८				८८	८८	

## उत्तर आर्कोट के जिले में स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा छात्रों की संख्या दशनिवाला पत्रक

जिला	विषय	विद्यालय एवं महाविद्यालय			ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			सूद छात्र		
		विद्या	महावि.	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
मनापुर पेशवरी	अध्ययनम् शास्त्राणाम् शिल्पी लेख्य	३	१ १ २ ३०	५ १ २ ३०	६ ४ १५ १५	७ ४ १५ १५	८ ४ १५ १५	९ ४ १५ १५	१०	११	१२	१३	१४
सकटपिरी कंटे तोटली	योग दण्ड	३२	२	३४	४०	४०	४०	६४	६४	६४	६४	६४	६४
सायल	अध्ययनम् शास्त्राणाम् शिल्पकारम्	१	४३ २४ २	४३ २४ २	२९८ ११७ ३	२९८ ११७ ३	२९८ ११७ ३	२९८ ११७ ३	२	२	२	२	२
	ग्रन्थम् शिल्पी लेख्य तपिल परिवन शिल्पी	१ १६ २०१ ३६५ ४० ७	१६ २०१ ३६५ ४० ७	१६ २०१ ३६५ ४० ७	६२ ३१२ २८० ६	६२ ३१२ २८० ६	६२ ३१२ २८० ६	१ ३१५ २३४	१	३१५ २३४	२५ ११२ ३६३	२८ ४ ५३	२५ ११० ३६३ ५ ५३
	सकटपिरी	६३०	६९	६९९	११९६	११९६	११९६	६३०	६३०	६३०	४८५६	३२	४८९१

कुल	पुनसख्या	पु.	स्त्री	योग
१	विपु टोटली	२ ८३५	२ ६१८	५ ४५३
२	शिल्पी टोटली	१ ८१४	१ ५३६	३ ३५०
३	सायल टोटली	५ ५८०	४ ५७८	१० १५८
४	सकटपिरी टोटली	२ ५७५	१ ७९१	४ ३६६

कुल	पुनसख्या	पु.	स्त्री	योग
५	शिल्परसम टोटली	२ ७३२	२ ३१४	५ ०४६
६	शास्त्राणु टोटली	२ १७२	१ ६८२	३ ८५४
७	सकटपिरी टोटली	१ ००१	७८०	१ ७८१
८	ग्रन्थ टोटली	६ २५४	५ ९१५	१२ १६९

उच्च आर्ट के जिले में स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा छात्रों की सख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विषय	अन्य जाति छात्र			महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग		
		बिद्या	महासि	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
१	२	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२६	
मोघलस तेहसील	अध्ययनम् शास्त्रपाठम् हिन्दवी फैदुज्ज				६ ४ १५ १८५		६ ४ १५ १८६				६ ४ १५ १८९	६ ४ १५ १९०	
वेन्टवॉरि कटे तेहसील	योग	२०	१	२१	२१०	१	२११	४			२१४	२१५	
सय्याह	वेन्टवॉरि कटे	८		८	१६		१६				१६	१६	
	अध्ययनम् शास्त्रपाठम् भक्तिशास्त्रम् ग्रन्थम् हिन्दवी फैदुज्ज तमिल परियन अङ्ग्रेजी				२९८ ११७ ३ ८ १३५ ३०९ २१०		२९८ ११७ ३ ८ १३५ ३१६ ४३७				२९८ ११७ ३ ८ १३५ ३२२ ४५०	२९८ ११७ ३ ८ १३५ ३२५ ४५०	
	महायोग	५२९	८	५३७	७१७०	४१	७१८१	५५२	११	५६३	७६२	५२ ७७४	

कुल	जगसख्या	पु	स्त्री	योग	कुल			योग	
					जगसख्या	पु	स्त्री		
१.	मुस्लिम तेहसील	६०६४	५४४१	११५०५	१३	सासवायड तेहसील	११०६	१५४५	३४५१
१०	तिरुवाणुर तेहसील	२९८६	२२९७	५२८३	१४	भगारी तेहसील	७४८	६३८	१३८६
११	पैन्दूर तेहसील	२९८८	२३३५	५३२३	१५	मोघलस तेहसील	२१९६	१७११	३९०७
१२	बन्दवायड तेहसील	२५३७	१८०७	४३४४	१६	कैन्टवॉरि कटे तेहसील	७२	६३	१३५

मोघलसका संख्या ३ मार्च १८२३

विशियम बूक प्रमुख समाहता



## विभिन्न संस्थाओं सम्बन्धी जानकारी उनके निभाव के साधनों का व्यौरा - सारांश

विषय	शिवालय	महा	योग	उत्प	उत्प संख्या	क्रिया समय एवं शिवालय या मठ/विद्यालयों पर्ये हैं।	महा विद्यालय	छात्र	रिप्लो	रधि		
										रूपये	आने	पाई
अध्ययन		४३	४३	२९८	१० से १२ वर्ष		७	८४	रिप्लो			
अथवा							१	१२	रिप्लो			
वर्ष							७	३९	(शिकक उनकी के परिवार के सदस्य)			
छात्रों का									छात्र का स्तुतम कुलक मासिक १ आना			
अध्ययन									२ पाई अधिकतम २ रूपये			
									वर्षिक स्तुतम १४ आने			
									अधिकतम २४ रूपये			
									महाविद्यालयों की मासिक आय			
									२ रूपये १ आने ६ पाई			
							२८	१६३	सार्वजनिक		३३१	२
									महाविद्यालय			
									रूपये १/४			
									रूपये १/२			
									रूपये १/४			
									१३७०१			
									५१६ ११९			
									महाविद्यालय के अध्यापक का वार्षिक मासिक			
									स्तुतम रूपये ३८			
									अधिकतम ३६ १२ रूपये			
							४३	२९८	वार्षिक कुलक		६५६	११
							४३	२९८			६५७	९





विषय	विद्यालय	माह	योग	छात्र संख्या	कितना समय छात्र विद्यालय या महाविद्यालयमें रहते हैं।	महा विद्यालय	छात्र	टिप्पणी	राशि		
									रुपये	आने	पाई
परिष्क	४०		४०	३९८	४ से ८ वर्ष	१	१३	नि मुल्क	१०		
						१	२	निगुल्क (ज्यायलक उन्ही के परिवारजन)			
						६	६८	सार्वजनिक विद्यालय १ विद्यालयमें ८ छात्र साठमुक्क ठेहरील के पाठनाम क्त में संस्थापित महन्मद घोस नामक शिक्षक मासिक ३ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> रुपये दक्षिणा वार्षिक १० रुपये ग्रान्ट कस्वा विद्यालयमें में ६० छात्र ५ शिक्षक प्रति शिक्षक १२ छात्र मासिक ४ रु दक्षिणा कुल २० रुपये १ दरोगा मुलाम महुदीन मासिक २० रुपये खर्च दैनिक एक बार विद्यार्थी अथवा मात १ बाल्थी मासिक अथवा वार्षिक वेतन	२०	२०	६३
										२	८
										१०५	१५

दिनांक	विद्यार्थी	वर्ग	योग	उप	कितना समय उप	पढ़ा	उप	शिक्षिका	शिक्षिका	राशि	
										रुपये	पैसे
					किताब समय या विद्यार्थी या समर्थितकर्ता परते हैं।	१	३०८	३	नापुर १ मासिकरूप रुपये मुद्रा साक्ष्य मनुक शिक्षक वार्षिक दक्षिणा न्यूनतम मासिक रुल्क २ आना ६ पैसे अधिकतम मासिक रुल्क २ रुपये न्यूनतम वार्षिक रुल्क १ रुपये १४ आना अधिकतम वार्षिक रुल्क २४ रुपये ३१ विद्यार्थियों की कुल मासिक आय ११९ रुपये ४ आना २ पैसे	१२०१	१२
						३१	३०८			१३६१	१२
										२९	७
										१४३१	२
योग				३१८		४०			वार्षिक खर्च	२८२२	५
अंश				६१	६ से ७ वर्ष	३	१४	४४	निःशुल्क न्यूनतम मासिक रुल्क १० आना अधिकतम मासिक रुल्क ३ रुपये ८ आना न्यूनतम वार्षिक रुल्क ७ १/२ रुपये अधिकतम वार्षिक रुल्क ४२ रुपये ४ विद्यार्थियों की कुल मासिक आय		
				६१			६१		वार्षिक खर्च	४५	
										५४०	

समाचार्य कपडरी ३ मार्च १८२३

बेंगलपट्टु समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति

(डी एन एस ए वी आर पी खण्ड १४६ का ७-४-१८२३  
पृ ३४९३-९६ क्र २५)

१ गत २५ जुलाई का आपके सचिव का पत्र मिला है। इस जिले की शालाओं और छात्रों की जानकारी निम्नलिखित पत्रक में प्रस्तुत है।

२ कोई व्यवस्थित कॉलेज यहाँ नहीं है किन्तु उच्च शिक्षा के केन्द्र हैं और वहाँ छात्र पढ़ते भी हैं। ऐसे केन्द्र स्वतंत्र रूप से दर्शाए हैं।

३ गाँव के शिक्षक को महीने में  $३\frac{1}{2}$  से लेकर १२ रुपए आय होती है जो औसतन ७ रुपए से अधिक नहीं होती। छात्र घर पर ही रहते हैं और कुछ समय शाला में आते हैं। उपस्थिति बहुत ही अनियमित रहती है। बहुत ही कम शिक्षकों को व्याकरण का ज्ञान है। छात्र या शिक्षक में एक भी वे जिसका पाठ करते हैं उसका अर्थ नहीं जानते।

४ इस जिले में स्थानीय सरकार द्वारा शिक्षा के लिए कोई सहायता नहीं दी जाती। कई गाँवों में साधारण मान्यम् हैं। यह मान्यम्  $\frac{1}{4}$  से लेकर दो कण्ठी तक ग्रूनि का है। यह मान्यम् 'वेदवर्तार' या धर्मशास्त्र के शिक्षकों के लिए होते हैं।

५ शिक्षा की पद्धति में दखल नहीं किया जाएगा ऐसी मने उद्घोषणा की है। वर्तमान व्यवस्था में मदद करने के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाता है।

६ सम्य समाज में इससे निम्नस्तर की शिक्षा नहीं हो सकती। बंगाल के लोगों के बारे में कहा जाता है उसी प्रकार यहाँ के लोगों को शिक्षासुधार की कोई आकांक्षा नहीं है।

जिला बेंगलपट्टु

पुदुपत्तनम्

३ अप्रैल १८२३

एस स्मेली

समाहर्ता

बैंगलपुर जिले के महाविद्यालयों एवं उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१	२												
	विद्यालय ५०८	८५८	३	८६१	४२४		४२४	४८०१	७१	४८८८	४५२	३४	४८६
	सांस्कृत विद्यालय ५१	३१८		३१८									
	महाविद्यालय												

महायोग (हिन्दु)	मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
६५४३	११६	६६५१	१८६	६७२९	११६	६८४५	११०२४३	१७२८८६	३६३१२९
३१८	-	३१८	-	३१८		३१८	-	-	-
-	-	-	-	-		-	-	-	-

जिला बैंगलपुर, प्रमुपहनम्  
३ एप्रिल १८२३

इ स्नेही  
समाहर्ता

दक्षिण आर्कोट के प्रधान समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति २९-६-१८२३

(टी एन एस ए बी आर पी खण्ड १५४ क्र ७-७-१८२३ पृ ५६२२-२४ क्र ५९-६०)

१ २५ जुलाई १८२२ का आप के नायब सचिव का सलग्न पत्रकों सहित पत्र मिला है। पत्रानुसार इस जिले की शाला और कॉलेजों की सख्या की जानकारी प्रस्तुत है। आपकी ओर से प्राप्त पत्रक के अनुरूप यह जानकारी इकट्ठी की गई है।

२ इन शालाओं में प्रत्येक में एक शिक्षक है तथा मलबारी तथा स्थानीय भाषाओं में लिखना पठना सिखाया जाता है। प्रत्येक छात्र के घर की स्थिति के अनुरूप १ फेनम से १ पेगोडा तक का शुल्क निर्धारित किया गया है। सुबह ६ बजे से लेकर १० और दोपहर १२ से २ तथा अपराह्न ३ से ८ के दौरान छात्र शाला में आते हैं।

३ यत्र विज्ञान कानून खगोल आदि सिखाने के लिए इस जिले में एक भी सार्वजनिक शाला नहीं है। शाला चलाने के लिए सरकार की ओर से कभी कुछ दिया नहीं जाता। छात्रों के अभिभावक ही शिक्षकों के पोषक होते हैं।

प्रधान समाहर्ता कचहरी कच्छलूर

सी हाइड

२९ जून १८२३

प्रधान समाहर्ता

(ध्याँरा अगले पृष्ठ पर)



आर्कोट एवं कडवरु जिलों के विद्यालयों महाविद्यालयों एवं उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या बरानिवाला पत्रक

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र						शुद्ध छात्र						अन्य जाति के छात्र					
		३			४			५			६			७			८		
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१ तिरुचेन्नूर	२	०६		०६	२४		२४					६३३	९		६४२	९			९
२ तिरुवारी		५७		५७	४		४					४२५	२		४२७				२५
३ बरदवरी		५२		५२	८		८					२४८			२४८				५५
४ त्रिस्तपुर		१७७		१७७	२०		२०					५५७	२		५५९				१७१
५. वीरचंड़ी		६३		६३	१३		१३					९४२	११		९५३				९
६. मनापुरी		३७		३७	१३		१३					२७७			२७७				
७ तिरुवलूर		११८		११८	१६		१६					४५४	१५		४६९				१०
८. वृंदावरी		२७		२७	३३		३३					२९६	२		२९८				५

जिला	योग (हिन्दु)				मुस्लिम छात्र				हिन्दु एवं मुसलमान छात्र				कुल जनसंख्या			
	७				८				९				१०			
	पु.	र स्त्री	योग	शु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	
१ त्रिचेन्नम्	७४२	९	७५१	१८		१८	७६०	९	७६९	१५ ९७५	१४ ९७८	३० १५३				
२ त्रिच्योरी	५११	२	५१३	१५		१५	५२६	२	५२८	१९ १४२	१६ ७२६	३५ ८६८				
३ बल्लारु	४६३		४६३	१३		१३	४७६		४७६	९ ७९६	१२ १५७	२१ ९५३				
४ त्रिच्यपुरम्	९२३	४	९२७	३४		३४	९५७	४	९६१	११ ९४२	११ ९२०	२३ ०६२				
५ त्रिच्यनरि	१०२७	११	१०३८	५६		५६	१०८३	११	१०९४	२० २२३	१७ २४८	३७ ४७१				
६ मद्रासपुरी	३२७		३२७		-		३२७		३२७	६ २२५	५ ४३०	११ ६५५				
७ त्रिच्यवाम्	५९८	१५	६१३	१८		१८	६३६	१५	६३१	९ ९२६	९ २५४	१९ १८०				
८ त्रिच्यवामी	३६१	२	३६३	९		९	३७०	२	३७२	१३ ८४६	११ ७२७	२५ ५७३				

विवरण	विद्यार्थी एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र				शैक्ष्य छात्र				गुरु छात्र				अन्य जाति के छात्र					
		३		४		५		६		७		८		९		१०			
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१	२																		
१. बाराबतसु	विद्यार्थी १६९ महाविद्यालय	१०		१०	६७			६७	१२५३	२२		१२७५	४००			४००			
१० पुनवसारे	विद्यार्थी-५५ महाविद्यालय	४०		४०	१८			१८	३९८	७		४०५	६२			६२			६४
११ विठ्ठर	विद्यार्थी ५७ महाविद्यालय	६७		६७	३५			३५	४६०	६		४६६	-			-			३
१२ कुलकर्णी	विद्यार्थी ४८ महाविद्यालय	६९		६९	४८			४८	४०९			४०९	३८			३८			४१
१३ चंद्रपुट	विद्यार्थी-८९ महाविद्यालय	४७		४७	१६			१६	६६०			६६०	२८			२८			२८
१४ योग	विद्यार्थी-८३६ महाविद्यालय	६२७		६२७	३१५			३१५	७११२	७६		७१८८	८१०			८१०			८२०
१५ कच्छर	विद्यार्थी ४९ महाविद्यालय	७०		७०	५५			५५	८२८	१८		८४६	५२			५२			५२
१६ मन्सोन	विद्यार्थी ८७२ महाविद्यालय	९९७		९९७	३७०			३७०	७९३८	९४		८०३२	८६२			८६२			८७२

शिक्षा	योग (हिन्दू)				मुस्लिम छात्र				हिन्दू एवं मुसलमान छात्र				कुल जनसंख्या				
	७		८		९		१०		१		२		३		४		
	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री
१ वस्त्रधाम	१८१७	२२	१८३९	१५		१५	१५	१८३२	२२	१८५४	२५२०४	२२८२२	४८०२६				
१० एस्करमारे	५१८	९	५२७	११		११	५३७	९	५४६	१७०३०	१५१५६	३२१८६					
११ त्रिक्लर	५६२	९	५७१	४		४	५६६	९	५७५	११०७५	१०८०८	३६८८३					
१२ बुल्लकोर्वे	५६४	३	५६७	७		७	५७१	३	५७४	२११९०	२०२३८	४१४२८					
१३ कंट्रुट	७५१		७५१	३		३	७५४		७५४	१९६५५	१९३९४	३९०४९					
१४ योग	९१६४	८६	९२५०	२११		२११	९३७५	८६	९४६१	२०९२२९	१९३२५८	४०२४८७					
१५ कन्नूर	१००३	१८	१०२१	४१		४१	१०४४	१८	१०६२	८७४५	९२९८	१८०४३					
१६ महलयम	१०१६७	१०४	१०२७१	२५२		२५२	१०४१९	१०४	१०५२३	२१७९७४	२०२५५६	४२०५३०					

### मेल्बोर के समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति २३-६-१८२३

(टी एन एस ए बी आर पी. खण्ड १५२ का ३०-६-१८२३ पृ ५१८८-११ क्र २६)

१ आपके गत २५ जुलाई के पत्र का उत्तर मैंने पहले ही दिया होता। किन्तु जमीनदारी तोहसीलों में शालाओं के बारे में आपने माँगी जानकारी सचित करने में अनिवारणीय रूकावटें आने से वैसा नहीं हो पाया।

२ उपर्युक्त पत्र के साथ के पत्रक के अनुरूप मैंने एक सारिणी (अ) भेजी है। उसमें मेरे जिले की शालाओं और कॉलेजों की तथा छात्रों की संख्या बताई गई है।

३ दूसरी सारिणी (ब) में वेद अरबी फारसी आदि विषय पढ़ानेवाले लोगों की संख्या तथा कर्णाटक सरकार द्वारा उन्हें ज़मीन अथवा पैसे के रूप में दिये जानेवाले और कंपनी के द्वारा घालू रखे गये खेतन की जानकारी भी दी गई है।

४ सारिणी (अ) में दर्शाई गई शालाओं को सार्वजनिक तौर पर कुछ भी नहीं दिया जाता। ये खास करके व्यक्तियों द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा के लिए और कुछ शिक्षकों द्वारा अपने निर्वाह के लिए शुरू की गई हैं।

५ इन शालाओं में छात्र ६ वर्ष तक अध्ययन करते हैं। प्रत्येक छात्र दो अने से लेकर ४ रुपए तक प्रति मास अपने शिक्षक को देता है। छात्र की शिक्षा का खर्च प्रति मास निवास और साधन सामग्री का एक रुपया और अंग्रेजी भाषा पढ़नी है जो उसके दो रुपए होता है।

६ पाँच वर्ष की आयु में छात्र शाला में प्रवेश पाता है। ऊपर निर्दिष्ट शुल्क के अतिरिक्त विद्यार्थी हर पन्द्रह दिन में एक बार एक सेर धानल देता है। शाला के प्रथम प्रवेश के समय भी शिक्षक को उपहार दिया जाता है। माल रामायण अमरकोश आदि पुस्तकें पढ़ लेने के पश्चात् भी शिक्षक को दक्षिणा दी जाती है। इसी प्रकार अध्ययन पूर्ण करने पर शाला छोड़ने के समय भी शिक्षक को दक्षिणा दी जाती है।

७ जिले की शाला शिक्षक स्थायी रूप में नहीं चलते हैं। अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उत्सुक कुछ लोग पदेलिखे लोगों को अपने घर बच्चों को पढ़ाने हेतु निमंत्रित करते हैं। महीने में लगभग २ अने से ४ रुपए शुल्क निश्चित किया जाता है। घर में उन्हें भोजन भी दिया जाता है। जिन लोगों को वैयक्तिक तौर पर पूरा शुल्क देना मुश्किल होता है वे अपने बच्चों के साथ आसपास के अन्य बच्चों को भी अध्ययन के

लिए बुलाते हैं तथा उनसे हर महीने  $\frac{1}{4}$  से एक रुपया लेते हैं और शिक्षक को पूरी दक्षिणा देते हैं। उनके बंधे पढ़ लें तब शिक्षक को बिदा करते हैं और शाला का विसर्जन होता है।

यहाँ में शालाओं की जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति लेता हूँ।

सामान्य शाला	६४२
वेद शाला	२३
खगोल शाला	५
कानून शाला	१५
ज्योतिष शाला	३
अंग्रेजी शाला	१
पर्शियन और अरबी शाला	५०
तमिल शाला	४
हिन्दुस्तानी संगीत शाला	१
कुल देशी शालार्ये	२०४

नेलौर  
२३ जून १८२३

टी प्रेज़र  
समाहर्ता

(ब्यौरा अगले पृष्ठ पर)

नेमोर जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या बरानिवाला पत्रक

जिला	विद्यालय एवं महाविद्यालय	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जातिके छात्र			महायोग		
		पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
जमीरपुरी देवरौन हरिय अमोल ए.के.ए. दिवा	८०४	२४६६		२४६६	१,६४१		१,६४१	२,४०८	५५	२,४६३	४३२		४३२	६,१४६	५५	६,२०१

मुस्लिम छात्र			हिन्दू एवं मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
६१०	३	६१३	४८	७६२५	७६७३	२३२५४०	२०६१२७	४३८६६७
						२०००००	२०००००	४०००००
						४३२५४०	४०६१२७	८३८६६७

नेमोर सामाजिक कार्यकारी  
२३ फ़ुल १८२३

डी प्रोफ़ेसर  
बालकृष्ण

ऐसे एक परिश्रम एवं वेद सिखानेवाले व्यक्तियों की सख्या छात्रों की सख्या एवं कर्नाटक सरकार द्वारा दिये हुए एवं कम्पनी ने मान्य करके चालू रखे हुए अनुदान का व्यौरा

शिक्षा का वर्णन	अध्यापक संख्या					छात्र संख्या					वर्षिणा		
	ब्राह्मण	मुस्लिम	योग	ब्राह्मण	शूद्र	पु.	स्त्री	योग	योग	वार्षिक (नकद)	वार्षिक धुनिके रूपमें	योग	
१													
१		१०	१०		२	८३	१	८४	८६	४५६	२०	४७६	
२	१४		१४	६३					६३		२७१	२७१	
३	१		१								६०	६०	
४		१	१			१४		१४	१४	३६०		३६०	
	१५	११	२६	६३	२	१७	१	१८	१६३	१११६	३५१	१४६७	

नेल्सोर समाहर्ता कचहरी  
२३ जून १८२३

टी प्रेम्बर  
समाहर्ता



मछलीपट्टम् के समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति  
(टी एन एस ए की आर पी का १३-१-१८२३)

प्रति

अध्यक्ष महोदय एन सदस्यगण राजस्व बोर्ड

फोर्ट सेंट ज्योर्ज

महोदय

१ सचिव महोदय २५ जुलाई के पत्र के सदर्थ में मेरे अधिकार में निर्देशित देशी शालाओं (विद्यालय) और महाविद्यालय तथा छात्रों का ब्यौरा पत्रक के द्वारा सादर प्रस्तुत करता हूँ।

२ संपूर्ण जानकारी शालाओं और महाविद्यालयों के शीर्षक के अंतर्गत त्रिन्में विविध भाषाएँ और विज्ञान को अलग करके एक विशेष कोलम द्वारा क्षत्रिय छात्र जो ब्राह्मणों से भिन्न श्रेणी में आते हैं उनके लिए प्रस्तुत है। हिन्दूभाषा में पठनेवाले छात्रों को पाँच वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता है तथा बारह वर्ष या सत्रह वर्ष पूर्ण होने तक वे अध्ययन करते हैं। शालाओं का समय प्रातः ६ बजे से ९ बजे तक और ११ बजे से ६ बजे संध्या तक सामान्य रूप में होता है।

३ प्राथमिक शिक्षा में उन्हें वर्तनी शब्द तथा सामान्य एव वैयक्तिक नाम सिखाए जाते हैं। यह सब उन्हें रेत पर चगलियों से लिखना होता है। जब वे उसमें निपुणता प्राप्त करते हैं तब उन्हें सस्कृत और हिन्दू (भारतीय स) भाषाओं में कठजन पर लिखी हुई पुस्तकों का पठन (बालरामायणम्, अमरम् आदि) करवाया जाता है। साथ ही पत्रव्यवहार गणितशास्त्र लेखा आदि की शिक्षा छात्र की रुचि के अनुरूप दी जाती है।

४ छात्र जब इनमें कौशल प्राप्त कर लेते हैं तब इन शालाओं में उन्हें सार्वजनिक और निजी कार्यालयों के द्वारा या उद्य लेखा अथवा विदेशी भाषाओं में जैसे कि फारसी और अग्रेजी आदि में स्थानांतर किया जाता है।

५ वेदपाठी ब्राह्मण छात्रों को इसमें कौशल प्राप्त करने पर वैदिक और शास्त्रोक्त महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाता है।

६ वेद तो हिन्दू विज्ञानकी जननी है। शास्त्र को आम भाषामें उन सभी विद्याओं को कहा जाता है जो सस्कृत में हैं जैसे कानून ज्योतिषशास्त्र धर्मशास्त्र आदि। यह विज्ञान केवल ब्राह्मणों के द्वारा सीखा जाता है जो धार्मिक कर्मकाण्ड में पूर्ण कुशल हैं।

७ इस देश के अधिकांश नगर और गाँवों में ब्राह्मण उनके छात्रों को वेद और

शास्त्र महाविद्यालयों में या अन्य स्थानों पर या अपने घरों में सिखाते हैं।

८ इसके लिए कोई अलग शाला अथवा महाविद्यालय बनाया गया नहीं लगता है। दो वर्ष पूर्व इलोरा के ज़मीनदार वेंकट नरसिंह आप्पारावने एक शिक्षक के द्वारा हिन्दू छात्रों के लिए एक धर्मार्थ शाला शुरू करवाई थी। उस शिक्षक का पारिश्रमिक प्रति मास ३ पेगोडा था। इसमें ३३ छात्रों को अध्ययन करवाया जाता था। यह शाला पूर्ण रूप से दान पर आधारित थी।

९ नृत्यागना के अतिरिक्त शायद ही अन्य जाति की महिलाओं को सार्वजनिक रूप में शिक्षा दी जाती है।

१० भोजन और वेश के साथ हिन्दू छात्रों को लगभग मासिक ६ आने का पारिश्रमिक कागज स्लेट और पुस्तकों आदि के लिए शाला के शिक्षकों को देना होता है। ये दोनों पारिश्रमिक छात्रों के सामाजिक स्तर और स्थिति पर आधारित रहते हैं। सामान्य रूप से शाला के शिक्षकों का पारिश्रमिक  $\frac{1}{4}$  से २ रुपये प्रति छात्र रहता है।

११ सस्कृत कानून और खगोलशास्त्र के महाविद्यालयों का सामान्य निर्देश पत्रक में किया है वे सभी विद्वान और दाताओं द्वारा खोले गये हैं। कुछ तो मान्यम् द्वारा और शेष दान तथा छात्रों की भेंट द्वारा तथा बिना पारिश्रमिक के चलते हैं।

छात्र का निर्वाह और पुस्तकों का वार्षिक खर्च लगभग साठ रुपए होता है।

१२ सलग्र पत्रक के अनुरूप ४ ८४७ छात्र ४६५ हिन्दू शालाओं में तथा केवल १९९ छात्र ४९ शास्त्रीय महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं।

१३ देश के इस क्षेत्र में फारसी भाषा सिखानेवाले विद्यालयों की संख्या कम है (अपवाद स्वरूप ४१ छात्र जो हिन्दू-शाला में हैं)। मुस्लिम छात्रों की संख्या २३६ है। उनके ९ मदरसे हैं। उनकी शिक्षा अवधि ९ वर्ष रहती है तथा छात्रों की आयु ६ से १५ वर्ष की रखी गई है। शिक्षक का पारिश्रमिक पाव रुपिया से एक रुपए तक का है। उपरांत लेखन साधनों का खर्च प्रति मास लगभग चार आने हैं। मित्रता से प्रेरित होकर मुस्लिम शिक्षक और दानवृत्ति से कुछ शालाओं में बिना पारिश्रमिक के शिक्षा देते हैं। जैसे कि इलोरा में मुहुद्दीन शाह का बेटा हुसैन अली फकीर।

१४ कोई भी संस्था स्थाई रूप में अनुदान प्राप्त नहीं करती है। फिर भी प्रोत्साहन और सहायता वहाँ के स्थानीय प्रतिष्ठित और समृद्ध व्यक्तियों द्वारा दी जाती हो ऐसा लगता है।

मछलीपट्टम्

३ जनवरी १८२३

ए एफ लेने

समाहर्ता

(ब्यौरा अगले पृष्ठ पर)



विला (१)	अन्य जाति के छात्र			महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
	(७)			(८)			(९)			(१०)			११		
	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
१	४	२	६	८२	२	८४	२		२	११६	२	११८	१७१९३	१२१७८	३०१७१
२	१०		१०	१२६	२४	१२६	१		१	१४१		१४१	१२२१८	१६२२	२१८४०
३	१९		१९	१५८	४	१५८	८		८	१७०		१७०	८२१६	६८११	१५०८७
४	११	१	१२	१२०	१	१२१	३		३	१२३	१	१२४	१०२३९	८३४२	१८५८
५	२५	८	३३	१८७	८	१९५				३१७	१०	३२७	८०६३	७१८३	१५३४६
६	६		६	७७	८	७७	३		३	८०	८	८०	७१५०	६७६८	१४७१८
७															
८															
९	११	१	१२	१७३	१	१७४				२०९	१	२१०	७२९७	५४१४	१२७११



(१)	(७)		(८)		(९)		(१०)		(११)					
	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री				
१०	२१	२	२३	१८७	२	१८९			२११	२	२३३	१५५६१	१२५९८	२८१५९
				१२		१२								
				५		५								
				८		८								
११	११		११	१०७		१०७			१११		१११	११५२५	९५६३	२०८८७
				५		५								
१२	२२	२	२४	१२८	३	१३१	१	१	१३७	३	१४०	९५६१	७९८१	१७५४२
				८		८								
१३				२१		२१	१	१	२२		२२			
१४	८		८	५४		५४			५४		५४	२५७०	२१६२	५७३२
१५				१३		१३			१३		१३	१३९०	११९०	२५८०
१६	३		३	२००		२००	२	२	२०२		२०२	११५९२	९८५६	२१४४८
१७	३		३	११०		११०			११०		११०	४८४९	४९८७	९०३६
१८				१५०		१५०			१५०		१५०	६०५६	५६३२	११६७८
१९	१४१	९	१४७	९१३	६	९१९			९६६	६	९७२	२६१९२	२६१७३	५२३६५
२०							५३	५३						

१	२			३			४			५			६				
	विषय	प्रमाण	पु.	एवी	योग	पु.	एवी	योग	पु.	एवी	योग	पु.	एवी	योग	पु.	एवी	योग
२१ अस्तम्य देव	१		१	-	१				२६		२६	१२		१२			
२२ होमन्वी देव	६		३४	-	३४				११		११	१३		१३			
२३ ७ इव लय	३		५	-	५				१		१	६		६			
२४ ७ देव																	
२५ टरिमेदेव	३१	१	१४१		१४१				४४		४४	१२२		१२२			
	१		१२		१२												
२६ सन्तम्य देव	१८		८०	-	८०				२३		२३	८६		८६			
		१	४	-	४												
२७ सुमिद्व लय	१८		४५	-	४५				१४		१४	८३		८३			
२८ सन्तम्य देव	११		३३	-	३३			११	८		८	४४		४४			
		४	८	-	८												
		१	८	-	८												
२९ ७ लय	८		२४	-	२४				१४		१४	१३		१३			
३० ७ अस्तम्य																	
३१ ७ लय																	
३२ सुमिद्व लय	११		४३	-	४३				४४		४४	४४		४४			





१	२		३		४		५		६	
	दिनांक	प्र	रबी	योग	प्र	रबी	योग	प्र	रबी	योग
१) स्याम हाल्य (दुमरा)	१२	५८	-	५८			७	४८		४८
२) स्याम हाल्य		१०		१०						
३) सुकेरी स्याम	४	१५		१५						
४) निरकपूरी		५२		५२			३०	४५		४५
५) सुकेरी स्याम	४	१६		१६			१२	७		७
६) निरकपूरी										
७) सिरी	२३	७६	१	७७			१५	४५		४५
८) निरकपूरी	१	२६	-	२६	३		३२	३८		३८
९) सिरी	२	४		४			४	२		२
१०) सुकेरी	१	११		११			१	५		५
११) स्यामहाल्य	५	१८		१८			१६	६		६
१२) सुकेरी										
१३) सुकेरी	१	१०		१०				२		२
१४) सुकेरी	१	११		११			५	२		२
१५) सुकेरी	३	५		५			१८	२		२

(१)	(७)		(८)		(९)		(१०)		(११)			
	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
३३	२	१	३	११५	१	११६		१४०	१	१४१	३११२	६१७३
३४	२७		२७	१५४	३	१५४	३	१५७		१५७	६४५८	१७४११
३५	३		३	३८		३८		३८		३८	२८०७	५१८८
३६											२३१२	४२१०
३७	१५		१५	१५१	१	१५२	८	१५१	१	१६०	१२११७	२२०७८
३८	६		६	१०५	४	१०५	४	१०६		१०६	६६६३	१२००८
३९	१		१	११		११		११		११	१६८३	३१६४
४०	७		७	३२		३२		३२		३२	१८७६	३४१५
४१	१८		१८	५८	५	५८	५	६३		६३	४०५४	७५५६
४२												
४३				१२		१२		१२		१२		
४४				१८		१८		१८		१८		
४५	२		२	२७		२७		२७		२७		

१	२		३		४		५		६		
	संख्या	वर्ग	संख्या	वर्ग	संख्या	वर्ग	संख्या	वर्ग	संख्या	वर्ग	
४६	१०	२०	२०	२०	४२	४२	४२	४२	१०	१०	
४७	१	२	२	२					१	१	
४८	२	२०	२०	२०							
४९											
५०	४८१	५९	१८०२	१	१८०३	१८	१९०८	१९०८	१५०६	१	१५०७
५१	१६५	१६०	१६०	१	१६०	१८	१९०८	१९०८	१,५०६	१	१,५०७
५२		१६	१६	१६							
५३		३०	१८	१८							
५४		८	३५	३५							
५५	१९										
५६	४८५	३८	१८०	६०	१८०	१८	१९०८	१९०८	१,५०६	१	१,५०७

(१)	(७)		(८)		(९)		(१०)		११		
	पु	स्त्री	पु	स्त्री	पु	स्त्री	पु	स्त्री	पु	स्त्री	
४८	६		१२				१२		६२	७२९	१५४८६
४७	५	५	१				४	५	८५	७२४	१५८०
४८			२०				२०		२०		
४९											
५०	२९	४९९	४९४	३१	५००५	२	४२४९	३३	५२८२	२८९९६	५२९८४९
४७०	२९	४९९	४९४	३१	४८०६		४९	३१	४८४७		
							६६		६६		
					९८		९८		९८		
			३५		३५		३५		३५		
					२३६	२	२३४	२	२३६		
४७०	२९	४९९	४९४	३१	५००५	२	४२४९	३३	५२८२		

विशेष पत्रको के कोने फटे हुए हैं। अत परगनों के नाम स्पष्ट रूपसे लिखे नहीं जा सकते हैं। वही स्थिति जनसंख्या के सम्बन्ध में भी यहाँ रहा बनी है। यथासम्भव परगनों के नाम जनसंख्या के आकड़े आदि की निश्चिन्ता मधुलीपट्टम के एम्प्लारओ बीआरपी खण्ड १९८ प्रो ११ जुलाई १८२२ पृ ६५४२ ६५४४ के आधार पर की गई है। (क्रमिक प्रकाशन के द्वारा दिये गये हैं)

विद्यापीठानुक्रम जिले के विद्यालयों महाविद्यालयों एवं उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

संस्था	विद्यार्थी एवं शिक्षकसंख्या	महाविद्यालय			विद्यालय			शुद्ध छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
१ विद्यालय उन्नीसरी	विद्यार्थी ४६१ शिक्षक ११	२४११	-	४१	४२५	-	४२५	४११	-	४११	४११	-	४११
२ काशीपुर	विद्यार्थी शिक्षक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
३ चंवर	विद्यार्थी ६१ शिक्षक ११	२६०	-	१	११	-	११	४४४	-	४४४	४४४	-	४४४
४ खण्ड	विद्यार्थी शिक्षक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
५ बरौली पैठाना	विद्यार्थी शिक्षक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
६ संतुष्ट मण्डिपारा	विद्यार्थी १११ शिक्षक ११	२५४	१४	३४८	३८	-	३८	२६६	४१	३१७	३१७	-	३१७
७ संतुष्ट मण्डिपारा	विद्यार्थी ३० शिक्षक ४	५०	-	५०	६०	-	६०	४०	-	४०	४०	-	४०
८ मीरठ मण्डिपारा	विद्यार्थी ८ शिक्षक ४	५०	-	५०	६	-	६	२०	-	२०	२०	-	२०
९ कुल मण्डिपारा	विद्यार्थी ३ शिक्षक ३	-	-	-	६	-	६	२०	-	२०	२०	-	२०
१० संतुष्ट मण्डिपारा	विद्यार्थी ३ शिक्षक ३	१	-	१	१२	-	१२	१	-	१३	१	-	१३

जिला	अन्य जातिके छात्र			महायोग (हित्त्व)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम लोग			कुल जनसंख्या		
	(७)			(८)			(९)			(१०)			११		
	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१	८३३	४९	८८२	४८३५	४९	४८८४	८०	-	८०	४९१५	४९	४९६४	२३५९८७	२९९९७४	४५६९६१
२	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
३	-	-	-	८०४	-	८०४	-	-	-	८०४	-	८०४	४३२०४	३९९७४	८३९६६
४	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	२५६	-	२५६
५	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
६	२१३	६४	२७७	७९९	२२९	१००	-	-	-	७७९	२२९	१०००	३४९४३	३६४९६	७०५६२
७	१००	-	१००	२५०	-	२५०	-	-	-	२५०	-	२५०	३०३०७	३०२८५	६०५९२
८	२५०	-	२५०	३२६	-	३२६	-	-	-	३२६	-	३२६	५३८४	५६६०	११०४४
९	२०	-	२०	३२	-	३२	१	-	१	३३	-	३३	६५३६	६९५०	१२९८९
१०	४६	-	४६	६४	-	६४	-	-	-	६४	-	६४	२८२२	२५२२	४९०३

## विशाखापट्टनम जिले के विद्यालयों महविद्यालयों एवं उनमें पकनवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

पेशील	विद्यार्थी एवं शिक्षकसंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
		११ बंगाल	५०		५०	-	-	-	४		४	१०	१
१२ बंगाल													
१३ बंगाल	१२६	-	१२६				६		६	१०	-	१०	
१४ बंगाल													
१५ बंगाल													
१६ बंगाल	१२	-	१२				३४		३४	५०	-	५०	
१७ बंगाल	१		१				३८		३८	३	-	३	
१८ बंगाल	२६	-	२६				६		६	१५	-	१५	
१९ बंगाल	१०		१०										
२० बंगाल	४		४	१		१				८	-	८	

जिला (१)	अन्य जातिके छात्र				सहायोग (हिन्दू)				मुस्लिम छात्र				हिन्दू मुस्लिम लोग				कुल जनसंख्या			
	(७)		(८)		(९)		(१०)		(११)		(१२)		(१३)		(१४)		(१५)			
	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग		
११	१५	-	१५	७९	-	८०	-	-	-	-	-	७९	१	८	१७०२	११५०	३३५२			
१२															१००८	१०७५	२०७३			
१३	-	-	-	१४२	-	१४२	-	-	-	-	-	१४२	-	-	१५८९	१४९५	३०८४			
१४															११६	११६	२३५			
१५															८०५	७३२	१५३७			
१६				१०५	-	१०५	-	-	-	-	-	१०५	-	-	११४४४	१७२७१	३६७१५			
१७	७४	३	७७	१२०	३	१२३	२	-	२	-	२	१२२	३	१२५	४१४२	३८६०	८००२			
१८				४७	-	४७	१	-	१	-	१	५६	-	-	४१५४	४७१५९	८४३१३			
१९	१८	-	१८	२८	-	२८	-	-	-	-	-	२८	-	-	३३४६	२९२४	६२७०			
२०	३		३	२१	-	२१	-	-	-	-	-	२१	-	-	३१६५	३१४९	६३१४			



विशाखापट्टनम जिले के विद्यालयों महाविद्यालयों एवं उनमें पढ़ावाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

संज्ञक	विद्यार्थी एवं शिक्षकसंख्या	महाविद्यालय			विद्यालय			शुद्ध छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
२१ सैन्य	विद्यार्थी १ शिक्षकसंख्या १							१		१			
२२ वैद्यकीय	विद्यार्थी १ शिक्षकसंख्या १			४				४		४			५
२३ शैक्षणिक	विद्यार्थी ३ शिक्षकसंख्या ३	१०		१०				८		८	११		११
२४ सैनिकीय	विद्यार्थी १ शिक्षकसंख्या १	२५		२५				१०		१०	२२		२२
२५ शैक्षणिक	विद्यार्थी ४ शिक्षकसंख्या ४	५४		५४				११		११	१०		१
२६ शैक्षणिक	विद्यार्थी २२ शिक्षकसंख्या २२	१८१	५	१८६				२४		२४	३८		३८
२७ शैक्षणिक	विद्यार्थी ११ शिक्षकसंख्या ११	१२१		१२१			१०		१०	१	११		११
२८ शैक्षणिक	विद्यार्थी १ शिक्षकसंख्या १							५		५			५
२९ शैक्षणिक	विद्यार्थी २ शिक्षकसंख्या २												
३० कुल	विद्यार्थी - १० शिक्षकसंख्या १०	५६		५६				२४		२४	१४		१४

ज़िला	अप्य जातिके छात्र				महायोग (हिन्दू)				मुस्लिम छात्र				हिन्दू मुस्लिम लोग				कुल जनसंख्या				
	(क)		(ख)		(ग)		(घ)		(ङ)		(च)		(छ)		(ज)		(झ)		(झ)		
	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
२१	३२	-	३२	३८	-	३८	-	-	-	-	-	३८	-	३८	३५३३	३५३३	-	-	७१०५	-	-
२२	५	-	५	२१	-	२१	-	-	-	-	-	२१	-	२१	५८७	५८७	-	-	१११०	-	-
२३	१०	-	१०	३९	-	३९	-	-	-	-	-	३९	-	३९	२५३५	२५३५	-	-	४८१४	-	-
२४	४४	-	४४	१०१	-	१०१	-	-	-	-	-	१०१	-	१०१	३८६५	३८६५	-	-	४९३२५	-	-
२५	-	-	-	७५	-	७५	-	-	-	-	-	७५	-	७५	२६४९	२६४९	-	-	५०९३	-	-
२६	३६	-	३६	२२३	-	२२३	-	-	-	-	-	२२३	-	२२३	४१२४	४१२४	-	-	९५३७	-	-
२७	४०	-	४०	१६१	-	१६१	-	-	-	-	-	१६१	-	१६१	२३३७	२३३७	-	-	५१४४	-	-
२८	३	-	३	८	-	८	-	-	-	-	-	८	-	८	४४३	४४३	-	-	८५१	-	-
२९	१३	-	१३	१७	-	१७	-	-	-	-	-	१७	-	१७	३७८८	३७८८	-	-	७३२१	-	-
३०	-	-	-	१७	-	१७	-	-	-	-	-	१७	-	१७	३५१४	३५१४	-	-	७०५२	-	-

विशाखापट्टनम जिले के विद्यालयों महाविद्यालयों एवं उनमें पढ़ावाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

संकेतिक	विद्यालय एवं महाविद्यालयों की संख्या	प्राथमिक छात्र			द्वितीय छात्र			संस्कृत छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
11 कन्नड़पुरी	विद्यालय 1 महाविद्यालय	10	-	10	1	-	1	11	-	11	11	-	11
12 कंठकोट	विद्यालय 1 महाविद्यालय	1	-	1	-	-	2	-	-	2	-	-	2
13 कन्नड़ बंगुर	विद्यालय 1 महाविद्यालय	10	-	10	-	-	1	-	-	1	-	-	2
14 कंगूर	विद्यालय 1 महाविद्यालय	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 अन्नारानी एस्टेट	विद्यालय - 21 महाविद्यालय	104	-	104	-	-	42	-	-	42	-	-	24
16 कोयल	विद्यालय 1 महाविद्यालय	8	-	8	-	-	1	-	-	1	-	-	-
17 चालीक	विद्यालय महाविद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 पंचा	विद्यालय महाविद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 कुट्टा बंकिपुर	विद्यालय महाविद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 कुण्ठारवा एस्टेट	विद्यालय 8 महाविद्यालय	24	-	24	2	-	2	1	-	1	-	-	11

जिला	अन्य जातिके छात्र				महायोग (हिन्दु)				मुस्लिम छात्र				खिस्त्रु मुस्लिम लोग				कुल जनसंख्या			
	(७)		(८)		(९)		(१०)		(११)		(१२)		(१३)		(१४)		(१५)			
	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग		
३१	१३	-	१३	१७	-	१७	-	-	-	-	-	६७	-	६७	३१३०	-	३१३०	६११०		
३२	५	-	५	१३	-	१३	-	-	-	-	-	१३	-	१३	२४९७	-	२४९७	४७०९		
३३	१	-	१	२२	-	२२	-	-	-	-	-	२२	-	२२	१३३४	-	१३३४	२४७३		
३४	-	-	-	८	-	८	-	-	-	-	-	८	-	८	१९८६	-	१९८६	३६२७		
३५	३३	२	३५	२७४	-	२७६	१	-	१	-	२७७	२	-	२७९	८७५१	-	८७५३	१६९०५		
३६	३	-	३	१२	-	१२	१	-	१	-	१३	-	-	-	२२६२	-	२२६२	४९८९		
३७	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	४१७	-	४१७	७९९		
३८	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	६४९	-	६४९	१२९५		
३९	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	२४७	-	२४७	४५५		
४०	१३	-	१३	५९	-	५९	-	-	-	-	-	५९	-	५९	४३५१	-	४३५१	८३७५		



जिला	अन्व जातिके छात्र				महायोग (किन्बु)				मुस्लिम छात्र				हिन्दू मुस्लिम लोग				कुल जनसंख्या			
	(७)		(८)		(९)		(१०)		(११)		(१२)		(१३)		(१४)		(१५)			
	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग		
४१	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१३००	१२००	२५००	-		
४२	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	४६४	३५१	८१५	-		
४३	३	-	१४	-	-	१४	-	१४	-	-	१४	-	-	१६३	१७३	३३६	१७३	५१९		
४४	१५	-	५०	-	-	५०	-	५०	-	-	५०	-	-	३१३०	२०१४	५१४४	-			
४५	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१५४	१७१	३२५	-		
४६	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	३६२	३१३	६७५	-		
४७	१५	-	२०	-	-	२०	-	२०	-	-	२०	-	-	५०५०	४५५	५५०५	१०२५			
४८	५	-	६	-	-	६	-	६	-	-	६	-	-	२२२४	२२३६	४४६०	-			
४९	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	६०६	६३५	१२४१	-			
५०	२५	०	३२	२००	६	२०६	५	२०६	५	२०६	४१२	६	२०६	१२१३६	१२१३६	२४२७२	-			

१७

विशाखापट्टनम के समाहर्ता राजस्व बोर्ड को १४-४-१८२३  
 (टी एन एस ए वी आर पी खण्ड १४७ दि १-५-१८२३  
 पृ ३८४७-५० क्रमांक ६-७)

१ गत २५ जुलाई के आपके सचिव के इस तेहसील के विद्यालय और महाविद्यालयों की जानकारी हेतु भेजे गए पत्र की रसीद सादर भेज रहा हूँ।

२ मगवाई गई जानकारी हकट्टी होने पर निश्चित पत्रक में उसे भेजने की अनुमति मागता हूँ।

यॉल्टेर समाहर्ता कचहरी  
 १४ अप्रैल १८२३

जे स्मिथ  
 समाहर्ता

(ब्यौरा पृष्ठ १६६ से १७५ पर)

१८

त्रिधिनापल्ली के समाहर्ता राजस्व बोर्ड के प्रति २३-८-१८२३  
 (टी एन एस ए वी आर पी खण्ड १५९ का २८-८-१८२३  
 पृ ७४५६-७ क्रमांक ३५-३६)

१ आपके २५ जुलाई १८२२ के पत्र के सन्दर्भ में सभी जानकारी प्राप्त कर ली है। मैं उनके निष्कर्ष भेजने की अनुमति चाहता हूँ। सलग्र अनुपूरक में इस जिन की शाला और कॉलेजों की सख्या दर्शाई गई है। साथ ही उसमें अध्ययन करनेवाली सभी जातियों के हिन्दू और मुसलमान लड़के-लड़कियों की सख्या भी दर्शाई गई है।

२ सामान्यत ७ से १५ वर्ष की आयु के छात्र शाला में पढ़ते हैं। पढ़ाई का खर्च वार्षिक औरातन ७ पेगोडा होता है। सार्वजनिक अनुदान से चलनेवाली एक भी शाला या कॉलेज इस जिले में नहीं है। खगोलशास्त्र धर्मशास्त्र या अन्य विज्ञान की सस्थाओं में भी ऐसी राशि खर्च नहीं की जाती।

३ और वही नहीं किन्तु केवल जयलूर तेहसील में ७ शालाएँ ऐसी हैं जिनमें किसी देशी सरकार ने शिक्षकों के निर्याह हेतु ४४ से ४७ कणी जमीन दी है।

त्रिधिनापल्ली  
 २३ अगस्त १८२३

जी डबल्यू राँडर  
 समाहर्ता

त्रिचिनापल्ली जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पढनेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र				वैश्य छात्र				शूद्र छात्र				अन्य जाति के छात्र					
		३		४		५		६		५		६		५		६			
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१	२																		
त्रिचिनापल्ली	विद्यालय ७९० महाविद्यालय ९	१ १९८ १३१		१ १९८ १३१	२२९		२२९	७४५		६६	७८११		३२९		९८	३४७			

महा योग	मुस्लिम छात्र				हिन्दू एवं मुस्लिम योग				कुल जनसंख्या					
	७		८		९		१०		९०		१०		१०	
	विद्यालय	महा विद्यालय	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री
१ ५०१ १३१	८४	१ ५८५	६९०	५६	७४६	१० १९१	१४०	१० ३३१	२ ४७ ५६९	२ ३३ ७२३	४ ८१ २९२			
		१३१	-		१३१	१३१		१३१						

त्रिचिनापल्ली

२३ अगस्त १८२३

जी डबल्यू सोडर्स  
समाहर्ता



येमारी के समाहर्ता बोर्ड ऑफ़ रेवन्यू के प्रति १७-८-१८२३

(टीएनएसए वीआरपी खण्ड १५८ का २५-८-१८२३

पृ ७१६७-८५ क्रमांक ३२-३३)

१ आपके पत्र दिनांक २५-७-१८२२ और १९-६-१८२२ के आदेश के अनुरूप सलग पत्रक जो वस्तुतः अधिकारियों की आवश्यक जानकारी भेजने में देर हो जाने से आपको पहुँचाने में भी देर हो गई है।

२ इस जिले की पजीकृत जनसख्या ९ २७ ८५७ है। जिले में कुल ५३३ शालाएँ हैं जिनमें ६ ६४१ छात्र अध्ययन करते हैं। इस प्रकार प्रति शाला छात्रों की सख्या लगभग १२ है प्रति हजार ७ व्यक्ति अध्ययन करते हैं।

३ हिन्दू छात्रों की सख्या ६ ३९८ तथा मुस्लिम छात्रों की सख्या केवल २४३ है। इन में ६० लड़कियाँ हैं जो सभी हिन्दू हैं।

४ केवल १ शाला में अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती है। तमिल की ४ परिश्रम की २१ मराठी २३ तेलुगु २२६ और कन्नडभाषा की शिक्षा २३५ शालाओं में दी जाती है। लगभग २३ शिक्षा संस्थाएँ ऐसी हैं जहाँ केवल ब्राह्मण ही अध्ययन करते हैं। उन्हें धर्मशास्त्र खगोलशास्त्र तर्कशास्त्र न्यायशास्त्र जैसे हिन्दू शास्त्रों की शिक्षा सस्कृत भाषा में दी जाती है।

५ जहाँ युवाओं को और विद्वानों को इन हिन्दू शास्त्रों की शिक्षा सस्कृत में दी जाती है ऐसे विद्याघामों की शिक्षापद्धति केवल लेखन वाचन या विज्ञान की शिक्षा देनेवाली परंपरागत शालाओं की अपेक्षा एतद्व्यतिरिक्त अलग है। इन परंपरागत शालाओं में ही इस देश की अधिकांश जनसख्या शिक्षा प्राप्त करती है। शिक्षा प्राप्त करनेवाले लोगों में ज्यादातर हिन्दू होते हैं। तथापि परिश्रम सिखानेवाली कुछेक मुस्लिम शालाओं के बारे में मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ।

६ हिन्दू बच्चों की शिक्षा पाँच वर्ष की आयु में शुरू होती है। बालक जब पाँच वर्ष का होता है तब उसे जिस शाला में प्रवेश प्राप्त करना है वहाँ के शिक्षक और अन्य छात्रों को उस बालक के मातापिता अपने घर निमंत्रित करते हैं। सभी बच्चे गणेशजी की प्रतिमा के चारों ओर बैठते हैं। अध्ययन शुरू करने वाले बच्चे को गणेशजी के सम्मुख बिठाया जाता है। उसके पास शिक्षक बैठते हैं। वे छात्र से गणेशजी की पूजा करवाते हैं। भगवान को नैवेद्य अर्पण किया जाता है। शिक्षक विचार्यों से श्लोक बुलवाते हैं जिसमें भगवान से विद्याप्राप्ति ज्ञानप्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है।

तत्पश्चात् चावल पर वह छात्र अपनी अंगुली से भगवान का नाम लिखकर शिक्षा का शुभारम्भ करता है। बाद में उसके मातापिता शिक्षक को यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं। दूसरे दिन से वह बालक शिक्षा के श्रेष्ठ कार्य का आरम्भ करता है।

७ कई मातापिता आर्थिक स्थितिदश या अन्य कारणों से अपने बच्चों को केवल पाँच वर्ष पढ़ाकर शाला से उठा लेते हैं किन्तु जिनके मातापिता अपनी सतान के मानसिक विकास और संस्कार का ध्यान रखते हैं वे १४ से १५ वर्ष तक विद्याभ्यास करते हैं।

८ इन सब शालाओं में ज्यादातर एक समान नित्यक्रम होता है। इसमें परिवर्तन लगभग नहीं होता है। शाला का प्रारम्भ प्रातः ७ बजे से होता है। शाला में पहली बार प्रवेश करनेवाले छात्र की हथेली पर विद्यादेवी सरस्वती का नाम लिखा जाता है जो कि सम्मानदर्शक होता है। दूसरे क्रम में आनेवाले छात्र की हथेली पर शून्य का चिह्न अंकित किया जाता है जिसका अर्थ होता है कि 'वह सामान्य है प्रसशा या निर्दाके पात्र नहीं है और तीसरे क्रम में आनेवाले छात्र को एक हल्की सी थप्पड़ मारी जाती है फिर आनेवाले को दो और फिर क्रमशः एक के बाद एक थप्पड़ मारी जाती है। आलसी छात्र को छड़ी से पीटा जाता है हाथ उपर कर के लटकाया जाता है या उठक-बैठक करवाई जाती हैं। ये दण्ड बहुत कड़े होते हैं परन्तु दण्ड का यह प्रकार स्वस्थ भी है।

९ सभी छात्रों को उनकी कक्षा के अनुसार श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। निम्न श्रेणी के छात्र कक्षा के वरिष्ठ छात्र (Monitor) के अधीन रहते हैं जबकि ऊपर की कक्षा के छात्रों को स्वयं शिक्षक पढ़ाते हैं। इस प्रकार शिक्षक सभी छात्रों को पढ़ा सकते हैं। यूरोप की तरह रटवाकर नहीं अपितु जगली से लिखवाकर अक्षरज्ञान करवाया जाता है। जगली से रेतमें लिखना वह कुशलता पूर्वक करने लगता है तब वह तारुपत्र (cadjan?) पर लोहे की सलाख से अथवा बोरु से कागज अथवा भूर्जपत्र (aristolochia Identica?) पर लिखने का सम्मान पाता है या पेन अथवा पेन्सिल से 'हलीगी' अथवा कछाय (स्लेट का काम देनेवाली लकड़ी) पर लिखता है। ये दो यहाँ सब से अधिक प्रचलित हैं। एक तो आयताकार फलक होता है जो एक फूट चौड़ा और तीन फीट लम्बा होता है। उसे चिकना बनाया जाता है। उस पर चावल के आटे से पुताई की जाती है और काले सिके से लिखा जाता है। दूसरा कपड़े से बनाया जाता है। प्रथम उसको घावल के माछ से कड़ा बनाया जाता है पुस्तक की तरह मोड़ा जाता है और बाद में गोंद और कोयले के बुरे से पोता जाता है। इन दोनों पर

१९

वेवारी के समाहर्ता योर्क ऑफ़ रेवन्यू के प्रति १७-८-१८२३

(टीएनएसए यीआरपी खण्ड ९५८ का २५-८-१८२३)

पृ ७९६७-८५ क्रमांक ३२-३३)

१ आपके पत्र दिनांक २५-७ १८२२ और १९-६-१८२२ के अन्तर्गत के अनुरूप सलग पत्रक जो वस्तुतः अधिकारियों की आवश्यक जानकारी भेजने में देर हो जाने से आपको पहुँचाने में भी देर हो गई है।

२ इस जिले की पञ्जीकृत जनसंख्या ९ २७ ८५७ है। जिले में कुल ५३३ शालाएँ हैं जिनमें ६ ६४९ छात्र अध्ययन करते हैं। इस प्रकार प्रति शाला छात्रों की संख्या लगभग १२ है प्रति हज़ार ७ व्यक्ति अध्ययन करते हैं।

३ हिन्दू छात्रों की संख्या ६ ३९८ तथा मुस्लिम छात्रों की संख्या केवल २४३ है। इन में ६० लड़कियाँ हैं जो सभी हिन्दू हैं।

४ केवल १ शाला में अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती है। तमिल की ४ परिशिन की २१ मराठी २३ तेलुगु २२६ और कन्नडभाषा की शिक्षा २३५ शालाओं में दी जाती है। लगभग २३ शिक्षा संस्थाएँ ऐसी हैं जहाँ केवल ब्राह्मण ही अध्ययन करते हैं। उन्हें धर्मशास्त्र खगोलशास्त्र तर्कशास्त्र न्यायशास्त्र जैसे हिन्दू शास्त्रों की शिक्षा संस्कृत भाषा में दी जाती है।

५ जहाँ युवाओं को और विद्वानों को इन हिन्दू शास्त्रों की शिक्षा संस्कृत में दी जाती है ऐसे विद्याभारमों की शिक्षापद्धति केवल लेखन वाचन या विज्ञान की शिक्षा देनेवाली परंपरागत शालाओं की अपेक्षा एकदम अलग है। इन परंपरागत शालाओं में ही इस देश की अधिकांश जनसंख्या शिक्षा प्राप्त करती है। शिक्षा प्राप्त करनेवाले लोगों में ज्यादातर हिन्दू होते हैं। तथापि परिशिन सिखानेवाली कुछेक मुस्लिम शालाओं के बारे में मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ।

६ हिन्दू बच्चों की शिक्षा पाँच वर्ष की आयु में शुरू होती है। बालक जब पाँच वर्ष का होता है तब उसे जिस शाला में प्रवेश प्राप्त करना है वहाँ के शिक्षक और अन्य छात्रों को उस बालक के मातापिता अपने घर निमंत्रित करते हैं। सभी बच्चे गणेशजी की प्रतिमा के चारों ओर बैठते हैं। अध्ययन शुरू करने वाले बच्चे को गणेशजी के सम्मुख बिठाया जाता है। उसके पारा शिक्षक बैठते हैं। वे छात्र से गणेशजी की पूजा करवाने हैं। भगवान् यन्ने देव्य अर्पण किया जाता है। शिक्षक विद्यार्थी से श्लोक बुलवाते हैं जिरामें भगवान् से विद्याप्राप्ति ज्ञानप्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है।

सत्पश्चात् घावल पर वह छात्र अपनी अगुली से भगवान का नाम लिखकर शिक्षा का शुभारम्भ करता है। बाद में उसके मातापिता शिक्षक को यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं। दूसरे दिन से वह बालक शिक्षा के श्रेष्ठ कार्य का आरम्भ करता है।

७ कई मातापिता आर्थिक स्थितिबश या अन्य कारणों से अपने बच्चों को केवल पाँच वर्ष पढाकर शाला से उठा लेते हैं किन्तु जिनके मातापिता अपनी सतान के मानसिक विकास और संस्कार का ध्यान रखते हैं वे १४ से १५ वर्ष तक विद्याभ्यास करते हैं।

८ इन सब शालाओं में ज्यादातर एक समान नित्यक्रम होता है। इसमें परिवर्तन लगभग नहीं होता है। शाला का प्रारम्भ प्रातः छ बजे से होता है। शाला में पहली बार प्रवेश करनेवाले छात्र की हथेली पर विद्यादेवी सरस्वती का नाम लिखा जाता है जो कि सम्मानदर्शक होता है। दूसरे क्रम में आनेवाले छात्र की हथेली पर शून्य का चिह्न अंकित किया जाता है जिसका अर्थ होता है कि 'वह सामान्य है प्रसशा या निंदाके पात्र नहीं है और तीसरे क्रम में आनेवाले छात्र को एक छत्की सी धप्पड़ मारी जाती है फिर आनेवाले को दो और फिर क्रमशः एक के बाद एक धप्पड़ मारी जाती है। आलसी छात्र को छड़ी से पीटा जाता है हाथ उपर कर के लटकाया जाता है या उठक-बैठक करवाई जाती हैं। ये दण्ड बहुत कड़े होते हैं परन्तु दण्ड का यह प्रकार स्वस्थ भी है।

९ सभी छात्रों को उनकी कक्षा के अनुसार श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। निम्न श्रेणी के छात्र कक्षा के वरिष्ठ छात्र (Monitor) के अधीन रहते हैं जबकि ऊपर की कक्षा के छात्रों को स्वयं शिक्षक पढाते हैं। इस प्रकार शिक्षक सभी छात्रों को पढा सकते हैं। यूरोप की तरह रटवाकर नहीं अपितु ऊगली से लिखवाकर अक्षरज्ञान करवाया जाता है। ऊगली से रेतमें लिखना वह कुशलता पूर्वक करने लगता है तब वह ताड़पत्र (cadjan ?) पर लोहे की सलाख से अथवा बोरु से कागज अथवा भूर्जपत्र (*aristolochia Identica* ?) पर लिखने का सम्मान पाता है या पेन अथवा पेन्सिल से 'हलीगी' अथवा कडाटा (स्लेट का काम देनेवाली लकड़ी) पर लिखता है। ये दो यहा सब से अधिक प्रचलित हैं। एक तो अत्यन्तकार फलक होता है जो एक फुट चौड़ा और तीन फीट लम्बा होता है। उसे धिकना बनाया जाता है। उस पर घावल के आटे से पुताई की जाती है और काले सिके से लिखा जाता है। दूसरा कपड़े से बनाया जाता है। प्रथम उसको घावल के माह से कडा बनाया जाता है पुस्तक की तरह मोड़ा जाता है और बाद में गोंद और कोयले के बुरे से पोता जाता है। इन दोनों पर

लिखने के बाद गीले कपड़े से पोंछा भी जाता है। लिखने के लिये जो पेन्सिल प्रयुक्त होती है उसे 'बुट्टापा' कहा जाता है। वह खड्डिया जैसी सफेद मिट्टी की बनती है परन्तु खड्डिया से सख्त होती है।

१० अक्षरज्ञान प्राप्त करने के बाद छात्र सयुक्तक्षर सीखते हैं। तत्परयात् उसे व्यक्ति पशु, गाँव आदि के नाम लिखना सिखाया जाता है। अतः में उसे अक्षर ज्ञान दिया जाता है। जोड़ बाकी गुणा आदि सरल हिसाब सिखाया जाता है। बाद में और अधिक परिश्रम करके भी उसे अपूर्णाक सख्या का हिसाब सिखाया जाता है। यह अपूर्णाक हमारी इंग्लैण्ड की शालाओं की तरह दशाश में नहीं किन्तु पाव  $\frac{1}{2}$  अपूर्णाक होते हैं जो बहुत विस्तार से होते हैं तथापि छात्र वह अच्छी तरह से सीखता है। छात्रों को यजन धारिता और कद वे नाप पहाड़ा अकनाणित के नियम आदि दिन में दो बार मोनिटर के द्वारा दोहराये जाते हैं।

११ यहाँ परंपरागत शालाओं की शिक्षा की एक विशेषता है छात्रों को अलग अलग प्रकार से अक्षरों को पढ़ना सिखाया जाना। शिक्षक पत्र अभिलेख कहानियाँ आदि के हस्तलिखित कागज़ लेखन छात्रों को ये पढ़वाते हैं। साथ ही यही सब उनसे लिखवाते भी हैं। उच्चारण की शुद्धता के लिए उन्हें कुछ कविताएँ कठस्थ करवाई जाती हैं। इसी प्रकार शुद्ध याचन की शिक्षा भी उन्हें दी जाती है।

१२ तीन पुस्तकें बिना किसी प्रकार के जातिभेद के सभी शालाओं में पढ़ाई जाती हैं। ये तीन पुस्तकें हैं रामायण महाभारत और भागवत। परन्तु कारीगर वर्ग के परिवारों से आनेवाले छात्रों को इनके अतिरिक्त भी उनके व्यवसाय से सम्बंधित पुस्तकें जैसे कि नागर्त्तिगायन कथा विष्णुकर्मापुराण कर्मलेखर कालिकामहारा बरावपुराण राघवन ककय्या गिरिजाकल्याण अनुभवमूर्ति चित्र बरवैधरपुराण आदि पवित्र धर्मग्रंथों का अध्ययन करना होता है।

१३ मनोरंजक कहानियों के लिए पद्यतंत्र पैतालपद्यविशति पद्मिन सुयुक्ताह्वर आदि पुस्तकें भी पढ़ाई जाती हैं। भाषाशिक्षा के लिए शब्दकोश और व्याकरण की पुस्तकें होती हैं। इनमें निघण्टु अमर शब्दामृत शब्दमुनिदर्पण व्याकरण आंध्रदीपिका आंध्रनामसंग्रह आदि पुस्तकें का समावेश होता है। इन में अंतिम दो पुस्तकें भाषाशिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने पर भी वे अत्यंत महँगी होने से शिक्षक अपनी आर्थिक स्थिति की विवशता से इन्हें खरीदने में असमर्थ हैं पता ये छात्र इस विषय में पीछे रह गए हैं।

१४ रोल्लु और यन्नरुमापी सभी शालाओं में पढ़ाए जानेवाली सभी पुस्तकें

पद्य में होती हैं। उनकी भाषा बोलचाल की भाषा से बिलकुल भिन्न है। इन दोनों भाषा के अक्षर एक समान ही हैं। अतः एक ही भाषा से परिचित दूसरी भाषा पढ़ सकता है। किन्तु वह समझने में असमर्थ होता है। अतः वे केवल उच्चारण में शुद्धता लाने के लिए दूसरी भाषा की पुस्तकें पढ़ते हैं। फिर भी कई शिक्षक इस अन्य भाषा के पाठों के अर्थ समझाते हैं। छात्र अनेक कविताएँ कठस्थ बोल सकते हैं। किन्तु उन कविताओं के अर्थ वे बता नहीं पाते हैं। ऐसी शिक्षा का क्या तात्पर्य ? केवल छात्र की स्मरणशक्ति तथा पढ़ने की योग्यता में सुधार होता है। जानकारी में वृद्धि नहीं हो पाती। इस प्रकार वह दूसरी भाषा की बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ जाते हैं पर अर्थ के बारे में वे अनुमान तक नहीं लगा पाते। इससे एक भाषी छात्र जब अन्य भाषा में पत्र लिखता है तब उसमें वर्तनी व व्याकरण के असख्य दोष होते हैं।

१५ पद्य के स्थान पर सामान्य गद्य तथा सभाषण जैसे विषय प्रस्तुत करके सरकार इस शिक्षा पद्धति में सुधार कर सकती है। इससे पाठक को वह क्या पढ़ रहा है वह समझ में आया।

१६ यहाँ की शालाओं में छात्रों को लेखनकार्य बहुत ही कम करवाया जाता है। तेजस्वी छात्र पिछड़े छात्रों को पढ़ाता है। वह अपनी शिक्षा का भी ख्याल रखता है। ये दोनों बातें अत्यंत प्रसशनीय हैं। पाठ्यपुस्तक और योग्य सामर्थ्यवाले शिक्षक इन दो बातों की कमी यहाँ की शिक्षा पद्धति की बड़ी कमी ही कही जायेगी।

१७ यहाँ की देशी शिक्षापद्धति चाहे कितनी ही दोषपूर्ण हो तथापि आज अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कई माता-पिता खर्च करते ही हैं। कई शिक्षक उन्हें उचित दक्षिणा नहीं मिलती तब तक एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी का आगे का अध्ययन नहीं करवाते हैं। यहाँ शिक्षा के आरम्भ में छात्र शिक्षक को २५ पैसे दक्षिणा देता है। जब वह कागज़ पर लिखना सीखता है और अक गणित के हिसाब सीखता है तब पचास पैसे दक्षिणा देने की प्रथा है। किन्तु जब छात्र पद्य में लिखी पुस्तकों की चर्चा करने लगता है सस्कृत पद्यों के अर्थ करने लगता है तथा इन सब पुस्तकों की बात उसकी देशी भाषा में सोदाहरण करने की योग्यता प्राप्त करता है तब शिक्षक छात्र के मातापिता से बड़ी दक्षिणा की अपेक्षा करता है। इससे कई मातापिता उनकी सतानों की शिक्षा बीच से ही रोकवा देते हैं। इससे शिक्षा के अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी क्षेत्रों से ये छात्र दूरे रह जाते हैं।

१८ मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसी कारण से इस देश में धीरे धीरे निश्चितरूप से गरीबी बढ़ रही है। भारत में बने सूती कपड़े के स्थान पर हमारे

यूरोप में बने सूती कपड़े के भारत में प्रवेश से भारत के कारीगरों की आमदनी के साधन हाल के वर्षों में कम होते जा रहे हैं। हमारे देश से बड़ी सेना इस देश की सीमा पर तैनात किए जाने से इस देश में खाद्यान्न के संतुलन में काफी उलटा असर पड़ रहा है। इसी प्रकार इस देश की पूँजी यूरोप में जाने से और फिर यह पूँजी निवेश करने पर कानूनन पामंदी लगाने से यह देश दरिद्रता से ग्रस्त होता जा रहा है। यहाँ के मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोग अपनी सतानों की पढ़ाई का खर्च भी उठा नहीं पाते। इतना ही नहीं इन वर्षों के लिए परिश्रम करने की क्षमता प्राप्त करते ही परिवार के लिए परिश्रम करके आमदनी प्राप्त करना आवश्यक हो गया है।

१९ सरकार इस बात की भी चपेक्षा नहीं कर सकती कि इस जिले की दस लाख जितनी जनसंख्या में आज केवल ७ ००० जितने छात्र ही शालाओं में अध्ययन कर रहे हैं। यह उपर्युक्त स्थिति का ही परिणाम है। साथ ही पहले जिन गाँवों में शालाएँ थीं यहाँ आज केवल कुछ सपन्न लोगों के बच्चे ही पढ़ाई करते हैं। शुल्क अदा करने की क्षमता न होने से गरीबों के बच्चे शालाओं में अध्ययन नहीं कर पाते।

२० आज इन जिलों में लिखाई पढ़ाई अकज्ञान आदि की शिक्षा यहाँ की मातृभाषा में देनेवाली शालाओं की यह स्थिति है। वैसी ही स्थिति देश के सभी जिलों में प्रवर्तमान होगी। इस देश में उच्च शिक्षा तो सस्कृत में ही दी जाती है। उच्च शिक्षा देनेवाले अध्यापकों के लिए उनके ज्ञान के बदले में किसी प्रकार की धन की अपेक्षा करना विद्या का अपमान माना गया है। तथापि धर्मशास्त्र खगोलशास्त्र तर्कशास्त्र न्यायशास्त्र आदि की शिक्षा विद्वान ब्राह्मण आज भी दे रहे हैं। तथ्य यह है कि विश्व के किसी भी देश में विना शासन की सहायता के या प्रोत्साहन के ज्ञान की कितनी अभिवृद्धि हो नहीं सकती। परन्तु भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दी जानेवाली सहायता लम्बे समय से बंद कर दी गई है।

२१ मुझे यह अत्यंत क्षोभ के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस जिले की लगभग ५३३ शालाओं में से एक भी शाला को सरकार की सहायता नहीं मिलती। इससे मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय सरकार की परिषद द्वारा इस विषय पर जांच हुई है और मुझे आशा है कि अब शालाओं को सहायता मिलने लगेगी।

२२ इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि यहाँ पहले हिन्दू शाराज धन स्वरूप में तथा भूमि के रूप में बड़े पैमाने पर दान देकर शिक्षा की सहायता करते थे। इस प्रकार अध्यापन करनेवाले ब्राह्मणों को अच्छी राशि धन द्वारा प्राप्त होती थी। साथ ही गाँवों की चौथाई हिस्से की वीरारे हिरसोकी आधे हिरसोकी पौने हिस्से की तो कभी संतु

राजस्व आय इन ब्राह्मणों के नाम कर दी जाती थी। ऐसा परोपकार का काम करनेवालों से कुछ लेना अत्यंत लज्जास्पद माना जाता था। इतना ही नहीं इन सेवाव्रतियों की अयाचक वृत्ति के कारण से वे और कहीं से पूरी न होनेवाली आवश्यकताएँ पूर्ण के हिन्दू शासक स्वयं पूरी कर देते तथा उसके लिए किसी भी प्रकार की शर्त या अनुचित अपेक्षा कभी नहीं की जाती थी। इस प्रकार एक पूज्य सत या विद्वान के निर्वाह के लिए शासक अपने खजाने खुले छोड़ देते थे और राज्य के कल्याण हेतु ऐसे सतों के आशीर्वाद प्राप्त करते थे।

इस प्रकार बिना किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखे शालाएँ चलाकर उनमें छात्रों को वे पढाते थे। ऐसे साधुपुरुषों की सहायता करने का कोई लिखित नियम नहीं था फिर भी ऐसे विद्वान सत पुरुषों को दी जानेवाली सहायता के पीछे शिक्षा सस्थाएँ बनी रहीं यही भावना रहती थी।

२३ अंग्रेज सरकार ने भी ऐसी सहायता देने की नीति चालू रखने का निर्णय लिया है किन्तु इस नीति का क्रियान्वयन आज तक नहीं हो पाया है। जिसे सहायता मिलती थी उनके वारिसों को आज भी मिलती है। तथापि ये वारिस अपने पिता जैसे विद्वान नहीं थे। इस प्रकार हमारे शासन में आय से होनेवाले परिवर्तन से हम अज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि पहले जिसे सहायता दी जाती थी वह आज विच्छिन्न होकर भीख माँगने की स्थितिमें आ गया है। भारत के इतिहास में शिक्षा की ऐसी आर्थिक दुर्दशा इससे पूर्व कभी नहीं हुई थी।

२४ मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि पूर्व के समय में कॉलेज बोर्ड की सिफारिश के आधार पर सरकार ने यहाँ के निवासियों की शिक्षा का स्तर सुधारने के हेतु प्रयोगधर्मी शालाएँ शुरू करने के लिए कठप्पा के समाहर्ता की नियुक्ति की थी किन्तु उस उत्साही और समर्थ सरकारी अधिकारी का स्वर्गवास होने से वह योजना ही बंद कर दी गई थी। उस समय उस बोर्ड के सचिव पद से मैंने भी कल्पना की थी कि आज अगर वह योजना पुनः कार्यान्वित करने के लिए मुझे कहा जाए तो मैं अपने जिले में उस योजना को चालू करने का प्रयास करूँगा।

२५ आपके समक्ष मैं एक प्रस्ताव रखता हूँ कि मैं अपने जिले के क्वार्टरलिय में मेरे अधिकार में न्यायशास्त्र के छात्रों में से एक कुशल शास्त्री की नियुक्ति करना चाहता हूँ। इस शास्त्री को प्रतिमास १० पेगोडा वेतन दिया जाए। यह शास्त्री जिसकी इच्छा हो उन सबको सभी हिन्दूशास्त्रों का सस्कृत में अध्ययन करवायेगा। साथ ही यहाँ की देशी शालाओं के शिक्षकों को तेलुगु और कन्नड़ भाषाका व्याकरण सिखाएगा।



यूरोप में बने सूती कपड़े के भारत में प्रवेश से भारत के कारीगरों की आमदनी के साधन हाल के वर्षों में कम होते जा रहे हैं। हमारे देश से बड़ी सेना इस देश की सैन्य पर तैनात किए जाने से इस देश में खाद्यान्न के सतुलन में काफी उलटा असर पड़ा है। इसी प्रकार इस देश की पूँजी यूरोप में जाने से और फिर यह पूँजी निवेश करने पर कानूनन पाबंदी लगाने से यह देश दरिद्रता से ग्रस्त होता जा रहा है। यहाँ के मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोग अपनी सतानों की पढ़ाई का खर्च भी उठा नहीं पाते। इतना ही नहीं इन वर्षों के लिए परिश्रम करने की क्षमता प्राप्त करते ही परिवार के लिए परिश्रम करके आमदनी प्राप्त करना आवश्यक हो गया है।

१९ सरकार इस बात की भी उपेक्षा नहीं कर सकती कि इस जिले की दस लाख जितनी जनसंख्या में आज केवल ७ ००० जितने छात्र ही शालाओं में अध्ययन कर रहे हैं। यह उपर्युक्त स्थिति का ही परिणाम है। साथ ही पहले जिन गाँवों में शालाएँ थीं वहाँ आज केवल कुछ सपन्न लोगों के बच्चे ही पढ़ाई करते हैं। शुल्क अदा करने की क्षमता न होने से गरीबों के बच्चे शालाओं में अध्ययन नहीं कर पाते।

२० आज इन जिलों में लिखाई पढ़ाई अकज्ञान आदि की शिक्षा यहाँ की मातृभाषा में देनेवाली शालाओं की यह स्थिति है। वैसी ही स्थिति देश के सभी जिलों में प्रवर्तमान होगी। इस देश में उच्च शिक्षा तो संस्कृत में ही दी जाती है। उच्च शिक्षा देनेवाले अध्यापकों के लिए उनके ज्ञान के बदले में किसी प्रकार की धन की अपेक्षा करना विद्या का अपमान माना गया है। तथापि धर्मशास्त्र खगोलशास्त्र तर्कशास्त्र न्यायशास्त्र आदि की शिक्षा विद्वान ब्राह्मण आज भी दे रहे हैं। तथ्य यह है कि विद्य के किसी भी देश में बिना शासन की सहायता के या प्रोत्साहन के ज्ञान की वित्तीय अभिवृद्धि हो नहीं सकती। परन्तु भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दी जानेवाली सहायता लम्बे समय से बंद कर दी गई है।

२१ मुझे यह अत्यंत क्षोभ के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस जिले की लगभग ५३३ शालाओं में से एक भी शाला को सरकार की सहायता नहीं मिलती। इससे मुझे इस बात का सतोष है कि माननीय सरकारी परिषद द्वारा इस विषय पर जांच हुई है और मुझे आशा है कि अग्रे शालाओं को सहायता मिलने लगेगी।

२२ इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि यहाँ पहले हिन्दू शासक धन स्वरूप में तथा भूमि के रूप में बड़े पैमाने पर दान देकर शिक्षा की सहायता करते थे। इस प्रकार अध्यापन करनेवाले ब्राह्मणों को अच्छी राशि दान द्वारा प्राप्त होती थी। साथ ही गाँवों की चौथाई हिस्सेकी तीसरे हिस्सेकी आधे हिस्सेकी पौने हिस्से की तो कमी संपूर्ण

राजस्व आय इन ब्राह्मणों के नाम कर दी जाती थी। ऐसा परोपकार का काम करनेवालों से कुछ लेना अत्यंत लज्जास्पद माना जाता था। इतना ही नहीं इन सेवाद्वारियों की अयाधक वृत्ति के कारण से वे और कहीं से पूरी न होनेवाली आवश्यकताएँ पूर्व के हिन्दू शासक स्वयं पूरी कर देते तथा उसके लिए किन्ती भी प्रकार की शर्त या अनुचित अपेक्षा कभी नहीं की जाती थी। इस प्रकार एक पूज्य सत या विद्वान के निर्वाह के लिए शासक अपने खजाने खुले छोड़ देते थे और राज्य के कल्याण हेतु ऐसे सतों के आशीर्वाद प्राप्त करते थे।

इस प्रकार बिना किन्ती भी प्रकार की अपेक्षा रखे शालाएँ चलाकर उनमें छात्रों को वे पढाते थे। ऐसे साधुपुरुषों की सहायता करने का कोई लिखित नियम नहीं था फिर भी ऐसे विद्वान सत पुरुषों को दी जानेवाली सहायता के पीछे शिक्षा सस्थाएँ बनी रहें यही भावना रहती थी।

२३ अंग्रेज सरकार ने भी ऐसी सहायता देने की नीति चालू रखने का निर्णय लिया है किन्तु इस नीति का क्रियान्वयन आज तक नहीं हो पाया है। जिसे सहायता मिलती थी उनके वारिसों को आज भी मिलती है। तथापि ये वारिस अपने पिता जैसे विद्वान नहीं थे। इस प्रकार हमारे शासन में आय से होनेवाले परिवर्तन से हम अज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि पहले जिसे सहायता दी जाती थी वह आज विच्छिन्न होकर भीख माँगने की स्थितिमें आ गया है। भारत के इतिहास में शिक्षा की ऐसी आर्थिक दुर्दशा इससे पूर्व कभी नहीं हुई थी।

२४ मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि पूर्व के समय में कॉलेज बोर्ड की सिफारिश के आधार पर सरकार ने यहाँ के निवासियों की शिक्षा का स्तर सुधारने के हेतु प्रयोगधर्मी शालाएँ शुरू करने के लिए कच्छप्पा के समाहर्ता की नियुक्ति की थी किन्तु उस उत्साही और समर्थ सरकारी अधिकारी का स्वर्गवास होने से वह योजना ही बंद कर दी गई थी। उस समय उस बोर्ड के सचिव पद से मैंने भी कल्पना की थी कि आज अगर वह योजना पुनः कार्यान्वित करने के लिए मुझे कहा जाए तो मैं अपने जिले में उस योजना को चालू करने का प्रयास करूँगा।

२५ आपके समक्ष मैं एक प्रस्ताव रखता हूँ कि मैं अपने जिले के कार्यालय में मेरे अधिकार में न्यायशास्त्र के छात्रों में से एक कुशल शास्त्री की नियुक्ति करना चाहता हूँ। इस शास्त्री को प्रतिमास १० पगोडा वेतन दिया जाए। यह शास्त्री जिसकी इच्छा हो उन सबको सभी हिन्दूशास्त्रों का सस्कृत में अध्ययन करवायेगा। साथ ही यहाँ की देशी शालाओं के शिक्षकों को तेलुगु और कन्नड़ भाषाका व्याकरण सिखाएगा।

मुझे विश्वास है कि मुझे जैसी चाहिए वैसी प्रतिभा मिल जाएगी।

२६ इस शास्त्री के अतिरिक्त मेरे जिलेमें १७ कस्बों के १७ अधिकारियों के अधिकार में एक एक तेलुगु और कन्नड़ भाषा के १७ शिक्षकों को ७ से १४ रुपये के मासिक वेतन से नियुक्त किया जाए। ये शिक्षक सभी को ये भाषायें सिखाएँ। उनका न्यूनतम वेतन रु ७/- रखा जाए। छात्रों की संख्या बढ़ने पर धीरे धीरे उन्हें रु १४ तक के महत्तम वेतन तक पहुँचाया जाय। इसके लिए जिले की शाला में से श्रेष्ठ शिक्षकों का ध्यान किया जाए। जिससे ये इस जिले के शिक्षा में पिछड़े छात्रों को अच्छी शिक्षा दे सकें। इन १७ शिक्षकों को सर्वप्रथम तो वह मुख्य शास्त्री व्याकरणदि की शिक्षा देंगे। ये शिक्षक छात्रों से किसी भी प्रकार का धन नहीं माँग सकेंगे। किन्तु शाला में प्रवेश या बिदाई जैसे प्रसंगों पर छात्र परपरानुसार शिक्षकों को जो कुछ भी देंगे उसका वे शिक्षक स्वीकार कर सकेंगे।

२७ ऐसी सन्ध्या चलाने के लिए प्रति मास कम से कम १५४ रु और अधिकतम २७३ रु जितना खर्च आता है और यह खर्च तो सरकार को ही उठाना चाहिए किन्तु इस कार्य के लिए समाज के धनिक लोगों का सहयोग भी लिया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि ऐसे शुभ कार्य में सभी उत्साह से सहयोग देंगे ही।

२८ प्रति वर्ष थोड़ा खर्च करके सरकारी प्रेस में शालाओं के लिए कन्नड़ और तेलुगु भाषा की पुस्तकें प्रकाशित करके शिक्षा का स्तर ऊँचे ले जाया जा सकता है। इन पुस्तकों में इस पत्र में पूर्व में निर्देशित विषयों का समावेश करना चाहिए अर्थात् यहाँ की शालाओं में पढ़ाई जानेवाली पुस्तकों में से कहानियों और कहावतों का समावेश करना चाहिए। परिचित और प्रसिद्ध पुस्तकों का ध्यान करने से उन्हें सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं और कम दाम में प्राप्त हो सकता है।

२९ समभव हो तो इन शिक्षकों की मुख्य शास्त्री के द्वारा वर्ष में एक बार परीक्षा लेकर उनमें अग्रिम स्थान प्राप्तकर्ता को पुरस्कृत करना चाहिए। उससे शिक्षकों और छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा।

३० ऐसी शालाओं को बनाए रखने के लिए उन सभी जिनके पास राजस्व कर मुक्त भूमि है उनसे व्यक्तियों के स्वर्गवास के बाद उसी भूमि पर शाला के लिए 'घदा' के नाम से कर लेना चाहिए। इस से सरकार को जो आय होगी उससे इन शालाओं का निभाव हो सकेगा।

३१ इस प्रकार की योजना को अगर सम्मति प्राप्त होती है तो शालाओं के निभाव के लिए आवश्यक है उससे भी अधिक इकट्ठा किया जा सकता है। और फिर

अगर उक्त धन संचित न भी हो पाए तो भी इस कर की दर अपेक्षाकृत अत्यंत कम होगी। इससे इंग्लैंड की ससद को ऐसा कानून पारित करना चाहिए। मुझे आशा है कि इस विचार को उपेक्षित नहीं किया जाएगा। मेरे और मेरी तरफ और समाहर्ताओं द्वारा भेजी गई जानकारी से आप इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे जिससे दक्षिण भारत में शिक्षा के स्तर में सुधार हो।

बेल्लारी

१७-८-१८२३

ए डी कैम्पबेल

समाहर्ता

(ब्यौरा अगले पृष्ठ पर)

केन्द्रीय जिले के स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पठनेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र		वैश्य छात्र		शूद्र छात्र		अन्य जाति के छात्र				
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग		
१	२									६		
केन्द्रीय	विद्यालय ५३३ महाविद्यालय	१ १८५	२	१ १८७	१८१	१	१८२	२ ११८	३ ०२४	१ १७४	३१	१ २०५

योग (हिन्दू छात्र)	मुस्लिम छात्र		हिन्दू एवं मुस्लिम योग		कुल जनसंख्या		
	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	
						१०	
६ ३३८	६०	६ ३९८	२४३	६०	६ ६४१	४ ३८ ९८४	१ २७ ८५७

ए. जी. केम्पबेल  
समाह्वार्ता

राजमहेन्द्री के समाहर्ता रेवन्यू बोर्ड के प्रति १९-९-१८२३

(टीएनएसए बीआरपी खण्ड ९६३ का २-१०-१८२३

पृ ५२०-२५ क्रमांक २९-३०)

१ उपसचिव के दिनांक २५ जुलाई १८२२ पत्र में मागी गई जानकारी के सदर्थ में पत्र के साथ निश्चित पत्रक में इस कचहरी के अधिकार क्षेत्र में स्थित देशी विद्यालय और छात्रों की सख्या की जानकारी सविनय भेजता हूँ।

२ साथ ही कुछ अधिक विस्तृत जानकारियाँ दूसरे पत्रक के द्वारा देने की इजाजत लेता हूँ। आशा है वह विशेष जानकारी उपयोग में आएगी।

३ यदि यह पत्रक आधारभूत लगते हैं (जो मेरे कर्मचारियों ने चौक्साई से तैयार किए हैं) तो इस कचहरी के अधिकार क्षेत्र में आनेवाले जिले में शिक्षा की स्थिति सतोषजनक के अलावा कुछ भी हो सकती है। राजमुन्द्री के जिलों के १ २०० गाँव और ७ ३८ ३०८ की जनसख्या में केवल २०७ गाँवों में लेखन पठन की शिक्षा २९१ शालाओं में २ ६५८ हिन्दू और मुसलमान छात्रों को दी जाती है। छात्रों के लिए शालेय पाठ्यक्रम की अवधि साधारणतः ५ से ७ वर्ष की रहती है। शाला में प्रवेश के लिए बच्चे की ५ वर्ष ५ महीना और ५ दिनकी आयु शुभ मानी गई है। शिक्षक का पारिश्रमिक प्रति विद्यार्थी अधिकतम महीना एक रुपया है और न्यूनतम है दो आना किन्तु औसतन वह सात आना होता है। मेरी जानकारी के अनुसार किसी भी शाला को सार्वजनिक सहायता नहीं मिलती।

४ महाविद्यालयों की सख्या बल्कि धार्मिक कानूनी खगोलशास्त्र के निरीक्षकों की सख्या केवल २७९ और छात्रोंकी सख्या १ ४५४ है। इसके संबंधित जानकारी अगली सारिणी में दी गई है।

वेदों के शिक्षकों को विशेष वैज्ञानिक जानकारी नहीं है। छात्रों को केवल कर्मकाण्ड की शिक्षा दी जाती है जो उनके प्रासंगिक धार्मिक कार्य करवाने तक ही सीमित है। यह बताने या भी विशेष प्रयास नहीं होता है कि उस पढ़ाई से विशेष क्या ग्रहण किया जा सकता है। सम्भवतः इस स्तर पर शिक्षा क्षतियुक्त रहती है।

## सारिणी ३६

वेद		शास्त्र		ज्योतिष		अन्ध शारत्र	
शिक्षक	छात्र	शिक्षक	छात्र	शिक्षक	छात्र	शिक्षक	छात्र
१८५	१ ०३३	७५	३५८	१६	४९	२	१४

५ उपर्युक्त कुल २७८ शिक्षकों में ६९ को पारिश्रमिक भूमि और १३ को आर्थिक या दोनों दिया जाता है तथा अन्यो को पूर्व ज़मीनदारों के द्वारा दिया जाता है। १९६ निजी शिक्षक बिना पारिश्रमिक या भेंट के कार्य करते हैं। एक शिक्षक छात्रों से सहायता प्राप्त करता है।

६ जो गाँव मेरे अधिकार क्षेत्र में हैं वहाँ शालाएँ नहीं हैं। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि इसके लिए वहाँ के निवासी शालाओं की स्थापना हेतु उत्सुक हैं किन्तु उन्हें घालू करने में सरकारी सहयोग आवश्यक है। जैसे कि प्रति शिक्षक पारिश्रमिक के तौर पर मासिक रुपए दो आवश्यक हैं। शेष खर्च छात्रों से प्राप्त किया जा सकता है। अगर इस प्रस्ताव की सम्मति आप से प्राप्त होती है तो मैं और भी विशेष जानकारी दे सकता हूँ।

राजमहेन्द्री

मुगलुतीर १९ सितम्बर १८२३

एफ डबल्यू रोबर्टसन

समाहर्ता

राजमहेन्द्री जिले के स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शमिताता पत्रक

शिक्षा	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र				वैश्य छात्र				शूद्र छात्र				अन्य जाति के छात्र					
		३		४		५		६		५		६		५		६			
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
राजमहेन्द्री	विद्यालय २११ महाविद्यालय २७९	९०४	३	९०७	६५३	६५३	४६६	६	४७२	४७२	४६६	५४६	२८	५७४	५७४	५४६	२८	५७४	५

योग (हिन्दू छात्र)		मुस्लिम छात्र				हिन्दू एवं मुस्लिम योग				कुल जनसंख्या					
७		८		९		१०		१		१०		१		१०	
पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री
२५६९	३७	५२		५२	२६२१	३७	२६५८	३९३	५१२	३४४७९६	७३८	३०८	७६९	७३८	३०८
१४५४		१४५४		१४५४	१४५४		१४५४	१४५४		१४५४	१४५४		१४५४	१४५४	

जिला राजमहेन्द्री

मंगुलापुर १९ सितम्बर १८२३

एफ बल्यू, रोबर्टसन  
समाह्वार्ता



## राजमहोदयी जिले के स्थानीय विद्यालयों महाविद्यालयों एवं छात्रों की संख्या का विस्तृत व्योरा

विभाग	विद्यालय एवं महाविद्यालय										योग
	विद्यालय कुल शैक्षिकी संख्या	देव अक्षा समय पठनेवाले	हायर अक्षा कमरू पठनेवाले	एज्युकेशन ऑफिस पठनेवाले	तेलुगु अक्षा प्रशिक्षित एड भाषा पठनेवाले	अन्य अक्षा तेलुगु पठनेवाले	परिविन पठनेवाले	अंग्रेजी पठानेवाले			
१. पुलवरम	८	१	१०		१०						२१
२. पोकयोर	१६	१९	५	-	२७						५१
३. राजमहोदयी	१७	१७	१		३०		२				५०
४. द्रावीयम	३३	२२	१		४३		१				६७
५. नीलमनी	१०	७	१		२५		-				३३
६. जगमोट	७	३			९						१२
७. नरसापुर	७	९	८	२	२०			१			४०
८. सिरपुर	२३	१२	४	५	३४			१			५६
९. अम्बेनपुर	६१	७८	२४	५	६१			१			१७५
१०. देवासोडा	२५	३०	६	२	२६						६४
योग	२०७	१९८	६०	१४	२८५		५				५६९

सादीक : कर्मनास कमरूत खगोल पठनेवाले महाविद्यालय अक्षा एकादश विद्यालय

२७९

तेलुगु भाषा के लिये विद्यालय

२८५

परिविन भाषा के लिये विद्यालय

५

अंग्रेजी भाषा के लिये विद्यालय

१

---

 ५७०

ज़िला	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जातिके छात्र			महायोग		
	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
१ पुलात्य	११५		११५	३		३	३२		३२	११	२	२१	९		९
२ पोम्पौर	२६१		२६१	५		५	८४		८४	१२		१२	५५	२	५७
३ राजमहेन्द्र	१५८	१	१५९	८		८	१०७		१०७	३३	३	३६	३४	३	३७
४ इयोराम	२४८	१	२४९	८	१	९	७२		७२	५८		५८	४२	५	४७
५ नीलपल्ली	६६		६६	५		५	५३		५३	४२		४२	६०		६०
६ खम्मरपेट	२१	१	२२				३२		३२	१७		१७	१३		१३
७ मर्रापुर	१५१		१५१	१		१	३३		३३	२९		२९	३०	२	३२
८ पिण्डुर	२८०		२८०	६		६	१३०		१३०	३८		३८	११९	२	१२१
९ अमलपुर	८३६		८३६	२५	१	२६	८२		८२	१००		१००	५९	९	६८
१० पेशाविका	२०१		२०१	४७		४७	२८		२८	३८	१	३९	२२	३	२५
योग	२३५३	३	२३५६	१०८	२	११०	६५३		६५३	४६६	६	४७२	४४३	२६	४६९

साधना	ब्राह्मण छात्र			क्षत्रिय छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र		
	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
संविद्यालय कर्मचारी सम्पत्ति अर्थात् फर्निचर												
संविद्यालय अथवा अन्य विद्यालय	१ ४४९		१ ४४९	४		४						
केन्द्रीय पाठ के लिये विद्यालय	८९६	३	८९९	१०४	२	१०६	६५८		६५८	६		४७२
प्राथमिक पाठ के लिये विद्यालय	५		५			-						
उच्च शिक्षण के लिये विद्यालय	३		३									
योग	२ ३५३	३	२ ३५६	१०८	२	११०	६५८		६५८	६		४७२

जिला	योग (हिन्दू धारा)				मुस्लिम धारा				हिन्दू मुस्लिम धारा				कुल जनसंख्या			
	पु.	स्त्री	योग		पु.	स्त्री	योग		पु.	स्त्री	योग		पु.	स्त्री	योग	
(१)	१४८	२	१५०	२	२	१८०	२	१८२	२१०२०	२६०६२	५५०८२		२१०२०	२६०६२	५५०८२	
(२)	५०५	२	५०७	१	१	५१४	२	५१६	४६८०४	४१९८६	८८७९०		४६८०४	४१९८६	८८७९०	
(३)	३४०	४	३४४	११	११	३५०	४	३५४	५५३५२	४३४८०	९८८३२		५५३५२	४३४८०	९८८३२	
(४)	४२४	४	४३४	१०	१०	४४४	४	४४८	३६८३६	४३६०३	८०४३९		३६८३६	४३६०३	८०४३९	
(५)	३२३		३२३	५	५	३३१		३३६	२०००२	५२८५	२०५३०		२०००२	५२८५	२०५३०	
(६)	६८	६	७४			६८	६	७४	५४६४५	६४०४६	६००५१		५४६४५	६४०४६	६००५१	
(७)	२५२	२	२५४			२५२	२	२५४	३३३६२	२८२४०	६१६०२		३३३६२	२८२४०	६१६०२	
(८)	६०५	२	६०७	४	४	६११	२	६१३	४४५४४	४३६४५	८८१८९		४४५४४	४३६४५	८८१८९	
(९)	११०२	१०	१११२	५	५	११०७	१०	१११७	६३३८६	५४५२०	११७९०६		६३३८६	५४५२०	११७९०६	
(१०)	३३३	३६	३६९			३३३	३६	३६९	४८६५४	४०९३८	८९५९२		४८६५४	४०९३८	८९५९२	
योग	४०२३	४	४०२७	५२	५२	४०४५	३४	४०७९	३९३५१२	३४४४१२	७३७९२४		३९३५१२	३४४४१२	७३७९२४	

साधना	अन्य जाति के छात्र			महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग		
	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
सर्वाङ्ग लक्ष्मण, बनारस आदि पञ्जाबवाले	१		१	१४५४		१४५४				१४५४		१४५४
महाविद्यालय अथवा उच्च विद्यालय	४४१	२६	४६७	२५६०	३७	२५९७	२३		२३	३७	२६२०	
केन्द्रीय भाग के सिने विद्यालय				५		५	२९		२९	३४		३४
पश्चिम पालके सिने विद्यालय				४		४				४		४
अंग्रेजी भाग के सिने विद्यालय	४४३	२६	४६९	४०२३	३७	४०६०	५२		५२	४०७५	३७	४११२
योग												

राजमहन्दी बिला मोगलपुर  
१९ सितम्बर १९२३

राजमहेन्द्री जिले के विद्यालयों एव महाविद्यालयों में पढाये जानेवाली पुस्तकें

क्रम	नाम	क्रम	नाम
१	बाल रामायण	२२	गणितम्
२	रुक्मणी कल्याणम्	२३	पौलोरिगणितम्
३	परिज्ञात पत्रम्	२४	भारतम्
४	मौलि रामायणम्	२५	भागवतम्
५	रामायणम्	२७	विजय विलासम्
६	दानशरादि शतकम्	२८	कृष्णलीला विलासम्
७	कृष्ण शतकम्	२९	राधामाधव विलासम्
८	सुमति शतकम्	३०	सप्तम स्कन्धम्
९	जानकी शतकम्	३१	राधामाधव सवादम्
१०	प्रसन्नराधव शतकम्	३२	अष्टम स्कन्धम्
११	रामतारक शतकम्	३३	भानुमती परिणयम्
१२	भास्कर शतकम्	३४	वीरभद्र विजयम्
१३	भीषणाघकाश शतकम्	३५	लीलासुन्दरी परिणयम्
१४	सूर्यनारायण शतकम्	३६	अमरम्
१५	नारायण शतकम्	३७	सूरभनेश्वरम् सुरन्तरनक्षरम्
१६	प्रह्लाद चरित	३८	उद्योगपर्वम्
१७	वासु चरित्र	३९	आदिपर्वम्
१८	मनुचरित्र	४०	गजेन्द्र मोक्षम्
१९	सुमगधित्र	४१	आन्ध्र नामसग्रहम्
२०	नलचरित्र	४२	कौशल परीक्षणम्
२१	वामनचरित्र	४३	रसिकजन मनोभरणम्

वेद आदि

१	ऋग्वेद	४	श्रुतम्
२	यजुर्वेद	५	द्रविडवेद/ननलायनम्
३	सामवेद		

शास्त्र

१	सिद्धान्त कौमुदी	४	ज्योतिका ज्योतिषम्
२	तर्कम्	५	धर्मशास्त्रम्

## काव्य

१	रघुपशम्	५	माघ
२	कुमारसम्भवम्	६	नैषधम्
३	मेघसन्देशम्	७	अन्दशास्त्रम्
४	भारवि		

## परिचयन विद्यालय

१	कमेमाह अमदन्ननामा	४	बहरदानिश और बोस्ता
२	हरकारम्	५	अब्दुल फझल इन्सा
३	इन्सा खलिफा और गुलिस्ता	६	खलीफा
		७	कुत्तान

जिला राजमहेन्द्री  
१९ सितम्बर १८२३

एफ उबल्यू रोबर्टसन  
समाहर्ता

मलबार के प्रधान समाहर्ता ऐवन्यू बोर्ड के प्रति ५-८-१८२३  
 (टीएनएसए बीआरपी खण्ड १५७ का १४-८-१८२३  
 पृ ६९४९-५५ क्रमांक ५२-५३)

(अ) १ इस जिले में अवस्थित शालाओं और कॉलेजों की सख्या भेजने की अनुमति चाहता हूँ। साथ ही निजी शिक्षकों द्वारा धर्मशास्त्र खगोलशास्त्र जैसे विषय का अध्ययन करनेवाले छात्रों की जानकारी प्रस्तुत की है।

(ब) २ नई भेजी गई जानकारीयों में केवल कॉलेज के लिए झामोरिन राजाकी ओर से प्राप्त पत्रक का अनुवाद भेजता हूँ। उसमें अच्छी जानकारी मिल सकती है।

३ शाला के शिक्षकों को प्रति छात्र प्रतिमास चार आने से लेकर चार रुपए तक पारिश्रमिक मिलता है। छात्र अपनी स्थिति के अनुरूप देता है। किन्तु विद्यालय छोड़ने के समय वे कुछ न कुछ और भी देते हैं। धर्मशास्त्र न्याय सिखानेवाले शिक्षक कुछ भी राशि प्राप्त नहीं करते। परन्तु अध्ययन पूर्ण होने पर छात्र अपनी स्थिति के अनुरूप धन या उपहार देते हैं।

प्रधान समाहर्ता की कचहरी  
 कालिकट ५ अगस्त १८२३

जे बॉन  
 प्रधान समाहर्ता

(म्यौरा अगले पृष्ठ पर)



विभिन्न जिलों में स्थानीय विद्यालयों महाविद्यालयों एवं उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या बशनिवाला पत्रक

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		३			४			५			६		
		पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
मल्हार निजी टैर पर सिखर से अधकन	७५९	२ २३०	५	२ २३५	८४	१३	९७	३ ६९७	७०७	४ ४०४	२ ७५६	३ ०९९	
विद्यालय महाविद्यालय	१	७५	७५										
कर्मचार एवं कानून		४७१	३	४७४									
उगेल		७८	७८	७८	१८	५	२३	१७६	१९	१९५	४९६	१४	५१०
अध्यापकवार		३४	३४	३४							३१		३१
नीतिधारक		२२	२२	२२							३१		३१
आयुर्विज्ञान		३१	३१	३१				५९		५९	१००		१००

	महायोग (रू०)				मुस्लिम छात्र				हिन्दू मुस्लिम योग				कुल जनसंख्या		
	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
मद्रास सिटी और पर शिक्षण से सम्बन्ध	८०६७	१०६८	९,८३५	३११६	११२२	४२३८	११६६३	२११०	१४१५३	४५८३६४	४४१४७१	१०७५७१			
विद्यार्थ सम्बन्धित	७५		७५				७५		७५						
सर्वकार एवं सम्बन्ध	४७१	३	४७४				४७१	३	४७४						
राज्य	७६८	३८	८०६	२		२	७७०	३८	८०८						
अध्ययनकार	६५		६५				६५								
नीतिपर	५३		५३				५३		५३						
समुच्चित	११०		११०	४		४	११४		११४						

राजा झामोरिन की ओर से भेजे गए निवेदन का अनुवाद

(ब) आरम्भ में मलबार के ब्राह्मणों को धर्म विषयक शिक्षा उनके घर के निकट रहनेवाले उस समय के शिक्षकों के द्वारा क्षेत्रम् में दी जाती थी तथापि ऐसा लगता था कि इस प्रकार की शिक्षा विशेष लाभकर्ता नहीं होगी उसमें छात्रों की संख्या और भी कम होगी। अतः ब्राह्मणों ने परस्पर विचारविमर्श किया। परिणाम स्वरूप यह निर्धारित किया गया कि इस हेतु एक कॉलेज आवश्यक है जहाँ धर्म विषयक ज्ञान दिया जाए। अतः ज़मीन का एक टुकड़ा जो नदी के पास था कॉलेज के निर्माण हेतु अलग रखा गया। वह तैरोयन निशरीनद हुम्मी कुटनाळ तेहसील स्थित तेरुनाव्य क्षेत्रम् के दक्षिण में था। इस हेतु से वे हमारे पूर्वज उस समय के राजा के पास गये और इस विषय की प्रस्तुति की। राजा ने इस कॉलेज के निर्माण के लिए पूर्ण खर्च की जिम्मेदारी ली थी। और फिर उन्होंने उस क्षेत्र में निवास करनेवाले सभी प्रजाजनों को आदेश दिया था कि इस कॉलेज के लिए आवश्यक भोजनादि का खर्च वे ही अदा करेंगे। साथ ही उन्होंने उस कॉलेज के लिए एक भाण्डारगृह निर्माण करने का आदेश दिया था जिसकी सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति भी उन्होंने की थी। वह भी ब्राह्मण ही था। (सभी किसानों के लिये सुलभ) चावल की खेती के लिए जो भूमि थी उसमें से एक भाग कॉलेज के लिए अलग ही रखा गया था। यह ऊचिपोरा एकरा नाम्बूरी पद्धति सर्वसम्पत्ति से स्थापित की गई थी। साथ ही इस कॉलेज के आचार्यों के लिए धान के खेत का एक हिस्सा अलग रखा गया था। वे अधिकारशत ब्राह्मणों के ही खेत थे। जिन ब्राह्मणों ने इस प्रकार का अनुदान दिया था उनके परिवारजनों को इन कॉलेजों में एक या अन्य प्रकार से नौकरी भी दी गई थी। यह सब मैंने अपने पुरखों से जाना है। तथापि इस प्रकार के हस्तांतरण का कोई लिखित स्वरूप नहीं होता है। कॉलेजों में प्रवेश की संख्या पर पाबन्दी नहीं थी। जिस किसी को ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो उन्हें प्रवेश दिया ही जाएगा और आवश्यक सुविधाएँ भी दी जाएँगी।

इन कॉलेजों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन १०० से १२० छात्र आते थे। किन्तु सन् १४९ में विदेशियों ने आक्रमण किया और कई मंदिर तथा निवासस्थानों का नाश किया था। उन्होंने खेतों पर कर लगाया था जिससे उस प्रदेश में रहना ब्राह्मणों के लिए लगभग असमर्थ हो गया था। परिणामस्वरूप वे सभी राम राजा के प्रदेश (त्रावणकोर)में चले गए। धीरे धीरे 'वेदम्' का ज्ञान और शिक्षा मलबार क्षेत्र से मट हो गए। धर्म के ज्ञान से विमुख रहना ब्राह्मणों के लिए महापातक सा माना

जाता था। अतः उन्होंने राम राजा को बताया। उन्होंने 'तेरुना करे क्षेत्रम्' के पास एक कॉलेज का निर्माण करने के लिए आदेश दिया और उसमें अध्ययन हेतु आनेवालों के लिए आवश्यक आर्थिक सहाय हेतु राशि भी अलग रखी।

यहाँ १६६ के वर्ष तक तो विद्यादान अनवरत चल रहा था। इस वर्ष से कम्पनी सरकार ने मलबार में आक्रमणकारियों को हटाया और समूचे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था स्थापित कर दी जिससे मलबार त्यागकर गए हुए ब्राह्मण वापस लौटे और उनकी जन्मस्थली में रहने लगे। फिर भी उनकी कॉलेजों का नाश तथा उनके लिए सहाय हेतु दी गई ज़मीनों का नाश उनके लिए अत्यंत दुःखदायक था। इसलिए उन्होंने तत्कालीन राजा-मेरे चाचा - समक्ष निवेदन प्रस्तुत किया। उनके मतानुसार उस समय उनके पुरखों ने जो सहायता की थी वह करने में वे असमर्थ थे तथापि वे यथासंभव हर प्रकार का सहयोग देने को तत्पर थे। वे मानते थे कि इस प्रकार की सन्स्थाओं के कारण से ही उनके प्रदेश की और उनकी तरफ़ी हो पाएगी। इसी वजह से उन्होंने उस कॉलेज के पुनर्निर्माण के आदेश दिए और उसके आचार्य तथा छात्रों के लिए आवश्यक सभी चीजें मिलने की व्यवस्था करने के लिए आदेश दिया। उन्हीं के पदचिह्न पर मैं बढ रहा हूँ। किन्तु इसके लिए दी गई जमीन से प्राप्त उत्पादन सरकार को राजस्व देने के बाद एक महीने के खर्च को भी मुश्किल से पूरा कर पाता है। इससे जो भी कमी होती है वह मेरे द्वारा पूरी कर दी जाती है। जैसे कि रु २००० छात्रों के लिए तथा रु २०० आचार्यों के लिए प्रति वर्ष मैं पहुँचाता हूँ। उन्हें अभी इतना प्राप्त होता है। धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई विज्ञान उस कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। प्राचीन समय में शानूर के तालवलीनाळ में एक कॉलेज था। उसकी सहाय हेतु भूमि भी अलग रखी गई थी जहाँ कई ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करते थे। उनके निपुण होने पर जब वे कॉलेज छोड़ कर जाते थे तब कालिकट के तल्लैल क्षेत्रम् में प्रत्येक को वार्षिक १०१ फेनम पर नियुक्त किया जाता था। ऐसे व्यक्तियों की संख्या ७० से ८० थी। किन्तु इन सन्स्थाओं की सहायता हेतु अलग रखी गई भूमि पर भी राजस्व लागू करने से उसकी आमदनी बहुत ही कम हो गई। परिणामस्वरूप उपर्युक्त सन्स्था और उसके साथ शिक्षा भी बढ ही हो गई। इससे ब्राह्मण आए और पुनः निवेदन करके अपनी परेशानी बताई। अतः एक शिक्षक की नियुक्ति की गई जिसके पास आज कई छात्र पढ रहे हैं। तल्लैल भवा भी घालू है परतु इसकी मात्रा कम हो गई है।

पत्र पर हस्ताक्षर नहीं है।

२२

सेलम के समाहर्ता बोर्ड ऑफ रेवन्यू के प्रति ८-७-१८२३

(टीएनएसए बीआरपी खण्ड ९५४ का १४-७-१८२३

पृ ५९०८-१० सं ५०

१ दि २५ जुलाई १८२२ को आपके बोर्ड के द्वारा मुझे बताया गया था उस के तहत मैं सलग पत्रक सादर भेज रहा हूँ।

२ इस पत्रक से यह स्पष्ट हो जाता है कि दस लाख से अधिक जनसंख्या में ४६५० व्यक्तियों ने शिक्षा प्राप्त की थी जो प्रति एक हजार पर सवा घाट से कुछ अधिक है और इस सार्वजनिक शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब और कुठिस दर्शाती है।

३ विद्यार्थी उनके मित्रों की सहायता और उनकी शिक्षा के प्रति रुचि के अनुरूप तीन से पाँच वर्ष शाला में बिताते हैं। हिन्दू शाला में शिक्षा के लिए वार्षिक खर्च तीन रुपया तथा मुस्लिम शाला में वार्षिक खर्च १५ से २० रुपये होता है। केवल मुस्लिम शाला के पास उसके वार्षिक खर्च के लिए वार्षिक २० रु जितनी आमदनी करनेवाली जमीन है। इस शाला के एक पुराने शिक्षक 'थोमिआह' की उपाधि से विभूषित थे जिन्हें समाहर्ता द्वारा वार्षिक रु ५६ के हिसाब से प्रति मास वेतन दिया जाता था। उनके स्वर्गवास के बाद मेरे पूर्व के अधिकारियों द्वारा यह सहायता राशि बंद कर दी गई क्योंकि वह उनको ही देनी होती थी।

४ अबूतर नामकूल सेलेग और पारमुती तहसीलों में धर्म पठानेवाले २० शिक्षक हैं। इसके अतिरिक्त कानून और खगोल सिखानेवाली शालाएँ भी हैं। इन्हें इनामी ज़मीन दी जाती है। इससे वार्षिक रु ११०९ जितनी आय होती है यह ज़मीन पूर्ण कृषि योग्य है और उसके मालिक जिस हेतु से यह ज़मीन दी जाती है उस नियम का पूर्ण पालन भी करते हैं।

५ ऐसी इनामी ज़मीन के अतिरिक्त अन्य ज़मीन भी है जो रैज़पुर और शकरीयुग तहसीलों में वार्षिक ३८४ जितनी आय वाली है। टीपूने जिस वर्ष यह प्रदेश अन्य राज्यों से अलग किया उससे पहले ही उसका दान दिया था। तत्पश्चात् यह ज़मीन सरकार के रेवन्यू में शामिल की गई है।

६ सरकार में हो या अन्य लोग हों अपराध रोकने के लिए शिक्षा श्रेष्ठ साधन

है (जिसके बारे में आपके बोर्ड के ता ११ दिसम्बर १८१५ को सरकार के भेजे गए अहवाल के ७वें परिच्छेद में बहुत ही दबाव से बताया गया है। आग्रह पूर्वक इस हेतु फन्ड स्थापित करने के लिए निवेदन करता हूँ, जो शिक्षा का प्रसार कुछ सीमा तक करेगा और साथ ही उसकी माँग को भी बढ़ाएगा।

सेलम के समाहर्ता की कचहरी

एम डी कॉकबर्न

८ जुलाई १८२३

समाहर्ता

(ध्यौरा अगले पृष्ठ २०४ पर)

२३

गुंडर के समाहर्ता बोर्ड ऑफ रेव्यू के प्रति ९-७-१८२३

(टीएनएसए बीआरपी खण्ड १५४ का १४-७-१८२३

क्र ४९ पृ ५९०४-७)

१ आपके सयुक्त सचिव मि विवियश के दिनांक २५ जुलाई के पत्र के उत्तर में लिख रहा हूँ कि जिस शालामें पढना लिखना सिखाया जाता है वैसी शालाओं की सख्या और उसमें पढने वाले छात्रों की सख्या दर्शानेवाला एक पत्रक जो एक नमूने के तौर पर तैयार किया गया है सादर प्रस्तुत करता हूँ।

२ इसके बारे में सरकार ने २ जुलाई १८२२ के पत्र में मागी जानकारी के बारे में कहना है कि मैंने देखा है कि छात्र प्रात ६ बजे इकट्ठे होते हैं और नौ बजे तक साथ में रहते हैं फिर सुबह का भोजन लेने जाते हैं और ११ बजे लौटते हैं। तत्पश्चात् अपरान्ह दो या तीन बजे तक साथ में रहते हैं। बाद में चावल खाने के लिए अपने निवास पर जाते हैं और ४ बजे आते हैं और सन्ध्या के सात बजे तक साथ में रहते हैं। सुबह का और सध्या का समय सामान्यतः पढने के लिए रहता है जबकि अपरान्ह का वक्त लिखाई के लिए रहता है।

३ छात्रों के लिए शुल्क मुख्यत उनके पिता या शाला में भर्ती करने के लिए आनेवाले की स्थिति के अनुरूप प्रति छात्र मासिक २ आने से २ रुपए होता है। यह एक ही भुगतान बताया जा सकता है क्योंकि लडकों को ही उनके गाँवों में स्थित शालाओं में भेजा जाता है जो बाद में अपने निवासस्थान में रहते हैं।

४ लगता है कि जिले में जनता द्वारा अनुदान प्राप्त शालाएँ नहीं हैं या धर्म कानून खगोल आदि विषय पढाने का कोई कॉलेज भी नहीं है। ये विषय कुछ छात्रों

सेलम जिले के विद्यालयों तथा महाविद्यालयों तथा उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

विद्यालय	विद्यालय एवं महाविद्यालय	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
१	२	५											६
सेलम सामुदायिक	३३३	४५९		४५९	३२४		३२४	१६७१	३	१६७३	१३८२	२८	१४१०
मन्मथार धर्मशास्त्र एवं सर्वोत्तम बालिका	५३	३२४		३२४									

महायोग (हिन्दू)		मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
पु.	स्त्री	८			९			१०		
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
३८३६	३१	४३२	२७	४५९	४२६८	५८	४३२६	५४२५००	५,३३४२५	१०,७५९२५
३२४		३२४		३२४	३२४		३२४			

को या शिष्यों को कुशल ब्राह्मणों द्वारा किसी भी प्रकार के शुल्क या बदला लिए बिना पढाया जाता है। जो ब्राह्मण यह सिखाते हैं उनका निर्वाह सामान्यतः मान्यम् भूमि द्वारा किया जाता है। यह भूमि इस जिले के जमीनदारों के पूर्वजों ने दी है और गत सरकारों ने अलग अलग प्रसंगों पर दान में दी हुई होती है। तथापि ऐसा लगता है कि किसी भी अवसर पर देशी सरकारों ने पैसे के रूप में तो दान दिया ही नहीं है। और फिर जमीन तो उपर्युक्त विज्ञान सिखाने वाले शिक्षकों के निर्वाह के लिए ही दी थी। हालांकि इस विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है उस के अनुसार १७१ स्थान में धर्मशास्त्र कानून और खगोल आदि विषय पढाए जाते हैं। ये निजी तौर पर पढाए जाते हैं। इन में छात्रों की संख्या ९३९ के लगभग है। ये विज्ञान पढनेवाले अपने गाँवों में तो सामान्यतः ऐसे शिक्षक प्राप्त कर नहीं पाते अतः उन्हें और कहीं जाना पड़ता है। जिन किस्मों में छात्रों का परिवार सहयोग दे सकता है। वह अपने परिवार से सहाय प्राप्त करता है। यह मासिक रु ३ जितनी राशि होने का अनुमान है। फिर भी यह राशि केवल उनकी आवश्यकता के लिए ही सीमित है। जिन छात्रों के परिवार इस प्रकार की सहयोग राशि देने में असमर्थ हैं वहाँ वे जिन गाँवों में अध्ययन करते हैं उन गाँवों के घरों से अपनी दैनन्दिन आवश्यकता की चीजें प्राप्त कर लेते हैं और वे भी सहर्ष उनकी आवश्यकताएँ पूरी कर देते हैं।

५ जिन्हें यहाँ अध्ययन करवाया जाता है उन्हें धर्म या दर्शनशास्त्र में गहरा अध्ययन करना है तो वे बनारस नवद्वीप जैसे स्थानों पर जाते हैं। वहाँ वे वर्षों तक रहते हैं और वहाँ के विद्वान पण्डितों से ज्ञान प्राप्त करते हैं।

गुडुर जिला

बापसा ९ जुलाई १८२३

जे सी विश

समाहर्ता

(म्यौरा अगले पृष्ठ पर)



गुड्डर जिले के विद्यालयों तथा महाविद्यालयों तथा उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विद्यालय एवं महाविद्यालय	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
१	२												
गुड्डर	३०८९	५	३०९४	१५७८		१५७८	११२३	३७	११६०	७७५	५७	८३२	
	महा वि.												

महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
७			८			९			१०		
पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
७३६५	९९	७४६४	२५७	३	२६०	७६२२	१०२	७७२४	२४९३८९	२९०८९५	४५४४८४

गुड्डर जिला बाण्डा  
१ जुलाई १८२३

जे सी विश  
समाहर्ता

२४

गजाम के समाहर्ता बोर्ड ऑफ रेवन्यू के प्रति २७-१०-१८२३

(टीएनएसए वीआरपी खण्ड १६७ का ६-११-१८२३

पृ १३३२-३४ क्र ५-६)

१ सयुक्त सचिव मि विदिश का ता २५ जुलाई १९२२ का पत्र और उसके साथ प्राप्त सामग्री का मैं आदर करता हूँ और बोर्ड की जानकारी के लिए निर्धारित पत्रक के अनुसार इस जिले की शालाओं की सख्या आदि आशिक मात्रा में एक पत्रक से आपको भेज रहा हूँ।

२ इस जिले में सरकार या सत्ताधीशों के द्वारा अनुदान प्राप्त करनेवाली कोई शाला या कॉलेज नहीं है। किन्तु छात्र अपने शिक्षक को प्रतिमास ४ आना या १ रूपया शुल्क देते हैं।

३ शालाएँ सामान्यतः प्रातः ६ बजे शुरू होती हैं और सध्या के ५ बजे तक चालू रहती हैं।

४ अग्रहारम् के ब्राह्मणादि को उनके पिता भाई या अन्य रिश्तेदार शास्वम् सिखलाते हैं किन्तु जिले में कोई सार्वजनिक शाला नहीं है और न किसी प्रसंग पर सार्वजनिक शाला खोली गई है।

५ इस के साथ सलग्न पत्रक तैयार करने में अधिकांशतः पर्वतीय प्रदेशों के जमीनदारों की ओर से मुझे कोई सतोषजनक सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। इन सस्थानों पर तो पर्वत और सीमा क्षेत्रों में बोली जानेवाली दोंडीयाह भाषा को छोड़कर और कुछ सिखाया ही नहीं जाता।

श्रीकाकुलम्

२७ अक्तूबर १८२३

पी आर. केम्लेट

समाहर्ता

(ब्यौरा अगले पृष्ठ पर)

राज्य जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पकनेवाले छात्रों की संख्या परामित्यासा पत्रक

जिला	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
बुलंद	३	१२	१२	२		२	२४		२४	२४०	६	२४६
गोहरी	४७	१०४	१०४	२०		२०	१००		१००			
कलेक्ट	२२	७३	७३	११		११	११७		११७			
पन्डर	३	९	९	६		६	३६		३६			
रुम्ना	२	५	५	४		४	१६		१६			
बीरबी	५	१०	१०	७		७	२९		२९			
फुला केमंडी	२१	११३	११३	१०		१०	१३		१३	५१	२	५३
गुररसिंधी												
दादम	११	७	७				३		३			
सिमिरी												
कंधान	३	११	११	१०		१०	१४		१४			
बल्ल	७	१२	१२	१८		१८	२०		२०	७१		७१
आमल	१७	८३	८३	३४		३४	९३		९३	२९		२९
मुन्गरी	७	३६	३६	१०		१०	७६		७८			
कुंरिय	६	१३	१३	८		८	३२		३२			
फुलवातान	२						५		५			

जिला	महायोग (किन्चु)			मुस्लिम छात्र			हन्दू मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
सुल्ता	३८		३८				३८		३८	२ ४६२	२ ५३१	४ ९९३
मोदोरी	४६४	६	४७०				४६४	६	४७०	१८ ७६०	१९ १०६	३७ ८६६
कलकट	२८१		२८१				२८१		२८१	६ ६९०	७ २००	१३ ८९०
पानूर	५१		५१				५१		५१	८३२	९९०	१ ८२२
हुन्ना	२५		२५				२५		२५	६६३	६६९	१ ३३२
वीरिडी	४६		४६				४६		४६	१ ६९४	१ ५६५	३ २५९
मुल्का केरोडी	१८७		१८९				१८७	२	१८९	४६ ६७९	४४ ८२९	९१ ५०८
मुदरसिनी										३०९	३९९	७०८
तामस										१ ६९०	१ ६०२	३ २९२
किरिन्दी	१०		१०				१०		१०	१ २५७	१ १८९	२ ४४६
गनाम	३५		३५				३५		३५	३ ७४६	४ ०१७	७ ७६३
बला	१२१		१२१				१२१		१२१	३ १००	३ ०८१	६ १८१
आसक	२३९		२३९	१७		१७	२५६		२५६	२ ६६२	२ ९०४	५ ५६६
कुन्गरी	१२२		१२४				१२२		१२४	१ ६८८	१ ४९९	३ १८७
कुनिया	५३		५३				५३		५३	१ ६१९	१ ६२७	३ २४६
मुन्नामन	२०		२०				२०		२०	२ ३०६	२ १३२	४ ४३८



जिला	महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			बन्दू मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
गोपबन्धुरम्										१२२	५३८	६६०
मन्दिरी										७२३	५२२	१२४५
कैपुर										१७३	१३७	३१०
छट्वालावा										३०६	५३५	८४१
सेदवार										११	२०	३१
बेटम										५२	२०	७२
सुपुरम										३३	५५	८९
जन्सरी										४७	४५	९२
मन्माम										०६	०२	०८
रजापुरम्										४३४	२४३	६७७
जातकी										७५२	६३९	१३९१
गिरिकामा										१२१७	१०२०	२२३७
डुवा										३७४	२१७	५९१
कैलाश										१२१७	१०२०	२२३७
लसकपुरम्										११६	७५८	८७४
सुदम्										११	१८	२९

नगरपालिकाको विद्यालयको एवं महाविद्यालयको तथा उनको पढनेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शुद्ध छात्र			अन्य जाति के छात्र		
	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
फेदकी	३	२	२	१		१	१		१	१६		१६
पुलाम	२	२३	२३							६		६
अरुणकुसा												
कुलकुसा	३	८	८	४		४	४		४	१२		१२
रुम्पुर	३			४		४	४		४	३६		३६
मनाडी	१			३		३	१७		१७			१७
सोपपुर	४३	२१६	२१६	१६		१६	१३५		१३५	१०५		१०५
पुर्कोवा	१३	३०	३०	१४		१४	११		११			
दीसकान्	२			६		६	१९		१९			
मसुक्केटा	२७	२७	२७	३५		३५	३५		३५	२३४		२३४
काम	१			१०		१०	२		२	२४		२४
दीरी	३	३	३							१७		१७
मया	३	१	१	२		२	१८		१८	१०		१०
कुन्डली	५	१०	१०				२०		२०	२०		२०
सुपपुर												
नारकटुम												
देवी												
पुल्केसपुर												
योग	२१५	८०८	८०८	२४३	-	२४३	१००१	३	१००३	८८६	१०	८९६

जिला	महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
पोलाकी	२८		२८				२८		२८	४ ६९२	४ ०९५	८ ७८७
गुलाम	३०		३०				३०		३०	३ ७३६	३ २६९	७ ००५
अव्यक्तवा										६९	६९	१३८
कुन्कवस्ता										३ ९३९	३ २२६	७ १६५
इफ्तार							२८		२८	६ १८६	६ २६३	१२ ४४९
मन्वारी	४०		४०				४०		४०	२ ३०७	२ १८२	४ ४८९
सोनापुर	२०		२०				२०		२०	४ १३३	४ ११५	८ २४८
पुदुकोटा	४७२		४७२	१		१	४७३		४७३	१७ १०२	१५ ९४७	३३ ०४९
तीरुवात्म	१३५		१३५				१३५		१३५	५ ६२१	५ ३१३	१० ९३४
मन्गुकोटा	२५		२५				२५		२५	२ ६७४	२ ३९०	५ ०६४
कदावा	३३१	२	३३३	९		९	३४०	२	३४२	६ ०२४	५ ७७७	११ ८०१
श्रीरी	२४		२४				२४		२४	३ २२८	२ ९०६	६ १३४
मारा	३२		३२				३२		३२	२ ०२७	१ ७७८	३ ८०५
दुन्दुकी	३१		३१				३१		३१	१ १७२	१ ११३	२ २८५
सन्तूर	५०		५०				५०		५०	१९ २८४	१ ६८९	२० ९७३
नाताकट्टम										१ ४८६	१ ३८३	२ ८६९
दोती										३ ९०९	३ २६६	७ १७५
पुल्लोक्कपुर										२ ९१२	२ ६१७	५ ५२९
कुल	२ १३८	१२	२ १५०	२७		२७	२ १६५	१२	२ १७७	१ १६ १७०	१ १५ १११	३ ३२ २८१



२५

सेक्रेटरी टु गवर्नमेन्ट बोर्ड ऑफ रेवन्यू के प्रति २७-१-१८२५

(टीएनएसए बीआरपी खण्ड १०१० का २७-१-१८२५ नं ७-८ पृ ६७४-५)

१ समग्र देश में शिक्षा की स्थिति जानने के लिए सरकार उत्सुक है। मि हिल के दिनांक २ जुलाई १८२२ के पत्र से जानना चाहता हूँ, जिस के बारे में महामहिम गवर्नर-इन काउंसिल के द्वारा मुझे निर्देश दिया गया है कि इस विषय में अलग अलग समाहर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के क्या निष्कर्ष हैं उसके बारे में यथाशीघ्र सरकार को जानकारी दी जाए।

२ अगर किसी समाहर्ता ने अब तक ऐसा ध्यौरा न भेजा हो तो आप शीघ्र ही इसके बारे में उनका ध्यान आकर्षित करें। साथ ही जो भी जानकारी आप के पास है वह शीघ्र ही भेज दें।

फोर्ट सेन्ट ज्योर्ज  
२१ जनवरी १८२५

जे स्टोक्स  
सरकार के सचिव

२६

सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवन्यू, फोर्ट सेन्ट ज्योर्ज कछप्पा के  
समाहर्ता के प्रति ३१-१-१८२५

(टीएनएसए बीआरपी खण्ड १०१० का ३१-१-१८२५ स ४२ पृ ८४१)

१ आप के जिले में शिक्षण की स्थिति का विवरण भेजने के लिए मेरे पूर्व के प्रशासक ने आपको दिनांक २५ जुलाई १८२२ को भेजे पत्र के विषय में आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवन्यू ने मुझे सूचना दी है अतः यह परिप्रेक्ष्य की जानकारी यथाशीघ्र भेजने का कह करेगा।

२ आपके जिले के पूर्व समाहर्ता को सभी मुद्दों पर विवरण भेजने के सम्बन्ध में विस्तृत जाच-पड़ताल के बाद अब बोर्ड का मतव्य है कि उसके आदेशों के अनुसृत्य यथाशीघ्र कार्यवाही करने में कोई कठिनाई न रहे।

३ आपको इस पत्र के साथ भेजे गए नमूने के पत्रक के अनुसार ही एक निवेदन तैयार करना उपयुक्त रहेगा।

फोर्ट सेन्ट ज्योर्ज  
३१ जनवरी १८२५

जे डेन्ट  
सचिव

२७

कठप्पा के समाहर्ता बोर्ड ऑफ रेयन्यू के प्रति ११-२-१८२५

(टीएनएसए वीआरपी खण्ड १०११ का १७-२-१८२५

स ३३ पृ १२७२-६-७८)

१ आप के सचिव के दिनांक ३१ जनवरी के पत्र में इस जिले में शिक्षा की स्थिति के बारे में विवरण मागा गया था जिस के उत्तर में मैं आवश्यक पत्रक भरकर भेजता हूँ।

२ इस जिले में सरकार द्वारा अनुदान में दी गई ज़मीन या किसी भी प्रकार की आर्थिक सहाय के सहयोग से चलनेवाली एक भी शाला या कॉलेज नहीं है और इस प्रकार की किसी भी सस्था का अस्तित्व मेरी जानकारी में नहीं है।

३ हर प्रकार की शिक्षा निजी शिक्षकों के द्वारा अथवा तो गुरुओं के निवास पर रहनेवाले छात्रों को उन गुरुओं द्वारा अथवा तो शालाओं में दी जाती है। इसके लिए गाँव में रहनेवाले नागरिकों के द्वारा जिनके बच्चे अध्ययन करने के लिए जाते हैं सहायता दी जाती है। अधिकांश क्षेत्रों में सुबह होते ही बच्चे शाला में पहुँच जाते हैं और वहाँ १० बजे तक रहते हैं फिर अपने आवास पर वापस लौटते हैं और ११ १/२ बजे पुन शाला में पहुँच जाते हैं जहाँ वे सूर्यास्त तक रहते हैं। इन सब का खर्च विद्यार्थी ने की हुई प्रगति के अनुपात में किया जाता है। पढ़ने लिखने के साथ अकमाणित सीखने के बाद प्रत्येक का उस औसत में खर्च बढ़ता जाता है। तथापि प्रारम्भ में तो वह खर्च साधारण होता है बाद में विद्यार्थी जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करता जाता है वैसे वैसे खर्च बढ़ता जाता है। इस प्रकार अनुमानत मासिक औसत धार आने देने पड़ते हैं जो बढ़कर १ या १ १/२ रुपए तक जाता है किन्तु उससे अधिक कभी भी नहीं है। इस प्रकार की शालाओं में भी विज्ञान पढानेवाली कोई शाला मेरे ध्यान में नहीं आई। सामान्यत छोटे परिवारों में धर्म तत्त्वज्ञान कानून खगोल आदि निजी तौर पर पढाए जाते हैं। और फिर पिता पुत्र परपरानुसार वह ज्ञान परपरा चलती रहती है। इस प्रकार की शिक्षा देने वालों के लिए तो उनकी रुचि ही प्रमुख कारण रहता है। जिन ब्राह्मणों ने यह सिखाने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया है वह उनके साथ सम्बन्धित होने के कारण उन्हें प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में छात्र गुरु के निवास पर ही रहते हैं और उनके परिवार के हिस्से बन गए होते हैं।

४ कठप्पा में अनेक शालाएँ स्वीष्टिक अनुदानों के द्वारा निर्माई जाती हैं। फिर भी इन्हें सार्वजनिक सस्था तो नहीं कह सकते क्योंकि वे केवल उस स्थान के

यूरोपीय सज्जनों तक ही सीमित हैं।

५ ब्राह्मणों में बच्चा जब ५-६ वर्ष का होता है तभी से उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है और शूद्रों में ६ से ८ वर्ष के बाद शुरू होती है। इस अन्तर का कारण देते हुए एक ब्राह्मण ने बताया था कि शूद्रों की अपेक्षा उनकी जाति का बौद्धिक स्तर ऊँचा रहने के कारण यह अन्तर रहता है। उनके बच्चे निम्न जाति के बच्चों की अपेक्षा जल्दी शिक्षा ग्रहण करते हैं। देशी लोगों में शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य आदर्श आर्थिक उपार्जन ही हो सकता है। विद्यार्थी लिखने पढ़ने में अकम्पजित में कुशल बन जाते हैं तब उनका अध्ययन पूरा हुआ मान लिया जाता है। इसके बाद उसे शाला से उठ लिया जाता है और शेष ज्ञान घर पर ही दिया जाता है। फिर वह उस प्राप्त ज्ञान को अपने पिता की दुकान में बैठकर और भी पढ़ा करता है। वहाँ हिसाब किताब लिखना चालू करता है। उसी समय उसे और विशेष ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है तो वह उसे प्राप्त करके हमारी सरकारी कचहरियों में मौकरी प्राप्त करता है। विद्यार्थी शाला में विद्या प्राप्त करता है वह अवधि (जो पूर्ण होने पर पढ़ाई पूरी हुई मानी जाती है) लगभग २ वर्ष है।

६ इस जिले में लगभग सभी गाँवों में इनामी ज़मीन अलग से अक्रिय की गई है। बोर्ड को जानकारी है ही कि यह पचागन् ब्राह्मणों के लिए अलग ही रखी गई होती है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि कई ऐसे भी होंगे जो खगोल और धर्मतत्त्वज्ञान के मामले में कुशल होंगे। हालांकि इस विषय का शायद ही कोई प्रमाण प्राप्त होगा। साथ ही ऐसे ज़मीन प्राप्त करनेवाले विज्ञान की उच्च शाखाओं का अध्ययन छोड़कर अज्ञान रहकर ही सतोष से जीवन जीते हैं। उनकी अधिक से अधिक आकांक्षा तो लुनाई या विवाह के लिए शुभ समय बताने तक सीमित रहती है या उस गाँव के प्रमुख व्यक्तियों की जन्मपत्रिका तैयार करके ही वे सतोष मान लेते हैं।

७ लोगों द्वारा अनुदान प्राप्त करनेवाली कोई शाला या कॉलेज नहीं है। परंतु मुझे यह भी कहना चाहिए कि कई स्थानों पर ब्राह्मणों के द्वारा विद्या आदर के साथ प्राप्त की जाती है और गरीब लोग भी इसी प्रकार पढ़ाई पूरी करते हैं। १० से १६ वर्ष की आयु तक अगर विद्या प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण के पास आवश्यक साधन न हों तो वह अपना निवासस्थान त्याग देता है। फिर अपनी ही जाति के व्यक्ति उसे विद्याभ्यास में सहायता करने के लिए तैयार हों तो वह उनके निवास पर जाता है। उससे किसी भी प्रकार का खर्च नहीं मागा जाता। हालांकि वे स्वयं गरीब होते हैं तो भी छात्रों को भोजन और वस्त्र देने की व्यवस्था करते हैं क्योंकि ऐसा न करने से

उनका बुनियादी आदर्श ही मारा जाता है।

८ बोर्ड स्वामाविक रूप में प्रश्न करता है कि बच्चों को अपने गाँव में ही अध्ययन करने के लिए आवश्यक साधन क्यों नहीं हैं ? वह १० से १०० मील चलकर यात्रा करके जहाँ वे अपरिचित हैं वहाँ कैसे टिक सकते होंगे ? और वहाँ तक वापस न लौटने के इरादे से वहाँ कैसे रह सकते होंगे। उनका निर्वाह दान द्वारा किया जाता है जो हमेशा चलता रहता है। यह सहाय पूर्व में बताये कारणों से गुरुओं द्वारा तो सभविध ही नहीं है किन्तु साधारण तौर पर निवासियों द्वारा ही यह सहायता की जाती है। उन्हें प्रतिदिन (वर्षों तक) ब्राह्मणों के घरों से भिक्षा दी जाती है। वे अत्यंत खुश होकर भिक्षा देते हैं क्योंकि वह देशी जीवनपद्धति का एक सम्माननीय प्रकार माना जाता है। हम इस शुभ परंपरा के आभारी हैं। इस परंपरा के द्वारा विद्या जिन्हें मिलती है वे उसके बिना तो बहुत ही गरीब स्थिति में पड़ गए होते। उपरांत वे ज्ञान की तरफ़ी भी न कर पाते। इससे स्वामाविक ही यह अदाजा लगाया जा सकता है कि इसे पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा उदार व पालक पिता के समान आर्थिक सहायता करना आवश्यक होगा।

९ इस जिले में दान के द्वारा चलनेवाली शालाओं जो कठप्पा के सज़नों की सहायता से चलती हैं के नाम मैंने चर्चों की शालाओं की सूची में जोड़ दिए हैं।

१० इस विषय में अन्य जानकारी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है तथापि इसके साथ मैं विश्वास दिलाने की अनुमति लेता हूँ कि किसी भी प्रकार की अपूर्णता के प्रति आप निर्देश करेंगे वह पूरी की जाएगी।

११ इस स्तर पर मुझे जानकारी देने के लिए मैं मि व्हीली का आपके बोर्ड के समक्ष आभार अदा करने का मौका प्राप्त किए बिना यह पत्र पूरा नहीं कर सकता। उनके इस जिले में लंबे निवास के दौरान उन्हें पूरे जिले में शिक्षा की स्थिति के बारे में जानने का सर्वाधिक अच्छा मौका भी प्राप्त हुआ था।

कठप्पा समाहर्ता की कचहरी  
रायचूटी

जी एम ओगिल्वी  
सहायक समाहर्ता इनघार्ज

११ फरवरी १८२५

(ब्यौरा अगले पृष्ठ पर)

कच्छपा जिले के रोहसीलों के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पकनेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

क्रम	रोहसील	श्रीमा	विद्यार्थी संख्या	महाविद्यालय छात्र			वैश्य छात्र			शुद्ध छात्र			अन्य जातिके छात्र		
				पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
१.	भवन	१६	३४	८९	०	८९	१२१		२१२	११६	१७	१३३	१६		१६
२.	दुग्ध	१४	१४	४४	४४	४४	४४		४४	१०	१७	२७	१४		१४
३.	रत्न	९	१४	२७	२७	४८	४८		४८	११		११	३		३५
४.	समुद्रगिरी	३१	३५	१४९		१४९	१०८		१०८	६०	२	६२	२०५	६	२११
५.	सु	२५	४१	१५५		१५५	२१६		२१६	३९		३९	१३०	८	१३८
६.	सोलास	२१	२८	८९		८९	१३१		१३१	२६		२६	१२	११	१०३
७.	सोलास	३७	४६	८१		८१	८९		८९	२८१	५	२१४			
८.	सिद्ध	१३	१५	२६		२६	३७		३७	६८		६८	२२		२२
९.	सूर	११	४४	११७		११७	१६७		१६७	३१७	१४	३३१			
१०.	सुन्दर	१७	२०	६५		६५	८१		८१	२४		२४	५५	११	६६
११.	सुन्दर	४९	६१	१०२		१०२	२११		२११	२२३	१३	२३६	६३		६३
१२.	सुन्दर	६७	७	१८४		१८४	२५१		२५१	३१६	११	३२७			
१३.	सुन्दर	१८	२६	५०		५०	८०		८०	१८		८६	१८		१८
१४.	सुन्दर	२९	४६	१६१		१६१	११६		११६	१९०	६	१९६			
१५.	सुन्दर	३५७	४३१	१४१६		१४१६	१७१३		१७१३	१७७५	८५	१,८९०	६४७	३९	६८६

	वोग (रिज्यू)			मुस्लिम छात्र			रिज्यू मस्लिम वोग			कुल जनसंख्या		
	पु.	र स्त्री	वोग	पु.	स्त्री	वोग	पु.	स्त्री	वोग	पु.	स्त्री	वोग
१	३४२	१७	३५९	३४		३४	३७६	१७	३९३	३९४१८	३४९८५	७४४०३
२	११०		११०				११०		११०	४०१५३	३४४६१	७४६१४
३	१२८	३	१३१	१३			१४१	३	१४४	२९६६९	२६७०४	५६३७३
४	५२२	८	५३०	३		३	५२५	८	५३३	३५८३६	३०६९२	६६५२८
५	५४०	८	५४८	१२		१२	५५२	८	५६०	३२९६८	२६८८६	५९८५४
६	३३५	११	३४६	५	१	६	३४०	१२	३५२	३८२२५	३५३८५	७३६१०
७	४५६	५	४६१	३०		३०	४८६	५	४९१	४०५९४	३५९९१	७६५८५
८	१५३		१५३	५		५	१५८		१५८	२२८६०	१९७२९	४२५८९
९	६८१	११	६९२	१११		१११	७९२	१४	८०६	३३५०	३१५०४	३४८५४
१०	२३३	११	२४४	२		२	२३५	११	२४६	२३६१९	२०६८९	४४३०८
११	५९९	१३	६१२	३०		३०	६२९	१३	६४२	८४०९१	७४९१५	१५९०६६
१२	७५१	११	७६२	४२		४२	७९३	११	८०४	६९०५२	६१२२७	१३०२७९
१३	२३४		२३४	३२		३२	२६६		२६६	५२८८३	४७४९०	१००३७३
१४	४६७	६	४७३	२२		२२	४८९	६	४९५	३५५०३	३२३४१	६७८४४
वोग	५५५१	१०४	५६५५	३४१	१	३४२	५८९२	१०८	६००	५४८२२१	५१३००२	१०६१२२३

राज्यपट्टी सनाहर्ता कचहरी  
१७ फरवरी १८२५

जी एम ओगिल्विल  
नायब समाहर्ता

२८

घेन्नाई के समाहर्ता बोर्ड ऑफ रेवन्यू के प्रति १२-२-१८२५

(टीएनएसए बीआरपी खण्ड १०११ का १४-२-१८२५

सं ८६ पृ ११९३-१४)

मेरे दिनांक १३ नवम्बर १८२२ के पत्र के सद्वर्ष में मैं जिसे अधिक सही मानता हूँ वैसे शालाओं के सद्वर्ष में दूसरा निवेदन भेजने का गौरव लेता हूँ और प्रस्तुत करता हूँ कि मैंने पहले जिसका सद्वर्ष दिया था उस पत्र के साथ भेजे गए निवेदन के बदले में इसे स्वीकार करें।

घेन्नाई कचहरी

एल जी के मेरे

१२ फरवरी १८२५

समाहर्ता

२९

बोर्ड ऑफ रेवन्यू सरकार के मुख्य सचिव के प्रति २१-२-१८२५  
(टी एन एस ए बी आरपी खंड १०११ का २१-२-१८२५ पृ १४१२-२६)

१ ता २ जुलाई १८२२ के रेवन्यू विभाग के सरकारी सचिव के पत्र द्वारा प्रेषित सरकारी सूचनाओं के बारे में और सचिव श्री स्टॉक के गत महीने की ता २१ के सद्वर्ष में बोर्ड ऑफ रेवन्यू द्वारा मुझे आदेश दिया गया है कि माननीय गवर्नर इन काउन्सिल को इस सरकार के अधीन प्रांतों के अतर्गत शिक्षा की यथार्थ स्थिति के बारे में हासिए में लिखे गए पत्रव्यवहार के अनुरूप प्रस्तुत करना -

२५ जुलाई १८२२ को सभी समाहर्ताओं को भेजा गया परिपत्र

२७ अक्टूबर १८२३ गजाम के समाहर्ता का पत्र सद्वर्ष ६ नवम्बर १८२३

१४ अप्रैल १८२३ को विशाखापट्टनम् के समाहर्ता का पत्र सद्वर्ष १ मई १८२३

१९ सितम्बर १८२३ राजामुट्री के समाहर्ता का पत्र सद्वर्ष २ अक्टूबर १८२३

३ सितम्बर १८२३ मच्छलीपट्टनम् के समाहर्ता का पत्र सद्वर्ष १३

जनवरी १८२३

९ सितम्बर १८२३ गुदुर के समाहर्ता का पत्र सद्वर्ष १४ जुलाई १८२३

चेन्नई जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला चेन्नई	विद्यालय संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
विद्यालय	३०५	३५८	१	३५९	७८९	९	७९८	३५०६	११३	३६१९	३१३	४	३१७
परिचय विद्यालय	१७	५२		५२	४६	२	४८	१७२		१७२	१३४	४७	१८१
घरने ही शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्र		७५८६	९८	७६८४	६१३२	६३	६१९५	७८०९	२२०	७८०९	३४४९	१३६	३५८५

महायोग (हिन्दू)			मुस्लिम छात्र			हिन्दू मुस्लिम योग			कुल जनसंख्या		
पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
४ ९६६	१२७	५ ०९३	१४३		१४३	५ १०९	१२७	५ २३६	२८ ६३६	२३ ३४५	५१ ९४१
४०४	४९	४५३	१०		१०	४१४	४९	४६३			
२४ ७५६	५१७	२५ २७३	१ ६९०		१ ६९०	२६ ४४६	५१७	२६ ९६३			

टिप्पणी : पुलीस अयौधिक द्वारा ६ मई १८२३ को बनाये

जनसंख्या गणना पत्रक से प्राप्त जनसंख्या सिकी गई है ।

चेन्नई कवठरी

१२ फरवरी १८२५

एल जी के रे

समाह्वती



- २३ जून १८२३ नेल्सोर के समाहर्ता का पत्र सदर्भ ३० जून १८२३  
 १७ जून १८२३ बेल्हारी के समाहर्ता का पत्र सदर्भ २५ अगस्त १८२३  
 ११ जून १८२३ कडप्पा के समाहर्ता का पत्र सदर्भ १७ फरवरी १८२५  
 ३ जून १८२३ घेंगलपट्टु के समाहर्ता का पत्र सदर्भ ७ अप्रैल १८२३  
 ३ जून प्रधान समाहर्ता उत्तर आर्कोट का पत्र सदर्भ १० मार्च १९२३  
 २९ जून प्रधान समाहर्ता दक्षिण आर्कोट का पत्र सदर्भ ७ जुलाई १८२३  
 ८ जून सेलम के समाहर्ता का पत्र सदर्भ १४ जुलाई १८२३  
 २८ जून तजावुर के प्रधान समाहर्ता का पत्र सदर्भ ३ जुलाई १८२३  
 २३ जून त्रिविनायल्ली के समाहर्ता का पत्र सदर्भ २८ अगस्त १८२३  
 ५ फरवरी मदुरा के समाहर्ता का पत्र सदर्भ १३ फरवरी १८२३  
 १८ अक्तूबर २८ अक्तूबर और ७ नवम्बर १८२३ तिनेवेली के समाहर्ता का पत्र  
 सदर्भ १८ नवम्बर १८२२  
 २३ नवम्बर कोइम्बतूर के प्रधान समाहर्ता का पत्र सदर्भ २ दिसम्बर १८२२  
 ५ अगस्त मलबार के प्रधान समाहर्ता का पत्र सदर्भ १४ अगस्त १८२३  
 २७ अगस्त कनारा के प्रधान समाहर्ता का पत्र सदर्भ ५ सितम्बर १८२३  
 २९ अक्तूबर श्रीरंगपट्टम् के नायब समाहर्ता का पत्र सदर्भ ४ नवम्बर १८२२  
 १३ अक्तूबर मद्रास समाहर्ता का पत्र १४ नवम्बर १८२२ और १२ अक्तूबर  
 सदर्भ १४ फरवरी १८२५

२ अनेक समाहर्ताओं के विवरणों से तैयार किया गया साररूप विवरण सरकार को अपेक्षित जानकारी स्पष्ट रूप में प्राप्त हो जाए इस आशय से प्रस्तुत किया है।

३ यह सारांश सरकार के भेजे गए पत्रक में विशेष कॉलम के साथ है जिसमें जनगणना पत्रक के अनुरूप प्रत्येक जिले की जनसंख्या प्रस्तुत की गई है। कई समाहर्ताओं की यह संख्या अलग ही दिखाई देती है। विशेष टिप्पणी में सारिणी में सरकार ने मांगी वह जानकारी प्रस्तुत की है कि शाला में छात्र सामान्य तौर पर कितने समय तक रहते हैं। साथ ही छात्रों का मासिक व वार्षिक खर्च तथा संक्षेप में और भी कई जानकारियाँ दी हैं।

४ देखने से ज्ञात होता है कि देश में अवस्थित शालाएँ अधिकांश लोगों के द्वारा दी गई धनराशि के आधार पर चलती हैं। अलग अलग जिलों में विद्वानों को दिये जानेवाले वेतन में अंतर देखा गया है और वह छात्रों के मातापिता की स्थिति के

अनुरूप सामान्यतः मासिक १ आने से चार रुपए है। गरीब वर्गों में सामान्यतः चार आने या आधे रुपये से तो अधिक मुश्किल से दिखाई देता है।

५ कुछ जिलों में शालाओं तथा कॉलेजों को सहयोग देने हेतु दान दिया जाता है। राजमुद्री में विज्ञान के लगभग ६९ शिक्षकों के पास दान में प्राप्त ज़मीन है और इससे पहले ज़मीनदारों ने दिए धन से १३ को भत्ते मिलते थे। नेल्लोर में कुछ ब्राह्मण और मुसलमान व्यक्ति ज़मीन और धन के रूप में भत्ते प्राप्त करते हैं। जो कर्णाटक सरकार के द्वारा क्रमशः वेद और अरबी तथा फारसी पढाए जाने के लिए होते हैं और प्रति वर्ष रु १ ४६७ होते हैं।

उत्तर आर्कोट के २८ कॉलेज पूर्व की सरकार ने मजूर किए मान्यम् और माराहों के सहयोग से चलते हैं। उससे प्रति वर्ष रु ५१६ की राशि प्राप्त होती है। ६ फारसी शालाएँ सार्वजनिक खर्च से चलती हैं जिनका खर्च रु १ ८६१ जितना आता है। सेलम में इनकी ज़मीन से प्रतिवर्ष लगभग रु १ १०९ आय होती है जिसका उपयोग धर्मशास्त्र आदि के २० शिक्षकों को सहायता करने में होता है। एक मुसलमान शाला को प्रति वर्ष रु २० की आय होनेवाली ज़मीन शाला के लिए मजूर की गई है। तजावुर में ४४ शालाओं और ७१ कॉलेजों को राजा का दान मिलता है। सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या स्थापित कोई शाला या कॉलेज नहीं है। जिन्हे तजावुर के सर्वमान्यम् मिशन ने स्थापित किया है उसकी वार्षिक लागत १ १०० रु है। त्रिचिनापल्ली जिले में ७ शालाओं को झामोरिन राजा ने दान में दी हुई ४६ कच्ची जितनी आय है। इसके साथ पहले की सरकार द्वारा दी गई ज़मीन है। मलबार में उसका एक ही कॉलेज है।

६ समाहर्ताओं के विवरणों से यह पता नहीं चलता कि कोई सार्वजनिक दान आलेख और कोइम्बतूर को छोड़कर शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उसके बुनियादी आदर्श को दान या ज़मीन बाँटी गई हो। सेलम के समाहर्ता बताते हैं कि रु ३८४ का उत्पादन भी कृषि योग्य ज़मीनें ब्रिटिश सरकार ने देशको कब्जे में लिया उससे पूर्व इस आदर्श के लिए उपयोग में ली जाती थी। तत्पश्चात्, उसका उत्पादन सरकारी राजस्व में जोड़ दिया गया है। कोइम्बतूर के प्रधान समाहर्ता बताते हैं कि पूर्व के समय में कॉलेजों के निर्वाह के लिए दान में प्राप्त मान्यम् आदि की कीमत २ २०८ रु होती है। आखिर मुसलमान या ब्रिटिश सरकार ने वह पुनः शुरु की है।

७ बेलारी के स्वर्गस्थ समाहर्ताने अपने विवरण में बताया था कि उस जिले

में अभी चल रही एक भी शिक्षासंस्था राज्य की सहायता प्राप्त नहीं करती। ऐसे सन्देह को भी स्थान नहीं है के पूर्व के समय में खास करके हिन्दू सरकार के शासन में बड़े बड़े अनुदान और पैसे और ज़मीन के स्वरूप में विद्याभ्यास हेतु दिए जाते थे। यह अभिमत भी व्यक्त किया था कि अभी जिलेमें जो ब्राह्मण उनके मूल याम्य और श्रोत्रियों में खोजे जा सकते हैं। उसका अवलोकन था कि पूर्व की सरकार ने जो अनुदान आदि दिए थे उनका कोई नामनिर्देश या शर्त तक नहीं है। वे सभी राज्यकर्ता की सच्चा से मुक्त रूप से दिए जाते थे जो कुछ पवित्र विद्वानों की सहायता हेतु ही थे। तथापि वे सभी अनुदान एक साथ अनेक छात्रों के लिए निःशुल्क रूप से शालाएँ चलानेवाले और पढ़ानेवाले विद्वान या धार्मिक पुरुषों को दिए जाते थे ऐसा निश्चित निर्देश है। यह पता नहीं चलता कि श्री कैम्पबेल ने किस आधार पर यह अभिमत इतने विश्वास से व्यक्त किया था कि निर्देशित अनुदान स्वेच्छा से निःशुल्क तौर पर पढ़ाना चालू रखनेवालों के लिए ही दिया जाता था। यह निश्चित है कि जाघ पढ़ताल का कोई सार्वक परिणाम नहीं था। श्री कैम्पबेल ने शिक्षा में सुधार हेतु उन्होंने जो खर्च बताया था उसकी व्यवस्था हेतु सूचित किया था कि 'याम्या भूमि' जिसके स्वामी का स्वर्गास हो गया है और अब खाली पड़ी है उसके सम्बन्ध में नये से जाघ की जाए और भले ही वह एक या दो पीढ़ी से भी अधिक समय के लिए ब्रिटिश सरकार ने भी चालू रखी हो उसे नये से शिक्षानिधि' के रूप में व्यवस्थित की जाए। जब तक यह न सिद्ध हो जाए कि इस ज़मीन के कोई वारिस हैं या उस समय के दान देनेवाले की ऐसी ही इच्छा थी और उन प्रमाणों से सरकार की सन्तुष्टि न हो जाए तब तक उसका समावेश शिक्षानिधि' में करना चाहिए।

कैम्पबेल ने यथाई अदल बदल हो गई ज़मीन को पुनः काम में लाने से निर्धारित आदर्श के लिए धन-राशि फिर से प्राप्त होगी इसमें कोई सन्देह नहीं है किन्तु वे सोचते हैं कि अदलबदल की हुई ज़मीन वापस करवाना और शालाओं के लिए सहायोगी निधि स्थापित करना इन दोनों उद्देश्यों को अलग ही रखे जाएँ। सामान्य योजना के अन्तर्गत देश के प्रत्येक हिस्से में शालाएँ खड़ी करने का उद्देश्य शिक्षा को पुनः गतिशील बनाने की लोगों की इच्छा द्वारा नियंत्रित होना चाहिए और किसी भी रूप में अलग अलग स्थितियों में निश्चित निधि की राशि कम ज्यादा होने की आकस्मिक स्थिति पर आधार नहीं रखना चाहिए।

८ अभी लिखे गए श्री कैम्पबेल के निर्देश के बारे में ऐसा तय करने का कोई

सोच रहा है कि इस समय उनको बताई योजना और इसके बारे में सामान्य विचार या शिक्षासुधार के बाद में बहस अनावश्यक है क्योंकि फिलहाल तो सरकार की यह इच्छा है कि शिक्षा की वास्तविक स्थिति कैसी है उसी की जानकारी प्राप्त करें जिससे कौनसी क्षति दूर करने के लिए क्या किया जाए वह ज्ञात हो सके।

९ अभी प्रस्तुत किए गए प्रत्येक विवरण के अनुरूप दोष अत्यंत बड़े हैं। जनगणना के हिसाब के लगभग साठे बारह करोड़ से अधिक जनसंख्या में केवल १८८००० लोग ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जो लगभग १३<sup>१</sup>/<sub>४</sub> प्रतिशत है जो अत्यंत असंतोषजनक है।

१० कहा गया है कि केनेरा (कर्णाटक) में शालाओं की संख्या के बारे में कोई नियेदन नहीं किया गया है। स्व प्रधान समाहर्ता ने बताया था कि जिले में शिक्षा निजी तौर पर इतनी चलती है कि शालाओं की संख्या और उसमें कार्यरत विद्वानों की संख्या की प्रस्तुति का कोई अर्थ नहीं है किन्तु उनके स्थान पर शिक्षा प्राप्त करनेवाली जनसंख्या का अदाज निकालना तर्कहीन माना जाएगा। उन्होंने बताया था कि सामान्यतः केनेरा (कर्णाटक) में ऐसा एक भी कॉलेज नहीं है जिसमें सैद्धांतिक विज्ञान का पोषण होता हो और फिर ऐसी निश्चित शाला या शिक्षक भी नहीं है। उपर्युक्त वर्णनयुक्त संस्था का एक भी प्रमाण नहीं है जिसे किसी भी प्रकार से सरकार की सहायता प्राप्त हुई हो।

११ श्री हेरिसन के अवलोकन के बावजूद बोर्डने यह आवश्यक माना है कि अभी के प्रधान समाहर्ता को बुलाकर शालाओं के बारे में अभिमत मगवाया जाए जो सरकार द्वारा भेजे गए नमूने के अनुरूप तैयार किया गया हो और प्राप्त होते ही उसे माननीय गवर्नर इन काउन्सिल को प्रस्तुत किया जाए।

फोर्ट सेंट ज्योर्ज  
२१ फरवरी १८२५

जे डेन्ट  
सचिव

(ध्यान अगले पृष्ठ पर है)

## विभिन्न जिलों के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या दर्शानेवाला पत्रक

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग	पु	स्त्री	योग
१ म्वाण	विद्यालय २५५ महाविद्यालय	८०८		८०८	२४३		२४३	१००१	२	१००३	८८६	१०	८९६
२ सिवासमुद्रन	विद्यालय ९१४ महाविद्यालय	४ ४४८	९९	४ ५४७	९८३		९८३	१ ९९९	७३	२ ०७२	१ ८८५	१३१	२ ०१६
३ लखनौटी	विद्यालय २९१ महाविद्यालय	९०४	३	९०७	६५३		६५३	४९९	९	४७२	५४६	२८	५७४
४ मालदीवन	विद्यालय ४८३ महाविद्यालय ४९	१ ६९१	१	१ ६९२	१ १०८		१ १०८	१ ५०९	१	१ ५१०	४७०	२९	४९९
५ मुद्रुन	विद्यालय ५४४ महाविद्यालय	३ ०६९	५	३ ०७४	१ ५७८		१ ५७८	१ ९३३	३७	१ ९६०	७७५	५७	८३२
६ मेल्लौर	विद्यालय ८०४ महाविद्यालय	२ ४६६		२ ४६६	१ ९४१		१ ९४१	२ ४०७	५५	२ ४६२	४३२		४३२
७ देल्सरी	विद्यालय ५३३ महाविद्यालय	१ ९८५	२	१ ९८७	६८५	१	६८६	२ ९१८	२६	३ ०४४	१ ९७४	३१	१ २०५
८ बरकण	विद्यालय ४१४ महाविद्यालय	१ ४१६		१ ४१६	१ ७१३		१ ७१३	१ ७७५	६८	१ ८४३	६४७	३९	६८६
९ कैमपुडु	विद्यालय ५०८ महाविद्यालय ५१	८५८	३	८६१	४२४		४२४	४ ८०९	७९	४ ८८८	४५२	३४	४८६
१० उरर अर्कोट	विद्यालय ६३० महाविद्यालय	१ ११६	१	१ ११७	६३०		६३०	४ ८५९	३२	४ ८९८	५१८	८	५१६

	योग (हिन्दु)			मुस्लिम छात्र			हिन्दु एवं मुसलमान छात्र			कुल जनसंख्या			३ कक्षा V एवं VI शिक्षण 1923 में छात्रों का प्रसंग जनसंख्या
	पु	र स्त्री	योग	पु	र स्त्री	योग	पु	र स्त्री	योग	पु	र स्त्री	योग	
1	2932	92	2940	20		20	2964	92	2980	196900	109999	304229	232094
2	9394	303	9697	90		90	9787	306	9894	822242	842944	1665186	882900
3	2449	80	2529	52		52	2581	80	2661	393492	388089	781581	332202
4	4008	68	4076	204	2	206	4090	68	4203	228955	228023	456978	422058
5	3320	45	3365	163	3	166	3531	45	3579	822480	823920	1646400	838327
6	3893	45	3938	163	3	166	3954	45	3999	822480	823920	1646400	838327
7	2329	03	2332	282		282	2614	03	2617	822480	823920	1646400	838327
8	4449	806	5255	382	1	383	5375	806	5581	488284	494944	983228	1099880
9	6893	366	7259	326		326	7386	366	7538	190283	182223	362506	343928
10	8980	88	9068	442	99	481	9549	88	9637	288488	282244	570732	292292

जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	ब्राह्मण छात्र			वैश्य छात्र			शूद्र छात्र			अन्य जाति के छात्र		
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
११. दंडीग अकाउंट	विद्यालय ८७५ महाविद्यालय	११७		११७	३७०		३७०	७१३८	१४	८०३२	८६२	१०	८७२
१२. बेलग	विद्यालय ३३३ महाविद्यालय	७८३	७६९	७८३	३२४	७६९	३२४	१६७१	३	१६७४	१३८२	२८	१४१०
१३. संजयपुर	विद्यालय ८८४ महाविद्यालय १९	३१८६	७६९	३१८६	२२२	७६९	२२२	१०६६१	१२५	१०७८६	२४५६	२९	२४८५
१४. शिविकावती	विद्यालय ७९० महाविद्यालय १	११९८	१३१	११९८	२२९	१३१	२२९	७७४५	६६	७८११	३२९	१८	३४७
१५. मुस	विद्यालय ८४४ महाविद्यालय	११८६		११८६	१११९		१११९	७२४७	६५	७३१२	२१७७	४०	३०१७
१६. शिविकेरी	विद्यालय ६०७ महाविद्यालय	२०१६		२०१६				२८८९		२८८९	३५५७	११७	३६७४
१७. शंभुपुर	विद्यालय ७६३ महाविद्यालय १७३	११८		११८	२८१		२८१	६३७९	८२	६४६१	२२६		२२६
१८. बेलग	विद्यालय महाविद्यालय												
१९. बलरग	विद्यालय ७५६ महाविद्यालय १	२२३०	७५	२२३५	८४	१३	१७	३६१७	७०७	४३०४	२७५६	३४३	३०९९
२०. दंडीग पुर	विद्यालय ४१ महाविद्यालय	४८		४८	२३		२३	२१८	१४	३१२	१५८		१५८





जिला	विद्यालयों एवं महाविद्यालयोंकी संख्या	प्राथमिक छात्र				द्वितीय छात्र				शुद्ध छात्र				अन्य जाति के छात्र					
		पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग
२१. केरल	विद्यालय ३०५ महाविद्यालय	३५८	१	३५९	७८९	१	७९८	३५९	११३	३५०६	११३	३६१९	३१३	४	३१७				
२२. कर्नाटक	विद्यालय १७ महाविद्यालय	५३		५३	४६	२	४८		१७२			१७२		४७	१८१				
२३. सिन्धी प्रां. एवं हिन्दु प्रान्त संरक्षित जग	विद्यालय महाविद्यालय	७५८६	९८	७६८४	६१३२	६३	६१९५		७५८९	२२०	७८०९	३४४९	१३६	३५८५					
योग		१२४४९८	२१८	१२५७०२	११५८९	८८	११६६९		८३५३२	१८६८	८५४०	२६३७९	११३९	२७५१६					

	योग (हिन्दु)			मुस्लिम जाट			हिन्दु एवं मुसलमान छात्र			कुल जनसंख्या			३ काली व मां लक्ष्मी व शिवराज १८२३में सकल द्वारा प्रकृत जनसंख्या
	पु.	२ स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	पु.	स्त्री	योग	
२१	४९६६	१२७	५०९३	१४३		१४३	५१०९	१२७	५१३६	२३३४५५	२२८६३६	४६२०५१	४६२०५१
२२	४०४	४९	४५३	१०		१०	४६४	४९	४६३				
२३	२४७५६	५१७	२५२७३	१६६०		१६६०	२६४४६	५१७	२६९६३				
योग	५७१७७६	३३१३	५७५०८९	१२३३४	१२२७	१३५६१	९८४१०७	४५४७	९८८६५०	६५०२६००	६०९९१९३	१२५९४९९३	१२८१०४१

दो रूपए तक मासिक शुल्क शिक्षा के लिए लिया जाता है। जब छात्र कॉलेज में अलग अलग विषय पढ़ता है तब साधन सामग्री आदि के लिए मासिक तीन रूपयों की राशि पर्याप्त होती है।

### नेल्सोर

टिप्पणी दर्शाती है कि समाज के आर्थिक सहयोग के बिना अनेक शालाएँ जिले में चलती हैं। पत्रक (२९) में बताए अनुरूप छम्बीस व्यक्तियों के पास छात्र हैं। इनमें १५ ब्राह्मण और ११ मुसलमानों को कर्णाटक राज्य द्वारा वेदाभ्यास और अरबी तथा फारसी सिखाने के लिए पैसे और ज़मीन के रूप में अनुदान मिलता है। वार्षिक कुल रु १ ४६७ की राशि अनुदान के तौर पर मिलती है। बच्चों को पांच वर्ष की आयु में वहाँ प्रवेश करवाया जाता है और अधिकांश ५ वर्ष तक शाला में उनकी पढ़ाई होती है। प्रति छात्र शिक्षक को मासिक दो आने से लेकर चार रूपए तक की राशि मिलती है। छात्र को एक रूपया लिखाई की सामग्री के लिए विशेष राशि दी जाती है और उसके निर्वाह हेतु मासिक तीन रूपए की राशि गिनी गई है। शिक्षक के निश्चित वेतन के लिए विशेष अवसरों पर छात्र से उपहारादि दिए जाते हैं।

शालाएँ स्थायी रूप से नहीं चलती हैं। कई परिस्थिति पर आधारित रहती हैं। कई शालाएँ कई परिवारों के द्वारा विशेष करके अपने बच्चों की शिक्षा हेतु शुरू की गई हैं जो पूरी होने पर बंद कर दी जाती हैं। इस टिप्पणी में दर्शित जनसंख्या के आंकड़े वहाँ के जमीनदारों की संख्या पर आधारित हैं राज्य के जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं।

### येन्नारी

इस जिले में राज्य की ओर से प्राप्त सहायता द्वारा एक भी शाला नहीं चलती है। नियमित रूप में एक भी कॉलेज नहीं चलता है किन्तु लगभग २३ उदाहरण ऐसे हैं जहाँ ब्राह्मणों द्वारा कई विद्याशाखाओं की शिक्षा दी जाती है। संस्कृत भाषा में भी अशत शिक्षा दी जाती है। बच्चे पाँच वर्ष की आयु में शाला में प्रवेश लेते हैं। दैनिक माता पिता के बच्चे १४ या १५ वर्ष की आयु तक अध्ययन पूरा करते हैं ऐसा भी दिखाई देता है।

अलग अलग कक्षा में पढ़ाई करनेवाले छात्रों के लिए अलग अलग वेतन शिक्षकों को प्राप्त होता है। जब बालक प्राथमिक वर्षनाला और अकज्ञान प्राप्त करता है तब चार आना और जब बालक कागज़ पर लिखता पढ़ता है तथा गणित जैसे

विषय का पठन शुरू करता है तब आधा रुपया मासिक शुल्क दिया जाता है।

प्रगत अध्ययन के लिए माता पिता के आर्थिक साधन की अपेक्षा अधिक शुल्क की माग होती है और उनके बच्चों को पढाई अघूरी छोडनी पडती है। कई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों को आधी अघूरी तो क्या आशिक शिक्षा भी नहीं मिलती है। पहले की अपेक्षा सामान्य पढाई का प्रचार बहुत ही कम हो गया है। अधिकाश गाँवों में जहाँ पहले शालाएँ थीं वहाँ आज एक भी नहीं है और कई गाँवों में जहाँ कॉलेज थे वहाँ घनिक लोगों के इनेगिने बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा अधिक शुल्क की माग होती है। गरीबी के कारण पैसे न दे पानेवाले छात्र उच्च शिक्षा से वचित ही रह जाते हैं। प्राचीन समय की तरह विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भिन्न भिन्न विषयों में उनके शिष्यों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है।

### कठप्पा

इस जिले में दान में मिली ज़मीन या राज्य सरकार की ओर से प्राप्त अनुदान के आधार पर चलनेवाली शिक्षा की एक भी संस्था नहीं है। विगत वर्षों में ऐसी संस्थाएँ चलती होगी इसका पता नहीं है। जो शालाएँ आज हैं वे छात्रों के अभिभावकों के सहारे चल रही हैं। शुल्क देने के अनुपात में छात्र जैसे जैसे उपर की कक्षा में आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वृद्धि होती जाती है। सबसे नीचे का दर मासिक औसतन  $\frac{1}{4}$  रुपया है जो एक रुपए तक बढ़ता है। सवा रुपए से आगे बढ़ने की समावना नहीं रहती। ब्राह्मण जातिमें बालक को ५ से ६ वर्ष की आयु में शाला में भेजा जाता है। शुद्र जाति में ६ से ८ वर्ष की आयु में शाला में भेजा जाता है। इन वर्षों को दो वर्ष से कम समय में लिखाई-पढाई और आवश्यक गणित का ज्ञान प्राप्त कर लेना रहता है। बाद में इस ज्ञान में स्वयं ही अपने घर में दुकान में या किसी सार्वजनिक कार्यालय में अनुभव से सुधार करना होता है। कठप्पा की धर्मार्थ शालाएँ ही इस जिले की प्रमुख शालाएँ हैं। ये शालाएँ वहाँ यूरोपीय सज़नों की सहायता से चलती हैं। दूसरे विषयों में शिक्षा देनेवाली एक भी शाला या कॉलेज नहीं है। जो छात्र अपने गुरु के घर पर रहकर निजी तौर पर अध्ययन करते हैं उन्हें धर्मशास्त्र कानून और खगोल विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। उपरान्त शाला में प्राप्त शिक्षा के अतिरिक्त विशेष प्रकार की शिक्षा जिन छात्रों के माता पिता धनवान हैं उन्हें प्राप्त होती है। कई स्थानों पर तो जिन ब्राह्मण छात्रों के अभिभावकों की पैसे खर्च कर सकने की समावना नहीं है उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसलिए ब्राह्मण युवा वर्ग को शिक्षा प्राप्ति के लिए

अपना घर त्याग कर गुरु जिस गाँव में रहते हैं वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ के ब्राह्मणों का दान के सहारे निर्वाह चलता है।

### धेंगलपट्ट

इस जिले में एक भी व्यवस्थित कॉलेज नहीं है। कुछ स्थानों पर उच्च शिक्षा दी जाती है। जहाँ अल्प सख्या में छात्र पढ़ते हैं। गाँव का शिक्षक  $3\frac{1}{2}$  रुपए से लेकर १२ रुपए तक मासिक वेतन प्राप्त करते हैं। औसतन मासिक आय ७ रुपये से अधिक नहीं है। शिक्षा के लिए स्थानीय राज्य की ओर से कोई राशि दी जाती हो ऐसा नहीं लगता फिर भी कुछ गाँवों में धर्मशास्त्र के शिक्षक के लिए  $\frac{1}{4}$  कणी से २ कणी तक की ज़मीन दान में दी जाती है जो नहीं के बराबर है।

### उत्तर आर्कोट

जिले में स्थित ६९ कॉलेजों की सख्या टिप्पणी क्रमांक २ जिले के प्रधान समाहर्ता की ओर से प्रस्तुत की गयी है उनमें ४३ में धर्मशास्त्र २४में कन्नून आदि और २ में खगोलशास्त्र पढ़ाया जाता है। इनमें २८ महाशालाएँ मठों के द्वारा और मुस्लिम धर्मसंस्थानों के द्वारा चलाई जाती हैं। यह मठ और मुस्लिम धर्म संस्थाओं का पूर्व की राज्य सरकारों की ओर से प्राप्त वार्षिक ५१६ रुपयों की दान राशि से निभावा होता है। प्रत्येक शिक्षक को प्राप्त वेतन नीचे की कक्षा के लिए ३ से ८ रुपए रहता है। जब कि उच्च कक्षा के शिक्षक के लिए ३६ रुपयों से १२ रुपए तक की राशि दी जाती है। शेष अधिकांश शालाओं में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। कुछ शालाएँ छात्रों के साधारण सहयोग से ही चलती हैं। कॉलेजों में ८ से १२ वर्ष की अवधि रहती है।

केवल तीन हिन्दू शालाओं में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। शेष शालाओं का निर्वाह छात्रों के शुल्क के द्वारा संपन्न होता है। यह शुल्क की राशि मासिक एक आना या तीन पैसे से लेकर एक रुपए से १२ आना तक की होती है। वार्षिक १ ३६१ रुपयों के खर्च से ६ फारसी शालाएँ छात्रों की शुल्क राशि से चलती हैं शुल्क मासिक २ आने ६ पैसे से लेकर दो रुपए तक का रहता है। हिन्दू शालाओं में छात्र ५ से ६ वर्ष तक अध्ययन करते हैं। मुस्लिम शालाओं में यह समय ७ या ८ वर्ष का रहता है। ७ अंग्रेजी शालाओं में ३ शालाओं में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है जबकि शेष में प्रत्येक छात्र का मासिक शुल्क १० आने से लेकर ३ रुपए ८ आने तक रहता है। इस टिप्पणी से ऐसा लगता है कि इस सूची में ज़मीनदार और फसल कटनेवाले दाता की सख्या का समावेश नहीं होता है। यह सख्या बस्ती का बड़ा हिस्सा है। उसकी

बस्ती लगभग ३ लाख है।

### दक्षिण आर्कोट

स्थानीय राज्य सस्था की ओर से जिले की किसी भी शाला को अनुदान नहीं मिलता। धर्मशास्त्र कानून खगोलादि विषय सिखाने के लिए एक भी निजी सस्था नहीं है। एक फेनम से लेकर १ पेगोडा तक का मासिक शुल्क छात्र देते हैं। उस राशि से शालाओं का निर्वाह होता है।

### सेलम

इस जिले में प्रजा द्वारा एक भी हिन्दू शाला नहीं चलती है। केवल एक ही मुस्लिम शाला के पास थोड़ी जमीन है जिसकी वार्षिक आय से २० प्रतिशत जितना आधार मिल जाता है। इस शाला के पूर्व के एक गुरु के पास छोटी जमीन जागीरदारी थी उससे ५६ रुपए वार्षिक आय होती थी किन्तु उस गुरु की मृत्यु के बाद उसकी आजीवन जागीरदारी का अंत हो गया। शाला में ३ से ५ वर्ष तक की शिक्षा दी जाती है। हिन्दु शालाओं में प्रत्येक छात्र से वार्षिक शुल्क ३ रुपये से कम नहीं लिया जाता जब कि मुस्लिम शालाओं में १५ से २० रुपए तक का वार्षिक व्यवहार रहता है। धर्मशास्त्र कानून खगोल पढ़ानेवाले २० जितने शिक्षकों के लिए इनामी जमीन से १ १०९ रु की वार्षिक आय होती थी। वर्तमान के प्राध्यापक अपना कर्तव्य निभाते हैं। पूर्व के वर्षों में इसी हेतु के लिए जमीनों से प्राप्त वार्षिक आय ३८४ रुपयों से उपर्युक्त शिक्षा का निर्वाह खर्च हो पाता था किन्तु ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना देश में होने से पहले यह जमीन अलग की गई और उससे होनेवाली आमदनी को राज्य की राजस्व आय में जोड़ दी गई।

### तजावुर

जिले में स्थित शालाओं में ४४ शालाओं में नि शुल्क शिक्षा दी जाती है। शेष शालाओं में प्रति छात्र मासिक ४ फेनम के दर से होनेवाली आमदनी से निर्वाह होता है।

लगभग १९ मिशनरी शालाओं में नि शुल्क शिक्षा दी जाती है। ऐसा लगता है कि इस सूची में बहुत सी शालाओं की संख्या का समावेश नहीं किया गया। २१ शालाओं में गुरुजनों को राजाओं की ओर से वेतन प्राप्त होता है और एक शाला के शिक्षकों का निर्वाह खर्च त्रिवेल्डोर पेगाडा धर्म सस्थान के द्वारा किया जाता है। शेष

अपना घर त्याग कर गुत्त जिरा गाँव में रहते हैं वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ के ब्राह्मणों का दान के सहारे निर्वाह चलता है।

### घेंगलपट्ट

इस जिले में एक भी व्यवस्थित कॉलेज नहीं है। कुछ स्थानों पर उच्च शिक्षा दी जाती है। जहाँ अल्प सख्या में छात्र पढ़ते हैं। गाँव का शिक्षक  $3\frac{1}{2}$  रुपए से लेकर १२ रुपए तक मासिक वेतन प्राप्त करते हैं। औसतन मासिक आय ७ रुपए से अधिक नहीं है। शिक्षा के लिए स्थानीय राज्य की ओर से कोई राशि दी जाती हो ऐसा नहीं लगता फिर भी कुछ गाँवों में धर्मशास्त्र के शिक्षक के लिए  $\frac{1}{4}$  कच्ची से २ कच्ची तक की ज़मीन दान में दी जाती है जो नहीं के बराबर है।

### उत्तर आर्कोट

जिले में स्थित ६९ कॉलेजों की सख्या टिप्पणी क्रमांक २ जिले के प्रधान समाहर्ता की ओर से प्रस्तुत की गयी है उनमें ४३ में धर्मशास्त्र २४में कानून आदि और २ में खगोलशास्त्र पढ़ाया जाता है। इनमें २८ महाशालाएँ मठों के द्वारा और मुस्लिम धर्मसंस्थानों के द्वारा चलाई जाती हैं। यह मठ और मुस्लिम धर्म संस्थाओं का पूर्व की राज्य सरकारों की ओर से प्राप्त वार्षिक ५१६ रुपयों की दान राशि से निभाना होता है। प्रत्येक शिक्षक को प्राप्त वेतन नीचे की कक्षा के लिए ३ से ८ रुपए रहता है। जब कि उच्च कक्षा के शिक्षक के लिए ३६ रुपयों से १२ रुपए तक की राशि दी जाती है। शेष अधिकांश शालाओं में नि शुल्क शिक्षा दी जाती है। कुछ शालाएँ छात्रों के साधारण सहयोग से ही चलती हैं। कॉलेजों में ८ से १२ वर्ष की अवधि रहती है।

केवल तीन हिन्दू शालाओं में नि शुल्क शिक्षा दी जाती है। शेष शालाओं का निर्वाह छात्रों के शुल्क के द्वारा संपन्न होता है। यह शुल्क की राशि मासिक एक आना या तीन पैसे से लेकर एक रुपए से १२ आना तक की होती है। वार्षिक १ ३६१ रुपयों के खर्च से ६ फारसी शालाएँ छात्रों की शुल्क राशि से चलती हैं। शुल्क मासिक २ आने ६ पैसे से लेकर दो रुपए तक का रहता है। हिन्दू शालाओं में छात्र ५ से ६ वर्ष तक अध्ययन करते हैं। मुस्लिम शालाओं में यह समय ७ या ८ वर्ष का रहता है। ७ अंग्रेजी शालाओं में ३ शालाओं में नि शुल्क शिक्षा दी जाती है जबकि शेष में प्रत्येक छात्र का मासिक शुल्क १० आने से लेकर ३ रुपए ८ आने तक रहता है। इस टिप्पणी से ऐसा लगता है कि इस सूची में ज़मीनदार और फसल काटनेवाले दाता की संख्या का समावेश नहीं होता है। यह सख्या बस्ती का बड़ा हिस्सा है। उसकी

बस्ती लगभग ३ लाख है ।

### दक्षिण आर्कोट

स्थानीय राज्य सस्था की ओर से जिले की किन्सी भी शाला को अनुदान नहीं मिलता । धर्मशास्त्र कानून खगोलादि विषय सिखाने के लिए एक भी निजी सस्था नहीं है । एक फेनम से लेकर १ पेगोडा तक का मासिक शुल्क छात्र देते हैं । उस राशि से शालाओं का निर्वाह होता है ।

### सेलम

इस जिले में प्रजा द्वारा एक भी हिन्दू शाला नहीं चलती है । केवल एक ही मुस्लिम शाला के पास थोड़ी ज़मीन है जिसकी वार्षिक आय से २० प्रतिशत जितना आधार मिल जाता है । इस शाला के पूर्व के एक गुरु के पास छोटी ज़मीन जागीरदारी थी उससे ५६ रुपए वार्षिक आय होती थी किन्तु उस गुरु की मृत्यु के बाद उसकी आजीवन जागीरदारी का अंत हो गया । शाला में ३ से ५ वर्ष तक की शिक्षा दी जाती है । हिन्दु शालाओं में प्रत्येक छात्र से वार्षिक शुल्क ३ रुपये से कम नहीं लिया जाता जब कि मुस्लिम शालाओं में १५ से २० रुपए तक का वार्षिक व्यवहार रहता है । धर्मशास्त्र कानून खगोल पढानेवाले २० जितने शिक्षकों के लिए इनामी ज़मीन से १ १०९ रु की वार्षिक आय होती थी । वर्तमान के प्राध्यापक अपना कर्तव्य निभाते हैं । पूर्व के वर्षों में इसी हेतु के लिए जमीनों से प्राप्त वार्षिक आय ३८४ रुपयों से उपर्युक्त शिक्षा का निर्वाह खर्च हो पाता था किन्तु ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना देश में होने से पहले यह ज़मीन अलग की गई और उससे होनेवाली आमदनी को राज्य की राजस्व आय में जोड़ दी गई ।

### तजावुर

जिले में स्थित शालाओं में ४४ शालाओं में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । शेष शालाओं में प्रति छात्र मासिक ४ फेनम के दर से होनेवाली आमदनी से निर्वाह होता है ।

लगभग १९ मिशनरी शालाओं में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । ऐसा लगता है कि इस सूची में बहुत सी शालाओं की सख्या का समावेश नहीं किया गया । २१ शालाओं में गुरुजनों को राजाओं की ओर से वेतन प्राप्त होता है और एक शाला ५ शिक्षकों का निर्वाह खर्च त्रिवेन्द्रोर पेगाडा धर्म सस्थान के द्वारा किया जाता है । शेष



२३ शालाओं में शिक्षक नि शुल्क अध्यापन करते हैं। राज्य की ओर से व्यक्तितगत रूप से कोई शाला निर्माई नहीं जाती। केवल तजापुर की एक मिशन आधारित शाला के लिए एक गाँव की सुवर्णजयती महोत्सव के उपलक्ष्य में हुई १ १०० रु की आय शाला के खर्च के लिए दी गई है। छात्रों को लगभग पाँच वर्ष तक शाला में अध्ययन करना होता है। १०९ कॉलेज हैं जिनमें ९९ में नि शुल्क शिक्षा दी जाती है। इनमें ७१ शालाओं का निर्वाह तजापुर के राजा और राजा के १६ गाँवों की ओर से होता है। १६ शालाओं में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। एक शाला का निर्वाह एक मठ के द्वारा होता है। ७ शालाओं का खर्च पेगोडा धर्मसंस्थान उठाता है। तीन शालाएँ निजी दान दाताओं की ओर से चलती हैं। एक गाँव की निधि से चलाई जाती है। शेष दस कोलेज के शिक्षकों का वेतन आदि छात्रों के शुल्क से चलते हैं। ये कॉलेज केवल ब्राह्मणों के लिए ही हैं जिनमें हिन्दू शास्त्रों का अध्ययन करवाया जाता है। जिन गाँवों में शालाएँ हैं वही गाँव जनसंख्या सूची में बताये गये हैं। जिले की अन्य सामान्य जनसंख्या का उसमें समावेश नहीं किया गया है।

### त्रिभिनापत्नी

इस जिले में एक भी शाला या कॉलेज नहीं है जिसके लिए लोगों से निधि इकट्ठी की जाती हो। खगोल धर्मशास्त्र और अन्य शास्त्रों के लिए कोई संस्था नहीं है। अकेले जयलौर तहसील में सात शालाएँ हैं जिनका निर्वाह वहाँ की स्थानीय राज्यसंस्था करती थी। इसके लिए ४६ से ४७ कणी जमीन के द्वारा शिक्षकों का निर्वाहखर्च राज्य संस्था करती रही है।

सामान्य रूप से ७ से १५ वर्ष तक छात्र शाला में अध्ययन करता है। शिवा का वार्षिक खर्च औसतन ७ पेगोडा होता है।

### मदुरा

संगता है कि इस जिले में शाला के निर्वाह हेतु कोई भी ज़मीन दान में प्राप्त नहीं हुई है। शिक्षकों के वेतन हेतु अति गरीब छात्र से  $\frac{1}{2}$  फेनम तक का और अधिक सुखी छात्रों से मासिक २ से ४ फेनम शुल्क लिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक शिक्षक को ३० से ६० फेनम या  $3\frac{3}{4}$  पेगोडा जितनी मासिक राशि बड़े गाँवों से मिल जाती है तथा छोटे गाँवों से १० से ३० फेनम राशि प्राप्त होती है। छात्र को सामान्यतः ५ वर्ष की आयु में शाला में प्रवेश करवाया जाता है और १२ से १५ वर्ष की आयु पर वे शाला छोड़ देते हैं। इस जिले में कोई महाविद्यालय नहीं है। अप्रहारण

गाँवों में थोड़ी सी जमीन ब्राह्मणों को निर्वाह हेतु दी गई है। ये ब्राह्मण यहाँ वेदाभ्यास करते हैं और निशुल्क शिक्षा का कार्य भी करते हैं। जो छात्र उनके पास सीखने के लिए आते हैं उन्हें वे शिक्षा देते हैं।

### तिन्नेवेली

तिन्नेवेली में कोई भी विद्यालय दिखाई नहीं देता।

### फोडम्बतूर

इस जिले में सभी शालाएँ लोगों के सहयोग से चलती हैं। इन शालाओं में वहाँ के लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हैं। लोगों की स्थिति के अनुरूप हर छात्र से वार्षिक अधिकतम १४ रुपये से लेकर ३ रुपए न्यूनतम शुल्क लिया जाता है। शिक्षक अपने स्थायी वेतन के अतिरिक्त तयौहारों पर बच्चों के पालकों से भेंट आदि प्राप्त करते हैं। साथ ही विशेष अवसरों पर थोड़ी शुल्क की राशि भी इन शिक्षकों को प्राप्त होती है। ५ वर्ष की आयु में लड़कों को शाला में प्रवेश दिया जाता है और वे १३-१४ वर्ष की आयु तक वहाँ रहकर अध्ययन करते हैं। जो धर्मशास्त्र या कानून का अध्ययन करना चाहें वे १५ वर्ष की आयु में पाठशाला में जाते हैं। यहाँ कॉलेजों में यथावसर जाकर अलग अलग शास्त्रों का गहरा अध्ययन नौकरी मिलने तक करते हैं। पूर्व के समय में कॉलेजों के निर्वाह के लिए दिये गये दान का विवरण सारिणी में है। अब यह राशि २२ ०८७ की तय की गई है।

### फनारा

किसी प्रकार की जानकारी नहीं है।

### मलबार

मलबार में केवल एक ही कॉलेज है। वहाँ अलग अलग शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है। इन सब की शिक्षा नीजी तौर पर होती है। निजी शिक्षकों को निश्चित राशि का वेतन नहीं मिलता है पर जब छात्र अपना अध्ययन पूरा कर लेते हैं तब शिक्षकों को उपहार देते हैं। शाला के शिक्षकों को प्रति मास  $\frac{1}{4}$  रुपए से ४ रुपए तक का शुल्क उनके नियमित वेतन के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से प्रति छात्र मिलता है। अभी कॉलेज है वह झामोरिन के राजा ने स्थापित की थी और अभी २ ००० रु की वार्षिक राशि छात्रों के और २०० रु राशि शिक्षक के निर्वाह के लिए झामोरिन के राजा की ओर से दी जाती है। थोड़ी ज़मीन भी कॉलेज को दी गई है। झामोरिन के राजा द्वारा प्रस्तुत इस कॉलेज के इतिहास का विवरण भी प्रस्तुत किया गया है।

## श्रीरंगपट्टम्

कहा जाता है कि श्रीरंगपट्टम् द्वीप स्थित कॉलेज और शालाओं के निर्वाह के लिए पूर्व की राज्य सरकारों की ओर से या व्यक्तियों की ओर से जमीन बाँटी गई थी। ऐसी टिप्पणी का अंशमात्र भी रेकर्ड पर दिखाई नहीं देता। शाला के शिक्षकों का निर्वाह उनके छात्रों द्वारा होता है। हर छात्र के लिए औसतन मासिक शुल्क ५ आने है। इस आय से शिक्षकों को वार्षिक ५७ रूपए जितनी राशि मिलती है।

## मद्रास (चेन्नई)

इस टिप्पणी में दो प्रकार की शालाओं का वर्णन किया गया है। एक हिन्दू और मुसलमान बच्चों की शिक्षा हेतु ग्राम्य शालाएँ और दूसरी धर्मार्थ शालाएँ जिनमें अलग अलग धर्म और जाति के छात्रों की शिक्षा होती है। ग्राम्य शालाओं में ५ वर्ष की आयु में बच्चे का प्रवेश हो जाता है फिर परिस्थिति के अनुसार उनकी पढ़ाई होती है। कहा जाता है कि १३ वर्ष की आयु तक शिक्षा के भिन्न भिन्न विषयों में आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। समाहर्ता के कथनानुसार धर्मार्थ शालाओं के अतिरिक्त लोगों द्वारा चलनेवाली एक भी शाला नहीं है। प्रत्येक छात्र से शिक्षक को वार्षिक १२ पेंगोडा से अधिक वेतन शायद ही मिलता है। गरीब ब्राह्मणों के बच्चों को अलग अलग विषयों की शिक्षा नि शुल्क दी जाती है। कभी कभी शिक्षकों को पारिश्रमिक मिलता है। सूची देखते हुए लगता है कि चेन्नई की जनसंख्या का अनुमान बहुत ही ऊँचा है। ऐसा सोचने के लिए पर्याप्त कारण भी मिलता है क्योंकि शिक्षा प्राप्त करनेवाली संख्या और शालाओं की संख्या का अनुपात बहुत ही नीचा है।

३०

सर टॉमस मनरो की टिप्पणी मार्च १० १८२६

(फोर्ट सेंट ज्योर्ज राजस्व विभाग)

१ २ जुलाई १८२२ के दिन सरकार के राजस्व विभाग के सदस्यों को सूचित किया गया कि प्रांतों में शिक्षा की स्थिति तथा शालाओं की संख्या की जानकारी प्राप्त करें। इससे उनके गत वर्ष के २१ फरवरी के पत्र द्वारा कई समाहर्ताओं से प्राप्त जानकारी के अनुरूप बोरठ ने विवरण दिया। इस विवरण के आधार पर पता चला कि इस इलाके की शालाएँ जिन्हें लोग महाशालाएँ मानते हैं उनकी संख्या १२ ४९८ है।

इलाके की जनसंख्या १ २८ ५० ९४९ है। अर्थात् प्रत्येक १ ००० की जनसंख्या पर एक शाला है किन्तु बहुत ही कम संख्या में बालिका शिक्षा दिए जाने से हम मान सकते हैं कि ५०० की जनसंख्या पर एक शाला है।

२ रेवन्यू बोर्ड ने लिखा है कि १२ करोड़ ५० लाख की जनसंख्या में केवल १ ८८ ००० व्यक्तियों ने अर्थात् प्रति ६७ व्यक्तियों में केवल एक व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त की है। समस्त जनसंख्या के हिसाब से यह सच है तथापि पुरुषों की गिनती को देखते हुए शिक्षा की मात्रा अधिक है। अगर हम विवरण में बताई गई सारी जनसंख्या १ २८ ५० ००० से स्त्री वर्ग को आधा कम कर लें तो पुरुष वर्ग की जनसंख्या ६४ २५ ००० की होती है। अगर हम पुरुष वर्ग के ५ वर्ष तथा १० वर्ष की आयु के बच्चों को गिनें तो जिस आयु के अन्तर्गत बच्चे सामान्य प्रकार से शाला में पढाई करते हैं - अर्थात् पुरुषों की जनसंख्या का  $\frac{1}{4}$  हिस्सा ७ १३ ००० होता है। यह ऐसे आकड़े हैं जिसमें १० वर्ष की आयु के सभी लड़कों ने शिक्षा प्राप्त की हो। तथापि शाला में जानेवाले लड़कों की संख्या का आकड़ा १ ८४ ११० का अथवा तो उपर्युक्त लड़कों की संख्या के  $\frac{1}{4}$  से थोड़ा अधिक है। वैसे ५ से १० वर्ष की आयु में ये शिक्षा प्राप्त करते हैं फिर भी कई १० वर्ष की आयु होते होते अपनी पढाई अधूरी छोड़ देते हैं। तथापि मैं ऐसा अनुमान करता हूँ कि पुरुष वर्ग का जो हिस्सा शिक्षा प्राप्त कर रहा है वह समूची पुरुष जनसंख्या का  $\frac{1}{4}$  का हिस्सा नहीं है किन्तु  $\frac{1}{9}$  जितना होना चाहिए। क्योंकि घर में शिक्षा प्राप्त करनेवाले लड़कों की संख्या २६ ९६३ होती है। अर्थात् शालाओं में पढनेवाले लड़कों की संख्या की अपेक्षा यह लगभग पाँच गुनी है। वस्तुतः यह आकड़े दोषयुक्त लगते हैं। प्रदेश में निजी तौर से शिक्षा प्राप्त करनेवाले लड़कों की संख्या का दर इतना लगता नहीं है। यह भी निश्चित है कि घर में लड़कों को उनके सगे-सबन्धी तथा निजी शिक्षकों के द्वारा पढाने की पद्धति का भी स्वीकार करना चाहिए। शिक्षा की मात्रा अलग अलग वर्गों में अलग अलग है कई वर्गों में तो पूर्ण है जबकि कई वर्गों में शायद  $\frac{1}{4}$  जितना हिस्सा ही होगा।

३ हमारे राज्य की तुलना में यहाँ शिक्षा की स्थिति गिरी हुई है किन्तु अन्य यूरोपीय देशों की अपेक्षा शिक्षा का अनुपात काफी अच्छा है। प्राचीन समय में वह काफी अच्छी स्थिति में थी किन्तु विगत शताब्दी में यहाँ की शिक्षा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई नहीं देता। युद्ध तथा अन्य कारणों से बस्ती का स्थानांतरण होने से शालाओं की संख्या एक स्थान पर कम होती गई है तो अन्यत्र बड़ी है। बड़ी संख्या की शालाओं में शिक्षा की गिरावट दिखाई दी है क्योंकि सक्षम शिक्षकों की कमी के कारण शालाओं

में सख्या भी कम रहने लगी थी। प्रत्येक छात्र का मासिक शुल्क चार छ या अठ आने है। शिक्षक भी प्रतिमास ६-७ रुपए से ज्यादा उपार्जन नहीं कर सकते हैं। इस व्यवसाय में सुशिक्षित लोगों को आने के लिए इतना वेतन ठीक नहीं है। ऐसा भी कह सकते हैं कि शिक्षकों के साधारण अज्ञान के कारण अधिकांश शिक्षक बड़ी संख्या में छात्रों को शाला में आकर्षित नहीं कर सकते हैं परंतु शिक्षा की कमजोरी का प्रथम कारण है शिक्षा की माग की कमी प्रोत्साहन का अभाव और लोगों की गरीबी।

४ हाँ इन सब समस्याओं का निवारण हो सकता है। शिक्षा में बाधा बननेवाली मूल बात गरीबी है। इसके लिए राज्य को ही यह शिक्षा का बोझ उठा लेना चाहिए सामान्य य सरल शिक्षा देनी चाहिए। इन्हीं कारणों से सभी कार्यालयों में सुशिक्षित लोगों को रखे जान से शिक्षा को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

अतः आज जो स्थिति है उसकी अपेक्षा विशेष अच्छी स्थिति सुशिक्षित शिक्षकों के बिना संभव नहीं है। इस शिक्षक के व्यवसाय में जीवननिर्वाह उच्छी आय के बिना संभव नहीं है। अतः शिक्षकों को अच्छा वेतन राज्य सरकार से मिलना ही चाहिए। सभी उनकी आवश्यकताएँ पूरी हो पाएँगी और शेष साधन उनके अपने धर्म रोजगार से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार वे ज्ञान में सामान्य ग्रामीण शिक्षकों से श्रेष्ठ होंगे तो अनेक छात्र शाला की ओर आकर्षित होंगे और अपने आप उपार्जन की समस्या का निवारण भी होगा।

५ इस प्रकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक शाला शुरू करनी होगी। इस प्रकार की शाला के निर्माण के लिए घेम्बाई स्थित स्कूल बुक सोसायटी की समिति ने एक प्रस्ताव रखा है। २५ अक्टूबर १८२४ के पत्र में उनके दूसरे विवरण के साथ इसकी सिफारिश की है। मैं मानता हूँ कि उनके इन प्रस्तावों को सार्थक करने के लिए सरकारी खजाने से मासिक ७०० रु की राशि प्राप्त करने के वे अधिकारी हैं। इनमें ५०० रु की राशि मकान की लागत राशि के फूट के तौर पर और शिक्षकों के वेतन के लिए और २०० रु छापखाने की छपाई के लिए खर्च होनी चाहिए। मैं दूसरी यह बात भी सूचित करता हूँ कि राज्य को समाहर्ता के अधीन क्षेत्रों में दो मुख्य सरकारी शालाएँ शुरू करनी चाहिए। एक हिन्दुओं के लिए और दूसरी मुसलमानों के लिए। ऐसा करने से प्रत्येक तहसील में एक एक हिन्दू शाला शुरू करने से शिक्षक मिलेंगे। अतः प्रत्येक तहसील में एक और प्रति जिलेमें १५ जितने शिक्षकों की संख्या होगी। हमें हमारे मुसलमान भाईयों को भी शिक्षा का लाभ देने के लिए सहायक बनना होगा। शायद विशेष मात्रा में मुसलमानों को मदद करनी

चाहिए। क्योंकि उनकी बस्ती का बड़ा हिस्सा गरीब मध्यम वर्ग का है और आर्थिक हिस्सा ही धनिकों का है किन्तु उनकी सख्या हिन्दू जनसख्या की अपेक्षा  $1/2$  जितनी भी नहीं है। इन्हीं कारणों से अपवाद के रूप में आर्कोट और दूसरे समाहर्ताओं के अधीन प्रदेशों में एक से अधिक शाला निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। आर्कोट आदि जिलों में मुस्लिम बस्ती का प्रमाण और प्रदेशों की उनकी बस्ती की तुलना में जनसख्या की दृष्टि से अधिक ही है।

६ हमारे विशेष समाहर्ता के अधिकार में २० जितने प्रदेश हैं जहाँ तहसीलदारी का परिवर्तन हो सकता है। किन्तु अभी प्रत्येक समाहर्ता विभाग में १५ जितनी तेहसीलों की औसतन गिनती की गई है। इस प्रकार सब मिलाकर ३०० तेहसीलें होती हैं। इस प्रकार सूचित योजना के अनुरूप समाहर्ता के अधिकार के अंतर्गत राज्य की ४० शालाएँ और ३०० तेहसील शालाएँ निर्मित होंगी। समाहर्ता के अधिकार में राज्य की शालाओं में शिक्षक का वेतन १५ रुपए और तहसील कक्षा की शालाओं में ९ रुपए प्रत्येक शिक्षक को मिलेंगे। यह पारिश्रमिक कम है तथापि तेहसील शाला कक्षा के शिक्षक को इतना ही या इससे थोड़ा ज्यादा उनके छात्रों की ओर से मिलेंगे। इस प्रकार परिस्थिति को देखकर स्कॉटलेन्ड की पादरी स्कूलों के शिक्षक से इन शिक्षकों की स्थिति अच्छी रहेगी।

७ शालाओं का कुल खर्च निम्नानुसार रहेगा	रु
* धेन्नाई स्कूल-बुक सोसायटी का मासिक खर्च	७०० ००
* समाहर्ता के अधिकार की शालाएँ	
मुसलमान शाला सख्या २० के १५ रु के हिसाब से	३०० ००
* समाहर्ता अधिकार की हिन्दू शालाएँ शाला सख्या	
२० के १५ रु के हिसाब से	३०० ००
* तेहसीलदारी की ३०० शालाएँ ९ रु के हिसाब से	२७०० ००
इस प्रकार प्रत्येक महीने का कुल खर्च	४ ०००
और वार्षिक कुल खर्च होता है -	४८ ००० ००

यह खर्च तो अलग अलग समय में होगा क्योंकि आवश्यक सख्या के प्रशिक्षित शिक्षक मिलेंगे वैसे वैसे खर्च की राशि बढ़ती जाएगी। धेन्नाई स्कूल बुक सोसायटी और समाहर्ता के अधिकार क्षेत्र के स्कूलों का खर्च माननीय न्यायालय के आदेश प्राप्त करने से पूर्व मजूर करना होगा। यह राशि आधे लाख से कम नहीं होगी। इसके लिए हमें उनसे कोर्ट की मान्यता देने का निवेदन करना होगा। वर्तमान स्थिति को समाहर्ता के

विवरण से सहायता प्राप्त हो ऐसी कोई सुविधा नहीं है। २० ००० रु से अधिक राशि उससे प्राप्त नहीं हो सकती। इसमें से अत्यंत छोटा हिस्सा प्रजा से प्राप्त दानराशि का है जो प्रमुख तौर से धर्मशास्त्र कानून और खगोलशास्त्र के शिक्षकों का है। राज्य सरकार लोगों की शिक्षा के लिए जो कुछ भी खर्च करेगी यह देश की स्थिति का सुधार होने पर अच्छे प्रतिफल के साथ प्राप्त होगा। ज्ञान के प्रसार के साथ अच्छी आदतें उद्योगों का विश्वास जीवन में सुखसंपत्ति के लिए लोगों की विशेष रुचि और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न होगा और लोगों को समृद्धि का विश्वास होता रहेगा। ज्ञान के साथ यह सब कुछ जुड़ा हुआ है।

८ एक लोक शिक्षा समिति की रचना करना समीचीन होगा। उसका कार्यक्षेत्र (१) सार्वजनिक शाला निर्माण करना और उसकी देखभाल करना (२) उसके लिए आवश्यक स्थल तय करना (३) उसमें उपयोग में लिए जानेवाले प्रकाशन तय करना (४) गाँवों के लोगों को किस प्रकार अच्छी शिक्षा दी जा सके वह देखना और महत्वपूर्ण विषयों पर इन सब जाघों के परिणामों की जानकारी राज्य सरकार को देना होगा।

९ स्कूल बुक सोसायटी के इस परिश्रम से तत्काल लाभ हो जाएगा इस भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो उसका कार्यक्षेत्र लोगों को शिक्षा देने का और शिक्षकों को प्रशिक्षित करनेका है। वह अधिक व्यक्तियों के लिए बढ़ाया नहीं जा सकेगा। वह शालाओं तक सीमित रहेगा और क्रमशः उसकी माँग (शिक्षा व शाला) बढ़ने से उसका प्रसार भी होगा। शिक्षा से पैसा और पद प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति और लोगों की स्थिति में सुधार होता है। लोगों के लिए वे पैसे खर्च कर सकते हैं यह ज्ञान होने पर शिक्षा की माग बढ़ेगी किन्तु जिन्हें शिक्षा ग्रहण करनी ही नहीं है उन्हें या जो लोग उनके बच्चों के लिए शिक्षा का खर्च नहीं कर पाते हैं उन्हें शिक्षा दे पायेंगे ऐसा होने पर उनमें ज्ञान की भूख जगेगी और परोक्ष रूप से शिक्षा का भी प्रसार होगा। अगर हम लोगों को शिक्षा देने का सकल्प करें और हमारे बायों को यथावत रखें और यदि हम तेहत्तीलपारी तक शालाएँ सीमित न रखते हुए छोटे प्रदेशों में उनकी संख्या बढ़ा देंगे तो मुझे विश्वास है कि हम इस पुरुषार्थ में सफल रहेंगे। किन्तु इसके साथ में कोलकता बुक सोसायटी के पाँचवें विवरण में बताए गए मत के साथ सहमत हूँ कि उसकी यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी रहनी चाहिए। आनेवाली पीढ़ी अपना सुधार प्रदर्शित कर सके उससे पूर्व इस प्रक्रिया में अनेक वर्ष भीत जाएँगे।

(हस्ता)

टोमस मनरो

## ४ फ्रा पाओलीनो द बार्टोलोमियो भारत मे बच्चो की शिक्षा के विषय मे

सभी ग्रीक इतिहासकार भारत के लोगों को अन्य देशों के लोगों की अपेक्षा बड़े कद के और मजबूत गठन के बताते हैं। यद्यपि सामान्यतः यह सच नहीं है तो भी इतना तो अवश्य है कि शुद्ध हवा स्वास्थ्यप्रद भोजन समयपूर्ण आचरण और शिक्षा ने असाधारण रूप में शारीरिक सौष्ठव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका नवजात बालक उपेक्षित की तरह भूमि पर पड़ा रहता है। बच्चे को यूरोप की तरह सुरक्षित नहीं रखा जाता है। इसलिए इन बच्चों के अगुआग मुक्त रूप से विकसित होते हैं उनके ज्ञानतनु और हड्डियाँ और भी ठोस तथा सशक्त बनती हैं। जब ये बच्चे युवावस्था को प्राप्त होते हैं तब उन्हें सुंदर शरीर सौष्ठव प्राप्त हुआ होता है इतना ही नहीं खास कर किसी भी प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल आरोग्य और गठन प्राप्त हुआ होता है। उन्हें पानी से बार बार स्नान नारियल के तेल से और इन्जिया नामक पौधे के रस से बार बार मर्दन ग्रीस के जुवेनिलिया जैसा व्यायाम आदि शक्ति और स्फूर्ति बढ़ाते हैं। ये सब लाभ कभी नष्ट ही नहीं होते स्वयं व्यभिचारी न बन जाएँ या बहुत ही मेहनत मजदूरी करके अतिशय परिश्रम करके पसीना बहाकर अपने शरीर को कमजोर न बना दें तो ये शक्ति और स्फूर्ति हमेशा बने रहते हैं। चाहे कितना भी सुंदर स्वास्थ्य और प्राप्तिशक्ति हो जो भारतीय युवान बीस वर्ष की आयु को पहुँचने से पूर्व विवाह कर लेते हैं उनमें से अधिकांश निरंतर कमजोर और नामर्द बन जाते हैं। एक ही शब्द में कहा जाए तो मैंने भारत में शायद ही लगभग विकृत बेढगे आदमी देखे हों। मलबार में पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश में बसनेवाले लोग कोरोमरुल के ग्रामजनों की अथवा पूर्व किनारे पर बसनेवाले तमिल लोगों की अपेक्षा ज्यादा सुन्दर और सशक्त हैं।

भारत के लड़कों के लिए शिक्षा यूरोप के समान मँहगी नहीं है। अधिक सारी भी है। यहाँ अर्धनग्न बच्चे नारियल के पेड़ के नीचे झुकते होते हैं जमीन पर पक्ति में बैठ जाते हैं और उन्हें दौरे हाथ की ऊँगली से बालू में अक्षरों की लिखावट करवाई



जाती है। जब और कुछ लिखना हो तो माँए हाथ से उसे मिटाकर रेत को समतल बनाकर फिर से लिखवाया जाता है। लेखन सिखानेवाले शिक्षक को अभीअन या 'एलुतासीन' कहा जाता है जो छात्रों के सम्मुख अपनी बैठक लेते हैं। छात्रों ने जो किया उसे वे जाचते हैं गलती बताई जाती है और कैसे सुधार किया जाता है वह भी उन्हें समझाया जाता है। शिक्षक सर्वप्रथम उन्हें खड़े करके उपस्थिति लेते हैं। इन छोटे छात्रों ने लिखने की कुछ तैयारी की होती है तब शिक्षक अपने आसन मृगधर्म व्याघ्रधर्म पर पालथी लगाकर बैठते हैं या नारियेल के पर्तों से बनी घटाई पर बैठते हैं या कभी जगली अनानस के छिलकों से बनी घटाई जिसे 'कझड़ा' कहते हैं उस पर बैठते हैं। जीसस क्राइस्ट के जन्म से २०० वर्ष पूर्व लेखन की यह पद्धति शुरू की गई थी ऐसा मेगैस्थनिज के प्रमाणों से पता चलता है। आज तक यह परंपरा घालू है। भारतीय लोगों के समान विश्व के और किसी भी देश में यह प्राचीन पद्धति घालू हो यह दिखाई नहीं देता।

मलबार में प्रति मास शाला के शिक्षक को प्रत्येक छात्र से दो फेनम या पानम मिलते हैं। उन्हें चावल की थोड़ी मात्रा दी जाती है। इससे छात्रों के माता पिता को यह खर्च महन करना आसान हो जाता है। कई शिक्षक छात्रों को बिना दक्षिणा लिये पढ़ाते हैं। उन्हें मंदिर के प्रमुख प्रशासकों द्वारा या जाति के प्रमुख द्वारा वेतन दिया जाता है। जब छात्रों ने लेखन में अच्छी प्रगति की होती है तो उन्हें 'हथुपल्ली' नामकी शालाओं में प्रवेश दिया जाता है। यहाँ वे तारुपत्र पर लिखना आरम्भ करते हैं। जब ऐसे कई तारुपत्र लेखन से भर जाते हैं तब दोनों ओर मोटे गत्तों से बाध दिए जाते हैं। यहाँ से ग्रथ अर्थात् भारतीय पुस्तकों का निर्माण होता है। लोहे की कलम के द्वारा लिखा गया हो तो वह ग्रथावली या लेख्य कहा जाता है। जिनकी लिखाई नहीं हुई है वह अलेख्य रूप से अलग पहचाना जाता है।

जब गुरु या शिक्षक शाला में प्रवेश करते हैं तब विद्यार्थी उन्हें अत्यंत विनय और सम्मान से मिलते हैं। उनके विद्यार्थी उन्हें साहाय्य दण्डवत प्रणाम करते हैं अपना दाहिना हाथ मुँह पर रखते हैं तथा शब्द भी बोलने का साहस नहीं करते पर जब गुरु बोलने की अनुमति देते हैं तभी बोलते हैं। जो बोलते रहते हैं अनुशासन का पालन नहीं करते उन्हें शाला से विदा कर दिया जाता है क्योंकि ऐसे विद्यार्थी अपनी दापी पर समय न रख सकने के कारण तत्पश्चान के अध्ययन के लिए योग्य नहीं माने जाते। इस प्रकार गुरुजन सदा सम्मान प्राप्त करते हैं। शिष्य भी आज्ञाकारी होते हैं। जो नियम अत्यंत सावधानी से गठित किए गए होते हैं उसका सख्तान दिलकुल नहीं किया

जाता। शिक्षकनाम जो प्रमुख विद्याएँ पढ़ाते हैं वे इस प्रकार हैं।

(१) लेखन और पैसों का हिसाब

(२) सस्कृत व्याकरण जिसमें शब्दक्रम और शब्दों को संयोजित करने के नियम होते हैं। मलबार में उन्हें सिद्धरूप कहते हैं जबकि बंगाल में इन्हें सारस्वत या सुष्ठु भाषण की कला के रूप में जाना जाता है।

(३) व्याकरण के दूसरे विभाग में काव्यरचना के नियम सिखाये जाते हैं। इसे व्याकरण की पुस्तक कहते हैं।

(४) अमरसहिता वह पुस्तक है जो ब्राह्मण शब्दकोष है। यह कार्य जिसके लिए ब्राह्मण अत्यंत पूज्यभाव रखते हैं वह एकटिल द पेरोन कहते हैं तीन नहीं अपितु चार विभाग में विभाजित है। उसमें देव से संबंधित सब शास्त्र अलग अलग विषयों के शास्त्र रग ध्वनि पृथ्वी सागर नदियों मनुष्य प्राणी सब कलाएँ तथा भारत के व्यवसायों के विषयों का समावेश होता है। सस्कृत काव्यरचना के लिए और उसे प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करनेवाले छात्रों को परिचित ऐसे शब्दों में गुरुजन छोटे वाक्यों में पक्ति रचना सिखाते हैं। श्लोक कहे जाते हैं। यह श्लोक सस्कृत शब्द संयोजित कैसे किए जाते हैं वह समझाता है। साथ ही उसमें सुंदर नीति संदेश भी होता है। इस प्रकार खेल खेल में ही बालकों के कोमल मस्तिष्क में भाषा सिखाते सिखाते योग्य वाक्य रचना कैसे हो उसका ज्ञान तथा भविष्य में उनका धरित्र गठन हो उसके लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। ब्राह्मणों के नीति विचारों का कुछ संकेत पाठकों को प्राप्त हो इस लिए यहाँ मैं ऐसे वाक्यों के प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ।

(१) अगर ज्ञान और भय की समझ जो कि सही समझदारी है वही नहीं आती तो अध्ययन का क्या प्रयोजन है ?

(२) अगर हम मित्रता का आनंद परस्पर शुभेच्छा और हमारे निवास में कोई अतिथि का सत्कार नहीं करते हैं तो जंगल का हमारा निवास त्याग कर बड़े नगरों में और शहरों में हम आकर बसे हैं इसका क्या तात्पर्य है ?

(३) आग या तलवार के घाव मिट जाते हैं किन्तु जिह्वा के कटुवाणी के घाव ज्यादा दुःख होते हैं। वाणी के घाव भरना मटा कठिन होता है।

(४) तेरे घर का द्वार बंद करने से कुछ नहीं होगा तुम्हारी पत्नी ने स्वयं सावधान (आत्मरक्षा के लिये) बनना आवश्यक है।

(५) जो व्यक्ति वैर का बदला लेता है उसका आनंद एक दिन का रहता है किन्तु जो क्षमा देता है उसे जीवन भर सतोष प्राप्त होता है।

(६) विनम्र बनना प्रत्येक के लिए उचित है परन्तु विद्वान तथा धनवान के लिए तो वह आभूषण है।

(७) विवाहित युगल जो परस्पर सम्मान सदगुण और एकदूसरे के प्रति कर्तव्य से विमुख नहीं होते हैं वह कठिन तपश्चर्या के समान ही है।

उद्यान में या जहाँ पवित्र स्थान है वहाँ बघों को पढ़ाया जाता है। वहाँ शिवलिंग की स्थापना होती है। सभी भारतीय उसका पूजन नहीं करते हैं किन्तु जो लोग उसकी पूजा करते हैं वे शैव कहलाते हैं। ये शैव संप्रदाय के लोग हैं। शिवजी के रूप में वे अग्नि के उपासक होते हैं। वे मानते हैं कि समूचा ससार उसकी सृजनशक्ति से निर्मित हुआ है। उपर्युक्त प्रतिमाओं के अतिरिक्त अन्य दो प्रतिमाओं की स्थापना भी शाला के द्वार पर की जाती है। उसमें एक प्रतिमा गणेशजी की है। गणेशजी सभी विद्या के और विद्वानों के सरक्षक माने गए हैं। दूसरी मूर्ति सरस्वती देवी की रहती है। यह देवी वाणी और इतिहास की देवी के रूप में पूजी जाती है। शाला में प्रवेश करते समय प्रत्येक छात्र की दृष्टि इन दोनों प्रतिमाओं की ओर जाती है। वे हाथ जोड़कर मस्तक ऊँचा करके दोनों प्रतिमाओं के समक्ष प्रार्थना करके उनके प्रति पूज्य भावना और सम्मान प्रदर्शित करते हैं। गणेशजी को वे जिन शब्दों से वंदन करते हैं वे शब्द हैं : सदगुरवे नम - हे सदगुरु आपको प्रणाम है गणपतये नमः - हे गणेशजी आपके नमस्कार है। यह एक प्रकार की मूर्तिपूजा है - किन्तु यह आदत इतना तो अवश्य कहती है कि भारत के लोग अपने बघों को बचपन से ही इन देवों को अपने रक्षक और शुभदाता हैं ऐसा बताकर समझाते हैं कि उन्हें पूजना चाहिए उनका सम्मान करना चाहिए। माकिर्विस ऑफ क्लगरी जो कैलिफोर्निया नौकर युद्ध सेना के अध्यक्ष हैं वे कहते हैं जिनको धर्म की शक्ति और धार्मिक मान्यता का असर क्या है वह जानना है उन्हें अवश्य भारत जाना चाहिए। यह निरीक्षण सर्वथा यथार्थ है क्योंकि २००० भारतीयों में से शायद ही आप एक या दो ऐसे व्यक्ति देखेंगे जिन्हें इस प्रकार की देवपूजा की आवश्यकता में श्रद्धा न हो। भारत के इन ग्रामजनों को देवों को भजने के लिए सर्वाधिक बड़ा प्रेरक बल है शिक्षा। अचलों की जलवायु भी एक बल है।

भारतीय लड़कों को सिखाए जानेवाले अन्य विषयों में कविता तलवारबाजी पट्टेबाजी वनस्पति विज्ञान और औषधिविज्ञान है वैद्यक या भेषजशास्त्र है। नौका चलाने के लिए नौशास्त्र है। खड़े रहकर जाल फेंकने की विद्या (हस्तिलुधिरम) (गेंद) खेलने की कला (कुन्दर) (पडाकाली) शतरंज (क्युडरंगम) टेनिस (कोलाडी) तर्कशास्त्र (तर्कसंग्रह : ज्योतिष कानून और स्वाध्याय तथा मौन। शल्य चिकित्सा

शरीर विज्ञान और भूगोल जैसे विषयों को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। भारत के लोग मानते हैं कि उनका देश विश्व में सर्वाधिक सुंदर और सुखी देश है। इसी वजह से विदेशी राज्यों के साथ विशेष परिचय बनाने में वे उत्साहित नहीं होते। धर्म के आदेश के अनुरूप मासाहार का संपूर्ण त्याग मद्यनिषेध प्राणियों के शिकार के लिए और अदर के अययवों की रचना की जानकारी के लिए होनेवाली चीरफाड़ पर पाबंदी है।

भारतीय कविता के लिए मैंने सस्कृत व्याकरण की टिप्पणी में कहा ही है और उससे आगे की टिप्पणी इसके बाद दूगा। उनकी समुद्र यात्रा केवल उनकी नदियों तक ही सीमित है। साधारणतः प्रदेश की जमीन पर रहनेवाले भारतीयों को समुद्रयात्रा में बड़ी अरुचि है। युद्ध में तोपों का उपयोग नहीं होता है। जिन युद्धों में और जिसमें कौशल की विशेष आवश्यकता रहती है वैसे युद्ध में उनका अभ्यास बना रहे पुर्तूगी लौटे और सुदृढ युवा मिले इस हेतु से भाले तलवार गेंद के खेल और टेनिस जैसे विषय शिक्षा में जोड़ लिए गए हैं। कला व्यायाम और विद्याशास्त्रों के लिए विशेष शिक्षक रखे गए हैं। गुरुजन के प्रति विशेष सम्मान का व्यवहार होता है। वर्ष में दो बार प्रत्येक शिक्षक को रेशमी कपड़ा दिया जाता है जिसका उपयोग वे वर्षों के लिए करते हैं। इस उपहार को 'सम्मान' के तौर पर पहचाना जाता है।

बारह वर्ष की आयु की सभी शूद्र जातिकी नायर जातिकी कन्याओं को घर पर ही रहना होता है। जब कभी उन्हें बाहर जाना है तो अपनी माँ या चाची मौसी के साथ वे जाती हैं। उन्हें घर में और विशेष रूप से अंत गृह में रहना होता है। वहाँ कोई भी पुरुष नहीं जा सकता। नौ साल की आयु में लड़कों को बड़े समारोहपूर्वक उनके बाप-दादे के व्यवसाय में दीक्षा दी जाती है। वह अपना व्यवसाय कभी छोड़ता नहीं है। इस प्रकार के नियम जिसका निर्देश डियोडोरस सिक्वुलेस स्ट्रेबो और आरीन और अन्य ग्रीक लेखकों के लेखों में मिलता है जिसे पालना बहुत ही कठिन है किन्तु दूसरी ओर समाज व्यवस्था के लिए कलाओं के लिए अन्य शास्त्रों के लिए और धर्म के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। इसी प्रकार एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकता। इससे होता यह है कि भारतीय सामान्य और इधर उधर का ज्ञान देनेवाली शिक्षा पद्धति नहीं अपनाते हैं। पूरी शिक्षा उसी परिस्थिति और उनका दायित्व और वर्तव्य जीवनभर निभाने तथा बचपन से ही अपने जातिगत व्यवसाय में जीवनभर प्रवृत्त रहने के लिये ही है। जैसे कि ग्राहण को बचपन से ही पढ़ने लिखने के व्यवसाय में माहिर कर दिया जाता है और समावर्तन के

(६) दिनम्र बनना प्रत्येक के लिए उचित है परन्तु विद्वान तथा धनवान के लिए तो वह आभूषण है।

(७) विवाहित युगल जो परस्पर सम्मान सदगुण और एकदूसरे के प्रति कर्तव्य से विमुख नहीं होते हैं वह कठिन तपश्चर्या के समान ही है।

उद्यान में या जहाँ पवित्र स्थान है वहाँ बघों को पढाया जाता है। वहाँ शिवलिंग की स्थापना होती है। सभी भारतीय उसका पूजन नहीं करते हैं किन्तु जो लोग उसकी पूजा करते हैं वे शैव कहलाते हैं। ये शैव संप्रदाय के लोग हैं। शिकजी के रूप में वे अग्नि के उपासक होते हैं। वे मानते हैं कि समूचा ससार उसकी सृजनशक्ति से निर्मित हुआ है। उपर्युक्त प्रतिमाओं के अतिरिक्त अन्य दो प्रतिमाओं की स्थापना भी शाला के द्वार पर की होती है। उसमें एक प्रतिमा गणेशजी की है। गणेशजी सभी दिशा के और विद्वानों के सरक्षक माने गए हैं। दूसरी मूर्ति सरस्वती देवी की रहती है। यह देवी वाणी और इतिहास की देवी के रूप में पूजी जाती है। शाला में प्रवेश करते समय प्रत्येक छात्र की दृष्टि इन दोनों प्रतिमाओं की ओर जाती है। वे हाथ जोड़कर मस्तक ऊँचा करके दोनों प्रतिमाओं के समक्ष प्रार्थना करके उनके प्रति पूज्य भावना और सम्मान प्रदर्शित करते हैं। गणेशजी को वे जिन शब्दों से वचन करते हैं वे शब्द हैं : सदगुरवे नम - हे सदगुरु आपको प्रणाम है गणपतये नमः - हे गणेशजी आपसे नमस्कार है। यह एक प्रकार की मूर्तिपूजा है - किन्तु यह आदत इतना तो अवश्य कहती है कि भारत के लोग अपने बघों को बघपन से ही इन देवों को अपने रक्षक और शुभदाता हैं ऐसा बताकर समझाते हैं कि उन्हें पूजना चाहिए उनका सम्मान करना चाहिए। मार्क्सेस ऑफ करगेरी जो केलिफोर्निया युद्ध सेना के अध्यक्ष हैं वे कहते हैं जिनको धर्म की शक्ति और धार्मिक मान्यता का असर क्या है वह जानना है उन्हें अवश्य भारत जाना चाहिए। यह निरीक्षण सर्वथा यथार्थ है क्योंकि २००० भारतीयों में से शायद ही आप एक या दो ऐसे व्यक्ति देखेंगे जिन्हें इस प्रकार की देवपूजा की आवश्यकता में श्रद्धा न हो। भारत के इन ग्रामजनों को देवों को भजने के लिए सर्वाधिक बड़ा प्रेरक बल है शिक्षा। अघलों की जलवायु भी एक बल है।

भारतीय लड़कों को सिखाए जानेवाले अन्य विषयों में कविता तलवारबाजी पट्टेबाजी वनस्पति विज्ञान और औषधिविज्ञान है वैद्यक या भेषजशास्त्र है। नौका चलाने के लिए नौशास्त्र है। खड़े रहकर जाल फेंकने की विद्या (हस्तिलुधिचम) (गेंद) खेलने की कला (कुन्दर) (पञ्चकाली) शतरंज (वयुडरगम्) टेनिस (कोरलाडी) तर्कशास्त्र (तर्कसंग्रह : ज्योतिष कानून और स्वाध्याय तथा मौन। शल्य चिकित्सा

शरीर विज्ञान और भूगोल जैसे विषयों को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। भारत के लोग मानते हैं कि उनका देश विश्व में सर्वाधिक सुंदर और सुखी देश है। इसी वजह से विदेशी राज्यों के साथ विशेष परिचय बनाने में वे उत्साहित नहीं होते। धर्म के आदेश के अनुरूप मासाहार का संपूर्ण त्याग मद्यनिषेध प्राणियों के शिकार के लिए और अदर के अवयवों की रचना की जानकारी के लिए होनेवाली घोरफाट पर पाबंदी है।

भारतीय कविता के लिए मैंने संस्कृत व्याकरण की टिप्पणी में कहा ही है और उससे आगे की टिप्पणी इसके बाद दूंगा। उनकी समुद्र यात्रा केवल उनकी नदियों तक ही सीमित है। साधारणतः प्रदेश की ज़मीन पर रहनेवाले भारतीयों को समुद्रयात्रा में बड़ी अरुचि है। युद्ध में तोपों का उपयोग नहीं होता है। जिन युद्धों में और जिसमें कौशल की विशेष आवश्यकता रहती है वैसे युद्ध में उनका अभ्यास बना रहे फुर्ती लौटे और सुदृढ़ युवा मिले इस हेतु से भाले तलवार गेंद के खेल और टेनिस जैसे विषय शिक्षा में जोड़े लिए गए हैं। कला ध्यायाम और विद्याशास्त्रों के लिए विशेष शिक्षक रखे गए हैं। गुरुजन के प्रति विशेष सम्मान का व्यवहार होता है। वर्ष में दो बार प्रत्येक शिक्षक को रेशमी कपड़ा दिया जाता है जिसका उपयोग वे वर्षों के लिए करते हैं। इस उपहार को 'सम्मान' के तौर पर पहचाना जाता है।

बारह वर्ष की आयु की सभी शूद्र जातिकी नायर जातिकी कन्याओं को घर पर ही रहना होता है। जब कभी उन्हें बाहर जाना है तो अपनी माँ या घाची मौसी के साथ वे जाती हैं। उन्हें घर में और विशेष रूप से अंत गृह में रहना होता है। वहाँ कोई भी पुरुष नहीं जा सकता। नौ साल की आयु में लड़कों को बड़े समारोहपूर्वक उनके बाप-दादे के व्यवसाय में दीक्षा दी जाती है। वह अपना व्यवसाय कभी छोड़ता नहीं है। इस प्रकार के नियम जिसका निर्देश डियोडोरस सिब्युलेस स्ट्रेबो और आरीन और अन्य ग्रीक लेखकों के लेखों में मिलता है जिसे पालना बहुत ही कठिन है किन्तु दूसरी ओर समाज व्यवस्था के लिए कलाओं के लिए अन्य शास्त्रों के लिए और धर्म के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। इसी प्रकार एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकता। इससे होता यह है कि भारतीय सामान्य और इधर उधर का ज्ञान देनेवाली शिक्षा पद्धति नहीं अपनाते हैं। पूरी शिक्षा उसी परिस्थिति और उनका दायित्व और कर्तव्य जीवनभर निभाने तथा बचपन से ही अपने जातिगत व्यवसाय में जीवनभर प्रवृत्त रहने के लिये ही है। जैसे कि ब्राह्मण को बचपन से ही पढ़ने लिखने के व्यवसाय में माहिर कर दिया जाता है और समावर्तन के

समय प्रथम उसे उपस्थित रहकर सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण की गिनती का काम कानून का अध्ययन धार्मिक कर्मकाण्ड तथा धर्म सस्कार कराने के लिए इस प्रकार की वेद विहित क्रियाएँ करनी होती हैं। अतः वेद का ज्ञान उन्हें होना जरूरी है। दूसरी ओर वैश्य अपने लहकों को कृषि विषयक ज्ञान देते हैं तथा क्षत्रियों को राज्यप्रशासन और सेना प्रशिक्षण के लिए शस्त्रविद्या का अध्ययन करना होता है शूद्रों को यत्रविद्या मछली पकड़ने का कार्य बागवानी तथा बनियों के बघों को व्यवसाय का ज्ञान करवाया जाता है।

इस प्रकार की व्यवस्था से बहुत से प्रकार के ज्ञानका प्रसारण केवल व्यक्ति के घले के लिए ही नहीं तो पीढ़ी-दर पीढ़ी चलता है। इससे उनकी पीढ़ियों में ज्ञान का सुधार होता है और उनके व्यवसाय को पूर्णता के शिखर तक पहुँचाया जा सकता है। महान सिकन्दर के समय में भारतीयों ने यत्र कला में इतनी कुशलता प्राप्त की थी कि उसका सेनानायक नीअरकस यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया था क्योंकि भारतीयों ने ग्रीक सैनिकों के आक्रमण को रोकने के लिए अद्भुत कुशलता से सामना किया था एक बार मुझे ऐसी ही स्थिति का अनुभव हुआ था। एक भारतीय कारीगर को मैंने पुर्तगाल में बना एक सुंदर लैंप दिया था। कुछ दिन के बाद ठीक वैसा ही दूसरा लैंप बनाकर वह कारीगर मुझे दे गया और मैं दोनों लैंप में असली लैंप कौन सा है यह पहचान नहीं पाया। जब से विदेशी विजेताओं ने स्थानीय राज्यकर्ताओं को खदेड़ दिया है तब से कलाओं और शास्त्रों के अध्ययन में गिरावट आई है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। विदेशियों के आक्रमण से कई अचल पूर्ण रूप से उजड़ गए हैं और कई जातियाँ परस्पर मिश्रित भी हो गई हैं। इससे पूर्व अलग अलग राज्यों में वैभव और समृद्धि थी। राज्य के कानूनों का पालन होता था। न्याय और समाज व्यवस्था अच्छी चलती थी। किन्तु दुर्भाग्य यह हुआ कि वर्तमान समय में तो कई अचलों में केन्द्रीय शासन और अत्याचारों की बाढ़ ही दिखाई देती है।

## ५ एलेकझाडर वॉकर

### भारत की शिक्षा और साहित्य के विषय में

मलबारी साहित्य का अथवा भारत में अलग अलग विद्याओं के स्रोत और उनकी प्रगति किस प्रकार हुई उसका इतिहास यहाँ प्रस्तुत करने का मेरा आशय नहीं है। केवल कुछ पुस्तकें और लेखक जिनके साहित्य का मलबार में अध्ययन हो रहा है और जो मैंने १८०० से कई वर्ष पूर्व प्राप्त की थीं उनके निरीक्षण से एक प्रस्तावना के रूप में पुस्तक सूची तैयार करना चाहता हूँ।

मलबार के साहित्य के मूल में हिन्दू राज्यों में जो विषयवस्तु स्थित है वह वही की वही है। जो प्राचीन पुरातन भाषा है और जो अब बोली नहीं जाती उस सस्कृत भाषामें उसकी बुनियाद है। दूसरी और उनका इतिहास अमी की कई यूरोपीय भाषाओं जैसे ग्रीक या रोम की भाषा के साथ बहुत ही जुड़ा हुआ है। उसमें गोथिक भाषा के असख्य शब्द और अक्षरसमूहों की रचना निहित है। लेटिन और ग्रीक भाषा का यूरोप में जो स्थान है वैसे ही स्थान सस्कृत भाषा का भारत में है। भाषा के उपयोग में न होने और न बोली जाने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। केवल समय का बीतना और राजकीय परिवर्तन ही इसके कारण होते हैं। अतः हमारी दृष्टि ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से पुरातन युगों की ओर घली जाती है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्यों को जब अत्यधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है तब विद्या और शास्त्रों की सहज वृद्धि होती है ऐसा मानना चाहिए। साधनों का आधिक्य और मन की शांति प्राप्त होने से लोगों को ज्ञान अर्जन करने की प्रेरणा तथा पुस्तकों में खोजने की और सीखने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। किन्तु दुर्भाग्य यह भी रहा कि सनातनी लोगों की तरह हिन्दुओं ने विज्ञान जिन तथ्यों का निर्देश करता है उन्हें उपदेश और आदर्श चित्रों में देखने का प्रयास किया। वे जीवन के कर्तव्य तथा मन की अलग अलग शक्तियों की समझ भी देते हैं किन्तु उनका अध्ययन का प्रिय विषय भारतीय सत



अध्यात्मविद्या और जिसकी नींव में अधश्रद्धा तथा दोष है ऐसा गहन तत्त्वज्ञान रहा है। वे तर्कशास्त्र अलंकारशास्त्र और व्याकरण को विशेष मान्यता देते थे और ज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले इन शास्त्रों का अध्ययन अत्यंत परिश्रमपूर्वक करते थे और कुशलता पूर्वक उसके व्यवहार में लाते थे। इन शास्त्रों के विकास के लिए वे जीवन दे देते थे। हिन्दुओं ने प्रयोग नहीं किए। परन्तु यह एक असाधारण बात है कि इसकी सहायता के बिना भी अत्यंत कठिन और गणितशास्त्र की शाखाओं में निहित अनेक विषय खगोल और बीजगणित का ज्ञान इन सबसे वे परिचित थे। इस प्रकार की जानकारी की प्राप्ति क्या उनके अध्ययन और विन्तन मनन के कारण थी या अभी भुला दिये गये किसी पुरातन उद्गम में स्थित थी? इन प्रश्नों के बारे में निश्चित करना मुश्किल है क्योंकि हम यह सिद्ध नहीं कर सकते कि वे औरों से ज्ञान प्राप्त करते थे। पर ऐसा मानना भी उचित रहेगा कि उनके पास जो कुछ भी है उसके वे शोधकर्ता रहे हैं। दुःखों को सहकर भी उन लोगों ने इन विद्याओं की सुरक्षा की है तथा बहुत ही परिश्रम करके उन्होंने उन्हें साध्य किया है।

भारत के मध्य भाग में बसनेवाले लोगों की तुलना में मलबार की शिक्षा अत्यंत सीमित रही है किन्तु इसके साथ ही अक्षरज्ञान के मामले में वे लापरवाह नहीं रहे हैं। खास करके वे अपने बच्चोंको लिखाई-पढ़ाई की शिक्षा देने के लिए अत्यंत उत्सुक और सतर्क हैं। प्रत्येक परिवार में बचपन से ही शिक्षा को अग्रिम स्थान दिया गया है। उनकी बहुत सी स्त्रियों को लिखना-पढ़ना सिखाया गया है। ब्राह्मण तो सामान्यतः शाला के शिक्षक होते ही हैं तथापि कोई भी प्रतिष्ठित जाति का व्यक्ति शिक्षा का व्यवसाय कर सकता है। अत्यंत सरल पद्धति से भय और धमकियों से रहित तथा बिना मार पीट ही बच्चों को शिक्षा दी जाती है। शिक्षा की इस पद्धति को लेकर काफी उत्तेजना और विवाद फैला है।

यह विवाद उस शिक्षा पद्धति के प्रणेताओं को लेकर रहा है। इसका मूल इसी देश में है न कि यूरोप के दावे के अनुसार अन्यत्र कहीं। यह पद्धति ब्राह्मणों से प्राप्त करके यूरोप में गई उसने प्रत्येक प्रबुद्ध राष्ट्र की राष्ट्रीय शाखाओं की नींव डाली है। इसके लिए उन लोगों ने (यूरोपीयों ने) जिनसे यह शिक्षा की पद्धति ज्ञात हुई उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। क्योंकि इस पद्धति से हम समाज के निम्नस्तर तक शिक्षा का प्रसार बिना खर्च के और दोषरहित पद्धति से कर सकते हैं। पहले कमी नहीं पाई गई थी वैसे ही पद्धति हम अपना पाए हैं। प्रत्येक छात्र एक दूसरे को सहायता करनेवाला छात्र बालू पर छोटी सी लकड़ी या ऊँटली से अक्षर लेखन होता है। इसी पद्धति से

लिखाई और पढाई का कार्य एक साथ होता है। शिक्षा की यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा के लिए है। छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तब उसे प्राथमिक शाला से उच्चतर शिक्षा देनेवाली शाला में स्थानांतरित किया जाता है जहाँ पठन लेखन और हिसाब-किताब सिखाया जाता है। ऐसे छात्र को विशेष विद्वान गुरु के मार्गदर्शन में रखा जाता है। मेहनत मजदूरी करनेवाले लोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ऐसी प्राथमिक शालाओं के आभारी हैं। सत्सार के इस हिस्से में प्रचलित शिक्षा पद्धति भारत के लोगों को समीक्षा का मौका देती है। जैसे कि उसी वर्ग के यूरोप के लोगों को केवल आशिक फायदा ही हुआ है। बुद्धिमान लोग अपना जीवन कर्तव्य अच्छे प्रकार से निभाएँ यह तो स्पष्ट ही है।

लगभग २०० वर्ष पूर्व पितर डेलावेले ने मलबार की शिक्षा पद्धति का एक विवरण प्रकाशित किया है। उसने तक्कट्टे (नाम स्थान) से २२ नवम्बर १६२३ में लिखा है -

जब दण्ड व्यवस्थित रखे जा रहे थे तब मैं मंदिर के आगे दालान में खड़ा रहकर कुतूहल पूर्वक देख रहा था कि छोटे बच्चे कुछ विचित्र प्रकार से गणित सीख रहे थे। उस विचित्र पद्धति का ही यहाँ परिचय करवा रहा हूँ। चार बच्चे थे। वे शिक्षक से एक ही पाठ की शिक्षा ले रहे थे। अब उसे ग्रहण करने के लिए पूर्व के पाठों की तरह उनका पुनरावर्तन कर रहे थे जिससे वे भूल न जाएँ। उनमें एक बच्चा लयबद्ध गा रहा था। (गाने से स्मरणशक्ति और भी गहरी हो जाती है)। अतः सीखे गए पाठ का मुखपाठ इस प्रकार गाकर किया जाता है। जैसे कि एक एक एक और जब वह इस प्रकार बोले जा रहा था तब वह एक लिख भी रहा था और यह लिखाई किसी कागज़-पेन से नहीं किन्तु जमीन पर बालू पर जँगली से हो रही थी। इससे कागज़ का अपय्यय नहीं होता था। जब पहला बालक इस प्रकार बोलकर लिख रहा था तब शेष बच्चे उसी प्रकार से एक साथ बोलकर लिखते जा रहे थे। फिर जब पहला बालक पाठ का दूसरा हिस्सा दो एक दो ऐसे गा कर लिख रहा था तब इस प्रकार यह गान व लेखन आगे चल रहा था। तत्पश्चात् जब पूरी ज़मीन अकों से भर जाती थी तो वे अपने हाथ से उसे मिटा देते थे और आवश्यक लगने पर इसी के लिए रखी ढेर सी बालू में से थोड़ी सी लेकर उसे छिटककर पुन लिखते थे। इस प्रकार पाठक्रम पूरा होने तक वे इसी प्रकार से लिखते पढ़ते व आगे बढ़ते थे। इस प्रकार वे बिना कागज़-पेन ही के लिखना पढ़ना सीख जाते थे। यह बहुत ही सुन्दर तरीका है। मैंने उनसे प्रश्न किया कि वे अगर कुछ भूल जाएँ तो उसे सुधारेगा कौन या कौन स्मरण करवायेगा। तब उनका उत्तर था कि हम धारों या जितने भी हैं सभी तो भूल जाएँ नहीं। अतः इस प्रकार परस्पर मिलकर स्मरण करवाते रहते हैं। वास्तव में शिक्षा की यह अति सुंदर सरल और सुरक्षित पद्धति है। हम

भारत के ग्रामवासियों को उनकी ज्ञानप्राप्ति की धीमी प्रगति के लिए और उन्हें प्राप्त मौके की ओर उपेक्षा भाव रखने के कारण बारबार डाटते रहते हैं। हमारे यहाँ भी यूरोपवासियों में भी ऐसी ही उपेक्षा है क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा से परिचित होने में तथा उसे व्यवहार में लाने में उन लोगों ने दो शताब्दी जितना समय बीता दिया है। आखिर बिना किसी भी प्रकार से कृतज्ञता ज्ञापित किए इस देश में (यूरोप में) यह पद्धति प्रयुक्त की जाती है और ऐसा दावा भी किया गया है कि इस पद्धति की दो अलग अलग व्यक्तियों ने खोज की है और इनमें कौन पहला है यह झगड़ा चल रहा है।

मिशनरी अब प्रामाणिकता से स्वीकार करते हैं कि इन शालाओं में जिस पद्धति के द्वारा शिक्षा दी जा रही है वह पद्धति वे भारत से ले गए हैं। उसमें हमने थोड़ा सुधार किया है किन्तु युनियादी विचारों का ही भविष्य होता है और फिर साधारणतः बाद में ही दूसरे तबके में तेजी से प्रगति होती है।

हिन्दुओं की अपेक्षा और कोई भी लोग शिक्षा के महत्त्व को सही रूप में नहीं समझ सकता है। इससे शालाओं की स्थापना में रुकावट डालने या विरोध करने के बजाय अज्ञान व दुःख के निवारण के लिए उन्होंने और सस्थाएँ शुरू की हैं। जिज्ञासा और चर्चा के मामले में वे कभी भी अरुचि नहीं बताते हैं। किन्तु इस प्रकार के जोश को न रोके या निराश न करे ऐसा राज्य उन्हें चाहिए।

मलबार में अभी भी पूर्व में उपयोग में ली जानेवाली पद्धति ही प्रयुक्त होती है। कागज लकड़ी का स्वामाविक उत्पादन है। वे स्याही का उपयोग नहीं करते हैं। वृक्ष के पत्तों पर सझाएँ चकेरी जाती हैं। विशिष्ट प्रकार का ताड़पत्र इसके लिए पसंद किया जाता है जो कुछ सीमा तक क्लम की घिसाई सह सके। इन पत्रों को डोरी से बांध दिया जाता है और उसे पुस्तक का रूप दिया जाता है। इस पुस्तक को लकड़ी की दो पट्टियों के बीच में सुरक्षित रखा जाता है। कई बार आवरण चढ़ाकर वॉर्निशयुक्त बनाकर उसे सुंदर रूप दिया जाता है। ऐसे पत्रों का कागज लिखने में काम में आता है फिर उसे मोड़ दिया जाता है। देश में उस समय लिखे कागज पर मुहर लगाने की पद्धति नहीं थी। १०० वर्ष से बेसिल काउन्सिलका कानून पार्लियामेंट पेपरमें (एक प्रकार का कड़ा सा कागज) प्रत्येक पृष्ठ से रेशम की डोरी डाल कर और उस पर मुद्रित करके रखा जाता है। यह कथन उस समय के कैम्ब्रिज में रहनेवाले इवेलिन ने किया है। यह कथन जिस प्रकार मलबार की पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित की गई हैं उसीके जैसा दिखाई देता है।

नोर्वे और स्वीडन में पहले लोग लकड़ी की पट्टियों पर लिखते या नक्शाश्री करते थे। लकड़ी की पट्टियों पर कवितारें नक्शाश्री करके अंकित करने का रिवाज था। इन लकड़ी की पट्टियों को 'स्टेव' कहा जाता है। और श्लोको को भी 'स्टेव' के नाम से

पहचाना जाता है।

पत्र पर लिखने का या नक्काशी करने का रिवाज उस समय सारे भारत में प्रचलित था। सन् १४४२ में अब्दुल रजाक ने उसके सफर के दौरान यह पद्धति विशानगढ में देखी थी।

अभी अगर घनराशि दी जाए तो भारत में शालाओं की संख्या में वृद्धि करने में और कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती। शिक्षकों के लिए मिशनरियों से भेंट करने के लिये लोग उत्सुक और उत्सावले हो रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखें तो भी हम अपनी पसंद की कोई भी पुस्तक इस शाला में लागू कर सकते हैं। यहाँ बच्चों को पारंपरिक रूप में कोई ज्ञान नहीं है वे केवल बुद्धि से सीखते हैं। यहाँ के ग्रामवासी सरल हैं निष्कम्पट हैं। वे पूर्वाग्रह नहीं रखते हैं। उनको पढ़ानेवालों के दूरगामी और अन्तिम आशयों के प्रति वे सन्देह नहीं रखते हैं। वे खुले मनसे और सौजन्य से अपने बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं। अगर विवेक से काम लिया जाए तो हमें अपने ग्रंथ पढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वे संपत्ति परिवार का गौरव या जाति के गौरव के बदले में भी यह प्राप्त करने को तैयार हैं। यह इच्छा सभी हिन्दुओं के मनमें स्थित है। इस इच्छा को सार्थक करने के लिए उन्होंने प्रत्येक गाँवमें उनकी पद्धति के अनुरूप ही शाला निर्माण की है। धिन्सुरम के एक मिशनरी लिखते हैं कि विद्वान और अनपढ़ सभी अब हमारे बच्चों को शिक्षा के महान आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं ऐसा कहकर एक दूसरे को बधाई देते हैं।

मलबार में लंबे समय से संस्कृत भाषा का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है तथा वहाँ की स्थानीय लिपि में लिखने का कार्य चल रहा है। इस प्रकार वहाँ के निवासियों में ज्ञान का प्रसार अच्छी तरह से हुआ है। इस प्रकार का साहित्य किसी विशेष संप्रदाय या वर्ग के लिए नहीं है। लोग अपने धर्म की मान्यताओं और रहस्यों से परिचित भी हैं। ज़मीनदार जिनका बस्ती में सम्मान का स्थान माना गया है और अयल की सत्ता तथा संपत्ति जिनके हाथ में है उन्होंने शिक्षा जिज्ञासा और स्वातंत्र्य के उत्साह को विशेष प्रभावित किया है।

मलबार के लोगों में स्वयं ही लिखाई करने का एक स्वतंत्र ढांचा या परंपरा है। वे नक्काशी प्रकार से लिखाई करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ताड़पत्र को सुखाकर खास प्रकार से उसे तैयार करते हैं। बाद में उस पर लिखाई की जाती है। पुरातन समय के स्टाइल्स के समान पैसे नुकीले लोहे के साधन का वे कलम के स्थान पर प्रयोग करते हैं। फिर कागज़ पर लिखने के लिए ये कलम का उपयोग करते हैं। परन्तु यह तो हमारी या मुसलमानों ने अपनाई रीति का अनुकरण ही है। लिखने के लिए पत्थर घमड़ा पसे और

वृक्ष के छिलके आदि पुराने समय में उपयोग में लाए जाते थे। ये पत्ते जल्दी से सड़ते नहीं हैं और जीव जंतुओं का मुकामला भी कर सकते हैं। और कागज की अपेक्षा काफी लंबे समय तक उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। लोग सामान्यतः कागज की एक ओर बाईं से दायी ओर लिखते हैं। भिन्न नाप के कागजों की तरह भिन्न भिन्न आकार और गुण वाले पत्तों (भोजपत्र) का लोग उत्पादन करते हैं। ये पत्ते उतर लिखने पुस्तकें बनाने या पत्र लिखने के काम में आते हैं। उन्हें सी कर नहीं बरन् छोरी से बाधकर योग्य आकार के ग्रन्थ तैयार किये जाते हैं। हाशिये जैसी थोड़ी जगह रखी जाती है जिसमें रेशम की छोरी पिरोकर उसे मजबूती से बाँधा जाता है या उसे अच्छी तरह लपेटा जाता है जिससे पत्ते सुरक्षित रह सकें। हमारी ही तरह ग्रामवासी भी अपनी इन पुस्तकों को उतनी ही सरलता से खोलते हैं। पुस्तकें लकड़ी की दो पतली तख्तियों में बाँध कर रखी होती हैं और इन तख्तियों को मनपसंद रंगों से रंगा जाता है या चर्निश की जाती है।

मलबार में प्राप्त पुस्तकों की सूची निम्नानुसार है। मुस्लिम काल में आये अवरोधों के कारण बहुत सी पुस्तकें लुप्त हो गईं या नष्ट हो गईं। परन्तु त्रावणकोर में अभी भी पुस्तकों का पूरा भंडार सुरक्षित है जिसमें मलबार साहित्य का बड़ा हिस्सा प्राप्य है। इनमें से ३०-४० पुस्तकों का मलबारी भाषामें अनुवाद किया गया है। सस्कृत के कुछ शब्दों को अनुवाद में भी यथावत रखा गया है। इससे सस्कृत भाषा के प्रति लगाव प्रगट होता है।

टिप्पणी में मलबार के कार्यों का उल्लेख किया गया है जो पुस्तक सूची में क्रमांक १८१ पर दर्शाया गया है। समभवत यह किसी सचिव ने लिखा होगा और उसे दबा दिया गया होगा। मलबारी कवि रचित १०० लघु कविताओं - जो प्रत्येक आठ कड़ी की होती हैं - वे १०० अष्टक भारत में उपलब्ध हैं। इन अष्टकों में ब्राह्मणों की जिन्हें कवि धिक्कारता था कठोर निंदा की गई है। यदि हममें से कोई पौर्वत्य शिक्षण की गहन जाँच कर इस कवि के बारे में प्रामाणिक अभिप्राय प्रस्तुत करेगा तो साहित्य के लिये महान कार्य करेगा।

सभवत यह लेखक हृदय से इबार में माननेवाला परन्तु उसे न दर्शानेवाला होना चाहिए। वह लिखता है यह ब्राह्मणों का गुप्त व्यवसाय है। वे अपनी भावनाओं को छिपाते नहीं हैं वे हिन्दू देवताओं में श्रद्धा नहीं रखते और उसकी अभिव्यक्ति भी खुले आम करते हैं। इस प्रकार की मान्यता रखने वाले अनेक ब्राह्मणों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये लोग स्वीकार करते हैं कि सबका सर्जक प्रभु एक ही है। भारत में भिन्न भिन्न समयों में सुधारक हुए हैं और वेदान्त संप्रदाय के लोग प्रचलित धर्मों में बिलकुल विश्वास नहीं करते।

मलबार में बहुत से नाटक होते हैं तथा मलबारी लोग नाटक देखने के बड़े शौकीन हैं।

ऐसे नाटकों में मैं उपस्थित रहा हूँ। यह नाट्यगृह या तो खुले आकाश के नीचे या अस्थायी छत के नीचे होता है।<sup>११</sup> इस मठप में हजारों दर्शक बैठ सकते हैं। ऐसे अवसरों पर लोगों को बैठने के लिये अलग अलग प्रकार की बैठकें होती हैं। स्त्री-पुरुष साथ साथ बैठते हैं। यह व्यवस्था भारत के अन्य भागों में प्रचलित रूढ़ि से एकदम विपरीत है। मैंने लगभग २ हजार स्त्रीपुरुषों के समूह को ऐसे नाटक देखते हुये देखा है। राजकुमारी के विवाह के समय स्त्री पुरुष एक साथ बैठकर नाटक देखते थे। विशाल सामियाना लगाया गया था और बैठक व्यवस्था उलान के क्रममें की गई थी जिससे प्रेक्षक सुविधापूर्वक देख सकें। नाटक के पात्रों में देवी देवता राजा वीरपुरुष और उनके सेवक थे। पात्रों के अनुरूप वेशभूषा भी थी। किसी यात्रिक साधन का उपयोग नहीं किया गया था। पर्दा लकड़ी का ही था।

नाटक की विषय वस्तु कुछ इस प्रकार थी। राजा की दो पत्नियाँ थीं। इससे वह उलझन में पड़ गया। उनके झगड़े और अपेक्षा के कारण राजा मानसिक सताप से ग्रस्त था। इससे मुक्ति हेतु वह देवताओं की प्रार्थना करता था। उसकी प्रार्थना सुनकर देवताओं ने उसे ऐसी सिद्धि प्रदान की कि वह जिसे चाहे उसे सुला सके। उस युक्ति से वह बहुत खुश था और भविष्य में मात्र सुख की ही आशा रखता था। परतु इस प्रयास में वह निराश हुआ। वह अपनी पत्नियों को एक एक कर सुला देता परतु उसे धैन नहीं मिलता। प्रत्येक जब उठती तो दूसरी की इर्ष्या करती और राजा को कोसती रहती कि तुम उसके प्रति पक्षपात करते हो। इस नाटक का अंत मैं भूल गया हूँ। परतु १७९३ में भारत के समाचार पत्रों में इस विवाह के समाचार प्रकाशित हुए हैं। फिलहाल तो मैं इस विवाह का वर्णन नहीं कर सकता। परतु बाद में उसका विवरण कुछ स्थानीय सामयिकों में लिखा गया है। मैं मानता हूँ कि दो पत्नियों की अपेक्षा एक पत्नी होना अच्छा है - यह दिखाना इस नाटक का उद्देश्य था।

मलबार पुस्तक सूची से प्राप्त साहित्य और शिक्षा की प्रगति तथा पद्धति की जानकारी।  
 पिटर डेलावेल की टिप्पणी संस्कृत में से अनुबाण करने का पत्रों पर लिखने का या मजारी  
 करने की मलबार की पद्धति और सुंदर सूची साहित्य से प्राप्त उच्च परिच्छेद या अयतरण।  
 (मेशान्ल लाइब्रेरी ऑफ स्कॉटलैंड एडिनबर्ग डॉक्टर ऑफ बॉलेड पेपर्स १८४ ए ३  
 प्रकरण ३१ पृ ५०१ २७)।

## ६ विलियम एडम

### बंगाल में शिक्षा की स्थिति के विषय में

१८३५-१८३८

१

#### विलियम एडम का देशी प्राथमिक शालाओं का विवरण

##### सामान्य

धार्मिक और मानवप्रेमी समाज के सहयोग से चलनेवाले विद्यालयों से सर्वथा विपरीत ग्रामवासियों के सहयोग से चलनेवाले और ज्ञान के मूल तत्त्वों की शिक्षा देनेवाले विद्यालयों का इस विवरण में वर्णन है। बंगाल में ऐसे विद्यालय बड़ी संख्या में हैं। लोक शिक्षा समिति के एक माननीय सदस्य का उस विषय पर मतव्य इस विवरण में है। फिलहाल छोटे प्रांतों में चल रहे विद्यालयों पर यदि प्रति मास १ रुपया खर्च किया जाए तो वह वार्षिक १२ लाख रुपये से भी कम होगा। इस से अनुमान किया जा सकता है कि केवल बंगाल और बिहार में ऐसे १ लाख विद्यालय हैं और यदि दोनों प्रान्तों की संयुक्त जनसंख्या ४ करोड़ है तो प्रति ४०० व्यक्ति एक विद्यालय होगा। विद्यालय में जाने वाले छात्रों का औसत तय करने के लिये मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।<sup>१४</sup> प्रशिया में १ २२ ५६ ७२५ की जनसंख्या निश्चित जनगणना के आधार पर है और उसमें १४ वर्ष से कम आयु के ४४ ८७ ४६९ बालक हैं। अर्थात् प्रति १ हजार की जनसंख्या में ३६६ बालक हैं जो जनसंख्या का  $\frac{1}{3}$  वा भाग है। बालकों की कुल संख्या का  $\frac{1}{3}$  विद्यालय जाने की आयु का है। यह अंदाज बालक ७ वर्ष की आयु में विद्यालय जाना प्रारम्भ करता है इस तथ्य पर आधारित है। इस प्रकार सारे प्रशिया में १९ २३ २०० बालक शिक्षा से लाभान्वित होने योग्य हैं। यह अनुपात इस देश में चुस्ती से लागू नहीं होता क्योंकि यहाँ

शाला जाने की आयु ५-६ वर्ष है और विद्यालय छोड़ने की आयु १४ के स्थान पर १०-१२ वर्ष की है। इस असंगति के दो मूल कारण हैं। प्रशिया की अपेक्षा भारत में शाला में जानेवाले छात्रों की घट रही संख्या का मूल कारण भारत में विद्यालय जानेवाले छात्रों की कम आयु है। अर्थात् मृत्युदर के कारण भारत में विद्यालयों की संख्या घटी हुई लगती है। अत्यंत निम्नित जानकारी के आधार पर हम यह मान सकते हैं कि ये दोनों अस्मात्तिया एक दूसरे को संतुलित करती हैं। तब हम प्रशिया का औसत इस देश पर लागू कर सकते हैं। पूर्व में निर्देश किये अनुसार  $1/30$  औसत प्रति ४०० व्यक्ति और  $3/10$  शाला में जाने वाले छात्रों की योग्य आयु के बालक हैं तो यह कहा जा सकता है कि बगाल या बिहार में विद्यालय जाने वाले प्रति ६३ छात्र पर एक ग्राम विद्यालय है। इन में बालक बालिकाएँ दोनों हैं। छात्राओं के लिये गॉथ में कोई अलग कन्या विद्यालय नहीं है। यदि बालक-बालिकाओं की संख्या समान मानें तो प्रति ३१ या ३२ छात्रों पर एक विद्यालय है। बगाल और बिहार में १ लाख विद्यालयों का जो अंदाज लगाया गया है उसकी पुष्टि इन प्रांतों के गँवों की संख्या से होती है। शासकीय गणना के अनुसार यह १ ५० ७४८ हैं। यद्यपि बहुत से गँवों में विद्यालय नहीं हैं फिर भी १ लाख विद्यालय तो हैं ही। ऐसा माना जाए कि शिक्षा के बारे में यह अनिश्चित जानकारी सत्य से दूर की सभावना मात्र ही है फिर भी ग्राम विद्यालय प्रणाली व्यापक रूप से प्रचलित है। गरीब से गरीब व्यक्ति के मनमें अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की गहरी भावना दिखाई देती है। ये संस्थायें देश के रीतिविचारों से इतनी ओतप्रोत हैं कि इनके द्वारा ही हम ग्रामीण जनसमाज की नीतिमत्ता और बुद्धि में सुधार कर सकते हैं किसी अन्य विशिष्ट पद्धति से नहीं।

वर्तमान परिस्थिति में विद्यालय शिक्षा हेतु कोई महत्वपूर्ण साधन बनने की सम्भावना नहीं है। शिक्षकों की अल्पज्ञता और मातापिता की गरीबी के कारण बालकों को अत्यंत छोटी आयु में ही विद्यालय से उठा लेने के कारण शिक्षा से उन्हें प्राप्त लाभार्थ बहुत छोटा है। पहले बताए गये अनुसार बगाल के बच्चों की शिक्षा ५-६ वर्ष की आयु से प्रारम्भ होती है और ५-६ वर्ष के बाद स्थगित हो जाती है। इस आयु में ज्ञान प्राप्त करने योग्य बुद्धि और तर्कशक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। शिक्षक अपनी आजीविका के लिये छात्रों पर निर्भर होते हैं। उनका मान सम्मान नहीं रह पाता। उन्हें अत्यल्प वेतन प्राप्त होता है। इस व्यवसाय के लिये आवश्यक चरित्र शक्ति या विद्वत्ता को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलता। ऐसे विद्यालय किसी प्रतिष्ठित (सम्पन्न) ग्रामवासी के घर पर या उसके आसपास चलते हैं। सभी बच्चों को प्रादेशिक भाषा में शिक्षा दी जाती है। शिक्षक को अधिक वेतन मिल सके इस हेतुसे अधिक संख्या में धनी परिवार के बालकों को प्रवेश देने



की स्वतन्त्रता शिक्षक को होती है। बालक सर्व प्रथम रेत पर स्वर और व्यंजन लिखना सीखते हैं। तत्पश्चात् वे स्लेट पर पेन से अथवा सफेद खरिया से लिखते हैं। यह अभ्यास आठ-दस दिन चलता है। उसके बाद उन्हें ताम्रपत्र पर लिखना सिखाया जाता है जिसके लिये वे क्लम ऊगलियों से नहीं अपितु मुट्टी से पकड़ते हैं। इस प्रकार क्लम से उन्हें ताम्रपत्र पर सयुक्ताक्षर शब्दाक्षर शब्द अक्षर (पहाड़ा) द्रव्य वजन और दूरी के नाप विशेष व्यक्तियों के नाप व स्थान लिखना सिखाया जाता है। यह प्रक्रिया एक वर्ष तक चलती है। फिर शिक्षक लोहे की तेज धारदार क्लम से ताम्रपत्र पर अक्षर उखेरता है। छात्र इन अक्षरों में स्याही भरते हैं। काजल से बनी स्याही से केले के पर्णों पर लिखना और हिसाब करना (गणित) सिखाया जाता है। यह अभ्यास छ महीने चलता है। इस दौरान उन्हें जोड़बाकी गुणा भाग जमीन के सरल नाप व्यवसाय तथा खेती से सम्बन्धित हिसाबकिताब और पत्र लेखन सिखाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गणित के नियम कृषि से सम्बन्धित विषयों में और नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय से सम्बन्धित हिसाब किताब में उद्योगी होते हैं। किन्तु नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में आभासी क्षतियुक्त शिक्षा प्राप्त होती है। यद्यपि ग्रामीण शालाओं में प्रादेशिक भाषा के हिस्से सिखाये गये होते हैं फिर भी कुछ विद्यालयों के दो तीन तेजस्वी छात्र ही प्रदेश के प्रसिद्ध कवियों की रचना से थोड़ा ही कुछ लिख पाते हैं यह सुविदित है। हस्त लेखन भी उतना ही अनिश्चित और अयोग्य है। शब्दरचना इससे भी क्षतियुक्त हुई है। अतः संपूर्ण योग्यता रखनेवाला शिक्षक भी यह गलती सुधारने में असमर्थ होता है। छात्र साहित्यिक और मौखिक विषयों व्यक्तिगत गुणवृद्धि और सामाजिक दायित्व के क्षेत्रों में अशिक्षित जैसे ही रहते हैं। शिक्षक भी अपने चरित्र से उपदेश या डांटडपट के द्वारा अपने छात्रों के चरित्रनिर्माण हेतु कोई नैतिक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाते। केवल वेतन के लिये वे बेगार करते हैं। इसके अतिरिक्त नैतिक मूल्य और उदात्त ज्ञान देनेवाली कोई पाठ्यपुस्तकें भी नहीं हैं। इससे शिक्षा केवल हिसाब किताब तक सीमित काफी सकुचित और निम्न स्तर की है जिससे न हृदय की भावनाएँ प्रभावित होती हैं और न व्यापक समझदारी आती है। मैं मानता हूँ कि यह विवरण समग्र बंगाल के विद्यालयों पर लागू होता है।

### बंगाली प्राथमिक विद्यालय

हिन्दू कानून के सत्ताधीशों का प्रबल आग्रह रहा है कि बालकों को पांच वर्ष की आयु से ही लिखना पढ़ना सीखना चाहिए। यदि यह सम्भव न हो तो सातवें या नौवें (विषम) वर्ष से शिक्षा प्रारम्भ होनी चाहिए। वर्ष के कुछ मास महीनों के कुछ सप्ताह और

सप्ताहों के कुछ निश्चित दिन इस हेतु तय किये जाते हैं। किसी तय दिन को परिवार के पुरोहित द्वारा धार्मिक क्रिया की जाती है। विशेष रूप से इस दिन सरस्वती पूजन किया जाता है। सरस्वती विद्या की देवी हैं। इस विधि के बाद पुरोहित बालक का हाथ पकड़कर मूलाक्षर लिखाता है और प्रथम बार उसे लिख कर उसका उच्चारण सिखाया जाता है। हिन्दुओं के लिये यह विधि अनिवार्य नहीं है परन्तु सम्पन्न लोक जो अपने बालकों को अधिक शिक्षा देना चाहते हैं इसका आयोजन करते हैं। इस विधि से निश्चित माना जाता है कि बालक की शिक्षा प्रारम्भ हो चुकी है और प्रदेश के कुछ भागों में उसे तुरन्त ही विद्यालय भेजा जाने लगता है। परन्तु इस जिले (राजाशाही) में इस के लिये कोई निश्चित आयु तय की गई है ऐसा मेरे ध्यान में नहीं आया। यह मातापिता के उपलब्ध अवसर और बालक के स्वभाव और शक्ति पर निर्भर करता है। शिक्षा का पाठ्यक्रम तय होने के कारण बालक की शाला छोड़ने की आयु उसकी प्रवेश लेने की आयु पर आधारित होती है।

नातोर में विद्यालयों की संख्या १० है जिनमें १६७ छात्र अध्ययन करते हैं। ये छात्र १० वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश पाते हैं और १० से १६ वर्ष की आयु में विद्यालय छोड़ते हैं। अलग अलग शिक्षकों के कथनानुसार विद्यालय में बिताया समय ५ से १० वर्ष का प्रतीत होता है। दो शिक्षक यह समय ५ वर्ष का बताते हैं एक छ वर्ष का तीन ७ वर्ष का अन्य दो ८ वर्ष का एक ९ वर्ष का और एक दस वर्ष का बताता है। इस प्रकार आयु बढ़ने पर समय का बड़ा दुर्बल्य होता दिखता है। उन्हें दी जा रही शिक्षा का व्याप देखते हुए यह बड़ा दुर्बल्य है।

शिक्षक युवा और प्रौढ वय के होते हैं। ये लोग सीधे सान्ने गरीब और अज्ञान हैं। यह व्यवसाय जो उनकी अपेक्षाओं को पूरा करता है और उससे प्राप्त सामान्य वेतन ही उनकी जीविका का आधार है अतः वे इसे सम्माननीय मानते हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि उनके द्वारा स्वीकृत व्यवसाय का महत्व क्या है। इस पर वे शायद ही विचार करते हैं। वे उनके छात्रों पर कितना बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं इसकी प्रतीति न होने के कारण उनको सौंपे गये महान उत्तरदायित्व के प्रति वे लापरवाह रहते हैं। यदि वे उन्हें प्राप्त अधिकार और उपकरण भाव के प्रति थोड़े भी सजग होते तो ऐसा नहीं होता। पिन्हाहाल तो उनका केवल यत्रवत् प्रभाव उनके छात्रों के मन पर पड़ता है और उसकी मुक्ति को गढ़ता है। यह अत्यन्त अधिवैक्यपूर्ण प्रणाली है। यह प्रथा निष्क्रिय रूप से उनके पास पड़ी रहती है और स्वतः कार्य करने या निर्णय लेने का प्रोत्साहन उन्हें शायद ही दे पाती है। बालकों की सूक्ष्म सद्वेनाओं का नियमन करना उनकी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना या इस प्रकार का मार्गदर्शन देना—ऐसा कोई विचार उनके मनमें नहीं आता। इस प्रकार

उनके नैतिक धरित्र के गठन या उनके सुधार की सम्भावना नहीं है। यदि शिक्षक की गुणात्मकता सुधारी या बढ़ाई न गई तो इस देश में शिक्षा सुधार का कोई भी कदम अपर्याप्त रहेगा। अतः शिक्षा व्यवसाय में शिक्षकों की दृष्टि और विचारों को ऊर्ध्वगामी बनाना होगा।

शिक्षकों का वेतन भिन्न भिन्न माध्यमों से दिया जाता है। केवल परोपकारी दृष्टि को समर्पित व्यक्तियों की ओर से दो शिक्षकों को पूरा वेतन मिलता है। तीसरे को अप्रिक्त वेतन मिलता है। चौथे को वेतन शुल्क से मिलता है। अन्य छह को शुल्क तथा अन्य साधनों से वेतन मिलता है। शिक्षा में सामान्य तौर पर चार स्तर दिखाई देते हैं। लेखन के उपयोग में आनेवाली सामग्री (साधनों) से यह देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ जमीन तारुपत्र केले के पत्ते और कगज। प्रत्येक नई कक्षा के प्रारम्भ के साथ अधिक शुल्क लिया जाता है। एक उदाहरण ऐसा भी है जहाँ पहला और दूसरा स्तर मिला दिये गये हैं तथा अन्य उदाहरण में तीसरा और चौथा स्तर मिला दिये गये हैं। दूसरे उदाहरण में तीसरे और चौथे स्तर का शुल्क समान है। तीसरे स्तर में पहले दूसरे और तीसरे स्तर का समान शुल्क है। परंतु अधिकांशतः ऊपर बताये अनुसार शुल्क लिया जाता है। अपवाद स्वरूप उदाहरणों में भी इसी प्रकार शुल्क लिया जाता है। एक दो अन्य उदाहरण भी शुल्क का सातत्य बनाए रखने के लिये अपनाये गये दिखते हैं। उसमें विद्यालय जाने वाले छात्रों के मातापिता की सम्पन्नता को ध्यान में रखा जाता है। गरीब मातापिता के बालकों से सम्पन्न मातापिता के बालकों की अपेक्षा आधा एक तिहाई या एक चौथाई शुल्क लिया जाता है और आगे की कक्षाओं में भी यही स्वरूप बनाये रखा जाता है। शिक्षकों के वेतन और अधिकारों का छात्रा वैविध्यपूर्ण है। शिक्षक को चार आने से लेकर ५ रूपये तक प्रति मास दिया जाता है। पहले उदाहरण में (४ आने प्राप्तकर्ता) कपड़े का एक टुकड़ा और अन्य अवसरों पर बालकों के मातापिता से उपहार होता है। दूसरे उदाहरण (५ रूपये प्राप्तकर्ता) में ऐसे ही अन्य मामलों में मात्र अनाज या भोजन कपड़े धोने के साबुन ध्यानागत हाथ खर्च और यथावसर उपहार मिलते रहते हैं। जिन्हें अनाज के रूप में मदद मिलती है वे मुख्य दानदाता के घर पर ही रहते हैं और भोजन के लिये भिन्न भिन्न घरों पर जाते हैं। शिक्षक की आमदनी तय वेतन बदलता शुल्क स्तर और अधिकार के रूप में मिलनेवाली रकम कुल मिलाकर ३ रूपये आठ आने से सात रूपये मासिक तक होती है। इस प्रकार औसत पाठ रूपये से अधिक रकम उन्हें मिलती रहती है। थाराइल का एक विद्यालय उच्च उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ गाँव के स्थानीय निवासी ही विद्यालय का निर्माण करते हैं। यहां चार चौधरी कुटुंब रहते हैं जो गाँव के प्रमुख परिवार हैं। परंतु अपने बालकों को पढ़ाने के लिये पर्याप्त धन शिक्षकों को दे दे सकें इतने सम्पन्न नहीं हैं। इससे वे दूसरों का

सहयोग लेते हैं। ये अपने घर का एक भाग शिक्षक को सौंप देते हैं। घर के आगे के भाग में उनका व्यापार घघा चलता है या पूजा पाठ और अतिथि सत्कार होता रहता है। पहले दो परिवार अतिरिक्त घर आने तीसरा आठ आने और चौथा बारह आने देता है। इस रकम से उनका (शिक्षा का) तमाम खर्च पूरा हो जाता है और शिक्षकों को कोई भेंट या आवश्यक वस्तु उनके द्वारा नहीं दी जाती। इस रकम के बहाने उनके पाँच बालकों को बंगाल की शिक्षा भी मिल जाती है। यह आमदनी शिक्षक के निभाव के लिये पर्याप्त नहीं होती इससे वह अन्य बालकों को भी साथ में ले लेता है जिनमें से एक एक आना दूसरा तीन आने और अन्य पाँच प्रत्येक चार चार आने मासिक देते हैं। इसके अतिरिक्त वे चार आने मूल्य की भेंट भी स्वेच्छा से देते हैं। यह भेंट सागसब्जी धावल मछली या वस्त्र (रूमाल या अगवस्त्र) के रूप में मिलती है। कागदारिया के दो परिवारों के पाँच बच्चे धाराहता के विद्यालय में पढते हैं। इनमें से एक परिवार के दो बच्चे दो आने और दूसरे परिवार के तीन बच्चे चार आने मासिक शुल्क देते हैं। इस प्रकार शिक्षक के वेतन की पूर्ति होती है। गरीब लोग अधूरा या कम चढ़ा देकर भी सम्पन्न लोगों के साथ मिलकर विद्यालय का निभाव करते हैं। यह विद्यालय इसका उदाहरण है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि लोग अत्यंत अल्प साधनों के द्वारा भी अपने बच्चों को बंगाली शिक्षा देने को उत्सुक हैं।

जैसा कि मैंने पहले बताया है शिक्षकों का वेतन बहुत ही कम है। मेरी बात का तात्पर्य यह है कि उनकी योग्यता के अनुसार या जिले में प्राप्त पारिश्रमिक की तुलना में वह कम नहीं है परंतु पूर्ण योग्यता वाले समर्थ व्यक्ति के वेतन की तुलना में वह कम है। वे भोजन के लिये प्रतिदिन एक घर से दूसरे घर जाते हैं यह उनके किनारा चरित्र और भावना का परिचायक है (इसी से उनका सरल स्वभाव और सेवाभावना जानी जा सकती है)। इस आधार पर सब का अदाज नहीं दिया जा सकता। जो लोग समाज में समान स्तर के ऐसे ही कार्य करते हैं उनकी तुलना में इनकी वास्तविक सामाजिक स्थिति जानी जा सकती है। जिन कार्यों को यदि अवसर मिलने पर शिक्षक भी अवश्य कर सकते हैं वे समान स्तर के कार्य कहे जाते हैं। ये कार्य हैं पटवारी अमीन सुमारनीस और खमार-नवीस जो देशी राजाओं के द्वारा नियुक्त होते हैं। पटवारी घर घर जाकर जमींदारों का लगान वसूल करता है और उसे प्रति माह ढाई या तीन रूपये वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त मौसम की पहली फसल से सौगात भी मिलती है जो मासिक आठ आने जैसी होती है। अमीन ग्रामवासियों और जमींदारों के झगड़े निपटाना जमीन का नाप करना आदि कार्य करता है और उसे तीन से चार रूपये मासिक वेतन मिलता है। सुमारनवीस पटवारियों द्वारा जमा कराई रकम का हिसाब रखता है और प्रतिमास पाच रूपये वेतन पाता है। खमार

नवीस फसल का निरीक्षण कर उसका मूल्यांकन करता है जिस पर जमीनदार का अधिकार होता है। उसे भी पाँच रुपये वेतन मिलता है। इस प्रकार के पदभोगी और उससे सम्बन्धित कर्तव्य करते हुए कभी कभी उन्हें उध वेतन भी मिलता है। परतु मैं मानता हूँ कि उपरोक्त जो उदाहरण मैंने दिये हैं उनके समकक्ष यदि शिक्षक को रखा जा सकता है और यदि शिक्षक को भी वही काम सँपे जाएँ तो वह उन्हें बखूबी निभा सकता है तब ग्रामीण जागीरदारी में लगे लोग अनधिकृत अनेक लाभ प्राप्त करते हैं और उन्हें मान सम्मान मिलता है तथा वे अपनी पहुँच का लाभ उठाते हैं जबकि विद्यालय के शिक्षक के पास यह कुछ नहीं होता यही मेरा कहना है। अन्य बातों में वे समान हैं। इन सभी कृतियों की पूर्ति के लिये सामान्यतः नातौर में मैं जिन शिक्षकों से मिला उनका वेतनमान अपेक्षाकृत ऊँचा है। कुछ क़ सात रूपए या कुछ का साढ़ेसात रूपए जैसा है।

विद्यालयों के लिये भवन नहीं बनाने गये हैं तथा विद्यालय के स्वामित्व के भवन नहीं हैं। जो भी विभाग या मक़ान जहाँ छात्र एकत्र होकर पढ़ते हैं उनका उपयोग जब छात्र नहीं पढ़ रहे होते तब अन्य क़म में होता है। कुछ छात्रों को घड़ीमरुप में पढाया जाता है। यह स्थान मंदिर जैसा होता है और गाँव के प्रमुख परिवारों की मालिकी का होता है। वार्षिक त्यौहारों के समय उनमें पूजाविधि होती है। कभी कभी अनजान व्यक्तियों को भी वहाँ ठहराया जाता है और उनको स्वागत सम्मान किया जाता है। घघा रोज़गार भी वहाँ से होता है। 'मैठक' (घौपाल) एक झोंपडीनुमा खुली जगह होती है जहाँ मनोरंजन या गाँव के सामान्य हित की घर्षा हेतु समारोह होती हैं। अन्य एक स्थान विद्यालय के मुख्य समर्थक (सहयोगी) का निवासस्थान होता है। शिक्षक के निवासस्थान के पास कुछ सुरक्षित खुले स्थान के अलावा और कुछ विशेष स्थान नहीं होता। क्रमांक ४ के गाँव में 'अ' विद्यालय वर्षा के सिवाय खुले मैदान में लगता है। वर्षाक़तु में जिन बालकों के माँ बाप व्यय कर सकते हैं वे उनके लिये घास या पधियों का मरुप बना देते हैं जो चारों ओर खुला होता है और मुश्किल से एक ही व्यक्ति को वर्षा से बचा पाता है। ३० ४० विद्यार्थियों के बीच ऐसे ५-६ मरुप होते हैं। जिन्हें बरसात से बचाव नहीं मिलता वे या तो छूट जाते हैं या आधी बरसात में भीगते रहते हैं। यह स्पष्ट है कि विद्यालय की सामान्य कार्यक्षमता और नियमितता जो कक्षाकक्ष से उपलब्ध होती है और विद्यार्थियों के लिये आरामदायक और आनन्ददायक होती है एव शिक्षक के पक्ष में निरीक्षण और सभी प्रकार से वार्तालाप सहज हो सके ऐसी स्थिति बनाती है वह यहाँ नदारद है।

दी जा रही शिक्षा क़ ब्यौरा देखने से पता चलता है कि समग्र जिले में कोई नहीं जानता कि ग्रामवासियों के लिये प्रादेशिक भाषा में छपी पुस्तकों का उपयोग किया जा

सकता है। अपवाद स्वरूप कुछ अधिकारी और सम्पन्न ग्रामवासी कौलकता से प्राप्त पचास का उपयोग करते हैं तो भूला भटका कोई मुर्शिदाबाद से नदी पार कर आ बसा मिशनरी छपी पुस्तकों का उपयोग करता है। इनमें से प्रत्येक का एक एक उदाहरण मिला है परंतु मैं बड़े विधासपूर्वक कह सकता हूँ कि किसी भी शिक्षक ने कभी छपी हुई पुस्तक नहीं देखी है। कौलकता डुक सोसायटी से प्राप्त पुस्तकें जब मैंने उनके समक्ष रखीं तो उन्हें ज्ञान के साधन के तौर पर नहीं बरनू कौस्तुहल से देखा गया। सोसायटी ने अब बलिआ में प्रकाशन की विक्री हेतु एक एजेन्सी स्थापित की है जिससे सम्प्र जिले में शिक्षा का प्रसार यथा समय हो सके।

छपी हुई पुस्तकें तो एक ओर वे यह भी नहीं जानते कि हस्तलिखित पुस्तकों का उपयोग हो सकता है। शिक्षक जो कुछ मौखिक पढ़ाता लिखाता है छात्र उतना ही सीखते हैं। यद्यपि बालक को क्या पढ़ाया-लिखाया गया वह शिक्षक को अच्छी तरह याद होता है और सम्भवतः छात्र की स्मृति में भी वह उतना ही बना रहता है परंतु इस प्रकार की शिक्षा की एक मर्यादा तो है ही। इस प्रकार वे जो रचना पढ़ते हैं उसमें मुख्यतः सरस्वती वदना होती है जिसमें विद्या की देवी सरस्वती की वदना की जाती है। इस वदना की बार बार पुनराक्ति कर उसे कठस्थ कर लिया जाता है और प्रत्येक छात्र विद्यालय छूटने से पूर्व जमीन पर बैठकर और मस्तक झुकाकर वरिष्ठ छात्र जो दो दो पक्ति गवाता है उसका अनुसरण करते हैं। मेरे पास भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त वदना के दो उदाहरण हैं। ये एक दूसरे से एकदम भिन्न हैं फिर भी उनमें एक ही नाम की प्रार्थना है। इन विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा लिखी हुई और शुभवक्त्र के नियमों के अनुसार शब्दरचना वाली एक अन्य कति भी वदना के लिये उपयोग की जाती है। इर्लैण्ड में जिस प्रकार डॉक्टर प्रसिद्ध होता है उसी प्रकार बंगाल में शुभवक्त्र का नाम एक लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। फिर भी वह कौन था कब हुआ इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है; यहाँ ब्रिटिश राज्य की स्थापना से पूर्व इस प्रकार की रचनार्य करनेवाला कोई हुआ होगा ऐसा अनुमान लगाया जाता है। उसकी रचनाओं में अनेक हिन्दुस्तानी तथा फारसी शब्दों के प्रयोग से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह मुस्लिम शासन काल में हुआ होगा। अंग्रेजों या उनकी रचना का कोई प्रभाव नहीं दिखता। हाल ही में किसी ग्रामवासी सपादक ने इस कमी को दूर करने हेतु एक आवृत्ति का सपादन करने का विचार किया है।

ऐसा कहा गया है कि बंगाल में शिक्षा के चार स्तर हैं। पहला स्तर शायद ही दस दिन का होता है जिसमें छोटे बालकों से उंगली या बॉस की क्लम से जमीन पर लिखवाया जाता है। रेत की पट्टी (स्लेट) का इस जिले में उपयोग नहीं होता जिससे यह खर्च बच

जाता है। बालक की क्षमता के अनुसार दूसरा स्तर ढाई से चार वर्ष का होता है और वे ताड़पत्र पर लिखने में समर्थ हों इस प्रकार समय तय किया जाता है। यहाँ तक तो केवल शब्दोच्चार और अक्षरों के आकार को ध्यान में न लेते हुए विद्यार्थियों का परीक्षण किया जाता है। उसके बाद लोहे के धारदार साधन से शिक्षक ताड़पत्र पर निश्चित आकार के अक्षर उकेरता है और विद्यार्थियों को उन पर बोल की कलम और कोयले की रोशनाई से लिखने को कहा जाता है जिसे आसानी से मिटाया जा सकता है। इसका अभ्यास उसी ताड़पत्र पर बार बार किया जाता है जबकि अक्षरों के उचित आकार व फट बनाने रखने में विद्यार्थी को शिक्षक के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रहती। अन्य कोरे ताड़पत्र पर उससे वही अक्षर लिखने को कहा जाता है जिसमें उसे नकल या किसी मार्गदर्शन की सुविधा प्राप्त नहीं होती। उसके बाद उन्हें सयुक्ताक्षर स्वर व्यंजन युक्त शब्द लिखने का अभ्यास निरंतर कराया जाता है। साथ ही व्यक्तियों के सरल नाम भी लिखवाये जाते हैं। प्रदेश के अन्य भागों की शालाओं में जाति नदियों पहाड़ों आदि के तथा व्यक्तियों के नाम लिखना सिखाया जाता है। तत्पश्चात् विद्यार्थी को लिखना-पढ़ना सिखाया जाता है। बार बार पुनरावर्तन कौशिल्यों की मदद से सौ तक गिनती पहाड़ा जमीन नापने की तालिका (कोष्टक) वजन नापने की तालिका (शेर कोष्टक) जिससे सूखा माल सामान तौला जा सकता है आदि कठस्थ कराया जाता है। कुछ अन्य स्थानों पर अन्य तालिकारें भी पढ़ाई जाती हैं जो इस जिले के विद्यालयों में नहीं पढ़ाई जातीं। तीसरे स्तर की शिक्षा दो तीन वर्ष की होती है। इस समय में केले के पत्तों पर लिखना सिखाया जाता है। कुछ जिलों में उक्त तालिकाओं की शिक्षा इस स्तर पर स्थगित रहती है परंतु इस जिले में इनकी शिक्षा दूसरे स्तर में दी जाती है। सर्वप्रथम केले के पत्तों पर विद्यार्थियों को अक्षर लिखना सिखाया जाता है और बंगाली बोली के शब्द स्वरूप की पहचान के लिये अक्षरों को जोड़कर शब्द रचना की शिक्षा हेतु विद्यार्थियों से सादे अक्षर लिखने का अभ्यास कराया जाता है। बोलते समय कुछ शब्दों को संक्षिप्त रूप में बोलते हैं। यह क्रिया स्वर या व्यंजन जोड़कर होती है या दो शब्दों का सम्युक्त शब्द बनाकर की जाती है। परंतु विद्यार्थी को संपूर्ण शब्द रचना लिखनी होती है संक्षिप्त रूप लिखने के काम नहीं आता। भाषा में प्रयुक्त मूल सस्कृत शब्दों की रचना (हिले) सामान्य शिक्षक के बसके बाहर की बात है। इसी समय विद्यार्थी को गणित के सरल नियम जोड़-बाकी आदि सिखाये जाते हैं। प्रारंभ जोड़ से होता है। गुणा भाग अलग से नहीं सिखाये जाते। इसके लिये बीस तक के पहाड़े की सहायता से सभी प्रकार की गणना की जाती है और यह पहाड़ा प्रतिदिन सुबह विद्यार्थियों से सस्वर बुलवाया जाता है। इस प्रकार यह कार्य किसी एक छात्र के लिये व्यक्तिगत तौर पर अलग से नहीं

होता परतु बार बार दुहराने से और एक दूसरे के अनुकरण से पहाड़े पके हो जाते हैं। जोड़ बाकी सुदृढ़ हो जाने के बाद सिखाये जाने वाले गणित के नियमों के आधार पर छात्रों के दो वर्ग हो जाते हैं। जिनमें शिक्षक की क्षमता और माता पिता की इच्छा के अनुसार खेती सम्बन्धित गणना व्यापार सबधी व्यावहारिक गणना और थोड़ी बहुत दोनों प्रकार की गणना इन दो वर्गों के विद्यार्थियों को सिखाई जाती है। कृषि विषयक गणना में जमा उधार दैनिक मासिक या वार्षिक धेतन की गणना जमीन का क्षेत्रफल नापने की कथा-बीघा सारिणी उसकी चौबदी का नाप उसकी लबाई चौड़ाई का नाप उसकी पैदावार तथा लगान आदि की गणना सिखाई जाती है। कृषि से सम्बन्धित हिसाब किताब की अन्य बातें इस जिले में नहीं सिखाई जातीं। व्यापार से सम्बन्धित हिसाब किताब में सेर के भाव से मन (४० सेर) की कीमत आनों में मिलनेवाली कौन्धियों की सख्या से रुपये में मिलनेवाली कौन्धियों की गणना सिखाई जाती है। सेर की कीमत से चौथाई सेर छट्क ( $\frac{1}{16}$  सेर) की कीमत मालूम की जाती है तथा छट्क की कीमत पर से तोले की कीमत जानी जाती है। रकम पर ब्याज दर और बट्टा की गणना कर किताबी कुल रकम देनी होगी यह जाना जाता है। अन्य व्यापार घटों के हिसाब की गणना प्रक्रियायें हैं परतु वे विद्यालयों में नहीं सिखाई जातीं। शिक्षा का चौथा स्तर दो वर्ष का होता है। इससे कम हो सकता है परतु अधिक विन्सी भी स्थिति में नहीं। पिछले स्तर पर सिखाई गई गणनाओं को इस स्तर पर सघनरूप और विस्तार से सिखाया जाता है। इसमें आर्थिक पत्रव्यवहार आवेदनपत्र लेखन अनुदान की जानकारी और गणना भाड़ा विष्टी (रसीद) प्राप्त धन की रसीद हूरी आदि का समावेश होता है। साथ ही अलग-अलग कार्यालयों के अधिकारियों के साथ होनेवाला पत्र व्यवहार भी सिखाया जाता है। जब विद्यार्थी एक वर्ष तक फगज़ पर लिखते लिखते तैयार हो जाते हैं तब बंगाली (भाषा) के व्यवहार के लिये स्वतंत्र रूप से योग्य मान लिये जाते हैं और घर पर रामायण मानस मंगल के अनुवादों का वाचन करते हैं।

बंगाली शिक्षा का ढांचा जैसा होना चाहिए उसके स्थान पर जो वर्तमान में है यह देखने जैसा है। जिन शिक्षकों से मिलने का मर्यादित अवसर मुझे प्राप्त हुआ है उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि ऊपर वर्णन की गई सभी बातों की शिक्षा देने के लिये ये शिक्षक सर्वथा अयोग्य हैं। इससे उनके आठवर्षों को मैंने लिख रखा है। सभी लोग यहाँ वर्णित शिक्षा देने का दम्भ भी नहीं करते जो सारिणी २ से जाना जा सकता है। कुछ केवल खेती विषयक और कुछ केवल व्यापार विषयक शिक्षा देते हैं। इनमें से अधिकांश शिक्षकों को दोनों प्रकार की शिक्षा का सतही ज्ञान भी नहीं है।

गुणाकार का पहाड़ा शुभकर के गणित के नियम और सरस्वती देवी की प्रार्थना



के मंत्रों के अपवाद के सिवाय छोटे बच्चे जो कुछ सीखते हैं वह बड़े बच्चों द्वारा बारम्बार उच्च स्वर में बोली गई बातों का अनुकरण मात्र होता है और उक्त अपवादों के सिवाय इस पुनरावर्तन का क्या अर्थ होता है इस सन्दर्भ में दीर्घकाल तक दुविधा ही रहती है। ग्राम्य शालाओं के बच्चे जब लिखना सीखते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि मात्र वाचन से ही नहीं वरन् वाचन और लेखन से ही उन्हें वास्तविक शिक्षा (ज्ञान) प्राप्त हो सकती है। उन्होंने पहले जो लिखा होता है उसे वे शिक्षक या वरिष्ठ विद्यार्थी को दिखाते हैं जिससे हाथ आँख कान आदि सभी इंद्रियाँ शिक्षा में सहभागी बनती हैं। हम पहले जो शिक्षा प्रणाली अपनाते थे जिसमें भाषा के मूल तत्त्व कान और आँख की सहायता से ही सिखाये जाते थे और बाद में लेखन सिखाया जाता था इसके स्थान पर उपरोक्त प्रणाली (भारतीय) अधिक उपयुक्त लगती है। ऐसा लगता है कि ग्रामीण शिक्षा प्रणाली मात्र कान पर आधारित है और दृश्य (आँख) की उसमें उपेक्षा की जाती है यह गलतफहमी के कारण है। उक्त अपवादों सहित यह आँख की मदद के बिना कैसे संभव है। लेखन में तो दृश्येन्द्रिय के बिना ज्ञान सम्भव ही नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय विद्यालयों में नेतृत्व करने वाला वरिष्ठ विद्यार्थी (मानीटर प्रकर का) होता है और वही स्थिति बंगाल के विद्यालयों में भी है।

बिना छत के या क्षतियुक्त निर्माणवाले मकानों में कक्षाओं के न होने की और उनसे होनेवाले नुकसान की चर्चा पहले की जा चुकी है। अज्ञान की अपेक्षा गरीबी के कारण शिक्षा की इस प्रथा और कम खर्चीली व्यवस्था का स्वीकार किया गया है। फिर भी यदि उत्तम संयोग उपस्थित हों तो उन्हें छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं है। शिक्षा की इस पद्धति की कुछ प्रशंसनीय बातें भी हैं। जिस प्रथा का मैंने वर्णन किया है उसका जोर व्यावहारिकता पर ज्यादा है और यदि योग्यरूप से समग्रता में शिक्षा कार्य होता है तो वह छात्र को गाँव के कामघरों के लिये पूर्ण रूप से योग्य बना सकती है। मैं यह कहने में असमर्थ हूँ कि स्कॉटलैण्ड की ग्राम शालाओं में दी जानेवाली शिक्षा विद्यार्थी के दैनंदिन व्यवहार के लिए अधिक उपयोगी है। जबकि बंगाल की छोटी ग्राम शालाओं में दी जानेवाली शिक्षा व्यावहारिक जीवन में प्रभावशाली है।

### फारसी प्राथमिक शालायें

नातोर में चार फारसी शालायें हैं। उनमें २३ छात्र पढ़ते हैं। उनमें साढ़े चार वर्ष से तेरह वर्ष तक की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता है और वे बारह से सत्रह वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इन शालाओं में चार से आठ वर्ष तक का

पाठ्यक्रम है। बंगाली शालाओं के शिक्षकों की अपेक्षा यहाँ के शिक्षकों का स्तर ऊँचा है फिर भी अपेक्षित स्तर की गुणवत्ता नहीं है। नैतिक दृष्टि से बंगाली शिक्षकों का सुन्दर प्रभाव बालकों के चरित्र और स्वभाव पर पड़ता है। ऐसी कोई बात फारसी शिक्षकों में नहीं दिखती। छात्रों से उन्हें कोई मासिक शुल्क नहीं मिलता। उन्हें आवश्यकता के अनुसार मासिक वेतन मिलता है। यह वेतन डेढ़ रुपये से चार रुपये तक का होता है। यह वेतन उन्हें एक या अधिक कुटुम्बों के द्वारा दिया जाता है और जीवनावश्यक वस्तुएँ जैसे कि अनाज नहानेघोले की सामग्री (लगभग ढाई से छह रुपये मूल्य की) तथा अन्य व्यक्तिगत खर्च की राशि एक परिवार से अथवा जो माता पिता मासिक भत्ता नहीं देते उनके द्वारा दी जाती है। इस तरह एक शिक्षक का वेतन मासिक ४ से १० रुपये तक होता है। इन शालाओं के आश्रयदाताओं का मुख्य हेतु उनके बालकों को शिक्षा दिलाना होता है। एक उदाहरण ऐसा भी मिला जहाँ एक नि सतान मुस्लिम व्यक्ति अपनी और से वेतन के लिये धदा देता है जिसके बिना शिक्षक को अपने काम में कोई आकर्षण नहीं रहता। एक अन्य उदाहरणमें कुटुम्ब के बालकों के अलावा अन्य दस बच्चों को शाला में प्रवेश दिया गया है जिनकी शिक्षा भोजन वस्त्र आदि नि शुल्क दिये जाते हैं। दो विद्यालयों के अपने मकान हैं जो परोपकारी आश्रयदाताओं ने बनवाये हैं और उनकी सहायता भी करते रहते हैं। अन्य दो विद्यालयों के छात्र घर के बाहरी भाग में जिनमें उन परिवारों के बालक भी शिक्षा लेते हैं एक होकर शिक्षा प्राप्त करते हैं।

फारसी शालायें छपी हुई पुस्तकों से अपरिचित हैं परन्तु हस्तलिखित साहित्य का निरन्तर उपयोग होता है। सामान्य शिक्षा प्रणाली में कोई स्तर विभाजन नहीं है। हिन्दुओं की भाँति मुस्लिमान भी अपने बालकों की शिक्षा का प्रारम्भ अक्षरज्ञान से करते हैं। जब कोई मुस्लिम बालक या बालिका चार वर्ष चार मास और चार दिन की हो जाती है तब कुटुम्ब के मित्र एकत्र होते हैं। बच्चे को सुन्दर वस्त्र पहनाकर मित्रों के समक्ष लाया जाता है और सबकी उपस्थिति में आसन पर बिठाया जाता है। मूलाक्षर गिनती के कुछ अक्षर युरान के ५५ वें प्रकरण की कुछ आयतों तथा पूरा ८७वा प्रकरण सिखाया जाता है। यदि बालक मनस्वी है और पढ़ने की अनिच्छा दिखाता है तो उससे 'मिसमिन्ना' बुलवाया जाता है जो प्रत्येक उच्चर के लिये उपयुक्त माना जाता है और इसी दिन से शिक्षा का प्रारम्भ माना जाता है। हम जिस तरह मूलाक्षर सीखते हैं उसी तरह यह सिखाया जाता है। आँख और कान का उपयोग होता रहता है। अक्षरों को लिखकर उन्हें इस प्रकार पढ़ाया जाता है कि बालक के मन में अक्षरों के आकार और उच्चारण का समन्वय हो जाए। बारबार इस क्रिया का

पुनरावर्तन किया जाता है। तत्पश्चात् बालक को कुरान का १३वा भाग (प्रकरण) चुनाया जाता है जिसके अनुच्छेद अति सक्षिप्त हैं। सामान्य तौर पर ये आयतें दफनविधि के समय बोली जाती हैं। शब्दों को एक दूसरे से अलग करने के लिये ऊपर नुक्ता (बिन्दु) रखा जाता है। अक्षरों का ज्ञान उनकी शब्द रचना शुद्ध हिंज्र के लिये कौन सा अक्षर या शब्द किस अवयव की मदद से बोला जाता है यह जानना आवश्यक होता है। परन्तु इस के पीछे का हेतु अज्ञात ही रहता है। उनके हाथ में दूसरी पुस्तक सादी का 'पठनामा' दी जाती है। इस 'पठनामा' में नैतिक मूल्यों की घर्षा होती है और वह बालक की समझ से बाहर होता है। बालक उसे समझे ही यह आवश्यक नहीं होता। उसके बाद ही बालक को स्वर और व्यंजन साथ तथा स्वर व्यंजन के संयुक्त शब्द सिखाये जाते हैं जिससे यह शब्द रचना कर सके। उसके बाद उसे 'आमदनामा' पढ़ाया जाता है जिसमें फरसी क्रियाओं का स्माख्यान होता है। उसे बारबार बोलकर कठस्थ करना होता है। विवाह से संबंधित सादी की एक पुस्तक 'गुलिस्तान' भी पढ़ाई जाती है जिसमें विवाह जीवन की रीतिनीति सिखाई जाती है। साथ साथ इसी लेखक की अन्य पुस्तक 'बोस्ता' भी विद्यार्थियों को दी जाती है। प्रत्येक से तीन घण्टा विभागों का वाचन किया जाता है तथा आने जाने बैठने उठने से संबंधित जीवन प्रक्रिया के लिये सक्षिप्त फारसी वाक्य रचना सिखाई जाती है। विद्यार्थी को फारसी हिसाब फारसी नाम और बाद में हिन्दी नाम लिखना सिखाया जाता है। कठिन शब्दरचना वाले नाम भी सिखाये जाते हैं। सुन्दर लेखन कला एक बड़ी सिद्धि मानी जाती है और जो लोग इस काम से जुड़े होते हैं वे रोज तीन से छ घण्टे लेखन कार्य करते हैं। इस विधि में पहले एक अक्षर फिर दो अक्षर तीन अक्षर संयुक्त अक्षर शब्द आदि लिखे जाते हैं और जब कलम से लिखने में कुशलता आ जाती है तब कागज के एक ओर वे लिखना शुरू करते हैं। इस लेखन में हिब्रू इतिहास के प्रसिद्ध प्रसंगों से जुड़ी जोसेफ और जुलेखाकी काव्य पक्तियाँ लैला मजनू की प्रेमकथा सिकन्दरनामा से महान सिकन्दर के पराक्रमों की कथाएँ आदि का समावेश होता है। इसमें दो विभाग हैं। पहले विभाग में वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किया जाता है जो इकाई दहाई सैकड़ा सहस्र आदि संख्या का लेखन दर्शाता है। दूसरे विभाग में मूलशब्दों का नाम दर्शाने वाले अक्षरों का इस गणन हेतु उपयोग किया जाता है। अरबी अको द्वारा अकर्मणित सिखाया जाता है। संयोजनों की विभिन्न पद्धतियाँ पत्रव्यवहार के भिन्न भिन्न स्वल्प्य प्रार्थनापत्र लेखन आदि से फारसी शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरा होता है। किन्तु इस जिले के विद्यार्थियों में उपर्युक्त पाठ्यक्रम उपरी तौर पर ही सिखाया जाता है। कई शिक्षक तो अपने विद्यार्थियों को

‘गुलिस्ता’ और बोस्ता से अधिक सिखाने का दावा भी नहीं करते।

बालवय के बाद फारसी शालाओं में जब यह लगता है कि अब अधिक भार पूर्वक शिक्षा दी जा सकती है तब शिक्षा का समय प्रातः ६ बजे से रात के ९ बजे तक बढ़ा दिया जाता है। पहले तो सुबह पिछले दिन सीखे पाठ का पुनरावर्तन किया जाता है। फिर नया पाठ शुरू किया जाता है और उसे आत्मसात् कर शिक्षक के समक्ष कठस्थ बोलना होता है। मध्याह्न में उन्हें एक घंटे का अवकाश मिलता है जिस में वे भोजन करते हैं। शाला में वापस आने पर उन्हें लिखना सिखाया जाता है। लगभग तीन बजे वाचन हेतु उन्हें दूसरा पाठ दिया जाता है जो उन्हें याद करना होता है और शाला छूटने के एक घंटे पहले उन्हें खेलने का अवकाश दिया जाता है। सुबह और दोपहर बाद के वाचन का हेतु गद्य वाचन का सावधानी पूर्वक पद्य वाचन के साथ समन्वय करना होता है। जैसे कि गुलिस्ता के वाचन का बोस्ता के वाचन से समन्वय करना और अक़ुल क़त्नाम के पत्रों का सिकन्दरनामा के साथ समन्वय करना। दोपहर से पूर्व का वाचन एक पुस्तक से और दोपहर बाद का वाचन अन्य पुस्तक से किया जाता है। दिन भर सीखे पाठों का छात्र शाम को कई बार पुनरावर्तन करते हैं और जब तक वे पूर्ण प्रभुत्व न पा लें तब तक ऐसा करते हैं। तत्पश्चात् दूसरे दिन की थोड़ी बहुत तैयारी करने के बाद वे छूटते हैं। प्रत्येक गुरुवार को सप्ताह भर में सिखाये गये पाठों का पुनरावर्तन होता है और वह पूरा होने पर बालक शिक्षा या मनोरञ्जन हेतु प्रार्थना या कविता की कठियाँ दुहराते रहते हैं। दोपहर तीन बजे कोई भी नया पाठ सिखाये बिना उन्हें छोड़ दिया जाता है। शुक्रवार को जो मुसलमानों का पवित्र दिन माना जाता है विद्यालय में अवकाश होता है। अन्य जिलों में जहाँ सपन्न और प्रमावी मुसलमान परिवार रहते हैं वहाँ शिक्षक को मिर्या या आखुन कहा जाता है। व्यक्तिगत शिक्षक भी होते हैं जिन्हें ‘सेन्सर मोडम’ या अतालिक कहा जाता है जो घरेलू बड़े नैयत्र के समान होते हैं। उसका कर्ष्य बालकों को सुव्यवहार सिखाना होता है। वह यह भी ध्यान रखता है कि ये बालक उसके सौंपे कार्य की अवहेलना तो नहीं करता। परतु राजाशाही जिले में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया।

समग्र फारसी शिक्षा जो जिले में जहाँ जहाँ भी अपूर्ण हालत में दिखाई दी और फिलहाल प्रचलित है वह बंगाली शिक्षा की तुलना में अधिक समझदारीवाली और मुक्त चर्चदारवृत्तिवाली है। भले ही पुस्तक हस्तलिखित हो परतु उसके उपयोग के कारण वह कर्षि प्रगत है। इस उपयोगिता के कारण बालकों का मन नियमित रचनाओं के लिये तैयार हो जाता है और शुद्ध तथा प्राञ्जल भाषा और उससे विचार बुद्धि और आस्वादन को

प्रोत्साहन उसके प्रतिफल हैं। इस प्रकार देखा जा सकता है कि पुस्तकों के अनेक पत्रों का नैतिक प्रभाव विद्यार्थी के चरित्रनिर्माण में सहायक होता है। परंतु जहां तक मेरा निरीक्षण है सभी पुस्तकों जो काम में ली जा रही हैं केवल भाषा शिक्षण के लिये ही हैं अर्थात् ध्वनि का ज्ञान वाक्यरचना हेतु शब्दों या कहानी की जानकारी देने तक सीमित हैं। सूक्ष्म रूप से नैतिक विचार या नैतिक आचरण निर्माण करने वाली नहीं हैं। यह साधारण ग्राम्य अनुमान है। शिक्षा व्यवसाय के लिये नहीं है और उस सदर्भ में विचार भी किया गया नहीं लगता। इस शिक्षा प्रणाली के निरीक्षण से दो बातें तय हो सकती हैं। लोमों के दो समुदाय हैं एक पढ़ा-लिखा मुस्लिम समुदाय है और दूसरा हिन्दू समुदाय है। पहला वर्ग बुद्धिमत्ता में श्रेष्ठ है परंतु नीतिमत्ता में श्रेष्ठ नहीं है।

### अरबी प्राथमिक शालायें

अरबी शालायों में धार्मिक या औपचारिक वाचन कुरान के कुछ भागों से किया जाता है। ऐसी ११ शालायें हैं और उनमें ४२ विद्यार्थी हैं। ये छत्र ७ से १४ वर्ष के अमु समूह में पढ़ना सीखते हैं और ८ से १८ वर्ष की आयु में विद्यालय छोड़ देते हैं। शाला में १ वर्ष से ५ वर्ष तक वे रहते हैं। निम्नतम प्रशिक्षण युक्त शिक्षक उपलब्ध हैं जिन्हें शिक्षा का कार्य दिया जाता है। वे अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते हैं और न ही वे दावा करते हैं कि वे जो पढ़ते-पढ़ते हैं उसे समझते भी हैं। मात्र कुछ आकार नाम शब्द ध्वनि कुछ अक्षर और अक्षर मिलाकर लिखे शब्द वे जानते हैं और सिखाते हैं और जितना वे पढ़ते हैं उतना ही लिखा हुआ समझ सकते हैं। इन लिखी बातों का अस्पष्ट भी अर्थ करने या समझने का जरा भी प्रयास वे नहीं करते। मात्र शब्द ही रह जाते हैं। इस प्रकार की शिक्षा वर्ण-आकारों तक सीमित तथा हास्यास्पद है। सार्थक और सोद्देश्य शिक्षा देनेवाले विद्यालयों से वे एकदम भिन्न हैं यह आसानी से समझा जा सकता है।

शिक्षक अलाम (कठमुले) हैं जो काफी निम्न स्तर के मुसलमान धर्मगुरु हैं जो अपना जीवन निर्वाह अपने ही कर्ष के गरीब अज्ञानी और अंधविश्वासी लोगों के आधार पर करते हैं। उनके छात्र भी उनके जैसे होते हैं। कुरान का जो भाग सिखाया जाता है वह साले की कुरान के ७८ वें प्रकरण से अंत तक होता है। मौलवी प्रौढ छात्रों को थोड़ा औपचारिक वाचन सिखाने के बाद शायियाँ क्यते हैं। इसके लिये उन्हें दोनों पक्षों से सामर्थ्यानुसार १ आना से ८ आना तक मिलता है। मृत्यु समय की क्रिया जिसमें मृतक के लिये प्रार्थना की जाती है १ दिन से ४० दिन तक चलती है। उसके लिये २ आने से १

रूपये तक रकम मिलती है। इन सभी सेवाओं में कुत्रान का वाधन अनिवार्य होता है। मौलवी गाँव में खटीक (कन्साई) का कार्य भी करते हैं। इसके लिये वे जानवरों का झटका (काटना) करते हैं और पवित्र आयतें बोलते हैं जिनके बिना मुसलमान यह मॉस नहीं खा सकते। इसके लिये वे कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं लेते। उनके स्थानों पर शिक्षक विवाह या दफनविधि से जुड़े होते हैं और शिक्षा नि शुल्क देते हैं। एक उदाहरण में तो शिक्षक को शाला के आश्रयदाता से निश्चित वेतन कुछ छात्रों से शुल्क और जीवनावश्यक वस्तुयें कुल मिलाकर साढ़े चार रूपये जितनी मासिक आय होती है। ऐसे मामलों में आश्रयदाता शिक्षक को बागला और फारसी सिखाने का दबाव भी डालता है। अन्य एक उदाहरण में आश्रयदाता शिक्षक को आवास भोजन तथा वस्त्र प्रदान करता है परंतु उसे कोई वेतन या शुल्क नहीं मिलता। तीन उदाहरणों में शिक्षकों को सलामी के रूप में वेतन मिलता है जो पाच या छह रूपये की भेंट होती है। प्रत्येक छात्र शाला छोड़ते समय शिक्षक को यह सलामी देता है। दो अन्य मामलों में शिक्षकों के पास छोटे खेत हैं जिनसे उनकी आमदनी होती है। इसके अतिरिक्त मौलवी होने के अतिरिक्त लाभ भी उन्हें मिलते हैं। वे अपने घरों या शाला भवनों में शिक्षणकार्य करते हैं। इन मकानों का उपयोग प्रार्थना (नमाज) महामानों के स्वागत और समाओं आदि के लिये भी होता है।

अरबी शालाओं जैसी महत्त्वहीन बेकार और नजरअदाज की जा सकनेवाली सस्था अन्य कत्रेई नहीं है। यद्यपि ये शालाएँ शिक्षा के लिये हैं परंतु एकदम बेकार हैं। ग्राम्य मानस पर उनका निश्चित प्रभाव है जिसका प्रमाण है मौलवियों को प्राप्त होनेवाली धन राशि और सम्मान शिक्षक के रूप में प्राप्त होनेवाला वेतन एवं विद्यालय स्थापित करने हेतु किया जाने वाला खर्च। मुस्लिम आबादी थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त कर खेजगार या नौकरी प्राप्त कर लेती है। ये सब बातें उनके प्रभाव का प्रमाण हैं। मानवताप्रेमी और राजनीतिज्ञों के लिये सस्था कितनी भी छोटी हो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उस सस्था के माध्यम से वे मानव समुदाय के कितनी भी हिस्से के लिए उपकारक प्रभाव पैदा करना चाहते हैं। अधिकांश लोगों के अज्ञान को देखकर उन्हें घिंता रहती है कि यदि उन्हें कोई मौका मिले तो वे जनता को सही समझ दे सकें कि उनकी श्रद्धा से जो सस्थाएँ खड़ी हैं वे उन्हें अज्ञान का केन्द्र न बनने दें वरन् उन्हें विवेकयुक्त ज्ञान और सेवा में लगा दें। मैं निराश नहीं हूँ। इसके साधन साधे सस्ते और गैर आक्रमक होंगे जिन से इन शालाओं के शिक्षकों को भी योग्य प्रशिक्षण प्राप्त होगा और बालकों का बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त होगी। हाल में शिक्षक को जो मान सम्मान प्राप्त है उससे उन्हें धरित किये बिना यह संभव होगा।

## विलियम एठम का प्राथमिक शालाओं विषयक विवरण

### सामान्य

हिन्दुओं के लिये भेजे गये विवरण में जिन सस्थाओं के द्वारा प्राथमिक शिक्षा का कार्य किया जा रहा है और जिन्हें हिन्दुओं ने सुरक्षित रखा है सही चित्र प्रस्तुत होता है। इन सस्थाओं के जमे रहने के पीछे मूलभूत सिद्धान्त यह है। हिन्दू धर्म अत्यन्त कम खर्च में निमाया जा सकता है और अधिकांश लोग और बाकी समाज ऐसा विश्वास रखते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना एक धार्मिक कार्य है। अतः इसके प्रसार के लिये वे शिक्षकों और विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता करते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों को उनका निश्चित अध्ययन जारी रखने के लिये निःशुल्क शिक्षा और शिक्षकों की निरसता दूर करने के लिये उन्हें निवासस्थान धान्य आदि कभी कभी वस्त्रदान के रूप में जमीनदारों और अन्य लोगों की ओर से स्थायी आय होती रहे इसलिये जमीन के स्थायी पट्टे के अलावा विवाह या मृत्यु तथा अन्य अवसरों पर समूह भोजन की व्यवस्था की जाती है। ऐसी संस्थाओं की पूरे देश में कितनी संख्या है इसकी जानकारी अपूर्ण होने के कारण उसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता। डॉ. बुरानन को दिनाजपुर जिले में १६ विद्यालय मिले जबकि पड़ोस के पूर्णिया जिले में लगभग ११९ जितनी ऐसी संस्थायें हैं। सस्थाओं का यह अंतर किन्ती गलती की ओर संकेत करता है। डॉ. बुरानन के भेजे गये विवरण के साथ अन्य जिलों से प्राप्त संख्या के अंदाज की व्यक्तिगत जाँच नहीं हुई है अतः उस पर विश्वास कम ही किया जा सकता है। मुझे जो भी तथ्य प्राप्त हुए हैं उन से कहा जा सकता है कि बंगाल के प्रत्येक जिले में ऐसी लगभग १०० संस्थायें हैं। इस प्रकार पूरे प्रान्त में ऐसी १८०० संस्थायें हैं। छात्रों की संख्या का आधार शालाओं की वास्तविक संख्या पर है फिर भी निम्न तथ्य प्रत्येक विद्यालय की औसत संख्या जानने में सहायक होगा। सन् १८१८ में श्री दोईने कोलकता में हिन्दुओं की २८ शालायें दर्शाई हैं जिनमें १७३ छात्र अध्ययन करते थे। इस तरह प्रति विद्यालय औसत ६ विद्यार्थी हुए। नदिया में उन्होंने ३१ हिन्दू शालायें बताई हैं। जिनमें ७४७ छात्र अध्ययनरत थे। यह औसत प्रति विद्यालय २४ छात्रों का होता है। सन् १८३० में श्री एच एच विलसनने व्यक्तिगत जाँच के आधार पर बताया कि वहाँ २५ शालायें थी जिनमें ५ से लेकर ६०० तक छात्र अध्ययन करते थे। इस प्रकार यदि छात्रों

की संख्या ५५० मानें तो प्रति विद्यालय २२ छात्र संख्या होगी। उक्त तीनों अभिप्रायों से प्रति विद्यालय  $१७\frac{1}{2}$  का औसत आता है। कोलकता का औसत सबसे नीचा ६ विद्यार्थी का है और मैं इसे अधिक विश्वसनीय मानता हूँ क्योंकि ऐसे उदाहरण हैं कि विद्वान हिन्दू शिक्षकों के पास तीन या चार से अधिक छात्र नहीं होते। इस प्रकार हिन्दू शिक्षक और विद्यार्थियों की कुल संख्या १२ ६०० होती है और यह अक विशाल समुदाय को समाविष्ट करता है। क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद जिन्हें विद्वान पठित माना जाता है उनकी संख्या लोगों के इस व्यवसाय में न आने से कम होती जा रही है। यदि और जाँच की जाय तो मेरा मानना है कि यह अक ७ से थोड़ा अधिक ही होगा। तो भी बड़ा वर्ग प्रभावशाली लोगों का है जिन्होंने महाविद्यालयीन शिक्षा या तो प्राप्त की है या हिन्दू महाविद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन कर रहे हैं।

हिन्दू महाविद्यालय जिनमें उच्च शिक्षा दी जाती है सामान्यतः मिट्टी से बने (कच्चे मकान) हैं। कुछ में ३ से ५ और कुछ में ९ से ११ कमरे होते हैं। ये सभी कच्चे होते हैं। वाचनकक्ष का भी इन्हीं में समावेश हो जाता है। ये कच्चे मकान ज्यादातर शिक्षकों के ही बनाए हुए होते हैं। विद्यालय का मकान बनाने और विद्यार्थियों के भोजन के लिये शिक्षक दान एकत्र करते हैं। कुछ मामलों में जमीन के लिये किराया दिया जाता है। सामान्यतः जमीन या भूकन भेट में मिले हुए होते हैं। शाला का कक्ष और निवास का कक्ष तय हो जाने के बाद उसकी सफलता के लिये शिक्षक ब्राह्मणों और गाँव के प्रभावशाली व्यक्तियों को मनोरंजन हेतु आमंत्रित करता है और अंत में ब्राह्मणों को साधारण भेंट देकर खिदा करता है। यदि शिक्षक को बच्चे एकत्रित करने में कठिनाई होती है तो वह अपने बच्चियों के बालकों को एकत्र कर शाला प्रारंभ करता है और उन्हें शिक्षा देकर एव सामाजिक वादविवादों के समय अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर नाम कमाता है। सुबह तड़के वह विद्यालय खोलता है और खुले वाचनकक्ष में विद्यार्थियों को एकत्र करता है जहाँ प्रत्येक कक्षा के छात्र क्रमानुसार वाचन करते हैं। मध्याह्न तक शिक्षण कार्य चलता है। उसके बाद के तीन घंटे नहाने-धोने भोजन करने और विश्राम के लिये होते हैं। दोपहर के तीन बजे प्रारंभ हुआ शिक्षण कार्य शाम तक चलता है। उसके बाद के दो घंटे सायं प्रार्थना भोजन धूम्रपान और आराम के लिये होते हैं। तत्पश्चात् रात के दस ग्यारह बजे तक अध्ययन कार्य चलता रहता है। सांस्कृतिक अध्ययन में दिन भर किये अध्ययन का पुनरावर्तन होता है जिससे जो पढ़ा है वह गहराई से उसके मास्तिष्क में उतर जाए। यह अभ्यास बार बार किया जाता है। विशेष तौर पर सर्क्यास के छात्र देर रात २-३ बजे तक अध्ययन करते रहते हैं।



बंगाल में तीन प्रकार के महाविद्यालय हैं। पहले में व्याकरण सामान्य साहित्य आल्फ़ररिक भाषा महान पौराणिक कथ्य और विधिशास्त्र की शिक्षा दी जाती है। दूसरों में मुख्य तौर पर कायदे-कानून और पौराणिक कविताओं की शिक्षा दी जाती है। तीसरे प्रकार के विद्यालयों में तर्कशास्त्र की मुख्य विषय के रूप में शिक्षा दी जाती है। इन सभी विद्यालयों में चुने हुए विषयों की शिक्षा दी जाती है। परंतु यह शिक्षा भाषण के स्वरूप में नहीं होती। महाविद्यालय के प्रथम वर्ष में उस कॉलेज (महाविद्यालय) में प्रयुक्त व्याकरण के पाठों का पुनरावर्तन होता है और जब वे विद्यार्थियों को कठस्थ हो जाते हैं तब शिक्षक उन्हें समझाता है। अन्य विद्यालयों में छात्रों को उनकी प्रगति के अनुसार अलग-अलग वर्गों में रखा जाता है। प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थी एक या अधिक पुस्तक लेकर शिक्षक के समक्ष बैठते हैं और सबसे तेजस्वी विद्यार्थी उसे ऊँची आवाज में पढ़ता है तथा शिक्षक जब जब उसका अर्थ पूछता है तब तब वह उत्तर देता रहता है। यह क्रिया कार्य पूर्ण होने तक प्रतिदिन चलती रहती है। व्याकरण का अध्ययन दो तीन या छ वर्ष तक चलता है और जहाँ पाषिणि का व्याकरण भी पढ़ाया जाता है वहाँ यह समय दस वर्ष से कम नहीं होता। कभी कभी तो बारह वर्ष तक भी होता है। व्याकरण का यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब विद्यार्थी स्वयं वाचन में और काव्य समझने में कायदे-कानून और दर्शनशास्त्र की पुस्तकें समझने में पारंगत हो जाता है तब वह इस प्रकार का अध्ययन स्वयं करते लगता है और व्याकरण का बाकी अध्ययन स्वयं कर लेता है। जो तर्कशास्त्र पढ़ते हैं वे अन्य महाविद्यालय में छ आठ दस या बारह वर्ष तक अपना अध्ययन जारी रखते हैं। एक शिक्षक से प्राप्त समस्त ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद उससे सम्मानपूर्वक कामायाचना कर अन्य शिक्षक के पास जाता है। जिनके विवरण जिस से पूर्वोक्त अधिकतर जानकारी प्राप्त हुई है। से ऐसा अंदाज लगता है कि १ लाख ब्राह्मणों में से १ हजार ब्राह्मण संस्कृत व्याकरण सीखते हैं इनमें से ४००-५०० लोग काव्य रचना के अमुक अश पढ़ सकते हैं और ५० अलंकार शास्त्र के कुछ अश पढ़ते हैं। इन हजार छात्रों में से ४०० स्मृति (विधिशास्त्र) पढ़ते हैं परंतु तत्रशास्त्र का अध्ययन १० से अधिक छात्र नहीं करते। ३०० छात्रों ने न्यायशास्त्र का अध्ययन किया है किन्तु पाच या छह लोगों ने मीमांसा साख्य वेदान्त पतञ्जलि वैशेषिक या वेदों का अध्ययन किया होता है। इन में से दस जितने ब्राह्मण खगोलशास्त्र का अध्ययन करते हैं तथा अन्य दस से कुछ अधिक इसका अधूरा ज्ञान रखते हैं। इन हजार में से लगभग पचास भाग्य और अन्य पुराणों का अध्ययन करते हैं। आजकल यहाँ दर्शाई गई सख्या से भी अधिक छात्र अलंकारशास्त्र और तंत्रों का अध्ययन करते हैं। लोग खगोलशास्त्र पर अधिक ध्यान देते हैं और शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष की अस्मी को जब पढ़

की कलायें घटती या बढ़ती हैं अध्ययन कार्य स्थगित रखा जाता है। विजली की धमक बादलों की गर्जना गुरु शिष्य के बीच में से वाद्यन के समय कोई निकल जाए किसी विशिष्ट माननीय व्यक्ति के आगमन पर सरस्वती पूजन त्योंहार के तीन दिन वर्षाऋतु के कुछ दिन (कुछ भागों में) दुर्गापूजा के अवसर पर दो महीनों में तथा अन्य त्योंहारों के समय महाशालाओं का अध्ययन स्थगित रहता है। जब कोई छात्र तर्कशास्त्र या विधिशास्त्र का अध्ययन प्रारम्भ करता है तब शिक्षक की अनुमति से उस छात्र के सहपाठी उसका मानद नाम (पद) से अभिनन्दन करते हैं। यह नाम उसके अध्ययन के अनुसृत्य और उसके पुरोगामियों को दिये गये नाम से एकदम भिन्न होता है। प्रदेश के कुछ भागों में यह पदवीदान पढितों की उपस्थिति में होता है तथा कुछ अन्य स्थानों पर राजा या जमीन्दार की उपस्थिति में किया जाता है। ये राजा या जमींदार शिक्षा को प्रोत्साहन देने को उत्सुक रहते हैं और छात्र को सम्मानित करने के लिए उसे कीमती वस्त्र देते हैं और तिलक करते हैं। जब विद्यार्थी महाविद्यालय छोड़कर व्यवसाय में जुड़ता है तब उसे उसी पदनाम से मुलाया (समोहित किया) जाता है।

हिन्दुओं द्वारा अपनाई गई प्रणाली की अपेक्षा अपनी जाति और धर्म की उचित शिक्षा मिले इस हेतु बंगाली मुसलमानों द्वारा अपनाये गये साधन कम युक्तियुक्त और व्यवस्थित हैं। जिसनी मात्रा में उनका आस्तित्व है उससे भी कम जानकारी प्राप्त हुई है। ऐसा माना जाता है कि पश्चिम के प्रान्तों में नीचे के भाग में अनेक मुस्लिम शालायें प्रारम्भ हुई हैं और कुछ लोग व्यक्तिगत तौर पर उनका संचालन करते हैं। इन लोगोंने खूब श्रम करके अक्षर लेखन का व्यवसाय अपनी आजीविका के लिये विकसित किया है और शिक्षा का व्यवसाय अपनाया है। यह व्यवसाय आजीविका का साधन मात्र नहीं है परन्तु अपने जातिबन्धुओं के लिये नैतिक और धार्मिक रूप से लाभप्रद प्रशसनीय और उत्पादक है। इस प्रकार बहुत कम लोग सहायता या आवश्यक वस्तुओं के लिये शिक्षा कार्य करते हैं और जो कुछ उन्हें मिलता है उसे गुरु शिष्य के बीच सद्भाव और कुशलता के आदान प्रदान के रूप में प्रेम से स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार निजी रूप से शिक्षा देने वाले शिक्षकों की संख्या बड़ी नहीं है। उनकी उपस्थिति और अध्ययन कार्य एक दूसरे की अनुकूलता और दोनों पक्षों की रुधि के अनुसार होता है। किसी भी पक्ष को किसी विशिष्ट पद्धति या विशिष्ट ढंग में काम नहीं करना होता है। छात्र क्वि सफलता का आधार उसकी अपनी उद्यमशीलता पर होता है। थोड़ा सा विवाद या असहमति शिक्षा के अग्र कर्मकरण हो जाती है। किसी भी पक्ष पर कोई अकुश नहीं लगाया जाता तथा उनके बीच कोई अन्य बंधन भी नहीं होता। केवल अनौपचारिक आदान प्रदान और परस्पर लाभकारी स्थिति के समर्थ बने रहते

हैं जिसे हजारों कठिनाइयों या बाधायें रोक नहीं सकती। छात्रों की संख्या शायद ही छह से अधिक होती है। ये छात्र अनेक बार शिक्षक के घर पर ही निवास करते हैं तथा अन्य कुछ अपने परिवारों के साथ रहते हैं। पहली स्थिति में जहाँ मुसलमान विद्यार्थी शिक्षक के ही घर में रहते हैं उन्हें सदेशवहन बजार से खरीदी और घर का काम करना होता है। इस प्रकार विद्यार्थी शिक्षक बदलते रहते हैं। एक के पास से वे अक्षरज्ञान और फ़रसी भाषा के कुछ अंश दूसरे से 'पठनामा' तीसरे से गुलिस्ता सीखते हैं। इस प्रकार स्थान (शिक्षक) बदलते हुए जय वे पत्रलेखन में निपुण हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी शिक्षा पूरी हो गई है और उससे वे मुंशी का पद प्राप्त कर सकते हैं तब वे स्थायी आय के लिये धंधे की खोज में निकलते हैं और कंपनी के कार्यालयों में वे घपरासी की नौकरी स्वीकार कर लेते हैं। फ़रसी भाषा में दक्षता प्राप्त करने का हेतु छात्र को आजीविका रूप कोई कार्य प्राप्त होना होता है परंतु कुछ मामलों में अरबी भाषा का भी अध्ययन किया जाता है जिसमें व्याकरण साहित्य धर्मशास्त्र और कानून की शिक्षा दी जाती है। ऐसी असबद्ध और अतार्किक शिक्षा प्रणाली का अदाज लगाना असम्भव है।

कोलकत्ता और चौबीस पसगना की हिन्दू संस्थाओं की निश्चित संख्या प्राप्त नहीं हुई है। श्री बोर्ड ने अपना विवरण सन् १८१८ में प्रकाशित किया था। उसमें कोलकत्ता स्थित हिन्दू शिक्षण संस्थाओं की संख्या २८ बताई है और प्रत्येक शाला के शिक्षकों के नाम भी बताये हैं। उनमें मुख्य रूप से न्याय और स्मृतिशास्त्र पढ़ाये जाते थे। ये शालायें कोलकत्ता के चौथाई भाग में थीं और असंख्य छात्र उनमें शिक्षा प्राप्त करते थे। इन संस्थाओं की संख्या भी कोलकत्ता की अन्य शालाओं की संख्या में शामिल है। महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या १७३ दर्शाई गई है जिनमें कम से कम तीन और ज्यादा से ज्यादा पढ़े छात्र एक शिक्षक के पास पढ़ते थे। जो संख्या मैं ने बताई वह मि. बोर्ड के अनुसार इस प्रकार है -

(कोलकत्ता में शालाओं के अतिरिक्त महाविद्यालय भी हैं जिनमें विशेषरूप से न्याय और स्मृतिशास्त्र पढ़ाये जाते हैं)

अनंत राम विद्यावागीश हाति बागान .. .. .	१५ छात्र
रामकुमार तर्कालंकार हाति बागान .. .. .	८ छात्र
रामदुलार चूडामणि हाति बागान .. .. .	५ छात्र
गोरमुनि न्यायालंकार हाति बागान .. .. .	४ छात्र
काशीनाथ तर्कवागीश घोषाल बागान .. .. .	६ छात्र

रामसेवक विद्यावागीश शकधर बागान	४ छात्र
मृत्युजय विद्यालकार बागबाजार	१५ छात्र
रामकिशोर तर्कघूडामणि बागबाजार	६ छात्र
रामकुमार शिरोमणि बागबाजार	४ छात्र
जयनारायण तर्कपचानन तलार बागान	५ छात्र
शमु वाचस्पति तलार बागान	६ छात्र
शिवराम न्यायवागीश लाल बागान	१० छात्र
गौर मोहन विद्याभूषण लाल बागान	४ छात्र
हरिप्रसाद तर्कपचानन हाति बागान	४ छात्र
राम नारायण तर्कपचानन शिमला	५ छात्र
रामहरि विद्याभूषण हरितकी बागान	६ छात्र
कमलाकांत विद्यालकार अरकुली	६ छात्र
गोविंद तर्कपचानन अरकुली	५ छात्र
पीतांबर न्यायभूषण अरकुली	५ छात्र
पार्वती तर्कभूषण धतहुनिया	४ छात्र
काशीनाथ तर्कालकार धतहुनिया	३ छात्र
रामनाथ वाचस्पति शिमला	९ छात्र
रामतनु तर्कसिद्धांत मुलगा	६ छात्र
रामतनु विद्यावागीश शोभाबाजार	५ छात्र
रामकुमार तर्कपचानन वीरपरा	५ छात्र
कमलिदास विद्यावागीश इटली	५ छात्र
रामधन तर्कवागीश शिमला	५ छात्र

हेमिल्टन के कथनानुसार सन् १८०१ में २४ परगना की सीमा में और मेरे अनुसार कोलकता शहर से बाहर १९० विद्यार्थी समूह थे। इनमें हिन्दू कानून व्याकरण और आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। ये सभी सस्थाएँ सपन हिन्दुओं के स्वैच्छिक सहयोग और धर्मार्थ प्राप्त जमीन की पैदावार से चलाई जाती थीं। इनका वार्षिक खर्च १९ ५०० रुपये होता था। इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है किन्तु ऐसा माना जा सकता है कि आधिकारिक अभिलेखों के आधार पर यह कथन किया गया है। बीच के

समय में कोई ऐसा कारण नहीं मिलता कि इन समूहों की सख्खा घटी हो। श्री वोर्ड बताते हैं कि जयनगर और मुजलीपुर में ऐसी १७-१८ शालायें थीं और आदुली में १०-१२ शालायें थी। मेरी जानकारी के अनुसार ये गख जिले के अदर हैं पस्तु सभव है कि हेमिल्टन ने अधिक विस्तृत गणना में इन्हें अपनी सूची में सामिल कर लिया हो।

मुझे ऐसी कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई जिसके अनुसार कोलकत्ता या उसके पास पड़ोस में एक भी सस्था द्वारा मुसलमानों की शिक्षा के उत्कर्ष के लिये प्रयत्न किया गया हो। हेमिल्टन के अनुसार सन् १८०१ में एकमात्र मदरसा था जिसमें मुस्लिम कानून की शिक्षा दी जाती थी परतु वह कहीं था इसका उल्लेख हेमिल्टन ने नहीं किया है। सभव है कि वह वार्ले हेस्टिंग्स द्वारा प्रदान की गई (प्रारम्भ की गई) शिक्षा सस्था का उल्लेख करता हो। यह सस्था फिलहाल लोकशिक्षा की सामान्य समिति की देखरेख में चल रही है। एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि इसमें तथा बंगाल के अन्य जिलों से मुस्लिम शिक्षा की कोई आधिकारिक जानकारी उसे नहीं मिली है। आगे दिखाए गए अनुसार निजी तौर पर छिटपुट शिक्षा दिये जाने की जानकारी मात्र है।

### मिदनापुर

हेमिल्टन बताता है कि इस जिले में एक भी ऐसा मुस्लिम विद्यालय नहीं है जहाँ कानून की शिक्षा दी जाती हो। पहले मिदनापुर में एक महाविद्यालय था पर उसमें भी कानून की शिक्षा नहीं दी जाती थी। मौलवी अपने घर पर ही कुछ छात्रों को रखकर उन्हें फारसी और अरबी पढ़ाते हैं। फारसी और अरबी पढ़नेवाले ये छात्र प्रभावशाली परिवारों के हैं और धर्मार्थ तौर पर पढ रहे हैं अतः वे व्यय और दुराचार से अनभिज्ञ रहते हैं। आबादी का  $\frac{1}{10}$  भाग हिन्दू है। यहाँ हिन्दू विद्यालय न होना आश्चर्यजनक लगता है। इस जिले में रहनेवाले और इन विद्यालयों की शिक्षा से परिचित विद्वान लोग इस प्रदेश के निवासी होने से इकार करते हैं। मुस्लिम आबादी में सामान्य शिक्षा देनेवाली सस्थाओं के जितनी भी इनकी सख्खा नहीं है और इतनी कम भी नहीं है कि उनकी उपेक्षा की जाए। मुझे बताया गया है कि ऐसे ४० विद्यालय हैं। कोई भी विघ्न या बाधा उत्पन्न न करनेवाले निवृत्त हिन्दू विद्वान जब यह कहते हैं कि यूरोप के लोग हिन्दू भाषा और साहित्य की अपेक्षा मुसलमानों पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो ऐसी गलत ध्यानी को साधारण रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। इसके कारण समाज में सक्रिय सस्थाएँ हिन्दू मूल की सस्थाओं के प्रति लापरवाह रहती हैं। संभवतः ऐसी किसी आधिकारिक सूचना के कारण ही हेमिल्टन ऐसे कथन पर ध्यान देने को प्रेरित हुआ हो।

## फुटक

श्री स्टर्लिंग के जिले से प्राप्त शिक्षा की प्रवर्तमान स्थिति के विवरण को संक्षेप में देखें तो यहाँ के मूल निवासियों द्वारा संचालित प्राथमिक या महाविद्यालयीन शिक्षा की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। जगन्नाथपुरी के मुख्य मार्ग पर धार्मिक मठों की भरमार है। दक्षिण का प्रदेश साधु-साध्वियों के निवास के तौर पर जाना जाता है जहाँ हिन्दुओं को विविध शाखाओं की शिक्षा दी जाती है। जगन्नाथपुरी में भी इसी प्रकार शिक्षणकार्य होता है।

## हुगली

इस जिले में हिन्दू शिक्षा संस्थाओं की संख्या ध्यानाकर्षक है। श्री वोर्ल्डे १८१८ में लिखा है कि हुगली शहर के निकट वशवर्य गाँव में ही १२ से १४ महाविद्यालय हैं। इन सबमें मुख्य रूप से तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता है। त्रिवेणी नामक शहर में ७-८ शालायें हैं जिनमें से एक में बंगाल के सबसे अधिक वृद्ध एवं विद्वान व्यक्ति जगन्नाथ तारक पढ़ाते थे। उनकी मृत्यु १०९ वर्ष की आयु में हुई। वे कुछ हद तक यदों में पारंगत थे। उन्होंने वेदात्त साख्य पतञ्जलि न्याय स्मृति तत्र काव्य पुराण और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया था। श्री वोर्ल्डे के अनुसार गुडालपाद और भद्रेश्वर में ऐसी ही १० शालायें और बाली में २-३ शालायें थी। ये सभी गाँव इसी जिले में हैं। हेमिल्टन के अनुसार सन् १८०१ में कुल मिलाकर १५० निजी विद्यालय थे जिनमें पंडित हिन्दू कानून के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देते थे। प्रत्येक विद्यालय में ५ से २० तक छात्र होते थे। हमें मानने का कोई आधार नहीं है कि वर्तमान में शालाओं की संख्या कम हुई होगी। सन् १८२४ की जाँच से पता चला कि कुछ शालाओं में २४ तक विद्यार्थी थे। क्षेत्रों की संख्या प्राप्त आमत्रणों की संख्या हिन्दू परिवारों में धार्मिक अवसरों पर प्राप्त उपहार शिक्षक की प्रतिष्ठा का आधार माना जाता है। कुछ विद्यार्थियों का आर्थिक व्यवहार द्विपक्षीय रहता है। एक ओर तो वे शिक्षक पर आश्रित होने से उस पर आर्थिक बोझ बनते हैं दूसरी ओर वे उसकी प्रतिष्ठा वृद्धि कर उसकी आमदनी बढ़ाते हैं। समर्थ विद्यार्थी विद्यालय के समय के बाद अपने घर रहते हैं और यदि शिक्षक विद्यार्थी का खर्च वहन नहीं कर सकता है तब ऐसे गरीब छात्रों के लिए गाँव के सुखी व्यक्ति दान देते रहते थे। पहले तीन घास वर्ष तक संस्कृत व्याकरण का अध्ययन और बाद के छह से आठ वर्ष तक कानून या तर्कशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अधिकांश विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी होती थी और विद्यार्थियों को विद्वान मान लिया जाता था। इस समय शिक्षक उन्हें मानद पदवी प्रदान करता था जिसे वे आजीवन संभाल कर रखते थे।

इसे जिले में मुस्लिम विद्यालय नगण्य हैं। हाजी मोहम्मद के दान से हुगली में चल रहे विद्यालय के अलावा एक अन्य सीतापुर के विद्यालय की जानकारी मिलती है। सीतापुर घनी बस्तीवाला क्षेत्र है और २२ मील दूर है। इस विद्यालय के सस्थापक उमीरुद्दीन थे। उनकी एकनिष्ठ सेवाओं के बदले में अंग्रेज सरकार उसके लिये पाँच रुपये आठ आना निमात्र खर्च देती थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिजनों के अलग हो जाने पर उसके निमात्र अनुदान की रकम के लिये दावा किया जो ५० रुपये होता था। मुझे ज्ञात है वहाँ तक वे लोग आज तक अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। हेमिल्टन के अनुसार सन् १८०१ में इस विद्यालय में ३० छात्रों को अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी और जनरल कमेटी के विवरण के अनुसार इसमें केवल २५ विद्यार्थी थे और उन सबको केवल फारसी सिखाई जाती थी। यह सस्था किसी समिति या अधिकारी के निरीक्षण में आई हो ऐसा नहीं लगता। सन् १८२४ के विवरण के अनुसार पाहुआ में कुछ जमीन थी जिसकी आय से मदरसों को सहायता मिलती थी परन्तु अब इस आय का हेतु बदल गया है। यह सुविदित है कि यह अनुदान अब पाहुआ के सैफुद्दीनखान शाहिद और मौलामायुद्दीन या मौला ताजुद्दीन और एक अन्य व्यक्ति मीर गुलाम मोहम्मद मुस्ताफा की कब्र की देखभाल करनेवाले मुतबाही स्व.

८१। गुलाम हैदर के वंशजों को दिया जाता है। इस अनुदान के लिये कुछ गाँवों से तीन के लिये जमीन के पट्टे दिये गये हैं। यह अनुदान व्यक्तिगत रूप से प्राप्त धनराशि के अतिरिक्त है। ये मदरसे एक दो पीढी तक चलते थे किन्तु लापरवाही और ईर्ष्यावृत्ति के कारण बंद कर दिये जाते थे। मदरसों के अनुदान हेतु जो जागीर दी गई थी उसकी जानकारी देनेवाले कुछ व्यक्ति जीवित थे। इस विवरण के साथ भेजे पत्र में जिलाधीश ने जाँच करने का इरादा प्रदर्शित किया है और आक्षेपवाली घटनामें यदि आर्थिक दुरुपयोग दिखाई दे तो सन् १८१० के १९वें कानून (एक्ट) के अनुसार उस पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस जाँच का क्या परिणाम आया वह मुझे पता नहीं चला।

### वर्द्धवान

हेमिल्टन बताता है कि हिन्दू या मुसलमान कानून की शिक्षा देने वाला एक भी विद्यालय इस जिले में नहीं है और हुगली के उस पार नदिया जिले से हिन्दू कानून के जानकार प्राध्यापक यहाँ लाये जाते थे। मिदनापुर की शिक्षा के सदर्म में की गई टिप्पणी यहाँ भी लागू होती है। परन्तु इस सबसे यह तो पता चलता ही है कि यहाँ एक भी ग्राम्यशाला नहीं है वह सच नहीं है। सम्भव है कि लेखक को या जिन अधिकारियों पर लेखक ने विश्वास किया उन्हें इसकी जानकारी न हो। दूसरे जिलों की तुलना में यह

एकदम असम्भव लगता है कि घरेलू तौर पर शिक्षा देनेवाले मुस्लिम विद्यालय जिनकी पहले चर्चा की गई है भी नहीं हैं। उससे भी अधिक असम्भव तो यह लगता है कि  $\frac{1}{4}$  भाग हिन्दू आबादीवाले क्षेत्र में हेमिल्टन के अनुसार एक भी विद्यालय नहीं है।

कोलकता के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टिप्पणी से शिक्षा सस्थाओं से संबंधित जानकारी इस प्रकार है। इटिया हाउस में प्रथम वर्ष में प्रकाशित यह विवरण है और इसे मैं अपने अधिकार क्षेत्र में मानता हूँ।

सन् १८१८ के सितम्बर में बर्दवान के जिलाधीश से रामवल्लभ भट्टाचार्य और उनकी धार्मिक सस्था एव सभा के लिये ६० रुपये वार्षिक पेंशन के दावे की पूछताछ की गई। जिलाधीश ने अपने अमीन को भेजकर यह जाँच करवाई कि जिस सस्था ने पेंशन के लिये दावा किया है वह चल रही है या नहीं ? अमीन ने बताया कि सस्था कार्यरत है और उसमें ५-६ छात्रों को रखा जाता है।

रामवल्लभ भट्टाचार्य और उनके दिवगत भाई के समुक्त नाम से सरकार ने यह सहायता मजूर की थी। इस स्थिति में रेवेन्यू बोर्ड ने दावेदारों के जीवन काल तक पूरी पेन्शन चालू रखने का प्रस्ताव पारित किया तथा कहा कि निष्ठापूर्वक मूल हेतु का पालन हो इसका ध्यान रखा जाए। इस प्रकार भविष्य में पेंशन प्राप्त करने हेतु रामवल्लभ भट्टाचार्य को अधिकृत माना और उनके स्वर्गीय भाई के हिस्से की रकम भी चुका देने का आदेश दिया।

मार्च १८१९ में बर्दवान के जिलाधीश ने रेवेन्यू बोर्ड को आवेदन दिया था। यह आवेदन जिले में मौजूद मस्जिदों और मदरसों में दी जानेवाली शिक्षा हेतु धन राशि देने के लिये था। उस सदर्म में कोलकता के न्यायालय में दावा किया गया और न्यायालय ने जिलाधीश को इसका निकाल करने का आदेश दिया। इस मामले में सस्था की आर्थिक व्यवस्था मुसीबत के पास थी। उससे हिसाब देने को कहा गया परंतु लगता है उसने सतोषजनक रूप से हिसाब नहीं दिया। इससे जिलाधीश ने अपने अमीन को भेजकर यह जानने को कहा कि यह सस्था किस हद तक कार्यरत है। उस अमीन ने गौँवयाली पर विश्वास कर विवरण दिया कि सस्था कार्यरत है। परंतु उसके विवरण के समर्थन में कोई दस्तावेज उसने प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में रेवेन्यू बोर्ड ने जिलाधीश को स्वयं जाकर जाँच करने का आदेश दिया जिससे उसकी जाँच से वह योग्य निर्णय ले सके। इस मदरसे का बादमें क्या हुआ वह पता नहीं चलता।

जुलाई १९२३ में रेवेन्यू बोर्ड ने बर्दवान के महाविद्यालय को २५४ रुपये वार्षिक अनुदान के लिये सिफारिश की और उसे लोकशिक्षा की साधारण समिति को भेज दिया।



## जेसोर

इस जिले की प्राथमिक या उच्च शिक्षा की कोई जानकारी प्राप्य नहीं है। परन्तु हिन्दू या मुसलमानों की शिक्षा सस्थाओं की बड़ी सख्या निर्विवाद रूप से है। जहाँ तक ब्यारे की बात है तो ग्राम्य शिक्षा का विवरण मिलकुल प्राप्त नहीं हुआ है।

## नदिया

मुसलमानों की विजय के समय नदिया हिन्दुओं की राजधानी थी और फिलहाल वह ब्राह्मण शिक्षा का प्रमुख स्थान है। हेमिल्टन ने लिखा है कि शिक्षा के मामले में वहाँ निश्चित गिरावट आई होगी क्योंकि सन् १८०१ में मार्क्सिस ऑफ वेलेस्ली के पूछने पर वहाँ के न्यायाधीश ने बताया कि उसे एक भी हिन्दू या मुसलमान शिक्षा सस्था की जानकारी नहीं है जिसमें कानून की शिक्षा दी जाती हो। यह कथन नीचे दी जा रही जानकारी से एकदम विपरीत था और यह पूर्व में की गई आलोचना का एक और उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस टिप्पणी के अनुसार हिन्दू शिक्षा सस्थाओं को ध्यान में नहीं लिया गया था।

बनारस में जिस तरह पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है नदिया की हिन्दू शिक्षा सस्थाएँ उससे अलग हैं। उनका विद्याघाम का स्वरूप राजनैतिक महत्व से जुड़ा है और वह मुस्लिम अछम्राज के समय से घला आ रहा है क्योंकि उस समय वह बगाल की राजधानी था। बगाल के राजकुमारों और नदिया के राजाओं ने विद्यार्थियों के निभाव और शिक्षा के लिये कुछ शिक्षकों को जमीन दी थी। इस प्रकार पढ़ितों और छात्रों को आश्रय मिलने से अनेक ब्राह्मण बस गये और इस प्रकार जिले की ध्याति हुई। परन्तु विपरीत राजनैतिक प्रभाव और सहायता की नई नीति के कारण उनकी अवनति हुई। फिर भी विद्याघाम के रूप में उसने अपना स्थान बनाए रखा।

सन् १८११ में गवर्नर जनरल लोर्ड मिन्टो ने नदिया और तिरहुत में हिन्दू महा विद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की और इस हेतु अलग धन राशि की व्यवस्था की। परन्तु किन्ही कारणों से इस सिफारिश पर अमल नहीं हो पाया तथा उसे छोड़ दिया गया तथा कोलकत्ता के सरसृष्ट महाविद्यालय जैसी सस्था स्थापित करने का समर्थन किया गया। सरकार और नदिया के लिये नियुक्त अस्थायी कमेटी ऑफ सुप्रिन्टेन्डेन्ट के बीच हुए पत्र व्यवहार में बताया गया है कि उस समय लगभग ३८० विद्यार्थी थे और उनकी आयु २५ से ३० वर्ष के बीच थी। ऐसा निष्कर्ष है कि कुछ विद्यार्थी २१ वर्ष की आयु के बाद अध्ययन प्रारम्भ करते थे और १५ वर्ष तक शास्त्रों और उनके रहस्यों का सपूर्ण ज्ञान प्राप्त

कर अपने घर वापस आते थे और पंडित या शिक्षक के रूप में ही वे अपना कर्तव्य निभाते थे।

श्री बोर्ड ने सन् १८१८ में नदिया में ३१ विद्यालय बताये हैं जिनमें ७४७ विद्यार्थी थे। उनमें से ५ विद्यार्थी तो एक ही शिक्षक के पास पढ़ते थे। एक साथ एक ही शिक्षक से पढ़नेवाले १२५ विद्यार्थियों की जानकारी दी गई है परंतु इस बात में श्री बोर्ड की प्रामाणिकता सदेहास्पद है। तर्कशास्त्र और कानून शिक्षा के मुख्य विषय थे। एक शाला में केवल साहित्य एक अन्य विद्यालय में खगोलशास्त्र तथा एक विद्यालय में व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। श्री बोर्ड ने निम्न विवरण दिया है:

#### न्याय शिक्षा के महाविद्यालय

शिवनाथ विद्यावाचस्पति के पास १२५ छात्र थे।

रामलोचन न्याय विष्णु के पास १२ छात्र थे।

काशीनाथ तर्क घूडामणि के पास ३० छात्र थे।

उभयानन्द तर्कालकार के पास २० छात्र थे।

रामशरण न्यायवागीश के पास १५ छात्र थे।

मोलानाथ शिरोमणि के पास १२ छात्र थे।

राधानाथ तर्कचानन के पास २० छात्र थे।

श्रीराम तर्कभूषण के पास २० छात्र थे।

कालीकान्त घूडामणि के पास ५ छात्र थे।

कृष्णकान्त विद्यावागीश के पास १५ छात्र थे।

तर्कालकार प्रसून के पास १५ छात्र थे।

माधव तर्कसिद्धांत के पास २५ छात्र थे।

कमलकान्त तर्कघूडामणि के पास २५ छात्र थे।

ऐश्वर्य तर्कभूषण के पास २० छात्र थे।

कान्त विद्यालकार के पास ४० छात्र थे।

#### वैधानिकशास्त्र के महाविद्यालय

रामनाथ तर्कसिद्धांत के पास ४० छात्र थे।

गंगाधर शिरोमणि के पास २५ छात्र थे।

देवी तर्कालकार के पास २५ छात्र थे।

मोहन विद्यावाचस्पति के पास २० छात्र थे।

गणुलि तर्कालकार के पास १० छात्र थे।

कृष्ण तर्कभूषण के पास १० छात्र थे।

प्राणकृष्ण तर्कवागीश के पास ५ छात्र थे।

पुरोहित के पास ५ छात्र थे।

कशीकान्त तर्कब्रह्ममणि के पास ३० छात्र थे।

कालीकान्त तर्कपद्मानन के पास २० छात्र थे।

गदाधर तर्कवागीश के पास २० छात्र थे।

जहाँ काव्य शिक्षा दी जाती थी वैसे महाविद्यालय

कालीकान्त तर्कब्रह्ममणि के पास ५० छात्र थे।

जहाँ खगोलविद्या की शिक्षा दी जाती थी वैसे महाविद्यालय

गुरुप्रसाद सिद्धान्तवागीश के पास ५० छात्र थे।

व्याकरण सिखानेवाले महाविद्यालय

शमुनाथ ब्रह्ममणि के पास ५ छात्र थे।

सन् १८२१ में श्री विल्सन की सामान्य जनादेश समिति के सदस्य के रूप में विशेष जाँच हेतु जब नियुक्ति की गई तब नदिया जिले में शिक्षा की जो स्थिति थी उसकी कुछ जानकारी एकर की थी। उस समय नदिया में २५ स्थानों पर शिक्षा की व्यवस्था थी। जिन्हें हॉल कहा जाता था वे छप्परवाले मिट्टी के मकान थे और तीन चार पंक्तियों में बनाई हुई मिट्टी की छोटी-छोटी झोंपड़ियों में छात्र रहते थे। पढित (शिक्षक) यहाँ नहीं रहते थे किन्तु प्रातः जल्दी आकर सूर्यास्त तक कर्म करते थे। विद्यार्थियों की झोंपड़िया बनाने या उनकी मरम्मत करने का खर्च शिक्षक उठाते थे तथा विद्यार्थियों को निःस्वार्थ शिक्षा देते थे और उनके भोजनादि का खर्च भी वहन करते थे। नदिया के राजा द्वारा जो अनुदान प्राप्त होता था और आसपास के जमींदार शिक्षक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार जो भेंट सौगात देते थे उसका उपयोग विद्यार्थियों के निभाव खर्च के रूप में होता था। विद्यार्थी और कुछ शिक्षक तो उसमें भी अधिक आयु के होते थे। सामान्य उपस्थिति पत्रक में उनकी संख्या बीस से पचीस होती थी। अनेक स्थानों पर प्रतिष्ठित शिक्षकों के पास पचास साठ विद्यार्थी भी होते थे। कुल ५००-६०० विद्यार्थी थे जिनमें से अधिकांश बगाली थे। विशेष तौर पर कुछ विद्यार्थी दक्षिण से कुछ नेपाल और आसाम से और कुछ पूर्व में तिरहुत तक से आये थे। बहुत कम लोग आत्मनिर्भर थे। उनके रहने की व्यवस्था शिक्षक करते थे

और उनके भोजन वस्त्र आदि का खर्च शिक्षक व्यापारी महाजन या जमींदार उठाते थे।

प्रमुख त्यौहारों पर विद्यार्थी भिक्षाटन को निकल पड़ते थे और बहुत सी आवश्यक सामग्री एकत्र कर लेते थे जो उनके खाली समय में उपयोगी होती थी। नदिया में प्रमुख तौर पर न्याय व तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। निजी शिक्षा भी दी जाती थी और एक दो स्थानों पर व्याकरण भी सिखाया जाता था। कुछ विद्यार्थी विशेष तौर पर दक्षिण के कुछ छात्र सस्कृत में अच्छी तरह बोल सकते थे।

नदिया की शिक्षा व्यवस्था का सबसे अच्छा चित्रण विल्सन की टिप्पणी से प्राप्त होता है। बार बार बदलती विद्यार्थियों और महाविद्यालयों की संख्या ध्यानकर्षक है। सन् १८१६ में सरकारी अधिकारियों के अनुसार विद्यालयों की संख्या ४६ और छात्र संख्या ३८० थी। सन् १८१८ में विद्यालय ३१ तथा विद्यार्थी ७४७ थे। सन् १८२१ में २५ विद्यालय और ५००-६०० विद्यार्थी थे। इस प्रकार गत बीस वर्ष में विद्यालयों की संख्या घटती गई है और छात्रों की संख्या बढ़ती गई है। इस से अनुमान लगाया जा सकता है कि हिन्दू शास्त्र सीखने की वृत्ति से आवर्षित होकर जो विद्यार्थी आते जा रहे थे उनके अनुपात में कक्षा की संख्या कम पड़ रही थी। इसी प्रकार ये महाविद्यालय चलते थे। विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप नये कक्षा के लिये व्यय किया जाता था।

नदिया में हिन्दू शास्त्रों की शिक्षा देने वाले कुछ विद्यालयों को ब्रिटिश सरकार से थोड़ा सा वार्षिक भत्ता मिलता था। इस तरह रामचन्द्र विद्यालयकर को सन् १८१३ में ७१ रुपये वार्षिक भत्ता मिलता था जो उनकी बैठक व्यवस्था के क्षेत्रफल के अनुसार दिया जाता था। उनकी मृत्यु पर उनके किन्सी वारिस ने जिलाधीश को आवेदन दे कर रेवेन्यू बोर्ड को भत्ता जारी रखने की सुझाव दी। परंतु उनके वारिसों का कोई सतोषजनक प्रमाण न दे पाने से यह भत्ता बंद हो गया। सन् १८१८ में बालानाथ शिरोमणि ने रामधद्र विद्यालयकर के वारिस और गुरुकुल के उत्तराधिकारी के रूप में आवेदन किया। रेवेन्यू बोर्ड में किये गये इस दावे के सबंध में जिलाधीश महोदय को आदेश दिया गया कि बालानाथ ऐसा कोई विद्यालय चलाते हैं या नहीं इसकी जाँच की जाए। जाँच से पता चला कि उनके आठ विद्यार्थी तर्कशास्त्र और न्यायशास्त्र का अध्ययन करते थे। जून १८२० में सरकार ने ७१ रुपये वार्षिक पेन्शन तथा शेष राशि देने का निर्णय किया।

जून १८१८ में शिवनाथ विद्यावाचस्पति की ओर से नदिया के जिलाधीश ने रेवेन्यू बोर्ड को आवेदन पत्र भेजा जिसमें ६० रुपये वार्षिक पेन्शन (भत्ता) देने की सिफारिश की। इस राशि का उपयोग उसके पिता शुक तर्कशास्त्र नदिया में गुरुकुल चलाने के लिये करते थे। बोर्ड ने यह पेंशन मंजूर किया और पिछली बकाया राशि भी अदा कर दी।

नवंबर १८१९ में एक प्रार्थनापत्र श्री राम शिरोमणि ने नदिया के जिलाधीश के माध्यम से रेवेन्यू बोर्ड को दिया जिसके अनुसार नदिया में गुरुकुल चलाने हेतु वार्षिक ३६ रुपये स्वीकार किये गये थे। इस गुरुकुल की स्थापना नेतोर के राजा ने की थी। श्री राम शिरोमणि के गुरुकुल में तीन ही विद्यार्थी थे तो भी वार्षिक भत्ता तथा अन्य अतिरिक्त स्क्रम अदा की गई।

इसी प्रकार सन् १८१९ में राम जयतर्क बका के लिये नदिया के गुरुकुल में पाच विद्यार्थियों के लिये ६२ रुपये का भत्ता मजूर किया गया।

सन् १८२३ में रेवेन्यू बोर्ड को एक आवेदन दिया गया कि नदिया के एक महाविद्यालय में रामचंद्र तर्कवागीश पुराण पढाते थे और इस हेतु उन्हें वार्षिक २४ रुपये भत्ते की माँग की थी जिसका उपयोग राजाशाही में रहनेवाले उनके पिता करते थे। यह भत्ता जारी रखने की माँग की गई थी। रेवेन्यू बोर्ड ने अपने नाजिर से जाच करने और हकीकत पेश करने को कहा। नाजिर ने बताया कि रामचंद्र वागीश नदिया में गुरुकुल चलाते हैं जिसमें ३१ विद्यार्थियों को शास्त्रों की शिक्षा देते हैं और उनका पोषण भी करते हैं। उन सभी विद्यार्थियों की सूची दी गई है और वे गत नौ वर्ष से यह कार्य कर रहे हैं। इस स्थिति में सरकार ने रामचंद्र तर्कवागीश को पेन्शन देने और उनके पिता की मृत्यु के बाद से बकाया राशि भी अदा करने का आदेश दिया।

१८२९ में सामान्य जनादेश समिति से कहा गया कि सरकार में जो याचिका दी गई है उसकी जाँच कर सरकार को विवरण दिया जाए। इस याचिका में कुछ विद्यार्थियों ने माँग की थी कि उन्हें जो १०० रुपये मासिक भत्ता (छत्रवृत्ति) मिलता था उसे पुन प्रारम्भ किया जाए। समिति ने एक सचिव और एक सदस्य की नियुक्ति की। जाँच के बाद यह समिति आश्चर्य से कह गई कि जो विद्यार्थी नदिया से तीन दिन की यात्रा करके आये थे उनका भोजन खर्च सरकार ने बारह आने या एक रुपया मासिक मजूर किया है जिससे उनका निभाल होता है। परंतु वास्तव में उन्हें ९० रुपये मिलते हैं एव अन्य अवसरों के लिये दस रुपये अलग रखे जाते हैं। विदेशी (अन्य जिलों के) विद्यार्थियों की संख्या १००-१५० थी और ये १५० विद्यार्थी नदिया में अपनी याचिका के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि कोई कार्यवाही न हुई होती तो वे वहाँ से चले गये होते। श्री विल्सन ने विद्यार्थियों तथा उनके बीच बँटि जा रहे भत्ते की सावधानीपूर्वक जाँच की और इस विषय में सबने पूर्ण स्तौष व्यक्त किया था। एक विद्यार्थी और एक साधारण शराफ की जिलाधीश कोबागार से भत्ता प्राप्त करने के लिए नियुक्ति की। यह भत्ता निकालने के बाद बाहर के विद्यार्थियों में बँट दिया जाता था। शराफ को शहर में इन बाहरी विद्यार्थियों की निश्चित संख्या मालूम थी। यह

शराफ जिसे श्री विल्सन पहचानते थे मासिक भत्ते के ऐवज में इन विद्यार्थियों को अनाज तथा किराने की अन्य वस्तुयें उधार देता था। सामान्यतः वे उसके कर्जदार ही बने रहते थे तथा प्रभावशाली ब्राह्मण वर्ण के कारण वह विद्यार्थियों के साथ धोखेबाजी नहीं कर पाता था। इससे उसे जो भत्ता मिलता था उसे वह ईमानदारी से समान भाग में बाँट देता था। नदिया में दी जा रही इस शिक्षा को यूरोप के लोग श्रेष्ठ स्तर का नहीं मानते थे किन्तु स्थानीय लोगों में उसका महत्त्व काफी था। नगण्य रकम से भी पर्याप्त प्रोत्साहन मिलने से इस शिक्षा का बड़ा गौरव था और जिन विद्यार्थियों के पास आय का कोई साधन नहीं था उनके लिये तो यह काफी लाभदायक और प्रोत्साहक था। विल्सन के विवरण के आधार पर १०० रुपये मासिक भत्ता जारी रखने का निर्णय लिया गया।

इस जिले और नदिया शहर के बाहर की शिक्षा सस्थाओं का जो उल्लेख हुआ है उसके बारे में अन्य किसी अधिकारी ने शायद ही चर्चा की है। परन्तु जिले के शातिपुर किशनगढ़ आदि स्थान ध्यान आकर्षित करते हैं। श्री बोर्ड के अनुसार कुमारहारा और भाटपारा गाँवों में सात आठ अस्थायी कामचलाऊ शालायें चलती थीं। पहले शातिपुर में शासकीय अनुदान से धर्मादा सस्था चलती है परन्तु फिलहाल उसका अस्तित्व नहीं है। सन् १८२४ में नदिया के जिलाधीश के माध्यम से एक आवेदन रेवेन्यू बोर्ड को दिया गया जिसमें कालीप्रसाद तर्कसिद्धात की गत वर्ष हुई मृत्यु के कारण उनके भाई देवीप्रसाद विद्यावाचस्पति को शातिपुर में गुरुकुल चलाने के लिये वार्षिक १५६ रुपये ११ आने १० पाई भत्ता मजूर करने की माँग की गई थी।

जाँच के बाद इस सदर्भ में बताया गया कि मृतक बहुत बड़े आदमी थे और मृत्यु के समय उनके पास दस विद्यार्थी थे। यह भी पता चला कि उनके भाई पढ़ाने में उनकी मदद करते थे और उन्हीं के साथ रहते थे। वे धर्मशास्त्र और कानून पढ़ाते थे परन्तु रेवेन्यू बोर्ड को यह जाँच विश्वसनीय नहीं लगी। इससे जिलाधीश को पुनः स्वतः जाँच करने का आदेश दिया। उसमें मृतक की किन्हीं सेवाओं के लिये कितनी धन राशि दी जाती थी यह जाँच करने का आदेश दिया गया था। परन्तु यह अंतिम विवरण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।

सन् १८०१ में जिले के जिलाधीश और न्यायाधीश द्वारा जो विवरण दिया गया उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। उस समय ऐसे कोई गुरुकुल या विद्यालय नहीं थे जिसमें हिन्दू अथवा मुस्लिम कानून की शिक्षा दी जाती हो। मेरे पास एक भी स्पष्ट प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि मुस्लिम सस्था का कोई अस्तित्व था। मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी होने के बावजूद उनकी कोई शिक्षा सस्था न हो यह असम्भव लगता है।

## ठाका और जलालपुर

हैमिल्टन बताता है कि जिले की कुछ शालाओं में हिन्दु धर्म के सिद्धान्त और कानून पढाये जाते थे परन्तु इससे अधिक जानकारी भरे पास नहीं है। मुस्लिम आबादी काफी अधिक होने के बावजूद एक भी मुस्लिम शाला होने का प्रमाण कहीं से नहीं मिलता है। सरकारी अधिकारियों ने समिति को बताया कि जिले में शिक्षा के लिये किसी प्रकार का भत्ता या दानराशि दी गई हो ऐसा एक भी अभिलेख या प्रमाण नहीं है।

## बाकरगंज

इस जिले में एक भी ग्रामशाला या महाविद्यालय नहीं है। अजय जिलों की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के आधार पर मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि यहाँ भी शिक्षा सन्धार्य होगी परन्तु यह बात आम जनता के ध्यान में नहीं आई होगी। सन् १८२३ में जिलाधीश ने बताया कि इस जिले में शिक्षा के लिये कोई सहायता नहीं दी गई है।

## धिसगोंग (घटगोंग)

सन् १८२४ के आधिकारिक विवरण के अनुसार यहाँ कोई ग्रामशाला नहीं थी। कुछ शालायें इस जिले में होंगी परन्तु अधिकार जमीन धार्मिक हेतु से धर्म और गरीबों के लाभार्थ प्रदान की गई थी। शिक्षा की सहायता कोई राशि दी गई हो ऐसा नहीं लगता।

सन् १८२७ में जिलाधीश महोदय को धर्मार्थ चल रही सस्थाओं की जाँच करने और उसके निष्पक्ष सरकार को बताने को कहा गया। जिलाधीशने बताया कि भीटहीजा ने अपनी जमीन मदस्ता के लिये दान की थी और उसकी पैदावार शिक्षा के लिये प्रयुक्त होती थी। यह एकम धार्मिक १५७० से अधिक नहीं थी। इसका  $\frac{2}{3}$ , हिस्सा नियमानुसार सस्थापक के बालकों को सन् १७९० में मिलता था। शेष  $\frac{1}{3}$ , में से उस समय के अधिकारी मौलवी अली मफसूलखान कुमायूँ बमुस्विज सस्था का निभाव करते थे क्योंकि इस राशि से ५० विद्यार्थियों और तीन शिक्षकों का निभाव काफी कठिन कार्य था एक शिक्षक अरबी का और दो फारसी के थे। मूलतः विद्यार्थियों की कुल संख्या १५० अनुमानित की गई थी। तदनुसार अच्छी तरह बनाई हुई एक मस्जिद थी तथा शिक्षकों और छात्रों को आवास हेतु नीची छतों के दो मकान थे। इनकी कीमत नगण्य थी। जिलाधीश ने बताया कि यदि सरकार के आदेश से जमीन की नीलामी की जाए तो वर्तमान मूल्य से दुगुनी रकम प्राप्त होगी। यदि वे इस जमीन को पुनः बेचते हैं तो उसका मूल्य मौलवी को मासिक हप्ते से अदा कर सस्था का विभागीय हिस्सा रेवेन्यू बोर्ड तथा सरकार

को बताया जाए। गवर्नर जनरल ने इस परामर्श को काउन्सिल में स्वीकार किया और तदनुसार आदेश दिया गया।

### टिपेरा

मेरे पास इस जिले की सामान्य या किसी अन्य प्रकार की किसी भी शाला की जानकारी नहीं है। हेमिल्टन ने जो बताया वह सत्य प्रतीत होता है कि यहाँ किसी नियमित शाला या गुरुकुल में हिन्दू या मुस्लिम धर्मशास्त्र या कानून की शिक्षा दी जाती हो ऐसा नहीं लगता। सामान्य सभा के प्रश्नों के उत्तर में सरकारी प्रतिनिधियों ने बताया कि शिक्षा की सहायता के लिये या कोई सार्वजनिक कोष इस जिले में होने की जानकारी उनके पास नहीं है।

### मैमनसिंह

हेमिल्टन बताता है कि इस जिले में नियमित रूप से मुस्लिम कानून पढ़ानेवाली कोई शाला या गुरुकुल नहीं है किन्तु प्रत्येक परगना में हिन्दू शास्त्र पढ़ानेवाली २-३ शालायें थीं। संपूर्ण जिले को १९ परगना और छ टप्पों में बाँटा गया था और इन २५ विभागों में हिन्दू शास्त्र की शिक्षा देने वाले ५०-६० विद्यालय होंगे। शिक्षा नि शुल्क थी। शुल्क लेना एक हीन कार्य माना जाता था। ग्राम्य शालाओं में प्राथमिक शालाओं का समावेश हो जाता है। मुझे किसी अधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

जिले में जहाँ मुस्लिम और हिन्दू आबादी का अनुपात ५ २ वर है वहाँ कोई मुस्लिम विद्यालय नहीं है यह कहना विवादास्पद लगता है।

### सिलहट

इस जिले की शिक्षा से सम्बंधित जानकारी बहुत कम है। हेमिल्टन के अनुसार यहाँ हिन्दू अथवा मुस्लिम कानून की शिक्षा देनेवाले विद्यालय या गुरुकुल नहीं थे। किन्तु भिन्न भिन्न स्थानों पर बालकों को निजी विद्यालयों में लिखना और पढ़ना सिखाया जाता था। मैमनसिंह की सूचना इसके विपरीत थी। वहाँ शालायें तो थीं परंतु प्राथमिक शालाओं का कोई उल्लेख नहीं है। जबकि सिलहट में दोनों प्रकार की शालाओं का अस्तित्व था। यद्यपि दोनों प्रकार की शालाओं की संख्या या कार्यकुशलता महत्वपूर्ण नहीं थी।

### मुर्शिदाबाद

ऐसा कहा जाता है कि सन् १८०१ में मुस्लिम कानून की शिक्षा देनेवाली जिले में एक ही शाला थी जबकि हिन्दू शास्त्रों और रीतिरिवाजों की शिक्षा देनेवाली २०



शालाये थीं। ऐसा लगता है कि उस समय और हाल में हिन्दू और मुस्लिम शिक्षा सस्थायें बड़ी सख्या में थीं।

दिसम्बर १८१८ में मुर्शिदाबाद के जिलाधीश के माध्यम से कालिकान्त शर्मा की ओर से रेवेन्यू बोर्ड को एक याचिका दायर की गई जिसमें ५ रूपये मासिक पेंशन चालू रखने की प्रार्थना की गई थी। यह पेंशन उनके पिता जयराम न्यायपदानन को छकला राजाशाही के जमींदार स्व महारानी भवानी की ओर से हिन्दू विद्यालय चलाने के लिये मिलती थी। जिलाधीश ने याचिका के साथ अपनी खास टिप्पणी भी रखी जिसके अनुसार स्वर्गस्थ के पिता को यह पेंशन मिलती थी और १७९६ में तत्कालीन जिलाधीश की सिफारिश पर सरकार ने उसे मजूर किया था। यह भी कहा कि प्रार्थी चरित्रवान है और विद्यालय के कुलपति होने की योग्यता उनके पास है। रेवेन्यू बोर्ड ने याचिका के साथ जिलाधीश के स्तर पर भी ध्यान दिया। वास्तव में १८११ से यह पेंशन बंद थी। हाल में प्रार्थी कार्यालयीन कार्य करने में समर्थ नहीं है। प्रार्थी यह क्षमता प्राप्त करने को प्रयत्नशील है और उसे बाद में सिद्ध कर सकता है। बोर्ड ने कहा कि साधारणतः हमारी मान्यता है कि शालेय शिक्षा की पेंशन के लिये जो रकम दी जाती है उसका उपयोग उसी हेतु के लिये होना चाहिए। ऐसा विश्वास जब तक न हो जाए तब तक पेंशन चालू नहीं की जा सकती। हमारे पिछले विवरणों को ध्यान में लेते हुए ऐसे हेतु के लिये पेंशन चालू करने में सरकार को प्रसन्नता है। जिनके लिये यह निर्णय लिया गया है उसमें सर्व प्रथम बोर्ड उस व्यक्ति की योग्यता से आश्वस्त हुआ है और उनके पक्षमें पेंशन का निर्णय लिया है। वर्तमान दावे में भी बोर्ड काउंसिल ऑफ लॉर्ड्स को अनुकूल टिप्पणी करने को उत्सुक है। इस सिफारिश से सरकार ने कालिकान्त शर्मा की पेंशन चालू रखी। सन् १८२१ में उनकी मृत्यु पर इन्हीं आधारों पर और उनका दावा निर्विवाद होने से उनके भाई चंद्रशिव न्यायालंकार को यह पेंशन जारी रखी। इस समय उनके पास ७ विद्यार्थी थे जिनमें से पाँच उन्हीं के पास रहते थे।

जुलाई १८२२ में मुर्शिदाबाद के जिलाधीशने काशीनाथ न्यायपदानन की ओर से एक याचिका रेवेन्यू बोर्ड को भेजी। काशीनाथ न्याय पदानन राम किशोर शर्मा के पुत्र थे। उन्होंने राम किशोर शर्मा का स्वर्गवास हो जाने से उनको मिलनेवाली ५ रूपये मासिक पेंशन उनके नाम करने की प्रार्थना की। कोलापुर के पास ध्यासपुरमें रामशरण शर्मा हिन्दू गुरुकुल चलाते थे और उसकी सहायता के लिये १७९३ में उन्हें पेंशन मिलती थी। जिलाधीश ने अपने विवरण में बताया कि प्रार्थी पेंशन का अधिकृत उचराधिकारी है और शालेय शिक्षण की पूर्ण योग्यता से युक्त है। इन परिस्थितियों में रामकिशोर शर्मा की पेंशन काशीनाथ न्यायपदानन के नाम पर ही गई।

## वीरभूम

इस जिले की प्राथमिक शिक्षा के बारे में मेरे पास कोई विवरण नहीं है। हेमिल्टन ने इस विषय में कुछ नहीं कहा है। सन् १८२३ में सामान्य समिति की पूछताछ पर स्थानीय अधिकारीने बताया कि इस जिले में युवकों की शिक्षा के लिये कोई निजी या सार्वजनिक गुरुकुल नहीं है। मैं मानता हूँ कि इसे यों समझना चाहिए कि प्राथमिक या उच्च शिक्षा की कोई सस्था नहीं है। मुझे सदेह है कि यदि यह कथन गलत है तो वह बहुत असाधारण है। क्योंकि शिक्षा प्रसार के लिये जो साधन अस्तित्व में थे उनके निरीक्षण में सरकारी प्रतिनिधि ने कफ़ी मेहनत की है। पड़ोस के जिले की तुलना में यह न सुना जा सकता है और न माना जा सकता है कि जहाँ ३० हिन्दू और १ मुसलमान की आबादी का औसत है वहाँ एक भी विद्यालय न हो।

सन् १८२० में सर्वानन्द नामक एक हिन्दू ने वैद्यनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में अपने उत्तराधिकार का दावा किया और स्थानीय अधिकारी के माध्यम से सरकार को ५००० रुपये की सहायता भेजने की प्रार्थना की जिससे जिले में एक ग्राम्यशाला स्थापित की जा सके। इसके साथ यह शर्त भी रखी कि शाला के मुख्यशिक्षक या उपाध्याय के रूप में सरकार उसका अधिकार स्वीकार करे। सामान्य समिति के आर्थिक लेनदेन की टिप्पणी देखने से पता चलता है कि समिति ने यह राशि जिलाधीश कार्यालय को भेजी थी और उनके द्वारा मागी गई शाला की इच्छापूर्ति के अतिरिक्त इस राशि का उपयोग प्रमुख शहर के सूर के तालाब की खुदाई के लिये भी करने की माग की थी। यह माँग अस्वीकृत हुई और सर्वानन्द से कहा गया कि उनके इस दावे के लिये उन्हें न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा। इस प्रकार यह निर्णय उनके लिये लाभप्रद नहीं रहा।

सन् १८२३ में कार्यकारी प्रतिनिधि और जिलाधीश ने विचार किया कि मंदिर की राशि का उपयोग सार्वजनिक सस्थाओं की स्थापना हेतु होना चाहिए, परन्तु इस विचार का आधार ज्ञात नहीं है। एक मान्यता के अनुसार मंदिर की वार्षिक औसत आय ३० ००० रुपये थी। इस आय का आधार मंदिर में आनेवाले यात्रियों की संख्या और उनके द्वारा स्वैच्छिक दान था। १८२२ में अधिकृत अनुमान के अनुसार मंदिर की वार्षिक औसत आय १ ५० ००० मानी गई। एक विशेष बात यह थी कि दो माह में ही १५ ००० रुपये एकत्र हुए थे परन्तु यह पता नहीं चला कि ये दो माह वर्ष के वे महीने थे जब मंदिर में अधिक यात्री आते हैं या दूसरे। वर्तमान में होनेवाली आय का उपयोग मेरी मान्यता के अनुसार मंदिर के स्वर्ण धार्मिक विधि और साधुसतों और भक्तों के लिये होता है।

शालायें थीं। ऐसा लगता है कि उस समय और हाल में हिन्दू और मुस्लिम शिक्षा संस्थायें बड़ी सख्या में थीं।

दिसंबर १८१८ में मुर्शिदाबाद के जिलाधीश के माध्यम से कालिकान्त शर्मा की ओर से रेवेन्यू बोर्ड को एक याचिका दायर की गई जिसमें ५ रुपये मासिक पेंशन चालू रखने की प्रार्थना की गई थी। यह पेंशन उनके पिता जयराम न्यायपंचानन को धक्का राजाशाही के जमींदार स्व महारानी भवानी की ओर से हिन्दू विद्यालय चलाने के लिये मिलती थी। जिलाधीश ने याचिका के साथ अपनी खास टिप्पणी भी रखी जिसके अनुसार स्वर्गस्थ के पिता को यह पेंशन मिलती थी और १७९६ में तत्कालीन जिलाधीश की सिफारिश पर सरकार ने उसे मंजूर किया था। यह भी कहा कि प्रार्थी चरित्रवान है और विद्यालय के कुलपति होने की योग्यता उनके पास है। रेवेन्यू बोर्ड ने याचिका के साथ जिलाधीश के स्तर पर भी ध्यान दिया। वास्तव में १८११ से यह पेंशन बंद थी। हाल में प्रार्थी कर्मचालीन कार्य करने में समर्थ नहीं है। प्रार्थी यह क्षमता प्राप्त करने को प्रयत्नशील है और उसे बाद में सिद्ध कर सकता है। बोर्ड ने कहा कि साधारणतः हमारी मान्यता है कि शालेय शिक्षा की पेंशन के लिये जो रकम दी जाती है उसका उपयोग उसी हेतु के लिये होना चाहिए। ऐसा विश्वास जब तक न हो जाए तब तक पेंशन चालू नहीं की जा सकती। हमारे पिछले विवरणों को ध्यान में लेते हुए ऐसे हेतु के लिये पेंशन चालू करने में सरकार को प्रसन्नता है। जिनके लिये यह निर्णय लिया गया है उसमें सर्व प्रथम बोर्ड उस व्यक्ति की योग्यता से आश्चर्य हुआ है और उनके पक्षमें पेंशन का निर्णय लिया है। वर्तमान दावे में भी बोर्ड काउंसिल ऑफ लॉर्ड्स को अनुकूल टिप्पणी करने को उत्सुक है। इस सिफारिश से सरकार ने कालिकान्त शर्मा की पेंशन चालू रखी। सन् १८२१ में उनकी मृत्यु पर इन्हीं आधारों पर और उनका दावा निर्विवाद होने से उनके भाई चन्द्रशिव न्यायपालंकर को यह पेंशन जारी रखी। इस समय उनके पास ७ विद्यार्थी थे जिनमें से पाँच चम्ही के पास रहते थे।

जुलाई १८२२ में मुर्शिदाबाद के जिलाधीशने काशीनाथ न्यायपंचानन की ओर से एक याचिका रेवेन्यू बोर्ड को भेजी। काशीनाथ न्याय पंचानन राम किशोर शर्मा के पुत्र थे। उन्होंने राम किशोर शर्मा का स्वर्गवास हो जाने से उनके मिलनेवाली ५ रुपये मासिक पेंशन उनके नाम करने की प्रार्थना की। कोलापुर के पास व्यासपुरमें रामशरण शर्मा हिन्दू गुरुकुल चलाते थे और उसकी सहायता के लिये १७९३ में उन्हें पेंशन मिलती थी। जिलाधीश ने अपने विवरण में बताया कि प्रार्थी पेंशन का अधिकृत उच्चाधिकारी है और शालेय शिक्षण की पूर्ण योग्यता से युक्त है। इन परिस्थितियों में रामकिशोर शर्मा की पेंशन काशीनाथ न्यायपंचानन के नाम कर दी गई।

## वीरभूम

इस जिले की प्राथमिक शिक्षा के बारे में मेरे पास कोई विवरण नहीं है। हेमिल्टन ने इस विषय में कुछ नहीं कहा है। सन् १८२३ में सामान्य समिति की पूछताछ पर स्थानीय अधिकारीने बताया कि इस जिले में युवकों की शिक्षा के लिये कोई निजी या सार्वजनिक गुरुकुल नहीं है। मैं मानता हूँ कि इसे यों समझना चाहिए कि प्राथमिक या उच्च शिक्षा की कोई सस्था नहीं है। मुझे सदेह है कि यदि यह कथन गलत है तो वह बहुत असाधारण है। क्योंकि शिक्षा प्रसार के लिये जो साधन अस्तित्व में थे उनके निरीक्षण में सरकारी प्रतिनिधि ने काफी मेहनत की है। पड़ोस के जिले की तुलना में यह न सुना जा सकता है और न माना जा सकता है कि जहाँ ३० हिन्दू और १ मुसलमान की आबादी वर औसत है वहाँ एक भी विद्यालय न हो।

सन् १८२० में सर्वानंद नामक एक हिन्दू ने वैद्यनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में अपने उत्तराधिकार का दावा किया और स्थानीय अधिकारी के माध्यम से सरकार को ५००० रुपये की सहायता भेजने की प्रार्थना की जिससे जिले में एक ग्राम्यशाला स्थापित की जा सके। इसके साथ यह शर्त भी रखी कि शाला के मुख्यशिक्षक या उपाध्याय के रूप में सरकार उसका अधिकार स्वीकार करे। सामान्य समिति के आर्थिक लेनदेन की टिप्पणी देखने से पता चलता है कि समिति ने यह राशि जिलाधीश कार्यालय को भेजी थी और उनके द्वारा मागी गई शाला की इच्छापूर्ति के अतिरिक्त इस राशि का उपयोग प्रमुख शहर के सूर के तालाब की खुदाई के लिये भी करने की माग की थी। यह माँग अस्वीकृत हुई और सर्वानंद से कहा गया कि उनके इस दावे के लिये उन्हें न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा। इस प्रकार यह निर्णय उनके लिये लाभप्रद नहीं रहा।

सन् १८२३ में कार्यकारी प्रतिनिधि और जिलाधीश ने विचार किया कि मंदिर की राशि का उपयोग सार्वजनिक सस्थाओं की स्थापना हेतु होना चाहिए, परंतु इस विचार का आधार ज्ञात नहीं है। एक मान्यता के अनुसार मंदिर की वार्षिक औसत आय ३० ००० रुपये थी। इस आय का आधार मंदिर में आनेवाले यात्रियों की संख्या और उनके द्वारा स्वैच्छिक दान था। १८२२ में अधिकृत अनुमान के अनुसार मंदिर की वार्षिक औसत आय १ ५० ००० मानी गई। एक विशेष बात यह थी कि दो माह में ही १५ ००० रुपये एकत्र हुए थे परंतु यह पता नहीं चला कि ये दो माह वर्ष के वे महीने थे जब मंदिर में अधिक यात्री आते हैं या दूसरे। वर्तमान में होनेवाली आय का उपयोग मेरी मान्यता के अनुसार मंदिर के स्वर्ध धार्मिक विधि और साधुसतों और भक्तों के लिये होता है।

कार्यकारी प्रतिनिधि और जिलाधीश ने दो निवेदन दिये हैं। जिनमें मित्र मित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिये दी गई जमीन का नाप और उसकी पैदावार बताई गई है और जिन मूलभूत कर्मों के लिये जमीन दी गई थी उनमें उसका उपयोग होता है। जिनका कोई हक नहीं बैठता ऐसे लोग भी इसका लाभ लेते हैं इस प्रकार का भी विवरण है। जिलाधीश की यह धारणा रही होगी कि इस दान की रकम का उपयोग शिक्षा के लिये भी होता होगा परन्तु इसके लिये उसने कोई कारण नहीं दिया है। यह निवेदन आम जनता की जमीन के रजिस्ट्रों पर से तैयार किये गये थे और ये सारी बातें मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सारी जमीन २२ परगना में है। यह जमीन ८ ३४८ बीघा है तथा ३९ गावों से देवदान में प्राप्त हुई है। १६ ३३१ बीघा नाजर जमीन ५ ०८६ बीघा घिरापी जमीन १०१५ पीलोतर जमीन आदि है। अन्य १५ परगने जो मुर्शिदाबाद जिले से वीरभूम जिले में ले जाये गये हैं उनकी १ ९३४ बीघा देवदान की जमीन और १६२ बीघा पीलोतर जमीन है। इस प्रकार ३९ देवदान के गाँवों के अलावा कुल ३२ ८७७ बीघा जमीन है। मैंने अपने निवेदन में हेतु स्पष्ट करने के लिये जमीन के उपयोग सम्बन्धी कुछ विशिष्ट शब्दों का उपयोग किया है। मैंने इस सहायता पर छिपणी इरालिये की है कि तत्कालीन जिलाधीश के मनमें शिक्षा के प्रसार हेतु ये साधन भी थे यह स्पष्ट हो। इसका यह तात्पर्य नहीं कि मैं जिलाधीश के अभिप्राय से सहमत हूँ। इस मत को ध्यान में लेने पर जमीन का उपयोग निर्दिष्ट हेतु के लिये करने के लिये सस्थाएँ बाध्य हैं। मेरी समझ में जिस प्रकार जमीनें दी गई हैं उसका हेतु धार्मिक है। जमीन मालिकों की सम्मति से उसका उपयोग शिक्षा के लिये भी हो सकता है। इस शिक्षा को भी एक प्रकार की धार्मिक दृष्टि से ही देखना चाहिए। परन्तु सम्मति के बिना इस हेतु इस का उपयोग अन्यायपूर्ण होगा और ऐसे विवादास्पद रूप में इसका उपयोग राष्ट्रीय शिक्षा जैसे जनहित के कर्म में करना भी मूर्खतापूर्ण होगा। यदि ऐसा किया गया तो उसके विरुद्ध धार्मिक विद्रोह उठने की संभावना है।

### राजाशाही

इस जिले में हिन्दू शास्त्रों की शिक्षा के लिए निस्संदेह अनेक विद्यालय हैं। परन्तु सरकार की सहायता से चलनेवाली दो शालाओं के अतिरिक्त किसी अन्य का उल्लेख मुझे नहीं मिला। सन् १८१३ में राजाशाही के जिलाधीश ने काशीश्वर वाचस्पति योर्विंदराम सिन्हा और हरिशर्मा भट्टाचार्य की ओर से एक याचिका रेवेन्यू बोर्ड में दायर की थी जिसमें बताया गया था कि महाविद्यालय की सहायतार्थ ९० रुपये वार्षिक धनराशि रानी भवानी की ओर से उनके पिता को मृत्यु पर्यंत मिलती थी और वही उनके बड़े भाई की मृत्यु तक

भी जारी रही। इसके बाद से आज तक उन्होंने इन सस्थाओं को टिकाए रखा है अतः सहायता की राशि उन्हें भी प्राप्त हो। जिलाधीश ने आवेदन पर सम्मति देते हुए कहा कि काशीश्वर नातोर शहर में एक महाशाला में कार्यरत हैं और उनके अन्य दो भाइयों ने गाँव में दूसरी सस्था स्थापित की है।

रेवेन्यू बोर्ड ने यह भी कहा कि दोनों भाई अपने पिता की सस्था को संपूर्ण दक्षता से चलाते रहे हैं। उनकी पेंशन जारी रखनी चाहिए और उनके वारिस यदि वे यह सस्था ब्रिटिश सरकार के स्थानीय प्रतिनिधि की देखरेख में चला सकते हों तो उन्हें भी पेंशन जारी रखनी चाहिए। बंगाल सरकार इस सलाह से पूर्णतः सहमत रही और रेवेन्यू बोर्ड की शर्तों के अधीन वार्षिक ९० रुपये की पेंशन स्वीकार की।

## रगपुर

इस जिले की प्रवर्तमान स्थिति (शिक्षा की) के बारे में हेमिल्टन कहता है कि पचास की रचना हेतु कुछ ब्राह्मण खगोलशास्त्र का पूरा ज्ञान रखते हैं। पाँच - छह पंडित विद्यार्थियों को आगमशास्त्र जादूकला या हस्तरेखा शास्त्र पढ़ाते हैं। हस्तरेखा विज्ञान जन्मपत्रिका गणना ज्ञान से श्रेष्ठ माना जाता है और पवित्र प्रथाओं द्वारा उसका प्रभाव सुरक्षित रखा जाता है। मुस्लिम समाज में कोई पढलिखा व्यक्ति न होने से वे हिन्दुओं की सलाह लेते हैं। शिक्षा की यह प्रणाली अत्यंत हानिकारक है और उचित तो नहीं ही है। आगमशास्त्र खगोलशास्त्र हस्तरेखा विज्ञान के अलावा हिन्दू धर्म के व्रत तथा कर्मकांड भी सिखाए जाते हैं और विद्यालयों में केवल आगमशास्त्र का ही ज्ञान नहीं दिया जाता।

कानूनगो से प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार जिले के ९ उपविभागों में ४१ शालाएँ सस्कृत की शिक्षा देती हैं जिनमें ५ से लेकर २५ तक विद्यार्थी होते हैं जिनमें व्याकरण सामान्य साहित्य काव्यशास्त्र तर्कशास्त्र कानून पौराणिक काव्य खगोल तथा आगमशास्त्र की शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थी ३५ वर्ष की आयु तक - कुछ मामलों में ४० वर्ष की आयु तक अध्ययन जारी रखते हैं। ये विद्यार्थी अधिकतर ब्राह्मणपुत्र होते हैं। इनका निभाव विभिन्न तरीकों से होता है। पहले तो जो विद्वान ब्राह्मण इन्हें पढ़ाते हैं उनकी उदारता से दूसरे धार्मिक त्यौहारों पर आमंत्रित होने पर प्राप्त भेंटों से घरों के साथ के सम्बन्धों से और भिक्षाटन से जब अन्य साधन विफल होते हैं तब दूसरे का सहारा लिया जाता है। विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से अपनी आजीविका अर्जित कर सकें ऐसी शिक्षा दी जाती है। कई बार दूसरों से प्रसंगोपात प्राप्त सौगात द्वारा और कई बार प्राप्त छोटी-बड़ी सहायता से निभाव होता है। लगभग दस छात्र ऐसे हैं जिनकी शिक्षा का निभाव उन्हें प्राप्त छोटे छोटे

जमीनदान से होता है। इसमें २५ बीघा जमीन ब्राह्मोत्तर की और १७६ बीघा जमीन लखौराज की है। अन्यो के लिये कितनी जमीन है यह नहीं बताया गया है परंतु वह ब्राह्मोत्तर जमीन नहीं होगी।

एक उदाहरण में यह भी बताया गया है कि जिस जमीन पर शाला स्थापित थी उसका मालिक पंडित को वार्षिक ३२ रुपये देता था तथा एक अन्य उदाहरण में वार्षिक ५ या ८ रुपये की सहायता प्राप्त होती थी। एक अन्य उदाहरण में पंडित का गुजारा बापदादा के उत्तराधिकार से होता था। साथ ही एक जमींदार के कुलगुरु का कर्तव्य भी वह निभाता था।

### दीनाजपुर

जिले के २२ विभागों में से १५ में विद्यालय नहीं हैं और शेष ७ विभागों में केवल १६ विद्यालय हैं। अनेक शिक्षकों के पास जमीन है जिससे उनका और विद्यार्थियों का निभाव होता है और बिना किसी भेदभाव के हिन्दुओं की ओर से उन्हें उपहार मिलते हैं।

जिन शिक्षकों के पास जमीन है उन्हें अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिये अन्य किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। विशेष तौर पर जब शिक्षक ने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो तो उसे जमीनदान के रूप में बड़ी सहायता प्राप्त होती है और उनके वारिस भी प्रसन्नता से उसका उपयोग करते हैं। परंतु ये वारिस शिक्षण कार्य करने को बाध्य नहीं होते। शिक्षण कार्य करते हुए भी पंडित के रूप में उनकी उपाधि बनी रहती है एवं अमुक संपत्ति निर्विवाद स्पष्ट हो जाने से अनेक अयोग्य कर्मों से कर्मों नीचे स्तर तक घटे जाते हैं। कुछ भी हो ब्राह्मणों के लिये अच्छी स्थिति यह है कि ऐसे उदाहरण अधिक नहीं होते तथा परिवार का एक पुत्र शिक्षा के व्यवसाय से जुड़ा ही रहता है। अन्य पुत्र अपनी इच्छानुसार व्यवसाय चुन सकते हैं। यह प्रथा कितनी ही मुक्त दिखती हो और कितने ही विद्वान शिक्षक प्राध्यापक हों तो भी इतना तो स्पष्ट दिखाई देता है कि शिक्षण कार्य कर्मों मद गति से होता है और यह भय भी रहता है कि वह कभी भी बद हो सकता है। धर्मार्थ सहायता जिससे शिक्षकों को पर्याप्त मान प्रतिष्ठा मिलती है यदि न मिले तो शिक्षा कर्म बद हो जाता है।

प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुकने के बाद बारह वर्ष की आयु में विद्यार्थी संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अन्य स्थानों की ही तरह बंगाल में भी पाठ्यक्रम में व्याकरण तर्कशास्त्र अध्यात्म और कभी कभी वेदों का तत्त्वज्ञान (दर्शन) हिन्दू धर्म के वर्तमान कर्म काण्ड और खगोलशास्त्र वैद्यक और जादूकला का भी समावेश होता है।

द्वैतों और कुछ सपन्न कायस्थों को सस्कृत विद्वानों द्वारा निश्चित किया हुआ हिस्सा तथा साहित्य का कुछ अंश पढाया जाता है। परन्तु इन्हें दैवी या अन्य प्रभावी साहित्य नहीं पढाया जाता है। डॉ. बुशनन की टिप्पणी है कि सस्कृत की शिक्षा पर पवित्र वर्ग का ही एकाधिकार है। इस प्रथा के कारण जनसामान्य में अज्ञान बढ़ा है। परन्तु यह निःसंदेह कहा जा सकता है कि जिन्हें यह शिक्षा मिलती है वे अपने अन्य देशवासियों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। ब्राह्मणों में अन्य हिन्दुओं की तुलना में अधिक बुद्धि सूक्ष्मता दिखाई देती है। उनमें दुर्यसनों की मात्रा भी कम है और उनके जैसे सदाचारियों को ही शास्त्रों के मरुप में (शास्त्र शिक्षा में) प्रवेश मिलता है। यहाँ तथा अन्य स्थानों पर भी वैदिक क्षमता तथा धरित्र एक जैसे नहीं होते तो भी वैदिक व्यवसाय के प्रति लगन और उससे प्राप्त आनन्द नैतिक धरित्र सुधारने और उसे उच्चतर बनाने में महत्वपूर्ण होता है। समूची मानव जाति के सुधार और सभ्यता तथा मानवप्रेम के अनेक माध्यम होने के बावजूद एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि अपने विचार और अनुभव से स्थापित योग्यता से हम कितने ही अपरिचित हों इस धरती के मौलिक सस्कारों ने शताब्दियों से अनेक विषम परिस्थितियों में प्रष्ट्यचार तथा नीतिप्रष्टता से देश को समाला है बचाया है।

अरबी या मुस्लिम शास्त्रों की शिक्षा देनेवाला एक भी विद्यालय नहीं है। यह एक विस्मित करनेवाली बात ही है कि जहाँ इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी है वहाँ एक भी मुस्लिम शाला नहीं है।

यद्यपि कुछ मुसलमान शिक्षक (मौलवी) कुरान के कुछ अंश पढ लेते हैं। अमुक अवसरों पर उसका पठन होता है फिर भी बुशनन की सूचना के अनुसार काजियों की यह शिक्षायत थी कि (इनमें से कोई) शायद ही इस भाषा का कोई शब्द समझता हो। अधिकांश लोग सामान्य रूप से कुछ परिच्छेद रट लेते हैं जिससे उनका उपयोग वे कुछ विधियों के समय कर सकें।

## पूर्णिमा

डॉ. बुशनन के अनुसार इस जिले में ११९ शालायें विभिन्न स्तर पर चलती थीं। उनमें व्याकरण तर्कशास्त्र कानून और प्रवर्तमान कर्मकाण्ड की शिक्षा दी जाती थी। अंतिम दो विषयों के शिक्षकों को विद्वान माना जाता था फिर भी पूर्व विषयों के शिक्षकों की अपेक्षा उनका सम्मान कम था। कुछ सम्माननीय माने जाने वाले लोगों का ज्ञान भी सतही था। छत्र अध्ययन में लापरवाह थे और दीर्घ अवकाशों पर चले जाते थे। किसी भी पंडित के पास आठ से अधिक छत्र नहीं थे जो प्रति शिक्षक दो से भी कम होते थे। जिले में शिक्षक



और पंडितों की संख्या २४७ थी। अन्य १८००-१९०० लोग भी स्वयं को पंडित गिनाते थे परंतु वे श्राद्धविधि करवाने वालों से कुछ अधिक नहीं थे और पंडितों से भिन्न थे। वे शूद्रों के पंडित थे तथा पश्चिमी प्रदेशों में वे निम्न जातियों की पंडिताई करते थे। इन जातियों में शायद ही कोई पढ़ा लिखा होता था इसलिये जब वे काव्य पढ़ते तो स्वयं को महान ज्ञानी समझते थे। उन्हें लगता था कि काव्य पढ़ना एक अद्भुत बात है। इसके लिये कुछ विधियों में उपयुक्त प्रार्थनाएँ और उनके अश कठस्थ कर लेते थे। जिले के पूर्व भाग में जहाँ बंगाली रीतिरिवाजों का प्रचलन था वहाँ भी ब्राह्मणों का एक वर्ग शूद्र या निम्न जातियों के लिये काम करता था। उनके ज्ञान का स्तर भी दशाकर्मियों से अच्छा नहीं था। उष वर्ण के शूद्रों के लिये (ये) दशाकर्मों का ब्राह्मण थे। वे पुस्तकों में से प्रार्थना पढ़ते थे। इनमें अधिकांश ने एक दो वर्ष तक किसी विद्वान शिक्षक से शिक्षा ली होती थी तथा व्याकरण और कानून की थोड़ी बहुत जानकारी रखते थे। कुछ लोग उधारित विधिमंत्रों को अशत समझते भी थे। कुछ तो यहाँ के मूल निवासी थे। जिले की आग्नेय दिशा में बहुत कम लोगों ने इस पवित्र भाषा का अध्ययन किया था।

ऐसा देखा गया कि भिन्न भिन्न विद्याओं और शास्त्रों का अध्ययन जिले के दो कोनों में ही किया गया था। इस क्षेत्र को 'गौर' कहा जाता है। कोशी के पश्चिम किनारे पर एक अन्य छोटा सा क्षेत्र है। पहले किन्तसे में स्थानीय शासक की देखरेख में सारा कार्य चलता है तथा आसपास के प्रदेश में प्रशासक की बहुत बड़ी संपत्ति होती है। जब डॉ. बुशनन की जायजल रही थी तब भी उसके पास यह संपत्ति थी। उसने शिक्षा हेतु छह पंडितों को नियुक्त किया था और उनकी सहायता करता था। इसके अतिरिक्त उसने शिक्षकों को जमीन भी दी थी। आसपास के प्रदेशों के प्राध्यापकों से भी उन्हें उष कक्षा का माना जाता था। ये लोग राजपंडित कहे जाते थे। इस प्रदेश के ३१ पंडित प्रमुख रूप से व्याकरण कानून तथा पौराणिक कार्यों का अध्ययन अध्यापन करते थे। तर्कशास्त्र खगोलशास्त्र और जादू की उपेक्षा की जाती थी। जिले के पश्चिम भाग में छोटे से स्थान पर ३३ शिक्षक हैं। यहाँ अध्यात्म और ज्योतिष पढ़ाये जाते हैं। पौराणिक कार्यों का अध्ययन नगण्य है और जादू की तो एकदम उपेक्षा की जाती है। दरभंगा के राजा के आश्रित अनेक शिक्षकों को जमीन मिली है परंतु उन्हें प्राप्त यह सहायता प्रभावी नहीं है क्योंकि कोशी के पश्चिम किनारे पर जो ३३ पंडित निवास करते हैं उनमें से केवल ८ पंडित ही शास्त्रों और शिक्षा में पारंगत हैं। इनमें से एक तर्कशास्त्र और अध्यात्म तीन व्याकरण और चार ज्योतिष पढ़ाते हैं। ये सब पंडित मिथिला के हैं।

डॉ. बुशनन ने शिक्षा की विविध शाखाओं की कुछ जानकारी दी है। म्यारह पंडित

अध्यात्मशास्त्र पढ़ाते थे। इनमें से छ ने इसी शाखा का अध्ययन और अध्यापन जारी रखा। एक पंडित व्याकरण दूसरा व्याकरण तथा कानून पढ़ाता था अन्य दो कानून के साथ श्रीमद् भागवत भी पढ़ाते थे और एक इन सभी का अध्यापन करता था। कानून के ३१ से अधिक शिक्षक थे। इनमें से केवल एक ने ही केवल कानून पढ़ाने का कार्य जारी रखा। अन्य २४ एक अतिरिक्त विषय भी पढ़ाते थे। इनमें से १९ व्याकरण पढ़ाते थे और एक तर्कशास्त्र तथा अध्यात्मविद्या पढ़ाता था। आठ लोग दो अतिरिक्त विद्याशाखाओं की शिक्षा देते थे। उनमें से तीन लोग व्याकरण और भागवत पढ़ते थे। दो लोग तर्कशास्त्र और अध्यात्म के साथ भागवत भी समझाते थे। दो लोग भागवत और आधुनिक कर्मकाण्ड सिखाते थे एक व्यक्ति व्याकरण तर्कशास्त्र तथा पौराणिक काव्य पढ़ाता था तथा दूसरा तर्कशास्त्र के स्थान पर आधुनिक कर्मकाण्ड पढ़ाता था। खगोलशास्त्र के ग्यारह शिक्षकों में से दस कुछ भी नहीं पढ़ाते थे। उनमें से सात जो आधुनिक कर्मकाण्ड सिखाते थे उन में से एक ने ही कर्मकाण्ड की सीमित शिक्षा जारी रखी। दो लोग कानून और तीन लोग व्याकरण और पौराणिक काव्यों की शिक्षा देते थे। छह लोग व्याकरण में प्रवीण थे। पाँच पंडित व्याकरण की शिक्षा तक ही सीमित थे।

चिकित्सकीय शिक्षा और व्यवसाय के बारे में डॉ० बुशनन बताते हैं कि २६ बंगाली वैद्य मंत्रोच्चार के साथ इलाज करते थे। सैतीस ने इस प्रथा को स्वीकार नहीं किया था और वे विधिवत् औषधि देते थे। पाद्य मुसलमान हकीम इनसे श्रेष्ठ थे। दोनों के सिद्धान्त लगभग समान थे जो गेलन की परंपरा पर आधारित थे। जिन का व्यवसाय (प्रेक्टिस) अच्छा था वे प्रति माह १० से २० रूपये तक कमा लेते थे। वे औषधि निर्माण के घटक तथा उसकी विधि गुप्त नहीं रखते थे और काफी उदार वृत्ति से अपना व्यवसाय करते थे। यद्यपि उनकी कोई बहुत प्रतिष्ठा नहीं थी। उनमें से अधिकांश धनी लोगों के नौकर थे और उन्हें उस परिवार से मासिक सहायता मिलती थी। उनमें से अमुक तो पढ़ भी नहीं सकते थे। वैद्यकीय इलाज करनेवाला एक अन्य वर्ग भी था। वे मंत्रत्र को नहीं मानते थे और जड़ीबूटियों से दवाएँ बनाते थे। उनमें से अनेक के पास पुस्तकें तक नहीं थी और वे सामान्य भाषा भी नहीं पढ़ सकते थे। कुछ लोगों के लिये जिन जड़ी बूटियों का उपयोग होता था वह उन्हें पहले ही सिखा दिया जाता था। डॉ० बुशनन ने ऐसे ४५० वैद्यों की संख्या सुनी थी। ये वैद्य जिले की हिन्दू बस्ती में से थे और उन्हें निम्न स्तर का माना जाता था। एक ऐसा वर्ग भी था जो घाय और फोड़े पुन्ती का इलाज करता था। वे लोग बिना किसी शास्त्रीय ज्ञान के अशिक्षित थे और ऑपरेशन (शल्य चिकित्सा) बिलकुल नहीं करते थे। वे सिर्फ भिन्न भिन्न तेलों का प्रयोग करते थे। शल्य क्रियाएँ मात्र एक स्त्री प्रवीण थी जो

पिचाशय से पुराने ढग से पथरी निकाल देती थी। वह इस कार्य के लिये खूब प्रख्यात थी।

डॉ० युशानन के अनुसार शारे जिले में अरबी शास्त्रों की संपूर्ण उपेक्षा की गई थी। इस कारण थोड़े से काजी ही युशान समझते थे तथा अरबी व्याकरण कानून व अध्यात्म की जानकारी रखते थे। युशानन को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इनमें से कोई भी इन विषयों की शिक्षा देता हो या ऐसा प्रयत्न करता हो। डॉ० युशानन बताते हैं कि इस जिले में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुसलमान क़यदे व अमल करता हो एव इस जिले में जन्म हो तथा अपने विषय का विशेषज्ञ हो या क़ाफी ज्ञान रखता हो या इस्लैम के छोटे शहर में वकालत करनेवाले व्यक्ति जितनी भी शिक्षा जिसने प्राप्त की हो।

### ३

#### देशी वैद्यक व्यवसाय से संबंधित विलियम एडम का विवरण

राजाशाही जिले में चिकित्सा की प्रजाती लोगों के स्वास्थ्य और सुख के साथ इतनी घुल मिल गई है कि उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मुझे जो सूचनाएँ मिली हैं उनसे ऐसा लगता है कि इसे नजरअदाज नहीं किया जा सकता। जिन लोगोंने व्यावसायिक जाँच की सूचनाएँ एकत्र की हैं उनसे यह जानकारी एकदम भिन्न है। इन सूचनाओं से इस विषय की व्यावसायिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

वैद्यकीय व्यवसाय करने वालों की सबसे अधिक संख्या १२३ नातोर में है। इन्होंने ८९ हिन्दू और ३४ मुसलमान हैं। वैद्य बेलघारिया व चिकित्सा विद्यालय महत्त्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। मेरी जानकारी के अनुसार इस जिले में इस प्रकार की यह एकमात्र संस्था है। समस्त बंगाल में भी इस प्रकार की संस्थाएँ बहुत सीमित हैं। इस संस्था के दो वैद्यों (शिक्षकों) के दो सपन्न परिवारों ने अपने निजी चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया है। इन दोनों के कम्पाउण्ड खूब अच्छे चलते हैं। दो में से कनिष्ठ वैद्य को निजी चिकित्सक के रूप में मासिक २५ रुपए वेतन मिलता है जबकि वरिष्ठ वैद्य को केवल १५ रुपए। वह भी उसे बुलाए जाने पर ही जाना है तब। मैं ने इन परिवारों को धनी परिवार कहा है परन्तु आज वे इतने घिस गए हैं कि वे नाम मात्र के धनी हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि चिकित्सक को भीची दृष्टि से देखा जाता है। इसलिये पारिश्रमिक कम है। हाजरानातोर ग्रामाक-२६ नामक अन्य स्थान पर तीन शिक्षित हिन्दू चिकित्सक हैं। ये तीनों ब्राह्मण हैं और भाई हैं। वे थोड़ी बहुत सस्फुट जानते हैं। बेजवाडा आमहड़ी में उन्होंने सस्कृत व्याकरण की शिक्षा प्राप्त की है। बाद में उन्होंने उन्हें वैद्यकीय शास्त्र व अध्ययन कराया।

सबसे बड़े भाईने १८ वर्ष की आयु से यह व्यवसाय अपनाया है। आज वह बासठ वर्ष का है और अपना अतिरिक्त समय अपने दो भतीजों को शिक्षा देने में बिताता है। वह अपनी औसत वार्षिक आय ५ रूपये मानता है। उसका एक भाई जिसकी प्रतिष्ठ कुछ कम है वह अपनी वार्षिक आय ३ रूपये मानता है। हरिदेव खलासी नामक एक तीसरे स्थान पर घर शिक्षित चिकित्सक हैं। उनमें से तीन अपनी निपुणता के लिये काफी प्रख्यात हैं। उपस्थित न होने से मैं उनके साथ बातचीत नहीं कर सका लेकिन उनके पड़ोसियों ने उनकी अदाजित आमदनी क्रमश आठ दस और बारह रूपये बताई। नातोर में और भी दो-तीन शिक्षित चिकित्सक हैं। शेष सभी अशिक्षित हैं। (एक पुस्तक का) सस्कृत से बंगाली में अनुवाद किया गया है जिसमें क्षेत्रों के लक्षण और उपचार बताये गये हैं और रोगोपचार के लिये देशी दवाओं की मात्रा का भी वर्णन है। इनके पास इतना ही ज्ञान है और उसका वे उपयोग करते हैं।

नातोर में कोई सुशिक्षित मुस्लिम हकीम होने की विबसनीय जानकारी मुझे नहीं मिली। जो २४ हकीम मैंने पहले बताये हैं उन्हें अशिक्षित हिन्दू चिकित्सकों के समकक्ष रखा जा सकता है। वे भी सस्कृत से बंगाली में अनूदित उपचार पद्धति का उपयोग करते हैं और उसका शब्दश अनुसरण करते हैं।

योम्यताप्राप्त और अयोम्य चिकित्सकों में मुझे एक ही अंतर दिखा। वह यह कि प्रशिक्षित चिकित्सक आत्मविश्वास पूर्वक निश्चित औषध देते हैं जबकि अल्पज्ञाता अनुवाद की पूर्ण समझ न होने से अनिश्चिततापूर्वक औषध देते हैं। उपचार प्रणाली लगभग समान और प्रत्येक रोग के लिये तय होती है। रोग के लक्षणों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। रोगी के प्रत्यक्ष दिखनेवाले लक्षण और रोग के अनुमानित लक्षणों के अनुसार निश्चित औषध व उपचार पर सावधानी पूर्वक विचार कर चिकित्सा की जाती है। रोग की योम्य पहचान और उसका योम्य उपचार तय करने के बाद ही इलाज किया जाता है क्योंकि इन प्रख्यात पुस्तकों में बताया गया है कि प्रत्येक रोग का उसकी विशेष दवा से उपचार होता है। इस से विपरीत उपचार किया जाए तो उसके अकल्पनीय परिणाम होते हैं। सामान्य लक्षण मिलते जुलते हैं और थोड़ा अंतर हो तो उसके अनुरूप दवा में थोड़ा परिवर्तन करना स्वीकृत है परंतु यह परिवर्तन किस माध्यम से किया गया इस पर ध्यान रखा जाता है। वनस्पतिजन्य तथा खनिज व क्षारयुक्त दो प्रकार की औषधिया दी जाती हैं। वनस्पतिजन्य दवाएँ छिस्का पत्ते मूल एवं फलों से बनती हैं और दवा की दुकानों से कपूर लौंग इलायची आदि के रूप में भी उपलब्ध रहती हैं। ये सभी दवाएँ बाह्य उपचार गोली घूर्ण शरबत या कम्बे के रूप में दी जाती हैं।

उपरोक्त चिकित्सकों का वर्ग विविध व्यक्तियों का है और उपचार एक शास्त्र या विद्या है ऐसा वे मिलकुल नहीं जानते। तब की गई दवाओं का वे सहज उपयोग कर लेते हैं इससे वे जँटवैद्य से अधिक कुछ नहीं हैं। फिर भी ग्राम्य लोगों का झुकाव डाक्टरों की अपेक्षा वैद्यों की ओर अधिक होने से उनकी मान्यता अधिक रहती है। ऐसे २५० वैद्य तो नातोर में हैं। उनके पास चिकित्सकीय ज्ञान नाम मात्र का भी नहीं है। वे जख्मी-भूटियों से ही उपचार करते हैं। इसके लिये वे पहले या बाद में कोई मंत्र पढ़ते हैं और शरीर को थपथपाते तथा पूस्क मारते हैं। उनकी सख्या ही गाँवों में उनकी प्रतिष्ठा का प्रमाण है। सब तो यह है कि मंत्रपाठ से जनमानस पर होने वाले प्रभाव के कारण ही इनकी सख्या अधिक है। ग्राम्य वैद्यों में स्त्री-पुरुष दोनों हैं। अनेक तो मुसलमान भी हैं और अपना परिचय अपने वर्ग के अनुसार ही देते हैं।

सामान्य चिकित्सकों के अतिरिक्त शीतला (चेचक) का टीका लगाने वालों का भी एक वर्ग है जो काफी सम्माननीय है। इनमें से २१ नातोर में हैं। अधिकांश ब्राह्मण हैं। वे अशिक्षित हैं परंतु टीका लगाने का कार्य यत्नपूर्वक करते हैं। कभी कभी तो एक व्यक्ति एक दिनमें १००-१५० बच्चों को टीका लगा देता है। प्रति बालक टीकाकरण का शुल्क १ या दो आने मिलता है। बच्चों की संख्या अधिक हो तो शुल्क दर कम रहता है और सख्या कम हो तो दर अधिक होता है। मैं समझता हूँ कि बड़ीमाता (चेचक) का टीका लगानेवाले जिला मुख्यालय के सिवाय कहीं नहीं हैं। अन्य स्थानों पर चेचक के चिकित्सकों का विरोध भी होता है। मैं समझता हूँ कि यह विरोध किसी स्वार्थ के कारण नहीं है क्योंकि बड़ीमाता (चेचक) का टीकाकरण उन्हें उतने ही प्रयत्न से उतना ही लाभ दे सकता है। परंतु जैसा मुझे बताया गया विरोध का कारण टीका के प्रति पूर्वाग्रह है। जहाँ गाय को अत्यंत पवित्र माना जाता है वहाँ लोगों का ऐसा विश्वास है कि टीका के पदार्थ के लिये गाय को नुकसान पहुँचाया जाता है। मुसलमान टीकाकार्मियों को इस कार्य में लगाने से इसका प्रचार प्रचुर मात्रा में हो सकता है। कालांतर में टीकाकरण की सफलता से ब्राह्मणों को उनकी भूल समझ में आ जायेगी।

परिचारिका का व्यवसाय करनेवाला भी एक वर्ग है। यद्यपि हिन्दुओं में इस वर्ग में कोई नहीं है। एडरस ऑफ वर्मन्स (ससद) में लन्दन के एक डॉक्टर ने मेडिकल कमिटी को बताया कि चीन में नर्स का व्यवसाय कोई महिला नहीं करती। अफ्रीकी देशों और हिन्दुओं में भी वही स्थिति है। मैंने पूछताछ करके जानकारी प्राप्त की है। नातोर में अनेक स्त्रियाँ नर्स के व्यवसाय में हैं। यह सख्या २९७ की है। निःसंदेह ये नर्स इन्वैण्ड की तरह ही अज्ञान हैं।

ग्राम्य चिकित्सकों की अपेक्षा एक निम्न वर्ग भी है जिसे लोग जादूगर या मदारी कहते हैं। इनमें से अधिकांश सपेरे हैं। नातोर के एक ही पुलिस थाना क्षेत्र में ऐसे ७२२ मदारी हैं। कुछ गाँव ऐसे भी हैं जहाँ एक भी मदारी नहीं है तो कुछ गाँवों में लगभग १० मदारी हैं। यदि आवश्यकता होती तो मैं प्रत्येक गाँव के मदारियों की सख्या बता सकता था परंतु पत्रक की तालिका में इनकी सख्या दिये बिना भी मैंने उनकी सख्या तय कर ली है। उनका कहना है कि वे मंत्रों से सोंप का जहर उतार सकते हैं। वर्षा में इस जिले में सोंपों का आतंक अत्यधिक होता है। गंगा के तटवर्ती क्षेत्र का यह जिला है। वह काफी नीचा क्षेत्र है। वर्षाकाल में विपुल मात्रा में आनेवाला जल सापो के बिलों में भरने से वे बाहर आ जाते हैं। साप लोगों के घरों में अपना आश्रयस्थान खोजते हैं और लोग सर्पदश से बचने के लिये मदारियों की शरण में जाते हैं। मदारी सोंप का जहर उतारने के बदले में कुछ नहीं माँगते। सब व्यक्तिगत रूप से कृतज्ञता के रूप में आर्थिक सहायता करते हैं। इस से उन्हें अच्छे से अच्छा लाभ होता है। इसी से वे इतनी उदारता दिखाते हैं। जिन गाँवों में एक भी मदारी नहीं होता वहाँ लोग पास पड़ोस के गाँवों से बुलाकर एक दो मदारी को आवश्यक सुविधायें देकर गाँव में बसाते हैं। उसका काफी प्रभाव ग्राम्य लोगों पर होता है। गाँव में होने वाले झगड़े की भयिष्यवाणी उसके निराकरण आदि यह मदारी अन्य लोगों की अपेक्षा शीघ्र कर देता है। इसी से लोग उसकी जमीन की फसल काटने में अन्यो की अपेक्षा तत्परतापूर्वक मदद करते हैं। यह कला किसी परिवार या जाति का जन्मजात अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति जिससे मैं मिला वह नाविक था दूसरा चौकीदार था तीसरा जुलाहा था। जो भी यह जादू सीखता है वह उसका अभ्यास करता रहता है। किन्तु ऐसा माना जाता है कि जिनका यह व्यवसाय अच्छा चलता है वह उनके श्रेष्ठ जन्मग्रहों के कारण होता है। प्रत्येक मदारी का अपना अलग जादू होता है। किन्हीं दो के पास एक ही प्रकार का जादू मैंने नहीं देखा। जिज्ञासा सतुष्ट करने के लिये उन्हें अपनी जादू विधि का पुनरावर्तन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। उसे लिखे जाने पर उन्हें प्रसन्नता होती है। उनमें एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं होता। दूसरों के मंत्रों का पठन-पाठन करने करवाने की उनकी वृत्ति होती है। उनका दावा होता है कि वे अपने जादू से सर्पदश का इलाज कर सकते हैं। राक्षस (भूत-प्रेत) को भगाने की भी शक्ति वे रखते हैं परंतु वे अपने आपको मदारी नहीं कहते। नातोर में राक्षसों को भगानेवाले मदारी अधिक नहीं हैं। बाघ से घायल लोगों का इलाज करनेवाले भी होते हैं। इन जानवरों का जहा निवास है वहाँ बाघों से आहत लोगों का इलाज करने वाले बड़ी सख्या में हैं। इन तीन प्रकार के जादूगरों के अतिरिक्त एक अन्य वर्ग भी है। वह ईश्वरीय आशिष प्रदत्त ज्ञानी लोग हैं। ये लोग गाँव पर आनेवाली विपत्तियों तथा अकाल से बचाने

कम दाना करते हैं। जब कभी अतिवृष्टि या आंधी तूफान आता है तो इन ज्ञानियों में से एक त्रिशूल और भेंस का सींग लेकर खेतों में जाता है। त्रिशूल जमीन में गाड़कर यह ज्ञानी उसके आसपास रक्षा रेखा बनाकर नग्न होकर त्रिशूल के धारों ओर सींग बजाते हुए तथा मंत्रोच्चार करता हुआ दौड़ता है। ग्रामवासियों की ऐसी मान्यता है कि इस उपाय से उनकी फसल आंधी तूफान अतिवृष्टि से बच जायेगी। स्त्री पुरुष दोनों यह व्यवसाय करते हैं। ऐसे एक दर्जन लोग नाहोर में हैं और मदारी और जादूगरोँ को जिस प्रकार सुविधायें दी जाती हैं वैसे ही सुविधायें इन्हें भी दी जाती हैं।

इनमें से अनेक बातें निरर्थक और महत्त्वहीन हैं। परंतु ये बातें समाज के विनम्र व्यक्तियों के घस्त्रिदर्शन की दृष्टि प्रदान करती हैं। यही लोग देश की आबादी कम बढ़ा भाग हैं और देश की आबादी से ही उनके सुख संपत्ति और सुधार जुड़े हुए हैं। यद्यपि इस प्रकार वे बुद्धिहीनता और वहम कम प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। परन्तु इनके मूल में नीतिभ्रष्टता और दुर्गुण हैं ऐसा कोई विद्वान् दिखाई नहीं देता। प्रकृति के सामान्य नियमों के ज्ञान के अभाव में दी जाने वाली अपूर्ण शिक्षा सीमित वैदिक गठन को पूरा नहीं कर सकती। ये वहम न हिन्दू होते हैं न मुसलमान। दोनों समुदाय के शिक्षित लोग तो इन वहमों को खंडन करते हैं। परंतु ये अंधविश्वास दोनों धर्मों के पुरोगामी हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी घले आ रहे हैं तथा किसानों का वह उधराधिकार तथा स्थानीय धर्म बन गया है। बाद के समय में विजेताओं के कारण असाधारण परिवर्तन होने के बावजूद उसी अवनत अवस्था में और आश्रित अवस्था में वे अब भी पड़े हुए हैं।

विद्यालयीन छात्रों का जाति अनुसार वर्गीकरण  
(विलियम एडम्स के बंगाल एव बिहार के रिपोर्ट से)

छात्र की जाति	मुर्शिदाबाद	बीरभूम	बर्दवान	दक्षिण बिहार	तिरहुत
सर्वेक्षण किये गये विद्यालयों की संख्या		४१२	६२९	२८५	८०
छात्रों की औसत आयु	१०.१	१०.०५	९.९	९.३	९.२
प्रवेश योग्य आयु	६.०३		५.७	७.९	५.०३
समाह्वान आयु	१६.५		१६.६	१५.७	१३.१
जाति अनुसार छात्र संख्या					
मुस्लिम	१०८०	६३८३	१३१९०	३०९०	५०७
ईसाई	८२	२३२	७६९	१७२	५
हिन्दु	(१९८)	(६१३१)	(१२४०८)	(२९९८)	(५०२)
जाति अनुसार					
ब्राह्मण	१८१	१८५३	३४२९	२५६	२५
कर्मयस्य	१२९	४८७	१८४६	२२०	५१
कैवर्त	९६	८९	२२३		२
सुवर्णनिक	६२	१८४	२६१	३१	
राम्पटी	५६	१९६	२४९	१	
सही	३९	१६४	१८८	५६	७२
कैली	३६	३८	३७१	२७१	२९
मैरा	२९	२४८	२८१		२८
किल्ली	६	३५	२००		
अगुरी	५	२८	७८७	२१	१७
सद्गोप	२	२९०	१२५४		
बध्मनिक	५९	५२९	६०६	५४०	३२
वैद्य	१४	७१	१२५		
सुयार	१३	५०	१०८		२
कर्मघर	९	१०९	२६२		४



छात्र की जाति	मुर्शिदाबाद	पीरभूस	बर्दवान	दक्षिण बिहार	तिरहुत
राजपूत	७	६८	२१	१५०	६२
क्षत्री	९	२४	३५	१	
बराणसी	४	६२	३२	१	
स्वर्णकार	११	५३	८१	५१	२५
नरभित्त	७५	७९	१९२	३९	४
म्यत्ता	१९	५६०	३११	३८	८
ताम्रद्वी	२२	१२७	२४२	१६	४
फालू	१	२५८	२०७		
डोम		२३	६१		
बापडी	२	१४	१३८		
कैरी	१			२००	५
मागध		१	-	४६८	१८
कुमार	८	४३	९५	१०	
क्षत्रिय	२६	५२	१६१	१८	७
कुर्मी	२४	७	८	५६५	११
वैष्णव	२४	१६१	१८९	२	
गुणी	१०	९	१३४	८	
कस्तुर्यबन्धक	७	९	३४	२०	
हस्तपाईकर	४	१		६६	
दैनिक	४	१७	३३		
घाटवाल	४	१	६१		
जस्तिया	२	१	२८		
लाठरी	२	५	३	१३	२
पासी	१		१	२२	५
घोडा	१	२८	२४	१	
कैली		१३	१६	१	
भट्ट		९	११	१५	
माली	४	४	२६	१६	

छात्र की जाति	मुर्शिदाबाद	वीरभूम	बर्दवान	दक्षिण बिहार	तिरहुत
कामठू			१	९	१८
कलसवर	३			१८	
कैश्य	१	११			
मोधी	१	३	१६		
महला				१	६
हरि		१३	११		
लुभियर	५			२१	९
साख्यबनिक		९	२७		
खाटक्री				२	१
अग्र्यानी		१		१४	
सन्धारी		१		१४	
बराई				३५	
माला	१६				
ओसवाल	१२				
गारबनिक	३				
कामठू	३			१	
माहूरी	३			४२	
मरार			२		-
माल		१२	२		
मदिया			१		
पाररवा					२
धनुक		२			५
दोसाठ				२३	
गरेरी	१				
कलाल					४०
कसारी					४
पुशिरा				१	
पुनरा		२३			

छात्र की जाति	मुर्शिदाबाद	वीरभूम	बर्दयान	दक्षिण विहार	तिरहुत
कैवट		१५			
षापीकर					२
बनवार				१४	
बेलदार				८	
बुन्देला				४	
नेत्र		८			
लोहार				१३	
सारक		७			
पटवार				४	
बहिला		४			
भूमिया		२			
कैनरा		२			
गजरार		२	-	-	
मरिचक		२	-	-	
बारी		१			
दुलिया		१			
बवाघा	-	१			
धनगर (कैल)		३			
सधात		३			
रिज्ज			४		
कन्यार			३		

शिक्षकों का जाति अनुसार वर्गीकरण  
(विलियम एडम के रीपोर्ट से)

शिक्षक की जाति	मुर्शिदाबाद	वीरभूम	वर्धमान	दक्षिण विहार	तिरहुत	मिदनापुर
कुल शिक्षक	६७	४१२	६३९	२८५	८०	७७८
आयु (वर्ष)	४४.३	३९.३	३९.०५	३६	३४.८	
जाति						
कर्मस्थ	३९	२५६	३६९	२७	७७	
ब्राह्मण		अगुरी	१४	८६	१०७	-
			३	२	३०	
सद्गोप	१	१२	५०			
वैष्णव		८	१३			
भट्टा		४	९			
खेती			१०	१		
कैथन	२	४	५			
सुन्तरी	२	२	१			-
वैद्य	१	२	१			
सुवर्णसिक्कि	१	५	२			
ब्रह्मिण्य	१					
छत्री	१	१				
घाडाल	१	१	४			
गणपति		५	६	१	२	
मायरा		४	१			
खासा		३	२			
युगी		२	१			
कण्टी		२	१			
कस्तू		२	१			
स्वर्णकर	-	१				

शिक्षक की जाति	मुर्शिदाबाद	पीरभूम	बर्दवान	दक्षिण बिहार	तिरहुत	मिदनापुर
राजपूत		१	१			
नाथित		१	३			
बसाई		१	१			
धोबा		१	१			
मालो		१				
कुमार			३			
बागडी			२			
नागा			१		-	
दैवज्ञ			१			
कमार			१			
मागध				२		
सोनार				१	-	
कैरी				१		
मुस्लिम	१	४	१	१		
ईसाई		१	३			

## प्राथमिक विद्यालय की पुस्तके

क्रम	नाम	जिला
१	दानलीला	मुर्शिदाबाद द बिहार तिरछत
२	दधिलीला	
३	गुरुचन्दना	मुर्शिदाबाद
४	शुभकर	
५	अमरसिंह	
६	शब्द सुयन्त	
८	घाणक्य	मुर्शिदाबाद दक्षिण वीरभूमि
९	उग्र बलराम	मुर्शिदाबाद
१०	सरस्वती चन्दना	
११	मानभजन	
१२	कलक भजन	
१३	हितोपदेश	
१४	नीतिकथा	
१५	ज्योतिष विवरण	
१६	दिग्दर्शन	
१७	नीतिब्रह्म	
१८	गीतगोविन्द	वीरभूमि तिरछत
१९	अष्टधातु	वीरभूमि
२०	अष्ट शब्दी	वीरभूमि
२१	गंगा चन्दना	बर्दवान
२२	युगोदय चन्दना	
२३	दाता कर्ण	
२४	आदि पर्व	
२५	सुदाम चरित	दक्षिण बिहार
२६	रामजन्म	दक्षिण बिहार तिरछत
२७	सुन्दर काण्ड	दक्षिण बिहार
२८	सूर्यपुराण	तिरछत
२९	सुन्दर सुदामा	

मुर्शिदाबाद एव वीरभूमि में उपयोग में लाये जाने वाली पुस्तकें अधिकांश

बर्दवान में भी उपयोग में लायी जाती है।

(च) यगल एवं विहार के कुछ जिलों में पढ़ाई जानेवाली पुस्तकें  
(१८३५-३८ के विलियम एडम के रिपोर्ट से)

क्रम	नाम	लेखक/वर्णन जिला	
	व्याकरण		
१	मुग्धबोध	रामतारकव्यगीसी भाष्य के साथ	मुर्शिदाबाद
२	कलाप	त्रिलोचनदास टीका सहित	
३	पाणिनी	कौमुदी टीका सहित	वीरभूम
४	सक्षितसार	गौचन्द्री टीका सहित	
५	मुग्धबोध	दुर्गादासी एवं रामातारकव्यगीसी टीका सहित	बर्दवान
६	हरिनामामृत	मूलजीव गोस्वामी	
७	शब्द कौस्तुभ	भट्टोजी दीक्षित	दक्षिण बिहार, तिरहुत
८	महाभाष्य	पतञ्जलि	
९	सिद्धान्त कौमुदी	भट्टोजी दीक्षित	
१०	मनोरमा	भट्टोजी दीक्षित	
११	शब्देन्दु शेखर	नागोजी भट्ट	
१२	व्याकरण भूषण	क्रेष्ण भट्ट,	दक्षिण बिहार
१३	शब्दरत्न	हरि दीक्षित	
१४	परिभाषार्थसंग्रह	- -	
१५	चन्द्रिका	स्वयं प्रकाशानन्द	दक्षिण बिहार तिरहुत
१६	परिभाषेन्दु शेखर	नागोजी भट्ट	दक्षिण बिहार
१७	सिद्धान्त मञ्जूषा		दक्षिण बिहार
१८	सरस्वती प्रक्रिया	अनुभूति स्वस्वभाष्यार्थ	
१९	लघु कौमुदी		तिरहुत
२०	व्याकरण सिद्धान्त मञ्जूषा	नागोजी भट्ट	दक्षिण बिहार
	शब्दशास्त्र		
१	अमरकोश	मुर्शिदाबाद वीरभूम द.बिहार	तिरहुत
	सामान्य साहित्य		
२	हितोपदेश		मुर्शिदाबाद

३	शाकुन्तल		वीरभूम
४	रघुवश		वीरभूम दक्षिण बिहार तिरछता
५	नैपथ		वीरभूम
६	कुमारसम्भव		बर्दवान
७	माघ		वीरभूम दक्षिण बिहार तिरछता
८	पादाकटूत		बर्दवान
९	किञ्चित् काव्य		दक्षिण बिहार, तिरछता
१०	पूर्व नैपथ		दक्षिण बिहार
११	भारवीय		दक्षिण बिहार
	कम्मू		
१	तिथि तत्त्व	रघुनन्दन	मुर्शिदाबाद
२	प्रायश्चित्त तत्त्व		
३	उद्वह तत्त्व		
४	शुद्धि तत्त्व		मुर्शिदाबाद
५	भान्द तत्त्व		
६	आष्टिक तत्त्व		
७	एकदशी तत्त्व		मुर्शिदाबाद वीरभूम
८	मसमास तत्त्व		मुर्शिदाबाद बर्दवान
९	समयशुद्धि तत्त्व		
१०	ज्योतिष तत्त्व		मुर्शिदाबाद
११	दायभाग		मुर्शिदाबाद बर्दवान
१२	प्रायश्चित्त विवेक		मुर्शिदाबाद वीरभूम
१३	मिताक्षर		बर्दवान दक्षिण बिहार तिरछता
१४	सरोज कलिका		दक्षिण बिहार
१५	श्राद्ध तत्त्व		तिरछता
१६	विवाह तत्त्व		
१७	दायतत्त्व		
	भलकार शारत्र		
१	कव्यप्रकाश		वीरभूम तिरछता
२	कव्य चन्द्रिका		वीरभूम



३	साहित्य दर्पण		
	वेदान्त		
१	वेदान्तसार		वीरभूम तिरुह्य
२	शंकरभाष्य		बर्दवान
३	पंचदशी		
४	वेदान्त परिभाषा		दक्षिण बिहार
	मीमांसा		
१	अधिकरण माला		दक्षिण बिहार
	सांख्य		
१	सांख्य तत्त्व कौमुदी		
	तन्त्र		
१	तन्त्रसार		बर्दवान
२	शास्त्रातिलस		दक्षिण मिहर
	तर्क		
१	व्याप्ति पद्यक	माधुरी टीका	मुर्शिदाबाद वीरभूम बर्दवान दक्षिण बिहार तिरुह्य
२	पूर्व पद्य	जगदीशी टीका	मुर्शिदाबाद
३	सव्यभिचार	मुर्शिदाबाद	बर्दवान
४	केवलान्वय		
५	अवयव	गादाधरी टीका	
६	सत्प्रतिपक्ष	गादाधरी टीका	मुर्शिदाबाद
७	शब्दभक्ति प्रकाशिका		तिरुह्य
८	सिद्धान्तलक्षण	जगदीशी टीका	मुर्शिदाबाद तिरुह्य
९	व्याधिकरण धर्मविधिज्ञ भाष्य	गादाधारी टीका	तिरुह्य
१०	सिंह व्याघ्र		मुर्शिदाबाद दक्षिण बिहार, तिरुह्य
११	अवच्छेदक तन्त्रोक्ति		तिरुह्य
१२	व्याप्ति ग्रहोपम्य		बर्दवान
१३	समयलक्षण		बर्दवान तिरुह्य
१४	पाक्षर		बर्दवान

१५ परामर्श	
१६ सामान्य निरुक्ति	
१७ तारक	
१८ अनुमिति	
१९ सत्प्रतिपक्ष	
२० विशेष व्याप्ति	
२१ हेत्वाभास	बर्दवान् तिरह्त
२२ शब्दशक्ति प्रकाशिका	बर्दवान्
२३ शक्तिभाषा	बर्दवान् तिरह्त
२४ मुक्तिभाषा	बर्दवान्
२५ बौद्ध धिक्कार	बर्दवान्
२६ प्रामाण्य वाद	
२७ लीलामयी	
२८ कुन्सुमाजलि	
२९ भाषा परिच्छेद	दक्षिण बिहार
३० सिद्धान्त मुक्तावलि	
३१ प्रत्यक्ष छण्ड	तिरह्त
पुराण	
१ भागवत पुराण	मुर्शिदाबाद वीरभूम तिरह्त
२ भगवद् गीता	मुर्शिदाबाद बर्दवान्
३ रामायण	बर्दवान्
४ हरिवंश	दक्षिण बिहार
५ सप्तशती	दक्षिण बिहार
आयुर्विज्ञान	
१ निदान	वीरभूमि
२ शागंधर साहिता	बर्दवान्
३ चरक	बर्दवान्
४ व्याख्या मधुकोश	बर्दवान् दक्षिण बिहार
५ चक्रपाणि	बर्दवान्

ज्योतिष		
१	समय प्रदीप	वीरभूम
२	दीपिका	
३	ज्योतिषसार	दक्षिण बिहार
४	मुहूर्त चिन्तामणि	
५	मुहूर्त कल्पद्रुम	
६	लीलावती	
७	शौघ बोध	
८	मुहूर्त मार्तण्ड	तिरहता
९	नीलकण्ठीय जातक	
१०	सधुजातक	
११	विजयघण्टा	
१२	ग्रह लग्न	
१३	सिद्धान्त शिरोमणि	तिरहता
१४	श्रीपति पद्धति	
१५	सर्वसंग्रह	
१६	सूर्य सिद्धान्त	
१७	रत्नसागर	
१८	ब्रह्मसिद्धान्त	
१९	बालबोध	

यह सूची एरुमके रिपोर्ट की लॉग आवृष्टि से ली गई है। विशेष जानकारी के लिए पृ १८१ (मुर्शिदाबाद) १८५ (वीरभूम) १९० ११ (बर्दवान) १९३ १४ (दक्षिण बिहार) एवं १९५ (तिरहता)

(क) पश्चिम एवं उत्तरी संख्याएँ एडम के रिपोर्ट अनुसार

	मुनिवापाद		वीरभूम		बर्दवान		दक्षिण बिहार		तिरुहत	
	छात्र	अध्यापक	छात्र	अध्यापक	छात्र	अध्यापक	छात्र	अध्यापक	छात्र	अध्यापक
१ पश्चिम विद्यालय	१७	१७	७१	७३	९३	९३	२७९	२७९	२३४	२३६
२ एशिया विद्यालय	२	२	२	२	८	१२	१२	१२	४	४
३ कुयन विद्यालय	-	-	-	-	३	३	-	-	-	-
४ पश्चिम विद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(I) मुस्लिम अध्यापक	-	१७	-	६६	-	८६	-	२७८	-	२३५
(II) ब्राह्मण अध्यापक	-	-	-	३	-	२	-	-	-	-
(III) कामस्थ अध्यापक	-	-	-	१	-	४	-	१	-	१
(IV) देवा अध्यापक	-	-	-	१	-	-	-	-	-	-
(V) मध्यमिक अध्यापक	-	-	-	-	-	१	-	-	-	-
५ अध्यापकों की औसत आयु	६५.५ वर्ष		३६.३ वर्ष		३९.५ वर्ष		३४.१ वर्ष		३३.९ वर्ष	
६ कुल छात्र	१०९		४९०		९७१		१४८६		५९८	
मुस्लिम	४७		२४५		५१९		५९९+६०(अ)*		१२६+२७(अ)	
हिन्दु	(६२)		(२४५)		(४५२)		(८६७)		(४७०)	
ब्राह्मण	२७		१११		१५३		११		३०+१(अ)*	

	मुर्शिदाबाद	दीपभूम	बर्दवान	दक्षिण विहार	विरहल
कमलस्य	१५	८३	१७२+१(अ)*	७११+१२(अ)*	३४९+१(अ)
अगुरी	४	१	४२+२(अ)*		१
सदगोप		६	५०		
कैरी	-		-	९०	
माण्य		-	-	५५	२०
राजपूत		-	१	३०	२२
क्षत्रिय	-		-	१३	६
स्वर्णवर्णिक	२	८	८	-	५
कैवर्ष	४	११	२		-
वीथ		१०	४		-
कुर्मी			-	-	
गन्धर्वनिक	-	४	२	११	१
कनार		४		१	-
सुनरी	-	२	३	२	-
स्वर्णकार	-	१	२	४	१
तेली	-	-	१+१*	४	-
नापित	१			१	
रत्नमार		-	-	२	१४

	मुर्शिदाबाद	सीरभूम	बर्दवान	दक्षिण विहार	सिरहात
बैथवा	-	२	-	-	-
खाला	-	२	-	-	-
कलास	-	-	-	-	४
छनी	-	-	३	-	-
माहुरी	-	-	-	३	-
हुन्देला	-	-	-	३	-
माली	१	-	-	-	-
सुधार	१	-	-	-	-
कुर्नी	-	-	-	१	-
मायरा	-	-	१	-	-
कुमार	-	-	२	-	-
सन्ती	-	-	१	-	-
अम्बियर (?)	-	-	-	१	-

\* (अ) ऐम्बियरक प्राप दर्शाता है ।

बंगाल एवं विहार के कुछ जिलों में पढ़ाई जानेवाली परिचयन एवं अरबी पुस्तकें

क्रम	नाम	वर्णन	जिला
१	पण्डनामा		मुर्शिदाबाद
२	गुलिस्ता		
३	बोस्ता		
४	पामन्दे बेग	पत्राघार	
५	ईन्शा ए मतलब	पत्राघार एवं ठेकाघार	
६	जोसेफ और झुलेखा		
७	आसफि	अजलिक्कय्य	
८	सिकन्दरनामा		
९	बहार-ए-दानिश	कहानी	
१०	अझमी	अकबरशाह के पत्र	
११	अम्दनामा	क्रियारूप	वीरभूम
१२	खुदीनामा	तोते की कहानी	
१३	रुम्ता ए आलमगीर	आलमगीर के पत्र	
१४	इसा ए युसुफी	पत्राघार	
१५	मुल्तफ़	लेखनशैली	
१६	तेय्या	कश्मीर का वर्णन	
१७	झहीर	कविता	
१८	नासीरअली		
१९	सायेब		
२०	तौस तख्ती	वर्तनी पुस्तक	बर्दवान
२१	फ़रसीनामा/सिराब	शब्दकोश	
२२	ढेक़		
२३	इन्शा-ए-हारकेन	पत्राघार के मसूने	
२४	नलदामन	संस्कृतसे	
२५	उरफ़ि	कवित	
२६	हैफ़िस		
२७	बहाराति		
२८	धानी		
२९	बदर		
३०	एवाकनी	कविता	बर्दवान

३१	यकया नयामा खान	औरंगझेब के अक़मर्षों का निरूपण	बर्दवान
३२	अली		
३३	हदीक़त अल बालाघाट	अल्फ़करशास्त्र	
३४	शाहनामा	फ़िरोदोसी	
३५	कुलियात-ए-ख़ुशरो	ख़ुशरो	
३६	माम्क़िमा	प्राथमिक वाकनमाला	दक्षिण बिहार
३७	निसाब-अससुबियान	शब्दकोश	
३८	सवाल-जवाब	वार्तालाप	
३९	भववानदास	व्याकरण	
४०	इन्शा ए माघारोम	पत्राचार के नमूने	
४१	इन्शा-ए-मुसल्लास		
४२	मुख्तसाल अल दुबारत		
४३	इन्शा ए खुर्द		
४४	मुफ़िद-अल-इन्शा		
४५	इन्शा ए ब्राह्मण		
४६	इन्शा-ए-ब्राह्मण		
४७	मुराद ए हासिल		
४८	अलकाबनामा	सम्बोधनकी पद्धति	
४९	दिलाली	कविता	
५०	कलीम		
५१	झुख़री	दक्षिण के राजाओं के वर्णन	
५२	कुशैशनामा	कहानी	
५३	किसे सुलतान		
५४	नाम-ए हक़	ईब्र के नाम एवं विशेषण	
५५	गौहर ए-मुराद	इस्लाम के सिद्धान्त	
५६	किरनस सदीन	ख़ुशरो की कविता	
५७	मिज़ान-अत-तीब	कैदक की पुस्तक	
५८	तिबा ए-अक़बर		
५९	महमूदनामा	पाठमाला	तिरह्त
६०	कुशाल ए-अस सुबयान	शब्दकोश	तिरह्त
६१	निसाब ए-मुसलमान		
६२	मरुज़ज़ब-अल-हरफ़	व्याकरण	तिरह्त



६३	जवाहर ईश-तस्कीब		तिरुछता
६४	दस्तूर अल-मुयताबी		
६५	मुफीद-अल इन्शा	पत्राघार के ममूने	
६६	फैय्याझबध		
६७	मुबास्कनामा		
६८	अमुत्वाहुसेन		
६९	फरहमी		
७०	रक़ात ए अबुलफ़ज़ल	अबुलफ़ज़ल के पत्र	
		अरबी पुस्तकें	
१	मिज़्मान	व्याकरण	मुर्शिदाबाद
२	तशरीफ		
३	झुबदा		
४	शर ए मियातआमील	वाक्यरचना	वीरभूम
५	कुन्तान		वीरभूम
६	मुन्साब	सङ्गारूप	
७	सर्पन्नीर	व्युत्पत्ति	बर्दवान
८	हिदायत-अस सरफ		
९	मियात आमील	अरबी वाक्यरचना	
१०	चुम्मुल		
११	तठाम		
१२	हिदायत-अन-नह्मवा		
१३	मिसबा		
१४	जाया		
१५	कफ़िया		
१६	शारा ए-मुत्वा		
१७	मिज़्मान-ए-मण्टीक	तर्क	
१८	तहज़ीब		
१९	मीर झाहिर		
२०	कुत्ताबी		
२१	मीर		
२२	मुत्वा जलाल		

२३	सारा-ए-वक्त	इस्लाम की घटनाएँ	बर्दवान
२४	नुरूल अनवर	इस्लाम की मूल बातें	
२५	सिराजीय	कानून संग्रह	
२६	हिदाया	वीरासत का कन्नून	
२७	मिस्कत अल मिसबीब	मुस्लिम आचार	
२८	शम्स ए बाशीगा	प्रकृति तत्त्वज्ञान	
२९	सदरा		
३०	शारा ए शाघानी	खगोल संग्रह (टोलेमी पद्धति)	
३१	ताज्बी	गूढवाद (संग्रह)	
३२	तलबी		
३३	फरघ		
३४	फखाल अकबरी	क्रियात्मक	दक्षिण बिहार
३५	नावा-ए मीर	वाक्यरचना	
३६	झाहिरी		
३७	शाघ ए तहज़ीब	तर्कसंग्रह	
३८	मुय्यतसार-अल मानी	अलकार शास्त्र	
३९	मारुबादी	प्राकृतिक तत्त्वज्ञान	
४०	युक्लिड	तत्व	
४१	शाघ ए-ताज्जिकिया	खगोल	
४२	शाराशिया	वीरासत का कन्नून	
४३	दादूर	इस्लाम के सिद्धान्त	
४४	अलमिजास्ती	टोलेमी का खगोलशास्त्र	
४५	मीर झाहिद रिसाला	तर्कशास्त्र	तिरहुत
४६	अकाहिदि निसफि	इस्लाम के सिद्धान्त	
४७	कान्झ अद-हाक़ाईक	मोहम्मद के कवन	
४८	कलमुम्मा मजीद	कुत्सन	

## अध्ययन के विषय एवं जिलाश अध्ययन की अवधि (एडम के रिपोर्टस)

विषय	जिला	छात्रसंख्या	अध्ययन प्रारम्भ करने की आयु	एडम के सर्वेक्षणके समय आयु	अध्ययन पूर्ण करनेकी सम्भवित आयु	टिप्पणी
व्याकरण	मुर्शिदाबाद (नगर)	२३	११९	१५.२	१८८	२०७
	वीरभूम	२७४	-			
	बर्दवान	६४४	११४	१६.२	२०७	
	दक्षिण बिहार	३५६	११५	१७.३	२४४	
	तिरहुत	१२७	९०	१६.६	२४.३	
	योग	१४२४				
सम्बन्धशास्त्र	मुर्शिदाबाद (नगर)	४	८	१९.२	२०.२	
	वीरभूम	२				
	बर्दवान	३१	१५७	१६.४	१७.८	
	दक्षिण बिहार	८	१५५	१९.६	२३.८	
	तिरहुत	३	२०.६	२०.५	२२.६	
	योग	४८				
साहित्य	मुर्शिदाबाद (नगर)	२	१६	२५	२६.५	
	वीरभूम	८				
	बर्दवान	९०	१८.६	२१.४	२४.९	
	दक्षिण बिहार	१६	१६.६	१८	२३.४	
	तिरहुत	४	२०.२	२१	२५.५	
	योग	१२०				
कानून (विधि)	मुर्शिदाबाद	६४	२३.६	२८.७	३३.२	
	वीरभूम	२४				
	बर्दवान	२३८	२३.२	२७.५	३३.५	
	दक्षिण बिहार	२	१८.५	२१	२६.५	
	तिरहुत	८	२१.८	२५.२	३१.२	
	योग	३३६				

अध्ययन के विषय एवं जिलाश अध्ययन की अवधि (एकम के रिपोर्टस)

विषय	जिला	छात्रसंख्या	अध्ययन प्रारम्भ करने की आयु	एकम के सर्वेक्षणके समय आयुज	अध्ययन पूर्व करनेकी सम्भवित आयु	टिप्पणी
तर्कशास्त्र	मुर्शिदाबाद (नगर)	५२	२१	२६ ५	३४ ६	
	वीरभूम	२७				
	बर्दवान	२२७	१७ ८	२२ २	२९	
	दक्षिण बिहार	६	२२ १	२४ १	२८ ५	
	तिरहुत	१६	१७ ५	२६ २	३५ ५	
	योग	३७८				
पुराण	मुर्शिदाबाद (नगर)	८	२९ १	३१ १	३३ ६	
	वीरभूम	८				
	बर्दवान	४३	२४ ६	२७ ७	३१ ६	
	दक्षिण बिहार	२२	१९ ६	२१ ९	२६ ८	
	तिरहुत	१	२०	२०	२४	
	योग	८२				
साहित्य	मुर्शिदाबाद (नगर)	९				
	वीरभूम	८	२३ ६	२३ ८	२७ १	
	बर्दवान	२	२०	२२	२४	
	दक्षिण बिहार					
	तिरहुत					
	योग	१९				
कानून (विधि)	मुर्शिदाबाद	३				
	वीरभूम	३	२४ ३	३१ ३	३४ ६	
	बर्दवान	५	१३ २	१३ ८	१६ ६	
	दक्षिण बिहार	२	१५	१५	२१	
	तिरहुत					
	योग	१३				

## अध्ययन के विषय एवं जिलाशा अध्ययन की अवधि (एकम के रिपोर्टस)

विषय	जिला	छात्रसंख्या	अध्ययन प्रारम्भ करने की आयु	एकम के सर्वेक्षणके समय आयु	अध्ययन पूर्व करनेकी सम्भवित आयु	टिप्पणी
मीमांसा	मुर्शिदाबाद (नगर) वीरभूम बर्दवान दक्षिण बिहार तिरहुत	२	२२ ५	२४ ५	२८ ५	
	योग	२				
सांख्य	मुर्शिदाबाद (नगर) वीरभूम बर्दवान दक्षिण बिहार तिरहुत	१	२१	२३	२८	
	योग	१				
आयुर्विज्ञान	मुर्शिदाबाद (नगर) वीरभूम बर्दवान दक्षिण बिहार तिरहुत	१ १५ २	१६ २ १८	२० ५ २५	२४ २ २९	
	योग	१८				
ज्योतिष	मुर्शिदाबाद वीरभूम बर्दवान दक्षिण बिहार तिरहुत	५ ७ १३ ५३	२३ ४ १७	२६ ७ १९ ८ १८ ४	३० ५ २० १ २६ २	
	योग	७८				

अध्ययन के विषय एवं जिलारा अध्ययन की अवधि (एकम के रिपोर्टस)

विषय	जिला	छात्रसंख्या	अध्ययन प्रारम्भ करने की आयु	एकम के सर्वेक्षणके समय आयु	अध्ययन पूर्ण करनेकी सम्भावित आयु	टिप्पणी
सन्त्र	मुर्शिदाबाद (नगर)					
	वीरभूम					
	बर्दवान	२	२७ ५	३२	३२ ५	
	दक्षिण बिहार	२	२६ ५	२७ ५	३३	
	तिरहुत					
	योग	४				
पश्चिम	मुर्शिदाबाद (नगर)	१०२	९ ५	१३ ५	२० ८	
	वीरभूम	४८५				
	बर्दवान	८९९	१० ३	१५ ६	२६ ५	
	दक्षिण बिहार	१ ४२४	७ ८	११ १	२१ ५	१३ ५
	तिरहुत	५६९	६ ८	१० ८	१९ ३	
	योग	३ ४७९				
एरेबिक	मुर्शिदाबाद (नगर)	७	११ ०	१७ ४	२१ १	
	वीरभूम	५				
	बर्दवान	५५	१६ ३	२१ २	२८ १	
	दक्षिण बिहार	१७	८ ७	१० ४	१३ २	१८ ४
	तिरहुत	६२	१२ ३	१६ ०	२४ २	
	योग	२९	१२ १	१७ ५	२५ ४	
सामान्य छात्र	मुर्शिदाबाद	१ ०८०	६ ०३	१० १	१६ ५	
	वीरभूम	६ ३८३		१० ०५		
	बर्दवान	१३ १९०	५ ७	९ ९	१६ ६	
	दक्षिण बिहार	३ ०९०	७ ९	९ ३	१५ ७	
	तिरहुत	५०७	५ ०३	९ २	१३ १	
	योग	२४ २५०				

## ७ जी डबल्यू लिटनर

### पंजाब की शिक्षा के सदर्थ में

१८८२

#### सामान्य

एशिया की संस्कृति के साथ यूरोप के संपर्क का इतिहास यहाँ निष्पन्न (सदस्थ) रूप से प्रस्तुत कर रहा हूँ। अन्य प्रान्तों में जिन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त हुआ ऐसे श्रेष्ठ अधिकारियों के प्रामाणिक और सद्भावना युक्त प्रयासों और सरकार के उदार प्रयासों के बावजूद पंजाब की वास्तविक शिक्षा कुचल गई विकास रुक गया और अततः वह नष्ट हो गई। उसके विकास और पुनरुद्धार की तमाम समायनायें होने के बावजूद उसकी अपेक्षा की गई और उसे सहने दिया गया। किसी एक व्यक्ति को इसके लिये दोषी नहीं माना जा सकता। संपूर्ण सरकार दोषी है। इसे विफलता भी नहीं कहा जा सकता। जो प्रजा सदैव वफादार रही जो कोई शिकायत नहीं करती उसे भी निराश करनेवाले इस अपराध का निराकरण हो सकता है या नहीं नष्टप्रत्य शिक्षा को फिर विकसित किया जा सकता है कि नहीं इन प्रश्नों का उत्तर आगे देने का प्रयत्न किया गया है। फिर भी स्थानीय स्वायत्त प्रशासन' सूत्र को हम किस हद तक अपनाते हैं इस बात पर सारा आधार रहेगा। ऐसा करने से उत्सक अमल सुनिश्चित होगा और उससे राजनैतिक लाभ भी मिलेगा।

पूर्य की खास वृष्टि 'ज्ञान के प्रति आग्रह' रही है। पंजाब भी इससे भिन्न नहीं है। आक्रमणों और युद्धों से निरंतर ग्रस्त रहने के बावजूद पंजाब ने शिक्षा की सुरक्षा ही नहीं की उसका विकास भी किया है। कितना ही सय अधिकारी हो लोभी साहूकार हो लुटेय हो या छोटा जमींदार हो सभी विद्वानों को आदर और विद्यालय की स्थापना कर शांति अनुभव करते हैं। एक भी मस्जिद या धर्मशाला बिना विद्यालय के नहीं है। इन विद्यालयों में छात्र बड़ी संख्या में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। शायद ही कोई सभ्य व्यक्ति होगा जो अपने और अपने आश्रितों सबधियों और सुहृदों के बर्षों को पठाने के

सिन्धे मौलवी पठित या गुरु को नहीं बुलाता। ऐसी दैनदिन उपयोग की विद्या की अनेक शालायें थी जिनमें हिन्दू, मुसलमान और सिखों के बच्चे फारसी या अन्य कोई भाषा सीखते थे। ऐसे अनेक शिक्षित लोग थे जो समय आने पर अपने साथियों को इश्वरीय लीला मानकर पढाते थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो शिक्षक को कुछ न कुछ देकर गौरवान्वित न होता हो। प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवारों में पति पत्नी के पढता और पत्नी बच्चों को पढती थी। सिख भी पढ़ने-पढ़ाने के मामले में पीछे नहीं थे। विद्यार्थियों की संख्या कम से कम गणनानुसार ३ ३० ००० थी जो आज १ ९० ००० रह गई है। इन विद्यार्थियों को शाला में लिखना पढ़ना और गिनना सिखाया जाता था। अरबी और सस्कृत महाविद्यालयों में हजारों विद्यार्थी थे जहाँ पौराण्य साहित्य कानून तर्कशास्त्र दर्शन फारसी वैद्यक आदि विषय पढाये जाते थे और उनका स्तर काफी ऊँचा था। हजारों की संख्या में वे फारसी पढते थे। आज सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में ये विषय शायद ही पढये जाते हैं। सारे वातावरण में शिक्षा के प्रति बड़ा पवित्र भाव था चस्त्रि और धर्माघरण में वह उपयोगी थी। अपनी आजीविका के लिये लोग आवश्यकतानुसार पढते थे। वैश्य भी उनके पुरोहितों के आगे अत्यंत विनम्र होते क्योंकि उन्होंने ही प्राथमिक विद्यालय में उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया होता था।

हमने यह सब बदल डाला है। सरकारीकरण ने सारी मान श्रद्धा और पवित्रता की भावना को नष्ट कर दिया है। जिस तरह अच्छे से अच्छा अग्रेज भी विदेशी विजेता की खुशामद नहीं कर सकता उसी तरह इन लोगों ने हमलावरों से महान प्रयत्नों द्वारा अपनी जिस शिक्षा को बचा रखा था उसे हमने नष्ट कर दिया है।

देसी शालाओं का विभाजन

- १ सिख
  - १ गुरुमुखी शालाएँ
- २ मुस्लिम
  - २ मक्बा
  - ३ मदरसा - धार्मिक और भौतिक
  - ४ कुरान - शालाएँ
- ३ हिन्दू
  - ५ घटशाला (व्यापारी वर्ग के लिए)
  - ६ पाठशाला (धार्मिक)



७ पाठशाला (अर्ध धार्मिक)

८ विभिन्न प्रकार की और विविध कक्षा की दुन्यवी शालाएँ

४ मिश्र

९ परिशियन शालाएँ

१० कर्नाक्युलर शालाएँ

११ एप्लो कर्नाक्युलर शालाएँ

५ बालिक शिक्षा

१२ (अ) सिखों के लिए बालिका शालाएँ

(ब) मुसलमानों के लिए बालिका शालाएँ

(क) हिन्दू बालिकाओं के घर पर पढ़ाने की सुविधा

इससे विशेष विभाजन करना चाहें तो ऐसा होगा -

१ मक़तबा अथवा मदरसा

१ अरबी शाला और कॉलेज (विभिन्न कक्षा और विशेषताओं के साथ)

२ पर्शो अरबी शाला और कॉलेज (विभिन्न कक्षा और विशेषताओं के साथ)

३ कुरान शालाएँ (जहाँ केवल कुरान का पठन - अध्ययन करवाया जाता है)

४ पर्शो - कुरान शालाएँ

५ कुरान - अरबी शालाएँ

६ पर्शो - कुरान - अरबी

७ परिशियन शालाएँ

८ परिशियन उर्दू शालाएँ

९ परिशियन - उर्दू अरबी शालाएँ

१० अरबी धिक्रिस्ता शालाएँ

११ पर्शो - अरबी - धिक्रिस्ता शालाएँ

१२ गुरुमुखी शालाएँ

१३ गुरुमुखी और लान्ठे (Lanthe) शालाएँ

३ महज़नी शालाएँ

१४ विभिन्न प्रकार की लान्ठे शालाएँ (घट शालाएँ)

१५. नागरी लान्ठे शालाएँ (घट शालाएँ)

- १६ पर्शो - लाढे शालाएँ
- ४ पाठशालाएँ
- १७ नागरी सस्कृत शालाएँ
- १८ सस्कृत धार्मिक शालाएँ
- १९ सस्कृत व्यावहारिक साहित्य की शालाएँ (विभिन्न शाखाओं की शिक्षा)
- २० सस्कृत अर्धधार्मिक शालाएँ (विभिन्न शाखाओं की शिक्षा)
- २१ सस्कृत वैदकशास्त्र की शालाएँ (प्रमुख रूप से)
- २२ हिन्दी - सस्कृत शालाएँ
- २३ सस्कृत - ज्योतिष और खगोलशास्त्र की शालाएँ (प्रमुख रूप से)
- ५ बालिका शालाएँ  
(उपर्युक्त विभाजनों के मुताबिक)

### सस्कृत पुस्तकों की सूचि

यासयोध	अक्षरदीपिका
१ व्याकरण	
सारस्वत	मनोरमा
चन्द्रिका	भाष्य
लघुकौमुदी	पाणिनीय व्याकरण
कौमुदी	सिद्धान्त कौमुदी
शेखर	प्राकृत प्रकाश
२ शब्दकोश	
अमरकोश	मालिनी कोश
इलासुध	
३ काव्य नाटक धर्म का इतिहास	
रघुवश	महाभारत
मेघदूत	वेणीसहार

	माघ	शाकुन्तल	
	किन्नातार्जुन	नैषधचरित	
	रामायण	मृच्छकटिक	
	श्रीमद् भागवत और अन्य पुराण	कुमारसम्भवम्	
४	अलंकार शास्त्र		
	कव्यदीपिका	काव्य प्रकाश	
	साहित्य दर्पण	दशरूपक	
	कुन्वलयानन्द		
५	गणित खगोल और ज्योतिष		
	सिद्धांत शरोमणी	शीघ्रबोध	नीलकण्ठी
			पाराशरीय
	मुहूर्त चिंतामणि	गर्भलाग्न	बृहद्जातक
६	वैदकशास्त्र		
	शामराज्य	माघवनिदान	भाष्य परिच्छेद
	सुश्रुत	निघण्टु	घाम्पट
		घरक	शारंगधर
७	तर्क		
	न्यायसूत्र वृष्टि	तर्कसंग्रह	तर्कालंकार
	व्युत्पत्तिवाद	गदाधारी	कन्नरिकावली
८	वेदान्त		
	आत्मबोध शारीरक		
	पञ्चदशी		
९	विधि (कानून)		
	मनुस्मृति	मिताक्षरा	
	याज्ञवल्क्य गौतम	परशर स्मृति	
१०	तत्त्वज्ञान		
	सांख्य तत्त्व दशैमुदी	पतञ्जलि सूत्र	
		वृष्टिसूत्र भाष्य के साथ	

	साख्य प्रवचन भाष्य	वेदात सार
	योगसूत्र	मीमांसा
	मुक्तावली सूत्र भाष्य के साथ	
११	गद्य रचना	
	सूत्र बोध	
	वृत्तिरत्नाकर	
१२	गद्य साहित्य	
	हितोपदेश	दासवदत्ता
	दशकुमार चरित्	
१३	धर्म	
	ऋग्वेद संहिता (कभी ही)	समावेद मंत्र भाग
	यजुर्वेद संहिता (शुक्ल)	छादस अर्चित (कभी ही)
	वाजसनेयी संहिता	

## ८ महात्मा गांधी और सर फिलिप हार्टोग का पत्राचार

### स्वदेशी शिक्षा के विषय पर महात्मा गांधी

उससे चित्र पूरा नहीं होता। हमारे सम्मुख भविष्य की शिक्षा है। मैं आकड़ों का प्रमाण देकर कह सकता हूँ कि पचास या सौ वर्ष पूर्व था उसकी तुलना में भारत आज अधिक निरक्षर है। मेरे आकड़ों को कोई गलत सिद्ध करेगा इसका मुझे लेशमात्र भय नहीं है। बर्मा की भी वही स्थिति है। ब्रिटिश प्रशासक जब भारत में आये तब उन्होंने यहा की स्थिति को यथावत् स्वीकार करने के स्थान पर उसका उन्मूलन करना शुरू किया। उन्होंने मिट्टी कुदेदी जड़ों को कुदेद कर बाहर निकाला और फिर उन्हें खुला ही छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि शिक्षा का वह रमणीय वृक्ष नष्ट हो गया। ब्रिटिश प्रशासक को गांव का विद्यालय अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसने अपनी योजना बनाई। हर विद्यालय के पास इतनी साधन सामग्री होनी चाहिए भवन होना चाहिए आदि। इस प्रकार के विद्यालय तो भारत में नहीं थे। ब्रिटिश प्रशासकों ने आकड़े दिये हैं जो दर्शाते हैं कि उन्होंने जो सर्वेक्षण किया था उसमें पुराने विद्यालय तो उपेक्षित हो गये क्यों कि उनके पास (शासकीय) मान्यता नहीं थी और यूरोपीय पद्धति के विद्यालय बहुत खर्चीले थे लोग इतना धन उसमें लगा नहीं सकते थे। परिणामतः उनके लिए स्पर्धा में टिकना और आगे निकलना सम्भव नहीं हुआ। जो भी कोई पूरे देश के लिए इस प्रकारकी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का दावा करता है उसका दावा मैं स्वीकार नहीं कर सकता। वह एक शतक में भी इसे पूरा नहीं कर सकता। मेरा यह गरीब देश इस प्रकार की महगी शिक्षा को घला नहीं सकता। हमारा राज्य पुराने ग्रामीण स्कूल अध्यापक को पुनर्जीवित करेगा और हम प्रत्येक गांव में बालक और बालिका दोनों के लिए विद्यालय चलाएंगे।

फिलिप हार्टोग का पत्र : गत पचास वर्षों में भारत में शिक्षा का हास हुआ है इस प्रकार के अपने कथन के लिए श्री गांधी कोई प्रमाण देंगे ?

श्री गांधीने उत्तर में कहा कि पंजाब प्रशासकीय अहवाल (Punjab

Administration Report) उनका प्रमाण था। उन्होंने कहा कि पंजाब के शिक्षा विषयक आंकड़े उन्होंने 'यंग इण्डिया (Young India) में प्रकाशित किए हैं।

सर किलिप हार्टोंग यथा श्री गांधी खुलासा करेंगे कि साक्षरता की मात्रा पुरुषों में १४ प्रतिशत और महिलाओं में दो प्रतिशत क्यों है ? ब्रिटिश इण्डिया की तुलना में कश्मीर और हैदराबाद में निरक्षरता अधिक क्यों है ?

श्री गांधीने उत्तर दिया कि महिलाओं की शिक्षा की उपेक्षा की गई थी जो कि पुरुषों के लिए लज्जा की बात है। कश्मीर के आंकड़ों के विषय में उनका अनुमान था कि निरक्षरता का कारण शासक के द्वारा बरती गई लापरवाही थी। उसका भी कारण यह था कि वहां अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम थी। परन्तु उन्होंने कहा कि वास्तव में बात तो एक ही थी।

(लन्दन के घेथम हाउस में रॉयल इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्टरनेशनल अफेयर्स के सत्वावधान में आयोजित आन्तरराष्ट्रीय मामले International Affair में २० अक्टूबर १९३१ के गांधीजी के लम्बे प्रवचन का अंश। इस बैठक में सारे इंग्लैंड के प्रमादी अंग्रेज स्त्री पुरुष उपस्थित थे। भारत विषयक गोलमेज परिषद के ब्रिटिश अध्यक्ष लॉर्ड लोचिअन इस बैठक के अध्यक्ष थे।

\* \* \*

५ इन्वरनेस गार्डन्स

इबल्यू. ८

२१ अक्टूबर १९३१

एम के गांधी एस्क

गोलमेज परिषद

सेण्ट जेम्स पेलेस

एस इबल्यू. १

प्रिय श्री गांधी

मैं समझता हूँ आपने गत रात्रि में रॉयल इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्टरनेशनल अफेयर्स में कहा था कि आप ब्रिटिश अधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाणों के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं कि विगत पचास या सौ वर्षों में भारत में शिक्षा का हास हुआ है। मैंने आपको प्रमाण देने के लिए निवेदन किया तब आपने पंजाब प्रशासकीय अहवाल (Punjab Administration Report) का उल्लेख किया था (यद्यपि आपने दिनांक नहीं बताया था) और कहा था कि जो पंजाब में हुआ है वही सारे देशमें हुआ होगा।

आपने 'यंग इण्डिया' के लेख का भी उल्लेख किया परन्तु उसका भी दिनांक नहीं बताया। मैंने इस विषय में गत वर्षों में बहुत रुचि ली है इसलिए आपने जिनके आधार पर अपने कथन दिये उस मुद्रित सामग्री के जो सन्दर्भ दिये हैं उनके विषय में निश्चित रूप से बताने का कष्ट करें जिससे मैं भी उन्हें देखू।

आप मुझे यह बताने के लिए क्षमा करें कि आपने जो कहा है कि जो पंजाब में हुआ है वही पूरे देशमें भी हुआ होगा ऐसा कहना गलत है। यह तो लगभग सर्वमान्य है कि गत १० - १५ वर्षों में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत के अन्य प्रान्तों की अपेक्षा पंजाब में अधिक विकास हुआ है।

भारत में सबसे बड़े दो राज्य कश्मीर और हैदराबाद में शिक्षा का स्तर इतना नीचा क्यों है यह मैंने जब पूछा तब आपने बताया कि वहाँ मुस्लिम जनसंख्या अधिक है यह इसका कारण हो सकता है। अब हैदराबाद में शासक मुस्लिम है और प्रजा हिन्दू है जब कि कश्मीर में प्रजा मुस्लिम है और शासक हिन्दू है। आपने एक प्रान्त के विषय में तो बताया परन्तु दूसरे प्रान्त के विषय में मेरा प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। मुझे लगता है आप को ठीक जानकारी नहीं दी गई है।

यदि ब्रिटिश भारत में शिक्षा और साक्षरता का हास हुआ है यह निष्कर्ष ठोस प्रमाणों पर आधारित नहीं है ऐसा आपके ध्यान में आता है तो आप अपने कथन में अवश्य सुधार करेंगे ऐसा मैं मानता हूँ।

विनीत

फिलिप हार्टवेल

श्री एम के गांधी  
गोलमेज परिषद  
सेण्ट जेम्स पेलेस  
एस डबल्यू १

\*\*\*

८८ नार्थ्सप्रिंग

सन्दन ५

२३ अक्टूबर १९३१

प्रिय मित्र

बिना कोई आशय से ही आप पत्र में हस्ताक्षर करना भूल गये हैं। परन्तु पता पूरा होने के कारण मुझे लगता है कि यह पत्र आप को अवश्य मिलेगा।

आप समझ सकते हैं कि मैं आपको बिना सोचविचार किए तुरन्त ही सन्दर्भ नहीं दे सकता हूँ। परन्तु आप उसका अध्ययन करने के लिए उत्सुक हैं इसलिए मैं 'यंग इण्डिया' का एक दूढ़ निकालूंगा और आपको सन्दर्भ भेजूंगा। मैंने पंजाब के विषय में जो निष्कर्ष निकाले हैं उनके अलावा अन्य प्रान्तों से सम्बन्धित सन्दर्भ भी यथासम्भव दूढ़ निकालूंगा। फिर भी पंजाब और बर्मा के उदाहरण से अन्य प्रान्तों के विषय में निष्कर्ष तक पहुंचना मुझे कठिन नहीं लगता है। गत पाच दस वर्षों में पंजाब ने जो कुछ भी प्रगति की होगी वह मेरे तर्क को प्रभावित नहीं कर सकती।

कश्मीर के सम्बन्ध में मेरा अनुमान ही था परन्तु आपकी उत्सर्ग इतनी अधिक रचि है इसलिए कश्मीर में शिक्षा की स्थिति के विषय में मैं तथ्य खोजने के प्रयास करूंगा।

मेरे निष्कर्ष में यदि जरा सी भी गलती मुझे लगती है तो मैं तुरन्त उसे स्वीकार कर अपने कथन में सुधार करूंगा इसमें कोई सन्देह नहीं है। मैं मेरे कथनों को प्रमाणित करने के प्रयास कर रहा हूँ तब आप को भी ऐसी कोई सामग्री मिलती है तो मुझे देने की कृपा अवश्य करें। इसी से सत्य समझ में आएगा।

विनीत

एम के गांधी

पी एम सी

\*\*\*

५ इन्वर्सेस गार्डेन्स उम्बल्यू, ८

२७ अक्टूबर १९३१

प्रिय श्री गांधी

आप के २३ अक्टूबर के मित्रतापूर्ण पत्र के लिए धन्यवाद। मैं हस्ताक्षर करना भूल गया इस लिए क्षमाप्रार्थी हूँ। मैंने मूल पत्र के स्थान पर प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर किये होंगे ऐसा लगता है।

आप के 'यंग इण्डिया' के सन्दर्भ प्राप्त कर मैं आभारी बनूंगा। मैं उनका अध्ययन करके आपके अभिप्राय को सत्यापित करूंगा और मेरा अभिप्राय दूंगा।

आपने मेरे पास अगर कोई जानकारी है तो देने के लिए कहा है। भारत में शिक्षा के इतिहास विषयक जानकारी के लिए कोलकाता युनिवर्सिटी आयोग (जिसका मैं अध्यक्ष था) के वृत्त और विशेष रूप से साइमन अहवाल के खण्ड १ पृ ३८२ पर उद्धृत जनसंख्या अहवाल के अन्तर्गत दिए हुए साक्षरता के आकड़ों को आप देखें



ऐसा मैं कहूंगा। ये आकड़े इस प्रकार हैं -

प्रान्त	५ वर्ष से ऊपर की आयु के पुरुष साक्षरों का प्रतिशत	५ वर्ष से ऊपर की आयु की महिला साक्षरों का प्रतिशत
त्रावणकोर	३८ ००	१७ ३
कोचीन	३१ ००	११ ५
वडोदरा	२४ ००	४ ७
ब्रिटिश इण्डिया	१४ ००	२ ०
समग्र भारत	१३ ००	२ १
मैसूर	१४ ३	२ २
हैदराबाद	५ ७	० ८
राजपूताना	६ ८	० ५
कश्मीर	४ ६	० ३

निष्कर्ष इस प्रकार है -

१९११ में ब्रिटिश इण्डिया का प्रतिशत १२ था १८८१ में ८। हमने हमेशा स्मरण में रखना चाहिए कि भारत में २० ००० ००० आदिवासी हैं और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े इस से भी बड़ी संख्या में 'अस्पृश्य' हैं जिनका साक्षरता के प्रतिशत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

आप ध्यान देंगे कि ब्रिटिश इण्डिया में पुरुष साक्षरता १८८१ में (५० वर्ष पूर्व) ८ प्रतिशत १९११ में १२ प्रतिशत और १९२१ में १४ ४ प्रतिशत थी। मैं इसे अत्यधिक वृद्धि नहीं मानता फिर भी वह वृद्धि तो है ही।

त्रावणकोर और कोचीन में बड़ी संख्या में भारतीय ईसाई हैं। वडोदरा में १८९३ से ब्रिटिश पद्धति के नमूने पर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रवर्तमान है। आप देख सकते हैं कि जनसंख्या के आकड़े ५० वर्षों में ब्रिटिश इण्डिया में शिक्षा का हास हुआ है ऐसे आप के कथन से पूर्णतः विपरीत हैं।

हैदराबाद (प्रमुख रूप से हिन्दू प्रजा और मुस्लिम शासक) और कश्मीर (प्रमुख रूप से मुस्लिम प्रजा और हिन्दू शासक) के आकड़े देखकर आप नहीं कह सकते कि ब्रिटिश प्रशासन के कारण से साक्षरता में कमी आई है।

मैं चाहता हू कि आप 'मोडर्न इण्डिया (Modern India) में प्रकाशित मेरा

लेख पढ़ें। साथ ही वरिष्ठ भारतीय राजनीतिक चिन्तक स्वर्गस्थ लाला लाजपत राय का ग्रन्थ (नेशनल एज्युकेशन इन इण्डिया National Education in India) भी पढ़ें। आपके और उनके विचारों में बहुत अन्तर होने के बाद भी आप को वे रोचक लगेंगे।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी जानकारी और आप का अभिमत गलत सिद्ध होगा। और जैसे ही आप को विश्वास हो जाएगा आप तुरन्त अपने कथन में सुधार करेंगे। मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

विश्वासपात्र

आपका

फिलिप हार्टोग

\*\*\*

५ इन्वरनेस गार्डन्स डबल्यू, ८

१३ नवम्बर १९३१

श्री एम के गाधी

८८ नाईट्सब्रिज डबल्यू

प्रिय श्री गाधी

आप के २३ अक्टूबर के पत्र के उत्तर में मैंने २७ अक्टूबर को आपको एक पत्र भेजा है परन्तु आपने जिन सन्दर्भों के विषय में मुझे बताया था (पंजाब प्रशासन अहवाल और यंग इण्डिया के लेख) और गत ५० वर्ष में ब्रिटिश भारत में शिक्षा और साक्षरता का हास हुआ है ऐसे आपके कथन का जो आधार है वह मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

हो सकता है कि मेरा पत्र आपको न मिला हो यह समझकर मैं उसकी नकल पजीकृत ढाक से फिर से भेज रहा हूँ।

आपका

फिलिप हार्टोग

एम के गाधी

८८ नाईट्सब्रिज डबल्यू

\*\*\*

८८ नाईट्सब्रिज एस डबल्यू १  
(बक मुहर १४ नवम्बर १९३१)

(प्रति सर फिलिप हार्टोग लन्दन)

प्रिय मित्र

श्री गांधी को आप का २७ अक्टूबर का पत्र प्राप्त हुआ है १९२० की 'यग इण्डिया' की प्रतियां भी अब मिली हैं जो उनकी सूचना से मैं आपको भेज रहा हू।

आपका  
महादेव देसाई

'यग इण्डिया' के लेख की प्रतिलिपि

८ दिसम्बर १९२०

भारत में जनसामान्य की शिक्षा की अवनति

लेखक दौलत राम गुप्ता एम ए

यह आम धारणा बनी हुई है कि सन् १८५४ के ससद के निर्णय के तहत अंग्रेज सरकारने भारत के लोगों की शिक्षा का कार्य अपने जिम्मे लिया है तब से विद्यालयों की सख्या की दृष्टि से छात्रों की सख्या की दृष्टि से और शिक्षा की गुणवत्ता की दृष्टि से लक्षणीय प्रगति हुई है। परन्तु मैं सिद्ध कर सकता हू कि ऐसी किंचित् भी प्रगति नहीं हुई है। कुछ लोगों को यह बात चौंकानेवाली लगेगी और कुछ लोगों को निम्नान्त करनेवाली परन्तु सत्य यह है कि जब से भारत ब्रिटिश आधिपत्य में गया है तब से जनसामान्य की शिक्षा की तो भारी अवनति हुई है।

ब्रिटिश सत्ता के आगमन के साथ ही उन्होंने देखा कि भारत में प्राचीन काल से मूल्यवान शिक्षा पद्धति हिन्दू और मुसलमान दोनों में प्रचलित है और उसका घनिष्ठ संबंध उनके धार्मिक केन्द्रों से है। भारत में एक भी मन्दिर मस्जिद धर्मशाला नहीं थी जिस में विद्यालय न हो। अध्ययन और अध्यापन यहा एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। उच्च जातियों की बस्तियों में ज्ञान के ऐसे केन्द्र होते थे जहा पंडित लोग संस्कृत व्याकरण तर्कशास्त्र दर्शन और विधि (कानून) पढाते थे।

प्रजा के निम्न (या सामान्य) वर्ग के लिए ग्रामशालाएँ पूरे देशभर में व्याप्त थीं जिनमें कारीगरों कृषकों और जमीनदारों के बच्चों को अच्छी प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती थी। प्रत्येक द्विज परिवार में प्रत्येक जाति के प्रत्येक व्यवसाय में प्रत्येक प्रतिष्ठित

गांव में अपना एक पुरोहित होता था और एक ओर तो वह धार्मिक विषयों को देखता था परन्तु दूसरी ओर वह अध्यापन भी करता था। यही प्रत्यक्ष प्रमाण है जो हमें यह मानने के लिए बाध्य करती है कि लोगों के जीवन में शिक्षा कितनी एकरस बनी हुई थी।

मुसलमानों की उच्च शिक्षा विद्वज्जनों के हाथ में थी। मस्जिद और दरगाहों के साथ विद्यालय जुड़े हुए थे और राज्य की ओर से या निजी उदारता की ओर से भूमि या धन के रूप में उन्हें अनुदान प्राप्त होता था। मुस्लिम मदरसों के अध्ययन क्रम में व्याकरण अलकारशास्त्र तर्कशास्त्र साहित्य विधि (कानून) और विज्ञान का समावेश होता था।

सन् १८२६ में सर टॉमस मनरो ने मद्रास में जो सर्वेक्षण करवाया था उसमें दर्ज था कि सन् १८२६ में मद्रास (चैन्नई) में ११ ७५८ देशी विद्यालय और ७४० महाविद्यालय थे जिनमें १ ५७ ६६४ छात्र और ४ ०२३ छात्राएँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। (मद्रास प्रोविन्सिअल कमिटी की १८८४ की एज्यूकेशन कमिशन की रिपोर्ट के अनुसार)। इसीसे अनुमान किया जा सकता है कि उस समय की कुल जनसंख्या (१ २३ ५० ९४९) का विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि विद्यालय में जाने योग्य आयु के बच्चों की कुल संख्या के एक चतुर्थांश बच्चे विद्यालय में जाते थे। और एक अनुमान यह भी था कि १००० की जनसंख्या पर एक विद्यालय था। परन्तु विद्यालय जानेवाली लड़कियों की संख्या न के बराबर थी इसलिए कह सकते हैं कि ५०० की जनसंख्या पर एक विद्यालय था।

श्री मनरो (उस समय वे सर नहीं थे) शिक्षा के प्रसार विषयक इस अंदाज की पुष्टि में इस प्रकार जोड़ते हैं

‘मुझे विद्यालय जानेवाले लड़कों का हिस्सा एक चतुर्थांश नहीं अपितु एक तृतीयांश लगता है क्योंकि हमें घरों में ही पढ़नेवाले लड़कों की संख्या प्राप्त नहीं हुई है।

ब्रिटिश प्रभाव से युक्त भारत की शुद्ध देशी शिक्षा की स्थिति १८२६ में ऐसी थी जो एक शतक से भी अधिक समय तक ब्रिटिश शासन में होने के कारण से उसकी पुरानी सस्थाएँ दिखराव की स्थिति में थीं और वह नई सस्थाओं को अपना रही थीं।

श्री डबल्यू. एडम ने इसी प्रकार का सर्वेक्षण बंगाल में करवाया था और उसके आधार पर उसे जानकारी मिली कि सन् १८३५ में बंगाल में देशी प्राथमिक विद्यालयों का जाल बिछा हुआ था। उसका अंदाज था कि इन विद्यालयों की संख्या

मन्दिर मस्जिद या धर्मशाला ऐसी नहीं थी जिसके साथ विद्यालय जुड़ा हुआ न हो और बचे जहा धर्म की शिक्षा के लिये जाते न हों। कदाचित् ही कोई धनिक होंगे जो मौलवी पंडित या गुरु को अपने बच्चों को पढाने के लिये बुलाते न हों। इन धनिकों के बच्चों के साथ उनके मित्रों और आश्रितों के बचे भी पढते थे। अन्य हजारों लौकिक विद्यालय भी थे जो हिन्दू, मुस्लिम सिख आदि ने बनवाये थे और उनमें पर्शियन और हिन्दी पढाई जाती थी। ऐसे सैकड़ों विद्वान थे जो अपने धर्मबाध्यों को या जो भी आता था उन सब को भगवान का कार्य भगवान की लीला मानकर नि शुल्क पढाते थे। एक भी गाव ऐसा नहीं था जो अपने उत्पन्न में से सम्माननीय शिक्षक के लिये हिस्सा निकालने में गौरव का अनुभव न करता हो। अभिजात मुस्लिम घरों में पति पत्नी को पढाना था और पत्नी बच्चों को पढाती थी। सिख भी छात्रों और शिष्यों का नाम धारण करने के लायक न हों ऐसा कभी नहीं होता था। पढने लिखने और गिनने की क्षमता रखनेवालों की न्यूनतम सख्या भी ३ ३० ००० जितनी मिलती है जो विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पढनेवाले छात्रों की है। हजारों छात्र एरेबिक और सस्कृत महाविद्यालयों में पढते थे जहां पौरात्य साहित्य पौरात्य कानून तर्कशास्त्र तत्त्वज्ञान और औषधशास्त्र पढाया जाता था और वह भी ऊधे दर्जे का। हजारों छात्रों को पर्शियन में प्रभुत्व प्राप्त था। आज सरकारी और अनुदानित विद्यालयों और महाविद्यालयों में पर्शियन है ही नहीं। विद्यालयों में शिक्षा के लिये समर्पण भाव दिखाई देता था क्यों कि शिक्षा स्वय एक पवित्र वस्तु थी और उसीसे व्यक्ति के चरित्र का गठन होता था और धर्म - सस्कृति सुदृढ बनती थी। केवल आजीविका प्राप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा प्राप्त करनेवाले बनिया लोग भी उन्हें लिखना पढना सिखानेवाले पढाओं के प्रति भक्तिभाव पूर्ण आदर दर्शाते थे।

पजाब में शिक्षा के प्रति किस्तना आदर था इसका वर्णन डा लिटनर करते हैं। वे लिखते हैं

पजाब श्रेष्ठ भूमि है। केवल सतलज और यमुना के मध्य में स्थित प्रदेश ही नहीं है अपितु सारा प्रदेश उदात्त स्मृतियों से ओतप्रोत है। उसकी सस्कृति का इतिहास हमें शुद्ध भक्तिभाव की अपने सत्दार के प्रति वीरतापूर्ण समर्पण के साथ ही उत्साहपूर्ण प्रजातन्त्रीय भावनाओं की स्वशासन की अतुलनीय क्षमता की और सब से बढकर ज्ञान के लिए आत्यन्तिक आदर की तथा सार्वत्रिक शिक्षा की कथाएँ बताता है। यहां पुरोहित एक अध्यापक भी था कवि भी था और शिक्षा एक धार्मिक सामाजिक एवं व्यावसायिक कर्तव्य था।

इसलिए प्रमाणभूत ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि अंग्रेज शासन से पूर्व पंजाब के एक एक गांव में उसका अपना विद्यालय था।

भारत के प्रत्येक गांवमें जहां उसका अपना कुछ भी बचा था वहां प्रारम्भिक शिक्षा अवश्य दी जाती थी। निष्कासितों (जो किसी भी जाति का हिस्सा नहीं थे) को छोड़ वहां एक भी बालक ऐसा नहीं था जो लिखना पढ़ना और गिनना न जानता हो बल्कि गिनने में तो वे अत्यन्त माहिर थे। (लुइसो द्वारा लिखित 'ब्रिटिश इण्डिया' से)

डा लिटनर का अनुमान था कि १८३४-३५ में पंजाब में ३० हजार विद्यालय थे और यदि एक विद्यालय में कम से कम १३ छात्र पढ़ते थे यह माना जाए तो कुल छात्र संख्या ४ लाख जितनी होगी। डा लिटनर लिखते हैं

ग्राम विद्यालयों में तीन लाख छात्र संख्या होगी परन्तु इससे अधिक का अनुमान भी किया जा सकता है।

होशियारपुर जैसे पिछड़े जिले में भी १८५२ के 'सेटलमेंट रिपोर्ट' के अनुसार १९६५ पुरुषों की जनसंख्या पर एक विद्यालय था जब कि आज १०२८ जनसंख्या पर एक सरकारी अथवा सरकारी अनुदान युक्त विद्यालय है और २८१८७ की जनसंख्या पर एक विद्यालय है जिस में पूरे प्रदेश के देशी विद्यालयों का भी समावेश होता है। १८४९ में जब पंजाब ब्रिटिश आधिपत्य में गया तब युद्ध और अराजक का जो वातावरण बना उसके परिणामस्वरूप भी १७८३ की जनसंख्या पर एक विद्यालय तो पंजाब के पिछड़े हिस्सों में भी थे। १८४९ और १८५२ का यह परस्पर विरोधी चित्र लक्षणीय है।

सन् १८८२ में यह स्थिति थी परन्तु 'यंग इण्डिया' में जो आकड़े प्रसिद्ध हुए हैं उन्हें देखने पर यह विरोध और भी चौकानेवाला होगा।

इस वृत्तान्त पर एक दृष्टिपात करते ही समझ में आता है कि देशी शिक्षा का कितना हास हुआ है और सन् १८८२ से १९१८-१९ तक कैसा ठहराव आ गया है। इन ३७ वर्षों में सरकार ने जनसमाज की शिक्षा के लिये कुछ नहीं किया है। इससे भी कम समय में इंग्लैण्ड में पूरे के पूरे जनसमाज के लिये शिक्षा की व्यवस्था हुई इससे बहुत कम समय में संस्कृति और ज्ञान की कोई पार्श्वभूमि न होने पर भी अमेरिका में पूरे जनसमाज के लिये शिक्षा की व्यवस्था हुई जपान अपना प्राथमिकविद्यालय बन सका। परन्तु भारत में काम करने का तरीका कुछ ऐसा रहा कि इस पूरे समय में विद्यालय का एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिक्षा के ध्येय के एक स्रोत से दूसरे स्रोत

में और दायित्व के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर स्थानान्तरण को छोड़ और कुछ नहीं हुआ है। बस स्थानान्तरण अधिक से अधिक हुआ है।

भारत में शिक्षा की अवनति का यह सक्षिप्त इतिहास है। पंजाब में शिक्षा का नाश कैसे हुआ यह आगामी लेख में बताया जाएगा।

\*\*\*

‘यग इण्डिया’ में २९ दिसम्बर १९२० को प्रकाशित लेख की प्रतिलिपि  
पंजाब में शिक्षा का नाश कैसे हुआ  
१८४९-१८८६

अंग्रेजों के सीधे आधिपत्य में जानेवाला अंतिम प्रान्त था पंजाब। दो सौ वर्षों में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने कन्याकुमारी से यमुना तक अपना प्रभाव (शासन) जमाया था परन्तु उसके प्रशासकों ने मोगल दरबार को लाघकर उत्तर में आगे जाने का विचार नहीं किया था। मोगल काबुल को अभी भी अपना पुश्तैनी बतन मानते थे इसलिये काबुल की ओर जानेवाले रास्ते पर अर्थात् अपने उत्तर के प्रदेशों में घूसखोरी उन्हें बिलकुल पसंद नहीं थी।

औरंगज़ेब के वंशजों ने जब इस प्रान्त में उचलपुचल शुरू की तब उत्तर से आक्रमणकारियों ने और प्रदेश में आन्तरिक उपद्रवियों ने पूरे प्रदेश को अनवस्था और अराजक की स्थिति में डाल दिया। इस स्थिति में सिखों को अपना महत्त्व और अपना व्यक्तिगत वैशिष्ट्य समझ में आने लगा। उसके बाद सन् १८४९ तक सिखों ने व्यास नदी के तटों को राजकीय और सैनिकी हमलों से बचा कर रखा। अपना बेठब शासन भी उन्हें पराये सुव्यवस्थित शासन से अधिक प्रिय था क्योंकि पराये शासन में उनकी स्वतंत्रता और धर्म पर सकट आता था। हिन्दुओं की तरह सिख भी भक्तिभाव पूर्ण होता है। इस भक्तिभाव से प्रेरित होकर वह अपनी प्राचीन परम्पराओं और संस्थाओं के प्रति अत्यन्त आदरपूर्ण होता है। इस अर्थ में वह रुढिवादी होता है।

अतः जब शासन और अधिकार सिखों के पास गया राजकीय समझ और आवश्यकताओं के अभाव में उन्होंने गावों की सभी व्यवस्थाओं को अनछुआ रखा। भारत के अन्य प्रान्तों में ब्रिटिश शासन पुरानी पद्धतियों और व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर उन्हें अपनी सकल्पनाओं के अनुकूल बना रही थी परन्तु पंजाब में सिख सरदार को केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनेवाला राजस्व जब तक मिलता था वहीं किसी को छेड़ने की इच्छा नहीं थी। उसके परिणाम स्वरूप हजारों वर्षों से पूरे भारत

में ग्रामविद्यालयों का जो जाल बिछा हुआ था वह पंजाब में वैसा का वैसा सुरक्षित रहा। बदल अगर हुआ तो इतना ही कि अब तक पढित और मौलवी होते थे उनके साथ अब ग्रन्थी अथवा भाई जुड़ गये। अब तक गावों में दो पारपरिक शिक्षक थे अब तीन हो गये।

ग्रामीण शिक्षा ग्रामीण प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। गाव के खर्च में इसके लिये प्रावधान होता था। गाव की पंजी से शिक्षक का खेत और 'रक्षक का खेत' कभी मिटता नहीं था। पंजाब के प्रत्येक गाव में किसी न किसी प्रकार का विद्यालय था और उसमें एक एक बालक को व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकताओं को पूर्ण करनेवाली प्रारम्भिक शिक्षा या तो निशुल्क या अत्यन्त अल्प मासिक शुल्क पर दी जाती थी। इन विद्यालयों के साथ साथ बड़ा विभिन्न प्रकार के और विभिन्न स्तर के कॉलेज भी थे जहाँ ज्ञान के प्राचीन आदर्श सुरक्षित रूप से जीवन्त थे। अध्यात्मविद्या खगोलशास्त्र गणित व्याकरण तत्त्वज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्रगत शिक्षा के केन्द्र भी थे।

देशी शिक्षा के कटु आलोचक भी इतना तो मान्य करते ही थे कि इन देशी विद्यालयों और महाविद्यालयों ने सम्पूर्ण समाज का बहुत भला किया था। प्रौढ आयु और बुद्धिवाले छात्रों को जहाँ ऐरेबिक और संस्कृत में शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी ऐसे महाविद्यालयों से लेकर प्राथमिक महाजनी शराफ़ी और लाण्डे विद्यालयों तक विविध प्रकार की विविध स्तर की शास्त्रीय और तान्त्रिक शिक्षा दी जाती थी। शिक्षकों को हमेशा प्रत्येक छात्र की और जीवन में वे जो व्यवसाय करनेवाले हैं उन व्यवसायों की आवश्यकताओं का ध्यान रहता था।

आज जिस प्रकार सब की बुद्धि को एक स्तर पर लाया जाता है और कम बुद्धिवाले की खातिर बुद्धिमान को नीचे लाया जाता है वैसा करने के लिये बाध्य करनेवाली समूहशिक्षा उस समय नहीं चलती थी। संस्कृत के पाठ और विद्यालय पूरा होने के समय समूह में किया जानेवाला पुनरावर्तन सामूहिकता का वातावरण निर्माण करते थे जब कि एक छात्र को व्यक्तिगत शिक्षा और वह जो पढता था उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा और अपनी जिम्मेदारी पर पढ़ने की व्यवस्था से उसे चिन्तन और स्वाध्याय की प्रेरणा मिलती थी। आज के छात्रों में इन दोनों बातों का अभाव है। छात्र जब बड़ा होता था तब वह दर्शन पढ़ने के लिये एक गुरु के पास जाता था तो विधि (कानून) पढ़ने के लिये दूसरे। यह वैसा ही था जैसे जर्मनी में छात्र आन्तरराष्ट्रीय कानून पढ़ने के लिये हाइडलबर्ग जाता है और रोमन कानून पढ़ने के लिये बर्लिन।



यह जानना भी रोचक रहेगा कि प्रारम्भिक कक्षा के पाठों से लेकर उच्च शिक्षा में हिन्दू अध्यात्मविद्या और विभिन्न शास्त्रों की शिक्षा तक उच्च प्रकार की समझ अनुस्यूत थी। किण्डर गार्टन' पद्धति के भी सूत्र कहीं कहीं मिल जाते हैं। सीखने में ध्यान आकर्षित करने की और केन्द्रित करने की विभिन्न और सादी प्रयुक्तियाँ अपनाई जाती थीं और विभिन्न पार्श्वभूमि से आनेवाले बच्चों की नैतिक (मानसिक) और बौद्धिक क्षमताओं का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता था। सर्व प्रकार की शिक्षा में हिन्दू जीवनपद्धति के आदर्शों एवं व्यवहारों की ओर ध्यान रहता था।

यह कथन बिना आधार का नहीं है यह दर्शाने के लिये मैं ३ जून १८१४ के कोर्ट ऑफ़ हायरेक्टर्स के शिक्षा विषयक प्रथम आदेश से इस प्रकार उद्धरण दूंगा। हायरेक्टर्स निर्देश करते हैं

'देशी ग्रामविद्यालय ग्रामजीवन का एक अभिन्न अंग है और इन्फ्लैण्ड के लिये भी उन्होंने एक नमूना पेश किया है। वे आगे कहते हैं हिन्दुओं की इस उदात्त और प्रशासनीय संस्थाने विद्रोहों के अनेक आघात सहे हैं। इस पद्धति में देशी जन की सामान्य बौद्धिकता परिलक्षित होती है।

सन् १८४८ में पंजाब का शासन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ में गया। पंजाब के प्रथम प्रशासन बोर्डने शिक्षा की इस समृद्ध परंपरा जो उन्हें हास्यस्त और बिखरे हुए सिख सविधान से प्राप्त हुई थी उसे मान्यता दी। देशी शिक्षा के प्रसार और उसकी परंपरा को जीवित रखने की आवश्यकता की ओर ध्यान देते हुए सर जेहोन और सर हेनरी लॉरेन्सने अपनी प्रथम शिक्षा नीति का निरूपण इन शब्दों में किया -

'हम हर ग्रामसमूहमें और सम्भव हुआ तो हर गाव में विद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं जिससे पूरे प्रदेश में हर बच्चे को किसी न किसी रूप में प्रारम्भिक शिक्षा मिले।

इस नीति का क्रियान्वयन किन्तना हुआ इस विषय का निरूपण अगले लेख में किया जाएगा।

\* \* \*

५ इन्वर्नेस गार्डन्स डबल्यू. ८

१७ नवम्बर १९३१

प्रिय श्री गांधी

आपकी और से श्री देसाई का बिना दिनांक का पत्र १४ नवम्बर को प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। पत्र के साथ ८ दिसम्बर १९२० और २९ दिसम्बर १९२० के 'यंग

इण्डिया' में भारत की शिक्षा विषयक दौलतराम गुप्ता के दो लेखों की टकित नकल भी भेजी है।

मैं समझता हू कि उस लेख में पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट के अनुसार जो तथ्य दिये हैं उसी का आधार लेकर आपने अपना कथन दिया है कि गत पचास वर्षों में ब्रिटिश इण्डिया में शिक्षा का हास हुआ है। आप इसे ही प्रमाण मानते थे परन्तु आपने मुझे यह सन्दर्भ नहीं दिया था।

मैंने लेख को ध्यान से पढ़ा है परन्तु आपके कथन को प्रमाणित करनेवाला उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें शिक्षा विषयक कोई आंकड़े नहीं हैं। आप का प्रमुख उद्धरण डा लिटनर का पंजाब में देशी शिक्षा का इतिहास है। मैं निश्चित रूप से मानता हू कि आपने जब इस पुस्तक को अपना आधार बनाया तब आपको मालूम नहीं होगा कि यह पुस्तक पचास वर्ष पूर्व सन् १८८२ में लिखी गई है। श्री दौलतराम गुप्ता इस तथ्य को नहीं बताते हैं। वे यह भी नहीं बताते हैं कि डा लिटनर पंजाब प्रान्त की शिक्षा की तुलना मध्य प्रान्त और बंगाल की शिक्षा के साथ कर रहे हैं। सत्य तो यह है कि गत दस पन्द्रह वर्षों में ही पंजाब में प्राथमिक शिक्षा का विकास हुआ है। मैंने मेरे २१ अक्टूबर के पत्र में इसी बात का उल्लेख किया था।

आपने दिये हुए पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट के सन्दर्भ की अभी भी मैं प्रतीक्षा कर रहा हू। मैं ने हाल ही के पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट देखे हैं परन्तु उसमें ब्रिटिश इण्डिया के शिक्षा विषय क कोई उल्लेख नहीं हैं। और बहुत स्वाभाविक है कि पंजाब रिपोर्ट इस विषय की चर्चा नहीं करेगा। अब यदि आपको लगता है कि आपने गलत सन्दर्भ दिया था तो आपने दिये हुए वचन के अनुसार आप अपना वक्तव्य वापस लें यही मेरा सुझाव होगा।

विनीत

फिलिप हार्टोंग

पुनः क्या मैं पूछ सकता हू कि दौलतराम गुप्ताने सर शंकरन नायर के 'असहमति का स्वर' का उल्लेख किस रिपोर्टसे किया है ? लेख में कोई सन्दर्भ नहीं दिया गया है।

फि हा

एम के गांधी एस्क

८८ नाईट्सब्रिज डबल्यू. ८

१९ नवम्बर १९३१

सर फिलिप हार्टोग के बी ई

५ इन्वरनेस गार्डन्स डबल्यू. ८

प्रिय श्री फिलिप

आप के दि १७ के पत्र के लिये धन्यवाद।

चैधम हाउस में दिये हुए वक्तव्य को वापस लेने का अभी तो मेरा कोई विचार नहीं है। आप अभी जो सन्दर्भ माग रहे हैं उसे दूढने के लिये मेरे पास अभी समय नहीं है। परन्तु मैं वचन देता हू कि मैं इसे भूल नहीं जाऊंगा और चैधम हाउस में मैंने जो कहा था वह गलत था ऐसा जब मुझे विश्वास हो जाएगा तो मैं न केवल मेरा कथन वापस लूंगा अपितु उस वक्तव्य को प्रसिद्धि प्राप्त हुई उससे भी अधिक प्रसिद्धि इस वापस लेनेवाले वक्तव्य को मिले यह देखूंगा।

अभी मैं आपको अपेक्षित सन्दर्भ दूढने के प्रयास कर रहा हू।

विनीत

एम के गांधी

सर फिलिप हार्टोग के बी ई

५ इन्वरनेस गार्डन्स डबल्यू. ८

\*\*\*

५ इन्वरनेस गार्डन्स डबल्यू. ८

२० नवम्बर १९३१

प्रिय श्री गांधी

कल के आप के पत्र के लिये धन्यवाद।

अगर आप के अमूल्य समय से कुछ क्षण मेरे लिये आप देंगे तो इस मामले को सुलझाने में बहुत सहायता होगी। आप निश्चित समय और दिन बतायेंगे तो मैं आपकी भेंट करना चाहता हू।

विनीत

फिलिप हार्टोग

एम के गांधी एस्क

८८ नाईट्सब्रिज डबल्यू.

\*\*\*

५ इन्वरनेस गार्डेन्स डबल्यु ८

२२ नवम्बर १९३१

प्रिय श्रीमती नायडू

आप के सुझाव के अनुरूप श्री गांधी को भेजे मेरे २७ अक्टूबर और १७ नवम्बर के पत्रों की प्रतिलिपि इसके साथ भेज रहा हूँ। मेरे अन्य पत्रों में विश्व कोई जानकारी नहीं है। आपकी सुविधानुसार आप इन्हें वापस भेजने की कृपा करेंगे ?

सादर

आपका

फिलिप हार्टोंग

श्रीमती सरोजिनी नायडू

७ पार्क प्लेस

से जेम्स एस डबल्यु आर्ई

\* \* \*

स्कार टॉप

बोर्स हिल ऑक्सफर्ड

२३ नवम्बर १९३१

प्रिय सर फिलिप हार्टोंग

मैं शायद भारतीय शिक्षा की देशी पद्धति का मूल्य कम आँक रहा हूँ, मैंने उसे इतना महत्व कभी नहीं दिया है। मेरा कथन राष्ट्रीयता का प्रचलित अत्युक्तिपूर्ण दावा नहीं है वह बहुत सौम्य प्रकार का है।

फिर भी आपको एफ ई की के ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा १९१८ में प्रकाशित एन्सयूट इण्डियन एज्युकेशन Ancient Indian Education के पृ ५१ ५७ १०७ पर

डा लिटनर के हिस्ट्री ऑव इंडिजीनस एज्युकेशन इन पंजाब History of Indigenous Education in Punjab) के पृ १४ और २१

१८८२ के पंजाब सरकार के रिपोर्ट में

ए. पी. होवेल के 'एज्युकेशन इन ब्रिटिश इण्डिया प्रायर टु १८५४ : Education in British India Prior to 1854 में और

लुडलो के 'ब्रिटिश इण्डिया : British India' में प्रमाण मिलेंगे। १८२२-२६ में महात्मा प्रेसीडेन्सी ने सर्वेक्षण करवाया था। उस समय का निष्कर्ष यह था कि

विद्यालय जाने योग्य आयु के कुल बच्चों के एक षष्टाश से भी कम बच्चों को किसी प्रकार की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होती है। १८२३-८ के दौरान मुम्बई प्रेसीडेन्सी के सर्वेक्षण में यह अंदाज़ एक अष्टमाश का है बंगाल में १३ २ प्रतिशत का है (एडम का सर्वेक्षण-१८३५)। विलियम वॉर्डने मान लिया कि बंगाल की पुरुष जनसंख्या का एक षष्टमाश हिस्सा मानना चाहिये।

मैं कठिनाई समझता हूँ। परन्तु मुझे अधिकाधिक मात्रा में प्रतीति हो रही है कि जहाँ तक सामान्य शिक्षा का प्रश्न है हमने इन दस बारह वर्ष में अपने आप को बर्धाई दे सकें ऐसा शायद ही कुछ किया है। आप मुझसे सहमत हैं ? कोलकत्ता युनिवर्सिटी तो एकदम बेकार थी। और स्थानीय मिडल स्कूल -

आपका

एडवर्ड थोम्पसन

पुनः मैं नहीं मानता कि हमने द्वेषभावना से प्रेरित होकर देशी शिक्षा और देशी उद्योगों को नष्ट किया है। (यही अमेरिका और भारत में कहा जाता है।) यह अनिवार्य था।

\*\*\*

श्री गांधी के साथे मुलाकात २ दिसम्बर १९३१

२० अक्टूबर १९३१ को लन्दन के चौथम हाऊस में इण्टरनेशनल अफेअर्स में श्री गांधीने कहा था कि विगत ५० से १०० वर्षों में भारत में शिक्षा की बहुत अवनति हुई है। (देखें इण्टरनेशनल अफेअर्स की जर्नल नवम्बर १९६१ पृ ७२७ ७२८ ७३४ ७३५) उस सन्दर्भ में मैंने श्री गांधी की मुलाकात करने के लिये पत्र लिखा था। मुझे उसका लिखित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था परन्तु श्रीमती सरोजिनी नायडू जिनसे मैंने उस विषय में बात की थी ने आज टेलीफोन कर के मुलाकात की व्यवस्था कर दी। तदनुसूच मैं अपराह्न ४ बजे ८८ नाईट्सब्रिज में उनसे मीट करने गया और ५ बजे तक वहाँ रुका। अग्नि के निकट एक सोफा पर शाल लपेटे वे लेटे हुए थे। वे थके हुए लग रहे थे तो भी मैं जब गया और वापस लौटा तब दोनों समय वे मेरे सम्मान में खड़े हुए। उन्होंने मुझे कहा कि वे मानते थे कि वे पूर्ण स्वस्थ हैं परन्तु उस समय वे बीम का अनुभव कर रहे थे। मैंने कहा कि वे इतने थके हुए थे कि घर्षा नहीं कर पायेंगे परन्तु उन्होंने कहा कि उन्हें मुझे भित्कर खुशी हुई है। उन्होंने स्वयं मुलाकात के लिये पत्र न लिखने के लिए मेरी याचना की।

उन्होंने तत्काल स्वीकार किया कि उनके कथन की पुष्टि के लिये उनके पास कुछ नहीं था। मैंने उनसे जो कहा था कि ८ और २९ दिसम्बर के 'द इण्डिया' में प्रकाशित दौलत राम गुप्ता के लेखों में साक्षरता के जकड़े नहीं थे हॉ लिटनर की पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिजीनस एज्युकेशन इन पंजाब' १८८२ में लिखी गई थी इसलिये ५० वर्षों में पंजाब की शिक्षा की प्रगति या अवनति के विषय में कोई जानकारी उसमें प्राप्त नहीं हो सकती थी। परन्तु मेरी इन बातों का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि श्री महादेव देसाई ब्रिटिश म्यूझियम में जाघ कर रहे हैं। श्री देसाई ने कहा कि अब तक तो उन्हें म्यूझियम से कुछ नहीं मिला है। श्री गांधीने कहा कि वे 'यंग इण्डिया' के लेख के लेखक को पूछने और जब वे भारत वापस लौटेंगे तो उन्हें उस विषय की जाघ करने के लिये और भी सक्षम मित्र मिल जायेंगे और उसका क्या परिणाम निकलता है इसकी सूचना केबलग्राम से देंगे। उन्होंने कहा कि वे मुझे विश्वास दिलायेंगे कि उनकी बात सही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वे सघ नहीं निकलते हैं तो क्षमा मांगेंगे और उस क्षमाप्रार्थना को अपने मूल वक्तव्य से भी अधिक प्रसिद्धि दिलायेंगे।

मैंने उन्हें लिटनर की पुस्तक दिखाई और पृ ३ पर जो लिखा था वह बताया। वहा लिटनर ने लिखा था कि पंजाब मध्य प्रान्त और बंगाल से जनसख्या के अनुपात में छात्रों की सख्या के विषय में पीछे नहीं था। मैंने दिखाया की श्री गुप्ताने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है उन्होंने पृ २ पर होशियारपुर की सख्या का उल्लेख अवश्य किया था। मैंने श्री गांधी को कहा कि १८८२ में ब्रिटिश इण्डिया की जनसख्या लगभग २१ करोड थी और १९३१ में बढ़कर वह २७ करोड हुई थी अर्थात् ३० प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इस समय में ब्रिटिश इण्डिया में विद्यालय जानेवाले बच्चों की सख्या २५ लाख से बढ़कर ११० लाख हुई थी अर्थात् उसमें ४ गुना वृद्धि हुई थी। इसके बाद भी कोई कहता है कि शिक्षा की अवनति हुई थी तो वह बहुत बड़ा आक्षेप होगा।

मैंने यह भी कहा कि विद्यालय जानेवाले बच्चों की सख्या से शिक्षा की स्थिति के विषय में निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। होवेल ने अपनी पुस्तक 'एज्युकेशन इन ब्रिटिश इण्डिया' में कहा है कि विद्यालय जाने वाले बच्चों को इतनी छोटी आयु में विद्यालय से उठा लिया जाता है कि उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर आना निरर्थक होगा। मैंने यह भी कहा कि उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर आना निरर्थक होगा। मैंने यह भी कहा कि १९१७ से १९२७ के दशक में बंगाल में

विद्यालय जानेवाले बच्चों की संख्या बढ़कर ३ ०० ००० हो गई थी (सही अंक तो ३ ७० ००० है) परन्तु कक्षा ४ में पहुँचते ३० ००० जितनी संख्या कम हो गई थी। ये बच्चे तो प्रथम बार ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

मैंने श्री गांधी को १८३५-३८ के विलियम एडम के रिपोर्ट ऑन वर्नाक्युलर एज्युकेशन के आकड़े भी बताये और १९२१ के जनगणना के आकड़ों के साथ उनकी तुलना करके दिखाई (खण्ड ५ पृ ३०२)। इसी खण्ड के पृ २८५ से सन् १९११ और १९०१ के जनगणना के आकड़े भी बताये जो बर्मा बंगाल और मद्रास में शिक्षा में वृद्धि दर्शाते थे और उसी समय पंजाब बिहार मुम्बई और सयुक प्रान्त में थोड़ी ही प्रगति हुई थी। श्री गांधी ने क्षमायाचना के स्वर में कहा 'मैं इन विषयों में कुछ नहीं जानता हूँ। मैंने कहा कि उन्हें और बहुत सी बातों में ध्यान देना होता है।

मुलाकात के अन्तिम चरण में मैंने कहा कि अब वे शान्ति चाहेंगे। उन्होंने कहा कि विगत दिन उन्होंने जो कहा था ठीक वैसा ही वे करेंगे अर्थात् प्रधान मंत्री की घोषणा को वे फिर से पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस के परामर्श का उन्होंने अवलम्बन लिया परन्तु उसकी पूर्ण जिम्मेदारी तो उनकी ही है। उन्होंने कहा कि सेम्युअल होरे की भेंट करने के लिये उन्होंने वापस जाना निलंबित किया था। वे होरे को शुक्रवार को मिलनेवाले थे क्यों कि होरे ने कहा था कि ससद में घर्षा के दौरान (शुक्रवार और गुरुवार का) उन्हें समय नहीं मिलेगा। मैंने कहा 'मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि अब आपको विश्वास हो गया है कि वर्तमान में अंग्रेज भारत को जितना समर्थ हैं उतना सब कुछ देने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा 'हां लेकिन एक बात ऐसी है जो अंग्रेज इमानदारी से मानते हैं परन्तु मेरी समझ में नहीं आती। वे मानते हैं कि हम कुशल तज्ञों की सहायता से भी अपना मामला खुद नहीं सम्हाल सकते। जब मैं युवा था और मेरे पिताजी एक देशी राज्य के महाअमात्य थे मैं एक दूसरे राज्य (जूनागढ़) के महाअमात्य को जानता था जो स्वयं अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे परन्तु वे बहुत विशिष्ट व्यक्ति थे और राज्य का कारोबार उत्तम पद्धति से चलाते थे। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि किससे परामर्श प्राप्त करना चाहिये और उसी से परामर्श लेते भी थे। मैंने जब आप के प्रधानमंत्री से रुपये के विनिमय मूल्य के बारे में पूछा तब उन्होंने कहा कि इस विषय में वे कुछ नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि सारी बातें प्रधानमंत्री के नाम से की जाती हैं परन्तु उन्हें तज्ञों पर निर्भर करना पड़ता है। हमें प्रशासन चलाने का पूर्वाभियोग भी है और आज भी हम यह कर सकते हैं।

मैंने इस राजकीय चर्चा को आगे बढ़ाना या ब्रिटिश ज़ब्त भारत में आये तब राजकीय क्षेत्र में फिक्तीनी अराजकता थी उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना उचित नहीं समझा क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य श्री गांधी से चौथम हाऊस का अपना वक्तव्य वापस लिवाना था। मुलाकात का अन्त करते हुए मैंने कहा कि मैं तो शान्ति का चाहक हूँ। मैंने उन्हें भारत की वापसी यात्रा के लिये शुभ कामनायें दी। मैंने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि आप को मैंने थका नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें मुझे मिलकर सही में बड़ी खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि वे मेरे सम्पर्क में रहेंगे।

हमारे वार्तालाप के दौरान श्री देसाई करके एक ऊँचे युवा उपस्थित थे परन्तु मैं उनका नाम नहीं जानता। कु स्लेड भी उपस्थित थीं। उनसे मेरा परिचय करवाया गया परन्तु वे पूरा समय पीछे की ओर बैठी रहीं। और भी एक अंग्रेज महिला उपस्थित थीं जिन्होंने श्री गांधी को मुलाकात के अन्त में फल दिये। वार्तालाप में किसीने बीच में कुछ नहीं कहा। केवल श्री गांधी ने एक या दो बार किसी जानकारी के लिये श्री देसाई को पूछा। ऐसा लगा कि श्री गांधी ने श्री देसाई को ब्रिटिश म्यूझियम से कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिये कहा था परन्तु उन्हें चाहिये थीं वे पुस्तकें प्राप्त नहीं हुई थीं और श्री गांधी के कथन के समर्थन में कुछ कहने के लिये उनके पास कुछ नहीं था। श्री देसाई मेरे साथ नीचे तक आये और ब्रिटिश म्यूझियम की एक १८५९ की एक १८६७-८ की और एक विल्मोट को 'द इण्डिजीनस सिस्टम ऑफ़ एज्युकेशन इन इण्डिया' पुस्तक की पिट बताई।

मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण कथन छूट गया है। श्री गांधीने कहा कि उन्होंने देशी शिक्षा को नष्ट करने का आरोप ब्रिटिश सरकार पर नहीं लगाया है। उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि उन्होंने उसकी उपेक्षा कर के उसे नष्ट हो जाने दिया है। मैंने कहा कि सम्भवतः इसलिये उन्होंने उसे नष्ट होने दिया कि वह इतनी खराब हो गई थी कि उसको बचाए रखने का कोई अर्थ नहीं था। सयुक्त प्रान्त में एक मुसलमान साक्षी ने मेरी कमिटी को कहा था कि सरकार द्वारा संचालित नहीं होनेवाले मुस्लिम विद्यालय मुसलमानों की सहायता के लिये नहीं अपितु उनकी प्रगति में अवरोध रूप हैं। देश के अन्तर्गत भागों में स्थित अनेक निजी विद्यालयों के बारे में यही कहा जा सकता है। मैंने श्री गांधी को कहा कि प्राथमिक शिक्षा में मेरी रूचि कोई नई बात नहीं है। १९१८ में सेन्ट्रल कमिशन के सदस्य के रूप में मैं जम श्री मॉटेयू और लॉर्ड चैम्सफोर्ड को मिला था तब मैंने कहा था कि युनिवर्सिटी सुधार अवश्य ही तत्काल रूप से जरूरी होंगे तो



भी भारत में प्राथमिक शिक्षा की समस्या उससे भी अधिक मूलभूत है। मैं इस विषय में उस समय कोई परामर्श नहीं दे सका था। मैंने कहा था कि भारत ने अभी कृषक मजदूर को शिक्षा देने की समस्या का हल नहीं ढूँढा है। जिससे वह अच्छी तरह खेती कर सके और बलक बनना न चाहे परन्तु पंजाब ने सर ज्योर्ज एण्डरसनने जिनका कार्य आगे बढ़ाया ऐसे स्वस्थ श्री रिधि की प्रेरणा से गत दस पन्द्रह वर्ष में बहुत प्रगति हासिल की है। मैंने पंजाब में अपनाई गई पद्धति का वर्णन किया और श्री गांधीने कहा कि पंजाब में हाल ही में हुई प्रगति के विषय में उन्होंने सुना है। मैंने कहा कि मुंबई में डा पराजपे द्वारा निर्मित पद्धति से बहुत सक्षम प्रयोग हो रहा है परन्तु उसके उनके अनुगामी ने स्थानीय सवालन के तहत स्थानांतरण कर देने के कारण वह प्रयोग विफल हो गया क्यों कि बहुत सारे जिला बॉर्ड शिक्षा में नहीं परन्तु राजनीति में रुचि रखते थे शिक्षा के विषय में तो कुछ जानते ही नहीं थे।

मैंने श्री गांधी को कहा कि मैं उनका यह सुझाव स्वीकार नहीं कर सकता कि सार्वत्रिक प्रारम्भिक शिक्षा आवश्यक रूप से बहुत हल्की होनी चाहिये और यह भी कि मेरी कमिटी ने जो १९ करोड़ रुपये अतिरिक्त आवर्ती खर्च का प्रावधान किया था उससे लगभग ८० प्रतिशत बालक बालिकाएँ प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत आ जायेंगे। श्री गांधीने मुझे पूछा कि बच्चे यदि मिडल स्कूल में नहीं जाते हैं तब भी प्राथमिक शिक्षा की कोई उपयोगिता रहेगी क्या। मैंने कहा कि वह अगला धरण होगा और मैं स्थानीय मिडल स्कूल की योजना को प्रोत्साहन देना अत्यन्त महत्वपूर्ण मानता हूँ, केवल छात्रों के लिये ही नहीं तो इसलिये भी कि उसीसे शिक्षक भी तैयार होते हैं। मैंने कहा कि मुझे खेद है कि बंगाली स्थानीय मिडल स्कूल के स्थान पर अंग्रेजी मिडल स्कूल ही अधिक पसंद करता है।

हमने फिर बालिका शिक्षा के विषय में बात की। मैंने अपनी कमिटी का अभिप्राय बताया कि बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिये। श्री गांधीने कहा कि वे पूर्ण रूप से सहमत हैं परन्तु उन्होंने पूछा कि क्या प्राथमिक शिक्षा बालिकाओं को अच्छी माता बनायेगी। श्री गांधीने कहा कि उन्होंने मेरी कमिटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। मैंने उनसे पूछा कि आप वापस यात्रा में उसे पढ़ना चाहेंगे क्या। उन्होंने कहा हा मैंने उन्हें उराकी प्रति भेजने का वचन दिया।

(यह टिप्पणी २ दिसम्बर और ४ दिसम्बर को तैयार की गई।)

५ इन्वरनेस गार्डन्स डबल्यू ८

२ दिसम्बर १९३१

प्रिय श्री थोम्पसन

आपके ससन्दर्भ २३ नवम्बर के कृपा पत्र की प्राप्ति की सूचना मैंने नहीं भेजी इसलिये मैं क्षमाप्रार्थी हू। मुझे विलियम एडम और लिटनर के रिपोर्ट ज्ञात हैं। होवेल को मैं उद्धरणों से जानता हू। मैंने की देखा है परन्तु उसने मुझे प्रभावित नहीं किया है। मैं एक डबल्यू थॉमस को पूछूंगा कि उसका अभिप्राय क्या है। परन्तु वह सब मुझे गौण लगता है।

आपके सन्दर्भ मैंने देखे। उसके बाद भी मुझे लगता है कि 'रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ़ इण्डिया Reconstruction of India के पृ २५५ का कथन 'विगत दस वर्षों तक कुछ निम्नप्रकार की अधिक साक्षरता थी' सुसगत लगता है। आपने मुम्बई और बंगाल के विद्यालयों के आकड़े दिये हैं। परन्तु भारतीय विद्यालयों का भेरा अनुभव मुझे कहता है कि उपस्थिति और साक्षरता में बहुत अन्तर है।

१९१७-१९२७ के दस वर्षों में बंगाल में छात्रसंख्या बढ़कर ३ ७० ००० हुई है परन्तु चौथी कक्षा में जहा साक्षरता स्थिर होती है ३० ००० संख्या कम हो गई। (देखें सार्इमन कमिशन की एज्यू रिपोर्ट पृ ५९ सारिणी ३४)

देशी शिक्षा के पक्षधर एडम होवेल और लिटनर को पढ़कर मुझे लगता है कि इसमें कोई नई बात नहीं है।

एडम के लॉग के सस्करण में पृ २६८ पर आपने २५ अक्टूबर १८१९ का मॉन्स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन के रिपोर्ट का उद्धरण देखा होगा जिसमें वह कहता है 'यहा (दक्षिण) में प्रत्येक गांव और नगर में पहले से ही विद्यालय हैं परन्तु लिखना और पढ़ना ब्राह्मणों बनिया और अन्य ऐसे लोगों तक ही सीमित है जिन्हें हिसाब करना होता है।

एडम के १८३५ में बंगाल में १ ०० ००० विद्यालय होने के अनुमान का उल्लेख करते हुए होवेल पृ ७ पर मद्रास और बंगाल के लिये भी इसी प्रकार का अनुमान करता है और कहता है 'यद्यपि सारे अधिकारी इस बात पर सहमत हैं कि इन विद्यालयों की अवस्थिति ही शिक्षा की चाह का संकेत है वे इस बात पर भी एक थे कि उसमें जो पढाया जाता था वह बिलकुल बेकार था क्योंकि इन विद्यालयों में संक्षम शिक्षक नहीं थे उनके पास पुस्तकें या अन्य सामग्री नहीं थी और बहुत छोटी आयु में बच्चे विद्यालय छोड़ देते थे।

भी भारत में प्राथमिक शिक्षा की समस्या उससे भी अधिक मूलभूत है। मैं इस विषय में उस समय कोई परामर्श नहीं दे सका था। मैंने कहा था कि भारत ने अभी कृषक मजदूर को शिक्षा देने की समस्या का हल नहीं ढूँढा है। जिससे वह अच्छी तरह खेती कर सके और बलर्क बनना न चाहे परन्तु पंजाब ने सर ज्योर्ज एण्डरसनने जिनका कार्य आगे बढ़ाया ऐसे स्वर्गस्थ श्री रिचि की प्रेरणा से गत दस पन्द्रह वर्ष में बहुत प्रगति हासिल की है। मैंने पंजाब में अपनाई गई पद्धति का वर्णन किया और श्री गांधीने कहा कि पंजाब में हाल ही में हुई प्रगति के विषय में उन्होंने सुना है। मैंने कहा कि मुंबई में डा पराजपे द्वारा निर्मित पद्धति से बहुत सक्षम प्रयोग हो रहा है परन्तु उसके उनके अनुगामी ने स्थानीय संचालन के तहत स्थानांतरण कर देने के कारण वह प्रयोग विफल हो गया क्यों कि बहुत सारे जिला बोर्ड शिक्षा में नहीं परन्तु राजनीति में रुचि रखते थे शिक्षा के विषय में तो कुछ जानते ही नहीं थे।

मैंने श्री गांधी को कहा कि मैं उनका यह सुझाव स्वीकार नहीं कर सकता कि सार्वत्रिक प्रारम्भिक शिक्षा आवश्यक रूप से बहुत हल्की होनी चाहिये और यह भी कि मेरी कमिटी ने जो १९ करोड़ रुपये अतिरिक्त आवर्ती खर्च का प्रावधान किया था उससे लगभग ८० प्रतिशत बालक बालिकाएँ प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत आ जायेंगे। श्री गांधीने मुझे पूछा कि क्या यदि मिडल स्कूल में नहीं जाते हैं तब भी प्राथमिक शिक्षा की कोई उपयोगिता रहेगी क्या। मैंने कहा कि वह अगला चरण होगा और मैं स्थानीय मिडल स्कूल की योजना को प्रोत्साहन देना अत्यन्त महत्वपूर्ण मानता हूँ, केवल छात्रों के लिये ही नहीं तो इसलिये भी कि उसीसे शिक्षक भी तैयार होते हैं। मैंने कहा कि मुझे खेद है कि बगाली स्थानीय मिडल स्कूल के स्थान पर अंग्रेजी मिडल स्कूल ही अधिक पसंद करता है।

हमने फिर बालिका शिक्षा के विषय में बात की। मैंने अपनी कमिटी का अभिप्राय बताया कि बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिये। श्री गांधीने कहा कि वे पूर्ण रूप से सहमत हैं परन्तु उन्होंने पूछा कि क्या प्राथमिक शिक्षा बालिकाओं को अच्छी माता बनायेगी। श्री गांधीने कहा कि उन्होंने मेरी कमिटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। मैंने उनसे पूछा कि आप वापस यात्रा में उसे पढ़ना चाहेंगे क्या। उन्होंने कहा हा मैंने उन्हें उसकी प्रति भेजने का वचन दिया।

(यह टिप्पणी २ दिसम्बर और ४ दिसम्बर को तैयार की गई।)

५ इन्वर्नेस गार्डन्स डबल्यू. ए.

२ दिसम्बर १९३१

प्रिय श्री थोम्पसन

आपके ससन्दर्भ २३ नवम्बर के कृपा पत्र की प्राप्ति की सूचना मैंने नहीं भेजी इसलिये मैं क्षमाप्रार्थी हूँ। मुझे विलियम एडम और लिटनर के रिपोर्ट ज्ञात हैं। होवेल को मैं उद्धरणों से जानता हूँ। मैंने की देखा है परन्तु उसने मुझे प्रभावित नहीं किया है। मैं एक डबल्यू. थॉमस को पूछूंगा कि उसका अभिप्राय क्या है। परन्तु वह सब मुझे गौण लगता है।

आपके सन्दर्भ मैंने देखे। उसके बाद भी मुझे लगता है कि रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ़ इण्डिया Reconstruction of India के पृ २५५ का कथन विगत दस वर्षों तक कुछ निम्नप्रकार की अधिक साक्षरता थी' सुसंगत लगता है। आपने मुम्बई और बंगाल के विद्यालयों के आकड़े दिये हैं। परन्तु भारतीय विद्यालयों का मेरा अनुभव मुझे कहता है कि उपस्थिति और साक्षरता में बहुत अन्तर है।

१९१७-१९२७ के दस वर्षों में बंगाल में छात्रसंख्या बढ़कर ३ ७० ००० हुई है परन्तु चौथी कक्षा में जहा साक्षरता स्थिर होती है ३० ००० संख्या कम हो गई। (देखें साईमन कमिशन की एज्यू. रिपोर्ट पृ ५९ सारिणी ३४)

देशी शिक्षा के पक्षधर एडम होवेल और लिटनर को पढ़कर मुझे लगता है कि इसमें कोई नई बात नहीं है।

एडम के लॉग के सस्करण में पृ २६८ पर आपने २५ अक्टूबर १८९९ का मॉस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन के रिपोर्ट का उद्धरण देखा होगा जिसमें वह कहता है यहा (दक्षिण) में प्रत्येक गाव और नगर में पहले से ही विद्यालय हैं परन्तु लिखना और पढ़ना ब्राह्मणों बनिया और अन्य ऐसे लोगों तक ही सीमित है जिन्हें हिसाब करना होता है।

एडम के १८३५ में बंगाल में १ ०० ००० विद्यालय होने के अनुमान का उल्लेख करते हुए होवेल पृ ७ पर मद्रास और बंगाल के लिये भी इसी प्रकार का अनुमान करता है और कहता है यद्यपि सारे अधिकारी इस बात पर सहमत हैं कि इन विद्यालयों की अवस्थिति ही शिक्षा की चाह का सकेत है वे इस बात पर भी एक थे कि उसमें जो पढ़ाया जाता था वह बिलकुल बेकार था क्यो कि इन विद्यालयों में सबम शिक्षक नहीं थे उनके पास पुस्तकें या अन्य सामग्री नहीं थी और बहुत छोटी आयु में बच्चे विद्यालय छोड़ देते थे।

जिन के भी मैंने उद्धरण दिये हैं वे सब चाहते थे कि सरकार ने इन ग्राम विद्यालयों के आधार पर एक पद्धति निर्माण करनी चाहिये।

एक साक्षरता के जो आकड़े देता है उसका विस्तृत विश्लेषण होना आवश्यक है। जिन जिलों के विषय में एक ने आकड़े दिये हैं उनको जनगणना रिपोर्ट के आधार पर मैं देखूंगा।

आपका

पी जे हार्टोग

\*\*\*

स्कार टॉप

बोर्स हिल ओक्सफर्ड

५ दिसम्बर १९३९

प्रिय सर फिलिप हार्टोग

किन्तु विषय पर हमारा विवाद चल रहा है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा कथन पर्याप्त सौम्य है सन्तुलित है और मेरा उद्देश्य स्पष्ट है। जो दावे मुझे सर्वथा गलत लग रहे हैं उनके प्रति मैं सत्य की सीमा में रहकर उदारता बरत रहा हूँ। विवाद को आगे चलाने का वही एक मार्ग है। चाहे ब्रिटिश साम्राज्यवादी हो या भारतीय राष्ट्रवादी मेरे विरोधी की किन्ती भी बात पर उसे नीचा दिखाने की पद्धति मुझे ठीक नहीं लगती। सद्भाव से स्पष्ट है कि मैं भारतीय विद्यालयों को बहुत महत्त्व नहीं देता हूँ। मैंने वह अनुच्छेद लिखा था मेरे मन में क्या था वह मुझे अभी भी ठीक याद है। विगत चारह वर्षों की बात ही बार बार दुहराते रहने की प्रवृत्ति से मेरी सहमति नहीं है। तात्पर्य केवल इतना ही है कि ये चारह वर्ष पूर्व के दसकों की तुलना में अधिक प्रगति कारक थे।

यात ठीक है कि साक्षरता और विद्यालय में उपस्थिति एक ही बात नहीं है। आज भी दोनों एक नहीं हैं। परन्तु वह विषय इतना विचार और विवाद के योग्य नहीं है। अगर बात खींच ही जाती है तो मैं केवल साक्षरता को भी कम ही महत्त्वपूर्ण मानता हूँ। मुझे लगता है हमने किन्ती प्रचार की शिष्टता बचाने के लिये दस वर्ष तक बहुत ही प्रयास किये हैं। मैं शायद बहुत ही हताश हो गया हूँ। परन्तु मैंने देखा जो अमेरिका के शिक्षित लोग उनकी शिक्षा के परिणाम स्वरूप पढ़ते हैं। इस देश में आकर मैं देखता हूँ कि सामाजिक पत्र तो मृत प्राय हो गये हैं। डेईली मेल डेईली एक्सप्रेस और

कुख्यात सण्डे पेपर ही केवल पढे जाते हैं। मुझे लगता है कि सबसे लोकप्रिय पत्र है कम्पीटीशन्स जो पाठकों के बहुत बड़े वर्ग को शब्दचौकोर भरना सिखाता है। शिक्षितों का बौद्धिक आनंद केवल इतने तक ही सीमित है। दूसरी ओर अकबर को 'अशिक्षित' माना जाता है।

भारत में ऐसे कई गरीब लोग हैं जो कभी किसी विद्यालय में नहीं गये फिर भी पढ सकते हैं। यद्यपि उनकी सख्या कम है। वे नाम मात्र का शुल्क देकर किसी छात्र से पढते हैं। स्थानीय भाषा पढने तक की बात में तो विद्यालय दर्शाते हैं उससे बहुत अधिक सख्या में लोग पढ सकते हैं। यदि यह सत्य नहीं है तो बंगाल के बाजारों में भयकर धिर्त्रोवाले परन्तु सस्ते रामप्रसाद चंडीदास कृतिवास रामायण कैसे बिकते हैं ? (दिनेश सेन के अनुसार युद्ध से पूर्व प्रति वर्ष उसकी दो लाख प्रतिया बिकती थीं।) यही नहीं तो केवल दो विभागों में ही गाये जाने वाले भादों गीत भी बिकते हैं। शरत चैटर्जी मुझे कहते थे कि १९२१ में उनके उपन्यास के बारह आनेवाले सस्करण से उन्हें बारह हजार रुपए रॉयल्टी के रूप में प्राप्त हुए थे जिसका अर्थ है कि उसकी दो लाख प्रतियों की बिक्री हुई थी। अर्ध धार्मिक कृतियों का ऐसा ही होता है। विद्यालयों की सख्या से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

मैं अगली वसन्त ऋतु में भारत जानेवाला हूँ। तभी इस विषय को देखूँगा। परन्तु मेरी धारणा जो गहरी होती गई है वह यह है कि हमारी इस दिशा में या अनेक बातों में ठोस प्रगति १९१७ में शुरू हुई। आपको शायद कल्पना में भी नहीं उत्तरेगा कि युद्ध से पूर्व सारे अधिकारी कितने निष्क्रिय थे। जब मैंने बंगाल में शिक्षा में कार्य शुरू किया हमारी मिडल वर्नाक्यूलर स्कूल की चौथी कक्षा में बहुत अधिक सख्या थी। ये सब शिक्षित थे। परन्तु मुझे लगता है कि इतनी अधिक सख्या न होती तो अच्छा था। शिक्षा विभाग तो भयकर था। कार्यकारी लैफटेनन्ट गवर्नर अत्यंत अकार्यक्षम और ढीला था और शिक्षा निदेशक कुचलकर महा आलसी था। मैं नहीं मानता कि एक शतक पूर्व साक्षरता व्यापक रूप में थी। मैं यह भी नहीं मानता कि १९१७ से पूर्व शिक्षा विषयक हमने जो कुछ भी किया उससे कोई विशेष बदल या सुधार हुआ हो। हम अपने आप को अनुचित शाबाशी देते रहते हैं। परन्तु मैं कहूँगा कि अन्यायपूर्ण ढंग से कुख्यात मॉटेयू चैन्सफर्ड सुधार के बाद ही हमने कुछ ठोस कार्य किया है।

सन् १९१७ से पूर्व के साक्षरता के आकड़े क्या हैं ? जनसख्या के चार या पाच प्रतिशत ? मुझे लगता है एक शतक पूर्व वे इससे ज्यादा थे। इसे प्रमाणित करने

के लिए उस समय की छोटी जनसंख्या में भी पुस्तकों की बिक्री होती थी उसका पता लगाना चाहिए। (यद्यपि जनगणना १८७१ में प्रारम्भ हुई।)

आपका

एडवर्ड थोम्पसन

(इस टिकित पत्र के बाद हाथ से लिखा गया पत्र)

पुनश्च ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अभिलेखों में 'बनिया' को सामान्य रूप में 'बनयान' लिखा जाता है।

मैं ने आपका पत्र फिर से ध्यान देकर पढ़ा। लगता है कि हम एक ही बात कर रहे हैं। स्पष्ट है कि हम दोनों मानते हैं कि -

(क) एक शतक पूर्व साक्षरता इतनी ज्यादा नहीं थी कि उसके गीत गाए जाएँ।

(ख) युद्ध से पूर्व के सर्वसामान्य विद्यालय तो एक नाटक ही था।

हमें गायों तक मिडल वर्नाक्यूलर विद्यालय ले जाने के लिए आग्रहपूर्वक कहा जाता था। उन विद्यालयों के मुख्य शिक्षक इण्टर आर्ट्स अनुवीर्ण या मैट्रिक भी अनुवीर्ण होते थे। उनके छात्र तो भयंकर होते थे। हमारे स्वयं के हाईस्कूल के छात्र भी बहुत कमजोर होते थे परन्तु परन्तु बात कुछ ऐसी है। युद्धपूर्व का भारत का प्रशासन अनेक दृष्टि से भयंकर आघात पहुंचानेवाला ही था। मैं कठिनाई भी जानता हूँ। परन्तु भारतीय प्रशासन में इतनी समस्या क्या है ? मैं विद्रोह से पूर्व के रेसिडेन्टों का दफ्तर पढ़ रहा हूँ। यह ऐसी जानकारी से भरा पत्र है कि भगवान कहे यह इन कॉलेजवालों के हाथ न लग जाए। ऑक्सफर्ड में तो पूर्व आई सी एस (इण्डियन सिविल सर्विस) की भीड़ हो गई है। मैं उन लोगों का आदर करता हूँ। परन्तु आई सी एस बनने से पूर्व उनकी पढ़ाई में जो उनकी विलक्षण बुद्धि उनके परीक्षा परिणामों में झलकती थी उसका आई सी एस बनने के बाद क्या हुआ ? मुझे वह सब निरर्थक और निराशाजनक लगता है... भारत में काम करना हमारे उपर अत्याचार था। हमने एक अग्रेज ने करना चाहिये ऐसा कुछ नहीं किया।

मैंने पत्र को छोटा रखने के लिये बहुत बातें घसीट दी हैं। मैं २४ दिसम्बर को जा रहा हूँ। तब तक मैं अत्यधिक व्यस्त हूँ।

\*\*\*

### इण्टरनेशनल अफेअर्स' के तंत्री के प्रति

महाशय

गत २० अक्टूबर की अत्यधिक उपस्थितिवाली चौथम हाऊस की सभा में श्री गांधीने कहा था

मैं आकड़ों का प्रमाण देकर कह सकता हू कि पचास या सौ वर्ष पूर्व था उसकी तुलना में भारत आज अधिक निरक्षर है। मेरे आकड़ों को कोई गलत सिद्ध करेगा इसका मुझे लेशमात्र भय नहीं है। बर्मा की भी वही स्थिति है। ब्रिटिश प्रशासक जब भारत में आये तब उन्होंने यहा की स्थिति को यथावत् स्वीकार करने के स्थान पर उसका उन्मूलन करना शुरू किया।

उस सभा के वृत्त से ही समझ में आता है कि श्री गांधीने उस समय इस तथ्य को प्रमाणित करनेवाले आकड़े नहीं दिये थे। इसलिये मैंने उनसे पूछा था कि गत पचास वर्षों में भारत में शिक्षा का हास हुआ है यह जो आप कहते हैं उसके लिये कोई प्रमाण देंगे ? उन्होंने कहा पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट और 'यंग इण्डिया' में प्रकाशित लेख उनके प्रमाण हैं।

मैंने तुरन्त ही उन्हें निश्चित सदर्भ देने के लिए लिखा। उन्होंने तुरन्त ही मुझे 'जनसामान्य की शिक्षा का हास' विषयक दौलत राम गुप्ता के ८ दिसम्बर और २९ दिसम्बर के 'यंग इण्डिया' में प्रकाशित दो लेखों की टकित प्रतिलिपि भेज दी। परन्तु इन लेखों में पंजाब बर्मा या पूरे भारत की शिक्षा या साक्षरता विषयक किसी भी प्रकार की सख्यात्मक जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं तो पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट का उल्लेख तक नहीं है। उसमें पंजाब के शिक्षाधिकारी डा जी ख्यल्यू, लिटनर के हिस्ट्री ओव् इडिजीनस एज्युकेशन इन द पंजाब' का सदर्भ अवश्य है जो पूर्वोक्त रिपोर्ट का उल्लेख करता है। परन्तु डा लिटनर की रिपोर्ट ४९ वर्ष पूर्व १८८२ में प्रकाशित हुई थी। उसमें भी साक्षरता के प्रतिशत का कोई उल्लेख नहीं है।

मैंने इस तथ्य की ओर श्री गांधी का ध्यान आकर्षित किया है। अभी स्थिति यह है कि श्री गांधी उनके वक्तव्य की सत्यता सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं दे सके हैं। मुझे यह भी कहना है कि इस बीच हमारा मैत्री पूर्ण पत्राचार हुआ है उसमें और २ दिसम्बर को हमारी प्रत्यक्ष मेंट हुई उसमें उन्होंने वादा किया है कि यदि वे प्रमाण नहीं देते हैं तो अपना वक्तव्य वापस लेंगे। अतः जब तक उनसे निश्चित कुछ



आता नहीं तब तक इस विषय पर आगे कुछ टिप्पणी करना मुलतयी रखना ही ठीक होगा।

आपका विश्वसनीय  
पी जे हार्टोग

५ इन्वरनेस गार्डन्स  
विकारेज गेट डबल्यू. ८  
१४ दिसम्बर १९३१

\*\*\*

श्री एम के गांधी का सर फिलिप हार्टोग को पत्र  
(प्रतिलिपि)

प्रिय मित्र

ब्रिटिश पूर्व भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति विषयक मेरे वक्तव्य के सम्बन्ध में मैंने आपको जो वादा किया था उसे मैं पूरा नहीं कर पाया हू इसलिये क्षमाप्रार्थी हू। परन्तु स्थिति मेरे नियंत्रण में नहीं थी। जैसे ही मैं भारत आया यह काम मैंने श्री मुनशी और अन्य दो शिक्षाविद साथियों को दिया। श्री मुनशी बॉम्बे युनिवर्सिटी सेनेट के सदस्य हैं। परन्तु उनकी भी मेरे ही साथ नागरिक प्रतिरोध के तहत गिरफ्तारी हुई। मैंने श्री मुनशी को आपके साथ सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए कहा था। परन्तु मेरे बाद वे इतनी जल्दी गिरफ्तार किए गए कि आपके साथ पत्राचार करना उनके लिए कठिन हो गया। अब मैंने प्रा शाह को मेरे वक्तव्य की सत्यता जाचने का और जांचका निष्कर्ष आप के पास पहुंचाने का काम दिया है। मैं आपको सत्य का खोजी मानता हू इसलिये या तो मेरे वक्तव्य की सत्यता के प्रमाण देकर और नहीं तो मेरा वक्तव्य वापस लेकर और उसे प्रसिद्धि देकर आपको सन्तुष्ट करने के लिये उत्सुक हू। मैंने इसके लिये जो प्रयास किये हैं उसकी जानकारी आपको देना चाहता था।

मेरे पास आपका निजी पता नहीं है इसलिये यह पत्र मैं इण्डिया ऑफिस के पते पर भेज रहा हू।

वरदहका केन्द्रीय कारावास  
पूणे

विनीत  
एम के गांधी  
१५ फरवरी १९३२

४५ चौपाटी रोड मुंबई ७

२० फरवरी १९३२

प्रिय श्री फिलिप

मुझे महात्मा गांधी से जानकारी मिली है कि वे जब लन्दन में थे तब एक सभा में भाषण में भारत में ब्रिटिशों के आगमन से पूर्व की शिक्षा की स्थिति के विषय में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि शिक्षा का प्रसार वर्तमान में है उससे पूर्व में अधिक था। उन्होंने कहा कि आपने इस वक्तव्य की सत्यता पर आपत्ति उठाई थी और प्रमाण मागे थे। महात्माजी ने 'यंग इण्डिया' के दो लेख आपको भेजे थे परन्तु आपको वह पर्याप्त नहीं लगता है। इसलिए उन्होंने मुझे कुछ स्वीकारयोग्य प्रमाण यदि मिलते हैं तो बूझकर आपको भेजने के लिए कहा है। इसलिये मुझे जो भी सामग्री मिली है उसके आधार पर आपको कुछ प्रमाण भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। आप यदि इसका उत्तर महात्माजी को भेजते हैं तो उसकी प्रतिलिपि मुझे भी भेजने का कष्ट करें।

पहली बात तो यह है कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय के लिए पुरे विश्व के किसी भी देश में आज की तरह निश्चित अधिकृत आकड़ों के रूप में जानकारी मिल ही नहीं सकती है। समय समय पर यदि इस प्रकार की जानकारी इकट्ठी करने का प्रचलन होता भी हो तो भी भारत में उस समय स्थिति इतनी अराजकतापूर्ण थी कि राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करना असंभव था। महान अकबर के मंत्री के अथक प्रयासों से उनके शासन में भारत का जो हिस्सा था उसकी ऐसी 'सूची' बनाई गई थी जिसे आईने अकबरी नाम से जाना जाता है। परन्तु वह ब्रिटिशों के आगमन से इतनी पहले बनी हुई थी कि उसका उल्लेख करने में मैं संकोच का अनुभव कर रहा हूँ। उसका उल्लेख न करने का दूसरा कारण यह है कि अधिकृत अहवालों में अतिशय चिकित्सक बुद्धिवाले पाठकों को हमेशा दोष दिखाई देते हैं। इसलिये इस प्रकार के मामलों में इस समय प्रमाणों के रूप में लोगों के मानस पर जो छाप अंकित होती है उसका विघ्नण बुद्धि से निरीक्षण करनेवाले और उसके आधार पर वैज्ञानिक पद्धति से निष्कर्षतक पहुंचने वाले लोगों के अवलोकनों का ही स्वीकार करना पड़ता है। जो अच्छी स्थिति में नहीं हैं या जिनकी क्षमता नहीं है ऐसे निरीक्षकों के अभिप्राय विश्वसनीय नहीं हो सकते। कम्पनी के चार्टर के १७९३ १८१३ १८३३ और १८५३ के पुनर्नवीकरण के तहत समय समय पर जो ससदीय जाच की गई थी और इस विषय में जो सर्वेक्षण किये गये थे वे भी कुछ जानकारी दे सकते हैं परन्तु उसमें भी अपने ही प्रकार के कुछ दोष हैं जो मैं आगे बताऊँगा। अन्य आधिकारिक जाच अहवाल अथवा मान्य

अधिकारियों के अवलोकनों का उद्देश्य इस घर्घा से सम्बन्धित नहीं था इसलिये उनके शिक्षा विषयक घर्घा या अवलोकनों को प्रासंगिक ही मानना चाहिये। उनका उद्देश्य और प्रयोजन अलग ही थे इसलिये उन्होंने शिक्षा के सम्बन्धमें जो कुछ कहा होगा उसमें सहज रूप से ही दोष देंगे।

इस पत्र का तत्काल प्रयोजन दूसरा है। जिन प्रदेशों में ब्रिटिश शासन लागू हुआ उस समय प्रारम्भ में ही कुछ जाघ की गई। क्या मैं उसका सन्दर्भ दे सकता हूँ ? कीर हार्डी के भारत विषयक ग्रन्थ में जिनका उल्लेख है ऐसे दो महानुभाव मैक्समूलर और इतिहासकार लुडलो का प्रमाण के रूप में उल्लेख करना चाहूंगा। ब्रिटिशों के आगमन के पूर्व के बंगाल की शिक्षा की स्थिति के विषय में सरकारी अभिलेख और मिशनरियों के अहवाल का आधार लेकर मैक्समूलर कहते हैं कि बंगाल में उस समय ८० ००० विद्यालय थे या ४०० की जनसंख्या पर एक विद्यालय था। 'ब्रिटिश भारत का इतिहास' में लुडलो ने कहा है अपना पूर्व स्वरूप जिसने बनाए रखा है ऐसे प्रत्येक गाव में मुझे विश्वास है कि हर बालक लिखना पठना और गिनना जानता है परन्तु जहाँ हमने गाव की व्यवस्था को खदेड़ दिया है वहाँ गाव का विद्यालय भी अदृश्य हो गया है। (बासु, एज्युकेशन इन इण्डिया अण्डर द ईस्ट इण्डिया कम्पनी पृ १८)

सन् १८१८ में पेसाओं का पतन हुआ और मुम्बई ब्रिटिश आधिपत्य में गया। १८१९ की बॉम्बे एज्युकेशन सोसाइटी की रिपोर्ट कहती है 'यूरोपीय देशों की तरह ही यहां सभी को पठना लिखना और हिसाब करना आता है। बाद के ही वर्ष का रिपोर्ट कहता है 'देशी लोगों के लिये विद्यालय होना सहज है ये विद्यालय सर्वत्र हैं। अप्रैल १८२१ में मुम्बई सरकार की एक्जीक्यूटिव काउन्सिल के सदस्य श्री प्रेम्डरगास्ट थाना या पनवेल तेहसील के दो अंग्रेजी विद्यालयों के आवेदन विषयक टिप्पणी में लिखते हैं

इस प्रांतीय सभा का प्रत्येक सदस्य यह जानता है कि इस प्रान्त में कहीं भी ऐसा छोटा या बड़ा गाँव नहीं होगा जहाँ एक भी पाठशाला न हो। बल्कि बड़े गाँवों में तो एक से अधिक पाठशालाएँ हैं और बड़े शहरों में तो प्रत्येक इलाके में पाठशालाएँ हैं। इन पाठशालाओं में वहाँ के निवासियों के बच्चों को लेखन पठन तथा अकनामित की शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा पद्धति भी इतनी सस्ती है कि प्रत्येक माता पिता अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने शिक्षक को प्रतिमास थोड़ा अनाज या एक आध रुपया देकर अपने बच्चे को अध्ययन करवा सकते हैं। इतना ही नहीं यह शिक्षापद्धति इतनी अधिक आसान और प्रभावी है कि यहाँ का कोई भी किसान या छोटा व्यापारी ऐसा नहीं है जो अपना हिसाब ठीक से चौकसाई पूर्वक न लिख सकता

हो। ये लोग तो हमारे देश के इस स्तर के लोगों की अपेक्षा और भी अच्छी तरह से अपने हिसाब रख सकते हैं। जब कि यहाँ के बड़े व्यापारी और सराफ तो हमारे अग्रेज व्यापारियों की तरह और भी सतर्कता से व चौकन्साई से अपने हिसाब रखते हैं।

मैं मद्रास (चैन्नई) की बात बाद में कल्ला और उसके बाद आकड़े दूंगा। यहाँ मैं सरकारी कॉलेज के प्रिन्सिपल डॉ लिटनर के पंजाब की देशी शिक्षा पद्धति के रिपोर्ट की बात कल्ला। उनकी रिपोर्ट उन्होंने करवाये सर्वेक्षण पर आधारित है। १८८२ में इण्डियन एज्युकेशन कमिटी को सरकार के शिक्षा निदेशक ने जो आकड़े दिये थे और देशी विद्यालयों में पढ़े हुए लोगों की जो सख्या थी उनमें आश्चर्यकारक अन्तर था। इसलिये डॉ लिटनर ने सर्वेक्षण करवाया था। रिपोर्ट की प्रस्तावना में डॉ लिटनर लिखते हैं

विद्यार्थियों की सख्या कम से कम गणनानुसार ३ ३० ००० थी जो आज १ ९० ००० रह गई है। इन विद्यार्थियों को शाला में लिखना पठना और गणना सिखाया जाता था। अरबी और सस्कृत महाविद्यालयों में हजारों विद्यार्थी थे जहाँ पौरात्य साहित्य कानून तर्कशास्त्र दर्शन फारसी वैद्यक आदि विषय पढाये जाते थे और उनका स्तर काफी ऊँचा था।

मैं अब आपका ध्यान एक उत्कृष्ट अभिलेख की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वह एक ६५० फोलियो पृष्ठों का अभिलेख है। कमिटी की रिपोर्ट के लिये इण्डियन एज्युकेशन कमिटी के अध्यक्ष डॉ सर विलियम हण्टर ने विशेष वृत्त तैयार किया है। उसमें उन्होंने दर्ज किया है कि डॉ लिटनर ने दिया हुआ १ २० ००० पंजाब की छात्र सख्या का अनुमान कम है। उसमें १५ ००० और जोड़ने की आवश्यकता है। परन्तु सरकारी शिक्षाविभाग ने जो आकड़ा दिया है वह सही आकड़े से ८० ००० कम है। यह इस बात का प्रमाण है कि उन दिनों की आकड़े विषयक सरकारी जानकारी कितनी अधूरी अनिश्चित और अनधिकृत होती थी। लोग इस प्रकार की जानकारी को सहज अविश्वास से ही लेते थे और जहाँ और जिस प्रकार समय होता था सही जानकारी देने के लिये प्रस्तुत ही नहीं होते थे। मैं आकड़ाकीय पुरावों का मूल्य कम नहीं आकता हूँ परन्तु मैं कहने को विवश हूँ कि ये केवल निरूपयोगी ही नहीं तो अनर्थक भी हैं। ब्रिटिश शासन के प्रारम्भिक दौर में जानकारी इकट्ठी करनेवाले अधिकारियों की समीझ और तालीम देखते हुए और उस समय की स्थिति का स्मरण करते हुए मुझे यही कहना पड़ता है।

अब मैं मद्रास (चैन्नई) की बात कल्ला। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना

हुई तब और आज भी साम्राज्य में चौन्नई सभ से अधिक शिक्षित प्रान्त माना जाता है। १० मार्च १८२६ के (कॉमन्स रिपोर्ट १८३२ पृ ५०६) वृत्त में सर टॉमस मनरो दर्ज करते हैं कि जनसंख्या का पुरुषों का ही हिस्सा और ५ से १० वर्ष की आयु के बच्चों को ही गणना में लिया जाए तो (कुल जनसंख्या का एक नवमाश हिस्सा) विद्यालय में पढ़नेवाले बच्चों की संख्या ७ १३ ००० थी। मान्य विद्यालयों की वास्तविक छात्रसंख्या १ ८४ १७० थी जो विद्यालय जानेवाली कुल छात्रसंख्या की एक चौथाई से कुछ अधिक बैठती थी। सर टॉमस मनरो का अभिप्राय था कि सही अनुपात एक तृतीयांश होगा क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा घरों में निजी तौर पर शिक्षा प्राप्त करता था जिसे गिनती में समाविष्ट नहीं किया गया था।

बंगाल में (एडम का रिपोर्ट १९३८) ५ से १४ वर्ष आयु के बच्चों की संख्या ८७ ६२९ थी। इनमें ६ ७८६ मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ते थे जिनका प्रतिशत ७ ७ था। इनमें पुरुष स्त्री बालक बालिका सभी का समावेश होता है जब कि चौन्नई में केवल पुरुषों की संख्या ही मानी गई थी। उस आधार पर यह प्रतिशत आसानी से १५ तक बढ़ेगा। इस गिनती को मानना चाहिये क्योंकि उस समय की स्थिति देखने पर ध्यान में आता है कि मान्यताप्राप्त सार्वजनिक विद्यालयों में बालिकाएँ पढ़ने के लिये नहीं जा सकती थीं। इसके अलावा विद्यालय जाने योग्य आयु के हिसाब से गिनने पर यह प्रतिशत और भी अधिक होगा। इसका कारण यह है कि उस समय अस्पृश्यों को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता था। अस्पृश्यों की संख्या भी कुल जनसंख्या का बड़ा हिस्सा थी। अतः उनको भी छोड़ने पर प्रतिशत बढ़ना स्वाभाविक है।

सन् १८२६ में मुंबई प्रेसीडेन्सी में कुल जनसंख्या ४६ ८९ ७३५ दर्ज हुई थी। विद्यालयों की कुल छात्रसंख्या ३५ १५३ थी। सर टॉमस मनरो के हिसाब से यदि एक नवमाश विद्यालय जाने योग्य बच्चों की संख्या मानी जाए तो वह ५ २० १९० होगी। यह ७ प्रतिशत हुआ। यदि केवल पुरुषों की गणना की जाय तो वह १४ प्रतिशत होगा। सन् १८४१ की प्रेसीडेन्सी के केवल नौ घयनित जिलों के रिपोर्ट में दर्ज संख्या से यह अनुपात बड़ा है।

वर्तमान और एक शतक पूर्व के तुलनात्मक आकड़े उपयोगी रहेंगे। १९२१ में और १०० वर्ष पूर्व के विद्यालय जाने योग्य जनसंख्या के प्रतिशत

	१०० वर्ष पूर्व	१९२१
मद्रास	४२ ५	३३
मुम्बई	४५ १	१४ (कुछ हिस्सों में अधिक २८)
कोलकत्ता	३७ २	१६ ( ३२)

मैंने पहले ही कहा है कि इतने समय पूर्व के आकड़े विश्वसनीय नहीं होते हैं क्योंकि (१) निजी तौर पर पढ़नेवाले छात्रों की संख्या उपलब्ध नहीं है (२) लोगों को जो अन्यायपूर्ण लगता था ऐसा कुछ भी उद्घाटित करना उन्हें ठीक नहीं लगता था (३) इस प्रकार की जानकारी एकत्रित करनेवाले लोग बहुत बुद्धिमान या क्षमतावान नहीं थे (४) जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इस गिनती से बाहर ही रखा गया था इसलिये केवल प्रतिशत कोई उपयोग के नहीं हैं। इस प्रकार की डॉ लिटनर द्वारा प्राप्त की गई जानकारी अधिक विश्वसनीय है और इस क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों की धारणा भी ऐसी ही है। ये लोग भी वे जहाँ काम करते थे वहाँ शिक्षा की स्थिति कैसी है उसकी जानकारी इसी प्रकार से भू राजस्व इकट्ठा करते समय प्राप्त करते थे। उनका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा विषयक जानकारी प्राप्त करना नहीं होता था उससे सर्वथा भिन्न होता था। अतः उनकी जानकारी भी उस समय की स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकती थी।

विनीत

के टी शाह

\*\*\*

५ इन्वरनेस गार्डन्स  
विकारेज गेट लन्दन एबल्यू ८  
९ मार्च १९३२

अेम के गांधी एस्क

यरवडा केन्द्रीय कारावास

पूणे भारत

प्रिय श्री गांधी

आपका १५ फरवरी का पत्र मुझे क्ल प्राप्त हुआ। धन्यवाद। आपका दादा निभाना आपके लिये किन्ताना कठिन है मैं समझ सकता हू। आपके पत्र के साथ ही मुझे प्रा के टी शाह का २० फरवरी का लम्बा पत्र भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने यह पत्र आपको ही भेजा होगा (और आपने मुझे)। उनके पत्र में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे कोई यह निश्चित कर सके कि विगत पचास वर्षों में शिक्षा की स्थिति प्रगति की ओर थी या अवनति की ओर। उसमें साक्षरता का कोई प्रतिशत नहीं है। मैं अभी दूसरे कामों में बहुत व्यस्त हू, परन्तु विगत सौ वर्षों में बंगाल की शिक्षा की स्थिति के विषय में तीन लेखों की सामग्री मैंने सकलित की है। जब ये लेख तैयार हो जायेंगे तब

मैं उनकी प्रति आपको और प्रा के टी शाह को भेज दूंगा। आज भी स्थिति वहीं पर स्थिर है कि आपने गत २० अक्टूबर को चौथम हाऊस में जो कहा था उसको प्रमाणित करने के लिये आपके पास कुछ नहीं है। मेरे लेखों में मैंने जो तथ्य दिये हैं वे आपको विश्वासनीय लगेंगे। प्रा शाह के पत्र के बाद भी उनमें कोई बदल नहीं हुआ है। प्रा शाह को मैंने उत्तर भेजा है उसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूँ। साथ ही रॉयल इन्स्टीट्यूट के जर्नल के जनवरी के अंक में प्रकाशित १४ दिसम्बर के मेरे लेख की प्रति भी भेज रहा हूँ।

शुभेच्छाओं के साथ।

आपका

फिलिप हार्टोग

\*\*\*

५ इन्वरनेस गार्डन्स

लन्दन इबल्यू ८

१० मार्च १९३२

प्रा के टी शाह

४५ चौपाटी रोड

मुम्बई (७)

प्रिय प्रा शाह

आपके २० फरवरी के पत्र और आपने इस विषय में जो परिश्रम किया है उसके लिये धन्यवाद। उसी ढाक में मुझे १५ फरवरी का महात्मा गांधी का पत्र भी मिला है और आपको लिखे इस पत्र की प्रतिलिपि मैं उनको भी भेज रहा हूँ। उनके लिखे पत्र की प्रतिलिपि और जनवरी १४ के 'इण्टरनेशनल अफेअर्स' (रॉयल इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्टरनेशनल अफेअर्स का जर्नल) के जनवरी के अंक में प्रकाशित मेरे लेख की प्रति भी आपको भेज रहा हूँ।

आप जब ये अभिलेख पढ़ेंगे तब आपके ध्यान में आयेगा कि आप के पत्र में मैंने महात्मा गांधी को पूछे हुए प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं है। मैंने उन्हें पूछा था कि गत पचास वर्षों में शिक्षा का हास हुआ है ऐसा कहने के लिये उनके पास क्या प्रमाण है ? आप जिन प्रमाणों को उद्धृत कर रहे हैं वे हैं लिटनर परन्तु उनकी पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ इण्डिजीनस एज्युकेशन इन पंजाब' १८८२ में प्रकाशित हुई थी अर्थात् ५० वर्ष पूर्व। और फिर आप के पत्र में प्रतिशत का तो कहीं पता ही नहीं है।

दूसरी ओर आपको लगता है कि विद्यालयों की सख्या प्रतिशत के लिये मार्गदर्शक सख्या है। मैं इसे स्थापनायिक मानता हू। परन्तु दूसरी ओर जनगणना के अनुसार भारत के विद्यालयों की सख्या साक्षरता की निदर्शक नहीं है। अभी अभी मैं जिसका अध्यक्ष था वह इण्डियन स्टेच्यूटरी कमिशन (भारतीय विधि आयोग) ने निर्देश दिया है कि १९१७ से १७२७ के दस वर्षों में बंगाल में प्राथमिक विद्यालयों की सख्या में ११ ००० की वृद्धि हुई थी और छात्रसख्या ३ ७० ००० जितनी बढ़ी थी जब कि चौथी कक्षा में वह ३० ००० जितनी कम हुई थी। अतः आपके निष्कर्षों का मैं स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि गत १०० वर्षों की बंगाल की शिक्षा की स्थिति के विषय में अभी कोई चर्चा हुई नहीं है।

आप के पत्र का यह केवल प्राथमिक स्वरूप का उत्तर है। मैं आपको और महात्मा गांधी को आगे भी लिखने का विचार कर रहा हू।

विनीत

पी जे हार्टोग

\* \* \*

२० मार्च १९३९

प्रिय श्री गांधी

आपको स्मरण होगा कि सात से भी अधिक वर्ष पूर्व आप जब इन्सैण्ड में गोल मेज परिषद के लिये आये थे तब भारत की शिक्षा की स्थिति के विषय में हमारी मैत्रीपूर्ण चर्चा हुई थी। चर्चा का कारण यह था कि आपने रोयल इन्स्टीट्यूट की सभा में कहा था कि गत ५० या १०० वर्षों में भारत में शिक्षा का हास हुआ था। आपको यह भी स्मरण होगा कि दिसम्बर १९३९ में आपके नार्इट्सब्रिज के निवासस्थान पर मैंने आपकी भेंट की थी। आपने मुझसे वादा किया था कि यदि आपको विश्वास हो जाएगा कि आपके कथन के लिये कोई प्रमाण नहीं है तो आप उसे सार्वजनिक रूप में वापस लेंगे। आपने बाद में यरवडा जेल से भी मुझे इस सम्बन्ध में पत्र लिखा था। मैं हमारे पूर्ण पत्रव्यवहार की फाईल की नकल आप को भेज रहा हू ताकि आपकी जानकारी हो जाए कि आप के अन्तिम १५ फरवरी १९३२ के पत्र और मेरे द्वारा ९ मार्च १९३२ को भेजे गये उसके उत्तर के बाद स्थिति क्या है।

मैं अन्य अति आवश्यक काम में पड़ गया था इसलिये मुझे समय नहीं था। परन्तु आपने तथा प्रा शाह ने जिन जिन अधिकारियों के प्रमाण प्रस्तुत किये थे उन सभी के ग्रन्थों का अध्ययन मैंने अभी अभी पूर्ण किया है और उसके निष्कर्ष तीन



लेखों में शब्दबद्ध किये हैं। उन लेखों को मेरी पुस्तक 'सम आस्पेक्ट्स ऑफ़ इण्डियन एज्युकेशन पास्ट एण्ड प्रेज़न्ट' (Some Aspects of Indian Education Past and Present) में समाविष्ट किया गया है। मैं उसकी प्रति आपकी स्वीकृति की अपेक्षा से आपको भेज रहा हूँ। आप देखेंगे कि उसकी प्रस्तावना में मैंने हमारे विवाद का तो उल्लेख किया ही है साथ में आपकी वर्षा योजना का भी किया है क्योंकि मेरी उसमें गहरी रुचि है। आप यदि सारे लेख पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आयेगा कि तथ्यों का पूरा पूरा विश्लेषण करने पर ऐसा कोई पुरावा नहीं मिलता है जो आपके कथन को प्रमाणित कर सके। इसलिये आपको २० अक्टूबर १९३१ का आपका वक्तव्य वापस लेने में अनौचित्य नहीं लगेगा। आपके १५ फरवरी १९३२ के पत्र में आपने स्पष्ट किया था कि आप और मैं दोनों ही सत्यान्वेषी हैं। मैं मेरी ओर से जोड़ना चाहूँगा कि इसी के साथ हम दोनों भारतीय और ब्रिटिश लोगों के बीच सौहार्द स्थापित करने के मार्ग के अवरोध भी दूर करना चाहते हैं।

शुभेच्छाओं सहित

महत्मा गांधी

आपका आज्ञाकृत

आश्रम

पी हार्टिंग

वर्धा

मध्य प्रान्त भारत

पुनः मैं प्रा के टी शाह को भी मेरी पुस्तक की प्रति भेजना चाहता था परन्तु मेरे पास अभी उनका वर्तमान पता नहीं है। आप मुझे उनके विषय में बताने की कृपा करेंगे ?

पी जे एच

\*\*\*

प्राध्यापक के टी शाह

२ मई १९३९

४५ चौपाटी रोड

मुंबई (७)

प्रिय प्राध्यापक शाह

कुछ सप्ताह पूर्व मैंने ऑक्सफ़र्ड युनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित मेरी पुस्तक 'सम आस्पेक्ट्स ऑफ़ इण्डियन एज्युकेशन पास्ट एण्ड प्रेज़न्ट' (Some Aspects of Indian Education Past and Present) की प्रति भेजी थी। वह आपको

प्राप्त हुई होगी। उसी समय मैं आपको पत्र भी लिखना चाहता था परन्तु आत्यन्तिक व्यस्तता के कारण नहीं लिख सका।

आप देखेंगे कि पुस्तक में इन्स्टीट्यूट ऑफ़ एज्युकेशन में दिये गये पेईन लेक्चर्स नाम से तीन भाषण हैं। उसमें भारतीय शिक्षा की ऐतिहासिक और वास्तविक सामान्य समस्याओं की चर्चा की गई है। साथ ही चौथम हाऊस में महात्मा गांधीने विगत पचास या सौ वर्ष में भारत में शिक्षा की अवनति हुई है ऐसा कहा था उसको प्रमाणित करने के लिये महात्मा गांधी की सूचना से आपने जो पत्र भेजा था और जो तर्क और सध्य प्रस्तुत किये थे उसकी विस्तार से चर्चा करनेवाले तीन आलेख भी हैं।

आपको स्मरण होगा कि आपके पत्र के मेरे १० मार्च १९३२ के उत्तर में मैंने लिखा था कि आपके पत्र में आपने विगत पचास वर्ष के प्रश्न को स्पर्श नहीं किया था इसलिये मैं आपके बगाल की शिक्षा के गत सौ वर्षों के इतिहास विषयक निष्कर्षों का स्वीकार नहीं कर सकता क्यों कि उसके विषय में तो बहुत कुछ कहना शेष है।

मैंने आपको आगे भी लिखने का वादा किया था परन्तु अन्य कामों के बोज के कारण मैं ऐतिहासिक सध्यों की छानबीन करने के लिये समय ही नहीं निकाल सका इसलिये आपको पत्र नहीं लिख सका। वह सारी सामग्री इतनी अधिक थी कि उसके निष्कर्षों का समावेश पत्र में नहीं हो सकता था इसलिये अब उसे पुस्तक में निरूपित किया गया है।

विनीत

फिलिप हार्टोंग

\*\*\*

गोपनीय

सर फिलिप हार्टोंग को महात्मा गांधी के पत्र की प्रतिलिपि (१६ अगस्त १९३९ की डाक की मुहरवाले लिफाफे में भेजी हुई पत्र में लिखा दिनांक पढा नहीं जाता।)

प्रिय श्री फिलिप

सेगाव वर्षा

ब्रिटिश पूर्व भारत के गावों की शिक्षा के विषय की छानबीन के प्रयास मैंने छोड़ नहीं दिये हैं। मैं कुछ शिक्षाविदों के साथ पत्रव्यवहार कर रहा हूँ। जिन्होंने भी मुझे उत्तर भेजे हैं वे मेरे अभिप्राय का समर्थन करते हैं परन्तु आप स्वीकार कर सकें ऐसे प्रमाण नहीं दे सकते हैं। आप उसे मेरा पूर्वाग्रह मानें या पूर्वज्ञान मैं अभी भी मेरे चौथम हाऊस के दक्तरव्य पर टिका हुआ हूँ। मैं 'हरिजन' में हिचकिचाट के साथ नहीं

लिखना चाहता। आप मुझसे केवल इतना ही लिखवाना नहीं चाहेंगे कि मेरे भानस में जो प्रमाण था उसे आपने चुनौती दी थी। मैं आपको मोर्खन रिव्यू के इससे सम्बन्धित एक लेख की प्रति भेज रहा हूँ। आपके पास समय है तो मैं आपके प्रतिभाव जानना चाहूँगा।

किनीत

एम के गाधी

(टिप्पणी श्री गाधी द्वारा भेजी गई लेख की प्रति का मेरे अभिप्राय में भी जे एच के लिये कोई मूल्य नहीं था।)

\* \* \*

महात्मा गाधी

१० सितम्बर १९३९

सेगाव वर्धा

मध्य प्रान्त भारत

प्रिय श्री गाधी

आपके पत्र और मेरी पुस्तक विषयक टिप्पणी के लिये धन्यवाद।

मेरा काम का बोझ कुछ हल्का होते ही मैं इस विषय पर आपको लिखूँगा। परन्तु 'टाईम्स' में प्रकाशित आपकी वायसरॉय के साथ भेंट में आपने इस युद्ध के विषय में जो अभिगम प्रदर्शित किया है उसके लिये आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित किये बिना नहीं रह सकता। मुझे विश्वास है कि इस कार्य में पूरे विश्वभर में अवस्थित मेरे सारे देशवासी भी मेरे साथ ही हैं।

मैं जानता हूँ कि युद्ध के लिये किसी भी रूप में सम्मति प्रदर्शित करनेवाला अभिप्राय देना आपको कितना कठिन लगा होगा। आपके जिलना ही मैं भी युद्ध को धिक्कारता हूँ, परन्तु एक गुण्डे के हाथ से एक बालक को बचाने के लिये एक पुलिस हिंसा का आश्रय लेता है तो उसे उचित ही मानना पड़ेगा। पोलेण्ड की सहायता के लिये ग्रेट ब्रिटेन और फ्रान्स का युद्ध में शामिल होना मैं इसी प्रकार का कार्य मानता हूँ।

शुभेच्छाओं के साथ

आपका अज्ञाकारी

फिलिप हार्टोग

## ९ राजस्व से अनुदान प्राप्त तजावुर के मंदिरों की सूची

क्रमांक ६ कछुली १२२२ में तजावुर के मंदिरों को प्राप्त वार्षिक अनुदान

क्रम	मंदिर का नाम	स्वान	राशि		क्रम	मंदिर का नाम	स्वान	राशि	
			रुपय	पैसे				रुपय	पैसे
१	हुन्नेबर स्वामी	हुन्नेबर स्वामी	१३४९	८	१९	हुन्नेबर स्वामी	सक्रेटा	१३८	५
२	नोबर स्वामी		६६६	६	२०	बाजपुरेबर स्वामी	कर्मलोराई	३३	५
३	सोमैबर स्वामी		१००	६	२१	शिवपुरनाथ स्वामी	शिवपुर	४८	३
४	ईतारिंकेबर स्वामी		१०	६	२२	इसीबर स्वामी	दमकपुर	२४०	३
५	शिवनाथ स्वामी		२२	२	२३	सासक्रेबर स्वामी	साकिकरकपुर	१५७५	३
६	बैतमेबर स्वामी		२२	५	२४	महादिप स्वामी	मुन्नेबनम्	३०००	३
७	पोकरसिम स्वामी		१८	५	२५	बाजपुरेबर स्वामी	गोविन्दपुर	२४०	३
८	काशी शिवनाथ स्वामी		१२५	५	२६	कैक्याभक्तपति स्वामी	गोविन्दपुर	१२०	३
९	अतिमुनेबर स्वामी		१८	५	२७	मन्कनाथ स्वामी	भिनतपुरी	२४०	३
१०	सातपति स्वामी		११२०	२	२८	सक्रेबर स्वामी	करवादि	१८	३
११	कक्यानि स्वामी		७६६	६	२९	कम्पहारैबर स्वामी	त्रिभुम्	१०००	३
१२	सप्तस्वामी		६६६	६	३०	गजानन्द स्वामी	शोपिचिरियपन	२९१	६
१३	श्री नारायण पेरुपल		२७०	६	३१	कैक्याभक्तपति स्वामी		१४४	९
१४	कृष्ण स्वामी		३६	६	३२	यदुखडैनाथ स्वामी	हुडुरोईनुकर	१८	९
१५	हुनुप स्वामी		५०	६	३३	सोमनाथ स्वामी	पुनकरीकुपुर	६	९
१६	अमृतेबर स्वामी		७७	८	३४	रुजयोनाथ स्वामी		९	९
१७	मन्नाथ स्वामी	शिरकल्लथ, नसोर	७७	८	३५	एन स्वामी	अनुवार	५४	९
१८	सखलनाथ स्वामी	नन्दनम्, शिवपुरी	३६	५	३६	गैरनाथ स्वामी	शिरकलीकल	२२६	८

लिखना चाहता। आप मुझसे केवल इतना ही लिखवाना नहीं चाहेंगे कि मेरे मानस में जो प्रमाण था उसे आपने चुनौती दी थी। मैं आपको मोर्डन रिव्यू के इससे सम्बन्धित एक लेख की प्रति भेज रहा हूँ। आपके पास समय है तो मैं आपके प्रतिभाव जानना चाहूँगा।

विनीत

एम के गाधी

(टिप्पणी श्री गाधी द्वारा भेजी गई लेख की प्रति का मेरे अभिप्राय में पी जे एच के लिये कोई मूल्य नहीं था।)

\*\*\*

महारमा गाधी

१० सितम्बर १९३९

सेगाव वर्धा

मध्य प्रान्त भारत

प्रिय श्री गाधी

आपके पत्र और मेरी पुस्तक विषयक टिप्पणी के लिये धन्यवाद।

मेरा काम का बोझ कुछ हल्का होते ही मैं इस विषय पर आपको लिखूँगा। परन्तु 'टाईम्स' में प्रकाशित आपकी वायसरॉय के साथ भेंट में आपने इस युद्ध के विषय में जो अभिगम प्रदर्शित किया है उसके लिये आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित किये बिना नहीं रह सकता। मुझे विश्वास है कि इस कार्य में पूरे विचमर में अवस्थित मेरे सारे देशवासी भी मेरे साथ ही हैं।

मैं जानता हूँ कि युद्ध के लिये किसी भी रूप में सम्मति प्रदर्शित करनेवाला अभिप्राय देना आपको कितना कठिन लगा होगा। आपके जितना ही मैं भी युद्ध को धिक्कारता हूँ, परन्तु एक गुण्डे के हाथ से एक बालक को बचाने के लिये एक पुलिस हिंसा का आश्रय लेता है तो उसे उचित ही मानना पड़ेगा। पोलेण्ड की सहायता के लिये ग्रेट ब्रिटेन और फ्रान्स का युद्ध में शामिल होना मैं इसी प्रकार का कार्य मानता हूँ।

शुभेच्छाओं के साथ

आपका अज्ञाकर्त्री

फिल्लिप हार्टोन

## ९ राजस्व से अनुदान प्राप्त तजावुर के मदिरों की सूची

क्रमांक ६ फरवरी १९२२ में तजावुर के मदिरों को प्राप्त वार्षिक अनुदान

क्रम	मदिर का नाम	स्वान	राशि		क्रम	मदिर का नाम	स्वान	राशि	
			१९४९	४				१९४५	४
१	कुम्होबर स्वामी	मुम्पकोरम्	१३४९	८	१९	कुम्होबर स्वामी	साकेटा	१३८	५
२	नामोबर स्वामी		६६६	६	२०	बालमुरोबर स्वामी	बनकोटा	३३	५
३	सोमोबर स्वामी		१००	६	२१	किन्नुल्लय स्वामी	फिवणुम्	४८	३
४	कैपरीओबर स्वामी		९०	६	२२	परीओबर स्वामी	दानकुम्	२४०	३
५	किन्नाय स्वामी		२२	२	२३	साकेटोबर स्वामी	साकिर-ककुम्	१५४५	३
६	चैटमोबर स्वामी		२२	५	२४	महास्ति स्वामी	मुईरजन्म	३०००	३
७	पेकवस्ति स्वामी		१८	५	२५	बालमुरोबर स्वामी	मोकिन्दुणुम्	२४०	३
८	कमठी किन्नाय स्वामी		१२५	५	२६	कैशटाफलपट्टी स्वामी	मोकिन्दुणुम्	१२०	३
९	अमिमुओबर स्वामी		१८	५	२७	मानकनाथ स्वामी	निनालमुडी	२४०	३
१०	सालंगामि स्वामी		११२०	२	२८	सज्जोबर स्वामी	ककवासि	१८	३
११	पुडयामि स्वामी		७६६	६	२९	कम्पडोरोबर स्वामी	त्रिमुम्	१०००	३
१२	एनस्वामी		६६६	६	३०	गुमानन्द स्वामी	ओम्पित्तिस्वम्	२९१	६
१३	श्री नाययब पेरुमल		२७०	६	३१	कैशटाफलपट्टी स्वामी	कुटुवैट्टिमुम्	१४४	९
१४	कुम्भ स्वामी		३६	६	३२	कुटुवैट्टिनाथ स्वामी	पुम्परीकमुम्	१८	९
१५	कुम्भ स्वामी		५०	६	३३	सोमनाथ स्वामी		६	९
१६	बुम्पुटोबर स्वामी		७७	८	३४	एनकोयल स्वामी		९	९
१७	पन्नाय स्वामी	श्रीकल्याण नमो	७७	८	३५	एन स्वामी	जुटुवार	५४	९
१८	एकवनाथ स्वामी	किन्मुडी	३६	५	३६	वीरनाथ स्वामी	तिरुक्कल्ल	२२६	८

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि	
			३८	५				९	५
३७	मूकनाथ स्वामी	विपिनपुर	३८	५	५९	सिन्हासोदर विमिनार	ककबरन पुरी	५	१६
३८	पुष्पनाथ स्वामी	सिन्हासपुरी	२	५	६०	नूतनपुरी स्वामी	मुंगपडी	३०	५
३९	अमनाथ स्वामी	दुर्गवाडी	३६	५	६१	गामनाथ स्वामी	सिन्हासपुरी	९	२५
४०	केशवनाथ स्वामी	मुठवास्त	१८	५	६२	रामनाथ स्वामी	सिन्हासपुरी	७५	९
४१	शंकर स्वामी	मुठवास्त	३६	५	६३	विष्णुनाथ स्वामी	सिन्हासपुरी	१८	९
४२	गुरुदेव स्वामी	मुठवास्त	४६६	६	६४	कल्याण परनाथ	पुणपुरी	१८	९
४३	मैत्रेय स्वामी	२४०	६	२०	६५	विष्णुनाथ स्वामी	सातमुडी	५	२४
४४	कंकले स्वामी	१२	६	२०	६६	नीलकण्ठ स्वामी	कोकिलवाडी	५	२४
४५	गुणानुभार स्वामी	६	६	२०	६७	कैलासानाथ स्वामी	मुलमंडापुर	५	२४
४६	सतयोज स्वामी	१	५	२०	६८	चम्पूनाथ स्वामी	वाकल	५	२४
४७	बाडी विष्णुदेव स्वामी	४	२	२०	६९	जगन्नाथ स्वामी	मिडलपुर	३	१२
४८	अद्वैत परनाथ	२५	५	२०	७०	वीरनाथ स्वामी	वीरनाथ	३	१२
४९	सोमनाथ स्वामी	विष्णुनाथ	१८	५	७१	पुणुरी स्वामी	पन्थारपुर	६६६	६
५०	कल्याण परनाथ	२८	१	१६	७२	अद्वैत परनाथ	१४४	६	२०
५१	सिन्हास स्वामी	१८	१	१६	७३	शुभनाथ स्वामी	१८	६	२०
५२	सिन्हासनाथ स्वामी	१५	१	१६	७४	सिन्हास स्वामी	१८	६	२०
५३	गुरुदेव स्वामी	१५	१	१६	७५	विष्णुनाथ स्वामी	७	५	२०
५४	केशवनाथ स्वामी	७	५	१६	७६	शुभनाथ स्वामी	३५	६	१६
५५	कल्याण परनाथ	३०	५	१६	७७	कंकले स्वामी	३	६	१६
५६	कल्याण स्वामी	७	५	१६	७८	गुरुदेव स्वामी	२	६	१६
५७	कल्याण परनाथ	७५	५	१६	७९	गुरुदेव स्वामी	१३	५	१६
५८	गुरुदेव स्वामी	७३	५	१६	८०	कैलासानाथ परनाथ	२०	५	१६

क्र.सं.	मंदिर का नाम	स्वान	छात्र		ग्राम	मंदिर का नाम	स्वान	छात्र	
			पुरुष	स्त्री				पुरुष	स्त्री
८१	पारनाथ स्वामी	शिरावाडी	१४९	८	१०३	आधेबर स्वामी	कुंजपुर	२१६	९
८२	शेखरनाथ स्वामी	कोठेवा	६२	१	१०४	कोटकट्टम स्वामी		९०	९
८३	अमृतदेव स्वामी		५	१	१०५	शिवनाथ स्वामी		१८	९
८४	यसनाथदेव स्वामी	किसकट्टूर	५	१	१०६	शिवसेनार स्वामी	त्रिभुवनेश्वर	४७	५
८५	किसकट्टूर पैलास		५	१	१०७	सुन्दरेश्वर स्वामी	नागनाथम्	१२	५
८६	अपस्तीर स्वामी	सेलाकट्टूर	९०	१	१०८	प्रकटनी	कन्देश्वर	१८	५
८७	कैलासपरमि पैलास		१५०	१	१०९	शिवनाथ स्वामी	वाल्पुर	७	२
८८	परमेश्वर स्वामी	परमपुर	६०	१	११०	राजसेनार स्वामी	कुन्दपुर	४	४
८९	सुब्रह्म स्वामी	भोवित्तनाथ सेरी	३	१	१११	कैलासनाथ स्वामी	कोटियासम्	२	४
९०	कैलासपरमि स्वामी	शिरावमनोवार	१२	५	११२	ब्रह्मपुरेश्वर स्वामी	नकवाडी	६	७
९१	अलकन्देश्वर स्वामी	शिरावनेत्तल	५३३	३	११३	कैलासनाथ स्वामी		२	१
९२	साहिबुद्दिनाथ स्वामी	सेमनापुर	१४	३	११४	शिवनाथ स्वामी	अन्नकुडी	१०७	५
९३	पंकजेश्वर स्वामी	मानकुडी	३०	३	११५	गंगुरेश्वर स्वामी	शिरावनेत्तमियम्	२	१
९४	प्रमवादानाथ स्वामी	प्रमवादानम्	२२०	३	११६	कमरस्वामी	रामेश्वरपुरम्	४८०	५
९५	वाटगुरेश्वर स्वामी	विकल्पनाथ	९	३	११७	बुद्धेश्वर स्वामी	दावणी	१९	१
९६	आक्यनाथ स्वामी	भियावडेरी	९०	३	११८	सोटेकेश्वर स्वामी	मैनासील	१	१
९७	स्वर्नारायण स्वामी	सुरिसरकोशिल	२२८	६	११९	सुन्दरेश्वर स्वामी	देवस्वान वाटगुर	२६६	५
९८	कन्दकेश्वर स्वामी		९	६	१२०	कैलासपरमि स्वामी	सेतकम्	१८	५
९९	त्रिपुराथ पैलास	त्रिपुराथ पैलास कोटि-	३	९	१२१	कैलासनाथ स्वामी		९७	५
१००	कन्निरेश्वर स्वामी	अपूर	३०	९	१२२	कैलासपरमि स्वामी		१३	५
१०१	कैलासपरमेश्वर स्वामी		५०	९	१२३	नागनाथेश्वर स्वामी	मानमवाडी	९	५
१०२	याररुथ पैलास		५८	९	१२४	सुन्दरुथ पैलास	कलवणवाडी	१०६	६



क्र.सं.	भंडिर का नाम	स्थान	एकड़		क्र.सं.	भंडिर का नाम	स्थान	एकड़	
			एकड़	सेंटी				एकड़	सेंटी
१२५	उमरवासी	कलान्	४८	२०	१४७	पाजोरा शिकाराब स्वामी	मवासरु	१८	८
१२६	कनकदेवपुर स्वामी	कनकदेवपुर	३६	२०	१४८	होराकपुर	कनकपुर	१००	८
१२७	कृष्णवासी	त्रिविध	२४	२०	१४९	वाल्दराज पेरुपडा	"	४०	८
१२८	खालराब स्वामी		३००	५	१५०	सीमन्तराज स्वामी	सीमन्तपुर कोठिन	१४	१६
१२९	श्रीनाथ स्वामी	शिवशिवपुर	३६	५	१५१	अधिर स्वामी	केसरपुर	४०	१६
१३०	कालराज पेरुपडा	"	३३	२	१५२	सीमन्तनाथ स्वामी	सीमन्तनाथ देवार	४	१६
१३१	श्रीनाथनाथ स्वामी	श्रीमन्तनाथ कुटी	८	१६	१५३	सिस्टेजर स्वामी	कपुर	१५०	१६
१३२	उद्यान पेरुपडा	नुरियपुर कोठिन	३७	९	१५४	गार्सिदेव ईबर	मडुपुर	३६	१६
१३३	उद्यान स्वामी	अलमुमी	३३	२	१५५	आयन ईबर	अलमुपुट	४	१६
१३४	दुनोरा स्वामी	शिवशिवपुर	४	५	१५६	सुडुपडा	पनपुर	७५	१६
१३५	कैलासनाथ स्वामी	दोष	१४	४	१५७	कटोबर	देवास्वाम परेवारी	३०	१६
१३६	जमुपडा स्वामी	कपुर	१४	९	१५८	उमरवासी	शिवशिवपुर	७५	१६
१३७	शिवराज स्वामी	शिवशिवपुर	३६	९	१५९	कोलेबर	शिवशिवपुर	१८	१६
१३८	पाजोरा स्वामी	कनका मंथल	३३	९	१६०	गोपालनाथ स्वामी	शिवशिवपुर	१८	१६
१३९	वाल्दराज पेरुपडा		४	९	१६१	वेणुदराज पुरेबर	कोलेपम पेडा	२	१६
१४०	वाल्दराज स्वामी	आपुर	१८	९	१६२	कालराज पेरुपडा	"	७	१६
१४१	अधिनदी स्वामी	कडुपुर	९	६	१६३	पाननाथ स्वामी	शिवशिवपुर	८३३	२०
१४२	पनोरा स्वामी	कपुर	१८	६	१६४	राम स्वामी	"	२४०	२०
१४३	मुनेरा स्वामी	शिवशिवपुर	३३	२	१६५	ठाकडीबा देवानाथ	"	२९	१६
१४४	जमुपडा स्वामी	अनवर कोठिन	५६	९	१६६	सुन्देबर	पानोराकोठिन	११	४
१४५	वाल्दराज स्वामी	मवासरु	१७२५	९	१६७	सीमन्तदेवर	कपुर	३२	४
१४६	सुडुपडा स्वामी		५३५	६	१६८	सुन्देबर	पानोराकोठिन	१०	४

क्र.सं.	मदिर का नाम	स्वांग	राशि	क्र.सं.	मदिर का नाम	स्वांग	राशि
१६९	सतपुरीबर	करोम कापडुन पाटा	२२	१९१	नगानन्द स्वामी	नामकमन कोठिराट्ट	२८
१७०	वाटनेबर	कागार कोठिस	२५०	१९२	केल्मा देवी	मुदिच्छ नामूर	७
१७१	कैलासनाथेबर	सोस्साककनेमूर	२	१९३	सूरारोबर	सेन्कर कोठिराट्ट	७
१७२	नमनाथेबर	पेणकोठी	१७	१९४	कुमारस्वामी	मल्लरपुरम्	३
१७३	कैलासनाथेबर	कन्टन्युन	१२०	१९५	शिष्टेबर	पाठोबर	७
१७४	मूर्तिकुण्ठेबर	निर्मलम् कोठिराट्ट	२१	१९६	अनीबर	गुणाम	५
१७५	सोय किलोस्नाथेबर	मन्कोठी	५	१९७	मुनीबर	एलप्योर	५
१७६	ठाण्णेबर	सोत्सपाटा	१२	१९८	कस्तुरी कंज पेरुनाल	पेरुनाल कोठिराट्ट	२६
१७७	अतनिनाथेबर		१८	१९९	सोत्साय स्वामी	कुनुमोड कुठी	३
१७८	मीन्थिरास पेरुनाल		४	२००	अमूर्कटेबर	त्रिकाट्टमूर	११५७
१७९	मुदनेबर स्वामी	शिरुक्कल कोठिराट्ट	३४	२०१	अमूर्कप्रय्यम पेरुनाल	प्रालकुट्टी	३८
१८०	मुदनेबर स्वामी	शिरुनेबर	१२	२०२	स्वम्पुम्पुम स्वामी	कुट्टन कुठी	८
१८१	नाम्पानेबर	शिरुक्कलकोठी	९०	२०३	करदराज पेरुनाल	अलोशिमिपय्य	९
१८२	कैलासनाथेबर	मुला कुठी	२	२०४	शिक्काथेबर	अवनमुदी	१
१८३	करदराज पेरुनाल		२	२०५	एलीबर		६०
१८४	शिष्टेबर	कुल्ल कोठिराट्ट	९०	२०६	केसव पेरुनाल	विजलपूर	४
१८५	मुनीबर	कल्ले	१५	२०७	त्रिमळ नाथेबर		२९६
१८६	अय्यकका ईबर	अमेयूर	६०	२०८	अस्तोबर स्वामी	मामुडी कुठी	२७
१८७	कुट्टुमुल्ल ईबर	ठासनाथ	६०	२०९	मामतीबर	किल्पूर	९
१८८	कैलासनाथेबर	कडान्थयार	७	२१०	शिरुमुलाथेबर	सायामोस्तिपूर	२४०
१८९	कैलासनाथे स्वामी		७	२११	श्रीपाण्णुड पेरुनाल		१८८
१९०	पनुवालायम स्वामी	शिरुक्कामूर	१८०	२१२	पास्करदेबर		१

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	पट्टि	क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	पट्टि
२१३	शंकरसम्भवेष्टर	वैरासराष्ट्रमंडलमुंठी	१५	२३५	कनकचोष्टर	कटुमनासुरोष्टर	१४
२१४	नीलमण्डलोष्टर	मुननामोसु	४	२३६	बलमण्डुर पेलनास		३
२१५	करीष्टर	किरिष्टोसु	५	२३७	पानसाकेर ईष्टर	कोमण्डना	८
२१६	गुण्डोष्टर	कोरिसि कन्वन्तमुंठी	२४	२३८	रामस्वामी	कोष्टरसुम	४
२१७	नामदोष्टर	मलासुंठी	५	२३९	अवधोष्टर	शिलमण्डु गुरी	९
२१८	अमृतिष्टर	वालेयो	८	२४०	शंभुदेष्टर	सुल्ल कुम्भम	४१६
२१९	शिवलोकाष्टर	कुडुगामी	९	२४१	शिवमण्ड स्वामी	सुल्ल कुम्भम	२५
२२०	अष्टिलोष्टर	पालोसु	८	२४२	वालेयोष्टर	शिलमण्डुगण्ड	८२
२२१	बासुरोष्टर	पेलमण्डुकोरिसि	२	२४३	स्वामण्डुचोष्टर	मर्षिकण्ड	९
२२२	शिवुण्ड पेलनास	कोसा मन्दीर मुंठी	५	२४४	पुरुष्टोष्टर	मनासुर	२०
२२३	ब्रह्मरोष्टर	अम्बुल	१५	२४५	उदुरोष्टर	कण्डुदर ईलस कोरिसिष्टर	९०
२२४	शिवुण्ड पेलनास	"	१८	२४६	अर्बन पेलनास	पालना कोरिसिष्टर पुष्ट	८५
२२५	मण्डलोष्टर	कोरिसिलोसाम्	५	२४७	शंभुलकण्ड पेलनास	कलमण्ड	१८
२२६	दीपिरण पेलनास	शिविष्टरसु	५	२४८	कोष्टर	शिवमण्डम	३६
२२७	अष्टीष्टर स्वामी	शिवुण्ड	५	२४९	शिवोष्टर	मण्डमुंठी	९०
२२८	उदरकरी ईष्टर	विभिसिन कटेन मुंठी	३	२५०	करीष्टर		३६
२२९	लसनास स्वामी	पानदण्ड मुंठी	२०	२५१	अवधोष्टर	मण्डकण्डसु	३६
२३०	शिवमण्डु ईष्टर	गामण्डु	४	२५२	सुदुगचोष्टर	ईलमण्ड	११५३
२३१	सोमण्डोष्टर	कन्वाण्ड	३	२५३	गणेश	सन्वण्डु	१
२३२	कण्डोष्टर	शिलमण्ड	१३३	२५४	कलमण्डे नदोष्टर	शिलमण्डु	१
२३३	मुसण्डोष्टर	शिवमण्ड	३०	२५५	वालेयोष्टर	कोरिसिष्टमण्ड	२
२३४	अमण्डोष्टर	अमण्डोष्टर	२	२५६	लसणीपण्डम पेलनास	कोमुण्डसु	३

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि	
			२	५				५	८
२५७	तेल्ल भेटेबर	तेल्ल कुडी	२	८	२७९	शिल्पोन्मिल्लपुर	मानेभरम	५	८
२५८	केरलसनाथेबर	कटिकेकेकेरल थिं कळी	६	८	२८०	विपुनाथनाथ स्वामी	वपुर	४०५०	८
२५९	मुनुवाडीबर	ननासंगार	१	८	२८१	पारवळेबर	पकुसुला	४	८
२६०	विक्काथेबर	वायपुर	१	८	२८२	एकनाथ स्वामी	योनैबरम	६	८
२६१	लक्ष्मीनारायण परेम्बल		२	८	२८३	ब्रह्मपुरेबर	कुन्डूर	३	८
२६२	केलासनाथेबर	सिथिया कुडी	२	८	२८४	सम्पीबर	वेमन्डेमेर	१५	८
२६३	यदुल्ल परेम्बल	सिथिया कुडी	१	८	२८५	कत्ताल्लुदियार ईबर	कोरोथान कुडी	४	८
२६४	सुन्दरेबर स्वामी	विमलंठी	२२५	८	२८६	कृष्णस्वामी	मोटदूर	३	८
२६५	अपसठ्य ईबर	संमन	३	८	२८७	लक्ष्मीनारायण परेम्बल	कजनापुर	२	८
२६६	शिल्पानुदियार ईबर	पुटवे	५०	८	२८८	कठुनोदेबर	कडिनापुर	१८	८
२६७	वटपुरेबर	वटवन्दन कुडी	१	८	२८९	पेल्लेबर	१	१	८
२६८	मळार पालेबर	केवट्यासार कोविल पुट	३	८	२९०	स्वयुक्ताथ स्वामी	त्रेक्कल	१६२८	१६
२६९	वायपुरेबर	कोविल त्रिकोक्क	७	८	२९१	अत्थेबर स्वामी	शिल्पककुपवी	५	१६
२७०	यल्लददथेबर	कैन्सरोथ केरलामपुर	९	८	२९२	रामस्वामी	६	१	१६
२७१	के रेणस्वामी	तामरलोविल	२२०	८	२९३	योगल्लस्वामी	कळतम बाडी	२१	१६
२७२	रामस्वामी		८०	८	२९४	पारल्लवट्ट परेम्बल	प्रार्थस्वामी	१२	१६
२७३	अत्थेबर	अत्थेचरी	९	८	२९५	नरसिंह परेम्बल	ममथय	३५	१६
२७४	कुम्भनिरथथेबर	मात त्रिकोक्क	९	८	२९६	फरिक्क	परिचोदन	१२	१६
२७५	पट्टनेबर	पट्टकन्नूर	१८	८	२९७	आदिक्क परेम्बल	पेसोटीकुम	७	१६
२७६	एननाथ स्वामी	वादरम	११२	८	२९८	छाव्वाणेबर परेम्बल	छाव्वाकनम्	५०	१६
२७७	मग पालेबर	आपर कोविल	९	८	२९९	पाळ्ळनेबर	मळसूर	१२	१६
२७८	शिल्पोन्मिल्लपुरेबर	निंगुर	१२५	८	३००	कुम्भरस्वामी	४	५	१६

क्र.सं.	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		क्र.सं.	मंदिर का नाम	स्थान	राशि	
			व	१६				व	१६
309	शिवरामसुम स्वामी	भरतपुर	४	१६	323	गणपति देवमाला	किसकडवा	५	१६
302	शुद्धि अम्बा स्वामी	"	२	१६	324	शिवमहादेव	भिमनेरी	५	१६
303	राजमहादेव देवमाला	"	६	१६	325	महादेव देवमाला	सेतलसैल पार्वी	५	१६
304	राजमहादेव	"	३	१६	326	राजमहादेव स्वामी	भिरुतुलस	२	१६
305	अमावसीदेव	किसकडवा	३	१६	328	महादेव देवमाला	कोटपुर	५	१६
306	राजमहादेव	"	२	१६	327	महादेव देवमाला	मुसकडवा	५	१६
308	राजमहादेव देवमाला	"	१	१६	329	राजमहादेव	शिवमहादेव	५	३०
307	श्री कालदेव	मुसकडवा कंडीरपुर	१०	१६	330	अमावसीदेव	शिवमहादेव	५	३०
309	शिवमहादेव देवमाला	भरतपुर पार्वी	२५	१६	331	राजमहादेव	शिवमहादेव	५	३०
310	महादेव	मुसकडवा	१५	१६	332	राजमहादेव स्वामी	"	५	३०
311	राजमहादेव स्वामी	किसकडवा	६२	१६	333	अमावसी	पारमारी	५	३०
312	पुरुषोत्तम स्वामी	"	१६२	१६	334	शिवमहादेव स्वामी	शिवमहादेव कंडीरपुरी	५	३०
313	महादेव देवमाला	"	०५	१६	335	राजमहादेव देवमाला	"	५	३०
314	असिक्तदेव स्वामी	"	२४	१६	336	महादेव	भरतपुर	५	३०
315	राजमहादेव देवमाला	"	२५	१६	338	राजमहादेव	भरतपुर	५	३०
316	राजमहादेव देवमाला	"	१०	१६	337	राजमहादेव स्वामी	प्रकृतमाला	५	६
318	मुसकडवा देवमाला	"	३०	१६	339	राजमहादेव स्वामी	पारमारी	५	१०
317	महादेव	"	८	१६	340	शिवमहादेव स्वामी	राजमहादेव	५	१०
319	शिवमहादेव	"	३	१६	341	शिवमहादेव स्वामी	शिवमहादेव	५	१०
320	पुरुषोत्तम स्वामी	भरतपुर	६	१६	342	राजमहादेव देवमाला	भरतपुर	५	१०
321	राजमहादेव स्वामी	शिवमहादेव कंडीरपुर पार्वी	१८	१६	343	शिवमहादेव स्वामी	शिवमहादेव	५	१०
322	अमावसीदेव	पारमारी	०८	१६	344	अमावसीदेव	भरतपुर	५	१०

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	एकित		ग्राम	मंदिर का पास	स्थान	एकित	ग्राम	मंदिर का पास	स्थान	एकित	
			३	६								४	५
३४५	कच्छोबर	कच्छोमल्ली	३	१७	३५७	वाकुराय स्वामी	मन्नार मुढी	५	१०				
३४६	वीरनाथ स्वामी	कुरुकोटोर	१२	१७	३६८	जयसंकटनाथ स्वामी	सिम्नार कोठिन	१२०	१०				
३४७	पुण्ड्र परम्पल		८	१७	३६९	नागनाथ स्वामी	पापन्दी	१२०	१०				
३४८	ठाडनोबर	नसुमपुण्ड्र	२४	१७	३७०	कैलासनाथ स्वामी	कैलासनाथ कोठिन	३५	१०				
३४९	पोडोबर	कैलासमुढी	२०	१७	३७१	सोमनाथ स्वामी	सम्पत्तम	१	२				
३५०	मुट्टीबर	गुरियार	२८	१७	३७२	सरसोतीवार स्वामी	त्रिविक्रमुण्ड्र	६	२				
३५१	रत्नपुरोबर	कोठिनपुण्ड्रसतूर	३६	१७	३७३	अजान्तनाथ स्वामी	अजान्तनाथ कोठिन	३०	२				
३५२	गुप्तनाथ स्वामी	कल्लनमुढी	१६	१७	३७४	केशव उम्बैयार	सरसंपत्तम्	५	२				
३५३	शिद्धोबर	सैतूर	१२०	१७	३७५	पुनुरल कानूरोबर	पुनुरूर	१४०	२				
३५४	एजकोपल स्वामी		६०	१७	३७६	कालरुव परम्पल	नरसिम्पत्तम्	१०४	२				
३५५	ठाडनोबर	नट्टनथोळ	३६	१७	३७७	करल शिर्षियार	तोमी	६	८				
३५६	कैलासनाथ स्वामी	पोरम्पत्तुण	१८	१७	३७८	एम्पनाथ स्वामी	कैलासनाथ स्वामी	३	८				
३५७	बाडरुडोबर	परम्पनायण	६०	१७	३७९	अम्पत्तीबर	कैलासनाथ स्वामी	३	८				
३५८	नरनाथ स्वामी	कासुमुढी	३६	१७	३८०	कैलासनाथ स्वामी	कैलासनाथ स्वामी	२	२				
३५९	कालरुव परम्पल	कालमुढी	१२	१७	३८१	विडनाथ स्वामी	कैलासनाथ स्वामी	३	७				
३६०	शिरो मंजस्र	त्रिकेष्टमुढी	३६	१७	३८२	कालरुव स्वामी	कैलासनाथ स्वामी	३	७				
३६१	सैदानाथ स्वामी	पोळम	६	१७	३८३	कनकपुराब स्वामी	सिम्पकोटनारूर	३	८				
३६२	पुननाथ स्वामी	सिम्पकोटनारूर	१२५	१७	३८४	अम्पकोरोबर स्वामी	सुम्पल	१८	१				
३६३	कालरुव परम्पल		१०	१७	३८५	एम्पत्तानी	एम्पत्तुण्ड्र	१५	१				
३६४	एजकोपल स्वामी	मन्नार मुढी	३३१३	१०	३८६	रत्नपुरोबर स्वामी	नट्टन मुढी	६	२				
३६५	कुनरोबर परिय्यार		४	१०	३८७	अजान्तनाथ स्वामी	अजान्तनाथ कोठिन	५	७				
३६६	नीलसंकोबर		४	१०	३८८	अम्पत्तीबर स्वामी	अम्पत्तुण्ड्र कोठिन	४	७				

क्र.सं.	पंडित का नाम	स्वान	प्राप्ति		ग्राम	पंडित का नाम	स्वान	प्राप्ति	
			५	१६				५	१६
३८९	समसेनरावण स्वामी	असावदन बोगिन	५	१६	४११	शिवराय स्वामी	शिवार	३	१६
३९०	शिवराय स्वामी	अठरापे	७	१६	४१२	श्रीबेब स्वामी	"	१८	१६
३९१	समीनरावण देवराज	मुमुय	९	१६	४१३	शिवराय स्वामी	केरा	१८	१६
३९२	सरदार देवराज	श्रीदेवी	३	१६	४१४	शिवराय स्वामी	"	१८	१६
३९३	शिवराय स्वामी	मुदलपुरी	३	१६	४१५	शुभाशय स्वामी	"	६	१६
३९४	शुभाशय स्वामी	बोदिलपुरी	६	१६	४१६	शिवराय स्वामी	०००	९	१६
३९५	शिवराय स्वामी	शिवराय बोगिन	५	१६	४१७	देवीपु मिनिया	०००	३	१६
३९६	सोमनेब स्वामी	पुपसर	२	१६	४१८	सुकेनार स्वामी		२७	१६
३९७	पेराय स्वामी	सोरापुर	३०	१६	४१९	शिवराय स्वामी		३	१६
३९८	देवराय स्वामी		१५	१६	४२०	प्रदाय शिवराय स्वामी		३	१६
३९९	राज श्रीरामेब स्वामी	पेरापुर	३६०	१६	४२१	वायडी कलासाय स्वामी		१८०	१६
४००	देवराय स्वामी	पेरापुर	३६०	१६	४२२	शिवराय स्वामी	रामया	२८८	१६
४०१	देवराय स्वामी	केय	५	१६	४२३	रामस्वामी	रामया	२५२	१६
४०२	देवराय स्वामी	एलापुर मुदी	१८	१६	४२४	असुकेब स्वामी	मदन पदा	१२	१६
४०३	राजराय स्वामी	शिवार	५०५०	१६	४२५	रामेश	शिवपुर	१८०	१६
४०४	कन्दराय	"	२६	१६	४२६	शिवराय स्वामी		६	१६
४०५	परिवृत्तेश्वर	"	१८	१६	४२७	अनपु मिनिया		१	१६
४०६	श्रीरामेश्वर	"	३०	१६	४२८	कपालेश्वर	"	१	१६
४०७	कनूर प्रदीेश्वर	"	६	१६	४२९	शिवेश्वर	शिवपुर	६	१६
४०८	शिवशिवेश्वर	"	२०	१६	४३०	किसलपेश्वर स्वामी	पुलन कोडी	१२	१६
४०९	कनराय रामन	"	१२	१६	४३१	रामेश्वर देवराज	रामराय पुल	६	१६
४१०	मदनरायेश्वर	"	९	१६	४३२	कलीराम स्वामी	कलीराम	५४	१६

क्र.सं.	मंदिर का नाम	स्वान	प्राप्ति		स्वान	मंदिर का नाम	क्र.सं.	प्राप्ति	स्वान	प्राप्ति
			१२	१६						
४३३	अनसूयी स्वामी	मामुडी	१२	१६	४५५	नागेश्वर स्वामी	४	१६	४५५	५
४३४	कैलासनाथ स्वामी	मुकुडी	१	१६	४५६	सात्याथ स्वामी	१	१६	४५६	५
४३५	वसुदेव परमात्म		१	१६	४५७	कल्यासनाथ स्वामी	१	१६	४५७	७
४३६	रामनाथ स्वामी	रामलिंग कोठिल	१८	१६	४५८	नाथपुरेश्वर स्वामी	१८	१६	४५८	७
४३७	भैरवोपाल स्वामी	मकानपुरम्	१८०	१६	४५९	शिवनाथ स्वामी	१८०	१६	४५९	७
४३८	रामस्वामी		२७	१६	४६०	सुन्दरेश्वर स्वामी	२७	१६	४६०	७
४३९	रुद्रकटीक स्वामी	रुद्रकोटि	१८०	१६	४६१	सुन्दरेश्वर स्वामी	१८०	१६	४६१	७
४४०	पानचौडी व्याघ्रेश्वर	वटखल	३६	१६	४६२	रुद्रेश्वर स्वामी	३६	१६	४६२	७
४४१	शिवनाथ स्वामी	कलेसर	३६	१६	४६३	रामोपाल स्वामी	३६	१६	४६३	७
४४२	ब्रह्मेश्वर स्वामी	पशिमामन्	३६	१६	४६४	रामनारायण परमात्म	३६	१६	४६४	७
४४३	शिवनाथ स्वामी	चातुर्भुजम्	१२	१६	४६५	रामनारायण परमात्म	१२	१६	४६५	७
४४४	सुब्रह्मण्य स्वामी	दानपुरम्	४	१६	४६६	कलाकेश्वर स्वामी	४	१६	४६६	७
४४५	कैलासनाथ स्वामी	माले मन्त्रम्	६	१६	४६७	श्रीकृष्ण स्वामी	६	१६	४६७	७
४४६	कैलासनाथ स्वामी	पुरेश्वर स्वामी	६	१६	४६८	कोटीश्वर	६	१६	४६८	७
४४७	ओदकेश	रुद्रकेशवाडी	६	१६	४६९	सुब्रह्मण्य स्वामी	६	१६	४६९	७
४४८	शकेश्वर स्वामी	शारुकेडी	६	१६	४७०	वृदाचेश्वर स्वामी	६	१६	४७०	७
४४९	पौत्रेश्वर स्वामी	पोदोपुर	८	१६	४७१	नामनाथ स्वामी	८	१६	४७१	२
४५०	वसुदेव परमात्म		१	१६	४७२	ब्रह्मेश्वर स्वामी	१	१६	४७२	२
४५१	भक्तेश्वर स्वामी	त्रिमपुरम्	१	१६	४७३	नागेश्वर स्वामी	१	१६	४७३	६
४५२	सौन्दर्य स्वामी	मस्योर	६	१६	४७४	कैलासनाथ स्वामी	६	१६	४७४	६
४५३	शिवनाथ स्वामी	कुम्हार	३	१६	४७५	कैलासनाथ स्वामी	३	१६	४७५	६
४५४	सोमनाथ स्वामी	नुकुराडी	१५	१६	४७६	पद्मकेश्वर स्वामी	१५	१६	४७६	२



क्रम	नरिह का नाम	स्वाम	एषि		ग्राम	नरिह का नाम	स्वाम	एषि	ग्राम	नरिह का नाम	स्वाम	एषि
			१८	२								
४४७	मुन्देरेबर स्वामी	कुवा	१८	२	४४९	मुम्बाम्बेबर स्वामी	केसव मेल्पुर	५	२०			
४४८	धर्मपुर स्वामी	ककाम्बम्	१०	२	५००	पानुपुटेबर स्वामी	विजयपुरस्वाम	५	२०	१८०		
४४९	दरदर स्वामी	दरदरपुर मेधरे	६	२	५०१	कुटुम्बाम्बे स्वामी	केसवमिन्कराष्टुर	५	२०	१८		
४८०	अम्बुकेबर स्वामी	पेपाटा	९	२	५०२	मुन्देरेबर स्वामी	विनामिबर	५	२०	१८		
४८१	कुंठ अण्णव पेरुम्बल	"	३	२	५०३	रामस्वामी	मुद्रिकेम्बाम्बल	५	२०	२५		
४८२	अम्बुकेबर	मम्बल	३	२	५०४	आम्बुकेरे स्वामी	रुद्रकम्ब	५	२०	१८		
४८३	सम्बुकेबर	रम्बुकेबर	३	२	५०५	दरदर पेरुम्बल	पन्थोदुम्ब	५	२०	४		
४८४	अम्बुकेबर	टीरन्मुडी	३	६	५०६	अम्बुकेबर स्वामी		५	२०	४		
४८५	ईसात्मन्व स्वामी	पारम्बुके	१०	५	५०७	यट्टुरेबर स्वामी	मिन्न मंथल	५	२०	३		
४८६	पेरिमास्वाम स्वामी	"	१	५	५०८	मणुकेनेबर स्वामी	नकिराम्बेळित्तपु	५	२०	६		
४८७	मन्दिरेबर स्वामी	कुस्वाम्बल कु	६	५	५०९	कैरुत्तम्ब स्वामी	मणित्त कुम्प	५	२०	३		
४८८	नीरम्बे पेरुम्बल	मम्बुके	९	५	५१०	राम्मुनाम्ब स्वामी	कम्पु	५	२०	६		
४८९	मुन्देरेबर	नरम्बेळ मम्बल	९	५	५११	श्रीरिक्क पेरुम्बल		५	२०	६		
४९०	रामेनाम्ब स्वामी	अम्बेळ मम्बल	१२	५	५१२	अम्बुकेबर	मेसम्बुन क्कम्बुम्बुडी	५	२०	१२		
४९१	गोपीनाम्ब स्वामी	गोपम्बिळ	६	२०	५१३	विक्कम्ब स्वामी	यट्टामी	५	२०	१२		
४९२	कदरुळ कुम्बल	गोपम्बिळ	१८	५	५१४	विक्कम्बुटेबर स्वामी	विनाम्बु पौआ	५	२०	६		
४९३	अम्बुकेबर स्वामी	उदियम्ब	३	५	५१५	विट्टेबर स्वामी	विट्टुडी	५	२०	१८		
४९४	मुन्देरेबर	केरम्पु	६	५	५१६	कल्लम्बेबर स्वामी	पेरिक्कम्ब मंथलम्	५	२०	३		
४९५	कैलात्मन्व स्वामी	कदम्बळी	५	५	५१७	कल्लम्बेबर स्वामी	पौवाक्क कुम्बे	५	२०	४		
४९६	कैलात्मन्व स्वामी	कैरिम्बुपुर	३	५	५१८	अम्बुकेबर	विक्कम्बुपुर	५	२०	४		
४९७	कैलात्मन्व स्वामी	अम्बुके	६	५	५१९	मानम्ब स्वामी	कैलात्मन्व	५	२०	६		
४९८	पेरिमास्वामी	संम्बुपुर	६	५	५२०	कैरुत्तम्ब स्वामी	"	५	२०	६		

क्रम	मदिर का नाम	स्वामन	पारि		क्रम	मदिर का नाम	स्वामन	पारि	
			१	४				१	४
५२१	विष्णुनाथ स्वामी	त्रिवेणन मुढी	१	२०	५४३	कलाहलीबर	स्वामन	१	२०
५२२	वसुदेव पेरुवाल	कठनन मुढी	३	२०	५४४	सुन्दरोबर	नीलमोला	१	२०
५२३	शिवलोकनाथ स्वामी	त्रिवेणन मंगलसू	६	२०	५४५	अल्लालोबर स्वामी	मनसोदरनाथ	१	२०
५२४	काया ईबर	कठकेन	११०	२०	५४६	मदलिनोबर स्वामी	विश्वेश्वरनाथ	१	२०
५२५	वसुदेव पेरुवाल	कोलनाथ	१८	२०	५४७	वसुदेवोबर स्वामी	साधुन	५८	१६
५२६	सुन्दरोबर स्वामी		१८	२०	५४८	सुनध स्वामी	आदिराम	२५	१६
५२७	दासलीबर स्वामी	शिवलोकनाथ	३६	२०	५४९	असनाथ स्वामी	दोसकपटना	३	१६
५२८	नाथनाथ स्वामी	पानोकरकडुल्लूर	३	२०	५५०	करबोडोबर स्वामी	मकुपुन	१	१६
५२९	सुन्दरोबर स्वामी	पांनल	२	२०	५५१	असुपुल स्वामी	यलनमकलसी	६	१६
५३०	कलाहलीबर स्वामी	सुन्दरोबर	२	२०	५५२	सुननाथ की अम्पन	साधुन	३६	१६
५३१	वसुदेव पेरुवाल	पानमल	४	२०	५५३	आदिसिद्धोबर स्वामी	किरुण्णुकी	२२०	१६
५३२	आल्लालोबर	कीरुण्णु	६०	२०	५५४	नरुननाथ स्वामी	सम्बलबोरी	२४	१६
५३३	कैलासनाथ स्वामी		१२	२०	५५५	कलाहलीबर स्वामी	पामनी	५	१६
५३४	रैनाथ स्वामी		१४३	२०	५५६	कैलासनाथ स्वामी		५	१६
५३५	दोसकपनाथ स्वामी	वासुदेव	६०	२०	५५७	दोसकपनाथ स्वामी		५	१६
५३६	सुनध स्वामी	त्रिकोडल	२५०	२०	५५८	एकमरोबर स्वामी		५	१६
५३७	वसुदेव स्वामी		१८	२०	५५९	सुनान्तिरोबर स्वामी	कडूर	३	१६
५३८	वसुदेव स्वामी	त्रिवेणन	१००	२०	५६०	सुनधोबर स्वामी	सुनकोरिस	३	१६
५३९	करबोडोबर स्वामी	कडूर	६	२०	५६१	शिवलोकनाथ स्वामी	ककनन गलाम्पी	३	१६
५४०	असुपुल स्वामी	वन्दन तेली	३	२०	५६२	सुनकाम्बोबर स्वामी	पेरियसीन कलम्पी	३	१६
५४१	नाथनाथ स्वामी	पाणमुढी	१	२०	५६३	वसुदेव पेरुवाल		३	१६
५४२	असुपुललोबर स्वामी	पाननाथ	४०	२०	५६४	शिवनाथ स्वामी	वेणुमुढी	३	१६

क्र.सं.	मंदिर का नाम	स्वाम	राशि		क्रम	मंदिर का नाम	स्वाम	क्र.सं.	मंदिर का नाम	स्वाम	राशि
			१३५	१६							
५६५	कालस्वीर	कुटुंब	१३५	१६	५८७	मयुराक्ष स्वामी	५८७	मयुराक्ष स्वामी	कलेश्वरपुर	५	१६
५६६	संभक्तनाथ स्वामी		१८	१६	५८८	अमरवीर स्वामी	५८८	अमरवीर स्वामी	सिखकल्याणी	६	१६
५६७	कैलाशकाली स्वामी		१८	१६	५८९	आत्मानंद स्वामी	५८९	आत्मानंद स्वामी	अमरपुर	३	१६
५६८	पारिव्रजस्वामी	शिवपुर	७५	१६	५९०	सुन्दरीर स्वामी	५९०	सुन्दरीर स्वामी	कोटपुर	३	१६
५६९	रंगनाथ स्वामी	कलेश्वरी	१८	१६	५९१	अभक्तनाथ स्वामी	५९१	अभक्तनाथ स्वामी	ठलनाथीर	६०	१६
५७०	नाथनाथ स्वामी	गोलापरी	३	१६	५९२	परमानंद पेशवा	५९२	परमानंद पेशवा		२०	१६
५७१	इन्द्रपुरीर स्वामी	शिवकल्याणी	२४	१६	५९३	महाकालेश्वर	५९३	महाकालेश्वर	शिवकल्याणी	६०	१६
५७२	सत्यमेवैश्वर	एकपुर	४५	१६	५९४	आपकीर	५९४	आपकीर	मानसुखी	१८	१६
५७३	शिवनाथ स्वामी	पनखण्ड संतल	९०	१६	५९५	शिवनाथ स्वामी	५९५	शिवनाथ स्वामी	वामनाथरी	६	१६
५७४	सर्गेश्वरनाथ स्वामी		३६	१६	५९६	कैलाशनाथ स्वामी	५९६	कैलाशनाथ स्वामी	वाटपुरी	३	१६
५७५	राजेश्वर स्वामी	शिवपुर	९०	१६	५९७	कर्मनाथ स्वामी	५९७	कर्मनाथ स्वामी	कलशिकाथ नरपुर	३	१६
५७६	अश्वर स्वामी	शिवकल्याणी	३०	१६	५९८	वादेर वशिष्ठार	५९८	वादेर वशिष्ठार	मुक्कणारी	४	१६
५७७	सूर्येश्वर स्वामी	अरपुर	३	१६	५९९	कलदास स्वामी	५९९	कलदास स्वामी	नैयनाथपुर	१०	१६
५७८	सूर्येश्वर स्वामी	अमरपुर	३	१६	६००	कर्मनाथ स्वामी	६००	कर्मनाथ स्वामी	परतीरत	१०	१६
५७९	कैलाशनाथ स्वामी	कोटेश्वरी	३	१६	६०१	आपकीर स्वामी	६०१	आपकीर स्वामी	कलेश्वर	३	१६
५८०	अपनाथेश्वर स्वामी	अमरपुर	३	१६	६०२	अमरवीर स्वामी	६०२	अमरवीर स्वामी	कलेश्वर	३	१६
५८१	अमरेश्वर स्वामी	शिवकल्याणी	३	१६	६०३	संतुषेश्वर स्वामी	६०३	संतुषेश्वर स्वामी	कलेश्वर	३७	१६
५८२	शिवल सुन्दरीर स्वामी	पुष्कर	६०	१६	६०४	सर्वनाथ स्वामी	६०४	सर्वनाथ स्वामी	सर्गेश्वर	१८	१६
५८३	कामनाथ स्वामी	पुर	३	१६	६०५	अमरेश्वर स्वामी	६०५	अमरेश्वर स्वामी	शिवपुरी	१५	१६
५८४	कैलाशकाली	"	३	१६	६०६	कर्मनाथ स्वामी	६०६	कर्मनाथ स्वामी	"	१५	१६
५८५	पुनर्वीरनाथ स्वामी	ठलेश्वर कल्याण	३	१६	६०७	कलेश्वर वशिष्ठार	६०७	कलेश्वर वशिष्ठार		७	१६
५८६	दामनाथ स्वामी	शिव कल्याण	३	१६	६०८	कलेश्वर स्वामी	६०८	कलेश्वर स्वामी	मुक्कणपुर	६५	१६

क्रम	मदिर का नाम	स्थान	छाँटि		क्रम	मदिर का भाग	स्थान	छाँटि	
			१०	५				१६	५
६०९	कनहट्टीबर स्वामी	पुष्पवती	१०	५	६३१	पाटव ईबर	बज्जरायदा फलतूर	१२	२
६१०	अनकसक्य पेरुमाळ	कोरिलमुट	२२	५	६३२	अलसनाथ स्वामी	आयककलकलम	६	२
६११	अमरकेशबर	नालकेशकुडु	७	५	६३३	येम्मेबर बडियार	पवायदीकेशम	९	२
६१२	याकम्पारे	कुम्पलुम	७	५	६३४	दबिकुली विधानम		६	२
६१३	अनत्तीबर	प्रदाय रामरुद पट्टम	७	५	६३५	सुब्रह्मण्य स्वामी		९	२
६१४	विक्कास्वनाथ स्वामी	वडनारुलमु	७	५	६३६	कट्टुरेबर स्वामी	श्रुतिमोडु	६	२
६१५	अलसनाथ स्वामी	म्याक्लमुल	१८	५	६३७	पैल्लमम स्वामी	कानुपूर	१८	२
६१६	आनक्य पेरुमाळ		१२	५	६३८	वत्तराज पेरुमाळ		६	२
६१७	कैलासनाथपुरम्	कलिसोथेथोलाळ	१२	५	६३९	केट्टपेबर	वेन्दरळियम्	३४१	२
६१८	पंगुजारेबर	पम्पटी	६	५	६४०	अमरट्टीबर		९०	२
६१९	कनोपुल स्वामी		३	५	६४१	वत्तळ्व स्वामी		११९	९
६२०	लकम् स्वामी	अम्मेयोर	३	५	६४२	अमूर्तिपेटेबर स्वामी		९०	२
६२१	शिरट्टेबर स्वामी	सुत्ता	२०	४	६४३	सोमनाथ स्वामी	त्रिकनूर	५	६
६२२	तिरुविल्लुद पेरुमाळ		९	४	६४४	शिबनाथ स्वामी		५४	६
६२३	पुडुकोबर स्वामी	आनामूर	९	४	६४५	सूर्यनारायण स्वामी		५४	६
६२४	आरमणद	वलकमु	७२	४	६४६	हुलमन्थ स्वामी	मनापुडी	३६	६
६२५	सुब्रह्मनाथ स्वामी		६	४	६४७	कैळटाफलपति	कलसुम	९०	६
६२६	कैळटाकलारी		१२	४	६४८	येम्पट्टेदी	महरथेपट्टम	१८	६
६२७	सोमनाथ स्वामी	वीरट्टी	९	४	६४९	केल्लै किल्लैयार		९	६
६२८	ब्रह्मपुरेबर स्वामी	शिमप कौटा	१२	४	६५०	हुलमन्थ स्वामी		९	६
६२९	सोनाथ स्वामी		६	४	६५१	शम्भु महरथ स्वामी		५४	६
६३०	मन्गुरेबर	कोरिलमुट्ट	४४	२	६५२	मैलपट्ट शिबनाथ स्वामी		३६	६

क्रम	नगरी का नाम	स्वास्थ्य	राशि		स्वास्थ्य	नगरी का नाम	स्वास्थ्य	राशि	
			३६	५				३६	५
६५३	केन्द्रीय विद्यालय स्वामी	अन्वेषण	३६	५	रिपारेशन	पुणे	३६	५	
६५४	केन्द्रीय विद्यालय स्वामी	"	१८	५	परामर्श	पुणे	३	५	
६५५	विश्वविद्यालय अस्पताल	"	४२०	५	विश्वविद्यालय	पुणे	३६	५	
६५६	केन्द्रीय स्वामी	विश्वविद्यालय	१०	५	पुणे	पुणे	१२	५	
६५७	केन्द्रीय स्वामी	विश्वविद्यालय	१६	५	परामर्श स्वामी	पुणे	९	५	
६५८	केन्द्रीय स्वामी	अन्वेषण	१२	५	अन्वेषण स्वामी	पुणे	२४०	५	
६५९	केन्द्रीय स्वामी	"	४	५	अन्वेषण स्वामी	पुणे	१०२	५	
६६०	केन्द्रीय स्वामी	"	९	५	अन्वेषण स्वामी	पुणे	९	५	
६६१	केन्द्रीय स्वामी	विश्वविद्यालय	६२	५	अन्वेषण स्वामी	पुणे	७५	५	
६६२	केन्द्रीय स्वामी	"	१	५	अन्वेषण स्वामी	पुणे	११५	५	
६६३	केन्द्रीय स्वामी	अन्वेषण स्वामी	१	५	अन्वेषण स्वामी	पुणे	६	५	
६६४	केन्द्रीय स्वामी	अन्वेषण स्वामी	१	५	अन्वेषण स्वामी	पुणे	१८	५	
६६५	केन्द्रीय स्वामी	अन्वेषण स्वामी	१	५	अन्वेषण स्वामी	पुणे	४	५	
६६६	केन्द्रीय स्वामी	अन्वेषण स्वामी	१५	५	अन्वेषण स्वामी	पुणे	४	५	
६६७	केन्द्रीय स्वामी	अन्वेषण स्वामी	३०	५	अन्वेषण स्वामी	पुणे	९	५	
६६८	केन्द्रीय स्वामी	अन्वेषण स्वामी	२५०	५	अन्वेषण स्वामी	पुणे	१२	५	
६६९	केन्द्रीय स्वामी	अन्वेषण स्वामी	४	५	अन्वेषण स्वामी	पुणे	५	५	
६७०	केन्द्रीय स्वामी	अन्वेषण स्वामी	४	५	अन्वेषण स्वामी	पुणे	४	५	
६७१	केन्द्रीय स्वामी	अन्वेषण स्वामी	२०	५	अन्वेषण स्वामी	पुणे	१	५	
६७२	केन्द्रीय स्वामी	अन्वेषण स्वामी	२	५	अन्वेषण स्वामी	पुणे	४५	५	
६७३	केन्द्रीय स्वामी	अन्वेषण स्वामी	३०	५	अन्वेषण स्वामी	पुणे	४७	५	
६७४	केन्द्रीय स्वामी	अन्वेषण स्वामी	३५	५	अन्वेषण स्वामी	पुणे	३७५	५	

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	पति		क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	पति	
			१८	५				३६	५
६९७	कुम्हारस्वामी	केनालापट्टा	१८	५	७१९	कल्लराज पेरमाल	कटपुर	३६	५
६९८	रामलिन स्वामी	मुस्तफाबादपुर	१००	५	७२०	कल्याण स्वामी	नेसिठोम	३३३	३
६९९	मरपुरेबर स्वामी	कोविल केरुक्कम्पाटा	१२	५	७२१	ब्रह्मदेवर स्वामी	पुप्पी	९०	३
७००	नन्दी कृष्णस्वामी	थाचोय्यो	१६६	६	७२२	पुष्पादेवर स्वामी	अरुन्देवरम्	१२	५
७०१	मूलनाथ स्वामी	शिखर कपुर	२७०	६	७२३	कजुरेवर स्वामी	अब्दुलकेरि	१२	५
७०२	मल्लदेवर सुन्दर स्वामी	माडकुल	१०	६	७२४	देवीनाथ स्वामी	अब्दुलकेरि	३	५
७०३	विष्णुकृष्ण स्वामी	शिव	९०	६	७२५	कटुरेवर स्वामी	त्रिकट्टुपुडी	१५	५
७०४	वसिष्ठेवर स्वामी	रोमप्रतिष्ठा	१२	५	७२६	स्वनाथ स्वामी	विमुक्कम्	१२	५
७०५	कैलासनाथ स्वामी	नाथेय पुप्पी	४	५	७२७	कलाहस्तीबर स्वामी	उन्नट्टम्	९	९
७०६	कनिकाज पेरमाल	विरुजपुर	६६६	६	७२८	कलाहस्तीबर स्वामी	सालमक्कम्	१५	९
७०७	श्रीनिवास स्वामी	अय्यप्प को विना	१३३	३	७२९	ब्रह्मपुरेवर स्वामी	अलमपुडी	१४४	९
७०८	सिद्धराज स्वामी	अय्यप्प को विना	७५	३	७३०	कडुन्देवर स्वामी	कडय कोविल	१५	९
७०९	रामनाथ स्वामी	अलमपुडुर	२	३	७३१	मुन्देवर स्वामी	मात्तुर	५४	९
७१०	अम्बल माल	केरुक्क कसेरु	१८	३	७३२	कल्लराज पेरमाल	१८	९	
७११	सुम्भपुरेवर स्वामी	अमूर्थल	१८	३	७३३	वसिष्ठेवर स्वामी	३६	९	
७१२	ब्रह्मपुरेवर स्वामी	मुक्ताय	१८	३	७३४	कडिसमर्दन कृष्ण स्वामी	१०८	९	
७१३	अम्बुल स्वामी	कल्लराज पुप्पी	९०	३	७३५	लक्ष्मीनारायण पेरमाल	३६	९	
७१४	वीरकृष्ण स्वामी	नाथडी	२७०	३	७३६	कडुन्देवर स्वामी	५४	९	
७१५	वसिष्ठेवर स्वामी	कट्टुपुडी	१५७	५	७३७	कल्लराज पेरमाल	३६	९	
७१६	मल्लकालेवर स्वामी	कट्टुपुडी	३०	५	७३८	कल्लराज पेरमाल	५४	९	
७१७	कैलेय स्वामी	किल्लेमेरुडी	५४	५	७३९	कल्याणाल स्वामी	५४	९	
७१८	गान्ध्या स्वामी	केसलेमेरुडी	१२	५	७४०	वीर कसेरु स्वामी	२०	९	

क्रम	नरिंर का नाम	रवान	राशि		क्रम	नरिंर का नाम	रवान	राशि	
			१८	५				१८	५
७४१	मीमरेडर स्वामी	नमू	१८	३०	७६३	अपत रमाना स्वामी	कलेरकी	१८०	५
७४२	तरन्येडर स्वामी	शिवपुर	१८	३०	७६४	देवनाथेडर स्वामी	कलेरकी	१८	५
७४३	सुन्दरेडर स्वामी	सेन्दल	२४०	३०	७६५	प्रतापनर हुमना	ककनी	७२	५
७४४	अनरुपनाथ स्वामी	"	३७	३०	७६६	अनुरेडर स्वामी	कमानाड	९०	५
७४५	केरतनाथ स्वामी	कैटेरुडन	२५	३०	७६७	धारुकेडर स्वामी	केरलेरनाथ	९३	५
७४६	मीडर स्वामी	शिवरुकेरुडनी	११०	३०	७६८	सुन्दरेडर स्वामी	सुन्दरुड	३६	५
७४७	रर हुमना स्वामी	"	३६	३०	७६९	अरुनाथीडर स्वामी	कमानाड	१८	५
७४८	डरुडर स्वामी	शिवानाथरुडी	१८	३०	७७०	कानेडर स्वामी	अरुडरुड	३४	५
७४९	केरतनाथ	पसुडर	५४	३०	७७१	अडिनाथीडर अरुनाथ	अरुकेरुड	३६	६
७५०	अरुडरुड वेरुनाथ	"	४५	३०	७७२	सुडीडर स्वामी	५५५०	५५५०	६
७५१	रुनाथेडर स्वामी	वेरुनाथसुडर	३६	३०	७७३	सुडीडर स्वामी	१६९४	१६९४	८
७५२	अरुलेरुकेडर स्वामी	रुडर केरुड	१८	३०	७७४	प्ररुडर केरुडेडर	७८०	७८०	८
७५३	शिवनाथ स्वामी	शिवरुडुडे	२७	३०	७७५	कलरुकेरुडेडी	७८२	७८२	८
७५४	अनुरेडर स्वामी	सुडरुडर	१०८	३०	७७६	शिवलेशिव वेरुनाथ	१२०	१२०	८
७५५	रुनाथनी	"	३६	३०	७७७	सतरुडरुडरुड	३२२	३२२	८
७५६	वेरुनाथेडर स्वामी	अडरुडर	१८	३०	७७८	केरुनेडर स्वामी	९०	९०	८
७५७	सुडरुडरुडर स्वामी	केरुनाथरुड	१८	३०	७७९	शिवनाथ शिवरुडर	३	३	७
७५८	अनेकस्वामी	शिवनरुडरुडी	५	३०	७८०	वामन शिवनरुडर	३	३	७
७५९	सुडेडर कलेरुडर स्वामी	डरुडरुडरुडी	३७	३०	७८१	नाथनाथ शिवनरुडर	७	७	२
७६०	रुडेडर कानेडर वेरुनाथ	"	२५	३०	७८२	सुडी सुडर अरुनाथ शिवनरुडर	९०	९०	०
७६१	सुडरुडरुडर स्वामी	शिवरुडरुडी	८७	३०	७८३	सुडरुडरुडर स्वामी	३६	३६	०
७६२	अरुडरुडर वेरुनाथ	"	१८	३०	७८४	अरुडरुडरुडी	१७	१७	२

क्र.सं.	मदिर का नाम	स्थान	प्राप्ति		क्र.सं.	मदिर का नाम	स्थान	प्राप्ति	
			१०	१६				१०	१६
७८५	क़ादी शिबनाब स्वामी	तंजावुर क़िला	१०	१६	८०७	क़ामुमुब क़लतब स्वामी	तंजावुर क़िला	३	१६
७८६	मदकनाब सुन्दर शिबैयार		५४	१६	८०८	संजिवीयेर		३	१६
७८७	अक़बुल शिबैयार		३	१६	८०९	क़ोरुपुडयम स्वामी		३	१६
७८८	शिरामुकि शिबैयार		७	१२	८१०	पोरेक़स संजिवीय पेरुमास		७	१२
७८९	येक़मा देवी		१२६	१२	८११	आदिकेय पेरुमास		१७	२४
७९०	वीरमन्न		९	१२	८१२	क़लतब स्वामी		१८	२४
७९१	मुक़ार स्वामी		१८	१२	८१३	पुट्टाभिरम स्वामी		९	२४
७९२	क़बीरि शिबनाब स्वामी		३	१६	८१४	जनादन स्वामी		३	१६
७९३	आनन्द शिबैयार		३	१६	८१५	क़न्दीरसंजिवीयेर		३	१६
७९४	क़र्तु शिबैयार		३	१६	८१६	टविय संक़रेय		३	१६
७९५	शिरामन्न		४५	१६	८१७	रामयम स्वामी		३	१६
७९६	शिरय रामक़न्द स्वामी		२१४	२८	८१८	तीरसंब पेरुमास		३	१६
७९७	रमनीय क़ुब स्वामी		१०	२८	८१९	मूडु पेरुमन्न		६	८
७९८	क़न्तयेयल स्वामी		१७	२४	८२०	आनन्द यमी		१५८	२८
७९९	रामनीयेदी		३	१६	८२१	क़ापीनाय स्वामी		१०२	२८
८००	प्रथम वीर क़मुन्दर		६४०	१६	८२२	सिम्बेयुय स्वामी		१०	२८
८०१	रामस्वामी		१८०	१६	८२३	सोयरेक़		५४	२८
८०२	पेता हसन क़ैयदक़स मुयुन		१०	१६	८२४	क़लतबस्वीक़		१७	२४
८०३	गोस्वय स्वामी		३	१६	८२५	सुन्दरेक़		३६	२४
८०४	गोविन्दरय स्वामी		६०	१६	८२६	क़ोरुपुमम		१७	२४
८०५	क़लक़ क़ुब स्वामी		१३	१६	८२७	शक़नाय स्वामी		७	२४
८०६	अमूर्त क़ैक़डेक़		३	१६	८२८	मलसिंश पेरुमास		८००	२४



क्र.सं.	मंदिर का नाम	स्थान	खति	काम	मंदिर का नाम	स्थान	प्राप्ति
229	श्रीकामा स्वामी	दंडापुर किला	४१५	२४	सुन्दरराज पेरम्पल	आरखी	१ १६
230	मणिकण्ठ पेरम्पल	"	१६३	४	बाला इरम्पल	"	३ १६
231	गोट्टन इरम्पल	"	१०	४	वीर इरम्पल	"	१ १६
232	कुल्ल केकरुट स्वामी	"	४२	४	पौन्यम्य बलम्पल	"	४ १६
233	पटोरी केरुट स्वामी	"	३	४	वरम्पल	अरिखी	१ १६
234	केकरुट स्वामी	"	३६०	४	कच्छे शिवीयार	"	१ १६
235	मणिरम्पल देवी	"	२५०	४	एलेन्द वीलेवार	पुम्पलवात	४ १६
236	पन्थोकर स्वामी	"	५४	४	पौन्यम्य बलम्पल	"	४ १६
237	खाली शिवनाथ स्वामी	"	१८	४	शिव शक्तिम्पल	"	४ १६
238	केकरुट स्वामी	पुटुकेटा	१६	५	केदारेश्वर स्वामी	योग	६ २४
239	अन्यम कम्म पेरम्पल	"	३६	५	स्टार पोख में	"	२ ३१
240	नारी अम्पल	"	५२	५	केदारेश्वर स्वामी	"	५ ८
241	मदामरी अम्पल	मेले	१	५	नम्ब पाय के लिये	"	२ ९
242	मार्डेबार स्वामी	"	१०	६	स्टार पोखकी कुल	"	२ ९
243	मणिरम्पल	"	१०	६	लाफ	"	२ ९
244	शक्तिस्वामी	"	५	२			
245	एकलिंग स्वामी	"	३३०	२			
246	विष्णुनाथ स्वामी	"	१३	५			
247	शिवानेकर बुदिकार	मदरल्लु	१३	५			
248	गुणुमणियम्प	"	२	२			
249	खाली शिवनाथ	"	१८०	२			
250	वीर मन्थस्वामी	वीरुवाकेट्ट	१३५	२			

  

रंजिवर सूबा के राज्य कम्म में गौठिन					
६१	मन्थुवर स्वामी	मिम्पुली	६१	३२८	८
६२	कच्छेकम्म स्वामी	मणिरम्पल कोरिल	६१	३२८	८
६३	श्रीवैश्वानर	त्रिकुटार	१२	३५६	६
६४	मन्थुवायम्प पेरम्पल	"	१२	११६	५

क्र.सं.	मंदिर का नाम	स्थान	राशि		ग्राम	मंदिर का नाम	स्थान	राशि	
			११	१२				११	१२
८६५	मिहरबाही स्वामी	नेगावारी	१२	६	८८७	वाटगोट्टेबर	वाटगोट्टुन	११	३९
८६६	वाटा मिथियार	वाटा	१२	६	८८८	अभिशोषेबर	अभिशोषेकुटी	११	७९
८६७	कीलानान मिथियार	किरानान	१२	७	८८९	कोटपारेबर	कोटपारेकुटी	११	३९
८६८	पेसोन्सून्सू सिधेबर	पोठ पेसन्स	१२	७	८९०	कोटपारेबर	कोटपारी	११	९९ ५ १/२
८६९	मुष्कसेबर	मुष्कसेकुटी	१२	७	८९१	त्रिकोणेश्वर स्वामी	त्रिकोनूर	११	९९ ५ १/२
८७०	तलमनुडी सिधेवार	तलमनुकुटी	११	७ १/२	८९२	सप्तसरोबर स्वामी	सप्तसरोबर	११	१९९ ३ १/२
८७१	काणमस्त सिधेवार	काणमस्तन्	११	७ १/२	८९३	काकवीबर	काकनोली	११	५९ ६ १/२
८७२	सुवराजुल सिधेवार	सुवराजुल्	११	७ १/२	८९४	केसनाथ	कसट्यान	११	१७९ ३ १/२
८७३	मन्मथुदेबर	मन्मथुबर	११	६	८९५	राज्येनोबर स्वामी	नेसवसुन	११	१७९ ३ १/२
८७४	अनन्तवसुत ईबर	अनन्तवसुत	११	६	८९६	सुन्दरेबर स्वामी	सुन्दरेकुटी	११	१५८ ४ १/२
८७५	कापुरेबर	कापुरे	११	७ १/२	८९७	गाथा कोशिरा	मिन्हातार	९	३९
८७६	पुडनीगुबर	पुडनी	११	७ १/२	८९८	गुण मरियम्मा	वेणु कुंटा	९	९ ५ १/२
८७७	दगुन्पुरेबर	दगुन्पुरे	१	५९ ६ १/२	८९९	नेकस्ती मारियम्मा	नेकस्ती	९	२ ३ १/२
८७८	सुकुटेबर	सुकुटे	११	७ १/२	९००	जयानार	नेकस्ती	९	१९
८७९	कासपुडी सिधेवार	कासपुडी	११	७ १/२	९०१	राजपुर मरियम्मा	राजपुर	९	३ ३ १/२
८८०	पुडुपुडी सिधेवार	पुडुपुडी	११	७ १/२	९०२	कनौल मरियम्मा	कनौल	९	१ २ १/२
८८१	काणकसर सिधेवार	काणकसन्	११	७		धन्व का कुल अनुदान	धन्व का कुल अनुदान	१६७	२००
८८२		पुष्पल	११	७		प्रति गाढी		१९	१४
८८३	कोशिल पुडीबर	कोशिलकुट	११	७		स्टार फेरोका		३२३८	८४
८८४	गुणपुरेबर	गुणपुरे	११	७		पीठ से लिया		३७३२७	३३
८८५	किलसरोबर	किलसरो	११	७		राजपुर ई. उ. उ. ल. धन्व का को.		४०५६५	२
८८६	कासरोबर	कासरो	११	७ १/२					३५

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पद	वर्ग	वर्ष	व्यक्ति
१२४	मदन	१२	२	२४	२४
१२५	अनन्त	१२	२	२४	२४
१२६	अनन्त	१२	२	२४	२४
१२७	अनन्त	१२	२	२४	२४
१२८	अनन्त	१२	२	२४	२४
१२९	अनन्त	१२	२	२४	२४
१३०	अनन्त	१२	२	२४	२४
१३१	अनन्त	१२	२	२४	२४
१३२	अनन्त	१२	२	२४	२४
१३३	अनन्त	१२	२	२४	२४
१३४	अनन्त	१२	२	२४	२४
१३५	अनन्त	१२	२	२४	२४
१३६	अनन्त	१२	२	२४	२४
१३७	अनन्त	१२	२	२४	२४
१३८	अनन्त	१२	२	२४	२४
१३९	अनन्त	१२	२	२४	२४
१४०	अनन्त	१२	२	२४	२४
१४१	अनन्त	१२	२	२४	२४
१४२	अनन्त	१२	२	२४	२४
१४३	अनन्त	१२	२	२४	२४
१४४	अनन्त	१२	२	२४	२४
१४५	अनन्त	१२	२	२४	२४

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पद	वर्ग	वर्ष	व्यक्ति
१०३	अनन्त	१२	२	२४	२४
१०४	अनन्त	१२	२	२४	२४
१०५	अनन्त	१२	२	२४	२४
१०६	अनन्त	१२	२	२४	२४
१०७	अनन्त	१२	२	२४	२४
१०८	अनन्त	१२	२	२४	२४
१०९	अनन्त	१२	२	२४	२४
११०	अनन्त	१२	२	२४	२४
१११	अनन्त	१२	२	२४	२४
११२	अनन्त	१२	२	२४	२४
११३	अनन्त	१२	२	२४	२४
११४	अनन्त	१२	२	२४	२४
११५	अनन्त	१२	२	२४	२४
११६	अनन्त	१२	२	२४	२४
११७	अनन्त	१२	२	२४	२४
११८	अनन्त	१२	२	२४	२४
११९	अनन्त	१२	२	२४	२४
१२०	अनन्त	१२	२	२४	२४
१२१	अनन्त	१२	२	२४	२४
१२२	अनन्त	१२	२	२४	२४
१२३	अनन्त	१२	२	२४	२४

यूरोपीय स्वायत्तता का मकदम घोषित

क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	पति	क्रम	मंदिर का नाम	स्थान	पति
१४७	मेट्टुपुडुल	मेट्टुपुडुल	१	१४०	विरमलेनरा	ओयकेवोड	४
१४८	पुडुगोडर	अधिकारकामलम्	१०	१४१	विश्वनाथ स्वामी	पिडा पुन्नु	५
१४९	कैटाकल पेरुमल	"	४	१४२	सिद्धमंढोडर	सिद्धमलम्	५
१५०	विश्वनाथ स्वामी	"	४०	१४३	वट्टुरोडर	वट्टुर	५
१५१	वट्टुरोडर	वट्टुरोडर	६	१४४	वट्टुर पेरुमल	वट्टुर	५
१५२	पुण्डारोडर	पुण्डारोडर	४	१४५	एन्नुपुडोडर	एन्नुपुड	४
१५३	वट्टुरोडर	कन्नूर	२	१४६	मानातेडर स्वामी	मानाती	३
१५४	सामभल पेरुमल	सामभलम्	४	१४७	मानासय पुंजुडल	मिन्नामनी	२
१५५	कैटन्नाय स्वामी	कैटन्नुप	२६३	१४८	मिन्नामनीडर	मिन्नामनी	२
१५६	एण्डाड पेरुमल	कन्नूर	६	१४९	कन्नराकेडर	कन्नराक	४
१५७	कन्नपुडी पेरुमल	कन्नपुडी	१	१५०	मट्टुरम् पेरुमल	मट्टुरम्	१
१५८	व्वाण्णय स्वामी	विक्रमविकाराल	७२०	१५१	अन्नुपुडु मिन्नाय	अन्नुपुडु	७
१५९	कैटिल कपेनेडर	कैटिल कण्णुपुडु	७२	१५२	कन्नुपुडोडर	कैटिलपुडु	२
१६०	गुनेडर	गान्तूर	२				
१६१	कैटिलपुडोडर	कैटिलपुडी	२३				
१६२	कैटिलपुडी पेरुमल	कैटिलपुडी	४				
१६३	कैटिलपुडोडर	कैटिलपुडु	३६				
१६४	वट्टुरोडर	मत्तूरुडी	५५				
१६५	गन्नुपुडोडर	गन्नुपुडु	३				
१६६	गन्नुपुडु पेरुमल	गन्नुपुडु	३				
१६७	कैटिलकन्नपुडोडर	कैटिलकन्नपुडी	३६				
१६८	कैटिलकन्नय स्वामी	कैटिलकन्नपुडी	१९६				
१६९	राजगोपाल पेरुमल	राजगोपाल पुण्डु	१७				

  

नेगापट्टम नकड गोठिन			
१८३	नीलायकाले अम्मा	नेम्पट्टम	१ १९
१८४	व्वाण्णय स्वामी		२ १९
१८५	पुडुगोडर विश्वनाथ		२ १४

क्र.सं.	परिचय का नाम	स्वातंत्र्य	राशि
१००७	अध्यात्मनाथ स्वामी	नेपाल	१ ३ २४
			१७९ १ २४
		स्टर भोजन में	४०७ ४० २०
		आने लाने को	४२१५३ ६८ ७९
			४२५६९ ८ ६६
<b>श्रीविक्रमोदा नकद भोजन</b>			
१००८	शिवशंकराचार्य	आश्विनपुर	१२
		स्टर भोजन में	५
		आने लाने को	४२५६९ ०८ ९९
			४२५६६ ०८ ९९
<b>शास्त्र भोजन</b>			
१००९	शिवशंकराचार्य	आश्विनपुर	१५ २६२ ३
१०१०	कल्याण स्वामी	नेपाल	३ ७४ ५
१०११	श्रीगुरुदेव	मन्दिप्रकृती	२ २९५ ४
१०१२	कल्याण स्वामी	शिवशंकराचार्य	२ १२१ ७
१०१३	समाधि	शिवशंकराचार्य	२ १७३ ५
		योग	२४ १२८ ५
		स्टर भोजन में	४७१ २० ४०
		आने लाने को	४२५६६ ०८ ९९
		योग	४३०३७ २९ ३९

कुल १४ अर्थ १८९३  
 १४ अर्थ १८९३

क्र.सं.	परिचय का नाम	स्वातंत्र्य	राशि
१८६	शिवशंकराचार्य	नेपाल	६ १४ ८
१८७	गुरुदेव स्वामी		७ १६ ८
१८८	स्त्री गुरुदेव		११ १४ ८
१८९	शिवशंकराचार्य		६ १४ ८
१९०	अनन्ताचार्य		३१ १० ८
१९१	शिवशंकराचार्य		६ १४ ८
१९२	शिवशंकराचार्य		५४ २० ८
१९३	शिवशंकराचार्य		३२ २४ ८
१९४	गुरुदेव गेलाल		४५ २० ८
१९५	अनन्ताचार्य		१०९ २१ ८
१९६	गुरुदेव स्वामी		७ २१ ८
१९७	शिवशंकराचार्य भोजन		४५ २४ ८
१९८	शिवशंकराचार्य		९ २४ ८
१९९	शिवशंकराचार्य स्वामी		३ २४ ८
१०००	शिवशंकराचार्य		४ २४ ८
१००१	शिवशंकराचार्य स्वामी		७ २४ ८
१००२	शिवशंकराचार्य		७ २४ ८
१००३	शिवशंकराचार्य		१२ २४ ८
१००४	शिवशंकराचार्य		२ २४ ८
१००५	शिवशंकराचार्य		३ २४ ८
१००६	शिवशंकराचार्य		९ २४ ८

कुल १४ अर्थ १८९३

# १० राजस्व से अश प्राप्त करनेवाले व्यक्तियों की सूची

राजापुर का निवृत्ति वेतन विवरण लेखा फरमाती १२२२ - २२ अप्रिल १८१३

क्र.सं.	नाम	सेवा	दैनिक	कुल	क्र.सं.	नाम	सेवा	दैनिक	कुल
१	सुभा बारी मिश्र केन	२२	२२	४०	२३	विद्युत् लक्ष्मी बारी	१	११	२०
२	ब्रह्मचर सिंह	४	२२	४०	२४	अनन्दा बारी	१	११	२०
३	सुंभरलाल बारी	१५	२२	४०	२५	नरसिंह बारी	१	११	२०
४	रंग अ कर्कर	२२	२२	४०	२६	अरुण टंडिका	४	३०	४५
५	महापाल	१०	२२	४०	२७	कानन सुभा बट	३	५	५०
६	अशोक	६	११	२०	२८	कल्याणी टंडिका	५	६	३०
७	देवट टंडिका	६	११	२०	२९	अशोक सुभा बट	३	३	२५
८	कल्याण मारवाडी	३	५	५०	३०	नरसिंह बारी	२	६	६०
९	अशोक बारी	३	५	५०	३१	देवट बट	२	६	६०
१०	पुरुषोत्तम बारी	३	५	५०	३२	महिलासनी पम्परा	५	१५	३०
११	कल्याण पम्परा	३	५	५०	३३	बोगाबई पम्परा	३	२२	४०
१२	सुभा पम्परा	१	२५	२५	३४	एला गणपत टंडिका	४	९	६०
१३	मिश्र कल्या	१	२५	२५	३५	देविसन दत्त पम्परा	२	९	६०
१४	सुभा पम्परा	१	२५	२५	३६	महालक्ष्मी	५	२४	३०
१५	सुभा अठुरी	१	२५	२५	३७	विष्णु पम्परा	५	९	३०
१६	कल्याण मीनास बारी	१५	२५	२५	३८	श्रीराम बारी	५	९	३०
१७	अशोक बट	१	३०	३०	३९	अशोक नरसिंह बट	५	९	३०
१८	अशुरी बट	१०	१८	६०	४०	सुरोधर बारी	५	९	३०
१९	कल्याण अठुरी	२०८	१५	६०	४१	महालक्ष्मी टंडिका	५	१०	३०
२०	कल्याण पम्परा	२	४१	२०	४२	अशोक	१	२५	२५
२१	विष्णु देवसर्पिण बारी	१४	२६	२०	४३	विष्णु मंडिक (१ मूल १८०९)	१६	२५	२५
२२	सुभा मीनास बारी	१	११	२०	४४	कल्याण	४५	२५	२५



क्र. सं.	नाम	पेशेवर	केवल	कुल	क्र. सं.	नाम	पेशेवर	केवल	कुल
१५	गुणवत शैलदास बारी	१	११	२०	१२०	जोगी शैलदासी अग्रवाल	३	२२	४०
१६	सदानन्द गुरुकिश बारी	५	११	२०	१२१	सदानन्द बालास	१	११	२०
१७	अनंतेरी अग्रवा	१	११	२०	१२२	समीरकुमार शैलदासी	५	११	२०
१८	गुरुदासी शैलदा बारी	२	२२	४०	१२३	गुणम शर्मा	५	११	२०
१९	अनन्दा शैल बारी	५	२२	४०	१२४	कस्तुरीराम शिवदास पट	३	२२	४०
१००	गुरुदास शैलदास पट	३	३२	४०	१२५	गुरुदासी शर्मा	३	३५	६०
१०१	शैलदास बारी	३	२२	४०	१२६	गुरुदास पट	३	२२	४०
१०२	अनन्दा बारी	३	३३	६०	१२७	अनंतेर शैलदासी शैलदास	३	२२	४०
१०३	अनन्दा बारी	३	३३	६०	१२८	शैलदास पट	६	११	२०
१०४	गुरुदास बारी	५	३३	६०	१२९	शैलदास पट	५	०	०
१०५	अनन्दा पट	७	२२	४०	१३०	शैलदास शिवदास	५	०	०
१०६	पदा अग्रवाल शैलदास बारी	१	११	२०	१३१	गुणम शिवदास	१	११	२०
१०७	गुरुदास गुणम बारी	१	११	२०	१३२	गुरुदास शर्मा	५	११	२०
१०८	अनंतेरी राम पट	२	२२	४०	१३३	जोगी अग्रवाल शैलदास शिव	३	३३	६०
१०९	गुरुदास बारी	५	२२	४०	१३४	गुणम पट	७	२२	४०
११०	शैलदास शैलदास बारी	५	२२	४०	१३५	शैलदास शर्मा	७	२२	४०
१११	जोगी बारी	५	२२	४०	१३६	गुरुदास शर्मा	७	२२	४०
११२	गुणम गुरुदासी अग्रवाल	३	२२	४०	१३७	गुरुदास पट	७	२२	४०
११३	जोगी बारी	३	२२	४०	१३८	शैलदास शर्मा	७	२२	४०
११४	शैलदास शैलदास	३	२२	४०	१३९	अनन्दा शर्मा	७	३३	६०
११५	अनंतेरी अग्रवाल	१	११	२०	१४०	गुरुदास शर्मा	३	२२	४०
११६	शैलदास अग्रवाल	२	२२	४०	१४१	शैलदास पट	३	२२	४०
११७	जोगी गुणम अग्रवाल	५	२२	४०	१४२	शैलदास शर्मा	३	२२	४०
११८	शैलदास अग्रवाल	३	२२	४०	१४३	अनन्दा शर्मा	५	२२	४०
११९	गुरुदास	५	२२	४०	१४४	शैलदास शर्मा	५	२२	४०



क्र.सं.	विवरण	वर्ग	प्रति	क्र.सं.	विवरण	वर्ग	प्रति
१४०	संवेतारी स्वरुपिक पूर्ण करी	१	१	१४०	संवेतारी स्वरुपिक पूर्ण करी	३३	६०
१४१	पोर करीकर करी	१५	१	१४१	पोर करीकर करी	३३	६०
१४२	विशेषकर लम्बित करी	४	२	१४२	विशेषकर लम्बित करी	२२	४०
१४३	अनुसूचित करी	४	२	१४३	अनुसूचित करी	२०	४०
१४४	संवेतारी	११३६	३	१४४	संवेतारी	३०	४०
१४५	दुकरसारी करी	२०	३	१४५	दुकरसारी करी	३४	४०
१४६	नरनारी संवेतार करी	१	१	१४६	नरनारी संवेतार करी	११	२०
१४७	दुकर करी	१	१	१४७	दुकर करी	४२	४५
१४८	करु करी	१	१	१४८	करु करी	४२	४५
१४९	सुनारी करी	३	३	१४९	सुनारी करी	५	५०
१५०	करु करु करु करु करु	८	८	१५०	करु करु करु करु करु	१५	५०
१५१	करु करु करु करु करु	८	८	१५१	करु करु करु करु करु	१	५०
१५२	करु करु करु करु करु	८	८	१५२	करु करु करु करु करु	१	५०
१५३	करु करु करु करु करु	६	६	१५३	करु करु करु करु करु	६	४५
१५४	करु करु करु करु करु	६	६	१५४	करु करु करु करु करु	४४	४५
१५५	करु करु करु करु करु	३	३	१५५	करु करु करु करु करु	२	६५
१५६	करु करु करु करु करु	३	३	१५६	करु करु करु करु करु	३४	४०
१५७	करु करु करु करु करु	१	१	१५७	करु करु करु करु करु	२५	२५
१५८	करु करु करु करु करु	१	१	१५८	करु करु करु करु करु	२८	१०
१५९	करु करु करु करु करु	४	४	१५९	करु करु करु करु करु	४	४०
१६०	करु करु करु करु करु	६	६	१६०	करु करु करु करु करु	२५	२५
१६१	करु करु करु करु करु	३	३	१६१	करु करु करु करु करु	२८	१०
१६२	करु करु करु करु करु	३	३	१६२	करु करु करु करु करु	२८	१०
१६३	करु करु करु करु करु	५	५	१६३	करु करु करु करु करु	६	३०
१६४	करु करु करु करु करु	१३	१३	१६४	करु करु करु करु करु	२३	४०

क्र. सं.	नाम	पेशेवर	केस	शुद्धी	क्र. सं.	नाम	पेशेवर	केस	शुद्धी
194	दीनराज राजपूत	11	87	4	220	सुरेशचंद्र शर्मा	3	4	40
195	विश्वनाथ राजपूत	11	78	30	221	विश्वनाथ शर्मा	3	10	60
196	अनिल राजपूत	12	5	30	222	सुरेशचंद्र शर्मा	2	28	30
197	सुरेशचंद्र शर्मा	7	14	30	223	सुरेशचंद्र शर्मा	5	11	20
198	सुरेशचंद्र शर्मा	13	9	30	224	सुरेशचंद्र शर्मा	1	8	80
199	सुरेशचंद्र शर्मा	13	33	60	225	सुरेशचंद्र शर्मा	4	19	44
200	सुरेशचंद्र शर्मा	20	38	80	226	सुरेशचंद्र शर्मा	3	26	20
201	सुरेशचंद्र शर्मा	1	11	20	227	सुरेशचंद्र शर्मा	2	2	34
202	सुरेशचंद्र शर्मा	2	16	80	228	सुरेशचंद्र शर्मा	2	2	34
203	सुरेशचंद्र शर्मा	2	30	30	229	सुरेशचंद्र शर्मा	8	30	34
204	सुरेशचंद्र शर्मा	2	80	24	230	सुरेशचंद्र शर्मा	1	38	44
205	सुरेशचंद्र शर्मा	24	18	30	231	सुरेशचंद्र शर्मा	1	81	20
206	सुरेशचंद्र शर्मा	3	80	24	232	सुरेशचंद्र शर्मा	1	24	24
207	सुरेशचंद्र शर्मा	2	10	30	233	सुरेशचंद्र शर्मा	4	14	24
208	सुरेशचंद्र शर्मा	2	2	14	234	सुरेशचंद्र शर्मा	1	11	20
209	सुरेशचंद्र शर्मा	1	30	10	235	सुरेशचंद्र शर्मा	1	2	34
210	सुरेशचंद्र शर्मा	1	30	30	236	सुरेशचंद्र शर्मा	1	1	80
211	सुरेशचंद्र शर्मा	1	28	84	237	सुरेशचंद्र शर्मा	1	1	80
212	सुरेशचंद्र शर्मा	2	8	60	238	सुरेशचंद्र शर्मा	1	14	3
213	सुरेशचंद्र शर्मा	3	83	10	239	सुरेशचंद्र शर्मा	1	14	20
214	सुरेशचंद्र शर्मा	3	38	80	240	सुरेशचंद्र शर्मा	1	38	84
215	सुरेशचंद्र शर्मा	3	24	60	241	सुरेशचंद्र शर्मा	1	3	60
216	सुरेशचंद्र शर्मा	3	8	80	242	सुरेशचंद्र शर्मा	1	30	60
217	सुरेशचंद्र शर्मा	5	18	44	243	सुरेशचंद्र शर्मा	4	22	80



क्र.सं.	नाम	वर्ग	वर्ष	दिनांक	रकम	वर्ष	वर्ग	वर्ष
२१३	श्री. अ. अ. अ. अ. अ.	२	१८	१०	४६	२२	४०	४०
२१४	श्री. अ. अ. अ. अ. अ.	२	३४	१०	२४	२२	४०	४०
२१५	श्री. अ. अ. अ. अ. अ.	२	३३	१०				
२१६	श्री. अ. अ. अ. अ. अ.	१४४	३३	१०	४४	६	४२	४२
२१७	श्री. अ. अ. अ. अ. अ.	९६	३३	१०	५१	१६	२२	२२
२१८	श्री. अ. अ. अ. अ. अ.	१८०	३३	१०	५१	१६	२२	२२
२१९	श्री. अ. अ. अ. अ. अ.	१२०	३३	१०	३४	१२	१८	१८
२००	श्री. अ. अ. अ. अ. अ.	६०	३३	१०	१४	६	३४	३४
३०१	श्री. अ. अ. अ. अ. अ.	६०	३३	१०	१४	६	३४	३४

जसेन वासेस  
समाहित

संवायु सभावादी कण्ठरी  
१४ अक्टूबर १८१३

तंजापुर  
धान्य के रूप में निवृत्ति वेतन

क्रम	नाम	पेगोहा	पेन्म	शुल्की	गाडी	म	म
१	रामेश्वरम के यात्री हेतु त्रिवत्तूर के अन्नदान क्षेत्र को	३०८	१८	३४	१५	३८०	०
२	रामेश्वर के यात्री हेतु रामेश्वरम् द्वीप स्थित छत्रम् को	२१९	३४	४६	११	१४६	२ <sup>१</sup> / <sub>२</sub>
३	त्यागराजपुरम् छत्रम् को	११९	११	६६	६	६७	२
४	नाथियरमुडी के श्रीपादस्वामी मठ को	१४१	२७	५३	७	१२९	४ <sup>१</sup> / <sub>२</sub>
५	पक्केश का शास्त्री को	११	११	२०	०	२३२	६
६	रामशास्त्री को	५	१९	७४	०	३८७	७
७	त्र्यम्बकेश्वर पचाय ब्राह्मण को	१८	३३	६०	०	३८७	७
८	भूशुजय जोशी को	१८	३३	६०	०	३८७	७
९	गोपाल जोशी को	१८	३३	६०	०	३८७	७
१०	वैकट जोशी को	१८	३३	६०	०	३८७	७
११	घन्द्राकर जोशी को	१२	२२	४०	०	२५८	४ <sup>१</sup> / <sub>४</sub>
१२	बालकृष्ण जोशी को	१२	२२	४०	०	२५८	४ <sup>१</sup> / <sub>४</sub>
१३	सुब्बा जोशी को	१२	२२	४०	०	२५८	४ <sup>१</sup> / <sub>४</sub>
१४	जकियगर जोशी को	१२	२२	४०	०	२५८	४ <sup>१</sup> / <sub>४</sub>
१५	आनयरौदन परम्परियेन	२	१५	५३	०	४८	४
	तंजापुर का कुल धान्य रूप निवृत्ति वेतन				९३३	४	२६
	तंजापुर का कुल निवृत्ति वेतन				५९२९	४२	२६

तंजापुर समाहर्ता कघहरि  
१४ अप्रैल १८९३

उहोन बालेस  
समाहर्ता

## लेखक परिचय

श्री धर्मपालजी का जन्म सन् १९२२ में उत्तर प्रदेश के मुझफ्फरनगरमें हुआ था। उनकी शिक्षा डी ए वी कालेज लाहौर में हुई। १९३० में ८ वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार गांधीजी को देखा। उसके एक ही वर्ष बाद सरदार भगतसिंह एव उनके साथियों को फाँसी दी गई। १९३० में ही वे अपने पिताजी के साथ लाहौर में कांग्रेस के अखिल भारतीय सम्मेलन में गये थे। उस समय से लेकर आजन्म वे गांधीभक्त एव गांधीमार्गी रहे।

१९४० में १८ वर्ष की आयु में उन्होंने खादी पहनना शुरू किया। घरखे पर सूत कातना भी शुरू किया। १९४२ में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में भाग लिया। १९४४ में उनका परिचय मीराबहन के साथ हुआ। उनके साथ मिलकर रुड़की एव हरिद्वार के बीच सामुदायिक गाँव के निर्माण का प्रयास किया। उस सामुदायिक गाँव का नाम था 'बापूग्राम'। आज भी बापूग्राम अस्तित्व में है। १९४९ में भारत का विभाजन हुआ। परिणाम स्वरूप भारत में जो शरणार्थी आये उनके पुनर्वसन के कार्य में भी उन्होंने भाग लिया। १९४९ में वे इंग्लैण्ड इझरायल और अन्य देशों की यात्रा पर गये। इझरायल जाकर वे वहाँ के सामुदायिक ग्राम के प्रयोग को जानना समझना चाहते थे। १९५० में वे भारत वापस आये। १९६४ तक दिल्ली में रहे। इस समयावधि में वे Association of Voluntary Agencies for Rural Development (AVARD) के मन्त्री के रूप में कार्यरत रहे। अर्वाह की सस्थापक अध्यक्षा श्रीमती कमलादेवी घट्टोपाध्याय थीं परन्तु कुछ ही समय में श्री जयप्रकाश नारायण उसके अध्यक्ष बने और १९७५ तक बने रहे। १९६४-६५ में श्री धर्मपालजी आल इण्डिया पद्यायत परिषद के शोध विभाग के निदेशक रहे। १९६६ में लन्दन गये। १९८२ तक लन्दन में रहे। इन अठारह वर्षों में भारत आते जाते रहे। १९८२ से १९८७ सेवाग्राम (वर्धा महाराष्ट्र) में रहे। उस दौरान षैअई आते जाते रहे। १९८७ के बाद फिर लन्दन गये। १९९३ से जीवन के अन्त तक सेवाग्राम वर्धा में रहे।

१९४९ में उनका विवाह अग्रेज युवति फिलिस से हुआ। फिलिस लन्दन में

बापूग्राम में दिल्ली में सेवाग्राम में उनके साथ रहीं। १९८६ में उनका स्वर्गवास हुआ। उनकी स्मृति में वाराणसी में मानव सेवा केन्द्र के सत्त्वावधान में बालिकाओं के समग्र विकास का केन्द्र चल रहा है। धर्मपालजी एच फिलिस के एक पुत्र एच दो पुत्रिया हैं। पुत्र डेविड लन्दन में व्यवसायी है। पुत्री रोझविता लन्दन में अध्यापक है और दूसरी पुत्री गीता धर्मपाल हाईस्कूलबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी में इतिहास विषय की अध्यापक है।

धर्मपालजी अध्ययनशील थे चिन्तक थे बुद्धि प्रामाण्यवादी थे। परिश्रमी शोधकर्ता थे। अभिलेख प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन बारह चौदह घण्टे लिखकर लन्दन तथा भारत के अन्यान्य महानगरों के अभिलेखागारों में बैठकर नकल उतारने का कार्य उन्होंने किया। उस सामग्री का संकलन किया निष्कर्ष निकाले। १८ वीं एव १९ वीं शताब्दी के भारत के विषय में अनुसन्धान कर के लेख लिखे भाषण किये पुस्तकें लिखीं।

उनका यह अध्ययन चिन्तन अनुसन्धान विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने के लिये या विद्वता के लिये प्रतिष्ठा पद या धन प्राप्त करने के लिये नहीं था। भारत की जीवन दृष्टि जीवन शैली जीवन कौशल जीवन रचना का परिचय प्राप्त करने के लिये भारत को ठीक से समझने के लिये समृद्ध सुसंस्कृत भारत को अंग्रेजों ने कैसे तोड़ा उसकी प्रक्रिया जानने के लिये भारत कैसे गुलाम बन गया इसका विश्लेषण करने के लिये और अब उस गुलामी से मुक्ति पाने का मार्ग ढूढने के लिये यह अध्ययन था। जितना मूल्य अध्ययन का है उससे भी कहीं अधिक मूल्य उसके उद्देश्य का है।

श्री जयप्रकाश नारायण श्री राम मनोहर लोहिया श्री कमलादेवी घट्टोपाध्याय श्री मीराबहन उनके मित्र एवं मार्गदर्शक हैं। गांधीजी उनकी दृष्टि में अवतार पुरुष हैं। वे अन्तर्बाह्य गांधीभवत हैं फिर भी जाग्रत एव विवेकपूर्ण विश्लेषक एवं आलोचक भी हैं। वे गांधीभवत होने पर भी गांधीवादियों की आलोचना भी कर सकते हैं।

इस ग्रन्थश्रेणी में प्रकाशित पुस्तकें १९७१ से २००३ तक की समयावधि में लिखी गई हैं। विद्वज्जगत में उनका यथेष्ट स्वागत हुआ है। उससे व्यापक प्रभाव भी निर्माण हुआ है।

मूल पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। अभी वे हिन्दी में प्रकाशित हो रही हैं। भारत की अन्यान्य भाषाओं में जब उनका अनुवाद होगा तब बौद्धिक जगत में बड़ी भारी हलचल पैदा होगी।

२४ अक्टूबर २००६ को सेवाग्राम में ही ८४ वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हुआ।

